लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Committee & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 5 Oct 2008

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 30, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)
अंक 4, बुधवार, 21 नवम्बर, 2007/30 कार्तिक, 1929 (शक)

विषय **कॉलम**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 85 और 87 1-52

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 86 और 88 से 100 53-119

अतारांकित प्रश्न संख्या 575 से 762 119-606

सभा पटल पर रखे गए पत्र 606-617

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इक्तीसवां प्रतिवेदन 617

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधि स्थायी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन 617

कार्य मंत्रणा समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन 617

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 618-620

(एक) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के चौदहवें और सोलहवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

श्री वायालार रवि 618

(दो) गरीब और जरूरतमंद मरीजों को वित्तीय सहायता के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2186 के 29 अगस्त, 2007 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

डा. अंबुमणि रामदास 619

(तीन) आदिवासियों और दलित व्यक्तियों की छंटनी के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4745 के 9 मई, 2007 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

डा. दासरि नारायण राव 619-620

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
प्राक्कलन समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव	620
नियम 193 के अधीन चर्चा	621-776
पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के प्रस्ताव तथा उसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हुई हिंसा	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	621-644
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	644-663
मोहम्मद सलीम	663-693
प्रो. राम गोपाल यादव	693-697
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	697-702
श्री इलियास आजमी	702-704
श्री गुरूदास दासगुप्त	704-710
श्री अनंत गुढे	710-714
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	714-718
डा. रतन सिंह अजनाला	718-721
श्री प्रभुनाथ सिंह	721-727
श्री खारबेल स्वाईं	727-734
श्री जय प्रकाश	734-738
प्रो. एम. रामदास	738-742
श्री असादूद्दीन ओवेसी	742-747
श्री सुव्रत बोस	747-748
श्री सनत कुमार मंडल	748-749
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	749-754
श्री अबू हशीम खां चौधरी	754-757
श्री बसुदेव आचार्य	757-761
श्री मधुसूदन मिस्त्री	761-763
श्री शिवराज वि. पाटील	763-776

विषय कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले 776-786

(एक) देश में धान के लिए विशेष प्रोत्साहन मूल्य शीघ्र घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 776-777

(दो) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजकोट और भावनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 33 को चौड़ा किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री बी.के. दुम्मर 777

(तीन) महाराष्ट्र में चीनी मिलों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ जावले 777-778

(चार) महाराष्ट्र के सोलापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-13 को चार लेन वाला बनाने और राजमार्ग पर दुर्घटना अभिघात केन्द्र (एक्सिडेंट ट्रॉमा सेन्ट्र) स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख 778

(पांच) धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नु लाल मोहले 778-779

(छह) गुजरात के किसानों को 7 प्रतिशत की दर से कृषि ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा 779-780

(सात) क्योंझारगढ से होकर भुवनेश्वर और टाटानगर के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने और हावड़ा-बारबिल जन शताब्दी एक्सप्रेस को क्योंझारगढ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक 788-781

(आठ) केरल के कुन्नुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर धर्मादम-मुजप्पीलंगड़ पर एक नया पुल बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सतीदेवी 781-782

(नौ) नेपाल से आने वाली नदियों के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 781-782

विषय कॉलम

(दस) बिहार के महाराजगंज और मशरख के बीच रेल लाईन बिछाए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह 782

(ग्यारह) अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास 783

(बारह) ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में सेवाओं की आऊटसोर्सिंग रोकने और झारखंड में राज महल लालमटिया परियोजना में कार्यरत कर्मकारों के कल्याण हेतु सामुदायिक विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री हेमलाल मुर्मू 784

(तेरह) धान उत्पादकों की दशा सुधारने हेतु कदम उठाने जाने की आवश्यकता

श्री किन्जारपु येरननायडु 784-785

(चौदह) सामान्य श्रेणी के लोगों को उनकी जनसंख्या के आधार पर नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 785-786

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 787-788

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 788

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 788-794

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 795-798

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 21 नवम्बर, 2007/30 कार्तिक, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न काल होगा। मैं आपके सहयोग के लिए आपका आभारी हूं।

प्रश्न सं. 81 - श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'

[हिन्दी]

थोरियम का ईंधन के रूप में उपयोग

+

***81. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में थोरियम का परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में थोरियम की राज्य-वार अनुमानत: कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार ने थोरियम के माध्यम से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) थोरियम के उपयोग द्वारा देश में कितनी क्षमता की विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जा सकती है?

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) यद्यपि थोरियम अपने आप में एक विखण्डनीय सामग्री नहीं है, तथापि इसे, रिएक्टर में किरणन के बाद, यूरेनियम-233 में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका उपयोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित करने के लिए कर सकते हैं। भारत के पास थोरियम के विशाल भण्डार हैं और इस प्रकार यह, हमारी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बृहत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराता है। दीर्घावधि में ऊर्जा उत्पादन के लिए थोरियम का उपयोग करना, हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है।

(ग) मोनाजाइट, जिसमें लगभग 8% थोरियम होता है, के विभिन्न राज्यों में अनुमानित भण्डार निम्नानुसार हैं :

राज्य	*स्रोत (मिलियन मीटरी टनों में)
आंध्र प्रदेश	3.73
पश्चिमी बंगाल तथा झारखण्ड	1.45
केरल	1.37
तमिलनाडु	1.84
उड़ीसा	1.82
कुल	10.21*

*इनमें निर्दिष्ट, अनुमानित तथा प्रत्याशित भण्डार शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत ने, अपने यूरेनियम के सीमित और थोरियम के विशाल भण्डारों का इष्टतम रूप से उपयोग करने के लिए एक त्रिचरणीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के तीसरे चरण में, थोरियम का उपयोग बड़े पैमाने पर करने की परिकल्पना की गई है, जहां, दूसरे चरण के फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में तैयार किए गए यूरेनियम-233 का उपयोग थोरियम के साथ किया जाएगा। सरकार ने, थोरियम के उपयोग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित करने हेतु कई कदम उठाए हैं। उठाए गए प्रमुख कदमों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

(1) कलपाक्कम में अनुसंधान रिएक्टर 'कामिनी' की स्थापना, जिसमें, किरणित थोरियम से प्राप्त यूरेनियम-233 ईंधन का उपयोग किया जाता है। यह रिएक्टर सन् 1997 से परिचालनरत है। इस रिएक्टर के लिए ईंधन का प्रजनन, पुनर्संसाधन और संविरचन स्वदेशी तौर पर किया जाता है।

(2) ट्राम्बे स्थित अनुसंधान रिएक्टर में, और दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पी.एच.डब्ल्यु.आर्ज) में थोरियम ईंधन बंडलों का किरणन किया गया है।

(3) थोरियम आधारित ईंधन का उपयोग करने वाले प्रगत भारी पानी रिएक्टर (ए.एच.डब्ल्यु.आर.) का अभिकल्पन तथा विकास। यह रिएक्टर एक प्रौद्योगिकी प्रदर्श के रूप में काम करेगा।

(च) प्रजनक प्रौद्योगिकी की विधि के जरिए स्वदेशी थोरियम के उपयोग द्वारा भारत में लगभग 150,000 गीगावाट - वर्ष विद्युत की क्षमता मौजूद है।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गजब विडम्बना है कि सरकार ने एक तरफ उत्तर में यह स्वीकार किया है कि भारत में थोरियम का विशाल भंडार है और इसको हम रिएक्टर में किरणन करने के बाद यूरेनियम-233 में परिवर्तित कर सकते हैं जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एक तरफ सरकार कह रही है कि परमाणु ऊर्जा के लिए हमारे पास थोरियम वैकल्पिक साधन के रूप में उपलब्ध है, दूसरी तरफ सरकार इसी परमाणु ऊर्जा के नाम पर अपने देश के हितों के साथ समझौता करके अमेरिका के सामने घुटने टेक रही है। एक तरफ समाचार-पत्रों में जो आया है, नेशनल न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का जो स्टेटमैंट आया है, उनका कहना है कि देश के पास प्राकृतिक यूरेनियम संसाधन 10,000 मे.वा. है।

[अनुवाद

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': एक तरफ आप यह कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि आपके पास यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार ने जो उत्तर में कहा है और जो आंकड़े दिये हैं कि विभिन्न राज्यों में मोनाजाइट जिसमें 8 प्रतिशत थोरियम उपलब्ध है, इसके आंकड़े सरकार ने दिये हैं 10.21 मिलियन मीट्रिक टन। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि और कौन-कन से अवयव हैं जिनमें थोरियम पाया जाता है और जो आंकड़े दिये गए हैं, उसके अतिरिक्त कुल कितना और थोरियम उपलब्ध है और उससे हम कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं?

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कहा है और अनेक प्रश्न पूछे हैं। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के पास प्राकृतिक यूरेनियम का सीमित भंडार हैं। थोरियम विपुल मात्रा में उपलब्ध है। वस्तुत: हम थोरियम के भंडार के मामले में विश्व में दूसरे अथवा तीसरे नंबर पर आते हैं। परन्तु समस्या यह है कि थोरियम अपने आप में विखण्डनीय पदार्थ नहीं है। थोरियम इस्तेमाल केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जा सकता है। विश्व में उपलब्ध प्राकृतिक रूप से विखण्डनीय पदार्थ यूरेनियम-235 ही है, जिसका झारखंड में उत्पादन हो रहा है।

इसीलिए जब हमने अपना परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम आरंभ किया तब डा. होमी भाभा ने बड़ी सावधानी से थोरियम का उपयोग तीसरे चरण में करने हेतु एक तीन-चरण कार्यक्रम तैयार किया था। हमने प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करके पहला चरण अब पूरा कर लिया है, जो कि देश में ही उपलब्ध है जिसका उपयोग प्रैशराइजड् हैवी वाटर रियेक्टर में किया जाता है।

परमाणु ऊर्जा निगम के सी.एम.डी. ने कहा कि भारत के उपलब्ध प्राकृतिक यूरेनियम साधन का उपयोग करने हम अपने कार्यक्रम अथवा 10,000 मे.वा. के लक्ष्य तक पहुंच सकते है। हम 40 वर्षों तक ही 10,000 मे.वा. तक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं उसके बाद हमारे प्राकृतिक यूरेनियम समाप्त हो जाएंगे। अत: थोरियम चक्र को पाने हेतु हमें दूसरे चरण की आवश्यकता पडेगी, जो कि फास्ट ब्रीडर रियेक्टर चरण है। पहला ऐसा रियेक्टर का निर्माण कालपक्कम में किया जा रहा है। हमें आशा है कि कुछ वर्षों में यह काम करना आरंभ कर देगा।

जब तक हमारे पास ऐसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नहीं होंगे जो अपनी खपत से अधिक प्लूटेनियम का उत्पादन कर सकें। प्लूटेनियम एक विखण्डनीय पदार्थ है। यह एक मानव-निर्मित पदार्थ है। हम तीसरे चरण तक नहीं पहुंच सकते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। मैं इस धारणा का खंडन करना चाहता हूं कि थोरियम के विपुल भंडार होने के बाद भी भारत सरकार थोरियम कार्यक्रम जारी नहीं रख रही है।

महोदय, मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से थोरियम के उपयोग की मंशा रखते है परन्तु थोरियम स्वयं बिजली का उत्पादन नहीं कर सकता। सर्वप्रथम इसे विखण्डनीय आइसोटोप, यूरेनियम-233 में परिवर्तित करना होता है जो कि फास्ट ब्रिडर रियेक्टर में ही किया जा सकता है। अतः जब तक हम पर्याप्त क्षमता वाले फास्ट ब्रीडर रियेक्टर तैयार नहीं कर लेते, जिसका कि हमने निर्माण अभी आरंभ किया है हम थोरियम से बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते। हमारा अततः लक्ष्य है थोरियम का इस्तेमाल कर, जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैव ईंधन पर निर्भरता कम करके ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनना। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमारे पास थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है परन्तु इसका उपयोग आज नही किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से यह एक विस्तार से दिया गया उत्तर है।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': अध्यक्ष महोदय, एगजॉस्टिव उत्तर है, लेकिन इसमें विरोधाभास बहुत है। माननीय मंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं, 40 वर्षों तक न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो सी.एम.डी. का स्टेटमेंट है कि हमारे पास दस हजार मेगावाट तक उपयोग करने की क्षमता है।...*(व्यवधान)* हमारे पास यूरेनियम है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': अध्यक्ष महोदय, हम प्रश्न ही पूछ रहे हैं। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें विरोधाभास है, उसे तो हम बताएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको इनके उत्तर पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': हम उस विरोधाभास, की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। एक तरफ यह स्थिति है और दूसरी तरफ जो वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है, उस पर जाने के बजाए हम अपने सारे हितों का समझौता कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि हमारी जानकारी के मुताबिक थोरियम का तीस वर्ष पहले परीक्षण हुआ, उसके मुताबिक हम यूरेनियम 233 में कंवर्ट करके परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीस वर्षों में सरकार ने आज तक इस प्रणाली को विकसित क्यों नहीं किया? जब हमारा यूरेनियम 40 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा, तब हम उस पर डिपेंडेंट हो सकें, ऐसी व्यवस्था सरकार ने क्यों नहीं की?

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, मैं इस आरोपों का खंडन करना चाहता हूं कि हमने थोरियम प्रोग्राम के संबंध में कुछ नहीं किया। मैंने बार-बार यह कहा है कि थोरियम से अप्रत्यक्ष ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में प्लूटोनियम की आवश्यकता होगी जिसका उत्पादन हम हमारे पास उपलब्ध यूरोनियम से ही कर सकते हैं। हम उपयोग किए जा चुके ईंधन को पुनः संसाधित करके प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं। अतः हमें पर्याप्त मात्रा में प्लूटोनियम का उत्पादन करना होगा जिसकी खपत हम फास्ट ब्रीडर रियेक्टर में दूसरे चरण में करेंगे। उसके बाद ही हम थोरियम को एकीकृत करने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे।

थोरियम के उपयोग संबंधी प्रौद्योगिकी का जहां तक सवाल है संपूर्ण अनुसंधान एवं विकास भारत में ही किया गया है। हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किन्तु हम काफी बड़े पैमाने पर फास्ट ब्रीडर रियेक्टर की निर्माण प्रक्रिया को छोटा नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से भौतिकी ऐसी ही है। यह बात नहीं है कि भारत सरकार की ओर से इच्छाशक्ति की कमी है। यह डा. भाभा द्वारा अत्यंत कुशलता से बनाया गया तीन चरण का कार्यक्रम है। हम इस पर

काम कर रहे हैं किंतु ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्म निर्भरता तभी आ पायेगी जब हम 'थोरियम साइफिल' का उपयोग कर पायेंगे किंतु इसमें अभी कई वर्ष और लगेंगे। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे कल ही अंजाम दे डालें। हमें अत्यधिक क्षमता वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने होंगे जो कि हम बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता कि यहां कितने भौतिक-शास्त्री बैठे हुए हैं। किंतु मैं चाहूंगा कि हम प्लूटोनियम यूरेनियम तथा थोरियम से संबंधित कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करें।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: हम उन्हें (बार्क) बी.ए.आ.सी. में आमंत्रित करना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा है। मैं ऐसा ही करूंगा।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि केरल के समुद्र तटीय क्षेत्र में तथा अन्य जो तटवर्ती राज्य हैं, उनके क्षेत्रों में थोरियम के विशाल भंडार हैं। इन भंडारों को उपयोग करने की दृष्टि से सरकार द्वारा कलपाक्कम में कामिनी नामक एक परिकल्पना परियोजना भी स्थापित की गई है। उसका कार्य आगे बढ़ रहा है, यह सही है। इसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है और यह कहा है कि यूरेनियम की अपेक्षा थोरियम ज्यादा सुरक्षित है, हम इसका काफी उत्पादन कर सकते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे पास लगभग डेढ़ लाख गीगावाट विद्युत की क्षमता प्रतिवर्ष मौजूद है। इस दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय समुदाय कह रहा है कि इस क्षेत्र में थोरियम उपलब्ध है। आप इस वैकल्पिक ईंधन का उपयोग परमाणु ऊर्जा के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं और सरकार को इस बारे में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, वह क्यों नहीं की जा रही है? हमारे कई ऐसे समुद्रीतट हैं जहां थोरियम बहुतायत में उपलब्ध है, जिनमें सेतु-समुद्रम है एवं केरल के क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में काफी मात्रा में थोरियम उपलब्ध है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस दृष्टि से सरकार का इस योजना के बारे में क्या विचार है और इसमें विलम्ब के कारण विद्युत उत्पादन में जो कमी आ रही है, उसे दूर करने और विलम्ब को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा परियोजना को शीघ्र शुरू करने के बारे में सरकार क्या सोच रही है?

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि भारतीय वैज्ञानिक चाहे लाख कोशिश करते रहें, वे भौतिक विज्ञान के नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते। यह भौतिक विज्ञान का आधारभूत नियम है कि थोरियम का उपयोग करने तथा थोरियम को विखण्डनीय यूरेनियम-233 आइसोटोप जो कि प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता, यह मानव-निर्मित आइसोटोप है, में परिवर्तित करने के लिये बहुत बड़ी मात्रा में प्लूटोनियम की आवश्यकता होती है और यह भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होता। प्लूटोनियम भी मानव निर्मित विखंडनीय पदार्थ है, जोकि केवल प्रथम चरण में ही सम्भव है। हमारे पास प्लूटोनियम के कुछ भंडार हैं। मैंने बार-बार कहा है कि जब तक हमारे पास प्लूटोनियम, की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होगी तथा जिसका उपयोग हम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध यूरेनियम-238 आइसोटोप के साथ हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम में करेंगे, तब तक हम थोरियम कार्यक्रम आरम्भ नहीं कर सकते। थोरियम कार्यक्रम संबंधी प्रौद्योगिकी का हमने विकास कर लिया है। हमने स्वयं ही इस प्रौद्योगिकी का विकास किया है किंतु समस्या प्लूटोनियम की उपलब्धता है जिसे धीरे-धीरे ही तैयार किया जाता है। फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम के तहत हम प्लूटोनियम पैदा करते हैं।

कृपया मेरा विश्वास करें और महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि थोरियम कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिये हम एक दिन का भी विलम्ब नहीं करेंगे। जैसा ही हम ऐसा करने में समर्थ होंगे, हम इसे आरम्भ कर देंगे क्योंकि तभी हम ऊर्जा के क्षेत्र में किसी प्रकार की स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता प्राप्त कर पायेंगे।

मैं आपको कुछ आंकड़े भी देना चाहूंगा। देश में सभी स्रोतों - कोयला, जल इत्यादि से बिजली का वर्तमान उत्पादन लगभग 700 बिलीयन यूनिट है।

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर किसी एक दिन अवश्य चर्चा करेंगे। तब हम मुख्य चर्चा इसी विषय पर करेंगे। सदस्य थोरियम कार्यक्रम से संबंधित राजनीति के अधिक इच्छुक हैं।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, मैं केवल एक वाक्य में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जब हमारे यहां थोरियम कार्यक्रम है, तब हम वर्तमान 700 बिलियन यूनिटों की तुलना में थोरियम कार्यक्रम से लगभग 13 लाख बिलियन

यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकेंगे। इस प्रकार हमारी क्षमता काफी बढ़ जायेगी।

प्रो. बसुदेव बर्मन: महोदय, थोरियम के घरेलू स्रोतों के उपयोग हेतु उचित प्रौद्योगिकी के विकास के लिये सरकार द्वारा उठाए गये कदमों की मैं सराहना करता हूं। साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। महोदय, मैं चाहूंगा कि सदन को कलपक्कम तथा ट्राम्बे वाणिज्यिक आधार पर बिजली उत्पादन के संबंध में चल रहे कार्य की प्रगति से अवगत कराया जाए अर्थात अपने घरेलू थोरियम को रिएक्टर ईंधन के रूप में प्रयोग कर रिसर्च रिएक्टर कामिनी, प्रैशराइस्ड हैवी वाटर रिएक्टर और एडवासंड हैवी वाटर रिएक्टर में यथा विकसित प्रौद्योगिकी जिन्हें वाणिज्यिक आधार पर विद्युत उत्पादन के लिये परिचालन इकाइयों को स्थानांतरित कर दिया गया है, का हम कब तक उपयोग कर पायेंगे?

अध्यक्ष महोदय: काफी लम्बा प्रश्न है।

प्रो. बसुदेव बर्मन: कब तक वे प्रौद्योगिकियां प्राप्त हो जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय: किस वर्ष?

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, इसमें दो बातें हैं। एक तो यह कि जब हमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है जिसके लिए हमारी सरकार विभिन्न स्तरों पर प्रयासरत है तथा सरकार इस सभा को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास भी कर रही है कि उसे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग करने दी जाये, जिसके फलस्वरूप हमें पर्याप्त यूरेनियम मिलेगा। इस परिदृष्य में हमारे प्रयास और तीव्र होने चाहियें क्योंकि यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं मिलता और हम यूरेनियम का आयात नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास यूरेनियम के सीमित स्रोत है। हमें इस बात को समझना चाहिये। हमारी प्रौद्योगिकी चाहे वह कामिनी रिसर्च रिएक्टर या फिर एडवासंड हैवी वाटर रिएक्टर हो, जिसकी योजना हम बना रहे हैं जिससे थोरियम का प्रयोग किया जायेगा, की प्रगति सही हो रही है और समयानुसार शुरू होगी किंतु दुर्भाग्यवश यदि हमें प्लूटोनियम की प्रयाप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो हम कोई बड़ा व्यापारिक कार्यक्रम आरम्भ नहीं कर पायेंगे। यह हमारी सीमा है।

प्रो. बसुदेव बर्मन: क्या मैं यह समझूं कि घरेलू थोरियम का प्रयोग करने में सरकार द्वारा कोई समयावधि निश्चित नहीं की गई है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जैसे ही संभव होगा, यह तुरंत किया जायेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न पर हमने 15 मिनट लिये हैं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमान्, माननीय मंत्री जी ने दो बार कहा कि थोरियम टैनेबल मटीरियल नहीं है। उसे प्लूटोनियम 233 में बदलने हेतु, यानी टैनेबल मटीरियल बनाने के लिए काम करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यूरेनियम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, उसमें भी सबसे ज्यादा यूरेनियम 237 आइसोटोप होता है, जिसे न्यूक्लियर रिऐक्टर्स के जरिए एनरिच करना होता है और यूरेनियम 235 अथवा 233 में कन्वर्ट करना होता है। इसी से एटॉमिक एनर्जी पैदा होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जो बिजली बनाते हैं, उसका जो न्यूक्लियर बेस होता है, उसी से आगे चलकर न्यूक्लियर बम वगैरह बनाया जाता है। अभी जो डील हुई है, उसके तहत एन.एस.जी. से बात की जाएगी और सिर्फ यूरेनियम की बात की जाएगी। लेकिन थोरियम के उपयोग की कहीं बात नहीं की गई है। अभी जो अमेरिका के साथ डील हुई है क्या उसमें कोई ऐसा प्रावधान किया गया है, जिसके तहत हम थोरियम का उपयोग कर सकेंगे अथवा हमें हमेशा ही दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही जटिल है।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा यहां पर बताए गए कुछ तथ्यों में संशोधन नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने यह ठीक कहा है कि हमें प्राकृतिक रूप से यूरेनियम-238 और यूरेनियम-235 का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें से केवल यूरेनियम-235 विखण्डनीय आइसोटोप है और यूरेनियम-238 नहीं। यूरेनियम-238 आइसोटोप एक उर्वर पदार्थ है, जिससे आप प्लूटोनियम प्राप्त कर सकते हैं। मैं और अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता।

कृपया मुझे यह स्पष्ट करने की अनुमति दें कि भारत

एक ऐसा देश है, जहां यूरेनियम की कमी है, लेकिन हमारे पास थोरियम के पर्याप्त संसाधन हैं। अधिकांश परमाणु समर्थ देशों में यूरेनियम के बड़े-बड़े भंडार हैं। इसलिए उन्होंने हमारी तरह थोरियम जैसा कोई विकल्प नहीं खोजा है। मैं इस अवसर का उपयोग यह आश्वासन देने के लिए करना चाहता हूं कि शायद भारतीय थोरियम उपयोग प्रौद्योगिकी विश्व के किसी अन्य देश से अधिक विकसित है। हमें किसी से थोरियम प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हमें आधारभूत यूरेनियम की आवश्यकता है, जो हमारे पास सीमित मात्रा में है। अतः अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एकमात्र प्रयोजन यह है कि हम परमाणु कार्यक्रम, जिसके लिए हमारे पास पूर्ण रूप से विकसित देसी प्रौद्योगिकी है, को आगे बढ़ा सकें। प्रकृति ने हमें यूरेनियम के बड़े-बड़े भंडार नहीं दिए हैं, और यह केवल 70,000 टन ही है, जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए, यूरेनियम को प्लूटोनियम में बदलने के लिए और तत्पश्चात् थोरियम का उपयोग करना एक लंबी प्रक्रिया है।

पिछला अनुपूरक प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य ने समय सीमा के बारे में पूछा था। हमारे पास परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक तो पूर्णतः भारतीय कार्यक्रम पर आधारित निश्चित समय सीमा है और दूसरी, यदि सभा की अनुमति हो तो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु निश्चित समय सीमा भी है।

[हिन्दी]

कोयला खानों को बंद करना

+

*82. **श्री टेक लाल महतो:**

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 60 भूमिगत खानों को बंद करने का है जैसा कि दिनांक 5 नवम्बर, 2007 के "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन खानों में काम करने वाले मजदूरों की कुल कंपनी-वार संख्या कितनी है तथा प्रभावित मजदूरों के पुनर्वास हेतु क्या योजना बनाई है; और

(घ) इन खानों के बंद होने पर कोयले का आवश्यक मात्रा में उत्पादन करने तथा आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) दिनांक 5 नवम्बर, 2007 के बिजनेस स्टैंडर्ड, कोलकाता में प्रकाशित समाचार 3-11-2007 को आयोजित शीर्ष संयुक्त परामर्शदात्री समिति (जे.सी.सी.) की बैठक के संदर्भ में प्रतीत होता है, जिसमें घाटे में चल रही भूमिगत खानों के संबंध में शीर्ष जे.सी.सी. के सदस्यों को जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार खानों को बंद करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नई परियोजनाओं को खोलने तथा यंत्रीकरण, प्रणालियों में सुधार आदि जैसी विभिन्न पद्धतियों को अपना कर मौजूदा खानों की क्षमता को अधिकतम करने के साथ-साथ कोयला उत्पादन को बढ़ाने के उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 3-11-2007 की परामर्शदात्री समिति की बैठक में सदस्यों को जानकारी दी गई है कि किसी भी कोलियरी को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सी.सी.एल. की हजारीबाग में स्थित तापिनसोथ और लइयो कोलियरी में पिछले डेढ़ साल से मजदूरों को बैठाकर तनख्वाह दी जा रही है। इसके अलावा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के ही पश्चिमी झरिया क्षेत्र के मुनीडीह (महुदा ग्रुप) के लोहापट्टी कोलियरी के 18-19 भूमीगत खदान, कुंजी इन्क्लाईन, कान्डरा खदान, 2-ए खदान, नम्बर 2 खदान, नम्बर 4 खदान भुरकुंगिया परियोजना के भुरकुंगिया चानक एवं रानीडीह इन्क्लाईन, भाटडीह कोलियरी के नागदा इन्क्लाईन तथा मुरूलिडीह कोलियरी की खदानें वर्षों पहले से बंद कर दी गई हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इनको इसलिए बंद किया गया है क्योंकि वहां के लोगों ने डोमेस्टिक कोल और लोकल सेल की मांग की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि यदि इन कोलियरी को बंद करने का निर्णय नहीं किया गया है तो इनको कब शुरू किया जा रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने बहुत-सी खदानों का उल्लेख किया है।

डा. दासरि नारायण राव: जी हां, महोदय। भूमिगत खदानों के कारण कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। विशेषरूप से, 2006-2007 में, हमें 3,067 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। फिर भी हमने खदानें बंद नहीं की हैं। खादनें बंद करना अलग बात है और उत्पादन को रोक देना बिल्कुल अलग।

माननीय सदस्य ने हजारीबाग स्थित एक खदान का उल्लेख किया था। यह जनवरी, 2006 से बंद पड़ी है। इसका कारण यह है कि पहले कोयला विकास विधि से निकाला जा सकता था। अब, सतह को नुकसान से बचाने के लिए सी.सी.एल. ने डी.जी.एम.एस. से आंशिक खनन अवधि से कोयला निकालने का अनुरोध किया है, लेकिन डी.जी.एम.एस. ने इसकी अनुमति नहीं दी और कामगार बेकार बैठे हैं।

कुछ सप्ताह पूर्व हुई, जे.सी.सी. की बैठक में इस बात पर सहमति जताई गई थी कि कामगारों को आस-पास की खदानों में अपना कार्य स्थल चयन करने का विकल्प दिया जाए और कंपनी विकल्प पर विचार करेगी और उन्हें उचित स्थान पर तैनात कर देगी।

माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित अन्य खदानों के संबंध में, बी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल. पुनरुज्जीवन पैकेज के अंतर्गत हैं। ई.सी.एल. में 26 खदानें हैं जो अर्थक्षम नहीं हैं, जिसमें से पुनरुज्जीवित पैकेज के अनुमोदन से पहले ही चार खदानों का प्रचालन रोक दिया गया है और पांच अन्य खदानों की पहचान की गई है जिनमें प्रचालन रोका जाना है। इनमें से तीन में प्रचालन रोक दिया गया था और दो और शेष हैं। शेष 17 खदानों के संबंध में, उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जाने का निर्णय लिया गया था।

सदस्य ने बी.सी.सी.एल. के संबंध में कुछ भूमिगत खदानों का संदर्भ दिया। 41 भूमिगत खदानों को 1000 रु. प्रति टन से भी अधिक घाटा हो रहा है। इन खदानों में 33,000 लोग कार्यरत हैं। कंपनी को 500 करोड़ रु. का नुकसान हो रहा है, फिर भी कोई खदान बंद नहीं की गई थी। कुछ खदानों का प्रचालन पहले ही रोक दिया गया है। अगले चार वर्षों में जे.सी.सी. से परामर्श करने के पश्चात् 17 खदानें बंद करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि खदानें बन्द करने का निर्णय नहीं है तो उन्हें चालू करने की कोई तिथि माननीय मंत्री जी ने नहीं बताई और क्या भविष्य में और कोलियारी बन्द होंगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

डा. दासरि नारायण राव: मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं। हम एक पुनरुज्जीवन और पुनर्वास पैकेज तैयार करेंगे और मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि कुछ खदानें बंद किये जाने के बावजूद कोई छंटनी नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि 26 खदानें अभी बन्द करने की लिस्ट में हैं, जिनमें से सात ऑलरेडी बन्द की गई हैं, तब इनका यह उत्तर देना कि बन्द करने का कोई निर्णय नहीं है, हमें लगता है कि वही गलत है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि टोटल कितनी अंडरग्राउंड माइन्स हैं और रख-रखाव में इण्टरैस्ट के चलते उनमें से कितनी बन्द हैं और जितनी अंडरग्राउंड माइन्स हैं, उनमें 2001 से 2007 तक कितनी घटनाएं हुईं, जिनमें मजदूरों की मृत्यु हुई है? अन्त में मैं जानना चाहता हूं कि अंडरग्राउंड माइन्स, जो लगातार बन्द हो रही हैं, उनके डैवलपमेंट के लिए आपने कौन से उपाय किये हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न न दोहराएं। आप सटीक प्रश्न पूछें। बार-बार एक ही प्रश्न पूछने से यह अधिक प्रभावी नहीं हो जाएगा।

डा. दासरि नारायण राव: सी.आई.एस. की कुल 468

खानें हैं। जिनमें से 283 खानें भूमिगत हैं और 36 खानें मिली-जुली तरह की हैं। हम जो कदम उठा रहे हैं, वे हैं खान कर्मियों की सतत भर्ती. 'लाग वॉस टेक्नोलाजी', साइड डिस्चार्ज लाडेर, लॉग हॉल डम्पट, सार्वभौमिक ड्रिलिंग मशीनें इत्यादि। के माध्यम से मशीनीकरण। इस नई प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है। वर्तमान में 190 भूमिगत खदानों का यंत्रीकरण किया गया है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य 94 भूमिगत खदानों का यंत्रीकरण किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री बंसगोपाल चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया है कि जो 17 माइन्स प्राइवेट के हाथों में बी.आई.एफ.आर. ने देना एग्री किया है, वह इसीलिए था कि आपकी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और बी.सी.सी.एल. को बी.आई.एफ.आर. पैकेज से निकाला जा सके। यहां आऊटसोर्सिंग की अनुमति दी गयी थी। इस संबंध में उनका यह कहना था कि जो प्राफिट है, उस प्राफिट से हम अंडर ग्राउंड माइंस को डेवलप करेंगे, यह बी.आई.एफ.आर. पैकेज में था।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक अंडर ग्राउंड माइंस को डेवलप करने के लिए वहां से जो प्राफिट आ चुका है, उससे कितने अंडर ग्राउंड माइंस को हम लोगों ने डेवलप किया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बी.आई.एफ.आर. पैकेज के बारे में।

डा. दासरि नारायण राव: बी.आई.एफ आर. पैकेज का प्रावधान है। सच पूछिए तो भूमिगत खानों पें हमें जो हानि हो रही है और 'ओपन कॉस्ट' खानों से हमें जो फायदे और लाभ प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें भूमिगत खदानों की जरूरतों पर खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार, भूमिगत खदानों से होने वाले घाटे को 'ओपन कॉस्ट' खानों से प्राप्त राशि से पूरा किया जा रहा है। इसलिए, हम ओपन कॉस्ट खदानों से प्राप्त राशि को भूमिगत खदानों पर व्यय कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: अन्य खदानों के माध्यम से।

श्री बसुदेव आचार्य: खदानों की तह में हम जितना ही भीतर जाएंगे हमें उतना ही उत्तम प्रकारं का कोयला मिलेगा और अधिकांशत:...

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न खानों के बन्द करने के सम्बन्ध में है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं "उनकी बन्द करने" की बात पर ही आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पर ही बोलिए।

श्री बसुदेव आचार्य: ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. में काफी अधिक संख्या में भूमिगत खानें हैं। यद्यपि समुद्री 'शेल' क्षेत्र में ऐसी छोटी खानों का प्रतिशत काफी कम है। ई.सी.एल. में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला मौजूद है। परन्तु 60 भूगर्भीय खानों को बन्द करने का एक प्रस्ताव है जिसके विषय में ई.सी.एल. में यूनियनों के साथ बातचीत की जा रही है जिसके बारे में हम वर्षों से उन खानों का खानवार अध्ययन करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि वहां कोयले के भण्डार हैं और हमें उत्पादन बढ़ाना है। आज के दिन ईस्टर्न कोलफील्डस 30 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर रही है। उत्पादन बढ़ाने के लिए न केवल मौजूदा खानों के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है अपितु कुछ नई परियोजनाओं को मंजूरी देना भी आवश्यक होगा। ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. में जो कुछ हो रहा है वह यह है कि एक ओर तो भूमिगत खानों को बन्द किया जा रहा है अथवा इनमें काम रोका जा रहा है जबकि दूसरी ओर किसी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: यह बात इस प्रश्न में कहां पैदा होती है?

श्री बसुदेव आचार्य: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अच्छी गुणवत्ता के कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ई.सी.एल. में, विशेषतया भूमिगत खानों के लिए, नयी परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने पर विचार करेगी। आज चीन अपनी भूमिगत खानों से 60 प्रतिशत कोयले का उत्पादन कर रहा है जबकि हम अपने देश के भूमिगत खानों की अनदेखी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मूल प्रश्न से इस मामले को सम्बद्ध करने के लिए "क्या सरकार बन्द पड़ी हुई" किसी खान को पुन: चालू करेगी?

श्री बसुदेव आचार्य: क्या सरकार बेहतर गुणवत्ता के कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई भूमिगत खानों संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य मैं आपका सहयोग चाहता हूं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। क्या सरकार बेहतर उत्पादन के लिए बन्द पड़ी हुई खानों को खोलने जा रही है? केवल यह बात ही प्रासंगिक है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री बसुदेव आचार्य: केवल बन्द पड़ी हुई खानों को ही नहीं खोला जाना चाहिए अपितु नयी खानों के लिए भी मंजूरी दी जानी चाहिए।

डा. वासरि नारायण राव: हमने उत्पादन लक्ष्य में सचमुच वृद्धि की है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में भूमिगत खानों से 54 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। वास्तव में मैंने जनवरी में समीक्षा बैठक की थी और 75 मिलियन का लक्ष्य दिया था। कोल इण्डिया लिमिटेड ने 66 मिलियन टन कोयला उत्पादन की व्यवहार्यता संबंधी रिपोर्टें तैयार की हैं, और वे इसे बढ़ाकर 75 मिलियन टन करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: सं. 83, श्री विजय कृष्ण - उपस्थित नहीं।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव।

ग्रामीण लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का सर्वेक्षण

+

***83. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री विजय कृष्ण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण लोगों के लिए विद्यमान स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अवसंरचना की उपलब्धता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) केन्द्र सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली तथा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए क्या पहल की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां भारत सरकार स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकलापों और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक रूप से राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करती है। इसके अलावा सरकार द्वारा देश में सुविधा सर्वेक्षण दो चरणों (1998-99 और 2003-04) में किया गया है जिसमें 591 जिलों की बाबत आधारभूत सुविधा, स्टाफ, आपूर्ति और उपकरण के संबंध में भारत में विभिन्न स्तरों के सरकार के स्वास्थ्य परिचर्या प्रतिष्ठानों में उपलब्ध स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन किया गया।

इस सर्वेक्षण में जिला अस्पताल, प्रथम रेफरल एककों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रो में विभिन्न सुविधा मानदण्डों को कवर किया गया जैसा कि:

- आधारभूत सुविधा (भवन, स्टाफ क्वार्टर, जल और विद्युत की आपूर्ति, शौचालय और दूरभाष की सुविधाओं, वाहन की उपलब्धता आदि) की स्थिति।
- सुविधाओं (आपरेशन थिएटर, प्रसव कक्ष, ओ.पी.डी., बुनियादी प्रयोगशाला, बिस्तर आदि) की उपलब्धता।
- स्टाफ (चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों और सहायकों, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, फार्मासिस्टों, प्रयोगशाला तकनीशियनों, कम्प्यूटर लिपिकों आदि) की स्थिति।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण और अभ्यास की स्थिति (चिकित्सा अधिकारियों और परामेडिकल स्टाफ द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण का प्रकार)।
- उपकरणों (रेफ्रीजरेटर, आई.एल.आर. डीप फ्रीजर, वैक्सीन कैरियर, एक्स-रे मशीन, जांच टेबल, भार मापक मशीन, रक्तचाप मापक उपकरण, स्टेथेस्कोप, आटोक्लेव, आक्सीजन सिलेण्डर, प्रसव कक्ष टेबल, आपरेशन थिएटर टेबल आदि) की उपलब्धता और कार्यकरण की स्थिति।
- किट उपकरण और औषधों (किट के प्रकार, नवजात शिशु परिचर्या संबंधी उपकरणों द्वारा) की उपलब्धता।
- गर्भनिरोधकों, वैक्सीनों और औषधों आदि का स्टाक।

वर्ष 1999 और वर्ष 2003 में किए गए सुविधा सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष उपाबंध I से III में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को बेहतर करने और उनको चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार करना शुरू किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इन सुधारों के लिए प्रमुख साधन है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह पूरे देश में प्रचालित किया जा रहा है जिसमें 8 अधिकार प्राप्त कार्यदल वाले राज्यों (बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा और राजस्थान), 8 पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य विशेष रूप से निर्धन और असुरक्षित वर्ग के लोगों को सुलभ, वहनीय, जवाबदेह, प्रभावी और भरोसेमंद बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य सभी स्तरों पर जन स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली को सुदृढ करना है।

बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन, स्पष्ट गुणवत्ता मानको, समुदाय की और अधिक सहायता और असंबद्ध निधि के माध्यम से उप-केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है ताकि स्थानीय नियोजन और कार्रवाई की जा सके। भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों में ढंचागत, कार्मिक, उपकरण और प्रबंधन मानकों को परिभाषित किया गया है तथा जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के लिए उनको अंतिम रूप दिया गया है।

बेहतर ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए स्थानीय रूप से सुसंगत पहल करने के लिए स्थानीय प्रबंधन समिति को समर्थ बनाने के लिए सभी सुविधा केन्द्रों को असम्बद्ध निधियां प्रदान की जा रही हैं। उप-केन्द्र स्तर पर असम्बद्ध निधियों का संचालन ए.एन.एम. और ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते से किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर अस्पताल प्रबंधन समितियां (रोगी कल्याण समितियों) की स्थापना पंजीकृत सोसाइटियों के रूप में की जा रही है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का प्रतिनिधित्व रहता है। इन सोसाइटियों को स्थानीय कार्रवाई करने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निधियां भी प्रदान की जा रही हैं।

उपाबंध-I

भारत में प्रमुख विशिष्ट सुविधाओं वाले स्वास्थ्य परिचर्या प्रतिष्ठानों का प्रतिशत

क्र.सं.	आधारभूत सुविधा	जिला अस्पताल		प्रथम रेफरल एकक		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	
		1999	2003	1999	2003	1999	2003
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	निजी भवन	98.0	97.0	98.0	94.7	96.0	91.0
2.	तीन वर्ष में कम से कम एक बार रख-रखाव	72.0	40.1	60.0	39.9	51.0	37.7
3.	जल स्रोत-वाटर पाइप	72.0	58.7	50.0	49.1	46.0	43.9
4.	शिरोपरि टैंक	87.0	90.5	82.0	80.8	71.0	70.0
5.	अस्पताल के सभी भागों में विद्युत	98.0	96.7	96.0	94.3	92.0	91.8
6.	आपरेशन थिएटर	98.0	99.5	93.0	93.7	86.0	87.6
7.	पृथक एसेप्टिक प्रसव कक्ष	44.0	44.4	36.0	33.3	28.0	31.0
8.	काम कर रहे जनरेटर	86.0	91.7	71.0	86.9	52.0	84.3
9.	दूरभाष सुविधा	96.0	96.7	80.0	74.8	62.0	62.2
10.	चलने लायक वाहन	91.0	89.9	73.0	56.8	61.0	57.4
11.	स्त्री रोग विज्ञान/प्रसूति संबंधी ओ.पी.डी. की सुविधा	80.0	73.7	63.0	53.8	43.0	36.0
12.	जांच के दौरान निजता	72.0	92.6	53.0	89.3	36.0	85.8
13.	परामर्श के लिए सुविधा	64.0	78.7	48.0	69.1	32.0	63.9

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	जल सहित पृथक शौचालय	50.0	67.3	77.0	62.6	23.0	55.0
15.	उपकरणों को विसंक्रमित करने की सुविधा	72.0	87.5	54.0	82.9	39.0	80.0
16.	जिला रक्त बैंक के साथ संबंध	66.0	67.5	17.0	27.2	9.0	15.8
17.	नियमित रक्त आपूर्ति	60.0	60.5	12.0	27.7	8.0	10.5
18.	प्रसूति विज्ञानी/स्त्री रोग विज्ञानी के लिए क्वार्टर	38.0	40.1	23.0	28.5	15.0	21.0
19.	आर.एम.ओ. (आवासीय चिकित्सा अधिकारी) के लिए क्वार्टर	56.0	47.1	49.0	42.2	47.0	44.0
20.	नर्स के लिए क्वार्टर	67.0	67.5	66.0	66.8	65.0	71.0
21.	पर्सनल कम्प्यूटर	21.0	47.7	2.0	14.7	2.0	2.0
	किए गए कुल सर्वेक्षण	210	370	760	1882	866	1625

स्रोत: सुविधा सर्वेक्षण भारत 1999 और 2003

उपाबंध-II

भारत में प्रमुख विशिष्ट सुविधाओं वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रतिशत

		1999 प्रतिशत	2003 प्रतिशत
1	2	3	4
आधारभूत सुविधा	निजी भवन/किरायामुक्त	92.0	89.2
	जल का स्रोत कम से कम कुआं	62.0	66.5
	विद्युत की उपलब्धता	82.0	66.4
	प्रसव कक्ष	48.0	48.4
	प्रयोगशाला (बुनियादी प्रयोगशालाओं की सुविधा)	46.0	45.6
	दूरभाष	20.0	19.8
	शौचालय सुविधा	79.0	52.3
	कम से कम एक बिस्तर	69.0	71.3
	चलने लायक वाहन	29.0	22.8
आपूर्ति	किट जी (आई.यू.डी. निवेशन)	48.0	50.0
	किट आई (सामान्य प्रसव किट)	46.0	50.5
	अनिवार्य प्रसूति परिचर्या किट	21.0	32.2
सर्वेक्षण के दिन स्टाक	निरोध	56.0	59.1
	ओरल पिल चक्र	61.0	58.4
	आ.यू.डी.	59.0	56.3
	बी.सी.जी.	57.0	45.2
	डी.पी.टी.	63.0	48.5
	ओ.पी.वी.	63.0	49.1
	खसरा	62.0	48.1
	डी.टी.	49.0	35.4

1	2	3	4
	टी.टी.	61.0	48.8
	आई.एफ.ए. (बड़ी)	33.0	57.4
	आई.एफ.ए. (छोटी)	40.0	50.2
	विटामिन ए का घोल	40.0	50.9
	ओ.आर.एस. के पैकेट	64.0	71.2
स्टाफ (भरा गया)	चिकित्सा अधिकारी	88.0	78.2
	चिकित्सा अधिकारी (महिला)	20.0	15.5
	स्वास्थ्य सहायक (पुरुष)	34.0	81.0
	स्वास्थ्य सहायक (महिला)	53.0	85.3
	बहुउद्देशीय कार्यकर्ता महिला	91.0	89.6
	प्रयोगशाला तकनीशियन	39.0	65.0
उपकरण (उपलब्ध)	शिशु भार मापक मशीन	74.0	64.4
	डीप फ्रीजर	65.0	53.0
	वैक्सीन डे कैरियर	87.0	68.1
	रक्तचाप मापक उपकरण	76.0	87.8
	प्रसव कक्ष टेबल	53.0	55.0
	स्टीम स्ट्रेलाइजर ड्रम	59.0	69.8

स्रोतः सुविधा सर्वेक्षण भारत 1999 और 2003

उपाबंध-III

भारत में प्रमुख विशिष्ट सुविधाओं वाले उप-केन्द्र का प्रतिशत-2003

1	2	3
आधारभूत सुविधा	सरकारी भवन	45.2
	जल कम से कम कुएं का"	78.8
	विद्युत	43.1

1	2	3
	शौचालय सुविधा	73.6
	मोपेड रखने वाली ए.एन.एम.	11.9
नियमित आपूर्ति**	लुब्रीकेन्ट निरोध नग	96.3
	ओरल पिल्स	96.6
	आई.यू.डी.	96.0
	आई.एफ.ए. (बड़ी)	97.5
	आई.एफ.ए. (छोटी)	94.9
	विटामिन ए का घोल	96.7
	ओ.आर.एस. के पैकेट	92.9
सर्वेक्षण के दिन स्टाक	लुब्रीकेन्ट निरोध नग	72.7
	ओरल पिल्स	78.5
	आई.यू.डी.	63.8
	आई.एफ.ए. (बड़ी)	88.8
	आई.एफ.ए. (छोटी)	84.5
	विटामिन ए घोल	82.6
	ओ.आर.एस. पैकेट	83.3
कार्यरत स्टाफ या जनशक्ति***	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)	67.7
	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	95.1
प्राप्त किट	किट ए औषध	96.9
	किट बी औषध	95.2
	किट सी उपकरण	26.0
उपकरण (कार्यशील)****	जांच टेबल	89.4
	शिशु भार मापक मशीन	86.7
	रक्तचाप मापक उपकरण	65.9
	स्टेथेस्कोप	79.5

1	2	3
	प्रेसर कुकर	86.0
	हिमोग्लोबिनोमीटर	75.1
	पेशाब जांच के लिए रिएजेंट स्ट्रीप्स	88.3
	स्पेकुलम	95.7
	मेडिसिन चेस्ट	83.3
	वैक्सीन डे कैरियर	99.4
	जांच टेबल	89.4

* टेप वाटर को शामिल नहीं किया गया है।

** सर्वेक्षण के दिन नियमित आपूर्ति स्टाक से।

*** कार्यरत स्टाफ स्वीकृत पद वाले स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र की संख्या से है।

**** कार्यशील उपकरण की उपलब्धता से है।

नोट: वर्ष 1999 में किए गए सुविधा सर्वेक्षण के पहले चरण में उप-केन्द्रों को शामिल नहीं किया गया था।

स्रोत: सुविधा सर्वेक्षण भारत 2003

[हिन्दी]

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए पक्की इमारतें पर्याप्त मात्रा में सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में हैं? यदि नहीं हैं, तो इसका क्या कारण है?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: पहले, वस्तुत: 1991 में इन उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को शुरू करने के लिए हमारे पास जनसंख्या अनुपात पर आधारित एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी। वर्ष 2004 में हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद, प्रधान मंत्री ने मुझे और मेरे विभाग को निदेश दिया कि जनसंख्या पर अधिक ध्यान नहीं देकर हमें आवश्यकता आधारित होना चाहिए। इसलिए एक उपकेन्द्र शुरू करने के लिए पहले आधार इस प्रकार था - पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र में प्रति 3000 की जनसंख्या पर तथा मैदानी क्षेत्र में प्रति 5000 की जनसंख्या के आधार पर एक उपकेन्द्र प्रारम्भ कर सकते है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जनसंख्या 20,000 से 80,000 के बीच तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 80,000 से 1,20,000 के बीच होना आवश्यक है।

अब, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत हम जनसंख्या आधारित पहलू को छोड़कर आवश्यकता-आधारित अथवा रोगी-आधारित पहलू पर ध्यान दे रहे हैं। इस मिशन के तहत, सबसे पहले हम देश में स्थित सभी उपकेन्द्रों, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सभी जिला मुख्यालय अस्पतालों का उन्नयन कर रहे हैं। दूसरे, हम उन्हें प्रत्येक वर्ष राज्य की आवश्यकता के आधार पर एक नया लक्ष्य दे रहे हैं, और प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकतानुसार प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करता है और हम उन राज्यों के लिए नए केन्द्रों की व्यवस्था भी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, क्या ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्तमान में विशेष डाक्टर मौजूद हैं? यदि नहीं, तो राज्यवार कुल कितने ऐसे डाक्टरों की कमी है तथा उन्हें पूरा करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तो अब ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ डाक्टर नहीं जा रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: इस योजना के अन्तर्गत, देश में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में केवल गैर-विशेषज्ञ डाक्टर ही हैं, परन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अर्थात तालुका अथवा उप-मण्डल अस्पताल में प्रत्येक राज्य सरकार की श्रेणी के अनुसार विशेषज्ञ डाक्टर मौजूद हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वास्तव में सात वर्षीय कार्यक्रम है, के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में दो वर्ष और पांच वर्ष 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह कह सकता हूं कि यह यू.पी.ए. के अग्रणी (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों में से एक है और मैं फिर कहूंगा कि भारत के चिकित्सा क्षेत्र में सभी केन्द्रों पर यह अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जहां पर हम उन्नयन कर रहे हैं।

इस मिशन से पूर्व, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में अनुमानत: केवल 3500 विशेषज्ञ डाक्टर थे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के शुभारम्भ के पश्चात्, केवल दो वर्षों के समय में ही स्त्री रोग चिकित्सकों, एनेस्थेटिस्ट, कायचिकित्सकों, शल्यचिकित्सकों जैसे लगभग 7000 विशेषज्ञ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में कार्यरत हैं। परन्तु सचमुच हमें और अधिक विशेषज्ञों की आवश्यकता है। इसीलिए, हम राज्यों से उन्हें ठेका (कान्ट्रेक्ट) आधार पर नियुक्त करते है और उन्हें अधिकार प्रदान करने के लिए कह रहे हैं, कर रहे हैं। वास्तव में, यदि वहां डाक्टर नहीं जायेंगे तो हम नर्सों पेरामेडिक कर्मियों, सहायक नर्सों मिडवाइव्स की संख्या में वृद्धि करेंगे और उसके बाद प्रत्येक गांव में ए.एस.एच.ए., स्वास्थ्यकर्मी भी बढ़ाए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: डाक्टरों की रूचि निजी क्षेत्र में है?

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, यह गांवों के लिए बहुत ही मेजर समस्या है। क्या आप कभी कोई जांच करवाते हैं क्योंकि जब हम भी सर्वेक्षण करने जाते हैं तो डाक्टर मेडिसन्स की रिक्वायरमैंट लिखते हैं कि हम इतने पेशैंट्स को दवाई दे रहे हैं ग्रामीण इलाकों में लोग इतने गरीब और डरे हुए होते हैं और उनकी हिम्मत नहीं होती कि वे डाक्टर के सामने कह सकें कि उन्हें मेडिसन नहीं मिलती। अधिकतर जिला अस्पतालों में 12 डाक्टरों की पोस्टिंग होती है। लेकिन क्या आपको इसकी जानकारी है कि यहां सिर्फ दो-दो डाक्टर ही आते हैं और वे दो-तीन घंटे रहकर दो-दो की शिफ्ट में पूरे महीने के सिगनेचर करके पांच-पांच हजार रुपये ले जाते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक कह रही हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: मैंने इस बारे में कई बार जिले में कम्प्लेंट की है, लिखा है, लेकिन सारी चेन बनी हुई है और उन्हें कोई परवाह नहीं है। यदि आप इंटीरियर में जाएं और वहां दो डाक्टरों की ड्यूटी है तो वे महीने में एक बार जाकर सिर्फ पेमैंट लेते हैं और उन्हें पेमैंट दी जाती है, चाहे नर्स हों या कम्पाउंडर हों। क्या आपको इन सब बातों की जानकारी है? मैंने तीन-चार बार एक्सपायरी डेट की मेडिसन्स भी पकड़ीं और डी.एम. से कहा, लेकिन किसी भी शिकायत में किसी को सस्पैंड नहीं किया गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक कह रहे हैं, हम इस पर समुचित चर्चा करेंगे; मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: मेरे ख्याल से यदि डिस्ट्रिक्ट में पचास अस्पताल हैं तो वहां एक या दो सी.एस. और गाइनाकॉलाजिस्ट हैं और वे सदर अस्पताल में बगल में अपना प्राइवेट क्लीनिक बनाती हैं और वहां 50 रुपये, 500 रुपये लेकर इलाज करती हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: आप इस पर गहराई से गुप्त जांच करायें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल है। मैंने आपको प्रश्न करने का अवसर दिया है।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता से सहमति जताता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं भी उनकी चिन्ता से सहमति जताता हूं।

डा. अंबुमणि रामदास: यही एक स्पष्ट वजह है कि हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अभियान क्यों प्रारम्भ किया है। माननीय सदस्य ने कहा है कि इस सम्बन्ध में बड़े ही विवेकपूर्ण ढंग से सर्वेक्षण किए गए हैं। जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास सीमित सैम्पल सर्वेक्षण सुविधा ही है। हमने डी.एल.एच.एफ. और एन.एफ.एच.एल., दो प्रकार के सर्वेक्षण किए हैं जिनमें हमने समय समय पर स्वास्थ्य स्तर, पैरामीटरों और दी गई स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन करते हैं। दूसरा सर्वे अवसंरचना का आकलन करने के लिए किया जाता है। ऐसा हम प्रत्येक जिलों में करने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्य की चिन्ता को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वास्तव में, हम राज्य सरकारों को बार-बार ये निर्देश दे रहे हैं क्योंकि वे डाक्टरों के नियोजन और उनकी देखभाल के लिए जिम्मेवार है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत हमने प्रत्येक राज्य को रोगी कल्याण समितियों का गठन करने के लिए कहा है। मूलत: ये समितियां रोगी कल्याण समितियां अ ावा अस्पताल प्रबन्ध समितियां हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्थानीय निकाय के ये सभी प्रतिनिधि जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर होते हुए ग्राम्य स्तर तक इस मिशन का हिस्सा होते हैं। प्रत्येक ग्राम में हम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन कर रहे हैं। आपकी अनुमति से मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर आधे घंटे की चर्चा हो ताकि सभी सदस्यों को पता चल सके कि इस संबंध में क्या हो रहा है; हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं तथा आधारभूत संरचना एवं स्वास्थ्य सुविधा में कैसे बड़ा परिवर्तन हुआ है। वास्तव में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के शुरू होने के गत दो वर्षों में हमें इस मिशन की अनेक सफलताओं के बारे में पता चला है।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह भी आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस संबंध में उचित चर्चा के लिए उपयुक्त सूचनाएं देंगे। जितनी जल्दी सूचनाएं प्राप्त होंगी उतनी ही जल्दी चर्चा की जाएगी।

श्री किरेन रिजीजू: मैं माननीय मंत्री जी के कथन की प्रशंसा करता हूं कि इसे केवल जनसंख्या के आधार पर ही नहीं दिया जाएगा वरन् इसे आवश्यकता के आधार पर लागू किया जाएगा। यह सही दृष्टिकोण है। किंतु मुद्दा यह है कि आप विशेष कर ग्रामीण भारत में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की कमी को कैसे पूरा करने जा रहे हैं। मेरे राज्य से एक सूची भी आपके मंत्रालय में लंबित पड़ी है। मैंने आपके सचिव एवं अपर सचिव से भी मुलाकात की थी किंतु फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और माननीय मंत्री जी से आसानी से मुलाकात नहीं हो पाती है। इसलिए आप इस कठिन कार्य को कैसे संभव करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: वे अपने काम में व्यस्त है।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में दौरा करने में व्यस्त हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनको अनुमति दी है क्योंकि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र से हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: नि:संदेह, महोदय। स्वतंत्रता के पश्चात्, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र में इतने क्रियाकलाप हो रहे हैं। तथा मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से भली भांति अवगत है। वे इस बात को समझते हैं। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां कहीं भी गया, सभी संसद सदस्यों, विधायकों, मुख्य मंत्री ने इस बात को माना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काफी प्रगति हो रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इस सब्जैक्ट पर आधे घंटे की चर्चा होगी।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: पूर्वोत्तर क्षेत्र में उप-केन्द्र से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक में सभी सुविधाओं को उन्नत बनाया गया है। बड़े चिकित्सा महाविद्यालय भी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: माननीय सदस्य ने पूछा है कि हम जनशक्ति के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। निश्चित

तौर पर हम प्रति वर्ष अगले चालीस वर्षों के लिए स्वास्थ्य से जुड़े मानव संसाधनों की ओर योजना बना रहे हैं। जब हम स्वास्थ्य से जुड़े मानव संसाधन का उल्लेख करते हैं तो इसमें केवल चिकित्सक ही नहीं आते वरन् नर्स, परा चिकित्सक, आपातकालीन एवं अभिघात से जुड़े परा चिकित्सक एवं इस प्रकार के लोग आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गांव में प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) है। हम भारत के सभी 6,20,000 गांवों में 6,20,000 आशा कार्यकर्ताओं को रखने की योजना बना रहे हैं। आज की तिथि के अनुसार लगभग 447,000 आशा कार्याकर्ताओं को रखा जा चुका है। उन्हें एक वर्ष में 28 दिनों तक सात-सात दिनों के प्रशिक्षण के लिए दल दिया गया है।..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया कोई रनिंग कमेन्ट्री नहीं होनी चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदास: प्रत्येक गांव में एक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के सभी गांवों में ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति प्राप्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इन समितियों में से प्रत्येक को प्रति वर्ष 10,000/- रुपए दिए जाएंगे - इसे पंचायत में नहीं बल्कि प्रत्येक गांव में दिया जाएगा - ताकि सदस्य प्रत्येक गांव में और अधिक स्वच्छता एवं पोषण संबंधी कार्यक्रम को चलाने में उन्हें शक्ति प्रदान कर सकें। हम प्रत्येक उप-केन्द्र को अतिरिक्त जनशक्ति, अतिरिक्त ए.एन.एम. भी दे रहे हैं। हम प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तीन नर्सें भी दे रहे हैं। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे चिकित्सकों, विशेषज्ञों, नर्सों, ए.एन.एम. एवं परा चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरें तथा हम प्रारम्भ में प्रत्येक जिले में तथा बाद में प्रत्येक प्रखंड को एक चल चिकित्सा इकाई देने पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से आप सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध सभी तथ्यों के बारे में सूचना दें। उन्हें सिविल में भी भेजे। मैं सूचनाओं की प्राप्ति होने पर चर्चा की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

कोयले का अवैध खनन

+

*84. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**

श्री गिरिधारी यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के कोयले का अवैध रूप से उत्खनन किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए ऐसे मामलों की राज्य-वार, कंपनी-वार संख्या कितनी है;

(ङ) दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इस कार्यवाही का अवैध खनन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) देश में विभिन्न स्थानों पर किए गए अवैध खनन के स्वरूप के कारण इस प्रकार से खनित कोयले की सही मात्रा तथा मूल्य का उल्लेख संभव नहीं है।

तथापि, संबंधित कोयला कंपनियों के सुरक्षा कार्मिकों द्वारा मारे गए छापों तथा संबंधित राज्य सरकारों के कानून तथा व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ संयुक्त छापों के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूल की गयी कोयले की मात्रा और उसका मूल्य (लगभग) के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

कंपनी	राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
		वसूली गई मात्रा (लगभग) (टन)	लगभग मूल्य (लाख रु.)	वसूली गई मात्रा (लगभग) (टन)	लगभग मूल्य (लाख रु.)	वसूली गई मात्रा (लगभग) (टन)	लगभग मूल्य (लाख रु.)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	पश्चिम बंगाल/	1331.97	10.640	2458.00	24.084	2389.00	23.890
(ई.सी.एल.)	झारखंड	0.00	0.000	23.00	0.230	1139	11.39
भारत कोकिंग कोल लि.	झारखंड/	22.50	0.391	637.31	10.392	63.00	0.969
(बी.सी.सी.एल.)	पश्चिम बंगाल	98.00	1.571	2.00	0.02	0.00	0.000
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.)	झारखंड	428.00	4,860	532.50	5.655	404.00	4.040
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.)	उत्तर प्रदेश/ मध्य प्रदेश	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	महाराष्ट्र/	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
(डब्ल्यू.सी.एल.)	मध्य प्रदेश	144.00	1.440	26.50	0.275	38.50	0.405
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	मध्य प्रदेश/	815.00	8.150	33.00	0.380	481.31	6.312
लि. (एस.ई.सी.एल.)	छत्तीसगढ़	140.65	1.410	9.50	0.095	60.00	0.840
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.)	उड़ीसा	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एन.ई.सी.)	असम	600.00	7.200	0.00	0.000	0.00	0.000
कुल		3580.12	35.662	3721.81	41.131	4574.81	47.846

(ङ) और (च) कोयले के अवैध खनन का पता चलने पर यूनिटों/क्षेत्रों/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.)/ कोयला कंपनियों के अधिकारियों द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाती है। एफ.आई.आर. दर्ज कराने के बाद इन मामलों में मुकदमे चलाए जाते हैं और राज्य सरकार/पुलिस द्वारा अपना पक्ष रखा जाता है।

इसके अलावा, अवैध खनन की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(i) भारत सरकार के पहल से, अवैध खनन की रोकथाम के कारगर कदम उठाने के लिए संयुक्त कार्रवाई समिति गठित की जाती है जिसमें राज्य सरकार और कोयला कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं। समस्या वाले क्षेत्रों में राज्य और जिला स्तरों पर कार्यबल का गठन किया जाता है, जो नियमित आधार पर कार्रवाई की समीक्षा करते हैं।

(ii) इसके अलावा, कोयला कंपनियों ने रैट होलों को भरने, गड्ढा खोदने, ठोस दीवार खड़ी करने, कंटीले तारों से फेंसिंग करने, ओवरबर्डेन डम्प करने, सुरक्षा बल की तैनाती तथा क्षेत्रों में गहन गश्त लगाने आदि जैसे निवारणात्मक उपाय किए हैं।

(iii) कोयले के अवैध खनन की समस्याओं से निपटने के लिए कोयला राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: महोदय, कोल इंडिया लिमिटेड और राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से कोयला माफिया रिजेक्टेड और खराब कोयले के नाम पर साफ और उच्च श्रेणी का कोयला सस्ते दामों पर खरीद कर बाजार में कई गुना ऊंचे दामों पर बेचते हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रधानमंत्री जी का नाम दिया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे सम्यक रूप से प्राधिकृत हैं। ऐसा होता है। पिछले कई वर्षों में प्रत्येक प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। सामान्यत: वे प्रत्येक बुधवार को उपस्थित होते हैं। ऐसे मामलों को न उठाया जाए। वह बुधवार को हमेशा उपस्थित रहे हैं। मैंने यह देखा है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उस समय प्राइम मिनिस्टर देश के बाहर जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, इस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री जी सात दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कुल मिलाकर 14 दिन का सेशन है और उसमें भी सात दिन प्रधानमंत्री जी बाहर रहेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे को मत उठाइए, उन्होंने मुझे सूचित किया है और मैंने उन्हें अनुमति दी है।

श्री हरिकेवल प्रसाद कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: महोदय, कोयला माफियाओं द्वारा रिजेक्टेड कोयले के नाम पर साफ और उच्च श्रेणी को खरीदकर बाहर कई गुने दामों पर बेचने का धंधा पिछले कई वर्षों से चल रहा है जिसकी जानकारी कोयला मंत्रालय को भी है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इसके चलते हर साल केन्द्र और राज्य सरकारों को अरबों रुपए का नुकसान उठान पड़ता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सेन्ट्रल एंपावर्ड कमेटी ने जांच करके वर्ष 2002-03 में हुए चार लाख टन खराब कोयले की आड़ में अच्छे कोयले की आपूर्ति की रिपोर्ट दी थी जिसकी अनदेखी कर दी गयी। उसी साल आठ फरवरी को खराब कोयले के नाम पर भेजे जा रहे अच्छे कोयले के चार ट्रक छत्तीसगढ़ के खनिज विभाग द्वारा पकड़े गए थे जिसे राजनीतिक कारणों से दबा दिया गया।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने इस तरह का कोई दिशा-निर्देश जारी किया है कि वाशरी द्वारा कोयले की सफाई करने बाद बढ़िया और खराब दोनों किस्म का कोयला सम्बन्धित पार्टी को वापस कर दिया जायेगा? यदि हां, तो आर्थन कोयला कंपनी द्वारा कई वर्षों से कोयला मंत्रालय के साथ किए गए सहमति

पत्र का खुला उल्लंघन किए जाने के बाद उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय: आप एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं, तीन प्रश्न एक साथ नहीं पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, कंपनियों को आबंटित किए गए कैप्टिव ब्लाक्स का उपयोग वे केवल अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए कर सकते हैं और उन्हें बाहर बाजार में कोयला बेचने की अनुमति नहीं है। इस कोयले का उपयोग बिजली पैदा करने और इस्पात अथवा सीमेंट के उत्पादन के लिए किया जाता है।

माननीय सदस्य ने अस्वीकृत कोयले का उल्लेख किया है। कानून के अनुसार अस्वीकृत कोयले को बेचने की अनुमति है लेकिन इसके लिए कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अस्वीकृत कोयला न तो सीमेंट उत्पादन अथवा न ही इस्पात जैसी किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है।

माननीय सदस्य ने एक विशेष मुद्दा उठाया है और मैं उनसे विशिष्ट मुद्दे का ब्यौरा भेजने का अनुरोध करूंगा। मैं इस मामले पर निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुछ चीजें बताई हैं, लेकिन मैंने जो चीजें पूछी हैं, उनको टालने का प्रयास उन्होंने किया है।

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी संसदीय समिति के माध्यम से सी.बी.आई. से जांच कराने का मामला आपकी सरकार के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और जांच की प्रक्रिया क्या है?

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव: महोदय यदि माननीय सदस्य मुझे मामले का ब्यौरा दे देते हैं तभी मैं उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपके पास क्या जानकारी है? माननीय सदस्य ने कार्रवाई करने का वादा किया है। कृपया उन्हें विवरण दे दें।

श्री बंसगोपाल चौधरी: महोदय, मेरे पास एक जानकारी है। कृपया मुझे अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गिरिधारी यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हम जांच कराएंगे। यह देखने में आया है कि माफिया द्वारा वृहद पैमाने पर कोयले का अवैध रूप से खनन करके बाजारों में बेचा जा रहा है। झारखंड के कई इलाकों में और मेरे क्षेत्र में तथा हमारे साथ लगे बिहार राज्य में जो कोयला आता है, वह गोल्डन पेपर्स द्वारा लाया जाता है, जिसे जाली कागजों द्वारा ट्रकों के माध्यम से लाया जाता है। यह जो वृहद रूप से अवैध कोयले का खनन करके बाजारों में बेचा जा रहा है, उसे रोकने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं?

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, यह एक सामान्य प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे कैसे रोकेंगे? मुझे लगता है उन्हें जेल भेजकर?

डा. दासरि नारायण राव: हमें ऐसा करना होगा। हमारे सामने अवैध खनन के कुछ मामले हैं और प्रत्येक वर्ष ऐसे मामले आते हैं और उनको अभियोजित किया जाता है। माननीय सदस्यों के साथ चर्चा के लिए मैंने 19 दिसंबर को कोल कंसलटेटिव मीटिंग आयोजित की है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि श्री चौधरी सहित सभी माननीय सदस्य माननीय मंत्री को विवरण भेज देंगे। आप उन्हें विवरण भेज सकते हैं और मुझे विश्वास है कि वे कार्रवाई करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप मामले को यहां पर ला सकते हैं।

प्रश्न सं. 85 - श्री रवि प्रकाश वर्मा - उपस्थित नहीं।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव

वन्य जीव पर्यावासों के सृजन हेतु दिशानिर्देश

+

***85. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों के सृजन हेतु कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने संरक्षित क्षेत्रों के सभी गांवों को अन्यत्र बसाने के लिए कोई योजना भी तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संरक्षित क्षेत्रों को कब तक वन अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राज्य सरकारों को संवेदनशील वन्यजीव पर्यावासों की पहचान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' और 'बाघ परियोजना' के तहत सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर से गांवों के पुनर्स्थापन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान है।

(ङ) संरक्षित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, चूंकि हमारे वन्य जीवों की घटती हुई संख्या को देखते हुए क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटैटस की पहचान करना अत्यधिक अनिवार्य है इसलिए पहचान के संबंध मे समय सीमा और मूलभूत मार्गनिर्देशों का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या माननीय मंत्री जी इन दोनों पहलूओं पर प्रकाश डालेंगे?

श्री एस. रघुपति: महोदय, क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटैटस की पहचान करने के लिए मार्गनिर्देशों में वैज्ञानिक मानदण्ड और सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया दी गई है जैसा कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 38V और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत का निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में दिया गया है, वन्य जीवों की व्यवहार्य जनसंख्या को बनाए रखने के लिए बाघ अभ्यारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों दोनों में संवेदनशील वन्य पर्यावासी को अंकित किए जाने की आवश्यकता है और इसकी घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ समितियों के साथ परामर्श के पश्चात् की जाए।

प्राकृतिक वन्य क्षेत्रों में जैव विविधता और जीवनोपयोगी पारिस्थिकी तंत्रों को संरक्षण के लिए बाघों तथा अन्य वनस्पतियों और जीव जन्तुओं की प्रजातियों की व्यवहार्य जनसंख्या को बनाए रखने हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाया जाए:-

बाघ के जीवन इतिहास पैरामीटरों, उनके रहने के क्षेत्र के आकार और जनसंख्या व्यवहार्यता के विश्लेषण के आधार पर बाघ क्षेत्रों में उनकी व्यवहार्य जनसंख्या के लिए कम से कम 800 से 1000 वर्ग किमी. के अक्षत स्थान को अक्षत क्षेत्र के रूप में रखा जाए। इसके लिए एक वर्ष की समय सीमा है लेकिन यह केवल इस क्षेत्र की प्राप्ति के पश्चात् है।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों द्वारा किसी की पहले ही पहचान की गई है। यदि हां, तो राज्यों द्वारा इन प्राकृतिक आवासों में स्थित गांवों को पुनःस्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पुनःस्थापन के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को किस प्रकार की सहायता दी जाती है?

श्री एस. रघुपति: हमने पहले ही 273 गांवों की पहचान कर ली हैं और इनमें से कुछ पहले ही पुनःस्थापित किए जा चुके हैं अर्थात बाघ बहुल गांवों में से 80 गांव और अन्य क्षेत्रों से 23 गांवों को पुनःस्थापित किया गया है। अब हमने बाघ अभ्यारण्यों में इन 273 गांवों सहित कुल 1487 गांवों की पहचान की है। इसके अतिरिक्त हमारी पुनःस्थापन हेतु एक लाख रुपए देने की भी योजना है और हमारा इसे बढ़ाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संरक्षण में एक सवाल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। सन् 2006 में फॉरेस्ट डवैलर्स एक्ट पास किया गया था। जो क्रिटीकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाइट का प्रोविजन है, उसी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर यह था।

आज की स्थिति में जो एक्ट आया है, उसके आने के बाद जो रूल्स नोटिफाइड होने चाहिए, उनका कुछ पता नहीं है। यह पता नहीं चल रहा है कि वे रूल्स आयेंगे या नहीं आयेंगे या किस रूप में आयेंगे। उसके बावजूद क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ एक्ट, जिसका इस एक्ट के अंदर प्रावधान

किया गया है, उसको बनाने या बढ़ाने का प्रावधान किया जा रहा है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस एक्ट के रूल्स को नोटिफाइड होने से पहले यह प्रक्रिया क्यों चालू की जा रही है? इसके अंदर अगर यह प्रक्रिया चालू की जाएगी तो इस एक्ट की जो स्प्रिट थी, वह फॉलो की जाएगी या नहीं और जो एक्ट के अंदर रूल्स आने हैं वे कब तक पब्लिक में आयेंगे और कब तक क्रियान्वित किए जाएंगे?

[अनुवाद]

श्री एस. रघुपति: महोदय, हम वर्तमान में "संवेदनशील वन्य जीव पर्यावास" पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही मैं यह उल्लेख भी करना चाहता हूं कि पर्यावरण और वन मंत्रालय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को देखते हुए संवेदनशील वन्य जीव पर्यावास की पहचान कर सकता है और सभी को इसकी जानकारी दे सकता है। ऐसी अधिसूचनाएं अंग्रेजी और संबंधित राज्य की राजभाषा में होंगी। जहां तक नियमों को अधिसूचित करने का संबंध है यह जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: श्रीमन्, इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक तो इस देश से बहुत सी वाइल्ड लाइफ, जो बहुत मूल्यवान है, धीरे-धीरे उसका उन्मूलन हो रहा है। आज गिर के जंगलों की ऐसी खबरें छप रही हैं कि नागरिकों की ओर से जहर दिया जा रहा है और बहुत सारे वहां के शेर मरते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में ऐसी स्थिति हो रही है। दूसरी तरफ आंदोलन हो रहे हैं कि जंगल और जमीन के ऊपर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए। इस संबंध में, दिल्ली में, सारे राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्शन किए गये हैं। दोनों स्थितियों को देखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन और उन क्रिटिकल एरियाज में बसने वाली जो आबादी है उसके हैबिटेट को रिएलोकेट करने के लिए कौन सी एक्सपर्ट कमेटी की योजना के अनुसार कार्यवाही है, जिसके ऊपर भारत सरकार अमल करना चाहती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कौन सी विशेषज्ञ समिति और किस आधार पर?

श्री एस. रघुपति: महोदय, वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। हम वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिये पूरा प्रयास करते हैं। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 स्वत: ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आ जायेगा। चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों से संवेदनशील वन्य जीव पर्यावास तैयार करने मे प्रभावित लोगों के निहित अधिकारों के साथ-साथ उन्हें नई जगह पर बसाने के संबंध में सांविधिक परामर्श प्रक्रिया भी सम्मिलित है। अत: नई जगह पर बसाने करने से निश्चित रूप से वन्य जीव भी सुरक्षित हो पायेंगे। अभी भी हम उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, "संवेदनशील" एक लचीला शब्द है। यह किसी विशिष्ट मानदण्ड पर आधारित नहीं हो सकता। यह किसी समय विशेष पर उभरी स्थिति पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय: आपकी विशेषज्ञता अन्य लोगों की समझ में नही आ रही है।

श्रीमती मेनका गांधी: अभी लोगों की भारी मांग पर लगभग 2000 बन्दरों को पकड़ा गया है और असोला नामक स्थान पर रखा गया है। असोला को वन्यजीव पर्यावास के रूप में अभिहित किया गया है। तथापि वर्षों से वहां कुछ नहीं किया गया है। वहां कोई पेड़ नही है अत: वहां कोई पर्यावास नहीं है। असोला के बीचों बीच एक गांव है जिसे उच्च न्यायालय ने अन्यत्र स्थापित करने का आदेश दे दिया है।

चूंकि 2000 बन्दरों को तो हमने उनकी देखभाल के लिये कोई सुविधा प्रदान किये बिना वहां रख दिया है, अब गांव के पुर्नस्थापन और संवेदनशील क्षेत्र के उन्नयन के लिये क्या किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं लगता कि यह इस प्रश्न के अंतर्गत आता है।

मंत्री जी, क्या 'असोला' के बारे में आपको कोई जानकारी है? यदि नहीं तो कृपया उन्हें लिखित में बता दें।

श्री एस. रघुपति: मैं माननीय सदस्य को सूचना भेज दूंगा।

श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देव: महोदय, "क्रिटीकल वाइल्ड लाइफ हैबीटैट" (संवेदनशील वन्यजीव पर्यावास) एक नयी परिकल्पना है। यह अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत

वन्य निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का अभिन्न अंग है। विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है किंतु नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। यह उस विधेयक का एक हिस्सा है।

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि उन्होंने राज्य सरकारों को संवेदनशील वन्यजीव पर्यावासों की पहचान करने का निर्देश दे दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अधिनियम के एक हिस्से को क्रियान्वित कर दिया जाए जबकि अभी नियम नहीं बनाए गये हैं। पूरे विधेयक को समग्र रूप में लागू करना होगा।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे राज्य सरकारों को दिये गये निर्देशों को तुरंत ही वापिस ले लेंगे और इस कार्य को तब तक आरंभ नहीं करेंगे जब तक नियमों को पूरी तरह से अधिसूचित न किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारों की पहचान होने तक इन क्षेत्रों में लोगों को उनकी भूमि से बेदखल नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: वे चाहते हैं कि नियम बनाये जाने चाहिये।

श्री एस. रघुपति: जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, यह जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। किंतु साथ ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील वन्यजीव प्राकृतिक प्रर्यावासों की पहचान करेगा और इस सूचना को सार्वजनिक करेगा।

महोदय, संवेदनशील वन्यजीव पर्यावासों की पहचान हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं जिससे कि जैसे ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को अधिसूचित किया जाए, तुरंत ही इसका क्रियान्वयन भी हो जाए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, वे केवल नियमों के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री विजय बहुगुणा: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या गांवों के पुर्नस्थापना की योजना में ऐसे गांवों को भी हटाया जाना सम्मिलित है जो संरक्षित वनो की सीमा पर स्थित हैं। इस संबंध में उत्तराखंड राज्य ने केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें राज्य सरकार ने 42 गांवों जो कि गोबिन्द पशु विहार अभ्यारण्य की सीमा पर स्थित हैं को अभ्यारण्य से हटाने के लिये कहा था। अत: गांवों को अन्य स्थानों पर ले जाने की बजाय अभ्यारण्यों की सीमाएं फिर से निर्धारित की जाए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, क्या इस प्रश्न के संबंध में आपके पास कोई सूचना है?

श्री एस. रघुपति: महोदय, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है तथापि मैं इस संबंध में सूचना एकत्र कर माननीय मंत्री जी को भिजवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या - 86 डा. राजेश मिश्रा - अनुपस्थित

श्री जे.एम. आरून रशीद - अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 87 - श्री पान्नियन रवीन्द्रन

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में दवाइयों की आपूर्ति

+

***87. श्री पन्नियन रवीन्द्रन:**

श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को शिकायतें मिली हैं कि कई भेषज फर्मों तथा कई स्थानीय कैमिस्टों ने भी देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से केरल में सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत औषधालयों को दवाइयों की आपूर्ति बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आपूर्ति को जल्द से जल्द पुन: शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) फार्मास्यूटिकल फर्मों ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के किसी भी औषधालय को दवाओं की आपूर्ति बंद नहीं की है।

तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, तिरूवनन्तपुरम के प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों ने बिलों के भुगतान नहीं किए जाने के कारण उस शहर के औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति दिनांक 29-10-2007 से बंद कर दी थी। अब केमिस्टों ने दिनांक 7-11-2007 से तिरूवनन्तपुरम के इन औषधालयों को दवाओं की आपूर्ति पुनः शुरू कर दी है। ऐसी कोई शिकायतें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वाले अन्य शहरों से प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्री पन्नियन रवीन्द्रनः महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का यह मौका दिया।

महोदय, बिल की अदायगी न करने के कारण औषधियों की आपूर्ति बंद करना सी.जी.एच.एस. के विरुद्ध आम शिकायत है और इसके शिकार बेचारे कर्मचारी विशेषकर सेवानिवृत्त कर्मचारी ही होते हैं। इन परिस्थितियों में इन कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ता है। अतः औषधि आपूर्ति करने वालों को नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि औषधालयों के माध्यम से औषधियों की आपूर्ति बाधित न हो सके?

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, यदि ऐसी कोई विशेष घटना हुई हो तो माननीय मंत्री इसे मेरी नोटिस में ला सकते हैं हम इस पर निश्चित कार्रवाई करेंगे।

दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले दो वर्षों में सारे सी.जी.एच.एस. का संपूर्ण रूप से पुनर्गठन किया है। हमने इसे न केवल रोगी अथवा रिश्तेदारों के भुगतान को बल्कि दवा विक्रेता तथा अस्पतालों का भुगतान भी कंप्यूटरीकृत किया है। यह सब कंप्यूटरीकृत किया गया है और हम पूरी तरह से कंप्यूटरीकरण करने की प्रक्रिया में है। अतः एक वर्ष में सारी सुविधाओं को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा और अब शिकायतों की संख्या कम हो जाएगी।

महोदय, मुझे विश्वास है कि पिछले एक डेढ़ साल से सभी संसद सदस्य सी.जी.एच.एस. सुविधाओं से प्रसन्न होंगे क्योंकि इसमें काफी सुधार हुआ है। मुझे पिछले कुछ महीनों से शिकायतें मिलनी कम हो गई है।

अध्यक्ष महोदयः श्री पन्नियन रवीन्द्रन कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री पन्नियन रवीन्द्रनः जी नहीं, महोदय।

श्री सी.के. चन्द्रप्पनः महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गये वक्तव्य से यह पता चलता है कि केवल त्रिवेन्द्रम में ही बिलों का भुगतान न करने से यह घटना हुई है। माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि संपूर्ण प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत है और इसे त्रुटिरहित बनाया जा रहा है। त्रिवेन्द्रम में बिलों के भुगतान न करने की घटना क्यों हुई तथा लोगों को क्यों परेशानियों में डाला गया? यदि इसके लिए कोई जिम्मेदार पाया जाता है तो क्या माननीय मंत्री जी सभा को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का वादा करेंगे?

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने यह वादा पहले ही किया है।

डा. अंबुमणि रामदासः वस्तुतः त्रिवेन्द्रम में केवल आठ या नौ दिनों में सेवा बाधित हुई थी और यह सुविधाओं के मध्य प्रशासनिक मामले के कारण था।

महोदय, यदि आप मामले के तह में जाएंगे तो इसमें कुछ व्यक्तिगत द्वेष के कारण हुआ, जिसका हमने निपटारा कर दिया है। हमने पहले ही एक जांच का आदेश दिया है और इसमें सुधार हुआ है। यह केवल एक व्यक्तिगत मामला है जिसको हमने सुधार दिया है।

श्री सांताश्री चटर्जीः क्या माननीय मंत्रीजी को जानकारी है कि कोलकाता तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में सी.जी.एच.एस. औषधालयों के लिए जगह की कमी है जिससे रोगियों को विशेषकर वयोवृद्ध और सेवानिवृत्त लोगों को बहुत परेशानी होती है।

डा. अंबुमणि रामदासः अब, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सी.जी.एच.एस. रोगियों, पेंशन भोगियों तथा अन्य लाभार्थियों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यक्रम ला रही है और मुझे विश्वास है कि एक बार इसके लागू हो जाने से और अधिक सेवाएं मिलेंगी तथा सी.जी.एच.एस. भी इसी पद्धति पर कार्य करेगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

तदुपरांत हम सी.जी.एच.एस. सेवाओं में सुधार ला रहे हैं उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं और अधिक सुविधाएं दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न अगले कुछ महीनों में ही हल हो जाएगा। जब सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी तो मुझे आशा है कि सभी की कठिनाइयां दूर हो जाएंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन

*88. डा. राजेश मिश्रा:

श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रतिबन्ध लगाने हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त सुझावों का विरोध करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन पर बाली में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के दौरान प्रस्तुत करने हेतु एक नई नीति अपनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैसो के उत्सर्जन रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय निकायों से कोई औपचारिक सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकसित देशों के प्रतिनिधियों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जनों को रोकने के लिए विकासशील देशों की भागीदारी हेतु वकालत की जाती रही हैं। इस संदर्भ में मामले पर भारतीय स्थिति यह है कि एक विकासशील देश के रूप में भारत से जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन के अंतर्गत न्यूनीकरण वचनबद्धताओं का दायित्व लेने की आशा नहीं की जा सकती। तथापि, हमारे देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों की मात्रा प्रति व्यक्ति हिसाब से सबसे कम है और यह मात्रा विश्व के उत्सर्जनों का मात्र 4 प्रतिशत है। फिर भी, भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को बहुत महत्व देता है। भारत, यूनाइटेड नेशंन्स फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन क्लाइमेंट चेंज का एक पक्षकार है और पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। भारत कृतसंकल्प है कि विकास और आर्थिक प्रगति की नीतियों पर कार्य करते हुए भी भारत में प्रतिव्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विकसित देशों के ग्रीन हाउस उत्सर्जनों से अधिक न होने पाए।

यद्यपि एक विकासशील देश के रूप में भारत की न्यूनीकरण संबंधी कोई वचनबद्धताएं नहीं है, फिर भी जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने के लिए अनेक नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए सतत् विकास का मार्ग अपनाया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण और उन्नत ऊर्जा क्षमता सुनिश्चित करना तथा ऊर्जा क्षमता ब्यूरो स्थापित करना।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।

(iii) पॉवर सैक्टर सुधार तथा सक्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम चलाना।

(iv) परिवहन के लिए स्वच्छ और कम कार्बन की मात्रा वाले ईंधन का उपयोग करना।

(v) स्वच्छ ऊर्जा ईंधन का उपयोग करना।

(vi) वनीकरण और वन संरक्षण।

(vii) स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

(viii) गैस फलेयरिंग को कम करना।

(ix) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणाली को प्रोत्साहित करना।

(x) सभी क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रबंधन सुनिश्चित करना।

पोलियो का उन्मूलन

*88. श्री हेमलाल मुर्मू:

श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में चलाए जा रहे पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की प्रभवकारिता के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर यह कार्यक्रम प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है; और

(ग) जिन राज्यों में यह कार्यक्रम प्रभावी सिद्ध नहीं

हुआ है, वहां विशेष ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी हां, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश में पोलियो उन्मूलन के लिए कार्यनीतियां तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना के साथ घनिष्टता से काम कर रही है। वर्ष 2006 और 2007 में उत्तर प्रदेश में मोनोवेलेन्ट और ट्राइवेलेन्ट वैक्सीनों से ओ.पी.वी. वैक्सीनेशन के अनेक दौर चलाए गए हैं। वैक्सीनेशन अभियानों के बावजूद भी रोग प्रतिरक्षा के स्तर अथवा उन क्षेत्रों, जहां रोग-प्रतिरक्षा से संबंधित कमियां निरन्तर बनी हुई हैं, को जानना और समझना, उत्तर प्रदेश में पोलियो उन्मूलन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का आन्त्रविषाणु अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (एन.पी.एस.पी.) और अन्य विशेषज्ञों के सहयोग से उपलब्ध आंकड़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जनसंख्या की रोग प्रतिरक्षा का मूल्यांकन करने (रोग प्रतिरक्षा की कमियां जानने) हेतु दो अध्ययन शुरू कर रही है:

(1) मुरादाबाद जिले में बच्चों में पोलियो विषाणु प्रतिजनों की व्याप्तता-दर निर्धारित करना; और

(2) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों में गैर-पोलियो ए.एफ.पी. मामलों में पोलियो विषाणु प्रतिजनों की व्याप्तता-दर निर्धारित करना।

भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना की संभारतंत्रीय सहायता से इन अध्ययनों का वित्त-पोषण कर रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इन अध्ययनों का समन्वय कर रही है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का आंत्र विषाणु अनुसंधान केन्द्र नमूनों का परीक्षण करेगा। मुरादाबाद जिले में दो विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों में प्रतिजनों की व्याप्तता दर के बारे में अध्ययन के परिणाम लगभग 6 महीनों में उपलब्ध हो जाएंगे। पहला अध्ययन 1 नवम्बर, 2007 से राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना और उत्तर प्रदेश सरकार की तकनीकी और संभारतंत्रीय सहायता से शुरू किया गया है।

पोलियो उन्मूलन की वार्षिक कार्यनीति का फैसला भारतीय विशेषज्ञ परामर्शी दल की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। इस दल में राष्ट्रीय विशेषज्ञ और विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), रोग नियंत्रण केन्द्र (सी.डी.सी.), एटलांटा से अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं। भारतीय विशेषज्ञ परामर्शी दल वर्ष में दो बार पोलियो की जानपदिकरोग विज्ञानीय स्थिति की समीक्षा करता है और देश के लिए उपयुक्त कार्यनीतियों की सिफारिश करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (एन.पी.एस.सी.) उच्च गुणवत्तायुक्त एक्यूट फ्लेसिड पेरालिसिस (ए.एफ.पी.) निगरानी के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है और पोलियो रोगप्रतिरक्षण अभियान के सूक्ष्म नियोजन, प्रशिक्षण और मानीटरिंग में सरकार की सहायता करती है।

पोलियो रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम भारत के सभी राज्यों में प्रभावकारी रहा है क्योंकि इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के पश्चात् पोलियो संचरण 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 33 में रूक गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में उच्च जनसंख्या सघनता और खराब सफाई जैसे घटकों के कारण शून्य संचरण दर प्राप्त करने में अधिक समय लग रहा है। शून्य संचरण दर का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त करने के लिए मोनोवेलेन्ट वैक्सीन टाइप 1 (एम.ओ.पी.वी. 1), जिसमें भारतीय विशेषज्ञ परामर्श दल की सिफारिश के अनुसार पहले उपयोग में लाई जा रही ट्राइवेलेन्ट वैक्सीन की अपेक्षा श्रेणी । पोलियो विषाणु के मुकाबले बेहतर प्रभावकारिता है, से पोलियो रोगप्रतिरक्षण अभियानों को और अधिक संख्या में चलाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में कार्यनीति संशोधित की गई है। इस कार्यनीति के परिणामस्वरूप पोलियो विषाणु श्रेणी । (पी 1) की सबसे अधिक सांघातिक प्रजाति से उत्पन्न रोगियों की संख्या में काफी कमी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्थानिकमारी वाले क्षेत्र से इस वर्ष श्रेणी । पोलियो के केवल पांच रोगियों की सूचना दी गई है। पिछले वर्ष के प्रकोप के अधिकेन्द्र मुरादाबाद और जे.पी. नगर के कोर जिलों में पिछले एक वर्ष से पी 1 का एक मामला भी नहीं हुआ है।

इस वर्ष पोलियो विषाणु श्रेणी 3 (पी 3) की अन्य जीवित प्रजाति के कारण रोगियों की संख्या बढ़ी है। यह वृद्धि अप्रैल, 2005 से अधिक प्रभावकारी मोनोवेलेन्ट श्रेणी 1 विषाणु पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भारतीय विशेषज्ञ परामर्शी दल द्वारा संस्तुत रोगप्रतिरक्षण कार्यनीति के अनुरूप है। रोगप्रतिरक्षण कार्यनीति में पोलियो श्रेणी 1 विषाणु को कम करने और पोलियो श्रेणी 3 विषाणु को नियंत्रित रखने पर

ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है क्योंकि पी 1 अधिक व्यापक रूप से फैलता है और यह अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैलने के लिए उत्तरदायी है और इसमें बड़े प्रकोपों को उत्पन्न करने की प्रवणता है।

(ग) पूरक रोगप्रतिरक्षण कार्यकलापों की सबसे अधिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के स्थानिकमारी वाले और असुरक्षित राज्यों पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। इन राज्यों में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:-

- जनवरी और अक्तूबर, 2007 के बीच स्थानिकमारी वाले उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में 9 पूरक रोगप्रतिरक्षण दौर क्रियान्वित किए गए हैं। नवम्बर/दिसम्बर, 2007 में इन राज्यों में एक और दौर क्रियान्वित किए जाने की योजना बनाई गई है।
- मोनोवेलेन्ट ओरल पोलियो वैक्सीनें जो ट्राइवेलेन्ट वैक्सीनों की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी हैं, को इन राज्यों में प्रयोग किया जा रहा है।
- वैक्सीनेशन को स्वीकार करने के लिए सामुदायिक जागरूकता और एकत्रीकरण के लिए धार्मिक नेताओं, पंचायतों और जाने-माने व्यक्तियों की सहभागिता।
- बच्चों को जुटाने और पोलियो की बूंदे पिलाने के लिए वैक्सीनेशन दलों में मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को शामिल करना।
- समुदाय को जुटाने और उसकी भागीदारी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समुदाय एकत्रीकरण समन्वयकों को और अधिक संख्या में लगाना।
- सबसे अधिक असुरक्षित छोटे बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करना। स्थानिकमारी वाले उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में नवजातों का पता लगाया जा रहा है और प्रत्येक अभियान में उनको रोगप्रतिरक्षण के लिए टीके और दवा दी जाती है।
- मार्गस्थ बच्चों और भ्रमणशील आबादियों को रोग प्रतिरक्षित करना:
  - (क) सभी प्रमुख पारगमन स्थलों का पता लगाया गया है और उनको पारियों और जहां कहीं आवश्यक हो, चौबीसों घंटे काम कर रहे पर्याप्त वैक्सीनेटरों सहित पारगमन दलों द्वारा कवर किया जा रहा है।
  - (ख) प्रमुख एकत्रीकरण स्थलों और मेलों, हाटों तथा बाजारों में वैक्सीनेशन किया जाता है।
- देश के अन्य भागों को स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों से जोड़ने वाली गाड़ियों की वैक्सीनेशन हेतु पहचान की गई। रेलवे प्लेटफार्मों पर लगाए गए दलों के अतिरिक्त इस काम के लिए चलती हुई गाड़ियों में 450 दल लगाए गए हैं।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल

***89. श्री तथागत सत्पथी:**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे प्रस्तावित छः सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक अस्पताल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन अस्पतालों का परियोजनावार निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) जहां तक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल परिसर के निर्माण का संबंध है, सभी छः स्थानों के लिए डिजाइन डी.पी.आर. कंसलटेंट्स का चयन कर लिया गया है। डी.पी.आर. मई-जून, 2008 तक उपलब्ध होगी।

जहां तक आवासीय परिसर के निर्माण का संबंध है, सभी स्थानों के लिए टर्नकी डवैलपर का चयन करने के वास्ते बोली की प्रक्रिया शुरू की गई। तथापि, केवल 2 बोलियां प्राप्त हुई, जिनमें से एक बोली अनुकूल पायी गई।

जोधपुर के लिए कार्य डवैलपर (मैसर्स राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम) को दिया गया है। नामांकन आधार पर ऋषिकेश और पटना में आवासीय परिसर के निर्माण से संबंधित कार्य एच.एल.एल. को सौंपा गया है तथा भुवनेश्वर और रायपुर का कार्य एच.एस.सी.सी. को सौंपा गया है। भोपाल स्थल के लिए आवासीय परिसर का निर्माण कार्य अस्पताल-चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य के साथ ही दिया जाएगा।

एम्स जैसे संस्थानों के निर्माण के संबंध में राज्यवार प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	एम्स जैसे संस्थान	निर्माण कार्य शुरू करने की संभावित तारीख	निर्माण कार्य पूरा करने की संभावित तारीख
1.	जोधपुर	दिसम्बर, 2007	वर्ष 2010 के अन्त तक
2.	भुवनेश्वर	फरवरी, 2008	वर्ष 2010 के अन्त तक
3.	ऋषिकेश	फरवरी, 2008	वर्ष 2010 के अन्त तक
4.	पटना	फरवरी, 2008	वर्ष 2010 के अन्त तक
5.	रायपुर	फरवरी, 2008	वर्ष 2010 के अन्त तक
6.	भोपाल	जुलाई, 2008	वर्ष 2010 के अन्त तक

कोयले की रॉयल्टी की दरों के संशोधन में विलम्ब हेतु मुआवजा

*90. **श्री भाईलाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयले की रॉयल्टी की दरों में संशोधन करने के लिए पांच वर्ष का समय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को इस विलम्ब के कारण राज्यवार और वर्षवार कुल कितना नुकसान उठाना पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को इस नुकसान की भरपाई करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ङ) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी खनिज के संबंध में रायल्टी की दरें अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से बढ़ाने अथवा घटाने की शक्तियां प्राप्त हैं। इस अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधान तीन वर्ष की किसी अवधि के दौरान किसी खनिज की रायल्टी की दर में एक बार से अधिक बढ़ोतरी करने से केन्द्र सरकार को रोकते हैं। यह अधिनियम रायल्टी की दरो के संशोधन की किसी विशिष्ट समय-सीमा का आदेश नहीं देता है। कोयला और लिग्नाइट की रायल्टी दरों को 1-8-2007 से संशोधित किया गया था। रायल्टी की दरों को सभी स्टेकहोल्डरों के हितों तथा देश में समग्र आर्थिक परिदृश्य पर विचार करने के बाद संशोधित किया जाता है। अतः इस कारण से राज्य सरकारों को हानि होने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रशिक्षित नर्सों की कमी

*91. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सितम्बर, 2007 में नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल नियो-नेटल कान्फ्रेंस में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस मुद्दे पर कान्फ्रेंस द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई/सुझाव दिए गए; और

(च) सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सों की कमी को पूरा करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) नर्सिंग स्टाफिंग मानदण्डों के संबंध में बजाज समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2012 तक 10.43 लाख नर्सों की आवश्यकता होगी। मौजूदा प्रशिक्षण क्षमता से वर्ष 2012 तक 6.84 लाख नर्सों को प्रशिक्षित किए जाने की आशा है। तथापि, केन्द्र सरकार के अस्पतालों में नर्सों की स्थिति संतोषजनक है।

इस पहलू पर नेशनल न्योनेटोलाजी फोरम द्वारा 15 से 18 सितम्बर, 2007 को आयोजित छठी इंटरनेशनल न्योनेटल नर्सिंग कांफ्रेंस में चर्चा की गई।

इस कांफ्रेंस की मुख्य-मुख्य बातें और की गई सिफारिशें तथा दिए गए सुझाव नीचे दिए गए हैं:-

- नर्सों विशेष रूप से नवजात परिचर्या में विशेषज्ञ नर्सों की गंभीर कमी को तत्काल दूर किए जाने की आवश्यकता है।
- ग्रामीण भारत में नर्सों की और भी अधिक कमी है, वास्तव में नवजात नर्सिंग संवर्ग में ये नहीं है।
- नर्सों को जन्म के समय परिचर्या प्रदान करने, आवश्यक नवजात परिचर्या प्रदान करने और बीमार नवजन्में बच्चों को परिचर्या प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाना चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा इसके ऊपर तैनात किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नवजात परिचर्या के प्रति समर्पित कम से कम दो अथवा तीन नर्सें, एफ.आर.यू./सी.एच.सी. में 5-6 नर्सें और जिला अस्पतालों में 12 नर्सें होनी चाहिए जो कि आदर्श संख्या है।
- स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में ही नहीं अपितु सामुदायिक स्तर पर भी नए जन्मे बच्चों की परिचर्या के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रत्येक नर्सिंग कार्मिक का उपयोग करना उपयुक्त होगा।
- जिला अस्पतालों में स्तर II यूनिटों की प्रभारी नर्स एक प्रशिक्षण प्राप्त नवजात नर्स होनी चाहिए जिसके पास नवजात नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा अथवा वह कम से कम बी.एस.सी. नर्सिंग स्नातक हो।
- संस्थागत स्तर से नवजात नर्स प्रेक्टिशनर के संवर्ग का सृजन और धीरे-धीरे जिला अस्पतालों में विशेष परिचर्या नवजात यूनिटों में नियुक्त करना।
- मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य में सम्मिलित नर्सों की जानकारी को अद्यतन करने और आत्मविश्वास अर्जित करने तथा आत्म सम्मान बढ़ाने के लिए उनको विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे उनको और प्रशिक्षण और समर्थता के लिए नेतृत्व अर्जित करने में भी सहायता मिलेगी। आयोजनकर्ताओं ने इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए नर्सों को प्रोत्साहित करने और पूरी सहायता के लिए पहल करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों को भी धन्यवाद दिया।

भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त नर्सिंग शैक्षणिक संस्थान खोलने को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

- सहायक नर्स धात्री प्रशिक्षण और बी.एस.सी. (नर्सिंग) के पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है। एकीकृत नवजात और बाल्यावस्था रूग्णता उपचार और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के घटकों को भी संशोधित पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
- विशिष्ट रूप से नवजात शिशुओं की देखभाल करने वाली नर्सों को प्रशिक्षण देने के लिए नवजात नर्सिंग कार्यक्रम में एक वर्षीय पोस्ट बेसिक डिप्लोमा तैयार किया गया है।
- छात्र रोगी अनुपात शिथिल। इस अनुपात को 1:5 से घटाकर 1:3 कर दिया गया है।

- बी.एस.सी.(एन) कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए शिक्षण संकाय के मानदंडों को ढील।

- संकाय में कम-से-कम 2 एम.एस.सी. (एन) को उपलब्ध कराना।

- अर्हता और अनुभव में ढील दी गई है।

- एम.एस.सी. (एन) कार्यक्रम शुरू करने में ढील देना। सुपर स्पेसियलिटी हास्पिटल स्नातक कार्यक्रम चलाए बगैर एम.एस.सी. (एन) कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं।

- विवाहित अभ्यार्थियों को उपचर्या में दाखिले की अनुमति दी गई।

- शिक्षण संकाय के लिए उम्र को 70 वर्षों तक बढ़ाया गया।

- चिकित्सा कालेज पर आग्रह किए बगैर 300 पलंगों वाले मूल अस्पतालों को अधिकतम 100 सीटें दी जाएंगी।

भारत सरकार ने ग्रामीण जनता को सातों दिन 24 घंटे की मिडवाइफरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उप केंद्र स्तर पर एक अतिरिक्त सहायक नर्स मिडवाइफ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर स्टाफ नर्सों के तीन पदों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर स्टाफ नर्सों के 2 अतिरिक्त पदों को अनुमोदित किया है।

भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव किया है:-

(i) जिन जिलों में सहायक नर्स धात्री (ए.एन.एम.) तथा सामान्य उपचर्या एवं धात्री (जी.एन.एम.) विद्यालयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हों उनमें विद्यालयों की स्थापना करना।

(ii) स्नातकोत्तर उपचर्या (एम.एस.सी. नर्सिंग) संस्थानों की स्थापना करना।

(iii) अविच्छिन्न शिक्षा से संबंधित पंजीकरण का प्रत्येक 5 महीनों में एक बार नवीकरण करना।

(iv) अखिल भारत स्तर पर मानकों में सुधार करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय उत्कृष्टता संस्थान की स्थापना करना और उच्च गुणवत्ता वाली उपचर्या शिक्षा देने का अवसर समग्र देश में उपलब्ध करना।

(v) राज्य उपचर्या परिषदों का सुदृढ़ीकरण।

(vi) राज्य स्तरीय उपचर्या प्रकोष्ठों का सुदृढ़ीकरण।

उपचर्या शिक्षा और सेवा को ग्रामीण क्षेत्र में सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्राथमिकता दी गई है।

सीमेंट उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाना

*92. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट उद्योग कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन करके प्रदूषण फैलाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) सीमेंट उद्योग अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं में कार्बन डाइआक्साइड (Co_2) के अतिरिक्त निलंबित विविक्त कण पदार्थ (SPM) और नाइट्रोजन के आक्साइड (NOX) उत्सर्जित करता है जो कि कैल्शीनेशन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं। Co_2 का उत्सर्जन उत्पादन प्रक्रियाओं की किस्म, उनकी कुशलता, इस्तेमाल में लाए गए ईंधन आदि पर निर्भर करता है।

सीमेंट उद्योग से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं:

- सीमेंट उद्योग के लिए उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना।

- सीमेंट समेत उद्योगों की 17 श्रेणियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा के लिए कारपोरेट उत्तरदायित्व (सी.आर.ई.पी.) का अंगीकरण।

- पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के लिए नियमित रूप से मानीटरी करना।

पत्तनों द्वारा कंटेनर की संभलाई

*93. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पत्तन विशेषकर पूर्व तटीय पत्तन कंटेनरीकरण की वैश्विक पोत परिवहन प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं बन पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पत्तनों पर कंटेनर की संभलाई में हुई वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत में कंटेनरीकरण के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(च) सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पूर्वी तट के कुछ महापत्तनों को अभी अपनी कंटेनर संभालने की क्षमता की संभावना का स्तर प्राप्त करना है। भारत में आठ (8) महापत्तनों अर्थात् पूर्व में कोलकाता पत्तन (कोलकाता गोदी प्रणाली और हल्दिया गोदी परिसर), विशाखापट्टणम, चेन्नई, तूतीकोरिन पत्तन और पश्चिम में कोचीन, मुंबई, जवाहर लाल नेहरू और कांडला पत्तनों में कंटेनरीकृत जहाजी माल को संभालने के लिए समर्पित सुविधाएं उपलब्ध हैं। महापत्तनों में 29 कंटेनर घाट हैं, जिनमें से 12 पूर्वी तट पर हैं। कंटेनर टर्मिनलों की कुल क्षमता 88.08 एम.टी.पी.ए. है, जिसमें से पूर्वी तट पर क्षमता 30.70 एम.टी.पी.ए. है। कोलकाता पत्तन में ये कुछ सीमितताएं अपर्याप्त गहराई, नदी की ज्वारीय लहरों की स्थिति, लॉक आकार समस्याओं, जहाजी माल को रेल से लाने-ले जाने के लिए अपर्याप्त बैंक एंड संयोजन, आधुनिक घाट और कंटेनर संभालने की आधुनिक सुविधाओं का नहीं होना है।

समुद्रीय व्यापार की मांग को ध्यान में रखकर कंटेनर यातायात संभालने के लिए क्षमता को बढ़ाया जाना, एक सतत प्रक्रिया है। समुद्रीय व्यापार की मांग को ध्यान में रखकर पत्तनों का समग्र विकास किए जाने के हिस्से के रूप में कंटेनर यातायात को संभालने के लिए पत्तनों में आवश्यक अवसंरचना विकसित किए जाने का सरकार का प्रयास है। मार्च, 2012 तक अर्थात् 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक महापत्तनों में कंटेनर यातायात संभालने के लिए क्षमता को 223.54 एम.टी.पी.ए. के स्तर तक बढ़ाए जाने की योजना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न पत्तनों में कंटेनर संभालने की वृद्धि से संबंधित विवरण, नीचे दिया गया है:-

कंटेनर यातायात : 2004-05 से 2006-07

(आंकड़े हजार में)

पत्तन	2004-05		2005-06		2006-07	
1	2		3		4	
कोलकाता	2357	(159)	3234	(203)	4003	(239)
हल्दिया	2029	(1280)	1911	(110)	1918	(110)
पारदीप	31	(2)	45	(4)	31	(2)
विशाखापट्टणम	635	(45)	630	(47)	799	(56)
टेन्नई	9864	(617)	11757	(735)	14166	(886)
तूतीकोरिन	3205	(307)	3428	(321)	4011	(377)

1	2		3		4	
कोचीन	2315	(185)	2488	(203)	2949	(227)
नवमंगलूर	136	(9)	149	(10)	265	(17)
मुरगांव	117	(10)	105	(9)	127	(13)
मुंबई	2571	(219)	2145	(156)	1580	(138)
जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	28747	(2371)	33777	(2667)	40810	(3298)
कांडला	2754	(181)	2311	(148)	2778	(178)
कुल	54761	(4233)	61980	(4613)	73437	(5541)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकडे बीस फीट समान इकाइयां हैं और बाकी टन भार हैं।

(घ) से (च) पोत-परिवहन-विभाग ने भारत में कंटेनरीकरण के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए किसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन नहीं किया है।

आर.टी.आई. एक्ट का मूल्यांकन

*94. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम का विस्तृत मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 26 अक्तूबर, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल्यांकन करने हेतु विदेशी परामर्श सेवा लेने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त मूल्यांकन कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पंचौरी): (क) से (ङ) सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। अध्ययन प्रारंभ करने हेतु एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

निर्धन लोगों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं

*95. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री रनेन बर्मन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे निर्धन लोगों के लिए कोई स्वास्थ्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की पहचान हेतु क्या मानदंड हैं;

(ग) उक्त योजना किन-किन राज्यों में लागू की गई है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत किन-किन राज्यों में संतोषजनक रूप से काम नहीं हो रहा है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को आवंटित धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा उक्त योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) सरकार ने अधिक ध्यान दिए जाने वाले 18 राज्यों नामतः 8 अधिकार प्राप्त कार्य दल वाले राज्यों (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा तथा राजस्थान), 8 पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों पर विशेष बल देते हुए देशभर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को तैयार किया है और उसे शुरू किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर जनसंख्या के गरीब और संवेदनशील वर्गों को सुलभ, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में अस्पताल परिचर्या के दायरे एवं गुणवत्ता में सुधार लाने, अंतः और अंतर-क्षेत्रीय सम्मिलन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण तथा संसाधनों का कारगर उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य प्रजनन और बाल स्वास्थ्य-II, मलेरिया, दृष्टिहीनता, आयोडीन अल्पता, फाइलेरिया कालाजार, क्षयरोग, कुष्ठ तथा समेकित रोग निगरानी सहित मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को एकछत्र संरक्षण प्रदान करना है। इसके अलावा, इसमें अच्छे स्वास्थ्य के मूलभूत निर्धारकों के रूप में सफाई एवं स्वास्थ्य विज्ञान, पोषण एवं सुरक्षित पेय जल पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य के मुद्दों पर क्षेत्र-व्यापी ढंग से ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई पहलें अधिक कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचा रही हैं जिनमें अधिक गरीब एवं अल्पसंख्यक लोग शामिल हैं।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जन स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली में व्यापक सुधार करने की एक पहल है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत से अब तक अत्यधिक प्रगति हुई है। विभिन्न राज्यों और जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया है और उसे प्रचालित किया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य मिशन गठित किए गए हैं। मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के चयन और तैनाती का प्रत्याशित लक्ष्य अत्यधिक बढ़ गया है। 5.42 लाख आशा का चयन किया गया है और 3.34 लाख आशा को अभिविन्यास प्रशिक्षण के बाद गांवों में तैनात किया गया है। राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर सोसाइटियों का विलय पूरा हो गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलापों की राज्यवार उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण I पर दिया गया है।

(ङ) से (च) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियों और उसके बाद प्रत्येक राज्य को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

(छ) उक्त स्कीम के देशभर में कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विस्तृत उपाय निम्नलिखित हैं:-

- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जरिए परिवार स्तर पर उन्नत स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच को बढ़ावा देना।
- बेहतर स्टाफ-व्यवस्था तथा मानव संसाधन विकास नीति, स्पष्ट गुणवत्ता मानदण्डों, बेहतर सामुदायिक सहायता तथा अनटाइड निधि के जरिए मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण जिससे कि स्थानीय प्रबंधन समिति इन मानदण्डों को हासिल कर सके।
- जिला स्वास्थ्य मिशन द्वारा तैयार की गई अन्तर क्षेत्रीय जिला स्वास्थ्य योजना की तैयारी एवं कार्यान्वयन जिसमें पेय जल, सफाई, स्वास्थ्य विज्ञान और पोषण शामिल हैं।
- राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा खंड स्तरों पर शीर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का एकीकरण।
- जन स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्वास्थ्य मिशन को तकनीकी सहायता।
- जन स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
- आयुष को मुख्य धारा में लाना-स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनः सशक्त बनाना।
- सुगम, वहनीय, उत्तरदायी और अच्छी गुणवत्ता वाली अस्पताल परिचर्या इत्यादि द्वारा गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कारगर एवं स्पष्ट रिस्क पूलिंग तथा सामाजिक स्वास्थ्य बीमा।

विवरण-I

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1 नवम्बर, 2007 तक की स्थिति

क्र. सं.	कार्य बिन्दु		कुल	(10) अधिक ध्यान दिए जाने वाले गैर-पूर्वोत्तर	(8) अधिक ध्यान दिए जाने वाले पूर्वोत्तर	(10) गैर अधिक ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र-वृहत	(7) गैर अधिक ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र-छोटे एवं संघ राज्य क्षेत्र
1.	गठित एवं प्रचालनात्मक वी.एच.एस.सी. की संख्या (राज्य द्वारा यथासूचित)		160808	47243	9011	104534	20
2.	पंजीकृत रोगी कल्याण समितियों की संख्या	जिला अस्पताल	540	274	79	179	8
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	3947	1778	180	1975	14
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	12618	4593	1159	6834	32
3.	चयनित आशा की संख्या (गैर-उच्च ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में जन-जातीय क्षेत्रों में आशा सहित)	2005-06	130315	119642	10673	0	0
		2006-07	273499	234268	29702	9529	0
		2007-08	43434	37023	0	6411	0
		कुल	447248	390933	40375	15940	0
4.	चयनित आशा को छोड़कर संपर्क कार्यकर्ताओं की कुल संख्या	2005-06	0	0	0	0	0
		2006-07	95132	30655	0	64477	0
		2007-08	935	0	0	935	0

5.	राज्य में आयोजित मासिक स्वास्थ्य दिवसों की कुल संख्या	2006-07	2928383	1387228	30542	1509917	696
		2007-08	1507110	692653	83831	730552	74
6.	उप केन्द्र जहां संयुक्त खाता प्रचालित किया गया है, की संख्या		109899	45407	6080	58185	227
7.	अतिरिक्त ए.एन.एम. के साथ एम.सी. की संख्या		10143	4237	2315	3404	187
8.	24x7 आधार पर कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या		9395	1978	1129	6163	125
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहां स्टाफ नर्सों को तैनात किया गया है		2753	62	243	2416	32
10.	आई.पी.एच.एस. के समकक्ष उन्नयन हेतु चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या		2730	1240	213	1243	34
11.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहां सुविधा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।		2129	981	205	931	12
12.	एफ.आर.यू. के रूप में उन्नत केन्द्रों की कुल सं.	एस.डी.एच.	612	268	14	309	21
		सी.एच.सी.	806	271	86	435	14
		पी.एच.सी.	59	20	12	27	0
13.	अब तक तैनात संविदात्मक कार्मिक शक्ति की संख्या	विशेषज्ञ	2489	1943	37	499	10
		डाक्टर	4318	2721	131	1311	155
		एस.एन.	13864	6218	1505	6124	17
		ए.एन.एम.	22448	14405	3349	4153	541
		अन्य	2721	1234	194	1265	28

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1 नवम्बर, 2007 तक की स्थिति

क्र. सं.	कार्य बिन्दु		कुल	झारखंड	मध्य प्रदेश	राजस्थान	बिहार	उत्तराखंड	छत्तीसगढ़	उत्तर प्रदेश	उड़ीसा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	गठित एवं प्रचालनात्मक वी.एच.एस.सी. की संख्या (राज्य द्वारा यथासूचित)		47243	7249		9188				24553			6253
2.	पंजीकृत रोगी कल्याण समितियों की संख्या	जिला अस्पताल	274	15	48	33	11	27	15	70	32	12	11
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1778	138	270	345	48	32	128	386	341	12	78
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4593	179	870	1489	203	0	497	823	175	2	355
3.	चयनित आशा की संख्या (गैर-उच्च ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में आशा सहित)	05-06	119642	1382	16463	20785	36488	4104	5030	19887	12730	0	2773
		2006-07	234268	13043	15227	14681	21758	4725	24407	100186	33514	0	6727
		2007-08	37023	13504	6774	2300	5208	439	0	8534	0	0	264
		कुल	390933	27929	38464	37766	63454	9268	29437	128607	46244	0	9764
4.	चयनित आशा को छोड़कर संपर्क कार्यकर्ताओं की कुल संख्या	2005-06	0										
		2006-07	30655	0	0	0	0	0	30655	0	0	0	0
		2007-08	0										

5.	राज्य में आयोजित मासिक स्वास्थ्य दिवसों की कुल संख्या	2006-07	1387228	13818	98410	558443		0	191341	0	482831	27835	14550
		2007-08	692653		260715	206704	212592						12642
6.	उप केन्द्र जहां संयुक्त खाता प्रचालित किया गया है, की संख्या		45407	2125	8026	10366	0	1560	4692	8686	6165	2071	1716
7.	अतिरिक्त ए.एन.एम. के साथ एस.सी. की संख्या		4237	0	726	2125	0	0	15	957	414	0	0
8.	24X7 आधार पर कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या		1978	0	337	63	426	23	192	785	0	95	57
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहां स्टाफ नर्सों को तैनात किया गया है।		62	0	32	0	0	23	0	0	0	0	7
10.	आई.पी.एच.एस. के समकक्ष उन्नयन हेतु चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या		1240	60	96	325	66	49	113	100	348	36	47
11.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहां सुविधा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है		981	18	96	290	66	26	113	169	148	15	40
12.	एफ.आर.यू. के रूप में उन्नत केन्द्रों की कुल सं.	एस.डी.एच.	268	0	36	40	0	7	0	110	18	15	42
		सी.एच.सी.	271	0	18	15	0	7	64	56	51	32	28
		पी.एच.सी.	20	0	0	0	0	0	0	0	18	2	0

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	2007-08 में तैनात संविदात्मक कार्मिक शक्ति की संख्या	विशेषज्ञ	1943	0	76	0	1533	0	231	75	0	13	15
		डाक्टर	2721	0	226	890	0	0	1477	0	0	0	128
		एस.एन.	6218	0	188	3976	0	56	714	577	480	125	102
		ए.एन.एम.	14405	1315	1425	2911	1092	13	4725	2119	414	71	320
		अन्य	1234	0	27	816	0	0	0	91	21	206	73

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1 नवम्बर,2007 तक की स्थिति

क्र. सं.	कार्य बिन्दु		कुल	असम	अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	मेघालय	त्रिपुरा
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	गठित एवं प्रचालनात्मक वी.एच. एस.सी. की संख्या (राज्य द्वारा यथासूचित)		9011		1194	1512	366	1278	402	3840	419
2.	पंचीकृत रोगी कल्याण समितियों की संख्या	जिला अस्पताल	79	21	13	7	8	7	4	6	13
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	180	93	28	16	0	1	4	28	10
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1159	839	71	72	0	4	0	99	74
3.	चयनित आशा की संख्या (गैर-उच्च-ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में आशा सहित)	05-06	10673	9058	1615	0	0	0	0	0	0
		06-07	29702	16342	1228	3000	737	1278	450	5438	1229
		2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कुल	40375	25400	2843	3000	737	1278	450	5438	1229
4.	चयनित आशा को छोड़कर संपर्क कार्यकर्ताओं की कुल संख्या	2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2007-08	0								

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	राज्य में आयोजित मासिक स्वास्थ्य दिवसों की कुल संख्या	2006-07	30542	16260	28	4501	366	11	0	2250	7126
		2007-08	83831	64972	14	976	0	0	568	6179	11122
6.	उप केन्द्र जहां संयुक्त खाता प्रचालित किया गया है, की संख्या		6080	4592	169	224	0	334	135	86	540
7.	अतिरिक्त ए.एन.एम. के साथ एस.सी. की संख्या		2315	1694	50	190	180	120	26	17	38
8.	24X7 आधार पर कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या		1129	759	52	20	96	117	24	8	53
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहां स्टाफ नर्सों को तैनात किया गया है।		243	149	0	7	52	0	0	6	29
10.	आई.पी.एच.एस. के समकक्ष उन्नयन हेतु चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या		213	103	31	14	9	21	2	24	9
11.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहां सुविधा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है		205	93	31	16	9	18	4	24	10
12.	एफ.आर.यू. के रूप में उन्नत केन्द्रों की कुल सं.	एस.डी.एच.	14	2	9	0	1	0	0	0	2
		सी.एच.सी.	86	39	1	4	18	0	7	16	1
		पी.एच.सी.	12	2	0	0	8	0	2	0	0
13.	2007-08 में तैनात संविदात्मक कार्मिक शक्ति की संख्या	विशेषज्ञ	37	33	0	1	0	1	0	2	0
		डाक्टर	131	56	0	5	0	36	0	7	27
		एस.एन.	1505	1371	0	78	0	20	17	19	0
		ए.एन.एम.	3349	2827	0	223	63	115	26	65	30
		अन्य	194	0	0	152	0	13	0	11	18

गैर-अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य-वृहत

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1 नवम्बर, 2007 तक की स्थिति

क्र. सं.	कार्य बिन्दु		कुल	पंजाब	हरियाणा	आंध्र प्रदेश	पश्चिम बंगाल	गोवा	कर्नाटक	गुजरात	तमिलनाडु	महाराष्ट्र	केरल
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	गठित एवं प्रचालनात्मक वी.एच.एस.सी. की संख्या (राज्य द्वारा यथासूचित)		104534		4589	21916			15218	10742	12618	24000	15451
2.	पंजीकृत रोगी कल्याण समितियों की संख्या	जिला अस्पताल	179	20	22	18	15	2	24	23	29	26	0
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1975	126	91	176	346	2	206	273	385	370	0
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	6834	0	369	1397	922	5	1679	745	1036	681	0
3.	चयनित आशा की संख्या गैर-उच्च ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में आशा सहित)	05-06	0			0			0	0	0	0	0
		06-07	9529			8500			0	1029	0	0	0
		2007-08	6411			0			0	0	0	5969	442
		कुल	15940		0	8500	0	0	0	1029	0	5969	442
4.	चयनित आशा को छोड़कर संपर्क कार्यकर्ताओं की कुल संख्या	2005-06	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2006-07	64477		6966	55400	2111	0	0	0	0	0	0
		2007-08	935								0		935

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	राज्य में आयोजित मासिक स्वास्थ्य दिवसों की कुल संख्या	2006-07 1509917	6275	7618	432870	1875	0	82443	344604	512124	122090	18
		2007-08 730552		14291	386000		0	47171	154373	128031		686
6.	उप केन्द्र जहां संयुक्त खाता प्रचालित किया गया है, की संख्या	58185	2858	2553	12230	10356	0	7061	5336	8706	9085	0
7.	अतिरिक्त ए.एन.एम. के साथ एस.सी. की संख्या	3404	0	1305	0	0	0	0	0	0	2099	0
8.	24x7 आधार पर कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	6163	380	401	1320	167	39	399	253	1920	890	394
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहां स्टाफ नर्सों को तैनात किया गया है	2416	0	13	800	341	19	23	0	780	440	0
10.	आई.पी.एच.एस. के समकक्ष उन्नयन हेतु चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	1243	116	41	92	33	5	54	273	409	105	115
11.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहां सुविधा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है	931	0	31	117	211	5	54	273	20	105	115
12.	एफ आर.यू. के रूप में उन्नत केन्द्रों की कुल सं.	एस.डी.एच. 309	40	31	57	30	0	0	16	54	81	0
		सी.एच.सी. 435	52	81	117	0	0	54	21	0	110	0
		पी.एच.सी. 27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0

13. 2007-08 में तैनात संविदात्मक कार्मिक शक्ति की संख्या	विशेषज्ञ	499	5	24	92	115	3	0	0	0	39	221
	डाक्टर	1311	2	2	77	0	9	55	362	0	153	651
	एस.एन.	6124	22	149	1087	0	4	638	365	2255	440	1164
	ए.एन.एम.	4153	0	1921	0	0	12	121	0	0	2099	0
	अन्य	1265	4	144	0	150	0	92	0	0	812	63

विवरण-II

वर्ष 2005-08 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यवार आवंटन एवं रिलीज

क्र. सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08	
		आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
	अधिक ध्यान दिए जाने वाले गैर-पूर्वोत्तर						
1.	बिहार	39821.50	28510.41	59921.44	47091.56	68070.16	18211.15
2.	छत्तीसगढ	11799.96	10027.54	17457.98	16574.84	22522.77	7946.00
3.	झारखण्ड	15769.48	12677.15	22920.47	18916.48	26292.30	2346.91
4.	मध्य प्रदेश	28076.37	28617.07	41309.59	46279.84	54404.54	42850.06
5.	राजस्थान	26426.54	31433.78	40790.74	45548.91	54818.48	36268.50
6.	उड़ीसा	19672.15	20931.96	28467.66	23563.93	34520.41	14654.81
7.	उत्तर प्रदेश	74669.32	89302.12	114270.03	110925.73	145942.48	73664.69
8.	उत्तराखंड	5185.93	5526.31	7188.80	4896.57	8443.95	2777.19
9.	जम्मू-कश्मीर	5180.34	6687.83	6582.67	5455.22	8676.75	1680.09
10.	हिमाचल प्रदेश	4358.22	5768.55	5935.93	7794.67	6769.91	2144.41
	कुल (अधिक ध्यान दिए जाने वाले गैर-पूर्वोत्तर)	**230959.81**	**239482.71**	**344845.31**	**327047.75**	**430461.75**	**202543.81**
	अधिक ध्यान दिए जाने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र						
1.	असम	24797.21	13920.07	51322.36	37128.04	64227.58	19589.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	2637.96	2586.52	3188.31	5022.22	4339.43	1374.44
3.	मणिपुर	3362.81	2513.52	5375.46	3803.37	6668.09	1753.11
4.	मेघालय	3215.47	1844.03	5287.10	3672.90	6227.19	817.79

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	मिजोरम	3121.08	2552.14	2847.83	6042.99	3669.85	1366..26
6.	नागालैण्ड	3041.52	2667.66	4914.02	4333.69	5618.81	2092.86
7.	त्रिपुरा	5058.88	2339.46	6634.68	3854.15	8814.36	3637.84
8.	सिक्किम	791.98	940.45	1450.89	2594.96	1796.27	703.80
	कुल-(अधिक ध्यान दिए जाने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र	**46026.91**	**29363.66**	**81020.65**	**66452.32**	**101361.58**	**31335.47**
	कुल-अधिक ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र	**276986.72**	**268846.57**	**425865.96**	**393500.07**	**531823.33**	**233879.28**
	गैर अधिक ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र						
1.	आन्ध्र प्रदेश	27760.49	35360.28	42005.98	41318.16	59783.51	31577.18
2.	गोवा	635.09	589.71	949.11	427.70	1338.47	180.82
3.	गुजरात	30682.30	33987.75	31847.89	30335.04	38057.86	14596.45
4.	हरियाणा	6933.18	8204.00	11769.25	12943.49	13759.89	1255.43
5.	कर्नाटक	18756.41	18941.56	29829.03	27874.30	39595.32	2559.13
6.	केरल	11738.02	10918.90	17721.08	18885.29	21857.20	5237.53
7.	महाराष्ट्र	31071.63	33190.48	51294.55	35332.14	67114.17	36587.74
8.	पंजाब	7509.28	9263.24	12844.46	16971.56	16196.89	4373.74
9.	तमिलनाडु	21273.35	23769.67	33855.17	36081.23	43315.55	24393.92
10.	पश्चिम बंगाल	27728.90	28782.56	43326.24	43146.14	54019.71	14116.61
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	563.07	547.95	910.30	986.65	609.14	435.62
12.	चण्डीगढ़	328.60	275.45	636.57	531.43	734.93	145.24
13.	दादरा और नगर हवेली	202.91	139.84	346.20	284.80	377.78	25.53
14.	दमण और दीव	146.59	161.94	380.35	356.31	343.47	22.10
15.	दिल्ली	3136.07	3202.71	5724.73	5127.69	7920.46	3753.27

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	लक्षद्वीप	121.68	147.61	247.20	173.06	224.53	2.80
17.	पांडिचेरी	267.46	400.34	528.63	608.31	998.15	23.91
	कुल (गैर-अधिक ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र)	**188855.03**	**207883.99**	**284196.74**	**271383.30**	**366247.03**	**139287.02**
	महायोग	465841.75	476730.56	710062.70	664883.37	898070.36	373166.30

[अनुवाद]

एड्स जागरूकता कार्यक्रम

*96. **श्री एस. अजय कुमार:**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की **कृपा** करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (नाको) तमिलनाडु और पांडिचेरी सहित अनेक राज्यों में 'एड्स' से बचाव संबंधी जागरूकता के बारे में कोई अधिक प्रभाव नहीं डाल पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (नाको) के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्यों द्वारा संतोषजनक ढंग से उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (नाको) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) आम लोगों के बीच जानकारी और व्यवहार संबंधी यौन व्यवहार के प्रभाव का पता लगाने के लिए किए गए राष्ट्रीय प्रहरी निगरानी सर्वेक्षण, 2006 के अनुसार यह पाया गया कि एड्स के संचरण के सैक्सुअल तरीकों के बारे में जानकारी 2001 में 62 प्रतिशत से बढ़कर 2006 में 74 प्रतिशत हो गई है और एच.आई.वी. संचरण के निवारण के दो तरीकों (लगातार कंडोम का इस्तेमाल करना और एक ही ईमानदार असंक्रमित यौन साथी रखना) की जानकारी 2001 में 39 प्रतिशत से बढ़कर 2006 में 57 प्रतिशत हो गई है। उच्च जोखिम वाली जनसंख्या अर्थात महिला यौन कर्मियों के बीच निवारण के दो तरीकों के बारे में जागरूकता के स्तर ने भी वृद्धि दर्शायी है जो 65.7 प्रतिशत से बढ़कर 81.0 प्रतिशत हुई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी सहित राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं जहां जागरूकता स्तरों में वृद्धि के स्तर भी दर्ज किए गए हैं।

(ग) और (घ) राज्यों द्वारा 2006-2007 में निधियों का उपयोग संतोषजनक था जिसमें उपयोग की समग्र दर 97 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अधीन जारी की गई निधियों का राज्यवार उपयोग संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) उच्च जोखिम वाले समूहों में लक्षित कार्यकलापों में वृद्धि करके, बेहतर जागरूकता के लिए व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण, परामर्श और जांच सेवाओं का विस्तार करके, रक्त निरापदता, होने वाले संक्रमणों के उपचार सहित एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों की सहायता और उपचार करके, रिट्रोवायरल-रोधी औषधों की व्यवस्था करके और एच.आई.वी. कार्यकलाप कार्यनीतियों को मुख्य धारा में शामिल करके एच.आई.वी. के फैलने को नियंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का चरण-III तैयार किया गया है।

विवरण-I

एच.आई.वी./एड्स निवारण की जानकारी की राज्यवार तुलना

क्र.सं.	राज्य/राज्यों का समूह	संचरण के सैक्सुअल तरीके की जानकारी		एच.आई.वी. निवारण के दो तरीकों की जानकारी	
		2001	2006	2001	2006
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	85.1	83.5	50.6	62.5
2.	असम	64.7	87.6	18.0	58.2
3.	बिहार	–	41.5	–	39.9
4.	छत्तीसगढ़	–	57.2	–	38.9
5.	दिल्ली	85.5	89.5	71.2	66.6
6.	गोवा + दमण और दीव	91.8	90.8	66.0	70.2
7.	गुजरात + डी.एन.एच.	54.7	75.4	43.3	67.3
8.	हरियाणा	78.3	84.4	61.3	72.9
9.	हिमाचल प्रदेश	88.2	84.9	69.9	79.1
10.	जम्मू-कश्मीर	79.5	76.1	61.7	58.6
11.	झारखण्ड	–	61.8	–	43.3
12.	कर्नाटक	78.4	78.5	46.7	41.5
13.	केरल + लक्षद्वीप	97.7	96.6	61.8	85.2
14.	मध्य प्रदेश	–	60.2	–	53.5
15.	महाराष्ट्र	80.7	88.7	45.7	65.4
16.	मणिपुर	88.7	87.5	62.2	66.8
17.	उड़ीसा	62.4	75.3	23.9	44.6
18.	अन्य पूर्वोत्तर राज्य	70.9	85.1	34.7	55.4
19.	पंजाब + चंडीगढ़	89.0	85.5	71.8	68.5
20.	राजस्थान	59.0	62.9	43.2	53.5

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	70.6	57.4	47.7	36.8
22.	तमिलनाडु + पांडिचेरी	75.0	85.3	51.9	62.9
23.	उत्तर प्रदेश	–	72.6	–	66.3
24.	उत्तरांचल	–	78.3	–	70.5
25.	पश्चिम बंगाल + अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	52.1	74.6	21.4	36.9
26.	बिहार + झारखण्ड	39.1	51.4	25.0	33.8
27.	मध्य प्रदेश + छत्तीसगढ़	53.6	59.1	38.3	42.0
28.	उत्तर प्रदेश + उत्तरांचल	47.0	75.0	35.5	64.2
	अखिल भारत	61.6	74.3	39.2	57.1

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के खर्च के साथ राज्यों को जारी की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05 के दौरान निर्मुक्ति	व्यय 2004-05	2005-06 के दौरान निर्मुक्ति	व्यय 2005-06	2006-07 के दौरान निर्मुक्ति	व्यय 2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1692.45	1058.22	500.00	752.81	7079.55	7958.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	285.50	203.96	280.00	52.15	448.20	525.42
3.	असम	1214.50	720.59	915.60	771.30	1351.30	1320.80
4.	बिहार	1079.50	460.54	450.00	1134.54	1475.75	637.58
5.	गोवा	163.50	139.47	275.00	164.49	415.00	219.26
6.	गुजरात	565.00	384.01	300.00	270.40	1471.09	3015.97
7.	हरियाणा	266.00	220.42	0.00	187.25	615.00	436.85
8.	हिमाचल प्रदेश	423.50	249.89	300.00	89.80	603.90	652.57

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू-कश्मीर	279.50	72.45	50.00	34.03	420.70	238.07
10.	कर्नाटक	1664.50	1033.63	1175.00	754.07	3414.45	2554.35
11.	केरल	553.00	399.42	300.00	246.44	1521.98	1636.07
12.	मध्य प्रदेश	855.50	231.33	100.00	111.40	790.50	901.61
13.	महाराष्ट्र	1625.50	1086.39	1700.00	1089.79	3984.57	3721.28
14.	मणिपुर	1847.75	709.08	1483.94	1002.64	2134.53	1771.31
15.	मेघालय	15.50	76.19	25.00	29.32	10.10	85.79
16.	मिजोरम	571.50	323.58	680.00	409.87	885.40	841.93
17.	नागालैण्ड	1065.25	761.85	1200.36	676.08	1625.01	1643.67
18.	उड़ीसा	430.00	186.05	225.00	233.76	909.20	1273.06
19.	पंजाब	371.50	120.20	0.00	163.95	713.90	549.24
20.	राजस्थान	867.50	438.23	575.00	383.32	946.30	689.26
21.	सिक्किम	179.00	131.33	196.00	137.13	330.40	244.97
22.	तमिलनाडु	2043.50	771.41	2987.00	1526.39	5449.66	4668.36
23.	त्रिपुरा	221.00	144.22	172.00	89.43	398.25	150.90
24.	उत्तर प्रदेश	1070.80	495.84	0.00	638.03	2361.12	2331.44
25.	पश्चिम बंगाल	2028.00	1124.57	1150.00	1315.45	3620.72	4232.91
26.	दिल्ली	604.00	573.63	1150.00	421.82	1355.60	1413.54
27.	पाण्डिचेरी	114.00	98.52	75.00	267.45	319.00	199.35
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	180.50	123.34	50.00	116.48	228.00	63.77
29.	चण्डीगढ़	228.50	203.03	225.00	287.51	411.55	326.85
30.	दादरा और नगर हवेली	76.00	30.20	25.00	49.59	100.60	86.34
31.	दमण और दीव	101.00	81.78	75.00	55.11	130.20	156.06
32.	लक्षद्वीप	29.50	24.06	25.00	20.84	41.80	22.21

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	एम.डी.ए.सी.एस.	775.00	760.92	725.00	524.94	1603.43	1501.03
34.	अहमदाबाद एम.सी.	208.30	125.18	25.00	53.09	260.37	476.25
35.	चेन्नई एम.सी.	157.45	253.68	525.00	564.87	678.00	382.89
36.	उत्तरांचल	298.00	74.81	200.00	110.04	529.60	77.55
37.	छत्तीसगढ़	429.50	111.29	600.00	477.32	475.90	553.93
38.	झारखंड	256.00	189.67	150.00	221.18	582.00	600.66
	कुल	24837.00	14198.98	18889.90	15434.08	49692.63	48161.58

शहरों में प्रदूषण को रोकने हेतु नीति

*97. **श्री अधीर चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के शहरों में बढ़ते वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए कोई संशोधित नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधित नीति को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) विभिन्न शहरों में किये गये स्रोत प्रभाजन अध्ययनों (सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडीज) का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 में मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए शहरों में वायु और जल प्रदूषण को कम करने के कार्य का निराकण करने का प्रयास किया गया है।

वायु और जल प्रदूषण के उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित सहित उपायों की पहल की गई है:

- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उत्सर्जन और बहिस्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानीटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत (एन.ए.एम.पी.) 108 शहरों/कस्बों में 339 स्थलों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की मानीटरी की जाती है।
- वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और 16 शहरों में कार्यान्वित की गई हैं।
- आटो फ्यूल नीति के अनुसार वाहनीय प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्वच्छतर ईंधन की शुरुआत की गई है।
- विभिन्न संस्थानों के माध्यम से छह नगरों नामशः दिल्ली, कानपुर, मुम्बई, पुणे, बंगलौर और चैन्नई में विभिन्न स्रोतों से योगदान का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विविक्त पदार्थ और श्वसनीय निलंबित विविक्त पदार्थ के लिए स्रोत प्रभाजन अध्ययन की शुरुआत की गई है।
- देश में 1037 राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मानीटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत जल गुणवत्ता की मानीटरी की जाती है।
- लघु उद्योग इकाइयों से उत्पन्न होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को छह लेन का बनाना

***98. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री सुरेश अंगडि:

क्या पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे हिस्सों की लंबाई (स्ट्रेच) का राज्य-वार ब्योरा क्या है जिन्हें छह लेनों में परिवर्तित किया गया है/किए जाने का विचार है;

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई और इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग)

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड जहां कुल 749.32 करोड़ रु. की लागत से 6 लेन बनाने का कार्य पूरा किया गया है विवरण-I में दिए गए हैं।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड जहां 6 लेन बनाई जा रही हैं, विवरण-II में दिए गए हैं। जिसमें इन परियोजनाओं की कुल लागत 3232 करोड़ रु. और 31 अक्तूबर, 2007 तक व्यय की गई 1524.18 करोड़ रु. का विवरण दिया गया है। प्रत्येक परियोजनाओं के लिए पूरा होने की संभावित तारीख दर्शाई गई है।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 6 लेन बनाए जाने के लिए अभिनिर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड विवरण-III में दिए गए हैं। इन पर लगभग 42590 करोड़ रु. की लागत आने की प्रत्याशा है और इन्हें सन् 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण-I

एन.एच.डी.पी. के अंतर्गत पूरी की गई छह लेन वाली परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	खंड	रा.रा. सं.	लंबाई (किमी)	राज्य	पूर्ण होने की तिथि	किया गया व्यय (करोड़ रु.)
1.	कमसपुर से हरियाणा/दिल्ली सीमा (एन.एस./2) तक को छह लेन का बनाना 44.3 से 29.3 किमी.	1	15	हरियाणा	नवम्बर, 2001	42.39
2.	अवाथ गांव से नंदी हिल्स क्रासिंग और देवनहल्ली से मीनूकुंटे (एनएस-10) को छहलेन का बनाना किमी. 524-किमी. 527 और किमी. 535-किमी. 539	7	7	कर्नाटक	जुलाई, 2001	35.2
3.	महापुर (जयपुर के समीप) - किशनगढ़ (छह-लेन) किमी. 273.5-किमी. 363.885	8	90.38	राजस्थान	मार्च, 2005	671.73
	कुल लंबाई		112.38			749.32

विवरण-II

एन.एच.डी.पी. के अंतर्गत कार्यान्वित छह लेन वाली परियोजनाओं की सूची

31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	खंड	रा.रा. सं.	लंबाई (किमी.)	राज्य	पूरा होने की संभावित तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	संचयी व्यय (करोड़ रु.)
1.	दिल्ली-गुड़गांव खंड (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन) किमी. 143-किमी. 42	8	27.7	दिल्ली (9.7 किमी.)/ हरियाणा (18 किमी.)	दिसम्बर, 2007	710	658.43
2.	वडोदरा से भरूच पैकेज बी.ओ.टी.-1 (6 लेन) (किमी. 108.7 से किमी. 192)	8	83.3	गुजरात	जुलाई, 2009	660	104.17
3.	भरूच से सूरत पैकेज बी.ओ.टी.-2 (6 लेन)	8	65	गुजरात	जुलाई, 2009	492	65.88
4.	पानीपत से पंछी गुजरान (6 लेन बनाने का कार्य) (एन-89/एच.आर.) किमी. 86.00-किमी. 66.00	1	20	हरियाणा	अक्तूबर, 2008	109	16.45
5.	पंछी गुजरान से कमसपुर (सोनीपत) (एनएस-17/एच.आर.) किमी. 66.00 से किमी. 44.30	1	21.7	हरियाणा	मार्च, 2008	84	64.37
6.	रा.रा. 7 का बंगलौर-होसुर खंड को 6 लेन का बनाना किमी.18.750 से 33.130 किमी.	7	14.38	कर्नाटक	जुलाई, 2008	110	12.57
7.	बी.ओ.टी. आधार पर सिल्क बोर्ड जंक्शन से इलैक्ट्रोनिक सिटी जंक्शन तक	7	9.98	कर्नाटक	जुलाई, 2008	450	412.4

	उत्थापित राजमार्ग का निर्माणकार्य (किमी. 8.765 से 18.750)						
8.	बी.ओ.टी. आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के बंगलौर-नीलमंगला खंड के 10/0 किमी. से 29/50 किमी. तक पहुंच नियंत्रित राजमार्ग का निर्माण कार्य	4	19.5	कर्नाटक	नवम्बर, 2009	445	1.55
9.	नंदीहिल्स क्रास से देवलहल्ली और मीनूकुंटे से हब्बल (एन.एस.-24/के.एन.) को 6 लेन का बनाना किमी. 539-556 और किमी. 527-किमी. 535	7	25	कर्नाटक	नवम्बर, 2007	172	188.36
	कुल लंबाई		286.56			3232	1524.18

विवरण-II

एन.एच.डी.पी. के अंतर्गत 6 लेन बनाने के लिए अभिनिर्धारित खंडों की सूची

क्र. सं.	रा.रा. सं.	छह लेन बनाने के लिए खंड	लंबाई (किमी. में)
1	2	3	4
		आन्ध्र प्रदेश	
1.	5	चिलकालूरीपेट-विजयवाड़ा-ईलूरू-राजामुंदरी	270
2.	5	टाडा-नेल्लोर बाइपास	130
3.	5	विशाखापट्टनम-अंकापल्ली-राजामुंदरी	200
4.	5	श्रीकाकुलम-विशाखापट्टनम	100
5.	5	नेल्लोर-चिल्कालूरीपेट	184
6.	5	इच्छापुरम-श्रीकाकुलम	140
		बिहार	
1.	2	औरंगाबाद-बरवाअड्डा (बिहार खंड)	70
2.	2	वाराणसी-औरंगाबाद (बिहार खंड)	140
		गुजरात	
1.	एन.ई.-1	अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस वे	95
2.	8ए	समायख्याली-गांधीधाम	56
3.	8	सूरत-दहीसर (गुजरात खंड)	120
4.	8	वडोदरा-सूरत	148
5.	8	उदयपुर-अहमदाबाद (गुजरात खंड)	140
		हरियाणा	
1.	8	गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर (हरियाणा खंड)	65
2.	1	पानीपत-जालंधर (हरियाणा खंड)	116
3.	2	दिल्ली-आगरा (हरियाणा खंड)	74
		कर्नाटक	
1.	4	बंगलौर-तुमकुर	65

1	2	3	4
2.	4	हुबली-चित्रदुर्ग	200
3.	4	चित्रदुर्ग बाइपास-तुमकुर बाइपास	145
4.	7	बंगलौर-कृष्णागिरि (कर्नाटक खंड)	55
5.	4	बेलगांव-हुबली	110
6.	4	कागल-बेलगांव	77
		केरल	
1.	47	वड्डक्कानचेरी-त्रिसूर खंड	30
		मध्य प्रदेश	
1.	3	इंदौर-देवास	55
		महाराष्ट्र	
1.	3	पिंपलगांव-नासिक-गोंडे	60
2.	4	कलाम्बोली-मुंब्रा	20
3.	4	सतारा-कागल	133
4.	4	पुणे-सतारा	145
5.	8	सूरत-दहीसर (महाराष्ट्र खंड)	125
		उड़ीसा	
1.	5ए	चंडीखोल-पाराद्वीप	77
2.	5	चंडीखोल-जगतपुर-भुवनेश्वर	70
3.	5	बालासोर-चंडीखोल	140
4.	5	भुवनेश्वर-इच्छापुरम	185
		पंजाब	
1.	95 और 21	लुधियाना-चंडीगढ़	82
2.	1	पानीपत-जालंधर (पंजाब खंड)	184
		राजस्थान	
1.	8	गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर (राजस्थान खंड)	165

1	2	3	4
2.	79ए, 79 और 76	किशनगढ़-उदयपुर	315
3.	8	उदयपुर-अहमदाबाद (राजस्थान खंड)	95
		तमिलनाडु	
1.	5	चेन्नै-टाडा	50
2.	7 और 4	कृष्णगिरि-पूनामल्ली	240
3.	7	बंगलौर-कृष्णगिरि (तमिलनाडु खंड)	40
		उत्तर प्रदेश	
1.	58	दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा-मेरठ	46
2.	3	आगरा-इटावा बाइपास	125
3.	2	इटावा-इलाहाबाद	310
4.	2	इलाहाबाद बाइपास-वाराणसी	160
5.	2	वाराणसी-औरंगाबाद (उत्तर प्रदेश खंड)	50
6.	24	हापुड-मुरादाबाद	110
7.	24	दिल्ली-हापुड	60
8.	2	दिल्ली-आगरा (उत्तर प्रदेश खंड)	106
9.	3	आगरा-ग्वालियर	85
		पश्चिम बंगाल	
1.	4 और 6	धनकुनी-बालेश्वर	240
2.	2	बरवाअड्डा-पानागढ़ (पश्चिम बंगाल खंड)	20
3.	2	पानागढ़-धनकुनी	135
		झारखंड	
1.	2	बरवाअड्डा-पानागढ़ (झारखंड खंड)	100
2.	2	औरंगाबाद-बरवाअड्डा (झारखंड खंड)	150

गांवों को उपग्रह के माध्यम से जोड़ना

***99. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्राम सेट के माध्यम से राज्यों में विभिन्न पंचायतों में संपर्क स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार किन-किन गांवों की पहचान की गई है;

(ग) राज्य-वार प्रत्येक गांव के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) राज्यों में गांवों को ग्राम सेट के माध्यम से कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) अंतरिक्ष विभाग ने पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की सुंविधा उपलब्ध कराने और अधिकांशत: दूरवर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1998 में परीक्षणात्मक ग्रामसैट कार्यक्रम की शुरुआत की। ग्रामसैट कार्यक्रम के भाग के रूप में, निम्नानुसार जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर उपग्रह संचार नेटवर्कों की स्थापना की गई है:-

राज्य	स्थानों की संख्या	
	जिला/	पंचायत प्रखंड
1	2	3
मध्य प्रदेश	518	1012
उड़ीसा	350	1166
कर्नाटक	176	–
गुजरात	550	250
राजस्थान	2	17
पश्चिम बंगाल	320	–
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	9	–

ग्रामसैट कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के स्तर पर उपग्रह संचार नेटवर्कों की स्थापना नहीं की गई थी। तथापि, उपर्युक्त पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गांव इन सुविधाओं से लाभान्वित होंगे। ये कार्यक्रम अलग-अलग राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए थे।

(ग) अंतरिक्ष विभाग ने ग्रामसैट कार्यक्रम के लिए प्रत्येक गांव के हिसाब से राशि निर्धारित नहीं की है।

(घ) ग्रामसैट के प्रशिक्षण एवं विकासात्मक संचार चैनल (टी.डी.सी.सी.), दूर-चिकित्सा, दूर-शिक्षा एवं सुदूर संवेदन उपयोगों से प्राप्त अनुभव के आधार पर इसरो ने ग्राम संसाधन केंद्रों (वी.आर.सी.) की स्थापना की है। दूर-शिक्षा दूर-चिकित्सा, प्राकृतिक संसाधन सूचना एवं कौशल विकास से युक्त ये वी.आर.सी. समेकित सेवाएं प्रदान करते हैं। इस समय आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पुडुचेरि राज्यों में 291 वी.आर.सी. स्थापित किए गए हैं। विविध राज्य और केंद्र सरकार के विभागों/संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि द्वारा दिखाई गई रूचि तथा उनकी आवश्यकता के आधार पर इन केंद्रों की स्थापना की जाती है।

सड़क विकास परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण

***100. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योग विशेषज्ञों ने देश में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 'फिक्की' ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है

जिसमें सड़क निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलंब के कारण बताए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रिपोर्ट में क्या-क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सड़कों के विकास हेतु रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सेतुसमुद्रम परियोजना पर उच्चतम न्यायालय का निदेश

575. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने सेतुसमुद्रम नहर परियोजना के संबंध में किसी राज्य सरकार के विरुद्ध कोई निदेश जारी किया है या कोई टिप्पणी की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्पेशल पर्पस व्हीकल

576. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक नई स्पेशल पर्पस व्हीकल (एस.पी.वी.) शुरू करने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित एस.पी.वी. द्वारा वित्तपोषण किए जाने हेतु किसी अवसंरचनात्मक परियोजना की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार प्रत्येक परियोजना के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और उनके पूरा किए जाने की लक्षित तिथि क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 16-11-2007 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 9/49/07-इंफ्रा द्वारा सूचित किया है कि "श्री दीपक पारीख की अध्यतावाली एक समिति ने अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। इनमें से एक सिफारिश मुद्रा विस्तार जोखिम के बिना विदेशी मुद्रा भण्डार का थोड़ा अंश उपयोग करना है। इस समिति ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी की स्थापना का सुझाव दिया है, जो आर.बी.आई. से निधिया उधार ले और भारत में अवसंरचना परियोजनाएं क्रियान्वित करने वाली कंपनियो को उधार दे, अथवा भारत से बाहर अनन्य रूप से पूंजीगत व्यय हेतु ऐसी परियोजनाओं के लिए उनके विदेशी वाणिज्य उधार (ई.सी.बी.) को सह-वित्तपोषित करे। सरकार विदेशी सहायक कंपनी या एस.पी.वी. स्थापित करने के लिए वैधानिक और नियामक पहलुओं की जांच कर रही है, परंतु अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अत: वित्तपोषण किए जाने हेतु परियोजनाओं की पहचान करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जानवरों के प्रति निर्दयता

577. श्री मो. ताहिर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार जानवरों के प्रति निर्दयता के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार इस संबंध में कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया; और

(ग) इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपबंध किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा जीव-जन्तुओं पर अनावश्यक कष्ट या पीड़ा के निवारण के लिए, जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता निधारण (पी.सी.ए.) अधिनियम, 1960 अधिनियगित किया गया था। क्रूरता निवारण, संविधान की समवर्ती सूची में शागिल है अतः उपयुक्त विधि प्रवर्तन तंत्र, राज्य सरकारें/ स्थानीय प्राधिकरण हैं। भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (ए.डब्ल्यू.बी.आई.), पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है जो जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता के संबंध में उपबंधों के प्रवर्तन और उचित प्रकार से अपराधियों को दंडित करने के संबंध में सभी राज्य सरकारों को संबोधित करता है। गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा सूचित किए गए मामले संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	वर्षों के दौरान जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता से संबंधित मामलों की संख्या			वर्षों के दौरान दोषी व्यक्तियों की संख्या		
	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	66	29	71	51 (2005 के लिए)	24 (2006 के लिए)	113 (अगस्त, 07 तक)
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
अंडमान एवं निकोबार	0	0	1	0	0	0
छत्तीसगढ़	84	51	65	14	15	14
चण्डीगढ़	0	2	1	0	3	0
दादर एवं नगर हवेली	0	0	1	0	0	1
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	1389	1572	1826	1389	1570	1838
गोवा	10	2	11	8	2	0
हरियाणा	90	152	255	46	97	185
हिमाचल प्रदेश	21	20	6	8	0	0
केरल	123	100	79	46	24	19
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
पंजाब	0	2	1	0	2	1
पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	1541	1296	1127	4265	3338	3037
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	13918	9078	17092	207	160	178

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा बनाना

578. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने उड़ीसा सरकार से राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा बनाने तथा लेनों की संख्या बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा आज की तिथि तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार से इस राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और लेनो की संख्या में वृद्धि करने के लिए 27 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सभी 27 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। इन प्रस्तावों के वर्षवार ब्यौरे निम्नवत हैं:-

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या		स्वीकृत	
	प्राप्त	स्वीकृत	लंबाई (कि.मी. में)	धनराशि (करोड़ रु. में)
2004-05	9	9	84.70	41.44
2005-06	4	4	30.90	14.44
2006-07	14	14	116.06	140.09

जड़ी बूटियों की खेती

579. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक दवाओं की विदेश में बढ़ती मांग को देखते हुए जड़ी-बूटियों की खेती को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास):

(क) और (ख) सरकार द्वारा औषधीय पादप क्षेत्रक के विकास से संबंधित समन्वयन कार्य करने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है। बोर्ड ने संविदात्मक कृषि स्कीम कार्यान्वित की है जिसके अंतर्गत चिन्हित औषधीय पादपों की कृषि के लिए किसानों/किश्तकारों को परियोजना लागत के 30% की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है बशर्ते की यह राशि 9.00 लाख रुपये से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागबानी मिशन, कृषि और सहकारिता विभाग भी अपनी स्कीमों के अंतर्गत औषधीय पादपों की कृषि के लिए सहायता देते हैं। राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड उत्पादन और "फसल कटायोत्तर प्रबंधन द्वारा वाणिज्यिक बागबानी का विकास" नामक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत प्रति परियोजना अधिकतम 25.00 लाख रुपये की सीमा तक कुल परियोजना लागत की अधिकतम 20% पूंजीगत निवेशन आर्थिक सहायता दी जाती है। उत्तर-पूर्वी/जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 30.00 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जड़ी-बूटीय फसलों की उच्च प्रौद्योगिकीगत कृषि के लिए भी स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

उत्तर पूर्व क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में निवेश संबंधी संभावना

580. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष सितंबर में डी.ओ.एन.ई.आर. द्वारा आयोजित सेक्टोरल सम्मिट में उत्तर पूर्व क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में निवेश संबंधी संभावना का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में अब तक किए गए निवेश के बारे में अनुमानित आकलन क्या है तथा इस क्षेत्र में और कितने निवेश की संभावना है; और

(ग) सेक्टोरल सम्मिट द्वारा किन कदमों की सिफारिश की गई तथा इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पूर्वोत्तर परिषद का सातवां क्षेत्रक सम्मेलन कोहिमा, नागालैंड में 31 जुलाई तथा 01 अगस्त, 2007 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, सुचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं और दूरसंचार कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पता लगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजी भाषा बोलने वालों तथा शिक्षित जन-शक्ति में समृद्ध है जो कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी - बी.पी.ओ. उद्योग की रीढ़ है। जैसेकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में श्रम लागत देश के अन्य हिस्सों में बढ़ रही है, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह लागत तुलनात्मक रूप से न्यून है। इसलिए यह ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को आकर्षित कर सके। यह भी इंगित किया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को उच्च प्रतिभाशाली संसाधनों का लाभ उठाना चाहिए। तथापि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में निवेश संभाव्यताओं के बारे में कोई विशिष्ट आकलन नहीं किया गया।

(ख) क्षेत्र की संभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने मैसर्स नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) के साथ क्षेत्र के 20,000 अवर स्नातक युवाओं की क्षमता परीक्षा का आकलन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में रोजगार के लिए एक प्रमाणीकरण तथा बैंच मार्किंग कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के लिए 3.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस कार्य के लिए 3.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, डोनर मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक्स विभाग और अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से आई.टी. कौशल में उत्तर-पूर्वी राज्यों के युवाओं को निधियां भी प्रदान करती हैं। उत्तर-पूर्वी परिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में आई.टी. और आई.टी. संबंधित सेवाओं के लिए अपने बजट में 7.50 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। यह 3.10 करोड़ रुपये अब तक जारी कर चुकी है।

(ग) आई.टी. के संबंध में निम्नलिखित परिणाम 7वें सेक्टोरल सम्मेलन में हुए हैं:-

- उत्तर पूर्वी राज्य उपर्युक्त नीति और पी.पी.पी. मॉडल्स से सुकर वातावरण तैयार कर बेहतर आई.टी. में विकसित करने का प्रयास करें।
- आई.टी. उद्योग को उत्तर पूर्व के झूठे खाका से भ्रमित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र आतंकवाद से प्रभावित है। वास्तव में इस क्षेत्र का व्यापक

क्षेत्र त्रुटिहीन कानून व्यवस्था से घिरा है। डोनर मंत्रालय और उत्तर पूर्वी राज्यों को संभावित निवेशकों के मन से ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए।

- इस क्षेत्र को आकर्षक और व्यवहार्य आई.टी. उद्योग को व्यवहार्य बनाने के लिए बेहतर अवस्थापना तैयार करना चाहिए।

- राज्यों को अपने लोगों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आई.टी. के प्रयोग को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

- राज्यों को आई.टी. में स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उचित उपाय करना चाहिए। आई.टी. प्रतिभा का पता लगाने, बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति के आधार पर एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

- उत्तर पूर्वी क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशियान और पूर्वी एशियान देशों के लिए आधार कार्यालय बनाने के लिए अपने को तैयार करना चाहिए।

- इस क्षेत्र में आई.टी. उद्योग बहुत कम दर पर है क्योंकि आमतौर पर लोग अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। राज्य और नेस्कॉम को इस महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करना चाहिए जो उद्योग की मुख्य चिन्ता का विषय है।

- राज्य सरकार के पास सामुदायिक सूचना केंद्र (सी.आई.एस.) चलाने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और अधिक वर्षों के लिए समान स्तर को बनाए रखने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, सी.आई.एस. को अनेक स्थानों पर सामुदायिक सेवा केंद्र के रूप में बनाने के लिए व्यवहार्यता के बारे में प्रश्न खड़े किए गए। इस बात पर सहमति हुई कि सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग अंतिम निर्णय लेने से पूर्व राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखें।

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त सोसायटी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. के केंद्र एजवाल, इंफाल, तेजपुर (गुवाहाटी और कोहिमा में विस्तार केंद्रों सहित) में हैं। इस क्षेत्र के सभी राज्यों में ऐसे केंद्र स्थापित होने चाहिए।

- सरकार को वन इंडिया प्लान की दिशा में बैंडविद के लिए कार्य करना चाहिए ताकि उत्तर पूर्वी राज्य इस बाधा से प्रभावित न हों।

- उत्तर पूर्वी राज्यों में आई.टी. और उच्चतर शिक्षा विभागों को आई.टी. कौशल में नेस्कॉम क्षमता मूल्यांकन के लिए नेस्कॉम को अपेक्षित सहायता देनी चाहिए। उन्हें पूरी प्रक्रिया से अपने को जोड़ना चाहिए क्योंकि इसका रोजगार, प्रशिक्षण और पाठ्यचर्या में संशोधन के लिए दीर्घकालीन प्रयोजन है। एन.ई.सी. और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शैक्षिक परिषद को राष्ट्रीय क्षमता मूल्यांकन में शामिल होने के लिए पात्र छात्रों को उन्मुख करने के लिए उपकुलपतियों और कॉलेज के प्रधानाचार्यों को जगरूक करना चाहिए।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए दीमापुर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने की योजना है जिसके लिए नागालैण्ड सरकार भूमि उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुई है।

कैंसर मरीजों के लिए मल्टी-मोडल उपचार

581. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से कन्याकुमारी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए मल्टी-मोडल उपचार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अर्बुद विज्ञान विंग के विकास के लिए सरकारी चिकित्सा कालेजों/अस्पतालों को 3.00 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत कन्याकुमारी में चिकित्सा कालेज अस्पताल के लिए वित्तीय सहायता मांगने संबंधी प्रस्ताव तमिलनाडु सरकार से अभी इस मंत्रालय को प्राप्त होना बाकी है।

[हिन्दी]

दिल्ली और फरीदाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर फ्लाई ओवर का निर्माण

582. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और फरीदाबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर बदरपुर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य गत सात वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है?

पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) बदरपुर फ्लाईओवर की परियोजना मंत्रालय द्वारा दिनांक 1-3-2005 को और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12-4-2005 को अनुमोदित की गई थी। यह परियोजना ढाई वर्षों से लंबित है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली शहरी कला आयोग और दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने में काफी समय लगा और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यह स्वीकृति जुलाई/अगस्त, 2007 में ही प्राप्त की जा सकी। राज्य समर्थन समझौते पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सहमति नवम्बर, 2007 में ही प्राप्त हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शीघ्र स्वीकृति के लिए संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ मामले पर सक्रिय रूप से कार्य करता रहा है। चूंकि अब स्वीकृति प्राप्त हो गई है, निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने और कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रियायतग्राहियों की पूर्व अर्हता के लिए निविदाएं पहले ही आमंत्रित की जा चुकी हैं।

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए निधियां

583. श्री बाडिगा रामकृष्णा:

श्री एल. राजगोपाल:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने यह आकलन किया है कि देश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए इसे 4,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बांटे गए ऋण की स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह आकलन किया गया है कि देश के पिछड़े जिलों विशेषरूप से आन्ध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के विकास के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पंचायती राज के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि प्रकार्यों के अंतरण के अनुपालन में पंचायतों को किए जाने वाले शक्तियों व उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण को निधियों व कार्यकर्ताओं के हस्तांतरण की सहवर्तिता से मेल खाना चाहिए जिससे कि हस्तांतरित उत्तरदायित्वों के प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित किया जा सके। हस्तांतरित निधियों में योजना व कार्यान्वयन के लिए सौंपी गई स्कीमें, केंद्रीय तथा राज्य वित्त आयोगों द्वारा पंचायतों को हस्तांतरण के लिए संस्तुत प्रखंड अनुदान व अन्य अबद्ध निधियां शामिल होंगी। देश भर में पंचायती राज को सुदृढ करने के लिए मंत्रालय बाह्य अभिकरणों से ऋण व अनुदानों के माध्यम से निधियों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता रहा है। मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ करने हेतु संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए एक त्रिमुखी दृष्टिकोण अपनाया है:

(i) पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना (पी.ई.ए.आई.एस.) के लिए निधियन व तकनीकी सहायता:

पी.ई.ए.आई.एस.को पूरे देश में एक ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर कार्यान्वित किया जाना है जिसके माध्यम से, वैसे राज्य जो पंचायती राज कार्यान्वयन में बेहतर कार्यनिष्पादन का प्रदर्शन करने में सक्षम रहे हैं तथा सभी स्तरों के वैसे पंचायत जो पारदर्शिता के व्यवहार में बेहतर कार्यनिष्पादन तथा नागरिकों के प्रति जिम्मेवार होने में सक्षम रहे हैं, को प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त होगा। राज्यों व पंचायतों के कार्यनिष्पादन को इस उद्देश्य के लिए विकसित अंतरण इंडेक्स' का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से आकलित किया जाएगा। पी.ई.ए.आई.एस. को भारत सरकार संचालित एक ऐसी निधियन

सहायता के रूप में अभिकल्पित किया गया है जिसमें विश्व बैंक व अन्य प्रदाता अतिरिक्त निधियों से अनुपूरण प्रदान कर सकते हैं। विश्व बैंक व प्रदाताओं का निधियन भारत सरकार के निधियन का समनुषंगी होगा। पी.ई.ए.आई.एस. को 2006-07 के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के तौर पर कुल 10 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पंचायती राज मंत्रालय के लिए अनुमोदित किया गया था। पी.ई.ए.आई.एस. के विद्यमान करीब 4000 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन को केंद्रीय बजटीय संसाधनों तथा विश्व बैंक से निधियों को प्राप्त कर बड़ा बनाए जाने का प्रस्ताव निर्माणाधीन है।

(ii) पंचायतों के सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण व क्षमता-निर्माण के लिए राज्य-विशिष्ट बजटीय व तकनीकी सहायता:

पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के सशक्तिकरण व सुदृढ़ीकरण को पूरे तौर पर कार्यान्वित करने के लिए राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को अपना समर्थन दे रहा है। कर्नाटक में पंचायत सुदृढ़ीकरण के लिए एक राज्य विशिष्ट परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। केरल, पश्चिम बंगाल तथा बिहार से प्राप्त प्रस्तावों को औपचारिक तौर पर विश्व बैंक अग्रसारित कर दिया गया है तथा इन राज्यों के लिए ऐसी राज्य विशिष्ट परियोजनाओं पर अब कार्य किया जा रहा है।

(iii) तकनीकी सहायता:

मंत्रालय ने पंचायती राज से संबंधित सांस्थानिक सुधारों व कार्रवाई अनुसंधान के लिए विश्व बैंक से तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सहित देश के पिछड़े जिलों मे पंचायतों के लिए निधियों की आवश्यकता संगत पंचायती राज विधान तथा संबंधित राज्य द्वारा किए गए गतिविधि मानचित्रण के तहत पंचायतों को प्रकार्यों के अंतरण के विस्तार पर निर्भर करेगी। निधियों का अंतरण यह भी अनिवार्य बनाएगा कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य बजट में ऐसे पंचायती राज संस्था घटक का समावेश करें जो वैधानिक अंतरण व गतिविधि मानचित्रण से मेल खाते पंचायतों को की गई निधियों के आवंटन को संकेतित करे। आंध्र प्रदेश ने अप्रैल 2006 में मुख्य मंत्री एवं केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के बीच हस्ताक्षरित परिसमापन संयुक्त वक्तव्य में यह प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि वह वित्तीय वर्ष 2006-07 में अपने बजट में पंचायत सेक्टर का सृजन करेगा। राज्य ने अभी तक यह कार्य नहीं किया है।

पी.ई.ए.आई.एस. स्कीम यह परिकल्पित करती है कि आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्य इसके तहत निधि प्राप्त करने के पात्र होंगे, यदि वे अंतरण इंडेक्स में उल्लिखित मानदंड के संदर्भ में प्रगति दर्शाते हैं।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों का निर्माण

584. श्री के.एस. राव:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** नए सी.जी.एच.एस. औषधालयों का निर्माण के बारे में 9 मई, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4607 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसाधनों के अभाव में वर्ष 2006-07 में कुछ सी.जी.एच.एस. औषधालयों के रोके गए निर्माण कार्य को फिर से आरंभ किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन औषधालयों के निर्माण हेतु औषधालयवार वर्ष 2007-08 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है तथा अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) इस परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है तथा किस तिथि से ये औषधालय काम करने लगेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुख्य शीर्ष-4210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य संबंधी पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 500.00 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। इस धनराशि में से इमारत के निर्माण हेतु औषधालयवार जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं-

(i)	शालीमार बाग	80 लाख रुपए
(ii)	योजना विहार, दिलशाद गार्डन, चौकीदारी एवं वार्ड आदि	128.75 लाख रुपए

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का अनुमान है कि सभी स्रोतों से अनुमोदन मिलने के बाद 18 महीने में निर्माण पूरा हो सकता है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों को प्रदान की गई निधियां

585. प्रो. एम. रामदास:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों को भी केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा वे गैर सरकारी संगठन कौन-कौन से हैं;

(ङ) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रगति की निगरानी सरकार द्वारा की जा रही है;

(च) यदि हां, तो इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों को धोखाधड़ी करते पाया गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज़ मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) इस मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत दो प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, नामतः (i) नियमित गतिविधियां और (ii) विशेष शिविर कार्यक्रम। नियमित गतिविधियों के अंतर्गत छात्रों से आशा की जाती है कि वे स्वयंसेवक के रूप में दो वर्षों तक कार्य करें और कम से कम प्रति वर्ष 120 घंटे की सामुदायिक सेवा प्रदान करें। विशेष शिविर कार्यक्रम के अंतर्गत किसी विशिष्ट कार्य के लिए अपनाए गए गांवों में प्रतिवर्ष 10 दिन की अवधि का एक शिविर आयोजित किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.एस.एस. की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत पुदुचेरी (पांडिचेरी) संघ शासित क्षेत्र को स्वीकृत की गई धनराशि नीचे दी गई है:-

वर्ष	नियमित गतिविधियां	विशेष शिविर
2004-2005	6,91,554.00	7,21,875.00
2005-2006	11,05,704.00	10,50,000.00
2006-2007	2.90,000.00	–

(ग) जी नहीं।

(घ) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)

586. श्री एल. राजगोपाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो एन.यू.एच.एम. के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या एन.यू.एच.एम. के अंतर्गत प्रायोगिक आधार पर किसी नगर/शहर की पहचान की गई; और

(घ) यदि हां, तो देश में, विशेषरूप से आंध्र प्रदेश मे पहचाने गए नगरों/शहरों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां।

(ख) शहरी गरीबों की विशेषकर उनकी जो 1 लाख और उससे अधिक आबादी वाले कस्बों/शहरों की झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायती राज को मजबूत बनाना

587. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए ग्राम प्रधान को और ज्यादा शक्तियां प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर गांवों के विकास हेतु ग्राम प्रधानों के लिए 'ग्राम प्रधान निधि' प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) देश में पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों का पूर्ण विवरण 23 नवम्बर, 2006 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत 2500 से अधिक पृष्ठों वाले तीन खंडों के प्रतिवेदन 'पंचायतों की स्थिति - एक मध्यावधि समीक्षा और मूल्यांकन' में देखा जा सकता है। ग्रामीण प्रबंधन संसाधन, आनंद (आई.आर.एम.ए.) को अब स्वतंत्र पुनरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है और अगले वर्ष के प्रथम तिमाही में उनके प्रतिवेदन के आने की आशा है।

पंचायती राज संस्थाओं को सिर्फ राज्य पंचायती राज अधिनियमों में, उन्हें अंतरित प्रकार्यों के वास्तविक अंतरण के साथ उन प्रकार्यों को सम्पन्न करने हेतु कोष व कर्मियों के सहव्रती अंतरण के माध्यम से ही सशक्त बनाया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का आधारभूत संवैधानिक लक्ष्य उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं की तरह कार्य करने के योग्य बनाना है। संविधान का अनुच्छेद 243 छ उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को अधिकार व उत्तरदायित्व के अंतरण के लिए इस प्रकार की शर्तें, जो उनमें उल्लिखित हों, के तहत निम्नलिखित के संबंध में व्यवस्था देता है-

(क) आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने;

(ख) ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित योजनाओं सहित उन्हें सौंपी जा सकने वाली आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में।

तथापि पंचायतों के प्रभावी अंतरण के लिए यह जरूरी है कि वे प्रजातांत्रिक रूप से कार्य करें। इस प्रकार, बल इस बात पर है कि पंचायतें एक पूर्ण संस्था की तरह कार्य करें, न कि सिर्फ अध्यक्ष को सशक्त बनाए जाने पर। इसलिए पंचायतों का सशक्तिकरण उनके प्रजातांत्रिक कार्य-प्रणाली के संस्थानीकरण के साथ जुड़ा होना चाहिए।

पंचायती राज के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सहमति का विकास करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई तथा दिसम्बर, 2004 के बीच केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के साथ राज्य पंचायती राज मंत्रियों का सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। गोलमेज सम्मेलनों ने सर्वसम्मति से पंचायती राज सुधारों में पंचायतों को प्रकार्य, वित्त व कार्यकर्ताओं के प्रभावी अंतरण को मुख्य प्राथमिकता के रूप में अभिचिन्हित किया। मैसूर में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यह तय किया गया कि सौंपी गयी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्यक्षों को निश्चित तौर पर परिषद के अध्यक्ष की तरह कार्य करना चाहिए। पंचायतों के विषय से संबंधित स्थायी समितियों को अवश्य क्रियाशील किया जाना चाहिए जिससे कि पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्य योजना की संकल्पना से लेकर अनुमोदन तक, निविदा की घोषणा से लेकर वेंडर के निर्धारण तक, तथा चल रहे कार्यों के पर्यवेक्षण से लेकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने को प्रमाणित करने तक के कार्यान्वयन के सभी स्वरूपों के प्रबंधन में भागीदार बनें। इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में ग्राम सभा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये

कदम सहभागितापूर्ण निर्णय लेने तथा पंचायत में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना भरने में सहायक होंगे।

संविधान, राज्य विधायिकाओं को पंचायतों को कर लगाने व संग्रहित करने तथा राज्य के समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसमें यह भी अधिदेशित है कि राज्य, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरीक्षण करने तथा राज्य और पंचायतों के बीच कर-प्राप्ति के वितरण पर सिफारिश देने हेतु राज्य वित्त आयोग की स्थापना करें। इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुवर्तन में, पंचायती राज मंत्रालय का यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि पंचायतों को उन्हें सौंपी गई गतिविधियों के अनुकूल मोटे तौर पर अबद्ध रीति से निधि का अंतरण हो। पंचायतों को निधि का अंतरण राज्य सरकारों के बजट में एक पृथक पंचायत सेक्टर विंडो उपलब्ध कराकर बिना किसी विलम्ब या विपथन के होना चाहिए। ऐसी निधि का उपयोग समग्र रूप से संबंधित पंचायत के सामूहिक तथा सहभागी निर्णयों के अनुसार होगा न कि सिर्फ पंचायतों के ग्राम प्रधानों द्वारा होगा।

पंचायती राज मंत्रालय, योजनाओं के कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर पंचायतों की निश्चित भूमिका के निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को लागू कराने वाले केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर लगातार नजदीकी से कार्य करता रहा है। मंत्रालय, पंचायतों के सभी तीन स्तरों द्वारा निर्मित योजना, जिला योजना का केंद्र बनें, इसे सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग के सहयोग से कार्यशालाएं व सम्मेलन आयोजित करता रहा है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम को पंचायतों द्वारा सभी स्तरों पर एवं शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तृणमूल स्तर पर तैयार किए गए भागीदारी योजना के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। तत्पश्चात् उसे जिले के प्रारूप विकास योजना में जिला योजना समिति द्वारा समेकित किया जाता है।

[हिन्दी]

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का स्थापित किया जाना

588. श्री रामपाल सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य मानक के अनुसार एक लाख की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को धनराशि जारी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2001 के जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चरणबद्ध रूप से स्थापित करने की परिकल्पना है। सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000 जनसंख्या और जनजातीय/पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 80,000 जनसंख्या होने के मानदण्ड का अनुसरण किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन/स्थापना करने के लिए निधियों की आवश्यकताओं को शामिल करने की अपेक्षा की जाती है।

(ग) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य योजना परिव्यय से सम्बद्ध निधियों का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कर लिया गया है। 10वीं योजना के दौरान परिव्यय के राज्य-वार आबंटन एवं व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

स्वास्थ्य - राज्य योजना परिव्यय एवं व्यय

(रुपए लाख में)

राज्य/संघक्षेत्र	10वीं योजना	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	परिव्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	133024.00	24309.00	22008.16	40995.00	35362.36	40995.44	31427.72	43269.24	33964.48	53574.24	53574.24
अरुणाचल प्रदेश	23129.00	2181.00	2181.01	2201.00	2099.23	2781.35	3185.00	1828.82	1478.36	1970.00	3850.00
असम	57069.00	8648.00	8194.35	7682.00	7882.00	6529.00	6529.00	5687.00	4203.54	21399.00	21399.00
बिहार	107920.00	13703.00	10731.11	13699.00	12343.11	14182.02	14389.78	12721.80	15426.00	13700.00	13822.00
छत्तीसगढ़	43418.00	6935.00	5550.00	8083.00	8083.00	15076.00	12462.52	14287.44	10035.86	33249.90	25165.89
गोवा	13135.00	1895.00	1888.48	3175.00	2568.54	3521.33	3149.21	4132.99	4579.65	4495.00	4495.00
गुजरात	116616.00	21387.00	15192.32	25221.00	21472.13	25294.00	25294.00	43494.00	43494.00	45994.00	45994.00
हरियाणा	96062.00	6280.00	2233.22	7800.00	5757.51	7124.00	5843.76	10200.00	10000.50	11450.00	11450.00
हिमाचल प्रदेश	78772.00	13414.00	12905.15	19517.00	18066.07	18295.79	19734.27	18476.60	19629.56	19948.92	19948.92
जम्मू-कश्मीर	79666.00	13000.00	12861.04	14864.00	13752.90	16330.87	17748.78	21061.70	21954.04	21864.25	21864.25
झारखण्ड	65000.00	11575.00	6498.00	9700.00	6339.98	14040.00	13371.59	15000.00	14020.07	26800.00	16225.00
कर्नाटक	153052.00	19247.00	17715.31	13974.00	19189.66	18011.51	15731.51	33239.29	26602.68	34098.61	48151.64

केरल	40840.00	7135.00	7916.65	9748.00	5170.31	10130.00	6813.87	10035.00	10196.62	9650.00	9650.00
मध्य प्रदेश	71533.00	14016.00	14520.93	18105.00	15444.43	20298.09	17763.95	20587.00	20747.97	16961.91	23193.47
महाराष्ट्र	110666.00	40740.00	21632.92	76435.00	33244.78	18663.93	31192.05	77874.10	35139.73	88228.54	88228.54
मणिपुर	8173.00	1415.00	304.23	2280.00	940.96	1915.91	789.52	499.00	558.20	2837.00	3215.00
मेघालय	18000.00	3020.00	3219.79	3550.00	3773.09	4042.00	4071.31	4484.00	4676.31	4750.00	4750.00
मिजोरम	12370.00	2860.00	2725.99	2975.00	4185.67	3000.00	2950.10	3480.00	3378.10	4000.00	4102.06
नागालैण्ड	7965.00	1548.00	1562.14	2383.00	2514.00	2207.15	2114.87	2263.00	1991.93	2363.00	2578.00
उड़ीसा	52139.00	12777.00	7283.09	21694.00	9256.11	11739.19	10281.41	14348.19	7659.27	4052.20	3002.20
पंजाब	53081.00	9298.00	6483.49	10450.00	5971.99	7508.93	2133.32	2743.13	1247.13	5019.10	5019.10
राजस्थान	56892.00	12778.00	4034.19	8236.00	5434.80	10811.56	9736.64	18605.59	15384.70	20615.60	21822.16
सिक्किम	8000.00	1600.00	1408.04	1606.00	1454.87	2210.00	2200.56	1840.00	1984.87	1690.00	1790.00
तमिलनाडु	70000.00	10440.00	14285.27	16314.00	15963.39	19400.66	17402.60	26874.17	39745.00	46564.75	38074.55
त्रिपुरा	25072.00	1480.00	1407.34	2013.00	2243.86	2535.36	3040.42	2662.21	4831.84	6459.60	8376.42
उत्तर प्रदेश	240543.00	27826.00	25950.00	33927.00	19745.93	33009.00	38352.82	85421.00	91526.63	188763.00	189570.00
उत्तरांचल	38767.00	4286.00	5768.50	7359.00	6302.53	8759.31	9978.76	8790.92	17710.21	18600.00	18600.00
पश्चिम बंगाल	103618.00	27898.00	14137.89	21193.00	18590.41	23739.80	15392.06	40207.80	25440.14	44289.63	38482.68
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	11400.00	2050.00	2119.64	2150.00	2312.26	2390.00	2382.96	3321.00	2832.22	3657.00	3657.00
चंडीगढ़	22426.00	3803.65	3944.93	3111.00	3546.75	3477.00	3355.33	3392.00	2983.27	3587.00	3587.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
दादर व नगर हवेली	1225.00	238.00	269.57	266.00	301.67	343.00	403.20	400.00	561.27	470.00	470.00
दमन एवं दीव	1750.00	194.15	217.68	228.00	282.85	290.00	301.03	350.00	462.84	414.00	424.50
दिल्ली	238150.00	33970.00	33043.43	42692.00	38942.11	53775.00	46989.16	60600.00	54336.37	69120.00	76160.30
लक्षद्वीप	901.30	275.20	232.33	227.10	264.90	225.00	166.73	242.00	236.70	178.00	178.00
पांडिचेरी	16360.00	3272.09	3000.21	3205.00	3259.04	4160.00	4196.59	5635.00	5685.74	9485.00	12681.40
कुल	2176734.30	370494.09	293426.40	457058.00	352063.20	426812.20	400876.40	618053.99	554684.80	840299.30	843552.12

स्रोत: राज्य योजना प्रभाग, योजना आयोग

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्ग का विस्तार

589. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जलमार्ग-3 का विस्तार संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने 'स्मार्ट वाटरवेज' के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है या सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) चंपाकारा कैनाल और उद्योगमंडल कैनाल के साथ-साथ पश्चिमी तट की कैनाल के कोट्टापुरम-कोल्लम खंड को वर्ष 1992 में एक राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-3) के रूप में घोषित किया गया था। पश्चिमी तट कैनाल के कोल्लम-कोवलम और कोट्टापुरम-कसारगोड खंडों का राष्ट्रीय जलमार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 के विस्तार) के रूप में उन्नयन करने का एक प्रस्ताव भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया था। तथापि, यह निर्णय लिया गया कि उत्तर में कोट्टापुरम और दक्षिण में कोल्लम से आगे रा.ज. 3 के विस्तार के प्रस्ताव पर मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 को पूरी तरह कार्य करने योग्य बना दिए जाने के बाद ही विचार किया जाना चाहिए।

केरल राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, अगस्त, 2005 में माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत किए गए एक ज्ञापन में माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा राज्य विधान सभा को दिए गए अपने भाषण में प्रस्तुत किए गए "दस मिशनों" का उल्लेख किया गया था। इन "मिशनों" में से एक था "स्मार्ट अंतर्देशीय जलमार्ग"। "स्मार्ट अंतर्देशीय जलमार्ग" के अंतर्गत शामिल कार्य-मदें विवरण के रूप में संलग्न है। इस मिशन के अंतर्गत अधिकांश कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जानी है। केन्द्र सरकार से जुड़ा कार्य-मद पश्चिमी तट कैनाल के कोल्लम-कोवलम और कोट्टापुरम-कसारगोड खंडों का राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में उन्नयन करने के बारे में है। जैसा कि पहले के पैरा में उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के विस्तार पर मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा पूरी तरह कार्य करना प्रारंभ कर दिए जाने के बाद विचार किया जा सकता है।

विवरण

"स्मार्ट अंतर्देशीय जलमार्ग" की महत्वपूर्ण कार्य मदें

- पश्चिमी तट कैनाल के कोल्लम-कोवलम और कोट्टापुरम-कसारगोड खंडों का राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में उन्नयन करना और तिरुवनन्तपुरम से कसारगोड़ तक स्मार्ट जलमार्ग नेटवर्क स्थापित करना।
- परिवहन, व्यापार और पर्यटन के लिए मौजूदा कैनालों और नदी प्रणालियों का पूरा उपयोग करना।
- केरल राज्य की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त आधुनिक नावें और बार्ज इत्यादि - अत्याधुनिक डिजाइन और निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करना - केरल राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् को इसका नेतृत्व करना होगा।
- नौचालनात्मक सहायता यंत्र, नियंत्रण, विनियम।
- जेट्टियां और लैंडिंग स्टेशन।
- सुरक्षा संबंधी बुनियादी सुविधाएं।
- पर्यावरण संरक्षा एवं जल निवर्तन - जलमार्गों के पर्यावरण संबंधी गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित किए जाने की पद्धति स्थापित करना।
- भूमि अधिग्रहण का फास्ट ट्रैक साधन अपनाना।
- विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त के एस.टी.पी. परियोजना के अंतर्देशीय जलमार्ग मद से संबंधित कार्य में तेजी लाना।
- क्रूज पर्यटन और तट पर सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पर्यटक विकास के साथ अपनी कार्य क्षमताओं का विकास करना।
- परंपरागत मछुआरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना ताकि उनके उचित हितों की सुरक्षा की जा सके।
- दो चरणों वाली एक कार्य प्रणाली का अनुसरण करना जिसमें पहले चरण में मौजूदा कैनाल को पूरी तरह कार्य करने योग्य बनाया जाए और

दूसरे चरण में मौजूदा जलमार्ग का उन्नयन किया जाए तथा राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय मानकों को हासिल करने के लिए कमियों को पूरा किया जाए।

- अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी समर्थन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से एन.ए.टी.पी.ए.सी., सी.डब्ल्यू.आर.डी.एम. और सी.ई.एस.एस. जैसे विशेषज्ञ संस्थानों का एक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करना।
- परियोजना अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए अधिकार प्रदत्त समिति पद्धति का अनुसरण करना।

बाघ संरक्षण

590. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाघ संरक्षण बल स्थापित करने के साथ-साथ बाघ संरक्षण के लिए 4 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह राशि किस प्रकार व्यय की जाएगी; और

(घ) बाघ अभयारण्य बाघों को संरक्षण प्रदान करने तथा उन्हें अवैध शिकारियों से बचाने में कितने सहायक सिद्ध हुए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी, हां। "बाघ परियोजना" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाघ सुरक्षा बल तैनात करने के लिए 17 बाघ रिजर्वों को 409-90 लाख रु. की अतिरिक्त निधियन सहायता प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) क्षेत्र सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए बाघ सुरक्षा बल गठित किया जा रहा है। उपरोक्त बल में सेवानिवृत्त सैनिकों और स्थानीय लोगों को शामिल किया जाएगा। सेवानिवृत्त सैनिकों की व्यावसायिक दक्षता और स्थानीय लोगों का भू-भाग से संबंधित ज्ञान सुरक्षा को सशक्त बनाने में क्षेत्र कर्मचारियों के प्रयासों को सहायता देगा। चार राज्यों से संबंधित हाल के अखिल भारत बाघ आकलन आंकड़ों से पता चलता है कि बाघ रिजर्वों में बाघों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

नकली औषधियों के निर्माताओं पर प्रतिबंध

591. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नकली औषधियों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नकली औषधियों के निर्माताओं पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, दो प्रायोगिक अध्ययनों में देश में मिलावटी औषधों की मात्रा का आकलन किया गया है - पहला उप औषध नियंत्रक, (डी.डी.सी. (भारत) के कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र द्वारा किया गया और दूसरा "भारत में नकली (मिलावटी) दवाओं की मात्रा" पर एस.ई.ए.आर. फार्म नामक स्वतंत्र फोरम द्वारा किया गया जो अभी भी चल रहा है।

उप औषध नियंत्रक (भारत)-पश्चिमी क्षेत्र द्वारा किए गए अध्ययन में पश्चिमी क्षेत्र में स्थित राज्यों से कथित रूप से मिलावटी ब्रांडों के नमूने लिए गए। इस अध्ययन में कुल 3246 नमूने लिए गए। जांचे गए नमूनों के परिणामों से 5 नमूनों के मिलावटी होने और 2 नमूनों के मानक के अनुरूप नहीं होने (मिलावटी औषध मानक का अनुपालन करते हैं) का पता चला है।

एस.ई.ए.आर. फार्मा द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 15 राज्यों से 56 ब्रांडों के 10743 नमूने एकत्र किए गए हैं। आशंकित मिलावट की मात्रा 3.1% है। घटिया औषधों का प्रतिशत 0.3% है।

बाजार में बेची जाने वाली औषधों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त औषध निरीक्षक भी विभिन्न स्थानों से औषधों का नियमित रूप से नमूना लेते हैं। राज्य औषध नियंत्रण संगठनों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2003-04, वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06

के दौरान क्रमशः 0.288%, 0.292% और 0.267% नमूने नकली सूचित किए गए।

(ग) और (घ) औषधों के सभी विनिर्माण और बिक्री औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अंतर्गत नियंत्रित की जाती हैं। नकली औषधों का विनिर्माण गुप्त रूप से किया जाने वाला कार्य है जिसमें सामान्य रूप से बिना लाइसेंस वाले निर्माता संलिप्त होते हैं और जब उनका पता चलता है तब कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

सख्त जुर्माने का उपबंध करने, औषध संबंधी अपराधों का तेजी से विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करने, अपराध को कंपाउंड करने, औषध संबंधी अपराधों के लिए अभियोजन दायर करने हेतु पुलिस को भी प्राधिकृत करने तथा ऐसे सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बनाने के लिए संसद में एक विधेयक पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है।

[अनुवाद]

अनुबन्ध के आधार पर कार्मिकों की भर्ती

592. डा. एम. जगन्नाथ: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई विभागों/एजेंसियों और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने विभिन्न पदों/संवर्गों पर अनुबंध के आधार पर कार्मिकों की भर्ती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्तियों के संबंध में आरक्षण की नीति लागू नहीं होती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सरकारी विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुबन्ध के आधार पर की गई नियुक्तियों में अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को आरक्षण देने हेतु एक विधान लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) इस सूचना का रख-रखाव केन्द्रीयकृत रूप से नहीं किया जाता है।

(ग) से (च) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण, सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां करते समय दिया जाता है। यदि किसी ग्रेड में की गई नियुक्तियों में सीधी भर्ती के सभी कारक मौजूद हैं तो आरक्षण-नीति अनुबंध आधार पर की गई नियुक्ति पर भी लागू होगी।

खाड़ी देशों में भारतीय कामगार

593. श्री निखिल कुमार:
श्री सुभाष महरिया:
प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगार अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं जैसा कि दिनांक 5 नवम्बर, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' मे समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में श्रम कानूनों के बारे में कतर और अन्य खाड़ी देशों के साथ किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी नहीं।

तथापि, संयुक्त अरब अमीरात में दो घटनाएं हुई थीं जिनमें पॉलिंग मिडिल ईस्ट कम्पनी के लगभग 4,300 श्रमिकों ने 28-10-2007 को और संयुक्त अरब अमीरात में अरबटैक कंस्ट्रक्शन कम्पनी के लगभग 35,000 श्रमिकों ने 1-11-2007 से वेतन आदि में वृद्धि की मांग करते हुए हड़ताल कर दी थी। संयुक्त अरब अमीरात में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तथापि, भारतीय मिशन के हस्तक्षेप से समस्या का समाधान कर दिया गया है। मैसर्स पोलिंग मिडिल ईस्ट कम्पनी के मामले में, पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गये

श्रमिकों में से कई देशों के 159 लोगों को छोड़कर, जिन्हें हिंसा करने के आरोप में हिरासत में लिया गया, को छोड़कर, बाकी को रिहा कर दिया गया था। हिरासत में लिये गये 159 लोगो में 90 भारतीय थे, उन सभी को भारत वापस भेज दिया गया है। अरबटैक कम्पनी के संबंध में भारतीय मिशन और स्थानीय सरकार के हस्तक्षेप के बाद सभी श्रमिक काम पर लौट आए हैं सिवाय 500 श्रमिकों के, जो विभिन्न देशों के हैं और जिन्हें विभिन्न कारणों से हिरासत में रखा गया था।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 2006 में सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ और अप्रैल, 2007 में कुवैत के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं। कतर के साथ 1985 के करार को अद्यतन बनाने के लिए एक अतिरिक्त नयाचार 20 नवम्बर, 2007 को किया गया है। मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर अधोहस्ताक्षर किये जा चुके हैं। सऊदी अरब, बहरीन और यमन के साथ समझौता ज्ञापन करने के प्रयास किये जा रहे हैं। ओमान के साथ वार्ताएं पूरी कर ली गयी हैं।

[हिन्दी]

भारतीय नदियों पर वैश्विक अध्ययन

594. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व वन्यजीव कोष ने भारतीय नदियों के संबंध मे एक वैश्विक अध्ययन किया है और इन नदियों के सूखने की प्रक्रिया पर चिंता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके फलस्वरूप सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) 'वर्ल्डज टॉप 10 रिवर्स ऐट रिस्क' नामक रिपोर्ट में विश्व वन्यजीव कोष, जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ने गंगा नदी को विश्व की उन 10 नदियों की सूची में रखा है जो खतरे का सामना कर रही हैं। केन्द्र सरकार को इस एन.जी.ओ. द्वारा रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपनाई गई डाटा-बेस और कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं है। रिपोर्ट में गंगा नदी की जैव-विविधता और कृषि कार्यों हेतु अत्यधिक पानी निकालना और जल का अत्यधिक अन्यत्र उपयोग, जिससे नदी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित हो रहा है, को गंगा नदी के लिए प्रमुख खतरे के रूप में दर्शाया है। रिपोर्ट में अन्य भारतीय नदियों के सूखने के खतरे पर विचार नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) गंगा नदी के बहावों की जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विभिन्न स्थानों पर नियमित आधार पर मानीटरी की जाती है। इसके टर्मिनल बिंदु पर मुख्य सीजन के दौरान भी गंगा नदी में उपलब्ध जल की कोई स्पष्ट कमी नहीं देखी गई। सी.डब्ल्यू.सी. ने देश में जल संसाधनों के विकास के लिए एक योजना तैयार की है जिसमें देश में जल के उपयुक्त उपयोग के लिए सरप्लस बेसिन के जल को जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना की है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की के अंतर्गत गंगा नदी सहित विभिन्न मुख्य नदियों के प्रदूषण निवारण के लिए सीवेज के शोधन के लिए इसका अवरोधन और दिशापरिवर्तन और सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण तथा अल्प लागत शौचालय के माध्यम से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 भी संबंधित नदी प्राधिकरणों द्वारा नदी बेसिनों के प्रबंधन के एकीकृत दृष्टिकोण, पर्यावरण बहाव का रखरखाव, सभी सीजनों के दौरान पूरे मार्ग में जल गुणता मानकों का पालन और भू संसाधनों की सुरक्षा की पैरवी करती है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा

595. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की विषय-वस्तु की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रोगियों को उपचार की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों में और अधिक मनोचिकित्सकों को नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश में वर्तमान में रोगी-मनोचिकित्सकों का अनुपात कितना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। सरकार का 11वीं पंचवर्षीय योजना में आत्महत्या की रोकथाम, तनाव प्रबंधन, विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य आदि को कवर करने और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी प्रदानगी हेतु गुणवत्तापरक जनशक्ति/कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचा सृजित करने के वास्ते राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को पुनःसुनियोजित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) मई, 2002 में किए गए मानसिक स्वास्थ्य संसाधन सर्वेक्षण के दौरान मूल्यांकन के अनुसार मनोचिकित्सकों का अनुपात 4,50,000 लोगों पर 1 मनोचिकित्सक का है। सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में मनोचिकित्सकों और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी का समाधान पुनःसुनियोजित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर निम्हांस की प्रणाली पर और शिक्षण संस्थानों की योजना बनाई जा रही है ताकि पर्याप्त संख्या में मनोचिकित्सक उपलब्ध हो सकें।

[अनुवाद]

डाक्टरों द्वारा लापरवाही

598. श्री रघुनाथ झा:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के कई मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी डॉक्टरों के विरुद्ध लापरवाही बरतने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) जहां तक केन्द्रीय सरकार के तीन अस्पतालों अर्थात सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का संबंध है, आपरेशन के समय डाक्टरों की लापरवाही के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी निवारक उपाय किए जाते हैं कि आपरेशन थियेटर में सभी डाक्टर/तकनीशियन किसी भी लापरवाही से बचने के लिए सेचत रहें।

स्वास्थ्य परिचर्या और औषधियों के बारे में भारत-अफगानिस्तान करार

597. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अफगानिस्तान ने स्वास्थ्य परिचर्या और औषधियों के क्षेत्र में कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त परियोजना पर अभी तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) भारत गणराज्य और अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य ने 28 अगस्त, 2005 को स्वास्थ्य परिचर्या और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के अन्तर्गत, सहयोग के क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ परिवार कल्याण, जन स्वास्थ्य एवं पोषण, संचारी रोग, चिकित्सा अनुसंधान, औषधियों की देशीय प्रणालियां, चिकित्सा उपकरण एवं फार्मास्यूटिकल उत्पाद, अस्पताल प्रबंधन और नर्सिंग एवं धात्री कार्य शामिल हैं। इस करार में की गई व्यवस्था के अनुसार, सहयोग के ब्यौरे सविस्तार प्रतिपादित करने और इसके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए भारत की तरफ से एक कार्यसमूह का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा उत्पादन एककों को बंद करना

598. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के कुछ एककों को बंद कर दिया है और देश में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन एककों/संयंत्रों के क्या नाम हैं तथा इन्हें बंद करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन एकको/संयंत्रों द्वारा अपना कार्य कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन 16 परमाणु विद्युत रिएक्टर (4020 मेगावाट) परिचालनरत हैं, इनमें से 3 रिएक्टर (640 मेगावाट) इस समय बंद किए हुए हैं।

(ख) नरोरा परमाणु बिजलीघर - यूनिट 1 (एन.ए.पी.एस.-1) (220 मेगावाट) को शीतलक चैनल एक साथ बदलने के लिए बद किया हुआ है, राजस्थान परमाणु बिजलीघर - यूनिट-2 (आर.ए.पी.एस.-2) (200 मेगावाट) को फीडर बदलने के लिए बंद किया हुआ है, और कैगा जेनेरेटिंग स्टेशन - यूनिट 3 (के.जी.एस.-3) (220 मेगावाट) को जनित्र के अनुरक्षण कार्यों के लिए बंद किया हुआ है।

(ग) परिचालन शुरू किए जाने का प्रत्याशित समय निम्नलिखित है:

नरोरा परमाणु बिजली घर-1	दिसंबर, 2007
राजस्थान परमाणु बिजली घर-2	जून, 2008
कैगा जेनेरेटिंग स्टेशन-3	जनवरी, 2008

[अनुवाद]

प्रदूषण फैलाने वाले शहर

599. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी शहर देश का सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर बन गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) शहरों में वायु प्रदूषण के संकेतकों में से एक संकेतक परवेशी वायु में अंत:श्वसनीय विविक्त कण पदार्थ (आर.एस.पी.एम.) के स्तर, हैं। इसके बावजूद गुवाहाटी में मानीटर किए गए परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़ा दर्शाते हैं कि यह देश में अत्यधिक प्रदूषित शहर नहीं है, असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण उपशमन के लिए विभिन्न कदम उठाएं हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अनेक स्थानों पर वायु और जल गुणवत्ता की नियमित मानीटरी, उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण डिवाईसेज की संस्थापना, वाहनों आदि से प्रदूषण भार को कम करने के लिए वाहनों के निशुल्क प्रदूषण जांच हेतु शिविर आयोजित करना शामिल है।

[हिन्दी]

पिछड़े गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

600. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

श्री रामदास आठवले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के सभी गांवों में, विशेषकर पिछड़े गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक राज्यवार कितने गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने हेतु राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) आगामी वित्त वर्ष के दौरान कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2001 के जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना है। सामान्य क्षेत्रों में 30,000 जनसंख्या और जनजातीय/पर्वतीय/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या के मानदण्ड का अनुसरण किया जाता है।

(ख) वर्ष 2001 के जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार देश में मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार 26022 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की तुलना में 22669 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिससे इस समय 4803 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। सकी कमी की राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य राज्य योजना परिव्यय से सम्बद्ध निधियों का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कर दिया गया है। स्वास्थ्य परिव्यय के राज्य-वार आबंटन एवं व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भारत में वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी
(मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जनसंख्या	शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		
				अपेक्षित	कार्यरत	कमी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	55401067	4646923	1924	1570	354
2.	अरुणाचल प्रदेश	870087	606278	39	85	*
3.	असम	23216288	3154546	826	610	216
4.	बिहार	74316709	717702	2489	1641	848
5.	छत्तीसगढ़	16648056	6264835	659	518	141
6.	गोवा	677091	190	22	19	3
7.	गुजरात	31740767	6866637	1172	1072	100
6.	हरियाणा	15029260	0	500	408	92
9.	हिमाचल प्रदेश	5482319	237060	186	439	*
10.	जम्मू-कश्मीर	7627062	1054488	271	374	*
11.	झारखण्ड	20952088	6500014	806	330	476
12.	कर्नाटक	34889033	2934530	1211	1679	*
13.	केरल	23574449	350019	791	909	*

1	2	3	4	5	6	7
14.	मध्य प्रदेश	44380878	11446448	1670	1192	478
15.	महाराष्ट्र	55777647	7486537	1984	1800	184
16.	मणिपुर	1590820	705912	64	72	*
17.	मेघालय	1864711	1682670	90	101	*
18.	मिजोरम	447567	430883	22	57	*
19.	नागालैण्ड	1647249	1544022	80	84	*
20.	उड़ीसा	31287422	7698358	1171	1279	*
21.	पंजाब	16096488	0	536	484	52
22.	राजस्थान	43292813	6717810	1555	1713	*
23.	सिक्किम	480981	101909	17	24	*
24.	तमिलनाडु	34921681	551143	1173	1252	*
25.	त्रिपुरा	2653453	967997	104	73	31
26.	उत्तरांचल	6310275	240209	214	222	*
27.	उत्तर प्रदेश	131658339	95828	4390	3660	730
28.	पश्चिम बंगाल	57748946	4136366	1993	922	1071
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	239954	28456	8	20	*
30.	चंडीगढ़	92120	0	3	0	3
31.	दादर व नगर हवेली	170027	127410	7	6	1
32.	दमन एवं दीव	100856	1188	3	3	0
33.	दिल्ली	944727	0	31	8	23
34.	लक्षद्वीप	33683	32209	1	4	*
35.	पांडिचेरी	325726	0	10	39	*
	भारत	742490639	77338597	26022	22669	4803

नोट: आवश्यकता की गणना अंतिम योग और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निर्धारित मानदंड अपनाने वाली जनजातीय जनसंख्या के आधार पर की गई है। अखिल भारतीय कमी राज्य-वार कमी के आंकड़ों को जोड़ने के द्वारा निकाली गई है जिसमें कुछ राज्यों में अतिशेष को नजरअंदाज किया गया है।

विवरण

स्वास्थ्य - राज्य योजना परिव्यय एवं व्यय

(रुपए लाख में)

राज्य/संघक्षेत्र	10वीं योजना	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	परिव्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	133024.00	24309.00	22008.16	40995.00	35362.36	40995.44	31427.72	43269.24	33964.48	53574.24	53574.24
अरुणाचल प्रदेश	23129.06	2181.00	2181.01	2201.00	2099.23	2781.35	3185.00	1828.82	1478.36	1970.00	3850.00
असम	57069.00	8648.00	8194.35	7682.00	7882.00	6529.00	6529.00	5687.00	4203.54	21399.00	21399.00
बिहार	17920.00	13703.00	10731.11	13699.00	12343.11	14182.02	14389.78	12721.80	15426.00	13700.00	13822.00
छत्तीसगढ़	43418.00	6935.00	5550.00	8083.00	8083.00	15076.00	12462.52	14287.44	10035.86	33249.90	25165.69
गोवा	13135.00	1895.00	1888.48	3175.00	2568.54	3521.33	3149.21	4132.99	4579.65	4495.00	4495.00
गुजरात	116616.00	21387.00	1519232	25221.00	21412.13	25294.00	25294.00	43494.00	43494.00	45994.00	45994.00
हरियाणा	96062.00	6280.00	2233.22	7800.00	5757.51	7124.00	5843.76	10200.00	10000.50	11450.00	11450.00
हिमाचल प्रदेश	78772.00	13414.00	12905.15	19517.00	18066.07	18295.79	19734.27	18476.60	19629.56	19948.92	19948.92
जम्मू-कश्मीर	79666.00	13000.00	12861.04	14864.00	13752.90	16330.87	17748.78	21061.70	21954.04	21864.25	21864.25
झारखण्ड	65000.00	11575.00	6498.00	9700.00	6339.98	14040.00	13371.59	15000.00	14020.07	26800.00	16225.00
कर्नाटक	153052.00	19247.00	17715.31	13974.00	19189.66	18011.51	15731.51	33239.29	26602.68	34098.61	48161.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केरल	40840.00	7135.00	7916.65	9748.00	5170.31	10130.00	6813.87	10035.00	10196.62	9650.00	9650.00
मध्य प्रदेश	71533.00	14016.00	14520.93	18105.00	15444.43	20298.09	17763.95	20587.00	20747.97	16961.91	23193.47
महाराष्ट्र	110666.00	40740.00	21632.92	76435.00	33244.78	18663.93	31192.05	77874.10	35139.73	88228.54	88228.54
मणिपुर	8173.00	1415.00	304.23	2280.00	940.96	1915.91	789.52	499.00	558.20	2837.00	3215.00
मेघालय	18000.00	3020.00	3219.79	3550.00	3773.09	4042.00	4071.31	4484.00	4676.31	4750.00	4750.00
मिजोरम	12370.00	2860.00	2725.99	2975.00	4185.67	3000.00	2950.10	3480.00	3378.10	4000.00	4102.06
नागालैण्ड	7965.00	1548.00	1562.14	2383.00	2514.00	2207.15	2114.87	2263.00	1991.93	2363.00	2578.00
उड़ीसा	52139.00	12777.00	7283.09	21694.00	9256.11	11739.19	10281.41	14348.19	7659.27	4052.20	3002.20
पंजाब	53081.00	9298.00	6483.49	10450.00	5971.99	7508.93	2133.32	2743.13	1247.13	5019.10	5019.10
राजस्थान	56892.00	12778.00	4034.19	8236.00	5434.80	10811.56	9736.64	18605.59	15384.70	20615.60	21822.16
सिक्किम	8000.00	1600.00	1408.04	1606.00	1454.87	2210.00	2200.56	1840.00	1984.87	1690.00	1790.00
तमिलनाडु	70000.00	10440.00	14285.27	16314.00	15963.39	19400.66	17402.60	26874.11	39745.00	46564.75	38074.55
त्रिपुरा	25072.00	1480.00	1407.34	2013.00	2243.86	2535.36	3040.42	2662.21	4831.84	6459.60	8376.42
उत्तर प्रदेश	240543.00	27826.00	25950.00	33927.00	19745.93	33009.00	38352.82	85421.00	91526.63	188763.00	189570.00
उत्तरांचल	38767.00	4286.00	5768.50	7359.00	6302.53	8759.31	9978.76	8790.92	17710.21	18600.00	18600.00
पश्चिम बंगाल	103618.00	27898.00	14137.89	21193.00	18590.41	23739.80	15392.06	40207.80	25440.14	44289.68	38482.68
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	11400.00	2050.00	2119.64	2150.00	2312.26	2390.00	2382.96	3321.00	2832.22	3657.00	3657.00

चंडीगढ़	22426.00	3803.65	3944.93	3111.00	3546.75	3477.00	3355.33	3392.00	2983.27	3587.00	3587.00
दादर व नगर हवेली	1225.00	238.00	269.57	266.00	301.67	343.00	403.20	400.00	561.27	470.00	470.00
दमन एवं दीव	1750.00	194.15	217.68	228.00	282.85	290.00	301.03	350.00	462.84	414.00	424.50
दिल्ली	238150.00	33970.00	33043.43	42692.00	38942.11	53775.00	46989.16	60600.00	54336.37	69120.00	76160.30
लक्षद्वीप	901.30	275.20	232.33	227.00	264.90	225.00	166.73	242.00	236.70	178.00	178.00
पांडिचेरी	16360.00	3272.09	3000.21	3205.00	3259.04	4160.00	4196.59	5635.00	5665.74	9485.00	12681.40
कुल	2176734.30	370494.09	293426.40	457058.00	352063.20	426812.20	400876.40	618053.99	554684.80	840299.30	843552.12

स्रोत: राज्य योजना प्रभाग, योजना आयोग

[अनुवाद]

आर्थराइटिस और ओस्टिओपोरोसिस के बढ़ते मामले

601. श्री उदय सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आर्थराइटिस और ओस्टिओपोरोसिस रोगों के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे रोगों से प्रभावित लोगों की सही संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे मरीजों को सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में विशेष उपचार मुहैया कराने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार समयानुरूप प्रवृत्ति के देश में ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह पता चले कि संधिशोथ और अस्थि-सुषिरता (ओस्टियोपोरोसिस) के मामले बढ़ रहे हैं। तथापि, जीवनावधि बढ़ने से संधिशोध और अस्थि-सुषिरता समेत पेशीकंकाली विकारो के मामले में बढ़ोतरी की आशा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अस्थि-संधिशोथ, रियूमेटोयड अस्थिशोथ और मेरूदण्डीय विकारों पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय में वयस्कों में चुनिन्दा पेशीकंकाली विकारों की व्यापकता और प्रभाव-मूल्यांकन के अध्ययन के लिए हाल ही में एक बहुकेन्द्रिक कार्यबल परियोजना शुरू की है।

(ङ) और (च) सफदरजंग अस्पताल और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पर्याप्त आधारभूत ढांचे समेत संधिशोथ एवं अस्थि सुषिरता विकार के रोगियों का उपचार करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

बाघों की संख्या में गिरावट

602. श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री महावीर भगोरा:
श्री के.एस. राव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक देश में बाघों की संख्या का राज्यवार, परियोजनावार और वर्ष वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): बाघों का अखिल भारतीय आकलन प्रत्येक चार वर्षों में एक बार किया जाता है। राज्यों से यथा प्राप्त पिछले ऐसे आकलनों से संबंधित आंकड़े विवरण-I और II में दिए गए हैं। बाघ टास्क फोर्स द्वारा यथा अनुमोदित संशोधित पद्धति का प्रयोग करके अखिल भारतीय बाघ आकलन चल रहा है।

विवरण-I

राज्य द्वारा यथा सूचित रिजर्वों में बाघों की संख्या

क्र. सं.	राज्यों के नाम	2001-02**
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	192
2.	अरुणाचल प्रदेश	61***
3.	असम	354
4.	बिहार	76
5.	छत्तीसगढ़	227
6.	दिल्ली	शून्य
7.	गोवा	5
8.	गुजरात	शून्य
9.	हरियाणा	शून्य
10.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
11.	जम्मू-कश्मीर	शून्य
12.	झारखण्ड	34
13.	कर्नाटक	401

1	2	3
14.	केरल	71
15.	मध्य प्रदेश	710
16.	महाराष्ट्र	238
17.	मणिपुर	शून्य
18.	मेघालय	47
19.	मिजोरम	28
20.	नागालैण्ड	23^
21.	उड़ीसा	173
22.	पंजाब	शून्य
23.	राजस्थान	58
24.	सिक्किम	शून्य
25.	तमिलनाडु	60
26.	त्रिपुरा	शून्य
27.	उत्तरांचल	251
28.	उत्तर प्रदेश	284
29.	पश्चिम बंगाल	349
	कुल	3642

एन.आर.-राज्य द्वारा सूचित नहीं किया गया है।

* बाघ आकलन नहीं किया गया है।

** संकलन/जांच की जा रही है।

*** केवल नामदफा बाघ रिजर्व के लिए

**** अविभाजित राज्यों में शामिल आंकड़े है।

^ पूरे राज्य को शामिल नहीं किया गया।

विवरण-II

राज्य द्वारा यथा सूचित रिजर्वों में बाघों की संख्या

क्र.सं.	रिजर्व का नाम	2001-02
1.	बांदीपुर (कर्नाटक)	82
2.	बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश)	56
3.	भद्रा (कर्नाटक)	35
4.	बोरी-सतपुरा-पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश)	35
5.	बक्सा (पश्चिम बंगाल)	31
6.	कार्बोट (उत्तर प्रदेश)	137
7.	दम्फा (मिजोरम)	4
8.	दुधवा (उत्तर प्रदेश)	76*
9.	इन्द्रावती (मध्य प्रदेश)	29
10.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	127

क्र.सं.	रिजर्व का नाम	2001-02
11.	कालाकड (तमिलनाडु)	27
12.	मानस (असम)	65*
13.	मेलघाट (महाराष्ट्र)	73
14.	नागार्जुनसागर (आंध्र प्रदेश)	67
15.	नामदफा (अरुणाचल प्रदेश)	61
16.	नामेरी (असम)	26
17.	पाकुई (अरुणाचल प्रदेश)	–
18.	पालमू (बिहार)	32
19.	पाना (मध्य प्रदेश)	31
20.	पेरियार (केरल)	36
21.	पेंच (मध्य प्रदेश)	40
22.	पैच (महाराष्ट्र)	14
23.	रणथम्भौर (राजस्थान)	35
24.	सरिस्का (राजस्थान)	22
25.	सिमलीपाल (उड़ीसा)	99
26.	सुन्दरवन (पश्चिम बंगाल)	245
27.	ताडोबा (महाराष्ट्र)	38
28.	वाल्मिकी (बिहार)	53
	कुल	1576

*जांच की जा रही/संकलन किया जा रहा है।

एन.आर.-राज्य द्वारा सूचित नहीं किया गया है।

बाघों की सुरक्षा हेतु उपाय

603. **श्री सुरेश अंगडि:**

श्री जसुभाई धानाभाई बारड:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में दो बाघ मृत पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच करवायी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी, हां। एक बाघिन और एक बाघ की क्रमशः 31-10-2007 और 1-11-2007 को हुई मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। राज्य के अधिकारियों ने उनकी मृत्यु के कारण की जांच करने की कार्रवाई की है।

(घ) बाघों सहित वन्य पशुओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए अनुसार हैं:-

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ रिजर्व में अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कडे कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/ होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दस्तों की तैनाती।

3. बाघ रिजर्व प्रबंधन में सामान्य मानकों के सुनिश्चित करना, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों के गठन और बाघ संरक्षण फाउन्डेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिये 4-9-2006 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन।

4. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए 6-6-2007 से एक बहुउद्देशीय बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है जिसमें पुलिस, वन, कस्टम और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं।

5. आठ नए बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए, सिद्धांत रूप में, अनुमोदन दे दिया गया है।

वित्तीय उपाय

6. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों की क्षमता और अवसंरचना बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

8. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

9. साइटस (सी.आई.टी.ई.एस.) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान में भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघो के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणों में समाप्त किया जाए और एशियाई बड़ी बिल्लियों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

[हिन्दी]

दूषित पोलियो टीके

604. श्री अजीत जोगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले टीकों में कीड़ों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है;

(ख) किन-किन राज्यों में इस प्रकार के टीके वितरित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां। फरवरी, 2005 के दौरान कतिपय पृथक मामले अर्थात बैच सं. के-042 जो कि मैसर्स भारत इम्यूनोलोजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) द्वारा निर्मित किया गया।

(ख) मार्च, 2005 के दौरान यह वैक्सीन पंजाब को वितरित की गई। राज्य ने अप्रैल, 2006 को वैक्सीन की शीशी में कीड़े जैसी वस्तु होने के बारे में सूचित किया।

(ग) परेषिती को बैच सं. के-042 के ओरल पोलियो वैक्सीन के प्रयोग को तत्काल बन्द करने के लिए कहा गया।

- नमूना केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कसौली को भेजा गया और इसकी गुणवत्ता घटिया होने की सूचना दी गई क्योंकि सूक्ष्मदर्शकीय और स्पष्ट रूप से भौतिक जांच करने पर एक कीड़ा देखा गया।

- निर्माण लाइसेंस को मंजूर और नवीकरण करने के समय केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कसौली से एक विशेषज्ञ सहित राज्य और केन्द्रीय औषध नियंत्रण अधिकारी से बने दल ने इसका गहराई से निरीक्षण किया और उनकी टिप्पणियों तथा सिफारिशों के आधार पर राज्य लाइसेंस प्राधिकरण केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् लाइसेंस मंजूर/उसका नवीकरण करता है।

[अनुवाद]

शिलांग में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र की स्थापना

605. श्री नरहरि महतो: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस केन्द्र में कितने बिस्तरों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है तथा वर्तमान में कितने बिस्तर मुहैया कराए गए हैं;

(घ) इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उपकरणों की खरीद कर ली गई है; और

(च) कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं। पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के निर्माण संबंधी परियोजना तैयार किए जाने की अवस्था में है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

कैंसर के मामलों में वृद्धि

606. डा. के.एस. मनोज: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तटीय स्वास्थ्य परियोजना (कोस्टल हेल्थ प्रोजेक्ट) को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) केरल राज्य सरकार की तटीय स्वास्थ्य परियोजना

के अंतर्गत कैंसर के उपचार के लिए वित्तीय सहायता मांगने संबंधी कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

भन्डारिया में बिन्दा कोलियरी

607. श्री घुरन राम: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के गढ़वा जिले के भन्डारिया में नई बिन्दा कोलियरी खोलने हेतु सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वासरि नारायण राव): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) द्वारा किए गए क्षेत्रीय अन्वेषण से कोयले की केवल पतली सीमों के होने का पता चला है और फिलहाल बिन्दा कोलियरी खोलने की कोई योजना नहीं है।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति

608. श्री महावीर भगोरा:

श्री श्रीचन्द कृपलानी:

क्या पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन का कार्य विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार महुआ कस्बा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के कोटा-बारा डिविजन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के भरतपुर शहरी क्षेत्र का रख-रखाव करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है तथा पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात की मात्रा और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में ये कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं (जिनमें से प्रत्येक की लागत 5 करोड़ रु. अथवा अधिक है) के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत राजस्थान में उन्नयन के लिए प्रस्तावित राजमार्गों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के कोटा-बारान खंड को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है और यह कार्य इस खंड को चार लेन का बना रहे सिविल कार्य ठेकेदार के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के आगरा-जयपुर खंड पर महुआ कस्बे और भरतपुर शहरी क्षेत्रों को भी संविदात्मक दायित्वों के भाग के तौर पर इन खंडों में चार लेन बनाने के कार्य के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण रियायतग्राहियों द्वारा यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

विवरण-I

राजस्थान में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और अन्य परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	रा.रा.सं.	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	स्थिति
पूर्व पश्चिम महामार्ग पर					
1.	76	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (राजस्थान-11) किमी 579 से किमी 509	70	349.59	कार्यान्वयन के अधीन
2.	76	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (राजस्थान-10) किमी 509 से किमी 449.15	59.85	430.21	-वही-
3.	76	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (राजस्थान-9) किमी 449.15 से किमी 406	43.15	359.43	-वही-
4.	76	कोटा बाइपास (राजस्थान-4) किमी 406 से किमी 381	25	250.39	-वही-
5.	76	चंबल पुल (राजस्थान-5)	1.4	281.31	-वही-
6.	76	कोटा से चित्तोडगढ़ (राजस्थान-8) किमी 381 सै किमी 316	65	528.44	-वही-
7.	76	कोटा से चित्तौड़गढ़ (राजस्थान-7) किमी 316 से किमी 253	63	503.66	-वही-
8.	76	चित्तौड़गढ़ बाइपास किमी (राजस्थान-6) 253 से किमी 213	40	447.90	-वही-
9.	76	गोगुण्डा से उदयपुर (राजस्थान-3) किमी 104.74 से किमी 73	31	288.06	-वही-
10.	76	बेकरिया से गोगुण्डा (राजस्थान-2) किमी 74 से किमी 30	44	530.90	-वही-
11.	76 और 14	स्वरूपगंग से बेकरिया (राजस्थान-I) किमी 29 किमी 0 (रारा 76) और किमी 264 से किमी 249.7 (रारा 14)	43	243.11	-वही-
12.	14	पालनपुर से स्वरूपगंग (राजस्थान 42 किमी और गुजरात 34 किमी) किमी 264 से किमी 340	42	498.00	-वही-

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से भिन्न परियोजनाएं					
13.	79, 76	चित्तौड़गढ़ बाइपास किमी 159 से किमी 213	30	133.03	-वही-
उत्तर दक्षिण पर (राजस्थान में 9 किमी)					
14.	3	चंबलपुल सहित धौरपुर-मुरैना खंड मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा किमी 51 से किमी 61 (एन.एस.-1/राजस्थान-मध्य प्रदेश/I)	9	232.45	-वही-
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III					
15.	11	आगरा-उत्तर प्रदेश सीमा - भरतपुर (17.756 से 63/0) (राजस्थान में 20.25 किमी पड़ता है)	20.25	195.00	-वही-
16.	11	भरतपुर-महुवा किमी 63 से किमी 120	57	250.00	-वही-
17.	11	महुवा-जयपुर किमी 120 से किमी 228	108	483.00	-वही-

चालू राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्यों की सूची जिनमें प्रत्येक की लागत 5 करोड़ रु. से अधिक है

क्र. सं.	रा.रा. सं.	कार्य का नाम	लंबाई (किमी.)	स्वीकृत धनराशि (लाख रु.)	स्थिति
1.	11-ए	रा.रा. 11ए के किमी 32/0 से 42/0 तक मिसिंग लिंक का निर्माण (दौसा मनोहरपुर खंड)	10.00	1468.97	प्रगति पर
2.	11-ए विस्तार	रा.रा.-11ए विस्तार पर दौसा-लालसोट-कौथुन पर 63 किमी पर मौरेल नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	पुल	1189.09	-वही-
3.	11-ए	रा.रा. 11ए के किमी 42/0 से 52/0 तक निर्माण (दौसा-मनोहरपुर)	10.00	1308.22	-वही-
4.	112	रा.रा. 112 पर किमी 50/0 से 70/0 तक सुदृढ़ीकरण (बार-विलारा-जोधपुर-बलोतरा-बाडमेर सड़क)	20.00	728.01	-वही-
5.	11-ए	किमी 52/0 से 62/250 तक मिसिंग लिक का निर्माण	10.250	1131.74	-वही-
6.	112	रा.रा. 112 को किमी 269/0 से 289/0 तक विद्यमान सड़क को दो लेन का बनाना	20.00	788.00	-वही-
7.	रा.रा.-15 (बीकानेर-जैसलमेर)	रा.रा. 15 का किमी 110/0 से 130/0 तक सुदृढ़ीकरण (बीकानेर-जैसलमेर सड़क)	20.00	610.99	-वही-
8.	113	रा.रा. 113 का किमी 200/0 से 213/500 तक सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण (निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़-बासवाडा-दाहोद खंड)	13.30	794.60	-वही-
9.	15 (बीकानेर-जैसलमेर)	रा.रा. 15 का किमी 48/0 से 68/0 तक सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण (बीकानेर जैसलमेर खंड)	20.00	551.04	-वही-
10.	112	रा.रा. 112 के किमी 70/0 से 90/0 तक विद्यमान पेवेंट का सुदृढ़ीकरण (बार-बिलारा-जोधपुर-बलोतरा-बाडमेर सड़क)	20.00	709.46	-वही-
11.	90	रा.रा. 90 को किमी 30/0 से 60/0 तक ज्यामिति सुधार के साथ दो लेन का बनाना (बारान-अकलेरा सड़क)	30.00	1325.75	सौंपने के स्तर पर

12.	90	रा.रा. 12 के किमी 353/0 से 373/0 तक विद्यमान पेवेंट का सुदृढ़ीकरण (जयपुर-जबलपुर सड़क)	20.00	613.60	सौंपने के स्तर पर
13.	116 सड़क)	रा.रा. 116 को किमी 8/0 से 24/0 तक दो लेन का बनाना (टोंक-सवाईमाधोपुर	20.00	844.40	प्रगति पर
14.	114	किमी 11/0 से 36/0 तक कमजोर दो लेन का सुदृढ़ीकरण	25.00	786.66	सौंपने के स्तर पर
15.	15 (बीकानेर-जैसलमेर)	किमी 280/0 से 306/0 तक ज्यामिति सुधार के साथ दो लेन बनाना	26.00	847.18	-वही-
16.	65 (फतेहपुर-अंबाला)	किमी 95/0 से 118/0 तक कमजोर दो लेन का सुदृढ़ीकरण	23.00	844.34	-वही-
17.	65 (फतेहपुर-पाली)	रा.रा. 65 के किमी 129/0 से 141/0 तक ज्यामिति सुधार के साथ दो लेन बनाना (फतेहपुर-पाली खंड)	12	592.47	-वही-
18.	116	रा.रा. 116 किमी 39/0 से किमी 59/0 तक टोंक-सवाई माधोपुर सड़क (टौंक में "0") पर दो लेन के पेवेंट का चौड़ीकरण	20.0	972.88	-वही-
19.	65 (फतेहपुर-अंबाला)	रा.रा. 65 के किमी 38/0 से 56/0 तक (फतेहरपुर अंबाला खंड) में चुरू कस्बे से धानी लक्ष्मण गढ़ तक दो लेन के कमजोर पेवेंट के सुदृढ़ीकरण हेतु व्यापक प्राक्कलन	18	602.53	-वही-

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत राजस्थान में उन्नयन के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे

क्र. सं.	खंड	रा.रा.	लंबाई (किमी में)
1.	जयपुर-रींगस-सीकर	11	95
2.	जयपुर-टोंक-कोटा-झालावाड़	12	328
3.	ब्यावर-पाली-पिंडवारा	14	246
4.	किसनगढ़-अजमेर-ब्यावर	8	82
	कुल		751

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत राजस्थान में 6 लेन उन्नयन के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे

क्र. सं.	खंड	रा.रा.	लंबाई (किमी में)
1.	गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर (राजस्थान खंड)	8	165
2.	किसनगढ़-उदयपुर	79ए, 79 और 76	315
3.	उदयपुर-अहमदाबाद (राजस्थान खंड)	8	95
	कुल		575

अंतर्राज्यीय पुलों और सड़कों हेतु निधियां

609. श्री रामदास आठवले :

श्री सनत कुमार मंडल:

क्या पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय पुलों के निर्माण और सड़कों के विकास हेतु गुजरात सहित विभिन्न राज्य सरकारों को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बेहतर अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क के बारे में चर्चा करने हेतु हाल ही में राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) आर्थिक महत्व और अन्तर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों को प्रदान की गई धनराशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं।

विवरण

आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटित धनराशि (करोड़ रु.)			
		2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.01	14.91	5.83	5.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.91	5.21	3.87	6.38
3.	असम	16.63	10.73	12.24	6.38
4.	बिहार	2.00	6.71	3.22	3.15
5.	छत्तीसगढ़	2.96	2.96	0.50	2.00
6.	गुजरात	4.46	22.00	12.15	6.40
7.	हरियाणा	7.00	8.64	2.82	6.62
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	2.00	2.09	2.05
9.	जम्मू-कश्मीर	0.000	1.30	0.99	1.73
10.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.50	0.94
11.	कर्नाटक	8.50	11.86	27.09	23.32
12.	केरल	0.00	0.00	0.25	2.68
13.	मध्य प्रदेश	4.48	6.55	8.83	12.81
14.	महाराष्ट्र	2.76	9.52	5.57	20.71
15.	मणिपुर	0.10	0.55	1.54	0.00
16.	मेघालय	0.30	0.51	2.46	0.72
17.	मिजोरम	1.00	6.09	0.34	2.92
18.	नागालैण्ड	2.95	3.97	3.68	5.75
19.	उड़ीसा	4.10	8.70	17.03	12.08
20.	पंजाब	0.00	5.20	5.03	2.83
21.	राजस्थान	0.50	7.28	7.31	5.91
22.	सिक्किम	3.42	8.27	4.68	12.70

1	2	3	4	5	6
23.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.25	0.16
24.	त्रिपुरा	1.86	0.84	1.47	1.97
25.	उत्तराखण्ड	6.17	8.93	6.87	6.38
26.	उत्तर प्रदेश	6.70	8.50	12.85	6.65
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.82	7.60	5.70
28.	चण्डीगढ़	0.00	0.000	0.00	1.00
29.	दादर और नागर हवेली	0.00	0.50	0.50	2.00
30.	दमन और दीव	0.00	0.00	2.40	2.00

[अनुवाद]

लम्बित याचिकाएं

610. डा. आर. सेनथिल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के पास सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के अंतर्गत काफी संख्या में याचिकाएं निपटान हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा निपटान हेतु ऐसी कितनी याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा ऐसे बैकलॉग को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सूचना आयोग को दिनांक 30-09-2007 तक 11714 शिकायतें तथा अपीलें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 7816 को उसी तारीख तक निपटा लिया गया था, शेष 3898 पर निर्णय लिया जाना है। राज्य सूचना आयोग के संबंध में सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) आयोग के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु निधियां

611. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु आवंटित और जारी की गई निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों, विशेषकर छत्तीसगढ़ को इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) वर्ष 2004-05 से 2006-07 और चालू वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित और जारी राज्य-वार और वर्ष-वार सहायतानुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) हालांकि सहायतानुदान के आबंटन के बारे में संबंधित राज्यों को सूचित कर दिया गया है परन्तु इसका जारी किया जाना कुछ वित्तीय स्थितियों पर निर्भर करता है जैसे कि पूर्व में जारी राशियों का राज्यों के पास खर्च न की गई शेष राशि के रूप में होना; उपयोगिता प्रमाणपत्रों का प्रस्तुत किया जाना; व्यय का तिमाही विवरण; व्यय का लेखापरीक्षित विवरण।

तदनुसार, उपर्युक्त वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहायतानुदान को जारी किया जाना विनिश्चित किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) और 2007-08 (आज तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान आबंटित और जारी राज्य-वार सहायतानुदान

(रुपए लाख में)

क्रमांक	राज्य का नाम	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
		आबंटित*	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी (आज की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	26351.68	24158.82	27083.36	28047.53	37887.64	34848.70	54570.04	27584.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	1038.30	757.66	1593.99	2171.97	2129.68	4141.85	2990.40	918.80
3.	असम	10136.55	7926.63	21028.11	11845.00	46034.89	32031.05	59077.00	15813.46
4.	बिहार	24901.28	20479.71	35230.01	23386.60	54752.90	32508.44	62555.84	14315.41
5.	छत्तीसगढ़	9718.19	9122.29	9093.75	7462.10	14304.16	11608.15	19035.92	6855.90
6.	गोवा	418.98	354.02	478.10	434.29	689.23	183.39	860.00	89.69
7.	गुजरात	17405.73	22184.26	30690.67	27699.84	28533.06	24905.55	33867.12	13012.06
8.	हरियाणा	7051.53	6549.39	7130.80	7712.41	10857.78	10590.12	12791.16	898.01
9.	हिमाचल प्रदेश	4743.26	4060.30	4493.35	5685.44	5323.71	6836.94	6309.44	2041.72
10.	जम्मू-कश्मीर	4369.76	3383.18	5475.87	6529.16	5963.81	4513.81	8070.20	1368.20
11.	झारखण्ड	10639.57	10383.63	13161.81	11660.12	18372.99	12712.26	21850.24	1132.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	कर्नाटक	17492.76	15960.61	19030.04	17447.49	27524.74	22592.85	36426.56	10406.06
13.	केरल	10343.15	9075.00	11519.53	10118.65	16278.68	14673.61	20283.28	4256.64
14.	मध्य प्रदेश	23306.91	21517.15	25662.59	24302.37	36902.83	37698.67	49701.04	40628.78
15.	महाराष्ट्र	25302.60	23497.86	32087.20	31776.89	46953.65	26862.36	61888.44	33340.58
16.	मणिपुर	1724.74	335.93	2984.26	2406.50	4576.73	3074.26	5615.84	1587.63
17.	मेघालय	1271.95	784.15	2308.92	1340.52	4291.92	2768.72	5145.28	606.00
18.	मिजोरम	1367.16	1396.42	2335.11	2045.41	2037.47	4409.15	2717.56	1101.50
19.	नागालैण्ड	938.62	890.98	2189.23	2385.81	3828.41	3272.44	4463.44	1795.74
20.	उड़ीसा	13770.47	12732.25	15196.84	18583.32	22266.56	17469.20	28743.92	11662.57
21.	पंजाब	6259.31	5750.50	7602.59	8689.04	11769.12	12992.58	15091.72	4001.22
22.	राजस्थान	24530.79	22303.34	25438.64	29344.95	37834.62	38544.62	50559.40	33283.51
23.	सिक्किम	649.90	662.02	819.49	942.57	1195.95	2302.14	1589.08	658.81
24.	तमिलनाडु	18260.39	17660.44	20499.30	21914.50	30478.96	29821.72	40055.16	20321.62
25.	त्रिपुरा	1249.77	1015.78	3223.33	2041.00	5565.27	2891.73	7463.56	3254.67
26.	उत्तर प्रदेश	55836.94	53272.68	74636.10	78571.10	107301.86	86211.20	137508.36	55694.52
27.	उत्तराखण्ड	4570.24	3119.00	4508.98	4629.76	6441.05	3725.53	7565.28	2520.14
28.	पश्चिम बंगाल	18703.52	16781.23	26550.41	26304.12	38867.02	34540.80	48500.20	12332.10
	कुल	342354.05	316115.23	432052.38	415478.46	628963.69	518731.84	805295.48	321481.87

* उपकेन्द्रों की योजना के लिए अतिरिक्त आबंटन शामिल

[अनुवाद]

शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

612. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के कार्य की निगरानी करने और उसमें तेजी लाने तथा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु एक स्थायी केन्द्रीय संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में कतिपय राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित ऐसी कोई संस्था देश में कार्यरत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) वर्तमान में पंचायती राज मंत्रालय के पास पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से शक्ति के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की निगरानी करने व उसमें तेजी लाने तथा देश में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए एक स्थायी केंद्रीय संस्थान की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास की राज्य संस्थाएं जो राज्यों की प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, पंचायतों के तीन स्तरों के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण मुहैया करा रही हैं।

[हिन्दी]

देश में वनाच्छादन

613. श्री गणेश सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार कितना प्रतिशत औसत वनाच्छादन है तथा देश में महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम कहां हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों का पर्यावरणीय विकास व्यापक राष्ट्रीय पर्यावरण विकास कार्यक्रम से जुड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर वन विकास एजेन्सियों की स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा कितनी परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट 2003 के अनुसार राज्य-वार वनाच्छादन प्रतिशतता के रूप में क्षेत्र नीचे दिया गया है।

राज्य/संघ क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र (जी.ए.)	वन क्षेत्र की प्रतिशतता
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	275,069	16.15
अरुणाचल प्रदेश	83,743	81.22
असम	78,438	35.48
बिहार	94,163	5.90
छत्तीसगढ़	135,191	41.42
दिल्ली	1,483	11.46
गोवा	3,702	58.24
गुजरात	196,022	7.63
हरियाणा	44,212	3.43
हिमाचल प्रदेश	55,673	25.78
जम्मू-कश्मीर	222,236	9.57
झारखण्ड	79,714	28.50
कर्नाटक	191,791	19.00
केरल	38,863	40.08
मध्य प्रदेश	308,245	24.79
महाराष्ट्र	307,713	15.23
मणिपुर	22,327	77.12

1	2	3
मेघालय	22,429	75.08
मिजोरम	21,081	87.42
नागालैण्ड	16,579	82.09
उड़ीसा	155,707	31.06
पंजाब	50,362	3.14
राजस्थान	342,239	4.62
सिक्किम	7,096	45.97
तमिलनाडु	130,058	17.41
त्रिपुरा	10,486	77.18
उत्तर प्रदेश	240,928	5.86
उत्तरांचल	53,483	45.74
पश्चिम बंगाल	88,752	13.91
अंडमान एवं निकोबार	8,249	84.42
चण्डीगढ़	114	13.16
दादर एवं नगर हवेली	491	45.82
दमन एवं दीव	112	7.14
लक्षद्वीप	32	71.88
पांडिचेरी	480	8.33
कुल	3,287,263	20.64

देश में महत्वपूर्ण नदियों के उदगम स्थल निम्नलिखित हैं:-

1		2	3
सिंधु	-	तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला	
झेलम	-	वेरीनाग में कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग	
चेनाब	-	लाहोल में बारा लाछा दर्रा	
रावी	-	कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में रोहताग दर्रा	
व्यास	-	तिब्बत में	
सतलुज	-	मानसरोवर के पास कैलाश पर्वतमाला के दक्षिणी ढलान	
गंगा	-	उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद	
यमुना	-	उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद	
ब्रह्मपुत्र	-	मानसरोवर झील	
नर्मदा	-	मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी	
तापी	-	मध्य प्रदेश में पूर्वी सतपुड़ा पर्वतश्रेणी	
गोदावरी	-	महाराष्ट्र में त्रिम्बकेश्वर	
कृष्णा	-	महाराष्ट्र में महाबलेश्वर	
कावेरी	-	तालाकवेरी (पश्चिमी घाट)	
महानदी	-	केन्द्रीय भारत में सतपुड़ा पर्वतमाला	

(ख) और (ग) वृहत राष्ट्रीय पर्यावरण विकास कार्यक्रम के नाम से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

(घ) और (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, अवक्रमित वनों और समीपवर्ती भूमियों के पुनरुदभव के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। यह स्कीम, वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ.डी.ए.) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंध समितियों (जे.एफ.एम.सी.) के द्वि-स्तरीय विकेन्द्रित तंत्र के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। 31-03-2007 तक, राज्यों से प्राप्त 750 परियोजना प्रस्तावों में से 729 एफ.डी.ए. परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था। एन.ए.पी. के अंतर्गत 31-3-2007 को अनुमोदित की गई एफ.डी.ए. परियोजना प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शेष प्रस्तावों पर निधियों की अनुपलब्धता के साथ-साथ स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी उपयुक्तता को देखते हुए अनुमोदन हेतु विचार नहीं किया जा सका था।

विवरण

31-3-2007 को अनुमोदित हुई वन विकास एजेंसी परियोजना प्रस्तावों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	31-3-2007 तक अनुमोदित वन विकास एजेंसी परियोजना प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	31
2.	छत्तीसगढ़	32
3.	गुजरात	21
4.	हरियाणा	18
5.	हिमाचल प्रदेश	30
6.	जम्मू-कश्मीर	31
7.	कर्नाटक	45
8.	मध्य प्रदेश	51
9.	महाराष्ट्र	45
10.	उड़ीसा	40
11.	पंजाब	10
12.	राजस्थान	33
13.	तमिलनाडु	32
14.	उत्तर प्रदेश	58
15.	उत्तराखण्ड	38
16.	गोवा	3
17.	झारखण्ड	32
18.	बिहार	10
19.	केरल	24
20.	पश्चिम बंगाल	17
	कुल (अन्य राज्य)	**601**
21.	अरुणाचल प्रदेश	19
22.	असम	29
23.	मणिपुर	14
24.	नागालैण्ड	18
25.	सिक्किम	7
26.	त्रिपुरा	13
27.	मिजोरम	21
28.	मेघालय	7
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	128
	सकल योग	729

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं

614. श्री पी.सी. गद्दीगउडर:
श्री एम. अंजन कुमार यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी कौन-कौन सी योजाएं चल रही हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों को हुए लाभों के आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो इन राज्यों में सफल नहीं हुई हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी के लिए एक व्यापक (अम्ब्रेला) योजना है।

इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और रोग नियंत्रण कार्यक्रम सहित जन स्वास्थ्य संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, ऐच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की व्यवस्था, आसम्बद्ध निधि, वार्षिक रख-रखाव अनुदान, अन्तरक्षेत्रीय सम्मिलन, चल-चिकित्सा इकाइयों की व्यवस्था, संस्थाओं को चलाने में जनता की सहभागिता आदि को कवर किया जाता है।

(ख) से (घ) कर्नाटक राज्य ने 15218 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां स्थापित की हैं, 78 जिला एवं उप-जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक रेफरल इकाइयों तक दर्जा बढ़ाया है, चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले 399 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की है, 759 सहायक नर्स धात्रियों और स्टाफ नर्सों तथा 55 चिकित्सकों व विशेषज्ञों की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की है। इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश राज्य ने 21916 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों, 193 प्रथम रेफरल इकाइयों, चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले 1320 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की है, अनुबंध के आधार पर 1087 सहायक नर्स धात्रियों और स्टाफ नर्सों, 169 चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति की है। राज्य ने अक्तूबर, 2007 तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 63900 सम्पर्क कार्यकर्ताओं की भी नियुक्ति की है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से आवंटित निधियां

615. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) से प्रत्येक जिले को कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं तथा इससे आज तक वस्तुत: कितनी निधियां संवितरित की गयी हैं; और

(ख) बी.आर.जी.एफ. से निधियों का कम संवितरण किए जाने के क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में तीन घटक शामिल हैं, नामत: (i) उन जिलों की निर्मुक्तियां जिन्होंने राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) के तहत अपनी पूरी हकदारी नहीं प्राप्त की है; (ii) पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता-निर्माण हेतु निधियां तथा (iii) अबद्ध विकास अनुदान। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के तहत वर्ष 2007-08 के दौरान संवितरण के लिए उपलब्ध कुल राशि 4760 करोड़ रुपये है। इस राशि में से 250 करोड़ रुपये पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता-निर्माण के लिए सुरक्षित हैं। शेष अबद्ध विकास अनुदान है जो पूर्ववर्ती आर.एस.वी.वाई. स्कीमों को भी निधियित करता है। अभी तक 2007-08 के दौरान 1188.96 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। सभी तीनों घटकों के तहत निर्मुक्तियों के ब्यौरों को संलग्न विवरण पर देखा जा सकता है।

(ख) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) के तहत निधियों के आहरण में मुख्य बाध्यकारिता, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत होने वाली पिछली निर्मुक्तियों का बकाया व तृणमूल स्तर से ऊपर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं तक जिला योजनाओं के निर्माण एवं जिला योजना समितियों द्वारा समेकित किए जाने में लगा आवश्यक समय रही, जिस पर बी.आर.जी.एफ. के प्रस्तावों को आधारित किया जाना होता है। 13-14 अक्तूबर, 2007 को जिला परिषद अध्यक्षों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें भागीदारों के साथ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम के तहत कोष के आहरण में गति लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। दो राज्यों, नामत: राजस्थान व उड़ीसा की राज्य की उच्चशक्ति प्राप्त समितियों ने पिछले सप्ताह जिला योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है। कार्यक्रम के तहत निर्मुक्तियों की गति में शीघ्रता लाकर तीन और राज्यों, नामत: कर्नाटक, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश राज्य की उच्चशक्ति प्राप्त समितियां आने वाले सप्ताह में कई जिला योजनाओं को अनुमोदित करने वाली हैं।

विवरण

2007-08 की निर्मुक्तियों का सार

राशि (करोड़ रुपये में)

क.	आर.एस.वी.वाई.	585.00
ख.	क्षमता निर्माण	34.30
ग.	विकासात्मक अनुदान	569.66
	कुल	1188.96

क. - पिछड़ा जिला पहल के तहत - आर.एस.वी.वाई. जिलों के लिए निधियों की निर्मुक्ति
17-11-2007 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/जिला	जारी की जाने वाली कुल राशि	2003-04 में जारी की गई राशि	2004-05 में जारी की गई राशि	2005-06 में जारी की गई राशि	2006-07 में जारी की गई राशि	2007-08 में जारी की गई राशि	कुल जारी की गई राशि	राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई संचयी व्यय	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**आन्ध्र प्रदेश (10)**									
	अदिलाबाद	45.00	12.50	2.50	7.50	7.50	7.50	37.50	27.00	27.00
	चित्तूर	45.00	5.00	2.50		15.00	7.50	30.00	20.35	20.35
	करीम नगर	45.00	5.00	10.00	7.50	7.50	15.00	45.00	34.65	34.65
	खम्माम	45.00	5.00	10.00		7.50	7.50	30.00	19.50	18.01
	महबूबनगर	45.00		7.50		7.50	7.50	22.50	15.19	15.12
	मेडक	45.00		7.50	7.50	7.50	15.00	37.50	29.99	29.99
	नलगोंडा	45.00		7.50		7.50	7.50	22.50	14.95	14.95
	निजामाबाद	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	21.65	20.45
	विजयनगरम्	45.00		7.50		7.50	7.50	22.50	14.28	14.28
	वारंगल	45.00	12.50	10.00	7.50	7.50	7.50	45.00	34.62	34.62
	योग	**450.00**	**40.00**	**72.50**	**37.50**	**82.50**	**90.00**	**322.50**	**232.17**	**229.42**
2.	**अरुणाचल प्रदेश (1)**									
	अपर सुवनश्री	**45.00**		**7.50**	**7.50**	**7.50**	**0.00**	**22.50**	**14.65**	**14.65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	**असम (5)**									
	धेमाजी	45.00		7.50		7.50	0.00	15.00	6.02	6.02
	कारबी आंगलोंग	45.00		7.50		7.50	15.00	30.00	20.85	20.86
	कोकराझार	45.00	5.00	2.50		15.00	7.50	30.00	22.50	22.50
	उत्तरी कछार हिल्स	45.00		7.50		15.00		22.50	13.26	13.21
	उत्तरी लखीमपुर	45.00	5.00	2.50	7.50	7.50	7.50	30.00	19.70	19.70
	योग	**225.00**	**10.00**	**27.50**	**7.50**	**52.50**	**30.00**	**127.50**	**82.33**	**82.29**
4.	**बिहार (21)**									
	अररिया	45.00		7.50	7.50	7.50	0.00	22.50	16.42	4.40
	औरंगाबाद	45.00		7.50	7.50	7.50		22.50	21.10	7.86
	भोजपुर	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	20.04	20.04
	दरभंगा	45.00		7.50	7.50	15.00		30.00	25.53	19.55
	गया	45.00		7.50	7.50	7.50		22.50	23.72	21.01
	जमुई	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	19.75	19.75
	जहानाबाद	45.00		7.50		7.50	7.50	22.50	15.00	15.00
	कैमूर	45.00		7.50	7.50	15.00		30.00	21.24	19.63
	कटिहार	45.00		7.50	7.50	15.00		30.00	21.77	19.51
	लक्खीसराय	45.00		7.50		15.00		22.50	20.18	20.18
	मधुबनी	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	19.98	19.98

मुजफ्फरपुर	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	20.17	19.64
नालन्दा	45.00		7.50	7.50	7.50		22.50	19.53	19.53
नवादा	45.00		7.50	7.50	15.00		30.00	21.36	19.49
पटना	45.00		7.50	7.50	15.00	7.50	37.50	27.60	27.60
पूर्णिया	45.00		7.50		15.00	7.50	30.00	19.59	19.59
रोहतास	45.00		7.50	7.50	15.00		30.00	27.44	21.24
समस्तीपुर	45.00		7.50	7.50	7.50		22.50	25.87	19.57
शिवहर	45.00		7.50	7.50	7.50		22.50	12.14	7.55
सुपौल	45.00		7.50	7.50	15.00		30.00	21.63	19.78
वैशाली	45.00		7.50	7.50	15.00	7.50	37.50	27.07	27.07
योग	**945.00**	**0.00**	**157.50**	**135.00**	**232.50**	**60.00**	**585.00**	**447.13**	**387.97**
5. छत्तीसगढ़ (8)									
बस्तर	45.00	15.00	7.50	7.50	15.00	0.00	45.00	36.07	37.98
बिलासपुर	45.00		7.50	15.00	15.00	7.50	45.00	34.51	34.51
दांतेवाड़ा	45.00	15.00	7.50	7.50	15.00		45.00	34.57	34.57
जसपुर	45.00		7.50	15.00	15.00	7.50	45.00	43.09	43.09
कांकेर	45.00		7.50	15.00	22.50		45.00	35.62	35.62
कवर्धा/कबीरधाम	45.00	5.00	2.50	15.00	15.00	7.50	45.00	34.69	34.69
राजनांदगांव	45.00	5.00	10.00		15.00	15.60	45.00	35.08	35.22
सरगुजा	45.00		7.50	15.00	15.00	7.50	45.00	36.67	36.67
योग	**360.00**	**40.00**	**57.50**	**90.00**	**127.50**	**45.00**	**360.00**	**208.67**	**208.02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	**गुजरात (3)**									
	दाहोड	45.00	5.00	2.50	7.50	15.00	0.00	30.00	19.90	19.90
	डांग	45.00	12.50	10.00	7.50	15.00		45.00	34.64	34.64
	पंचमहल	45.00		7.50		7.50	7.50	22.50	12.23	11.37
	योग	**135.00**	**17.50**	**20.00**	**15.00**	**37.50**	**7.50**	**97.50**	**66.77**	**65.91**
7.	**हरियाणा (1)**									
	सिरसा	**45.00**	**0.00**	**7.50**	**15.00**	**22.50**	**0.00**	**45.00**	**34.53**	**28.38**
8.	**हिमाचल प्रदेश (2)**									
	चम्बा	45.00	5.00	10.00	7.50	15.00	7.50	45.00	34.88	34.88
	सिरमौर	45.00		15.00	7.50	15.00	7.50	45.00	27.03	27.03
	योग	**90.00**	**5.00**	**25.00**	**15.00**	**30.00**	**15.00**	**90.00**	**55.41**	**55.41**
9.	**जम्मू-कश्मीर (3)**									
	डोडा	45.00	5.00	10.00	7.50	7.50	7.50	37.50	28.40	28.40
	कुपवाड़ा	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	22.49	22.49
	पुंछ	45.00		7.50	7.50	7.50		22.50	15.00	12.94
	योग	**135.00**	**5.00**	**25.00**	**22.50**	**22.50**	**15.00**	**90.00**	**65.89**	**63.83**
10.	**झारखण्ड (16)**									
	बोकारो	45.00	5.00	2.50	7.50	15.00	7.50	37.50	28.11	28.11
	चतरा	45.00		7.50	15.00	15.00	7.50	45.00	37.23	35.01
	धनबाद	45.00		7.50	7.50	22.50	7.50	45.00	37.50	34.69

गढ़वा	45.00		7.50	7.50	22.50	7.50	45.00	34.67	34.67
गिरिडीह	45.00		7.50	7.50	15.00		30.00	19.98	19.98
गोड्डा	45.00		7.50	7.50	15.00	7.50	37.50	27.06	27.06
गुमला	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50		45.00	34.79	34.79
हजारीबाग	45.00		7.50	7.50	22.50	7.50	45.00	36.12	36.12
कोडरमा	45.00		7.50	7.50	15.00		30.00	19.51	19.51
लातेहार	45.00	5.00	10.00	15.00	15.00		45.00	34.58	34.58
लोहरदग्गा	45.00	7.50	7.50	15.00	15.00		45.00	35.04	35.04
पलामू	45.00	5.00	2.50	15.00	22.50		45.00	45.00	34.60
रांची	45.00		7.50	15.00	15.00	7.50	45.00	35.28	35.23
सरायकेला	45.00		7.50	7.50	30.00		45.00	34.63	34.63
सिमडेगा	45.00	7.50	15.00		22.50		45.00	34.85	34.85
पश्चिम सिंहभूम	45.00		7.50		30.00		37.50	27.22	27.22
योग	**720.00**	**37.50**	**120.00**	**142.50**	**315.00**	**52.50**	**667.50**	**521.57**	**506.09**
11. कर्नाटक (4)									
विदर	45.00	5.00	2.50	7.50	7.50	7.50	30.00	22.24	21.95
चित्रदुर्ग	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	21.57	21.57
देवनगिरि	45.00		7.50		15.00		22.50	12.90	12.90
गुलबर्ग	45.00	7.50	7.50		7.50	7.50	30.00	19.55	19.54
योग	**180.00**	**12.50**	**25.00**	**15.00**	**37.50**	**22.50**	**112.50**	**76.26**	**75.96**
12. केरल (2)									
पल्लाकाड	45.00	15.00	7.50	15.00	7.50	0.00	45.00	38.34	36.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	वयानद	45.00	5.00	10.00		7.50		22.50	12.59	
	योग	**90.00**	**20.00**	**17.50**	**15.00**	**15.00**	**0.00**	**67.50**	**50.93**	**36.00**
13.	**मध्य प्रदेश (10)**									
	बालाघाट	45.00		15.00	15.00	15.00	0.00	45.00	34.52	45.00
	बरवानी	45.00	7.50	15.00	15.00	7.50		45.00	37.50	45.00
	दिनदोरी	45.00		7.50	15.00	22.50		45.00	28.97	45.00
	खरगोने	45.00	7.50	15.00	15.00	7.50		45.00	36.61	45.00
	मांडला	45.00	7.50	7.50	15.00	15.00		4' 00	34.66	45.00
	सतना	45.00		15.00	15.00	15.00		45.00	34.27	45.00
	शिवनी	45.00		15.00	15.00	15.00		45.00	34.53	45.00
	शहडोल	45.00		22.50	15.00	7.50		45.00	37.45	45.00
	शिडी	45.00		15.00	15.00	15.00		45.00	35.42	45.00
	उमरिया	45.00		15.00	15.00	15.00		45.00	34.90	44.76
	योग	**450.00**	**22.50**	**142.50**	**150.00**	**135.00**	**0.00**	**450.00**	**348.83**	**449.76**
14.	**महाराष्ट्र (9)**									
	अहमदनगर	45.00		7.50	7.50	7.50	0.00	22.50	12.20	12.20
	भंडारा	45.00	7.50	7.50	7.50	7.50		30.00	20.07	18.54
	चंद्रपुर	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	19.80	19.80
	धुले	45.00		7.50		15.00		22.50	13.47	13.47

	गढ़चिरौली	45.00	7.50	7.50		15.00	7.50	37.50	27.27	27.27
	गोंदिया	45.00		7.50	15.00	7.50		30.00	14.99	10.53
	हिंगोली	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	20.41	20.28
	नादेड	45.00		7.50	7.50	15.00	7.50	37.50	27.65	27.65
	नंदुरबार	45.00		7.50	7.50	7.50		22.50	14.40	13.96
	योग	**405.00**	**15.00**	**67.50**	**60.00**	**90.00**	**30.00**	**262.50**	**170.26**	**163.70**
15.	**मणिपुर (1)**									
	तमेंगलांग	**45.00**	**7.50**	**7.50**	**15.00**	**15.00**	**0.00**	**45.00**	**39.99**	**39.99**
16.	**मेघालय (1)**									
	पश्चिम गारो हिल्स	**45.00**		**7.50**		**15.00**	**7.50**	**30.00**	**22.5**	**22.5**
17.	**मिजोरम (1)**									
	लावंगतलाइ	**45.00**		**7.50**	**7.50**	**15.00**	**7.50**	**37.50**	**30.00**	**30.00**
18.	**नागालैण्ड(1)**									
	मान	**45.00**		**15.00**	**7.50**	**22.50**	**0.00**	**45.00**	**37.50**	**37.50**
19.	**उड़ीसा (5)**									
	गजपति	45.00		7.50	7.50	7.50	15.00	37.50	30.68	17.14
	गंजाम	45.00	5.00	10.00	15.00	7.50		37.50	36.30	29.24
	क्योंझर	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	21.46	14.01
	मयूरभंज	45.00	5.00	10.00	7.50	15.00	7.50	45.00	34.57	28.64
	सुंदरगढ	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	24 37	18.14
	योग	**225.00**	**10.00**	**42.50**	**45.00**	**45.00**	**37.50**	**180.00**	**147.38**	**107.17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	**पंजाब (1)**									
	होशियारपुर	**45.00**		**7.50**	**7.50**	**15.00**	**7.50**	**37.50**	**27.0151**	**27.0151**
21.	**राजस्थान (3)**									
	बांसवारा	45.00	15.00	15.00	15.00			45.00	34.53	34.53
	डुंगरपुर	45.00	15.00	15.00	15.00			45.00	34.86	34.86
	झलावर	45.00	5.00	17.50	7.50	15.00		45.00	35.60	28.73
	योग	**135.00**	**35.00**	**47.50**	**37.50**	**15.00**	**0.00**	**135.00**	**104.99**	**98.12**
22.	**सिक्किम (I)**	**45.00**		**7.50**	**7.50**	**22.50**	**7.50**	**45.00**	**35.60**	**35.60**
23.	**तमिलनाडु (5)**									
	त्रिवनमल्ली	45.00	15.00	15.00	15.00		0.00	45.00	36.00	36.00
	डिंडिगुल	45.00	5.00	17.50	15.00	7.50	0.00	45.00	35.27	35.27
	गुड्डलौर	45.00		15.00	15.00	7.50	0.00	37.50	27.62	27.62
	नागपट्टनम	45.00		15.00	15.00	7.50	7.50	45.00	37.70	37.70
	शिवगंगा	45.00		15.00	15.00	7.50	0.00	37.50	27.71	27.71
	योग	**225.00**	**20.00**	**77.50**	**75.00**	**30.00**	**7.50**	**210.00**	**164.30**	**164.30**
24.	**त्रिपुरा (1)**									
	धलाई	**45.00**	**7.50**	**7.50**	**7.50**	**15.00**	**0.00**	**37.50**	**27.58**	**27.58**
25.	**उत्तरांचल (3)**									
	चमोली	45.00		7.50	7.50	15.00	0.00	30.00	19.56	19.56
	चंपावत	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	19.52	19.52

टिहरी गढ़वाल	45.00		7.50	7.50	15.00		30.00	19.53	19.53
योग	**135.00**	**0.00**	**22.50**	**22.50**	**37.50**	**7.50**	**90.00**	**58.61**	**58.61**
26. उत्तर प्रदेश (21)									
आजमगढ़	45.00		7.50	7.50	15.00	0.00	30.00	14.06	14.06
बांदा	45.00	5.00	10.00	7.50	15.00		37.50	27.00	27.00
बाराबंकी	45.00	5.00	10.00	7.50	7.50	7.50	37.50	29.71	29.71
चंदौली	45.00		7.50	7.50	22.50	7.50	45.00	34.51	34.51
चित्रकूट	45.00	5.00	10.00	7.50	7.50	7.50	37.50	27.03	27.03
फतेहपुर	45.00	5.00	10.00	15.00	15.00		45.00	35.89	31.38
गोरखपुर	45.00		7.50	7.50	15.00		30.00	19.53	19.53
हमीरपुर	45.00		7.50	7.50	22.50		37.50	27.05	26.26
हरदोई	45.00	7.50	7.50	7.50	15.00	7.50	45.00	35.82	34.60
जलान	45.00		7.50	15.00	7.50		30.00	19.67	14.72
जौनपुर	45.00		7.50	7.50	15.00		30.00	20.59	20.59
कौशंबी	45.00		7.50	15.00	15.00	7.50	45.00	34.73	34.73
कुशीनगर	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	20.57	20.57
ललितपुर	45.00		7.50	15.00	7.50	7.50	37.50	27.01	27.01
महोबा	45.00		7.50	7.50	22.50	7.50	45.00	34.53	34.53
मिरजापुर	45.00	5.00	10.00	7.50	15.00	7.50	45.00	34.50	34.50
प्रतापगढ़	45.00		7.50	7.50	7.50	15.00	37.50	27.88	27.88
रायबरेली	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50		45.00	34.61	34.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सीतापुर	45.00	7.50	7.50	15.00	15.00		45.00	34.51	34.51
	सोनभद्र	45.00	7.50	7.50	15.00	15.00		45.00	34.80	28.55
	उनाव	45.00	7.50		7.50	15.00	7.50	37.50	28.78	28.78
	योग	**945.00**	**62.50**	**162.50**	**202.50**	**300.00**	**90.00**	**817.50**	**602.78**	**585.06**
27.	**पश्चिम बंगाल (8)**									
	24 दक्षिण परगना	45.00	5.00	10.00		7.50	0.00	22.50	12.08	10.86
	बांकुरा	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	20.72	21.12
	बीरभूम	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	20.25	19.50
	जलपाइगुड़ी	45.00	12.50	2.50	7.50	7.50		30.00	23.88	23.63
	मिदनापुर पश्चिम	45.00	5.00	10.00		7.50		22.50	15.09	13.36
	उत्तरी दिनाजपुर	45.00		7.50	7.50	7.50	15.00	37.50	13.45	13.45
	पुरूलिया	45.00	12.50	2.50	7.50	7.50	7.50	37.50	27.12	27.12
	दक्षिणी दिनाजपुर	45.00		7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	19.55	19.55
	योग	**360.00**	**35.00**	**55.00**	**45.00**	**60.00**	**45.00**	**240.00**	**152.13**	**148.59**
28.	**नाबार्ड**	**9.30**		**1.08**	**3.24**	**3.30**	**0.00**	**7.62**		
	योग	6624.30	402.50	1241.08	1210.74	1818.30	585.00	5257.62	3825.78	3749.42

कुल हकदारी	**6624.3**
कुल निर्मुक्तियां	**5257.62**
निर्मुक्त के लिए शेष	**1366.68**

ख. 2006-07 और 2007-08 में बी.आर.जी.एफ. के तहत क्षमता निर्माण निधि की निर्मुक्ति

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	जिला	प्रति वर्ष कुल हकदारी	2006-07 में निर्मुक्त की गई राशि (करोड़ रुपये में)	2007-08 मे निर्मुक्त की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	13 करोड़	13	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1 करोड़	0.5	
3.	असम	11	11 करोड़	9.122	
4.	बिहार	36	36 करोड़	14.458756	
5.	छत्तीसगढ़	13	13 करोड़	9.1	
6.	हिमाचल प्रदेश	2	2 करोड़		2
7.	कर्नाटक	5	5 करोड़		5
8.	केरल	2	2 करोड़		2
9.	मध्य प्रदेश	24	24 करोड़	14.9597	
10.	महाराष्ट्र	12	12 करोड़	6.19	
11.	राजस्थान	12	12 करोड़	7.78707	
12.	सिक्किम	1	1 करोड़	0.9492	
13.	उत्तर प्रदेश	34	34 करोड़		25.3
14.	पश्चिम बंगाल	11	11 करोड़	10.5	
	कुल			86.566726	34.3

ग. 2006-07 और 2007-08 में बी.आर.जी.एफ. के तहत विकासात्मक अनुदानों की निर्मुक्ति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2006-07 में निर्मुक्त की गई राशि (करोड़ रुपये में)	2007-08 में निर्मुक्त की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
	असम		
1.	बरपेटा		7.5

1	2	3	4
2.	कछार		10
3.	हैलकांडी		10
4.	मोरीगांव		7.5
	छत्तीसगढ़		
1.	दामतरी		1
2.	कोरबा		5
3.	कोरिया		5
4.	महासमंद		5
5.	रायगढ़		5
	कर्नाटक		
1.	रायचुर		7.5
	केरल		
1.	पालकाड		9.25
	मध्य प्रदेश		
1.	बालाघाट	1	16.54
2.	बरयानी	1	13.14
3.	बेतुल	1	17.93
4.	छत्तरपुर	1	13.91
5.	दामोह	1	15.63
6.	धार	1	
7.	डिंडोरी		14.58
8.	गुना/अशोकनगर	1	15.21
9.	झाबुआ	1	16.91
10.	कटनी	2.0450997	13.56
11.	खांडवा/बुरहनपुर	1	17.01
12.	खरगौन	1	16.63

1	2	3	4
13.	मांडला	1	11.14
14.	पन्ना	1	15.05
15.	राजगढ़	1	15.28
16.	रेवा	1	17.03
17.	सतना	1	15.75
18.	सिवनी		17.11
19.	शहडोल/अनुपपुर		15.56
20.	शिवपुर	1	14.19
21.	शिवपुरी	1	
22.	सिधी		16.24
23.	टिकमगढ़	1	14.01
24.	उमरिया		7.5
	उड़ीसा		
1.	बौध		1
2.	देबगढ़		5
3.	ढेंकनाल		5
4.	झारसुगुडा		5
5.	कंधामल (फुलबानी)		5
6.	नऊपाड़ा		7.5
7.	संबलपुर		7.5
8.	सोनेपुर		1
	राजस्थान		
1.	बांसवाड़ा		7.5
2.	बारमेर		5
3.	चित्तौड़गढ़		5
4.	डुंगरपुर		7.5

1	2	3	4
5.	जैसलमेर		7.5
6.	जालौर		7.5
7.	करौली		7.5
8.	स्वाई माधोपुर		7.5
9.	सिरोही		5
10.	टोंक		7.5
11.	उदयपुर		7.5
	पश्चिम बंगाल		
1.	मालदा		10
2.	मिर्शिदाबाद		10
3.	पुरबा मेदिनिपुर		10
	कुल	20.0451	544.66
	जिला योजना की तैयारी के लिए प्रत्येक जिला को दस लाख का अग्रिम		25.00
	कुल विकासात्मक अनुदान घटक		569.66

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट

616. श्री अबु अयीश मंडल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सैम पित्रोदा की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें निवेशों और प्रशासनिक प्रस्तावों संबंधी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शिक्षा पाने हेतु आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों की रिपोर्ट में यथाप्रस्तावित छात्रवृत्ति/शुल्क इत्यादि से संबंधित संभावना की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एन.के.सी.) ने हाल ही में 'शिक्षा के बारे में अपनी सिफारिशों का संकलन' प्रस्तुत किया है। एन.के.सी. की सिफारिशें टिप्पणियों हेतु संबंधित मंत्रालयों को भेजी गई हैं।

(ख) निवेश संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं है और एन.के.सी. सिफारिशों के विषय में कुल निवेश की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां।

जरूरतमंद और पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियां और शिक्षा ऋण का प्रावधान ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार की जा रही समावेशी शिक्षा नीति आयोजना के प्रमुख घटकों में से एक है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

617. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनकी संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक परियोजना में आज की तारीख तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इन पर परियोजनावार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) दसवी पंचवर्षीय योजना के दौरान चार नए राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए विस्तार, 8ई विस्तार, 113 और 228 की घोषणा की गई है जिनकी कुल लंबाई लगभग 775 कि.मी. है। इन नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के पश्चात् योजना शीर्ष के अंतर्गत कुल 389 कि.मी. की लंबाई में 123.91 करोड़ रु. की लागत के 29 सुधार कार्य और गैर-योजना शीर्ष के अंतर्गत कुल लगभग 86 कि.मी. लंबाई में 13.93 करोड़ रु. की लागत के सात आवधिक नवीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 30 कार्य पूरे हो चुके हैं और कुल 88 कि.मी. लंबाई में शेष 6 कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	कार्य सं. सहित कार्य का नाम	रा.रा. संख्या	स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	अब तक प्रगति	पूरा होने की संभावित तारीख
1.	154/200 से 174/125 कि.मी. तक सुदृढ़ीकरण (08ए विस्तार-जी.जे.-2007-426)	8ए विस्तार	7.01	सभी कार्य सौंप दिए गए हैं और प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं।	फरवरी, 2008
2.	442/0 से 467/0 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर (08ई विस्तार-जी.जे.-2007-433)	8ई विस्तार	9.99		मार्च, 2008
3.	133/700 से 154/200 कि.मी. तक सुदृढ़ीकरण (08ए विस्तार-जी.जे.-2007-434)	8ए विस्तार	8.79		अप्रैल, 2008
4.	349/2 से 364/5 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर का निर्माण (08ई विस्तार-जी.जे.-2007-435)	8ई विस्तार	4.25		जुलाई, 2008
5.	145/859 कि.मी. पर कनकवती नदी पर बड़े पुल का निर्माण (08ए विस्तार-जी.जे.-2007-436)	8ए विस्तार	2.87		जुलाई, 2008
6.	369/2 से 376/0 कि.मी. तक चार लेन बनाना (08ई विस्तार-जी.जे.2007-437)	8ई विस्तार	6.82		मई, 2008

कोयला क्षेत्र हेतु विनियामक प्राधिकरण

618. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्वेषण तथा खनन हेतु कोयले तथा लिग्नाइट के ब्लॉक आवंटित करने के लिए कोयला क्षेत्र के संबंध में विनियामक प्राधिकरण का गठन करने की सरकार की कोई योजना है: और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वासरि नारायण राव): (क) और (ख) भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता तथा अनिवार्यता की जांच करने तथा यदि अपेक्षित हो, तो उसकी भूमिका एवं कार्यों को परिभाषित करने के लिए भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (ए.एस.सी.आई.) को एक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। एस.एस.सी.आई. ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

समुद्री जीवों का संरक्षण

619. श्री जसुभाई धानाभाई बारड: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र जीवों के विलुप्त होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समुद्री जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हाल ही में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन समुद्री जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां। कुछ समुद्री जीवों की प्रजातियां वास-स्थलों के नष्ट होने, अत्यधिक दोहन, वाणिज्यिक मत्स्यन, वाणिज्यिक मत्स्यन के दौरान बाय-कैचेज आदि के कारण खतरे का सामना कर रही हैं।

(ग) और (घ) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 1 नवम्बर, 2007 को हुई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की चौथी बैठक में कार्यसूची मदों में से एक मद, समुद्री जीवों के संरक्षण और प्रबंधन थी।

(ङ) समुद्री जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(i) सभी सेटासीन्स (व्हेल, पोरपॉईसेज और डॉलफिन्स) और इलास्मोब्रांच (शार्क और रेज) की 10 प्रजातियों, होलोथुरियन्स, कोरल्स, मोलस्क की 9 प्रजातियों, समुद्री घोड़ों, जाईन्ट ग्रुपर को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अधिसूची। में शामिल करके उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इन प्रजातियों का शिकार प्रतिबंधित किया गया है।

(ii) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के संशोधनों से, अधिनियम की अनुसूचियों में शामिल की गई प्रजातियों के अवैध शिकार और उनके अंगों और उत्पादों के अवैध शिकार के लिए शास्तियां बढ़ाई गई है।

(iii) सुरक्षित क्षेत्रों जिनमें समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हैं, के विकास के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों - राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराई जा रही है।

(iv) तटीय विनियमन जोन क्षेत्र के भीतर सभी विकासात्मक गतिविधियां विनियमित की जाती है।

(v) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्हेल आयोग (आई.डब्ल्यू.सी.), प्रवासी प्रजातियों कन्वेंशन (सी.एम.एस.) और समुद्री जीवों की प्रजातियों और उनके वास-स्थलों के संरक्षण और उनके अंगों और उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइटस) का भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

आई.एन.एस. विक्रांत की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति

620. श्री मोहन रावले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मुंबई में समुद्री संग्रहालय के रूप में आई.एन.एस. विक्रांत की स्थापना का प्रस्ताव पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है: और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी नहीं।

(ख) सरकार ने मैरीटाइम संग्रहालय में आई.एन.एस. विक्रांत के संरक्षण से संबंधी परियोजना को तटीय विनियम जोन अधिनियम, 1991 के अंतर्गत 21-2-2007 को मंजूरी प्रदान की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वल्लारपडम में एल.एन.जी. टर्मिनल

621. श्री पी. करूणाकरन:

श्री पी.सी. थामस:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वल्लारपडम में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) एल.एन.जी. टर्मिनल को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इस परियोजना को समयबद्ध आधार पर पूरा किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) वल्लारपदम में बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल के निर्माण के लिए मैसर्स इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटिड और कोचीन पत्तन के बीच 31 जनवरी, 2005 को लाईसेंस करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति 9 नवम्बर, 2006 को प्राप्त हुई थी। लैंड फिलिंग सहित परियोजना-पूर्व कार्य पूरे कर लिए गए हैं। टर्मिनल के निर्माण हेतु निविदाएं प्राप्त हो गई हैं। टर्मिनल का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाई जा चुकी है।

(ख) से (घ) कोचीन पत्तन में पुत्तुवाईपिन द्वीप पर एल.एन.जी. टर्मिनल के निर्माण का कार्य मैसर्स पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटिड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त हो गई है। परियोजना स्थल पर भूमि विकास का कार्य चल रहा है। मैसर्स पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटिड को रियायत दिए जाने का प्रस्ताव, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रक्रियाधीन है।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव

622. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध धनराशि के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

623. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के सभी तीनों क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इन संस्थानों को सुदृढ बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम उपयोग किए जाने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं:-

रिक्त पद नहीं भरे जा सके, प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ नहीं किए जा सके, कार्यालय उपकरणों का नहीं खरीदा जाना, जी.एम.एस.डी., कोलकाता द्वारा आवश्यकता के अनुसार औषधियों की आपूर्ति नहीं की जा सकी।

(घ) भारत सरकार ने आर.एल.टी.आर.आई., रायपुर को अतिरिक्त दायित्व सौंपने के माध्यम से इसे सुदृढ करने का निर्णय लिया है। तथापि, आर.एल.टी.आर.आई., आस्का और गौरीपुर को उनके बहुत दुर्गम स्थानों पर स्थित होने के कारण सुदृढ नहीं किया जा सका।

(ङ) आर.एल.टी.आर.आई., रायपुर की चिकित्सा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सर्जरी हेतु एक रेफरल केन्द्र की रूप में पहचान की गई है। इस संस्थान को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय का दर्जा दिया गया है और इसे अतिरिक्त कार्य जैसे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम हेतु क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे स्थानिकमारी प्रशिक्षण कार्यक्रम, लिम्फेटिक फाइलेराइसिस, माइक्रोस्कोपी, डॉट केन्द्र, एन.टी.सी.पी. से संबद्ध संचालनात्मक अनुसंधान, स्वैच्छिक परामर्श केन्द्र एवं एच.आई.वी./एड्स हेतु नैदानिक केन्द्र, आपदा प्रबंधन, पोलियो री-कास्ट्रक्टिव सर्जरी आदि सौंपे गए हैं।

विवरण

आबंटित निधियों और 3 आर.एल.टी.आर.आई. द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा

	बजट अनुमान					
	2004-05		2005-06		2006-07	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1	2	3	4	5	6	7
आर.एल.टी.आर.आई., आस्का	3000	8200	3000	8600	3500	13000
आर.एल.टी.आर.आई., रायपुर	2000	9800	1800	13300	1800	15500
आर.एल.टी.आर.आई., गौरीपुर	15000	0	15000	0	16000	0

(रुपए हजार में)

	संशोधित अनुमान					
	2004-05		2005-06		2006-07	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1	8	9	10	11	12	13
आर.एल.टी.आर.आई., आस्का	3000	8200	2300	8600	1400	11200
आर.एल.टी.आर.आई., रायपुर	2000	9800	1800	13300	2600	16400
आर.एल.टी.आर.आई., गौरीपुर	15000	0	142000	0	15600	0

(रुपए हजार में)

	वास्तविक व्यय					
	2004-05		2005-06		2006-07	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1	14	15	16	17	18	19
आर.एल.टी.आर.आई., आस्का	370	9403	206	9457	128	9617
आर.एल.टी.आर.आई., रायपुर	1124	12965	1340	12334	1983	13592
आर.एल.टी.आर.आई., गौरीपुर	11094	0	13565	0	14116	0

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत चलाई जा रही परियोजनाएं

624. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में आरंभ किए गए कार्यों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों/परियोजनाओं की निगरानी की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में पंचायतों की भूमिका सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु पंचायत के सदस्यों तथा पंचायत के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के भवतमाल जिले सहित विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायतों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा इस धनराशि से कितना कार्य किया गया?

पंचायती राज मंत्री युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम 27 राज्यों में 250 जिलों को आवृत्त करता है। इनमें से 147 जिले राष्ट्रीय सग विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) के तहत आवृत्त थे जिन्हें बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। इनमें से 55 जिलों ने आर.एस.वी.वाई. के तहत अपनी पूरी हकदारी प्राप्त कर ली है। 92 पूर्ववर्ती आर.एस. वी.वाई. जिले, जिन्होंने आर.एस.वी.वाई. के तहत 45 करोड़ रुपये की अपनी पूरी हकदारी प्राप्त नहीं की है, के लिए निर्मुक्तियां की जा रही हैं।

आर.एस.वी.वाई. स्कीम का उद्देश्य निम्न कृषि उत्पादकता तथा बेरोजगार की समस्याओं का निवारण करने के साथ-साथ भौतिक व सामाजिक अवसंरचना के संकटपूर्ण अंतरालों को पाटना भी था। आर.एस.वी.वाई. के तहत जारी योजनाओं की निदर्शी सूची में विभिन्न क्षेत्रों के तहत, आंगनवाड़ी केन्द्र, बेघरों के लिए घर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र, सिंचाई संरचनाएं, विद्यालय भवन, सड़कें, पुलिया, पुल, मत्स्य तालाब, ग्रामीण बाजार शेड, आय सृजन स्कीमें आदि जैसे व्यापक किस्म के कार्य शामिल होंगे।

बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय अवसंरचना के संकटपर्ण अंतरालों को पाटना तथा विकास की वैसी जरूरतों को पूरा करना है जिन्हें विद्यमान निधि अंतर्प्रवाह द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं पूरा किया जा रहा है। इसलिए बी.आर.जी.एफ. के तहत विभिन्न जिलों में जो कार्य/परियोजनाएं ली जा रही हैं, वे शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों की पंचायतों तथा जिला योजना समितियों द्वारा अनुभूत आवश्यकताओं व उन्हें प्राथमिकता प्रदान किए जाने पर निर्भर करेंगी। निर्मुक्तियों के लिए अभी तक 57 जिला योजनाओं का परीक्षण व प्रसंस्करण किया गया है। इन जिलों में बी.आर.जी.एफ. के तहत लिए गए कार्य/परियोजनाओं में मुख्य रूप से जो अवसंरचनाएं शामिल हैं, उनमें - आंगनवाड़ी केंद्र, रसोई शेडों, सब-हेल्थ सेंटरों, आयुर्वेदिक औषधालय भवनों, पशुचिकित्सा औषधालयों व हॉस्पीटलों, विद्यालयों के लिए प्रयोगशाला व पुस्तकालय भवन, हायर सेकेंडरी विद्यालय भवनों, विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों, पंचायत भवनों, आंतर ग्राम सड़कों, नालियो, स्वच्छता, नदी संरक्षण, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति, खेल सुविधाएं, जल टैंकों, मत्स्य टैंकों, जलनिकासी सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, माइक्रो क्रेडिट आदि के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग) कार्यान्वयन मानीटरन के संबंध में बी.आर.जी.एफ. का दिशा-निर्देश, माध्यमिक पंचायत स्तर तक पंचायतों द्वारा पीयर रिव्यू, जिला स्तर पर जिला योजना समिति द्वारा गठित समिति के पुनरीक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की उच्चशक्ति प्राप्त समिति द्वारा पुनरीक्षण व ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षण व शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभाओं के पुनरीक्षण का अनुबंध करता है।

(घ) और (ङ) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम स्थानीय शासन को मजबूत बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं की क्षमता-निर्माण के लिए राज्यों को 1 करोड़ रुपये प्रति जिला की दर से कुल 250 करोड़ रुपये प्रति वर्ष उपलब्ध कराती है। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण, योजनाकरण में तकनीकी सहायता, प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर विस्तार या संसाधन केंद्र तथा पंचायतों में कम्प्यूटरों की व्यवस्था आते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिलों को आवंटित विकास अनुदान के 5 प्रतिशत भाग को ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की वृद्धि के उपयोग में लाया जा सकता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढांचे पर आधारित है तथा इसमें लेखा, सामाजिक अंकेक्षण, सूचना का अधिकार, पंचायत राजस्व, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं द्वारा आवृत्त योजनाओं और सेक्टरों में पंचायत द्वारा किए गये कोड़ प्रकार्य तथा प्रकार्यात्मक साक्षरता पर आधारभूत प्रकार्यात्मक पाठ्यक्रम शामिल हैं।

(च) बी.आर.जी.एफ. के अन्तर्गत आवंटन जिलावार किया जाता है। राज्य सरकारें एक नियामक फार्मूले के आधार पर प्रत्येक पंचायत व शहरी स्थानीय निकाय को परस्पर आवंटित करती है जिसमें (क) शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच निधि का आवंटन (ख) पंचायतों के तीन स्तरों के भीतर

पंचायत के प्रत्येक स्तर का भाग (ग) संबंधित प्रत्येक पंचायत या नगरपालिका का भाग निर्धारित होता है।

महाराष्ट्र में, 12 जिलों को बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इनमें से 9 जिलों को आर.एस.वी.वाई. कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया था। चूंकि इनमें से किसी भी जिले ने आर.एस.वी.वाई. को पूरा नहीं किया है, वे इस योजना को पूरा करने के लिए निधि आहरित कर रहे हैं। शेष तीन जिले, नामशः अमरावती, औरंगाबाद तथा यवतमाल ने जिला योजना समिति द्वारा समेकित जिला योजनाओं पर आधारित अपने बी.आर.जी.एफ. के प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। महाराष्ट्र के मामले में प्रमुख रुकावट यह है कि जिला योजना समितियां संविधान के अनुच्छेद 243 जेड.डी. के अनुरूप अब तक गठित नहीं हुई हैं। राज्य सरकार ने वादा किया है कि मार्च 2008 तक जिला योजना समितियां गठित कर दी जाएंगी तथा अमरावती, औरंगाबाद तथा यवतमाल के लिए योजनाएं भेज दी जाएंगी। जिला योजना तैयार करने के लिए प्रोफेशनल समर्थन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों को प्रति जिला 10 लाख रुपये की दर से 1.2 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 2007-08 के दौरान आर.एस.वी.वाई. के अन्तर्गत उनकी हकदारी के मद में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, हिंगोली और नांदेड़ (प्रत्येक को 7.5 करोड़ रुपये) जिलों को 30 करोड़ रुपये जारी की गई। 2006-07 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता निर्माण के लिए महाराष्ट्र को 6.19 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

महाराष्ट्र के 12 जिलों के आबंटन तथा उन्हे जारी की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

विवरण

2007-08 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत महाराष्ट्र की समग्र जिला-वार हकदारी

क्र. सं.	जिला	आर.एस.वी.वाई./ गैर आर.एस. वी.वाई.	2007-08 के दौरान बी.आर. जी.एफ. के लिए कुल वार्षिक आबंटन, (करोड़ रुपये में)	2007-08 में आर.एस.वी.वाई. के तहत निर्मुक्त राशि (करोड़ रुपये में)	2007-08 में आर.एस.वी.वाई. के तहत निर्मुक्त की जाने वाली शेष राशि (करोड़ रुपये में)	2007-08 मे जिला योजना के लिए जारी किया गया अग्रिम (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदनगर	आर.एस.वी.वाई.	30.68		22.50	.10
2.	अमरावती	गैर आर.एस.वी.वाई.	24.13			.10
3.	औरंगाबाद	गैर आर.एस.वी.वाई.	23.37			.10
4.	भंडारा	आर.एस.वी.वाई.	15.16		15.00	.10
5.	चंद्रपुर	आर.एस.वी.वाई.	22.36	7.50	15.00	.10
6.	धुले	आर.एस.वी.वाई.	18.71		22.50	.10
7.	गढ़चिरोली	आर.एस.वी.वाई.	22.02	7.50	7.50	.10
8.	गोंदिया	आर.एस.वी.वाई.	16.40		15.00	.10
9.	हिंगोली	आर.एस.वी.वाई.	15.39	7.50	15.00	.10

1	2	3	4	5	6	7
10.	नांदेड़	आर.एस.वी.वाई.	23.63	7.50	7.50	.10
11.	नंदरबार	आर.एस.वी.वाई.	16.98		22.50	.10
12	यवतमाल	गैर आर.एस.वी.वाई.	24.74			.10
		कुल	253.57	30.00	142.50	1.20

2007-08 में कुल जारी की गई राशि 143.70 करोड़ रुपये है (142.50 करोड़ + 1.20 करोड़)

'अगली किस्त को जारी करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

नौकरशाहों हेतु केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति संबंधी नियम

625. श्री अनन्त नायक:

श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. अधिकारियों हेतु केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के संबंध मे नए नियम अपनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की सूची राज्य सरकारों द्वारा भेजी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो आज की तारीख तक राज्यवार स्थिति क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु मौजूदा मानदण्डों में केवल एक मात्र परिवर्तन यह हुआ है कि अधिकारी केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत अपनी तैनाती के लिए तीन विकल्प दे सकते हैं। इन विकल्पो पर पदों की उपलब्धता तथा पद से संबंधित कार्य हेतु अधिकारी की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

'मानित वन' की मुख्य विशेषताएं

626. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों में उल्लिखित "मानित वन" की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सेलर्स, आम लोगों को निर्माण प्रयोजनों हेतु उनके अपने निजी वन उत्पादों का इस्तेमाल करने से रोका गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की दिनांक 12-12-1996 की रिट याचिका (सिविल) 202/1995 में आदेश के अनुसार गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा पहचाने गए क्षेत्र वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की दिनांक 25-10-1980 की अधिसूचना में दर्शाए गए क्षेत्र के अतिरिक्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का पालन करते हैं। इन क्षेत्रों को कई शब्दावलियों में प्राय: "मानित वन" कहा जाता है।

(ख) और (ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किसी भी रहने वाले या आम आदमी को अपने निजी वन उत्पादों का इस्तेमाल करने से रोका नहीं गया है। वह रहने वाले, आम व्यक्तियों द्वारा वन उत्पादों के इस्तेमाल को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7-5-2002 के निर्णय के साथ पठित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुरक्षित वन नियमावली, 1986 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। अत: इस्तेमाल पर रोक का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चल रहे वन और वानिकी से संबंधित मामलों के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7-5-2002 के आदेश का अनुसरण कर रहा है। संघ शासित प्रशासन ने विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु मानित वन के इस्तेमाल के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7-5-2002 के आदेश में कतिपय संशोधनों हेतु एक आई.ए. सं. 1264 दायर की है।

वन कानूनों के तहत वन की परिभाषा

627. श्री बलपत सिंह परस्ते: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन कानून वनों की सुस्पष्ट व्याख्या नहीं करते;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने वन अधिनियम 1927 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कार्य-क्षेत्र की व्याख्या की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का अंतिम निर्णय क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12-12-96 द्वारा "वन" को परिभाषित किया है जिसे कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उद्देश्य हेतु इसके शब्दकोश के अर्थानुसार समझा जाए। वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में आने वाले शब्द "वन भूमि" में न केवल शब्दकोश के भाव में समझे जाने वाला शब्द वन शामिल होगा, परन्तु सरकारी अभिलेख में किसी स्वामित्व के होने के बावजूद वन के रूप में अभिलेखित कोई भी क्षेत्र शामिल होगा।

सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य

628. श्री एम. अप्पादुरई: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम.पी. लैड कोष में से सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस पुनर्वास कार्य की निगरानी के लिए किसी प्राधिकरण अथवा किसी गैर-सरकारी संगठन को नियुक्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) लोक सभा और राज्य सभा से संबंधित अपेक्षित जानकारी क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) एम.पी.लैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के अधीन कार्यों के समग्र पर्यवेक्षण का दायित्व जिला प्राधिकारियों को सौंपा गया है।

विवरण-I

एम.पी. लैड्स के अंतर्गत सुनामी पुनर्वास/पुनर्निर्माण कार्य (लोक सभा)

राज्य का नाम	जिला	कार्यों की संख्या				
		अधिकृत	लागत (लाख रु.)	पूर्ण	चालू	अभी शुरू किए जाने हैं
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	नेल्लूर	3	22	2	-	1
	प्रकासम	2	15	1	-	1

1	2	3	4	5	6	7
	गुंटूर	1	18	–	1	–
	पूर्व गोदावरी	6	9	6	–	–
	पश्चिम गोदावरी	1	20	1	–	–
	कृष्णा	2	20	–	2	–
	कुल	**15**	**104**	**10**	**3**	**2**
केरल	कोल्लम	1	100	–	1	–
	अलापुझा	1	18	–	–	1
	कुल	**2**	**118**	**–**	**1**	**1**
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	2	270	–	2	–
	कुड्डालोर	6	308	5	1	–
	नागपट्टनम	21	288	19	2	–
	रामनाथपुरम	1	20	–	1	–
	कुल	**30**	**886**	**24**	**6**	**–**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	854.81	2	3	–
पांडिचेरी	पांडिचेरी	5	225	–	5	–
	कुल योग	57	2187.81	36	18	3

विवरण-II

एम.पी. लैड्स के अंतर्गत सुनामी पुनर्वास/पुनर्निर्माण कार्य (राज्य सभा)

राज्य का नाम	जिला	कार्यों की संख्या				
		अधिकृत	लागत (लाख रु.)	पूर्ण	चालू	अभी शुरू किए जाने हैं
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	नेल्लूर	6	24	–	5	1

1	2	3	4	5	6	7
	प्रकासम	2	20	2	–	–
	पश्चिम गोदावरी	7	45	2	5	–
	कृष्णा	6	60	–	6	–
	कुल	**21**	**149**	**4**	**16**	**1**
केरल	कोल्लम	1	45	–	1	–
	अलापुझा	2	75	–	1	1
	एर्णाकुलम	1	35	–	1	–
	कुल	**4**	**155**	**–**	**3**	**1**
तमिलनाडु	कन्याकुमारी	11	250.5	6	4	1
	कुड्डालोर	10	397.5	6	3	1
	नागपट्टनम	19	337.5	15	4	–
	कांचीपुरम	1	45.0	1	–	–
	विल्लुपुरम	40	204.0	31	6	3
	कुल	**81**	**1234.5**	**59**	**17**	**5**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13	1280	1	12	–
पांडिचेरी	पांडिचेरी	6	317.5	–	6	–
	कुल योग	125	3136.0	64	54	7

[हिन्दी]

तपेदिक के मामले में वृद्धि

629. श्री सुभाष महरिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तपेदिक का संक्रमण एक खतरनाक चरण पर पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस बीमारी को फैलाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

(घ) देश में तपेदिक के मरीजों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) क्षयरोग के नियंत्रण के लिए 85 प्रतिशत नए थूक सकारात्मक रोगियों की उपचार दर का लक्ष्य प्राप्त करने तथा कम से कम ऐसे 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाने

के उद्देश्य से बनाया गया संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) जो कि व्यापक रूप से डॉट्स के रूप में जाना जाता है और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्तुत कार्यनीति है, पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। आर.एन.टी.सी.पी. के तहत एक्स-रे के बजाय सूक्ष्म दर्शिकी द्वारा थूक की जांच करने की प्रक्रिया प्रारम्भिक तौर पर संक्रमित रोगियों का पता लगाने और उनके उपचार में सहायक होती है। थूक सूक्ष्म-दर्शिकी द्वारा थूक की जांच करने की सुविधाओं को विकेन्द्रीकृत और सुसंगठित किया गया है। रोगियों को दवाइयां देख-रेख में दी जाती हैं और रोगियों की निगरानी की जाती है ताकि उनका पूर्ण रूप से उपचार हो सके। दवाइयां रोगी-वार कक्ष में निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। अब तक, आर.एन.टी.सी.पी. ने 78 लाख से अधिक रोगियों का डॉट्स उपचार किया है और 14 लाख से अधिक रोगियों को मौत से बचाया है। प्रत्येक माह 1 लाख से अधिक रोगियों का डॉट्स उपचार किया जाता है। वर्ष 2006 में ही विश्व में अन्य देशों की अपेक्षा केवल भारत में एक वर्ष में 14 लाख से अधिक लोगों का डॉट्स उपचार किया गया। आर.एन.टी.सी.पी. का निदान/उपचार संबंधी समग्र निष्पादन अनवरत रूप से पूर्णता दर 85 प्रतिशत से अधिक बना हुआ है और मृत्यु दर घट कर 5 प्रतिशत से भी कम हो गई है। कार्यक्रम के तहत दी गई सुविधाओं की मात्रा की सुगम्यता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संप्रेषण क्रियाकलापों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और चिकित्सा महा-विद्यालयों की भागीदारी पर विशेष बल दिया जाता है।

(घ) वर्ष 2006 और वर्तमान वर्ष के दौरान कार्यक्रम के तहत पता लगाए गए रोगियों और उपचार किए गए रोगियो का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2006 के दौरान और अब तक कार्यक्रम के तहत पता लगाए गए क्षय रोगियों और उपचार किए गए रोगियों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य	2006	सितम्बर, 2007 तक
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	920	590
2.	आंध्र प्रदेश	107131	82954
3.	अरुणाचल प्रदेश	2607	2153
4.	असम	32311	27958
5.	बिहार	61151	61476
6.	चंडीगढ़	2322	1871
7.	छत्तीसगढ़	28209	20779
8.	दादरा एवं नगर हवेली	391	300
9.	दमन व दीव	280	256
10.	दिल्ली	47606	39260
11.	गोवा	2036	1510
12.	गुजरात	79821	61096

क्रमांक	राज्य	2006	सितम्बर, 2007 तक
13.	हरियाणा	34693	28097
14.	हिमचाल प्रदेश	13303	10913
15.	जम्मू-कश्मीर	10268	9863
16.	झारखण्ड	33035	27505
17.	कर्नाटक	64842	50737
18.	केरल	25248	18159
19.	लक्षद्वीप	16	12
20.	मध्य प्रदेश	74435	60817
21.	महाराष्ट्र	138837	107827
22.	मणिपुर	4603	3771
23.	मेघालय	3929	3649
24.	मिजोरम	1912	1657
25.	नागालैंड	2695	2339
26.	उड़ीसा	44790	37579
27.	पांडिचेरी	1513	1042
28.	पंजाब	34537	28289
29.	राजस्थान	107783	86845
30.	सिक्किम	1458	1225
31.	तमिलनाडु	87065	65323
32.	त्रिपुरा	2314	1972
33.	उत्तर प्रदेश	224465	187188
34.	उत्तराखंड	11653	10567
35.	पश्चिम बंगाल	109319	83157
	कुल योग	1397498	1128736

[अनुवाद]

बच्चों को दी जाने वाली एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं की खुराक

630. श्री जोवाकिम बखला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.), यू.एन. एड्स तथा यूनीसेफ द्वारा संयुक्त रूप से जारी "टुवर्ड्स युनिवर्सल एक्सेस सकेलिंग अप प्रीओरिटी एच.आई.वी./एड्स इंटरवेशन्स इन द हेल्थ सेक्टर" नामक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित 39.5 मिलियन लोगों में से 5.7 मिलियन भारत में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त से अक्तूबर 2007 के बीच बच्चों को एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं की निशुल्क खुराक देनी आरंभ कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एच.आई.वी. तथा एड्स के सभी मरीजों के निःशुल्क उपचार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) प्रहरी निगरानी-2006 तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III पर आधारित संशोधित अनुमानों के अनुसार भारत मे 2 से 3.1 मिलियन एच.आई.वी./एड्स रोगी होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय बाल ए.आर.टी. पहल नवम्बर, 2006 में शुरू कीगई थी। वयस्कों के लिए मुफ्त ए.आर.वी. औषध तथा बच्चों के लिए बाल रोग फारमूलेशन 127 ए.आर.टी. केन्द्रों पर उपलब्ध कराए गए हैं जहां एक लाख से अधिक वयस्क तथा लगभग 8 हजार बच्चों का उपचार किया जा रहा है।

वडोदरा और सूरत के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किया जाना

631. श्री पी.एस. गड़वी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर वडोदरा और सूरत के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने की परियोजना को अब भी केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने की प्रतीक्षा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर वडोदरा से भरूच और भरूच से सूरत के बीच की कुल 148 कि.मी. लंबाई में निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत 6 लेन बनाई जा रही हैं। इस परियोजना को जुलाई, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट

632. श्री राकेश सिंह:

श्री मंजुनाथ कुन्नुर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के संदर्भ में हुई त्रिपक्षीय बैठक में पड़ोसी देश चीन ने कोई वक्तव्य दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे भारत का दावा कितना मजबूत होगा तथा इस मामले में अन्य देशों द्वारा खड़ी की जा रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। 24 अक्तूबर, 2007 को हार्बिन (चीन) में चीन, भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक के अंत में जारी संयुक्त विज्ञप्ति में चीन और रूस के विदेश मंत्रियों ने अन्य बातों के साथ-साथ "यह बात दोहराई कि उनके देश अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की स्थिति को महत्वपूर्ण मानते हैं और संयुक्त राष्ट्र में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भारत

की आकांक्षाओं को समझाते हैं और उसका समर्थन करते हैं।"

(ग) और (घ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत की उम्मीदवारी को व्यापक समर्थन मिलता रहा है। सरकार भारत की उम्मीदवारी हेतु और समर्थन जुटाने के लिए राक्रिय प्रयास जारी रखे हुए है जिनमें विभिन्न देशों के साथ चर्चाएं करा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर वाद-विवाद में भाग लेना शामिल है।

आर्यन कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड को भूमि का आवंटन

633. श्री चन्द्र शेखर दुबे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.ई.सी.एल. द्वारा आर्यन कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड तथा कोल इंडिया लिमिटेड को कोयला धोवनशालाओं की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवंटित भूमि कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एस.ई.सी.एल. का विचार उक्त भूमि पर निकट भविष्य में खुले मुंह वाली खानों के खनन की परियोजना चलाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने कोयला वाशरी की स्थापना हेतु मैसर्स आर्यन कोल बेनीफिकेशन प्रा.लि. को 5 हैक्टेयर भूमि लीज पर आबंटित की है।

(ग) और (घ) जी, हां। दीपिका ओपनकास्ट परियोजना के ओ.बी. डम्प हेतु पता लगायी गई 197 हैक्टेयर भूमि में से बाह्य भू-भाग में 5 हैक्टेयर भूमि कोयला परिष्करण संयंत्र की स्थापना के लिए एस.ई.सी.एल. द्वारा 1998 में मैसर्स आर्यन कोल बेनीफिकेशन प्रा.लि. को लीज पर दी गई थी।

(ङ) चूंकि ओवरबर्डन डम्पिंग हेतु क्षेत्र की पहले ही पहचान कर ली गई है, इसलिए क्षेत्र में ओपनकास्ट खनन द्वारा कोयले के निष्कर्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री का अफ्रीकी देशों का दौरा

634. श्री संतोष गंगवार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री के अफ्रीकी देशों के हाल के दौरे के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार और अफ्रीकी देशों के बीच एक-दूसरे से सहयोग के लिए कोई संयुक्त रणनीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) प्रधान मंत्री की नाइजीरिया यात्रा के दौरान 15 अक्तूबर, 2007 को भारत और नाइजीरिया के बीच सामरिक भागीदारी संबंधी आबूजा घोषणा जारी की गई। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के संबंध में घोषणा में कहा गया है कि "भारत और नाइजीरिया के बीच अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और मादक द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग करने की अच्छी परंपरा रही है। इस बात पर सहमति हुई कि इस प्रकार का सहयोग बढ़ाया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त करार संपन्न किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने आतंकवाद की हर तरह से स्पष्ट शब्दों में भी भर्त्सना की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आतंकवाद की किसी भी कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है"।

लम्बित झील संरक्षण परियोजनाएं

635. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए राष्ट्रीय तालाब और झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत पन्ना जिले में बेनीसागर झील और दामोह जिले में

पुरैना तालाब हेतु 1.36 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव भी पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण ने 'पन्ना जिले में बेनीसागर झील की संरक्षण और प्रबंधन योजना' तथा दामोह जिले की 'पुरेना तालाब की संरक्षण ओर प्रबंधन योजना' संबंधी प्रस्ताव शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थित प्रदूषित व अवक्रमित झीलों की स्थिति सुधारने के संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात् राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत एक प्रस्ताव इस मंत्रालय को विचारार्थ प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा अध्ययन के माध्यम से कतिपय झीलों की पहचान की गई थी। राज्य सरकारों से झीलों पर प्राथमिकता हेतु विचार करने के लिए कहा गया था। बेनीसागर झील का न तो मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारण किया गया था और न ही राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत विचार करने के लिए इसे राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल किया गया था। पुरेना तालाब संबंधी प्रस्ताव में कतिपय खास तकनीकी मुद्दों से संबंधित कमियां पाई गई थीं। मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश ने प्रारम्भ में राज्य में 11 झीलों को प्राथमिकता दी थी। इनमें से 3 झीलो अर्थात् रानी तालाब (रीवा), सागर झील (सागर) और शिवपुरी झील (शिवपुरी) से संबंधित परियोजनाएं इस मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई हैं। नई झीलो से संबंधित प्रस्तावों पर राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के दिशानिर्देशानुसार उनकी स्वीकार्यता, प्राथमिकता, प्रदूषण की स्थिति तथा योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

ई.आई.ए. अधिसूचना, 2004 का उल्लंघन

636. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006 में जारी की गई नई अधिसूचना ई.आई.ए. अधिसूचना, 2004 का उल्लंघन करती है;

(ख) यदि हां, तो जारी अधिसूचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण मंजूरी प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा की सिफारिशों के आधार पर अपना निर्णय देती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार के पास उक्त समितियों के गठन हेतु ऐसे कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, सरकार ने 14 सितम्बर, 2006 की पूर्व पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 को रद्द करते हुए एस.ओ. सं. 1533(ई) के तहत एक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में 39 विकासात्मक कार्यों जिनमें स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, जन परामर्श, मूल्य निरुपण और परियोजना स्थल की मानीटरिंग शामिल है के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में सूचीकृत 'ख' श्रेणी की परियोजनाओं के बारे में पर्यावरणीय मंजूरी की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के बारे में निर्णय का अधिकार संबंधित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के पास है।

(ङ) और (च) सरकार को राजस्थान राज्य सरकार से राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण और राजस्थान राज्य सरकार के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति गठित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने दिनांक 14 अगस्त, 2007 के पत्र के तहत राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी है।

[अनुवाद]

ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना

637. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विएना में हुई बैठक के दौरान भारत ने अमीर देशों से अपनी वचनबद्धताओं के अनुसार वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) इस बैठक के दौरान अंगीकृत घोषणा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अमीर देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेंट चेंज के तत्वावधान में क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनुबंध-I पक्षकारों की आगे की प्रतिबद्धताओं से संबंधित पर एडहॉक वर्किंग ग्रुप (ए.डब्ल्यू.जी.) का चौथा सत्र तथा कन्वेंशन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने हेतु दीर्घावधिक सहकारिता कार्रवाई संबंधी चौथी कार्यशाला वियना, आस्ट्रिय में 27 से 31 अगस्त, 2007 तक आयोजित की गई थी। एडहॉक वर्किंग ग्रुप के विचार-विमर्शों के दौरान भारत ने अपनी स्थिति दोहराई कि अनुबंध-I देशों को शीघ्र से शीघ्र अपना क्वांटिफाइड एमिशन लिमिटेशन रिडक्शन टारगेट निर्धारित करना चाहिए, ताकि प्रतिबद्धता अवधियों के बीच कोई अंतराल न हो।

(ख) और (ग) उपरोक्त बैठकों के स्वरूप के अनुसार, किसी तरह की घोषणा करने अथवा उसे अपनाने की प्रत्याशा नहीं थी।

बांझपन दूर करने वाली औषधियां

638. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांझपन दूर करने वाली औषधियों की समुचित जांच किए बिना ही मंजूरी दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रतिकूल विषैलेपन के लक्षण के बावजूद भी इन बांझपन को दूर करने वाली औषधियों को उपचार हेतु जारी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हृदय पर नारियल के तेल का प्रभाव

639. श्री पी.सी. थामस: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइन्स एंड टेक्नालॉजी, तिरूवनंतपुरम ने हृदय पर नारियल के तेल का प्रभाव संबंधी कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) के अनुसार, श्री चित्रा तिरूनल इन्स्टीट्यूट फार मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नालाजी, तिरूवनंतपुरम ने "नारियल तेल और केरल में चक्रीय हृदय-धमनी रोग की व्यापत्ता" नामक अध्ययन किया था। अध्ययन से पता चलता है कि नारियल तेल के उपयोग से लाइपिड चयापचय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिससे चक्रीय हृदय धमनी रोग होता है।

[हिन्दी]

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का मूल्यांकन

640. श्री ब्रजेश पाठक:

श्री मो. ताहिर:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अधीन निर्धारित/हासिल लक्ष्यों का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के उद्देश्यों और क्रियान्वयन में कोई खामियां पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं/किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अधीन वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धियां विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण से जुड़ी समस्याओं, पर्यावरण और वन स्वीकृति, रेलवे से स्वीकृति में विलंब, कुछ ठेकेदारों के निम्नस्तरीय कार्य निष्पादन और कुछ ठेकों को रद्द किए जाने आदि के कारण मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I से संबंधित कुछ ठेकों को पूरा करने में विलंब हुआ है।

(घ) चालू और भावी परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए किए गए उपाय विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान
लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि

क्र. सं.		कार्य योजना के अनुसार									
		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	रा.रा. को 4 लेन का बनाना (कि.मी.)	534.72	391.36	2195.97	763.33	2896.10	2348.97	1099.24	726.66	1283.93	636

विवरण-II

परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(क) विभिन्न स्तरों पर जैसे पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ठेकों पर नियमित निगरानी रखी जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के स्तर पर प्रगति की समीक्षा भी की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि-अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया अब आसान बना दी गई है।

(ङ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकॉन इंटरनेशनल लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) कार्य न करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

(छ) ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजशुदा विवेकाधीन अग्रिम प्रदान करके, समान राशि की बैंक गारंटी के लिए अवधारण राशि जारी करके, अग्रिम (ब्याज आधार पर) की वसूली स्थगित करके तथा न्यूनतम अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र (आई.पी.सी.) राशि में छूट प्रदान करके ठेकेदारों की नकद प्रवाह समस्या में सुधार के लिए उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

दावानल नियंत्रण तंत्र

641. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र अग्नि प्रवण है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दावानल से राज्यवार अनुमानत: कितना वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है;

(ग) सरकार के पास दावानल नियंत्रण हेतु कितने आधुनिक प्रभावी नियंत्रण तंत्र उपलब्ध हैं;

(घ) क्या दावानल पर प्रभावी नियंत्रण तंत्र हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) वन स्थिति रिपोर्ट, 1995 के अनुसार, दो दशकों की अवधि में सेम्पल प्लॉट एक्टिविटि में और उसके इर्द-गिर्द आग लगने की घटना के रिकार्ड का विश्लेषण करने से पता चला है कि भारतीय वन का 53.1 प्रतिशत अग्नि प्रवण है, और इसमें से 9 प्रतिशत क्षेत्र बार-बार आग लगने से प्रतिकूलत: प्रभावित होता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) दावानल प्रबंधन में रोकथाम, समय से पता लगाना, नियंत्रण और मानीटरी शामिल है। रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि जैसी प्रौद्योगिकियों का सम्मिलन दावानल का पता लगाने और मानीटरी में किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रायोजित - एकीकृत वन संरक्षण स्कीम के अंतर्गत, दावानल नियंत्रण और प्रबंधन भी एक घटक है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित, दावानल के प्रभावी संरक्षण एवं नियंत्रण के विभिन्न कार्यकलापों के लिए शेयरिंग आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

परमाणु हथियारों का प्रसार

642. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने पड़ोसी देशों में बढ़ते हुए परमाणु हथियारों के प्रसार के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में निकट भविष्य में ऐसा कोई अध्ययन कराए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) सरकार भारत के पड़ोस में नाभिकीय शस्त्रों के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखे हुए है जिसमें हमारे पड़ोस में आगे की प्रसार गतिविधियों के संबंध में हाल में ही हुए खुलासे शामिल हैं। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक उपाय जारी रखे हुए है।

नई कोयला खानें

643. श्री प्रकाश बी. जाधव:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयले के किसी नए भंडार का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं और उन स्थानों पर राज्यवार और स्थानवार अनुमानत: कोयले के कितने भंडार का पता चला है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने 10वीं योजना अवधि के दौरान भारत के अनेक कोलफील्डों में लगभग 12.5 बिलियन टन के कोयले के अतिरिक्त संसाधन स्थापित किए हैं।

(ख) राज्यवार और स्थानवार आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

10वीं योजना अवधि (अप्रैल, 2002 से मार्च, 2007 तक) के दौरान जी.एस.आई. द्वारा पाए गए अतिरिक्त कोयला संसाधनों वाले क्षेत्रों का ब्यौरा

राज्य	कोलफील्ड	जिला	ब्लाक	संसाधन (मिलियन टन में)
1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	वीरभूमि	वीरभूमि	रामपुर-मौलापुर	378.59
		वीरभूमि	गोपालपुर-गोनपुर	508.98
	रानीगंज	वर्द्धवान	बिस्तापुर-दानेश्वर	191.49
		बंकुरा	मोहनपुर	15.69
		बंकुरा	कृष्णनगर	22.13
		वर्द्धवान	बरूल-बागडीह	24.58

1	2	3	4	5
		वर्द्धवान	चुरलिया	200.24
		बंकुरा	भामूनडीह	15.02
		वर्द्धवान	जमग्राम	36.91
		बंकुरा	मोहनपुर (वेस्ट)	2.05
		वर्द्धवान	रक्षितपुर	518.05
उड़ीसा	ईब-रिवर	झरसुगुदा	लखनपुर	97.10
		अंगुल	सारापल-नवपारा	701.16
		अंगुल	कुदानली-लबोरी	396.10
		अंगुल	नवगांव-तेलीसाही	733.83
		अंगुल	त्रिबीरा	1744.76
झारखंड	साउथ करनपुरा	हजारीबाग	हेटोली	8.91
		हजारीबाग	पातल (वेस्ट)	13.91
		डुमका	उर्मा-पहाड़ीटोला	464.44
		डुमका	चऊधा-गरियापानी	136.27
		डुमका	साहपुर-जामरपानी	683.64
		डुमका	कुकुलीदंगल-सितासाल	653.69
		डुमका	हरीपुर-चपरिया	332.29
मध्य प्रदेश	सोहगपुर	सहडोल	भानपुरा	208.82
		सहडोल	मानपुरा	14.43
		सहडोल	गबूंघूंटी	126.98
		सहडोल	पतासी	152.13
		सहडोल	बिचारपुर	133.59
		सहडोल	सिंहपुर	100.73
		सहडोल	पनवारी	55.47

1	2	3	4	5
		सहडोल	सिंहपुर (नार्थ)	83.17
		उमरिया	मलाघुआ	169.24
	सिंगरौली	सीधी	उजहेनी (वेस्ट)-गोंदबाहेरा	301.47
		सीधी	बन्धा	387.69
		सीधी	बुधेर	326.60
	पेन्च-कन्हाना	बेतुल	चोपना-शक्तिगढ़	14.75
छत्तीसगढ़	कोरबा	कोरबा	केरवा	112.94
	मंद-रायगढ़	रायगढ़	ओंगना-पोटिया	325.43
		रायगढ़	झिलगा-बरपली	545.79
		रायगढ़	अमगांव-कौधना	393.60
		कोरबा	मरपली-करमिटीका	179.51
	रामकोला-टाटापानी	सुरगुजा	सुरसा	28.67
		सुरगुजा	भेलमी	109.67
	हसदेव-अरांद	सुरगुजा	केन्टे	11.15
		सुरगुजा	पेन्द्राखी	387.46
महाराष्ट्र	वर्धा घाटी	चन्द्रपुर	भाटली	1.99
		चन्द्रपुर	एकरजुना पूर्व	153.54
आन्ध्र प्रदेश	गोदावरी घाट	खम्माम	जगन्नाथपुरम-गुडीपाडु	25.10
		वारंगल	वेंकटपुर (नार्थ)	155.95
		खम्माम	धर्माचेरला-अब्बुगुड्डम	21.52
		खम्माम	सन्तीनाग्राम	11.85
		खम्माम	चिनतालचिलका	36.43
		खम्माम	वजनागुड्डम	29.86
		खम्माम	रेचरला-नरसापुरम	43.10

राजमार्गों और सड़कों का उन्नयन

644. श्री बालासाहिब विखे पाटील:

श्री प्रकाश बी. जाधव:

श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान प्रमुख जिलों में राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के उन्नयन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या अनेक राज्यों ने केंद्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत धनराशि का अल्प उपयोग किया है या उसका उपयोग तक नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) राज्यों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ङ) क्या राज्यों द्वारा की गई प्रगति की निगरानी के लिए किसी केंद्र स्तरीय कृतिक बल की स्थापना की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सी.आर.एफ. से आबंटित धनराशि के राज्यों द्वारा शीघ्र उपयोग हेतु केंद्र सरकार ने अन्य क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया गया आबंटन तथा व्यय और केंद्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) से राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए जमा तथा जारी की गई राशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, सी.आर.एफ. में जमा धनराशि का स्वरूप गैर-व्यपगत होता है। केंद्रीय सड़क निधि से धनराशि जारी किया जाना, जारी की गई धनराशि के प्रयोग और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर अनुमोदित और उनके द्वारा कार्यान्वित कार्यों की प्रगति पर निर्भर करता है।

(ङ) राज्यों द्वारा की गई प्रगति को मॉनीटर करने के लिए कोई पृथक कार्य दल गठित नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) कार्यों की प्रगति और धनराशि के उपयोग पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। सी.आर.एफ. कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है और सी.आर.एफ. से धनराशि के उपयोग की प्रगति पर तिमाही आधार पर निगरानी रखी जाती है।

विवरण

वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किए गए आबंटन तथा व्यय, राज्यीय सड़कों तथा मुख्य जिला सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जमा धनराशि तथा जारी धनराशि और आर्थिक महत्व एवं अन्तर्राज्यीय संपर्क स्कीमों के अंतर्गत आबंटन और व्यय के राज्यवार ब्यौरे।

(धनराशि करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया गया आबंटन और व्यय (पी.बी.एफ.एफ. के अंतर्गत आबंटित धनराशि सहित)				राज्यीय सड़कों तथा मुख्य जिला सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जमा धनराशि और जारी धनराशि				आर्थिक महत्व और अन्तर्राज्यीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत आबंटन और व्यय			
		2006-07		2007-08		2006-07		2007-08		2006-07		2007-08	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (31-10-07 तक)	जमा राशि	जमा राशि	जमा राशि	जारि राशि (31-10-07 तक)	आबंटन	जारी राशि	आबंटन	जारी राशि (31-10-07 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	65.76	65.40	86.44	32.97	131.07	47.10	131.07	89.23	5.83	0.00	5.91	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.30	8.29	4.00	0.89	16.26	10.33	16.74	0.00	3.88	3.87	6.38	5.20
3.	असम	79.11	77.10	49.96	27.00	24.61	18.60	26.13	0.00	12.24	1.83	6.38	0.00
4.	बिहार	108.00	106.17	103.82	55.70	38.65	22.91	38.52	11.91	3.22	0.00	3.15	0.00
5.	छत्तीसगढ़	39.45	36.190	58.19	16.79	38.63	22.72	40.35	22.92	0.50	0.00	2.00	0.00
6.	गोवा	2.95	2.64	15.00	5.24	7.95	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	गुजरात	69.00	68.92	70.70	20.75	96.60	96.60	97.07	88.17	12.15	11.60	6.40	0.00
8.	हरियाणा	64.00	64.00	60.00	49.54	56.57	56.57	61.56	54.76	7.81	2.57	6.62	5.52
9.	हिमाचल प्रदेश	39.50	39.44	50.00	32.84	17.24	12.16	18.07	5.01	2.09	0.00	2.05	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	49.04	30.84	50.86	0.00	0.99	0.00	1.73	0.00
11.	झारखण्ड	34.86	35.00	53.00	25.61	34.03	10.26	35.37	0.00	0.50	0.00	0.94	0.00
12.	कर्नाटक	88.91	86.75	86.71	50.30	94.70	108.81	97.92	97.92	27.09	26.48	23.32	0.00
13.	केरल	58.02	54.44	68.48	24.13	45.92	30.92	48.42	15.26	0.25	0.00	2.68	0.00
14.	मध्य प्रदेश	93.73	91.71	95.88	32.59	93.69	81.24	93.85	27.50	8.83	0.00	12.81	0.00
15.	महाराष्ट्र	160.81	159.32	128.76	42.23	156.61	214.95	161.49	55.27	5.57	0.00	20.71	0.00
16.	मणिपुर	14.74	14.65	10.14	1.88	5.09	3.22	5.28	0.00	1.54	1.29	0.08	0.00
17.	मेघालय	25.40	24.31	18.88	7.09	7.73	5.51	8.12	1.53	2.46	1.50	0.72	0.64
18.	मिजोरम	15.53	15.53	13.00	1.00	4.59	4.06	4.74	0.00	0.34	0.00	2.92	0.00
19.	नागालैण्ड	11.82	11.81	7.00	2.27	3.98	2.87	4.13	0.00	3.68	3.68	5.75	5.20
20.	उड़ीसा	73.37	72.22	86.81	50.19	50.63	50.63	52.14	13.01	17.03	17.03	12.08	1.90
21.	पंजाब	75.34	74.69	73.05	48.48	63.82	62.30	62.90	36.80	5.03	3.71	2.83	1.26
22.	राजस्थान	81.87	80.78	89.18	65.90	119.80	134.12	119.83	91.07	7.31	6.67	5.91	4.96
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	1.42	2.13	0.88	4.68	3.70	12.70	4.99

24.	तमिलनाडु	84.69	79.40	92.78	53.96	104.74	128.74	106.78	0.00	0.25	0.00	0.16	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	2.92	3.29	0.00	1.47	1.38	1.97	0.00
26.	उत्तराखण्ड	54.61	52.86	62.35	16.27	18.46	18.46	19.07	0.00	6.87	2.79	6.38	5.50
27.	उत्तर प्रदेश	104.20	101.36	140.87	47.27	142.17	193.14	143.11	0.00	12.85	0.00	6.65	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	47.00	46.77	65.00	17.93	54.21	66.86	53.65	17.85	7.60	5.00	5.70	0.00
	संघ राज्य क्षेत्र												
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.75	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	1.00	0.96	2.00	0.05	2.24	1.01	2.28	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
31.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	1.10	0.00	0.50	0.00	2.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.79	0.00	2.40	0.50	2.00	1.60
33.	दिल्ली	3.00	1.47	17.00	4.04	43.84	22.27	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	5.00	4.99	8.50	1.89	3.60	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

गुजरात को समीपवर्ती खानों से कोयले का आबंटन

645. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य को 1600 कि.मी. से भी दूर स्थित कोयला क्षेत्रों से विद्युत उत्पादन के लिए कोयला प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार को परिवहन लागत कम करने के उद्देश्य से समीपवर्ती कोयला खानों से कोयला आबंटित करने के लिए गुजरात राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) गुजरात स्थित सिक्का में केवल एक तापीय विद्युत स्टेशन 1600 किलोमीटर से भी दूर स्थित खान से कोयला प्राप्त कर रहा है। गुजरात के विद्युत स्टेशन वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) की निकटतम खानों से अपने कोयले का भाग प्राप्त कर रहे हैं तथा अधिकांश भाग अगले बेहतर वैकल्पिक स्रोत अर्थात साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) से दूरी के अनुसार प्राप्त कर रहे हैं। दीर्घावधि तथा अल्पावधि आधार पर कोयले का आबंटन कोयले की उपलब्धता, कोयले की निकासी की संभारतंत्रीय व्यवस्था, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार गुणात्मक आवश्यकता आदि को देखते हुए एक अन्तरमंत्रालयी समिति अर्थात स्थायी लिंकेज समिति द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) गुजरात को निकटतम कोयला कंपनियों से कोयले के आबंटन के यौक्तिकीकरण का मामला 28-5-2007 को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान उठाया गया था।

(घ) संघ सरकार द्वारा पता लगाए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक क्षेत्र संभव सीमा तक कोलफील्डों से लिंकेज को स्थिति अनुसार यौक्तिकीकरण से संबंधित है। इस प्रयोजनार्थ विभिन्न तापीय विद्युत स्टेशनों के संबंध में मौजूदा लिंकेजों के यौक्तिकीकरण की संभावना की जांच करने हेतु केंद्रीय विद्युत मंत्रालय में एक समिति का गठन कर दिया गया है।

मूल कोशिका

646. श्री एनेन बर्मन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लाइलाज बीमारियों का मूल कोशिका थैरेपी के माध्यम से इलाज किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लोगों को जानकारी दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मरीज मूल कोशिका थैरेपी के माध्यम से इलाज करवाने हेतु विदेश गए हैं; और

(घ) इलाज की इस पद्धति को सभी लोगों के लिए सुगम बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) के अनुसार स्टेम सेल थेरेपी द्वारा उपचार किए जा रहे विभिन्न असाध्य रोगों के बारे में कुछ संस्थानों द्वारा दावे किये गए हैं। तथापि, इस समय अस्थि मज्जा प्रतिरोपण से भिन्न नेमी चिकित्सा प्रक्रिया के भाग के रूप में स्टेम सेल थेरेपी के लिए कोई अनुमोदित संकेत नहीं है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य

647. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में बरास्ता सोनपुर और बोध नयागढ़, बोलांगिर और खुर्दा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। स्वीकृत कार्य नियत समय के अनुसार चल रहे हैं।

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं के अक्तूबर, 2009 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल, 2010

648. श्री एस.के. खारवेनथन:

श्री रेवती रमन सिंह:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में किन-किन खेलों को शामिल किया गया है और किन-किन स्टेडियमों में इन स्पर्धाओं को आयोजित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या इन स्पर्धाओं को सुगम बनाने के लिए स्टेडियमों को पूरी तरह से विकसित किया जा चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सभी खेल परिसरों को नि:शक्त व्यक्तियों के अनुकूल और पर्यावरणानुकूल बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में शामिल खेलों तथा उन स्टेडियमों के ब्यौरे जहां ये खेल आयोजित होंगे, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) अधिकांश स्टेडियमों में विकास/निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा दिसम्बर, 2009 तक पूरा कर लेने की संभावना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। खेल परिसरों को विकलांगों के अनुकूल तथा पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। इस प्रावधान में आसान पहुंच के लिए रैम्प, अलग-अलग शौचालय, वर्षा जल संभरण तथा स्ट्रीट लाईट आदि के लिए सौर ऊर्जा शामिल है। राष्ट्रमंडल खेल, 2010 आयोजन समिति 'ग्रीन गेम्स' के प्रति स्वयं प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ जोड़ा है।

विवरण

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए खेल स्पर्धाओं/स्थलों का ब्यौरा

क्र.सं.	विधाएं	स्थल	स्थिति	एजेंसी
1.	एथलेटिक्स	जे.एन. स्टेडियम	विद्यमान	भा.खे.प्रा.
2.	लन बॉल्स	जे.एन. स्पोर्टस कॉम्पलेक्स	न्यू आऊटडोर ग्रींस	भा.खे.प्रा.
3.	भारोत्तोलन	जे.एन. स्पोर्टस कॉम्पलेक्स	न्यू इंडोर प्रेक्षागृह	भा.खे.प्रा.
4.	हाकी	मे. ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम	विद्यमान	भा.खे.प्रा.
5.	साइक्लिंग	वेलोड्रम, आई.जी. स्पोर्टस कॉम्पलेक्स	विद्यमान	भा.खे.प्रा.
6.	जिम्नास्टिक्स	आई.जी. इंडोर स्टेडियम	विद्यमान	भा.खे.प्रा.
7.	कुश्ती	आई.जी. स्पोर्टस कॉम्पलेक्स	न्यू इंडोर हाल	भा.खे.प्रा.
8.	निशानेबाजी	डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज	विद्यमान	भा.खे.प्रा.
9.	जलक्रीडा	एस.पी. मुखर्जी तरणताल	विद्यमान	भा.खे.प्रा.
10.	नेटबाल	त्यागराज स्पोर्टस कॉम्पलेक्स	न्यू इंडोर हाल	रा.रा.क्षे. दि. सरकार

क्र.सं.	विधाएं	स्थल	स्थिति	एजेंसी
11.	मुक्केबाजी	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम	विद्यमान	एन.डी.एम.सी.
12.	बैडमिंटन	सीरी फोर्ट खेल परिसर	न्यू इंडोर हाल	डी.डी.ए.
13.	स्कवैश	सीरी फोर्ट खेल परिसर	न्यू इंडोर हाल	डी.डी.ए.
14.	टेबल टेनिस	यमुना स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स	न्यू इंडोर हाल	डी.डी.ए.
15.	तीरंदाजी	यमुना स्पोर्टस कॉम्पलेक्स	विद्यमान	डी.डी.ए.
16.	रग्बी	दिल्ली विश्वविद्यालय	न्यू आऊटडोर ग्रींस	डी.यू.
17.	टेनिस	आर.के. खन्ना टेनिस कॉम्पलेक्स	विद्यमान	ए.आई.टी.ए.

भा.खे.प्रा. - भारतीय खेल प्राधिकरण

रा.रा.क्षे. दि. सरकार - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

एन.डी.एम.सी. - नई दिल्ली नगरपालिका

डी.डी.ए. - दिल्ली विकास प्राधिकरण

डी.यू. - दिल्ली विश्वविद्यालय

ए.आई.टी.ए. - अखिल भारतीय टेनिस संघ

[हिन्दी]

जर्मनी के चांसलर का भारत दौरा

649. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी के चांसलर ने हाल ही में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी के बीच किसी समझौते/घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) जी हां। जर्मनी संघीय गणराज्य की चांसलर महामान्या डॉ. एंजेला मर्केल ने 29 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2007 तक भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान "भारत और जर्मनी के बीच सामरिक और वैश्विक साझेदारी के और विकास पर संयुक्त घोषणा जारी की गयी (विवरण-I)। इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग, रक्षा के क्षेत्र में वर्गीकृत सूचनाओं का पारस्परिक संरक्षण, पेटेंट्स और डाक के क्षेत्र में सहयोग के लिए सात द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन संपन्न किए गए (संपन्न किए गए करारों/समझौता ज्ञापनों की सूची विवरण-II" के रूप में संलग्न है)।

विवरण-I

भारत और जर्मनी के बीच सामरिक और वैश्विक साझेदारी के और विकास पर संयुक्त वक्तव्य

नई दिल्ली 30 अक्तूबर, 2007

1. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और चांसलर एंजेला मर्केल ने आज भारत और जर्मनी के बीच सामरिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। विशेष साझेदारी ने वैश्विक मामलों में और अनेक क्षेत्रों में द्विपक्षीय कार्य में पर्याप्त विकास में बढ़ते सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। 21वीं शताब्दी में भारत-जर्मनी साझेदारी के लिए 2000 में अपनाई गई कार्य सूची और अप्रैल 2006 में भारत के प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा के अवसर पर जारी

किए गए संयुक्त बयान की रूपरेखा के भीतर, भारत और जर्मनी सहमत सिद्धान्तों, साझी धारणाओं और हितों के आधार पर अपनी साझेदारी सुदृढ़ करने के विचार से अपनी साझेदारी के दायरे को बढ़ाएंगे।

2. भारत और जर्मनी लोकतंत्र के सार्वभौमिक मूल्यों, कानून के शासन, मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता सहित मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देते हैं जिन्हें बहुलवादी परिवेश में सबसे अच्छी तरह मूर्त रूप दिया जाता है। वे वैश्विक मामलों में शांति, सुरक्षा और समान अवसर का दृष्टिकोण अपनाते हैं। विश्व की प्रमुख चुनौतियों - जिसमें अन्य के अलावा गरीबी, एच.आई.वी./एड्स जैसी बीमारियां, पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुधार, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराध, अवैध प्रवजन और जन व्यापार, व्यापक विनाश के हथियारों और उनके सुपुर्दगी तंत्रों का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद शामिल हैं - का सामना करने और उनका समाधान ढूंढने में वे भागीदार रहे हैं। द्विपक्षीय रूप से तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इन मुद्दों पर सहयोग में और वृद्धि होगी।

3. भारत और जर्मनी व्यापार और द्विपक्षीय निवेश, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, रक्षा के क्षेत्रों में नई पहलों के माध्यम से अपनी साझेदारी को और बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। वे इन सभी क्षेत्रों में विकास की काफी संभावना देखते हैं।

4. भारत और जर्मनी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में सशक्त साझेदार हैं और अपनी सामरिक साझेदारी के इस मुख्य स्तंभ को और मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। भारत-जर्मनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना और मैक्स प्लैंक सोसाइटी द्वारा अभिकल्पित और निर्मित साइंस एक्सप्रेस का आरंभ किया जाना, जो अगले वर्ष के दौरान अनेक भारतीय शहरों में एक प्रदर्शनी को ले जाएगी, इस सहयोग को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण योगदान हैं। दोनों पक्ष चंद्रयान परियोजना सहित अंतरिक्ष के क्षेत्र में सक्रियता से सहयोग कर रहे हैं। आई.टी.ई.आर. में भारत की भागीदारी के लिए जर्मनी के समर्थन और फेयर परियोजना में भाग लेने की भारत की प्रतिबद्धता का स्वागत और अभिनंदन किया गया।

5. व्यापार, निवेश और शिक्षा भारत-जर्मनी साझेदारी और सहयोग के मुख्य क्षेत्र हैं। दोनों पक्षों ने संतुष्टि व्यक्त करते हुए नोट किया कि तीन वर्ष की अवधि के भीतर द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो गया है तथा 2012 तक वार्षिक व्यापार की मात्रा बढ़ाकर 20 बिलियन यूरो करने की दिशा में कार्य करने के लिए सहमत हुए। भारत और जर्मनी के बीच दोतरफा निवेशों में बढोतरी स्वागत योग्य प्रगति है जिसे और बढ़ाने की जरूरत है। निवेश के लिए पारस्परिक लाभप्रद क्षेत्रों के रूप में अवसंरचना और ऊर्जा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें दोनों अर्थव्यवस्थाओं में उपलब्ध कौशलों, संसाधनों और अवसरों के समकालीन स्वरूप पर ध्यान देना चाहिये।

6. भारत में परिवहन अवसंरचना और भारत एवं जर्मनी के बीच परिवहन संबंध हमारे आर्थिक और व्यापार संबंधों के महत्वपूर्ण घटक हैं। रेलवे और विद्युत उत्पादन ऐसे दो क्षेत्र हैं जिनमें जर्मनी का भारत में निवेश एक दूसरे के लिए लाभप्रद होगा और इससे भारतीय और जर्मन उद्योग के लिए चक्रण लाभ उत्पन्न होंगे। दोनों पक्ष इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नवाचारी उपाय और साधन तलाशने के लिए सहमत हुए। भारत व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में जर्मनी के चिरस्थाई भागीदारी की सराहना करता है। दोनों पक्ष इस क्षेत्र में और सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए सहमत हुए जिसमें निजी-सार्वजनिक साझेदारी के माध्यम से सहयोग बढ़ाना शामिल है।

7. दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए व्यवसाय दर व्यवसाय संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने मुंबई में भारतीय और जर्मनी के व्यवसाय रहनुमाओं के सी.ई.ओ. गोलमेज की बैठक का स्वागत किया। तेजी से बढ़ते व्यापार और आर्थिक संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी लाभ के तेजी से विकसित हो रहे पैटर्न के आलोक में, राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यक्तियों और व्यावसायिकों के आवागमन को सुकर बनाने पर सहमति हुई। दोनों सरकारों ने माना कि सेवा क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावना है। इस संदर्भ में, दोनों देशों में व्यक्तियों के साथ-साथ कंपनियों के लिए भी जल्दी से एक सामाजिक सुरक्षा करार निष्पक्ष करने की आवश्यकता पर सहमति थी। दोनों पक्ष इस आकलन से सहमत थे कि द्विपक्षीय हवाई यातायात संबंधों में और वृद्धि दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार संबंध की नींव होगी।

8. दोनों पक्षों ने उत्कृष्ट द्विपक्षीय कार्य, विकास प्राथमिकताओं के संरेखण और नवाचार के उदाहरण के रूप में जर्मनी और भारत के बीच विकास सहयोग की फिर से

पुष्टि करते हैं। परस्पर सहमत प्राथमिकता क्षेत्रों के तहत ऊर्जा, पर्यावरण और स्थाई आर्थिक विकास पर बल दिया गया। भारत-जर्मनी सहयोग सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, विकास, सूक्ष्म वित्तपोषण और ग्रामीण सहकारी बैंकिंग को बढ़ावा देता है। ग्रामीण सहकारी ऋण परियोजना/सहलग्नता बैंकिंग परियोजना, जो भारत-जर्मनी सहयोग का एक कार्यक्रम है, को उदाहरण के रूप में नोट किया गया। ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी द्वारा 150 मिलियन यूरो की एक नई वित्तीय प्रतिबद्धता का स्वागत किया गया जिस पर नवंबर 2007 में निर्णय होने की संभावना है। ये परियोजनाएं स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने और विश्व जलवायु की रक्षा करने संबंधी दोनों पक्षों के उभयनिष्ठ लक्ष्य को प्रवर्तित करती हैं।

9. जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं और मानव जाति के लिए इसके प्रभावों पर ध्यान देने के लिए भारत और जर्मनी तत्काल कारगर और व्यावहारिक समाधान ढूंढने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। इनके तहत एक ऐसे ढंग से उपशमन और अनुकूलन रणनीतियां शामिल होंगी जो विशेष रूप से विकासशील देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने में सहायक हों। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अनुपात का दीर्घकालीन अभिसरण महत्वपूर्ण सिद्धान्तों में से एक है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में वार्ता की नींव होनी चाहिए। दोनों पक्षों ने अपनी साझी किंतु विभेदीकृत जिम्मेदारियों और अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसरण में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। भारत और जर्मनी ने 2012 उत्तर व्यापक करार पर वार्ता में सक्रियता से और रचनात्मक ढंग से भाग लेने के लिए सभी पक्षकारों का आह्वान किया जिसके लिए दिसंबर 2007 में इंडोनेशिया में यू.एन.एफ.सी.सी.सी. सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा।

10. भारत-जर्मनी ऊर्जा मंच के क्रियाकलापों एवं अनुवर्तन को प्रसन्नता के साथ नोट किया गया। 2006 में भारत के विद्युत मंत्री की जर्मनी यात्रा के दौरान दोनों देशों की ऊर्जा एजेंसियों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, ऊर्जा दक्षता पर भारत-जर्मनी संगोष्ठी एवं भारत जर्मनी पर्यावरण मंच (दोनों का 2008 में नई दिल्ली में आयोजन होना है) ऊर्जा पर द्विपक्षीय राजनीतिक वार्ता को अतिरिक्त गति प्रदान करेंगे। इससे इस क्षेत्र में सहयोग परियोजनाओं की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। ऊर्जा विकास तंत्र (सी.डी.एम.) परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन की शीघ्र निष्पत्ति से यह प्रक्रिया और मजबूत होगी। भारत और जर्मनी ने इस समय 21 अनुमोदित परियोजनाओं के साथ बढ़ते द्विपक्षीय सी.डी.एम. सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।

11. विशेष रूप से विकासशील देशों में ऊर्जा की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए सुरक्षित, स्थाई और प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया।

12. इस बात पर सहमति थी कि निर्यात नियंत्रण पर द्विपक्षीय वार्ता सहित रक्षा सहयोग करार के आधार पर विस्तृत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग सामरिक साझेदारी बढ़ाने के लिए नए चरण के विकास की खासियत है। रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान, परियोजना संबद्ध विकास और प्रौद्योगिकी एवं सामान्य रक्षा प्रौद्योगिकी सहित शस्त्र अधिप्राप्ति परियोजनाओं के क्षेत्र में सूचना एवं सहयोग का आदान-प्रदान शामिल करने की परिकल्पना है।

13. भारत और जर्मनी बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के दोहा दौर के शीघ्र, निष्पक्ष और सारभूत परिणाम का जोरदार समर्थन करते हैं। विकास आयाम और विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों के लाभार्थ दोहा दौर में मौजूद मतभेदों को दूर करने की आवश्यकता पर बल देते हुए वे दोहा कार्य सूची की सफल निष्पत्ति के लिए साझी जिम्मेदारी ग्रहण करते हैं। संतुलित और व्यापक करार हासिल करने में भारत और जर्मनी के बीच घनिष्ठ सहयोग का उल्लेखनीय होगा।

14. भारत और जर्मनी ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ती साझेदारी पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि 2006 में हेलसिंकी में भारत-यूरोपीय संघ की शिखर बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में विस्तृत व्यापार और निवेश करार करने के लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच वार्ता शुरू हो गई है। आगामी भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक की उन्हें उत्सुकता से प्रतीक्षा रहेगी जिससे भारत-यूरोपीय संघ संबंध आगे बढ़ेगा।

15. भारत और जर्मनी मानते हैं कि 21वीं शताब्दी की सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करने वाली संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सुदृढ़ बहुपक्षीय तंत्र से वैश्विक सहयोग और सुरक्षा में वृद्धि होती है। बहुपक्षीय तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा सदस्यता के स्थाई एवं अस्थाई दोनों श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार सहित संयुक्त

राष्ट्र संघ के सुधार को मूर्त रूप देने की दिशा में दोनों पक्ष द्विपक्षीय रूप से तथा जी 4 की रूपरेखा में घनिष्ठ सहयोग जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के निमित एक दूसरे की उम्मीदवारी के लिए अपने दृढ़ समर्थन की फिर से पुष्टि की।

16. आतंकवाद एक विश्व व्यापी चुनौती है जिसके लिए समूचे विश्व द्वारा कार्रवाई की जरूरत है। दोनों पक्ष आतंकवाद जो किसी भी परिस्थिति में जायज नहीं है, का मुकाबला करने में साझे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के महत्व को रेखांकित करते हैं। वे द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से तथा बहुपक्षीय मंचों में आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में विचारों, अनुभवों और व्यावहारिक सहयोग के पारस्परिक आदान-प्रदान को तेज करने के लिए सहमत हैं। वे भारत-जर्मनी आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्यदल के माध्यम से सहयोग बढ़ाएंगे, तथा यूरोपीय संघ रूपरेखा में और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक अभिसमय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में यथाशीघ्र करार को आगे बढ़ाने में सहयोग को सुदृढ़ करेंगे। वे पुलिस एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संयुक्त प्रचालनात्मक कार्य सहित अनुभवों का आदान-प्रदान करेंगे और सहयोग बढ़ाएंगे। आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर संधि के निष्पादन से द्विपक्षीय प्रयास और सुदृढ़ होंगे।

17. दोनों पक्षों की यह राय है कि व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार तथा आतंकवाद के साथ इसकी सहलग्नता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। भारत और जर्मनी दोनों की यही राय है कि विश्व व्यापक विनाश के हथियारों से मुक्त हो और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों साथ मिलकर काम करेंगे।

18. भारत और जर्मनी लोकतंत्र और बहुलवाद के शाश्वत मूल्यों के आधार पर अपने-अपने देशों की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लाभार्थ अपनी व्यापक सामरिक साझेदारी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में समवेत रूप से कार्य कर रहे भारत और जर्मनी, जो एशिया और यूरोप में दो प्रमुख लोकतंत्र हैं, के बीच मजबूत साझेदारी से वैश्विक सहयोग और सुरक्षा बढ़ती है। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा विकास को बढ़ावा देने तथा गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

नई दिल्ली में 30 अक्तूबर, 2007 को जारी।

विवरण-II

क्र. सं.	करार/समझौता ज्ञापन	भारत की ओर से हस्ताक्षर	जर्मनी की ओर से हस्ताक्षर
1	2	3	4
1.	भारत गणराज्य की सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जर्मनी संघीय गणराज्य के शिक्षा एवं अनुसंधान संघीय मंत्रालय के बीच भारत-जर्मनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र के सृजन पर समझौता ज्ञापन	श्री कपिल सिब्बल भारत गणराज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा भू-विज्ञान मंत्री	डा. एनेते श्यवान जर्मनी संघीय गणराज्य के शिक्षा एवं अनुसंधान संघीय मंत्री
2.	जर्मनी संघीय गणराज्य के रक्षा मंत्रालय और भारत गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के पारस्परिक संरक्षण पर करार	श्री विजय सिंह सचिव रक्षा मंत्रालय	श्री ब्रेन्ड मुत्जेलबर्ग भारत में जर्मनी संघीय गणराज्य के राजदूत
3.	भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के पेटेन्ट्स	श्री अजय शंकर सचिव, डी.आई.पी.पी. वाणिज्य एवं	डा. जुरगेन श्चाड, अध्यक्ष, जर्मनी पेटेन्ट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय

1	2	3	4
	डिजाइन एवं ट्रेडमार्क कार्यालय के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन	उद्योग मंत्रालय	
4.	भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जर्मनी के मैक्स प्लैंक विज्ञान संवर्धन सोसायटी के बीच "साइंस एक्प्रेस" के शुभारंभ के लिए सहयोग करार	डा. टी. रामासामी सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	डा. आन्द्रे ट्रेप्ते मैक्स प्लैंक विज्ञान संवर्द्धन सोसाइटी के लिए और की ओर से प्रदर्शनी निदेशक
5.	भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और काउन्सिल फॉर द लिंडाउ नोबेल प्राइजविनर्स मीटिंग्स ऐट लेक कोन्सरेंस (फाउंडेशन) के बीच समझौता ज्ञापन	डा. टी. रामासामी सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	प्रो. वोल्फगांग स्कूरर अध्यक्ष, लिन्डाउ फाउ्डेशन की ओर से
6.	भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट फॉर पोलर एण्ड मैरीन रिसर्च इन दी हेल्महोल्टज एसोसिएशन के बीच समुद्री विज्ञान में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	डा. टी. रामासामी महानिदेशक, सी.एस.आई.आर.	श्री जुरगेन म्ल्यनेक, अध्यक्ष, हेल्महोल्टज एसोसिएशन
7.	भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ड्यूश्च पोस्ट, जर्मनी के बीच डाक क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	श्री एस. सामन्त मुख्य महा-प्रबंधक वाणिज्य विकास एवं विपणन निदेशालय, डाक विभाग	प्रो. वोल्फगांग क्लेन ट्यूश्च पोस्ट वर्ल्ड नेट प्रबंधक मण्डल के सदस्य और ड्यूश्च पोस्ट बैंक के मुख्य कार्यकारी 30 अक्तूबर, 2007

[अनुवाद]

चिकित्सा शिक्षा के स्तर में गिरावट

650. श्री नवीन जिन्दल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चिकित्सा शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट दर्शाने वाली रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी चिकित्सा संस्थाओं में सतत् गिरावट के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा संस्थाओं में गिरावट को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा संबंधी कार्य समूह की अपनी रिपोर्ट में चिकित्सा शिक्षा के स्तर में तेजी से हुई किसी गिरावट की सूचना नहीं दी है। तथापि, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अधिकतर मेडिकल कालेज शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं और वे ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। इससे आगे यह भी पता चला है कि कुछ राज्यों में मेडिकल कालेजों का संकेन्द्रण है। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर करने के लिए इसने अनुशंसा की है कि चिकित्सा शिक्षा को राष्ट्रीय रूप से संवेदनशील और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के माध्यम से देश में चिकित्सा शिक्षा को सुव्यवस्थित करने और उसके स्तर को बनाए रखने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 लागू कर रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अपने विभिन्न विनियमनों के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर चिकित्सा शिक्षा का स्तर बनाए रख रही है। वस्तुतः पिछले कई वर्षों में देश में मेडिकल कालेजों की संख्या में और एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हुई है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति

651. श्री तथागत सत्पथी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति बदतर है;

(ख) यदि हां, तो उनकी समुचित मरम्मत और रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थितियों के संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5, 23, 60 और 215 के कुछ खंड चालू वर्ष के मानसून में भारी बारिश और विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग 23 और 215 पर खनन यातायात में असाधारण वृद्धि के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। क्षतिग्रस्त खंडों की मरम्मत तथा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध धनराशि के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) अक्तूबर, 2007 के महीने में उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया था तथा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि बढ़ाने की मांग की थी।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के लिए आबंटन 85.0 करोड़ रु. से बढ़ाकर 130.0 करोड़ रु. कर दिया गया है।

चिकित्सा शिक्षा और अध्यापन कौशल का उन्नयन

652. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सरकारी महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा और अध्यापन कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन हेतु धनराशि के आबंटन के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) केन्द्र सरकार का 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के चिकित्सा/दन्त-चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ और उन्नत करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए योजना आयोग से धन मांगा गया है। इस सहायता का उद्देश्य अनुरूपण प्रयोगशालाओं, ई-पुस्तकालय, कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना और उनका उन्नयन करना, रोगियों के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, अनिवार्य भवनों, कक्षा के कमरों का रख-रखाव करना तथा विदेशी पत्रिकाओं इत्यादि के लिए अंशदान करना है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार को कर्नाटक की राज्य सरकार से चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए धन प्राप्त होने तथा अधिकार-सम्पन्न वित्त समिति और सरकार द्वारा प्लान स्कीम का अनुमोदन करने के पश्चात् ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ई-अपशिष्ट के लिए दिशा-निर्देश

653. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में तेजी से बढ़ते ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इलैक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के रखरखाव के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संघ शासित क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों और उद्योग के लिए "इलैक्ट्रानिक अपशिष्ट के पर्यावरणानुकुल प्रबंधन के लिए प्रारूप मार्गनिर्देश" तैयार किए हैं। यह प्रारूप मार्गनिर्देश के.प्र.नि. बोर्ड के वेब साइट www.cpcb.nic.in पर उपलब्ध हैं। इन मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2000 और 2003 में यथासंशोधित परिसंकट अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली 1989 को पर्यावरण संरक्षण) अधिनियम, 1986 जिसमें इलैक्ट्रानिक अपशिष्ट शामिल है, को अधिसूचित किया हैं। यह नियम इलैक्ट्रॉनिक अपशिष्ट सहित खतरनाक अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण, शोधन, निपटान और आयात को विनियमित करते हैं। इलैक्ट्रानिक उद्योगों के प्रचालत से उत्पन्न होने वाले छीजन और अपशिष्ट को खतरनाक माना गया है और इन्हें नियमों की अनुसूची-I की क्रम संख्या 31 पर सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा इलैक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के आयात और निर्यात को इन नियमों की अनुसूची 3 के अंतर्गत विनियमित किया गया जबकि इलैक्ट्रीकल और इलैक्ट्रॉनिक असैंबलीज को इस अनुसूची की क्रम संख्या ए 1180 और बी 1110 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अपशिष्ट के आयात की अनुमति केवल प्रत्यक्ष पुनः उपयोग के लिए है न कि पुनः चक्रण अथवा अंतिम निपटान के लिए।

3. इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने और इलैक्ट्रॉनिक उद्योग में अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने के लिए इलैक्ट्रानिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा "भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन" पर वर्ष 2004 में एक व्यापक तकनीकी गाइड प्रकाशित की है और इसका व्यापक प्रचार किया गया है।

आयुष महाविद्यालयों को सुदृढ़ बनाया जाना

654. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने आयुष के विद्यमान अवर स्नातक महाविद्यालयों को सुदृढ़ बनाए जाने की योजना के अंतर्गत बेल्लारी स्थित तारानाथ सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय में महिला छात्रावास और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को 18 नवंबर, 2006 को अनुदान सहायता के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या केंद्र सरकार द्वारा अभी अनुदान जारी नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो विलंब के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) इसको कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से तारानाथ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेज, बेल्लारी में एक 100 बिस्तरों वाले अस्पताल और एक महिला छात्रावास को बनाए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पूर्व में दिए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र देने और कॉलेज की मान्यता स्थिति के संबंध में संपुष्टि किए जाने की शर्त पर आयुर्वेदिक अस्पताल के निर्माण हेतु 50.00 लाख रुपये की राशि अनुमोदित कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा 1993-94 में कॉलेज को दी गई निधियों हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण अनुदान नहीं दिए जा सके थे।

कर्नाटक में बेल्लारी होस्पेट सड़क का निर्माण

655. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में बेल्लारी होस्पेट राजमार्ग का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितना बजट आबंटित किया गया है और इसको पूरा किए जाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) इस समय कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग 63 के बेल्लारी-होस्पेट खंड को डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन (डी.बी.एफ.ओ.) पैटर्न पर 4/6 लेन का बनाने की व्यावहार्यता सुनिश्चित करने के लिए साध्यता अध्ययन और प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उक्त अध्ययन के परिणाम से इस खंड का आगे विकास निश्चित होगा।

कुवैत युद्ध पीड़ितों के लिए मुआवजा

656. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुवैत युद्ध पीड़ितों के लिए मुआवजे के संबंध में बड़ी संख्या में आवेदन विदेश मंत्रालय में गठित विशेष प्रकोष्ठ में अभी भी लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख को बढ़ाए जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आवेदकों को मुआवजे के त्वरित भुगतान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग (यू.एन.सी.सी.) द्वारा जैसा कि निर्धारित किया गया था, मुआवजे के दावे के आवेदन देने की अंतिम तिथि 1 जनवरी, 1996 थी। इस तिथि के पश्चात संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने दावे संबंधी कोई भी आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया। मुआवजा हेतु बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार को लिखा और अभी भी लिख रहे हैं। ऐसे पत्र देश के सभी भागों से प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। भारत सरकार ने कई अवसरों पर संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने मुआवजा प्राप्त करने के नए दावों को स्वीकार करने की 1 जनवरी, 1996 की निर्धारित सीमा को बढ़ाने की भारत सरकार और ऐसे कई अन्य दावेदार देशों के अनुरोधों को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता जतायी है। वर्ष 2006 के प्रारंभ में सरकार ने ऐसे लापता दावेदारों के नामों को विज्ञापित किया, जिनके दावे संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग द्वारा मंजूर कर दिए गए थे, किंतु उन लोगों द्वारा अपने नए पतों की सूचना नहीं दी गयी थी। इसके प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर में हमें इस सूची में शामिल लोगों सहित दावेदारों से बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त हुए। ऐसे सभी लापता दावेदारों के नाम मुआवजे के त्वरित भुगतान के लिए संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग भेज दिए गए जिन्होंने 20 अगस्त, 2006 तक अपने नए पतों की सूचना भेज दी है। पता लगा पाए इनमें से अधिकतर दावेदारों ने अपने बकायों को पहले ही प्राप्त कर लिया है। पता लग पाए दावेदारों को मुआवजे का भुगतान करने की यह प्रक्रिया फरवरी, 2008 तक पूरी हो जाएगी।

सरिस्का में बाघों की कम होती संख्या

657. श्री मिलिन्द देवरा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान स्थित सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) सरिस्का बाघ अभयारण्य में वर्तमान में बाघों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) अवैध शिकार गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या बाघ के लिए प्राकृतिक वास का पुनः सृजन करने और उसका पुनरूद्धार करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार के अनुरोध को रोक लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) इस मंत्रालय के निदेशों के आधार पर भारतीय वन्यजीव संस्थान ने सरिस्का बाघ रिजर्व में बाघों की स्थिति का आकलन किया है और सूचित किया है कि उपरोक्त बाघ रिजर्व में बाघों के होने का कोई साक्ष्य नहीं है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अन्वेषण टीम ने भी मुख्य रूप से अवैध शिकार के कारण सरिस्का से बाघों के लुप्त होने की सूचना दी है।

(घ) बाघों सहित वन्यजीवों के संरक्षण और अवैध शिकार रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) सरिस्का बाघ रिजर्व में बाघों के लुप्त होने के कारण भारजीय वन्यजीव संस्थान को भी उपरोक्त बाघ रिजर्व में रिकवरी रणनीति का सुझाव देने के लिए अधिदेशित किया गया था। भारजीय वन्यजीव संस्थान ने अन्य बातों के साथ-साथ रिकवरी रणनीति बनाने के लिए एक विस्तृत प्रजाति रिकवरी प्लान तैयार करने और पूर्व अपेक्षित रूप में बाघों को दूसरे बाघ रिजर्वों से लाने के लिए कम से कम चार गांवों (हरिपुरा, कांकवारी, उमरी और क्रियास्का) के पुनर्स्थापना का सुझाव दिया है। इस मंत्रालय ने रिकवरी रणनीति की तुलना में शर्तों के अधीन सरिस्का में अन्य बाघ रिजर्वों से बाघ लाने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति प्रदान कर दी है जिस पर राज्य से अनुपालन की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए अनुसार हैं:-

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ रिजर्व में अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दस्तों की तैनाती।

3. बाघ रिजर्व प्रबंधन में सामान्य मानकों के सुनिश्चित करना, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों के गठन और बाघ संरक्षण फाउन्डेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिये 4-9-2006 से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन।

4. वन्यजीवों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए 6-6-2007 से एक बहुउद्देशीय बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है जिसमें पुलिस, वन, कस्टम और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं।

5. आठ नए बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए, सिद्धांत रूप में, अनुमोदन दे दिया गया है।

वित्तीय उपाय

6. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों की क्षमता और अवसंरचना बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

8. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

9. साइटस (सी.आई.टी.ई.एस.) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान में भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फैडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणों में समाप्त किया जाए और एशियाई बड़ी

बिल्लियों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

[हिन्दी]

खाद्य अपमिश्रण परीक्षण प्रयोगशालाएं

658. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य अपमिश्रण परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल संख्या और उनमें कार्यरत कार्मिकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों, विशेषकर बिहार में उक्त प्रयोगशालाओं को बंद कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) यह सूचना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से एकत्र की जा रही है और बाद में सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए स्वदेशी यूरेनियम

659. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
डा. चिन्ता मोहन:
श्री के.एस. राव:
श्री एम. अप्पादुरई:
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के परमाणु विद्युत संयंत्रों द्वारा 4190 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए परमाणु ईंधन के रूप में देश में ही यूरेनियम उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा परमाणु संयंत्रों को चलाने के लिए परमाणु ईंधन की निरन्तर आपूर्ति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) देश में कुल स्थापित परमाणु विद्युत क्षमता 4120 मेगावाट है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) कुल 4120 मेगावाट स्थापित क्षमता में से, तारापुर-1 और 2 (320 मेगावाट) में, आयात किया हुआ कम समृद्ध यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, जबकि शेष 3800 मेगावाट क्षमता के लिए स्वदेशी यूरेनियम की आवश्यकता है। देश में यूरेनियम के खनन योग्य कुल भंडार, 10,000 मेगावाट क्षमता की पूर्ति कर सकते हैं।

(ङ) सरकार ने, नई खानें खोलकर और संसाधन सुविधाओं का विस्तार करके, यूरेनियम की आपूर्ति बढ़ाने के उपाय किए हैं।

भारत-अमरीका असैन्य परमाणु समझौता

660. श्री टेक लाल महतो:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
डा. सत्यनारायण जटिया:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री पंकज चौधरी:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-अमरीका परमाणु समझौते की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त समझौते से पीछे हटने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो परमाणु समझौते को अमल में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर हाल ही में अमरीकी सरकार के साथ कोई बातचीत की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) भारत और संयुक्त राज्य अमरीका "नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोगों के संबंध में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच सहयोग हेतु करार" पर सहमत हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस करार के अंतिम रूप दिए गए पाठ को मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त है। जैसा कि करार में भारत द्वारा बातचीत के माध्यम से तय किया गया है, भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के साथ भारत-विशिष्ट सुरक्षापाय करार संबंधी-वार्ता संपन्न करेगा। इसके पश्चात नाभिकीय आपूर्ति दल के दिशा-निर्देशों का समायोजन और करार को क्रियान्वित करने के लिए अमरीकी कांग्रेस का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चिकित्सा की विभिन्न सस्ती पद्धतियों का विकास करना

661. श्री विजय कृष्ण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की आम आदमी के लिए वहनीय स्वास्थ्य सुविधा के रूप में विभिन्न सस्ती स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों का विकास करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रोयजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) कुछ समय से सरकार का ध्यान देशी चिकित्सा पद्धति - आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध तथा देशी औषध विहीन चिकित्सा-योग पर सकेन्द्रित रहा है। इसी कारण 1995 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक पृथक् आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग स्थापित किया गया है। इन चिकित्सा पद्धतियों पर संबंधित केंद्रीय अनुसंधान परिषदों, राष्ट्रीय संस्थानों और सरकार से वित्तीय सहायताप्राप्त संस्थानों द्वारा पर्याप्त अनुसंधान कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयुष विभाग ने 11वीं योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं के विकास एवं उन्नयन के विशेष प्रयोजन के साथ स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं के पुनरुत्थान हेतु एक केंद्र क्षेत्रक स्कीम प्रारंभ की है।

निधियों को राज्यवार आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए आयुष विभाग के लिए योजना और योजनेत्तर आबंटन क्रमश: 488.00 करोड़ रु. और 75.88 करोड़ रुपये हैं।

[हिन्दी]

सांप और बंदरों के काटने से हुई मौतें

662. श्री हरिकेवल प्रसाद:

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में काफी संख्या में लोग सांप और बंदरों के काटने से मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपचार हेतु आवश्यक दवाइयां और विशेष प्रबंध उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान सांप और बंदरों के काटने के उपचार तथा दवाइयों पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(च) सांप और बंदरों के काटने से पीड़ित लोगों के उपचार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) इनके फलस्वरूप अब तक कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा एकत्र किए गए डाटा के अनुसार, देश में सांप के काटने के कारण होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2005 में 1502 और वर्ष 2006 में 1114 है। तथापि, बंदर के काटने के कारण होने वाली मौतों की संख्या के संबंध में अलग से कोई डाटा नहीं रखा जाता है, हालांकि काटने वाले जानवरों में कुत्ते के बाद बंदर का स्थान आता है जो रेबीज के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। रेबीज के कारण होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2005 में 274 और वर्ष 2006 में 361 है।

(ग) से (छ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इसलिए, मुख्य रूप से यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे सर्पविष-रोधी सिरम, रेबीज-रोधी वैक्सीन और सांप और बंदर के काटने से ग्रस्त मरीजों के समुचित उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

भारत सरकार जानवरों द्वारा काटने, जिनमें बंदर का काटना भी शामिल है, के मामलों की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता एवं दिशानिर्देश प्रदान करती है। सांप के काटने का प्रभावी निदान करने हेतु सांप के काटने के उपचार प्रोटोकोल को सभी स्टेकहॉल्डरों, राज्य सरकारों को प्रचारित करने के लिए इसे अंतिम रूप भी दे दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नई पहलों के तहत मानव रेबीज की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3

663. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की जनसंख्या राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के अनुसार स्वयं को यथावत बनाए रखने की आवश्यकता से अधिक तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान प्रजनन दर कितनी है;

(ग) वर्ष 1998-99 में किए गए सर्वेक्षण से यह कितनी कम है;

(घ) किन-किन राज्यों में कुल प्रजनन दर अधिक है;

(ङ) क्या सरकार ने उच्च प्रजनन दर के कारणों का पता लगाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण (एन.एच.एफ.एस. 2005-06) के अनुसार कुल प्रजननता दर जो वर्ष 1998-99 में 2.85 प्रतिशत थी, 0.15 बच्चे घटकर वर्ष 2005-06 में 2.7 हो गई है जिससे 5.2 प्रतिशत की कमी का पता चलता है तथापि, जनांकिकीय दृष्टि से कमजोर राज्यों में अभी भी कुल प्रजननता दर काफी ज्यादा 3.0 से 4.0 प्रतिशत है जो कि चिन्ता का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण 2005-06 के अनुसार कुल प्रजननता दर 1.8 (गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) से लेकर बिहार में 4.0 तक है। उन्नीस राज्यों में कुल प्रजननता दर राष्ट्रीय कुल प्रजननता दर 2.7 से कम है। तुलनात्मक रूप से उच्च प्रजननता वाले राज्य बिहार (कुल प्रजननता दर 4.0), उत्तर प्रदेश (3.8), राजस्थान (3.2), मध्य प्रदेश (3.1), झारखण्ड (3.3), अरूणाचल प्रदेश (3.0), मेघालय (3.8) और नागालैंड (3.7) हैं।

(ङ) और (च) उच्च प्रजननता के कारणों में जनांकिकीय तौर पर कमजोर राज्यों में परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को बड़ी संख्या में पूरा न करना, पुरुषों की कम सहभागिता, लड़कियों का छोटी उम्र में विवाह, सुरक्षित प्रसव का कम अनुपात, निम्न महिला साक्षरता, उच्च शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, बेटे को बड़ी प्राथमिकता आदि हैं।

(छ) दायित्वपूर्ण तथा नियोजित अभिभावक होने, स्वीकारकर्ताओं को बेहतर ढंग से फबने वाले परिवार नियोजन

की स्वैच्छिक तथा सूचित पसन्द के जरिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में यथा अभिकल्पित देश में जनसंख्या स्थिरीकरण को हासिल करने के लिए विभिन्न परिवार कल्याण कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा प्रजनन एवम् बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच.-II) के तहत केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों, अन्तः और अन्तरक्षेत्रीय सम्मेलन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग में सुधार के लिए कार्यक्रम के जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण के माध्यम से बेहतर अस्पताली परिचर्या, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के कॉडर के सृजन के जरिए सुलभ, वहनीय, जवाबदेह, प्रभावी, विश्वसनीय और गुणवतापरक प्राथमिक सेवाओं की प्रदानगी पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों तथा उप जिला अस्पतालों में परिवार नियोजन के दोनों तरीकों-नसबन्दी और बच्चों के जन्म में अन्तर के संबंध में नियत दिवस पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

परिवार नियोजन की स्वीकारिता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) बन्ध्यकरण कराने वाले व्यक्तियों को बंध्यकरण के असफल रहने, उसके कारण जटिलताएं होने और मौत हो जाने पर क्षतिपूर्ति तथा चिकित्सकों को भी क्षतिपूर्ति बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु नवम्बर, 2005 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई थी।

(ii) अक्तूबर, 2006 में बन्ध्यकरण के लिए क्षतिपूर्ति पैकेज में वृद्धि की गई तथा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा प्रदायकों के भुगतान में वृद्धि की गई है।

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं में विशिष्ट कार्रवाई बिन्दु/कार्यनीतियां शामिल की गई हैं ताकि परिवार नियोजन सेवाओं का उन्नयन और सेवा-प्रदायकों की संख्या बढ़ाई जा सके।

[हिन्दी]

भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी विवाद

684. डा. राजेश मिश्रा:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री बलपत सिंह परस्ते:
श्री संतोष गंगवार:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-चीन सीमा विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त विवाद को हल करने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सीमा विवाद को हल करने के लिए गठित वर्किंग ग्रुप कार्य करने में अक्षम महसूस कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विदेश मंत्री के चीन के दौरे के दौरान चीन ने अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर अपना दावा किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) विवाद को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्य-योजना बनाई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर में लगभग 38,000 वर्ग किमी. का भारतीय भू-क्षेत्र चीन के कब्जे में है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" के अंतर्गत पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में 5180 वर्ग किमी. भारतीय भू-क्षेत्र गैर-कानूनी रूप से चीन को सौंप दिया था। चीन अरुणाचल प्रदेश में लगभग 90,000 वर्ग किमी. और भारत-चीन सीमा के मध्य क्षेत्र में लगभग 2000 वर्ग किमी के भारतीय भू-क्षेत्र

पर गैर-कानूनी रूप से दावा करता है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी की 22-27 जून, 2003 तक की चीन यात्रा के दौरान दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि समग्र द्विपक्षीय संबंध के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से सीमा प्रश्न के समाधान की रूपरेखा का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाए। अभी तक विशेष प्रतिनिधियों की ग्यारह बैठकें हो चुकी हैं। विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता का ग्यारहवां दौर बीजिंग में 24 से 26 सितम्बर, 2007 तक संपन्न हुआ। दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा प्रश्न के समाधान की रूपरेखा पर उपयोगी और सकारात्मक चर्चा की।

(घ) से (च) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सरकार शांतिपूर्ण माध्यमों के जरिए तथा निष्पक्ष, विवेकपूर्ण और पारस्परिक स्वीकार्य ढंग से सीमा प्रश्न पर शेष मतभेदों का हल ढूंढने के लिए वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

केरल में बी.ओ.टी. आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

665. श्री पन्नियन रवीन्द्रन:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल की राज्य सरकार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों का बी.ओ.टी. के आधार पर विकास करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों की कितनी लंबाई का विकास किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) यद्यपि केरल राज्य सरकार ने बी.ओ.टी. परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 47 की 40 कि.मी. लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर 434 कि.मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर 318 कि.मी. लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II और चरण-III के अंतर्गत बी.ओ.टी. आधार पर चार लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित की गई है।

नमभूमि के लिए विनियामक व्यवस्था

666. श्री अधलराव पाटिल शिवाजीराव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नमभूमियों का उनके उपयोग के आधार पर तत्काल विनियमन किए जाने की आवश्यकता है जैसाकि दिनांक 5-10-2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नमभूमियों का उनके उपयोग के आधार पर विनियामक व्यवस्था आरंभ करने के लिए योजना तैयार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने संरक्षण हेतु देश की मुख्य नमभूमियों की पहचान की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) नमभूमियों के लिए विनियामक व्यवस्था पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) राष्ट्रीय पर्यावरण नीति नमभूमियों द्वारा प्रदत्त पारिस्थितिकीय सेवाओं को मान्यता दी गई है और नमभूमियों के अवक्रमण को रोकने तथा उनके संरक्षण संबंधी प्रयासों को सुदृढ़ करने के क्रम में उनके उपयोग के आधार पर चिन्हित की गई नमभूमियों के संबंध में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस प्रयोजनार्थ गठित विशेष बहुविषयक विशेषज्ञ

दल ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत अधिसूचित की जाने वाली नमभूमियों के संबंध में एक विनियामक ढांचे का प्रारूप उपलब्ध कराया है प्रस्तावित विनियामक ढांचे में केन्द्रीय विनियामक प्राधिकरण, राज्य विनियामक प्राधिकरण तथा जिला विनियामक प्राधिकरण की व्यवस्था है। नमभूमियों का वर्गीकरण उनके आकार, उनको होने वाले खतरों तथा विभिन्न स्तरों पर उनके महत्व के आधार पर किया गया है।

(ङ) और (च) मंत्रालय ने राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 94 नमभूमियों की पहचान की है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) विनियामक ढांचे के प्रारूप को अंतिम रूप से अनुमोदित और अधिसूचित करने से पूर्व राज्य सरकारों तथा अन्य स्टेक होल्डरों से टिप्पणियां मांगी जाएंगी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्र.सं.	आर्द्र भूमि का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.	कौलीरु
2.	असम	2.	डीपर बील
		3.	उरपद बील
3.	बिहार	4.	कबार
		5.	बारिल्ला
		6.	कुशेशवर स्थान
4.	गुजरात	7.	नालसरोवर
		8.	ग्रेट रन आफ कच्छ
		9.	धौल पक्षी अभयारण्य
		10.	खिजाडिया पक्षी अभयारण्य
		11.	छोटा रन का कच्छ
		12.	परीज
		13.	वधवाना
		14.	नानीकाकरड
5.	हरियाणा	15.	सुल्तानपुर
		16.	भिन्डवास
6.	हिमाचल प्रदेश	17.	रेणुका

1	2	3	4
		18.	पोंग बांध
		19.	चन्द्रताल
		20.	रिवालसर
		21.	खज्जियार
7.	जम्मू-कश्मीर	22.	वुलर
		23.	त्सो मोरारी
		24.	तिस्गुल त्सो और चिशुल मार्शेश
		25.	होकरसर
		26.	मानसर-सुरीनसर
		27.	रणजीतसागर
		28.	पंगोग त्सर
8.	झारखंड	29.	उधवा
		30.	तिलैया बांध
9.	कर्नाटक	31.	मागधी
		32.	गुदावी पक्षी अभयारण्य
		33.	बोनाल
		34.	हिदकल और घाटप्रभा
		35.	हिगीरी
		36.	रंगानथिट्टु
		37.	के.जी. कोपा आर्द्र भूमि
10.	केरल	38.	अष्टमुडी
		39.	सस्थामकोटा
		40.	कोटुल्ली
		41.	कादुलन्दी
		42.	वेम्बन्द कोल

1	2	3	4
11.	मध्य प्रदेश	43.	बरना
		44.	यशवंत सागर
		45.	केन नदी की आर्द्र भूमि
		46.	राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य
		47.	घाटीगांव
		48.	रातापानी
		49.	देनवा तवा आर्द भूमि
		50.	कान्हा बाघ रिजर्व
		51.	पेंच बाघ रिजर्व
		52.	सख्यासागर
		53.	दिहेला
		54.	गोविंद सागर
12.	महाराष्ट्र	55.	उज्नी
		56.	जायकवाडी
		57.	नलगांडा आर्द्र भूमि
13.	मणिपुर	58.	लोकटक
14.	मिजोरम	59.	टामडिल
		60.	पालक
15.	उड़ीसा	61.	चिल्का
		62.	कुआनरिया आर्द्र भूमि
		63.	कंजिया आर्द्र भूमि
		64.	डाहा आर्द्र भूमि
16.	पंजाब	65.	हरिके
		66.	रोपड़
		67.	कंजली
17.	राजस्थान	68.	सांभर

1	2	3	4
	18. सिक्किम	69.	खेचुपेरी होली झील
		70.	ताम्जे आर्द्र भूमि
		71.	तेम्बाओ आर्द्र भूमि परिसर
		72.	फैंडांग आर्द्र भूमि परिसर
		73.	गुरुडोकमार नमभूमि
		74.	सोम्गो आर्द्र भूमि
	19. तमिलनाडु	75.	प्वाइंट कालिमर
		76.	कालिवेली
		77.	पलाइकर्णी
	20. त्रिपुरा	78.	रुद्रसागर
	21. उत्तर प्रदेश	79.	नवाबगंज
		80.	सांडी
		81.	लाख बहोसी
		82.	समसपुर
		83.	अलवारा आर्द्र भूमि
		84.	सेमराय झील-नगरिया झील परिसर
		85.	कीठम झील
		86.	शेखा आर्द्र भूमि
		87.	समन पक्षी अभयारण्य एवं सरसई नावर परिसर
	22. उत्तरांचल	88.	वन गंगा झिलमिल ताल
	23. पश्चिम बंगाल	89.	पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि
		90.	सुन्दरवन
		91.	अहीरो बील
		92.	रासिक बील
		93.	सांत्रागची
	24. यू.टी. (चण्डीगढ़)	94.	सुखना

योग को बढ़ावा देना

667. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योग के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इस संबंध में विभिन्न संगठनों/संस्थाओं को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संस्थानों द्वारा किए गए कार्य को संतोषजनक पाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.वाई.एन.), नई दिल्ली तथा मोरार जी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एम.डी.एन.आई.वाई.), नई दिल्ली द्वारा योग में अनुसंधान और विकास कार्यों को संवर्धित करने के लिए शुरू की गई स्कीमों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

(i) सी.सी.आर.वाई.एन. द्वारा कार्यान्वित की जा रही नैदानिक अनुसंधान स्कीम का मूलभूत उद्देश्य यह है कि योग के क्षेत्र में गहन नैदानिक अनुसंधान कार्य को संचालित करते हुए विभिन्न रोग विकारों में इसकी प्रभावकारिता को स्थापित किया जाए। सर्वोच्च चिकित्सा संस्थानों को वित्तीय सहायता देकर स्कीम को निष्पादित किया जा रहा है।

(ii) सी.सी.आर.वाई.एन. और एम.डी.एन.आई.वाई. द्वारा कार्यान्वित की जा रही साहित्यिक अनुसंधान/अनुवाद/प्रकाशन स्कीम का लक्ष्य यह है कि योग से संबंधित प्राचीन मूल ग्रंथों को अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन कराकर उन्हें लोकप्रिय बनाया जाए।

(iii) एम.डी.एन.आई.वाई. द्वारा कार्यान्वित की जा रही सरकारी तृतीयक अस्पतालों में योग चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र स्कीम के अंतर्गत योग चिकित्सा और अनुसंधान केंद्रों को सरकारी तृतीयक परिचर्या अस्पतालों में इस प्रयोजनार्थ स्थापित किया गया है ताकि इन अस्पतालों में स्थित योग केंद्रों में रोगियों के उचित उपचारार्थ उन्हें वहां प्रत्यक्षत: भेजा जा सके।

(iv) एम.डी.एन.आई.वाई. द्वारा योग से संबंधित आधुनिक अनुसंधान कार्य को संचालित करने के प्रयोजनार्थ वर्ष 2007 में राष्ट्रीय मानस स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), बेंगलौर में एक आधुनिक योग चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है।

(v) बाह्य स्थाने अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत योग से संबंधित कई अनुसंधान परियोजनाएं हैं जिन्हें आयुष विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

(vi) एम.डी.एन.आई.वाई. योग के विभिन्न पहलुओं पर भी अनुसंधान कार्य करता है।

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष दौरान विभिन्न संगठनों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन संस्थानों द्वारा किए गए कार्यों को संतोषप्रद पाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अनुसंधान स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न संस्थानों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	परियोजना का शीर्षक	निर्गत राशि रु. में
1	2	3	4
1.	भेषजगुण विज्ञान विभाग, जिपमेर, पांडिचेरी	अनिद्रा में योग आधारित चिकित्सा प्रभाव	4,21,000/-

1	2	3	4
2.	शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, एम्स, नई दिल्ली	श्वसनी अस्थमा के प्रबंधन में योग की प्रभावकारिता पर एक अनियमित नियंत्रित परीक्षण	2,96,363/-
3.	ए.एल.एन. राव मेमोरियल, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कोप्पा, कर्नाटक	सोरियासिस और एग्जिमा में योग और प्राकृतिक उपचारों का प्रभावकारिता संबंधी अध्ययन	4,30,000/-
4.	कृष्णामाचार्य योग मंदिरम, फोर्थ क्रास स्ट्रीट, रामकृष्ण नगर, चैन्नई	सामान्य कृत मिर्गी संबंधी विकारों वाले रोगियों पर योग का चिकित्सीय प्रभाव	3,33,000/-
5.	शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, एम्स, नई दिल्ली	अलसरेटिव कोलाइटिस के प्रबंधन में योग का महत्व	3,56,870/-
6.	होलिस्टिक मेडिसिन एंड स्ट्रेस रिसर्च यूनिट, चिकित्सा विभाग, राजकीय चिकित्सा कॉलेज, तिरूवनंतपुरम	तनाव संबंधी विकारों में योग का चिकित्सीय प्रभाव	3,53,000/-
7.	श्रीनाथ नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर, भगवतदास घाट रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश	रूमेटाइड अर्थराइटिस, ओसटियो अर्थराइटिस गाउट के प्रबंधन में प्राकृतिक चिकित्सा और योग प्रविधियों का प्रभाव	5,37,000/-
8.	विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, गविपुरम सर्कल, के.जी. नगर, बंगलौर	मेटास्टेटिक स्तन संबंधी कैन्सर रोगियों हेतु योग उपचार के एकीकृत दृष्टिकोण का प्रभाव तथा कैंसर के संदर्भ में डी.एन.ए. सुधार तंत्र का अध्ययन	4,69,000/-
9.	डा. एन.वी.वैद्य, लोकमान्य मेडिकल रिसर्च सेंटर, पुणे, महाराष्ट्र	कुशलता संबंधी क्रियाकलाप के विशेष संदर्भ में जीर्ण पीठ रोग संबंधी समस्याओं वाले रोगियों के प्रबंधन में योग चिकित्साभ्यास की भूमिका	4,93,000/-
10.	डा. एम.एल. घरोटे, लोनावला इंस्टीट्यूट ऑफ योग (इंडिया), लोनावला, जिला-पुणे, महाराष्ट्र	पारंपरिक आसनों का विश्वकोश	4,00,000/-
11.	प्रो. टी.आर. अनंत रमण, आश्रम आत्मादीप (रिसर्च सेंटर फॉर इंडियाज हेरिटेज, गुड़गांव), हरियाणा	प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के बीच सेतु बनाने के लिए चेतना के क्षेत्र में शास्त्रीय योग एकीकृत अध्ययनों और अनुसंधानों की शास्त्रीय योग की पारंपरा संबंधी चेतना	7,00,000/-
12.	डा. मनोहर एल. घरोटे, लोनावला इंस्टीट्यूट, ऑफ योग, लोनावला, जिला-पूणे, महाराष्ट्र	सुनरदेव द्वारा रचित हठतत्वकौमुदी - एक विवेचनात्मक संस्करण	3,50,000/-
13.	डा. एच.आर. नगेन्द्र, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, कर्नाटक	निवारक हृदय रोग विज्ञान और डायलेक्टोलॉजी में योग आधारित जीवन शैली मध्यस्थताओं की प्रभावकारिता	9,70,000/-

अनुसंधान स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के दौरान विभिन्न संस्थानों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	परियोजना का शीर्षक	निर्गत राशि रु. में
1	2	3	4
1.	शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, एम्स, नई दिल्ली	श्वसनी अस्थमा के प्रबंधन में योग की प्रभावकारिता पर एक अनियमित नियंत्रित परीक्षण	60,000/-
2.	डा. डी.एस. लुकास ए.एल.एन. राव मेमोरियल आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कोप्पा, कर्नाटक	सोरियासिस और एग्जिमा में योग और प्राकृतिक उपचारों का प्रभावकारिता संबंधी अध्ययन	1,80,900/-
3.	कृष्णामाचार्य योग मंदिरम, फोर्थ क्रास स्ट्रीट, रामकृष्ण नगर, चैन्नई	सामान्य कृत मिर्गी दौरा संबंधी विकारों वाले रोगियों पर योग का चिकित्सीय प्रभाव	2,03,513/-
4.	शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, एम्स, नई दिल्ली	अलसरेटिव कोलाइटिस के प्रबंधन में योग संबंधी लाभ	4,18,686/-
5.	विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, गविपुरम सर्कल, के.जी. नगर, बंगलौर	कम्प्यूटर संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं हेतु योग	2,04,050/-
6.	होलिस्टिक मेडिसिन एंड स्ट्रेस रिसर्च यूनिट, चिकित्सा विभाग, राजकीय चिकित्सा कॉलेज, तिरूवनंतपुरम	तनाव संबंधी विकारों में योग का चिकित्सीय प्रभाव	2,80,000/-
7.	श्रीनाथ नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर, भगवतदास घाट रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश	रूमेटाइड अर्थराइटिस, ओसटियो अर्थराइटिस गाउट के प्रबंधन में प्राकृतिक चिकित्सा और योग प्रविधियों का प्रभाव	5,45,400/-
8.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, गविपुरम सर्कल, के.जी. नगर, बंगलौर	मेटास्टेटिक स्तन संबंधी कैन्सर रोगियों हेतु योग उपचार के एकीकृत दृष्टिकोण का प्रभाव तथा कैंसर के संदर्भ में डी.एन.ए. सुधार तंत्र का अध्ययन	4,41,605/-
9.	जैव भौतिकी विभाग, एम्स, नई दिल्ली	रिफलेक्सोलॉजी थैरेपी का अनियमित नैदानिक परीक्षण और असाध्य मिर्गी के प्रबंधन में सामान्य औषधि उपचार	13,89,586/-
10.	भारतीय एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई.आर.आई.आई.एम.), हावडा पश्चिम बंगाल	प्राकृतिक उपचार निदान प्रविधियों के मानकीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित ट्रेडिशनल टंग डायग्नोसिस का विकास	4,61,100/-

1	2	3	4
11.	तंत्रिका शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, निमहंस, बंगलौर	विभिन्न आयु समूहों पर विपासना ध्यान की प्रभाव-कारिता का मूल्यांकन - पोलीसोमनोग्राफिक और इंडोक्रीन क्रिया का मूल्यांकन	1,90,666/-
12.	मनोचिकित्सा विभाग, डा. आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली	अनुवांशिक सहबद्धता संबंधी अनुसंधान मूलक विश्लेषण और सरकेडियन सामंजस्य, ज्ञान मूलक क्रिया कलापों में योग का प्रभाव तथा वृहद मानसिक विकारों में सामाजिक भार-शीजोफ्रेनिया, बाईपोलर विकार और उन्माद तथा हृदय रोग संबंधी समूहों के साथ उनकी तुलना (सी.सी.आर. वाई.एन. और डा. आर.एम.एल. अस्पताल के बीच सहयोगात्मक परियोजना)	75,000/-
13.	शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, एम्स नई दिल्ली	ई.ई.जी., ज्ञान संबंधी व्यवहार में दबाव के कारण उत्पन्न जीर्ण मानसिक परिवर्तनों का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन और मासिक धर्म के दौरान तंत्रिका जनित विकार और भार अविर्भावित परिवर्तनों पर ध्यान का प्रभाव	5,00,000/-

अनुसंधान स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न संस्थानों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	परियोजना का शीर्षक	निर्गत राशि रु. में
1	2	3	4
1.	शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, एम्स, नई दिल्ली	श्वसनी अस्थमा के प्रबंधन में योग की प्रभावकारिता पर एक अनियमित नियंत्रित परीक्षण	56,796/-
2.	होलिस्टिक मेडिसिन एंड स्ट्रेस रिसर्च यूनिट, चिकित्सा विभाग, राजकीय चिकित्सा कॉलेज, तिरूवनंतपुरम	तनाव संबंधी विकारों में योग का चिकित्सीय प्रभाव	51,000/-
3.	शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, एम्स, नई दिल्ली	अलसरेटिव कोलाइटिस के प्रबंधन में योग संबंधी लाभ	1,21,950/-
4.	श्रीनाथ नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर, भगवतदास घाट रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश	रूमेटाइड अर्थराइटिस, ओसटियो अर्थराइटिस गाउट के प्रबंधन में प्राकृतिक चिकित्सा और योग प्रविधियों का प्रभाव	2,70,000/-

1	2	3	4
5.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, गवि पुरम सर्कल, के.जी. नगर, बंगलौर	मेटास्टेटिक स्तन संबंधी कैन्सर रोगियों हेतु योग उपचार के एकीकृत दृष्टिकोण का प्रभाव तथा कैंसर के संदर्भ में डी.एन.ए. सुधार तंत्र का अध्ययन	2,27,683/-
6.	जैव भौतिकी विभाग, एम्स, नई दिल्ली	रिफलेक्सोलॉजी थैरेपी का अनियमित नैदानिक परीक्षण और असाध्य मिर्गी के प्रबंधन में सामान्य औषधि उपचार	3,16,018/-
7.	भारतीय एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई.आर.आई.आई.एम.), हावड़ा, पश्चिम बंगाल	प्राकृतिक उपचार निदान प्रविधियों के मानकीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित ट्रेडिशनल टंग डायग्नोसिस का विकास	5,87,700/-
8.	तंत्रिका शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, निमहंस, बंगलौर	विभिन्न आयु समूहों पर विपासना ध्यान की प्रभाव-कारिता का मूल्यांकन - पोलीसोमनोग्राफिक और इंडोक्रीन क्रिया का मूल्यांकन	2,52,986/-
9.	मनोचिकित्सा विभाग, डा. आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली	अनुवांशिक सहबद्धता संबंधी अनुसंधान मूलक विश्लेषण और सरकेडियन सामंजस्य, ज्ञान मूलक क्रिया कलापों में योग का प्रभाव तथा वृहद मानसिक विकारों में सामाजिक भार-सीजोफ्रेनिया, बाईपोलर विकार और उन्माद तथा ह्रदय रोग संबंधी समूहों के साथ उनकी तुलना (सी.सी.आर. वाई.एन. और डा. आर.एम.एल. अस्पताल के बीच सहयोगात्मक परियोजना)	16,85,600/-
10.	शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, एम्स नई दिल्ली	ई.ई.जी., ज्ञान संबंधी व्यवहार में दबाव के कारण उत्पन्न जीर्ण मानसिक परिवर्तनों का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन और मासिक धर्म के दौरान तंत्रिका जनित विकार और भार अविर्भावित परिवर्तनों पर ध्यान का प्रभाव	3,15,000/-
11.	ओ.पी.डी. (योग एवं नेचुरोपैथी) सीसी.आर.वाई.एन. द्वारा संचालित सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	माइग्रेन-एक अनियमित नियंत्रित रोग दशा के प्रबंधन हेतु योग अभ्यास की प्रभावकारिता	0,46,000/-
12.	सुश्री शर्ली टेलीस स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, कर्नाटक	निम्नांकिम विशिष्ट योग श्वसन अभ्यासों में अमूल-चूल परिवर्तन	32,05,000/-
13.	डा. नीना श्रीवास्तव, प्रो. शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	कोरोनरी आर्टरी रोगों में ह्रदय विकार संबंधी ऑटोनामिक मेटावलिक मानदंडों संबंधित योग अभ्यासों का प्रभाव	8,31,55000/-

1	2	3	4
14.	डा. बी.एन. गंगधर, प्रो. मनोविज्ञान, नीमहंस, बंगलौर	शीजोफ्रेनिया के समग्र उपचारार्थ योग की प्रभावकारिता	86,68,000/-
15.	डा. अरूणा वी. कुरपद प्रो. शरीर क्रिया विज्ञान और पोषण विज्ञान सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बंगलौर	अजलाईसेमिक हाइपर इंसोलिनेमिक क्लैम्पस का उपयोग करने वाले योग अभ्यासियों और गैर योग अभ्यासियों में इंसूलिन संवेदन शीलता का मूल्यांकन	68,27,000/-
16.	डा. मन्मथ एम. घरोटे लोनावाला योग संस्थान, पूणे महाराष्ट्र	योग उपनिषद का महत्वपूर्ण संस्करण (योग कुंडल्य उपनिषद, योग कुमदम्य योग उपनिषद और त्रिशिखा ब्रह्मोउपनिषद)	41,33,000/-
17.	एल.आर.एस. क्षयरोग और श्वसन रोग संस्थान, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110030	सरकारी/तृतीयक अस्पतालों में योग चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र	1,20,000/-
18.	वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, नार्थ कैम्पस, दिल्ली-110095	सरकारी/तृतीयक अस्पतालों में योग चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र	1,20,000/-
19.	मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान, दिलशाद गार्डेन, दिल्ली-110095	सरकारी/तृतीयक अस्पतालों में योग चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र	1,20,000/-
20.	राजन बाबू क्षय रोग अस्पताल, ढाका कालोनी, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-110009	सरकारी/तृतीयक अस्पतालों में योग चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र	1,20,000/-

अनुसंधान स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न संस्थानों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण (31-8-2007 तक)

क्र. सं.	संस्थान का नाम	परियोजना का शीर्षक	निर्गत राशि रु. में
1	2	3	4
1.	विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, गवि पुरम सर्कल, के.जी. नगर, बंगलौर	मेटास्टेटिक स्तन संबंधी कैन्सर रोगियों हेतु योग उपचार के एकीकृत दृष्टिकोण का प्रभाव तथा कैंसर के संदर्भ में डी.एन.ए. सुधार तंत्र का अध्ययन	-
2.	जैव भौतिकी विभाग, एम्स, नई दिल्ली	रिफलेक्सोलॉजी थैरेपी का अनियमित नैदानिक परीक्षण और असाध्य मिर्गी के प्रबंधन में सामान्य औषधि उपचार	3,86,734/-

1	2	3	4
3.	भारतीय एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई.आर.आई.आई.एम.), हावड़ा, पश्चिम बंगाल	प्राकृतिक उपचार निदान प्रविधियों के मानकीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित ट्रेडिशनल टंग डायग्नोसिस का विकास	2,74,900/-
4.	तंत्रिका शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, निमहंस, बंगलौर	विभिन्न आयु समूहों पर विपासना ध्यान की प्रभाव-कारिता का मूल्यांकन - पोलीसोमनोग्राफिक और इंडोक्रीन क्रिया का मूल्यांकन	1,10,500/-
5.	मनोचिकित्सा विभाग, डा. आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली	अनुवांशिक सहबद्धता संबंधी अनुसंधान मूलक विश्लेषण और सरकेडियन सामंजस्य, ज्ञान मूलक क्रिया कलापों में योग का प्रभाव तथा वृहद मानसिक विकारों में सामाजिक भार-सीजोफ्रेनिया, बाईपोलर विकार और उन्माद तथा हृदय रोग संबंधी समूहों के साथ उनकी तुलना (सी.सी.आर. वाई.एन.) और डा. आर.एम.एल. अस्पताल के बीच सहयोगात्मक परियोजना	4,29,006/-
6.	शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, एम्स, नई दिल्ली	ई.ई.जी., ज्ञान संबंधी व्यवहार में दबाव के कारण उत्पन्न जीर्ण मानसिक परिवर्तनों का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन और मासिक धर्म के दौरान तंत्रिका जनित विकार और भार अवर्णावित परिवर्तनों पर ध्यान का प्रभाव	1,06,262/-
7.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सी.सी.आर.वाई.एन. द्वारा संचालित ओ.पी.डी. (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)	मिग्रेन-एक अनियमित नियंत्रित रोग दशा के प्रबंधन हेतु योग अभ्यास की प्रभावकारिता	1,05,157/-
8.	भेषज गुण विज्ञान विभाग, जिपमेर, पांडिचेरी	अनिद्रा में योग आधारित चिकित्सा प्रभाव	76,131/-
9.	तंत्रिका शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, नीमहंस, बंगलौर	मिर्गी रोग पर हठयोग के प्रभाव के संबंध में स्वतंत्र क्रिया परीक्षण	4,826/-
10.	डा. एम.एल. घरोटे, द लोनावाला इंस्टीट्यूट ऑफ योग (इंडिया), लोनावाला, जिला-पुणे, महाराष्ट्र	पारंपरिक आसनों से संबंधित विश्वकोश	1,00,000/-
11.	डा. मनोहर एल. घरोटे, द लोनावाला इंस्टीट्यूट ऑफ योग (इंडिया), लोनावाला, जिला-पुणे, महाराष्ट्र	सुनार देव का हठतत्व कौमुदी - विशेष संस्करण	50,000/-
12.	डा. एच.आर. नगेन्द्र, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, कर्नाटक	निवारक हृदय रोग विज्ञान और डायलेक्टोलॉजी में योग आधारित जीवन शैली मध्यस्थताओं की प्रभावकारिता	5,15,000/-

1	2	3	4
13.	प्रो. लता, शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, चैन्नई, तमिलनाडु	किशोरावस्था पूर्व बालकों में समग्र स्वास्थ्य मध्यस्थता-योग संबंधी उपचार	26,98,000/-
14.	डा. टी.के. बेरा, सहायक निदेशक (अनुसंधान) वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग, कैवल्यधाम, लोनावाला, पुणे	भारत के किशोर छात्रों में आत्म हत्या मनोवृत्ति के निवारण एवं नियंतरण और मानस स्वास्थ्य बहाल करने के लिए योग	9,68,000/-
15.	प्रो. स्नेह आनंद, बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिट, एम्स, नई दिल्ली	स्वतंत्र नर्वस सिस्टम का विश्लेषण और इसके संबंध में प्राणायाम अभ्यासों के स्वास्थ्य लाभ	112,54,000/-
16.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं न्यूरोसाइंसेज (नीमहंस), होसूर रोड, बंगलौर	प्रमुख आयुर्विज्ञान संस्थानों में योग उपचार और अनुसंधान हेतु आधुनिक केंद्र	23,63,000/-

अनुपयोगी तेल के कंटेनरों का पत्तनों पर पड़े रहना

668. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न पत्तनों में अनुपयोगी तेल (वेस्ट आयल) के 209 कंटेनर पड़े हुए हैं जनके आयातकों का कोई अता-पता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कोई दिशा-निर्देश बनाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) विभिन्न पत्तनों में अनुपयोगी तेल (वेस्ट आयल) के कोई कंटेनर नहीं पड़े हैं जिनके आयातकों का कोई अता-पता नहीं है। तथापि, कांडला पत्तन न्यास में 18.995 मीट्रिक टन अनुपयोगी तेल, चेन्नई पत्तन न्यास में 11 मीट्रिक टन वजन के अनुपयोगी तेल के 83 स्टील के ड्रम, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में विभिन्न वस्तुओं के 13 कंटेनर, कोचीन पत्तन न्यास में भट्ठी के तेल के नौ कंटेनर और पिच आयल का एक कंटेनर, पत्तनों में पड़े हैं, जहां पत्तनों को आयातकों के बारे में जानकारी है।

(ग) से (ङ) पत्तन प्राधिकारी, महापत्तन न्यास अधिनियम और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2002 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

विदेश मंत्री का चीन और रूस दौरा

669. श्री अधीर चौधरी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश मंत्री ने हाल ही में चीन और रूस का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर चर्चा की गई और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस अवसर पर किन-किन द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विदेश मंत्री ने रूसी उपप्रधान मंत्री श्री एलेक्जेंडर झुकोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग से संबद्ध अंतर-सरकारी आयोग के 13वें सत्र की सहअध्यक्षता करने के लिए 12 अक्तूबर, 2007 को मॉस्को का दौरा किया। इस आयोग ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, खनन और धातुकर्म विज्ञान, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी

और संस्कृति तथा पर्यटन से संबद्ध अपने पांच कार्यकारी दलों के कार्यों में हुई प्रगति सहित आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग की समीक्षा की। दोनों सहअध्यक्षों द्वारा आयोग की बैठक पर एक प्रोतोकोल संपन्न किया गया।

विदेश मंत्री ने भारत-रूस-चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 24-25 अक्तूबर, 2007 हार्बिन (चीन) की यात्रा की। तीनों मंत्रियों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों तथा त्रिपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। विशेष रूप से, तीनों पक्षों ने दिसंबर, 2007 में नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय व्यापार मंच की बैठक, वर्ष 2008 में भू-राजनैतिक सामरिक प्रवृत्तियों के उदय पर एक सेमिनार, और कृषि, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में कार्यकारी स्तर की चर्चा आयोजित करने का निर्णय लिया। त्रिपक्षीय बैठक के अंत में 24 अक्तूबर, 2007 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गयी। अपनी यात्रा के दौरान अतिरिक्त समय में विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री श्री सरगेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री श्री यांग जीयेची के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक की।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी

670. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह अनुशंसा की है कि वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनहाउस गैस (जी.एच.जी.) उत्सर्जनों में कमी के लिए भारत को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिएं जैसाकि दिनांक 30 अक्तूबर, 2007 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के रिपोर्ट की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दिसम्बर, 2007 में आयोजित किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई रणनीति का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट, 2007 अभी तक जारी नहीं हुई है।

(ङ) और (च) यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेंट चेंज (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के पक्षकारों का 13वां सम्मेलन 3 से 14 दिसम्बर, 2007 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित होना तय हुआ है। जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर भारतीय स्थिति यह है कि हमारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रतिव्यक्ति के हिसाब से सबसे कम है और विश्व के कुल उत्सर्जन का केवल 4 प्रतिशत है। तथापि, भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से महत्वपूर्ण ढंग से जुड़ा हुआ है। भारत, यूनाइटेड नेशंन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक पक्षकार है और पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। भारत इसके लिए कृत संकल्प है कि विकास और आर्थिक वृद्धि की नीतियां बनाते समय भारत का प्रतिव्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विकसित देशों से अधिक न हो।

नीम टूथपेस्ट का प्रयोग

671. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा के स्वास्थ्य विभाग ने भारत में बने टूथपेस्ट का प्रयोग न करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। हैल्थ कनाडा ने लोगों को सुझाव दिया है कि वे कलकत्ता केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित कैल्शियमयुक्त नीम टूथपेस्ट इस्तेमाल न करें। इस टूथपेस्ट में डाइथाईलिन ग्लाइकोल और हानिकारक बैक्टीरिया का स्तर कथित रूप से ज्यादा है।

(ग) और (घ) नीम टूथपेस्ट (बैच सं. सी.एल.-7एम.,

विनिर्माण तिथि 05-2007, मैसर्स हैंकल इंडिया लिमिटेड, चेन्नई-18 द्वारा विनिर्मित) का फार्माकोपियल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन, गाजियाबाद में परीक्षण कराया गया। तथापि, उसमें डाइथाईलीन ग्लाइकोल विद्यमान नहीं था।

जननी सुरक्षा योजना

672. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संशोधित "जननी सुरक्षा योजना" स्कीम के अंतर्गत मातृत्व योजना के लाभ का विस्तार दो बच्चों के मानदण्ड के ऊपर करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना/ जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रसव पूर्व अथवा प्रसव पश्चात कोई वित्तीय सहायता प्रदान करनी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान उक्त योजना द्वारा विभिन्न राज्यों में लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है;

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि इस प्रकार की सहायता वास्तविक लाभार्थियों को प्राप्त हो सके; और

(छ) सुदूर क्षेत्रों में उक्त योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। कमजोर निष्पादन वाले राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, राजस्थान और जम्मू व कश्मीर में गरीबी रेखा से नीचे की गर्भवती महिलाओं को प्रथम दो जीवित बच्चों के बाद भी जननी सुरक्षा योजना के तहत सहायता दी गई है।

(ग) और (घ) जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रसवपूर्व जांचें तथा प्रसवोत्तर जांचें कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार योजना के तहत लगभग 29.35 लाख गर्भवती महिलाओं को वर्ष 2006-07 में लाभ मिला है।

(च) वास्तविक लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे संगामी और सतत क्षेत्र स्तरीय अनुवीक्षण के लिए दो श्रेणियां वाला अनुवीक्षण तंत्र सख्ती से बनाएं। केंद्र सरकार ने यू.एन.एफ.पी.ए./जी.टी.जेड. जैसे स्वतंत्र अभिकरणों के जरिए कुछ राज्यों में योजना का मूल्यांकन भी करवाया है।

(छ) पल्स पोलियो के बारे में घर-घर जाकर संपर्क करने के दौरान इश्तहार बांटने के जरिए इस स्कीम को प्रचारित करने की कार्रवाई केन्द्र स्तर पर शुरू की गई है। इस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात दूरदर्शन और आकाशवाणी आदि के जरिए विज्ञापन भी प्रसारित करवाया है। केंद्र सरकार ने जननी सुरक्षा योजना का भीत्ति चित्रण आदि के जरिए व्यापक प्रचार करने के लिए राज्यों को निधियां भी निर्गत की हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों तथा शहरी संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों, निजी अस्पतालों एवं मान्यताप्राप्त/प्रत्यायित उपचर्या गृहों/चिकित्सालयों पर योजना के तहत उपलब्ध लाभों के बारे में इश्तहारों, विवरणिकाओं प्रचार माध्यमों, भीत्ति चित्रण आदि के रूप में सूचना देने के जरिए व्यापक और सतत प्रचार सुनिश्चित करें तथा ऐसे लाभों का दावा करने की प्रक्रिया की जानकारी दें।

एन.ई.सी. का पुनर्गठन

673. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्व परिषद (एन.ई.सी.) के पुनर्गठन के लिए गठित समिति की सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) एन.ई.सी. में रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एन.ई.सी. का पुनर्गठन कब तक हो जाएगा और रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):

(क) अन्य बातों के साथ-साथ एन.ई.सी. के संशोधित अधिदेश को संचालित करने, भारत सरकार के सभी संबद्ध विभागों में तालमेल करने तथा मौजूदा तंत्र और मार्ग दर्शनों का आकलन करने तथा उनमें सुधारों के सुझाव आदि के संबंध में सिफारिशें करने के लिए श्री पी.पी. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 2003 में एन.ई.सी. की एक संचालन समिति का गठन किया गया था। सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) एन.ई.सी. में खाली पद इस प्रकार हैं: सलाहकार (स्वास्थ्य), निदेशक (एच.आर.डी. एवं ई.), अवर सचिव (योजना), अधिशासी अभियंता (सिविल), अधिशासी अभियंता (विद्युत), अनुसंधान अधिकारी (योजना), अनुसंधान अधिकारी (एस.एस.आई.), पुस्तकालयाध्यक्ष, अवर श्रेणी लिपिक (5 पद), आशुलिपिक ग्रेड-II (एक पद), आशुलिपिक ग्रेड-III (3 पद), चालक (3 पद), चपरासी (4 पद) तथा चौकीदार का एक पद।

(ग) एन.ई.सी. की पुनर्संरचना के लिए समिति की प्रमुख सिफारिशों का पहले ही कार्यान्वयन किया जा चुका है। एन.ई.सी. ने संघ लोक सेवा आयोग के साथ चर्चा करके खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है।

विवरण

क्र. सं.	रीवाइटलाइजेशन समिति की अनुशंसाओं का सार	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
1	2	3
1.	उपाध्यक्ष, योजना आयोग अथवा डोनर मंत्री का परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामांकन बारी-बारी से किया जा सकता है अथवा उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्यपालों को बारी-बारी से तथा एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष नामित किया जाना जारी रखा जा सकता है।	यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष होंगे
2.	तीनों सदस्यों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुभव तथा सामाजिक आर्थिक आयोजना में विशेषज्ञता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। सदस्यो को पैनल में से चयनित किया जा सकता है तथा नामित सदस्य पूर्णकालिक आधार पर कार्य कर सकते हैं और उनकी समानता योजना आयोग के सदस्यों से की जा सकती है और उनको उन्हीं के समान दर्जा, कार्यावधि तथा परिलब्धियां दी जा सकती हैं।	पूर्वोत्तर परिषद के दो पूर्णकालिक सदस्यों को नामित किया गया है। सदस्य (एन.ई.) योजना आयोग को भी एन.ई.सी. के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। पूर्वोत्तर परिषद के पूर्णकालिक सदस्यों को योजना आयोग के सदस्यों के बराबर का दर्जा दिया गया है।
3.	एन.ई.सी. की चार क्षेत्रक अधिकार प्राप्त समितियों (एस.ई.सी.ज.) का गठन किया जा सकता है। जिनमें से प्रत्येक में दो मुख्य मंत्री (बारी-बारी से) तथा तीन पूर्णकालिक नामित सदस्य परिषद के दूसरे स्तर के रूप में कार्य करेंगे। परिषद चारों एस.ई.सी. में विषयों का आबंटन कर सकती है।	अध्यक्ष, एन.ई.सी. के अनुमोदन के साथ तीन क्षेत्रक अधिकार प्राप्त समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। इनकी अध्यक्षता नामित सदस्यों द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष, एन.ई.सी. ने भी एस.ई.सी.ज. को कार्य सौंपा है।
4.	सचिव एन.ई.सी. का चयन चुनौतियों को स्वीकार करने के उत्साह, नवनीत तथा दोषहीन ट्रैक रिकार्ड, ज्ञान तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुभव और तीन वर्षों की अवधि के लिए सेवा करने की इच्छा के आधार पर किया जाना चाहिए, इस पद	यह निर्णय किया गया है कि सचिव, एन.ई.सी. के पद का संचालन ए.सी.सी. प्रक्रिया के माध्यम से अपर सचिव के स्तर पर किया जा सकता है।

1	2	3
	को ग्रहण करने. वाले को भारत सरकार के सचिव की सारी शक्तियां प्रदान की जाएं और वह स्थापना समिति के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग कर सके।	
5.	संगठनात्मक पुनर्संरचना का विस्तृत कार्य विशिष्टता प्राप्त एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। शासन के नियमों के सुधार और जवाबदेही निर्धारित करने पर बल दिया जाना चाहिए। एन.ई.सी. सचिवालय इस योग्य होना चाहिए कि वह क्षेत्रीय आयोजना के लिए थिंक टैंक अथवा मस्तिष्क न्यास के रूप में उभर सके। यह अकादमिकों, पेशवरों तथा विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों, व्यावसायिक संस्थानों तथा सिविल सोसायटी के समर्थन जुटाने के योग्य होना चाहिए जोकि सामान्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हों और राष्ट्रीय स्तर के हों। 50 प्रतिशत अधिकारियों/अनुसंधायकों को अनुबंध आधार पर लिया जा सकता है। योजना आयोग से भी विशेषज्ञों को लिया जा सकता है। कार्यों को आकर्षक बनाने के लिए एन.ई.सी. के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन पैकेज तैयार किए जा सकते हैं। एन.ई.सी. द्वारा क्षेत्रों (सैक्टरों) के लिए त्रि-स्तरीय मानव-श्रम का प्रबंध किए जाने का सुझाव दिया गया है। लिपिक संवर्ग में पद धारण करने वालों को पुनः दक्ष किया जा सकता है और उन्हें उचित स्तर पर तैनात किया जा सकता है।	एन.ई.सी. इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया में है। नए पद सृजित किए जाने का भी प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय अपने आपको क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में तैयर कर रहा है। जैसाकि एन.ई.सी. (संशोधन) अधिनियम में अध्यादेशित किया गया है और रिवाइटलाईजेशन समिति द्वारा जैसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एन.ई.सी. ने दृष्टिकोण एन.ई.आर. 2020 दस्तावेज तैयार करने का कार्य आरंभ किया हुआ है। एन.ई.आर. से संबंधित मामलों पर समेकित रूप से चर्चा करने के लिए क्षेत्रक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सभी राज्य सरकारों से बेहतर ताल-मेल स्थापित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। एन.ईस.सी. तथा राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और संवाद के लिए राज्य सरकारों से एन.ई.सी. सचिवालय में प्रतिनिधियों को भेजने का अनुरोध किया गया है। समिति कर सिफारिशों के अनुसार आउटसोर्सिंग के लिए सभी औपचारिकताएं ठोस रूप धारण करने की प्रक्रिया में हैं। सचिव, एन.ई.सी. ने एन.ई.आर. से संबंधित कुछ विशेषज्ञों के नाम सुझाए हैं। प्रोत्साहन पैकेज की भी जांच की जा रही हैं।
6.	पूर्वोत्तर परिषद उत्तर पूर्व की विलक्षण विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय योजना का प्रारूप तैयार कर सकती है और तद्नुसार इसके लक्ष्य निर्धारित कर सकती है। इस संबंध में यह संगत दस्तावेजों जैसे कि दृष्टिकोण दस्तावेज 2020, मानव विकास रिपोर्टों रोडमैप्स आदि प्राप्त कर सकती और उन्हें प्रकाशित कर सकती है। इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र मानव पूंजी उन्नयन, विशेषतः युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यटन सीमा व्यापार और शासन मुद्दे होने चाहिए। अकादमिकों, पेशेवरों और विशेषज्ञों को आयोजना हेतु संस्था का रूप दिया जाना चाहिए। सिविल सोसायटी समूहों तथा जन-प्रतिनिधियों का अर्थपूर्ण सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। सभी योजनाओं/परियोजनाओं/	पूर्वोत्तर परिषद ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अकादमिकों, पेशेवरों और विशेषज्ञों को शामिल करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सार्वजनिक वित्त एवं नीति राष्ट्रीय संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी.) को दृष्टिकोण दस्तावेज 2020 तैयार करने का अनुरोध किया गया है। इसके मसौदे पर पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जनसभाएं आयोजित की जा चुकी हैं। सिविल सोसायटी के गणमान्य सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। दृष्टिकोण दस्तावेज अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं।

1	2	3
	स्कीमों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि सभी पणधारी उनका स्वामित्व प्राप्त कर सकें।	
7.	पूर्वोत्तर परिषद के सकल बजटीय सहायता से निधियन को बहाल किया जाए। पूर्वोत्तर परिषद् की बजटीय प्रणाली का साधारणीकरण किया जाना चाहिए।	पूर्वोत्तर परिषद् का निधियन सकल बजटीय सहायता से किया जा रहा है। पूर्वोत्तर परिषद् की बजटीय प्रणाली में तीव्र गति वाली तथा महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अनुमोदित बजट के भीतर विनियोजन की गुंजाइश है।
8.	पूर्वोत्तर परिषद की चार क्षेत्रक अधिकार प्राप्त समितियों (एस.ई.सी.ज.) को एन.ई.सी. द्वारा वित्त पोषित उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करने के लिए कहा जा सकता है जो कि क्रमशः उनके उत्तरदायित्व के क्षेत्र के अंतर्गत आती है।	तीनों क्षेत्रक अधिकार प्राप्त समितियों ने यह प्रक्रिया आरंभ कर दी है और माननीय सदस्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में सक्रिय रूप से लगे हैं।
9.	पूर्वोत्तर परिषद को अपना ध्यान अपनी प्राथमिक योजना भूमिका तथा परियोजनाओं/स्कीमों के पत्राधान को तर्कसंगत करने पर केंद्रित करना चाहिये ताकि संसाधनों और ध्यान का विस्तार क्षेत्र में इतना विरल न हो जाए कि उसका पर्याप्त प्रभाव ही न रहे।	पूर्वोत्तर परिषद अपना ध्यान प्राथमिक योजना पर केंद्रित कर रही है। योजनागत निधियों का लगभग 80 प्रतिशत परिवहन एवं संचार, स्वास्थ्य तथा विद्युत अवस्थापना के सुधार के लिए उपयोग किया जाता है।
10.	संशोधित योजना अधिदेश को ध्यान में रखते हुए एन.ई.सी. द्वारा वित्तपोषित तथा प्रबंधित संस्थानों के भविष्य के संबंध में दीर्घावधि दृष्टिकोण अपनाया जाए।	पूर्वोत्तर परिषद के चार संस्थानों (लोकप्रिय गोपीनाथ, बारदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, इंफाल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसिज, आईजोल तथा उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी, मेघालय) को पहले ही संबद्ध मंत्रालयों को सौंपा जा चुका है।
11.	एन.ई.सी.के.एम. एवं ई. यूनिट को प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध आधार पर विशेषज्ञों तथा पेशेवरों को शामिल करके सुदृढ़ किया जा सकता है, जिनकी अधिकतम संख्या 50 प्रतिशत हो। अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों को उपयुक्त एम.आई.एस. विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।	एन.ई.सी. सचिवालय की मूल्यांकन परामर्शदाती समिति ने सचिव एन.ई.सी. की अध्यक्षता में संपन्न बैठक के दौरान एन.ई.सी. सचिवालय में प्रबंधन सूचना प्रणाली गठित करने का अनुमोदन किया है। शिलांग में एन.ई.सी. के प्रांगण में परियोजना निगरानी तथा प्रबंधन व्यवस्था में परियोजना प्रबंधन केंद्र (पी.एम.सी.) हब के रूप में है। इस प्रयोजन के लिए तीन विशेषज्ञ एजेंसियों को लगाया गया है। इन एजेंसियों ने सभी परियोजनाओं के लिए मार्च/अगस्त, 2006 तक की वित्तीय तथा भौतिक प्राप्तियों को दर्शाते हुए निगरानी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।
12.	एन.ई.सी. अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के लिए भी एम. एवं ई. प्रक्रियाएं आरंभ कर सकती है।	एन.ई.सी. ऐसे कार्य आरंभ करे की स्थिति में नहीं है।

1	2	3
13.	गुणवत्ता तथा जवाबदारी सुनिश्चित करने के लिए एम. एवं ई. अभ्यासों को विश्वविद्यालयों/शोध संस्थानों/संगठनों तथा विशेषज्ञों तथा सिविल सोसाइटी समूहों तथा जनप्रतिनिधियों को आउट सोर्स किया जा सकता है। इन रिपोर्टों के विचारों को एन.ई.सी. की बैठकों की कार्यसूची में शामिल किया जाए।	यह निर्णय लिया गया है कि एन.ई.सी. का एम. एवं ई. भाग सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं/स्कीमों की निगरानी के लिए सरकारी संस्थाओं की सहायता और सहयोग को सूचीबद्ध करेगा। तद्नुसार बहुत सी संस्थाओं/संगठनों से संपर्क किया गया है और उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपनी दिलचस्पी को मुखर करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए एन.ई.सी. के निमंत्रण को सीमा सड़क संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आई.आई.टी., गुवाहाटी जैसे संगठनों/संस्थाओं ने पहले ही स्वीकार कर लिया है।
14.	परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्षेत्रक अधिकार प्राप्त समितियों की परिषद विशेष दिलचस्पी ले सकती है ताकि त्रुटियों को समय पर दूर किया जा सके।	माननीय सदस्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग तथा निगरानी कर रहे हैं।
15.	राज्य स्तर से नीचे जिला स्तर तक उचित एम. एंव ई. संरचना की आवश्यकता है। राज्यों में ऐसी संरचनाओं को गठित करने (सुदृढ़ करने) अथवा उनके कार्यक्रमों के आवधिक कौशल उन्नयन को एन.ई.सी. द्वारा राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके कार्यान्वित किया जा सकता है।	राज्यों को परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन में संलग्न अधिकारियों के कौशल उन्नयन के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है।
16.	कार्यान्वयन अधीन परियोजनाओं तथा इस वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित योजना तैयार की जाए तथा एन.ई.सी. इसका कड़ाई से पालन करे।	राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके एक स्कीमवार समन्वयन तंत्र विकसित किया जा रहा है।
17.	एम. एवं ई. रिपोर्टों को आकलन तथा चर्चा के लिए जनता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इन्हें वेबसाइट पर भी डाला जाना चाहिए।	एम. एवं ई. रिपोर्टों को प्राप्ति के पश्चात् जनता के आकलन तथा सूचना के लिए एन.ई.सी. की वेबसाइट पर डालने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
18.	क्षेत्र के विकास परिप्रेक्ष्य में सीमा व्यापार के महत्व को ध्यान में रखते हुए एन.ई.सी. एक दीर्घावधि रणनीति तथा एक अल्पावधि कार्रवाई योजना तैयार करे।	वाणिज्य मंत्रालय के साथ चर्चा करके उत्तर पूर्व में व्यापार उन्नयन के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मिशन (एन.ई.आर.आई.टी.आर.ए.एम.) को गठित करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।
19.	एन.ई.सी. व्यापार से संबंधित सुरक्षा मुद्दों पर एन.ई. राज्यों तथा गृह मंत्रालय के बीच चालू आधार पर चर्चा को सहज बना सकती है ताकि वास्तविक व्यापारियों को आवश्यक आर्थिक स्थान उपलब्ध कराया जाए तथा अवैध व्यापार में संलग्न लोगों को दरकिनार किया जा सके।	इस संबंध में नीति तैयार करने का उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का ही रहेगा। विदेश मंत्रालय, गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का भी प्रस्ताव कर रहा है ताकि वह एन.ई.सी. की ओर से भारत के निकटस्थ

1	2	3
		उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों सहित अन्य देशों के साथ बाह्य व्यापार तथा अन्य मुद्दों से संबंधित मामलों में समन्वय स्थापित करेगा।
20.	एन.ई.सी. इस विषय पर परिषद की बैठकों में अन्य संबद्ध मंत्रालयों के साथ विशेष सत्र आयोजित करने पर विचार कर सकती है।	परिषद की बैठकों में शामिल होने के लिए भारत सरकार के सभी संबद्ध मंत्रालयों से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करना एन.ई.सी. का एक सांविधिक दायित्व है। संबद्ध मंत्रालय अपने से संबंधित मामलों पर अपने विचार/सुझाव व्यक्त कर सकते हैं।
21.	क्योंकि 2002 में संशोधन के पश्चात् सुरक्षा एन.ई.सी. का अधिदेश रहा है। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सुरक्षा तथा विकास के बीच संपर्क एन.ई.सी. द्वारा उपयुक्त रूप से बनाया जा सकता है। एन.ई.सी. सुरक्षा पर विचार करने के लिए एक विशेष सत्र बुला सकती है। इस सत्र की अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा की जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी इस सत्र में आमंत्रित किया जा सकता है।	22-6-2005 को परिषद ने अपनी बैठक में सुरक्षा एवं जन व्यवस्था पर चर्चा की और निर्णय लिया कि सुरक्षा तथा जन व्यवस्था से संबंधित मदों पर एन.ई.सी. एक अलग विशेष सत्र में विचार करे। इसमें सीमा व्यापार पर भी चर्चा की जा सकती है क्योंकि यह सुरक्षा से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। इस सत्र में निमंत्रण जानने की आवश्यकता के आधार पर दिया जा सकता है। गृह मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और उनसे संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा सकता है। इस सत्र की सह-अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा की जा सकती है।
22.	सुरक्षा से संबंधित एन.ई.सी. के सत्र में विचार के लिए मुद्दों का निर्धारण करने के लिए एक संचालन समिति की अध्यक्षता गृह सचिव द्वारा की जा सकती है।	केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एन.ई.आर. में सुरक्षा तथा सीमा-व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एन.ई.सी. द्वारा एक संचालन समिति का गठन किया गया है और इसकी सिफारिशें एन.ई.सी. के अध्यक्ष को सौंप दी जाएंगी। 10-2-2006 को समिति ने अपनी बैठक के दौरान सिफारिश की है कि अंतरराज्जीय परियोजनाओं से संबंधित सुरक्षा मुद्दों पर एन.ई.सी. की बैठकों में चर्चा की जाए तथा सामाजिक/जनजातीय मतभेदों से संबंधित मामलों पर तथा उनके निदान उपायों पर भी चर्चा की जा सकती है। ऐसे मामलों की कार्यसूची एन.ई.सी. सचिवालय द्वारा तैयार की जाएगी और इसे गृह मंत्रालय द्वारा संबद्ध राज्यों, एन.ई.सी. तथा डोनर मंत्रालय के साथ चर्चा करके अंतिम रूप दिया जाएगा तथा चर्चा के मद्दे से संबंधित राज्य को ही ऐसी बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा। विकास तथा सुरक्षा की प्रक्रियाओं के बीच तालमेल को सुदृढ़ करने के

1	2	3
		लिए एन.ई.सी., एन.ई.आर. में संबद्ध राज्यों के साथ भागीदारी से विभिन्न परियोजनाओं का उन्नयन कर रही है। ऐसी एक परियोजना त्रिपुरा में उन आतंकवादियों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही है जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है।

[हिन्दी]

न्यूरो सर्जनों की कमी

674. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आवश्यक 30,000 न्यूरो सर्जनों की तुलना में केवल 1200 न्यूरो सर्जन ही उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में न्यूरो सर्जनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर के अनुसार देश में लगभग 1000 न्यूरो सर्जन हैं। तथापि, अब विभिन्न मेडिकल कालेजों में एम.सी.एच. (न्यूरो सर्जरी) पाठ्यक्रम में वार्षिक दाखिला क्षमता 62 है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें पर्याप्त प्रशिक्षण और अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि की आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर विभिन्न स्नातकोत्तर/अति विशिष्टता पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मेडिकल कालेजों/संस्थानों को अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी कर रही हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार मेडिकल कालेजों/संस्थानों को अति-विशिष्टता पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति जारी कर रही है।

एम.पी.एल.ए.डी. कोष का उपयोग

675. श्री सुभाष सुरेश चंद्र देशमुख: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एम.पी.लैड) योजना के अन्तर्गत आवंटित कोष का पूर्ण उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित कोष और प्रयुक्त कोष के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारणों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) इस बात पर विचार करते हुए कि एम.पी.लैड योजना के अंतर्गत आबंटित निधि व्यपगत होती है (अर्थात् किसी वर्ष विशेष में आबंटित निधि बाद के वर्षों में भी प्रयुक्त की जा सकती है), एम.पी.लैड योजना का निष्पादन प्रशंसनीय है; 31-10-2007 की स्थिति के अनुसार जारी निधि की तुलना में उपयोग का संचयी प्रतिशत 89.31 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि योजना के कार्यान्वयन में कोई भारी विलंब नहीं हुआ है। मंत्री जी तथा वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना के निष्पादन की समीक्षा की जाती है।

विवरण

वर्ष-वार जारी निधि, व्यय तथा जारी निधि की तुलना में उपयोग का प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05			2005-06			2006-07		
		जारी निधि	किया गया व्यय	जारी निधि की तुलना में उपयोग का प्रतिशत	जारी निधि	किया गया व्यय	जारी निधि की तुलना में उपयोग का प्रतिशत	जारी निधि	किया गया व्यय	जारी निधि की तुलना में उपयोग का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मनोनीत	25.50	18.42	72.25	15.05	28.91	192.06	19.00	12.39	65.21
2.	आंध्र प्रदेश	112.00	159.28	142.21	101.50	135.41	133.41	124.00	77.80	62.74
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	4.28	71.35	6.00	9.64	160.60	6.00	5.83	97.17
4.	असम	43.00	52.87	122.95	35.00	38.79	110.82	43.00	46.18	107.40
5.	बिहार	84.50	115.91	137.17	100.05	82.85	82.81	106.50	58.63	55.05
6.	गोवा	4.00	10.20	255.00	7.00	6.86	98.06	5.00	4.22	84.40
7.	गुजरात	55.50	106.16	191.28	70.00	87.30	124.72	74.00	52.82	71.38
8.	हरियाणा	26.50	19.14	72.23	27.00	31.62	117.13	29.00	21.59	74.45
9.	हिमाचल प्रदेश	13.00	12.03	92.53	15.95	16.52	103.55	13.00	8.19	63.00
10.	जम्मू-कश्मीर	12.00	26.36	219.68	23.30	18.72	80.34	16.00	14.00	87.50
11.	कर्नाटक	65.00	87.50	134.61	85.00	78.29	92.11	59.00	56.24	95.32
12.	केरल	21.50	72.89	339.03	39.00	51.46	131.95	50.00	59.85	119.70

13.	मध्य प्रदेश	76.00	87.42	115.02	77.00	94.60	122.86	74.00	73.99	99.99
14.	महाराष्ट्र	104.50	176.13	168.55	112.00	128.70	114.91	102.00	115.29	113.03
15.	मणिपुर	6.00	3.49	58.15	6.00	8.76	146.07	6.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	6.00	8.71	145.20	7.00	4.26	60.83	6.00	5.91	98.50
17.	मिजोरम	4.00	1.65	41.13	4.00	6.55	163.78	4.00	3.46	86.50
18.	नागालैण्ड	3.00	2.45	81.67	5.00	5.00	100.00	3.00	2.00	66.67
19.	उड़ीसा	52.50	107.75	205.23	61.00	69.60	114.10	58.00	59.93	103.33
20.	पंजाब	34.00	57.06	167.81	37.00	42.37	114.50	43.00	45.38	105.53
21.	राजस्थान	65.50	65.73	100.35	69.00	81.59	118.24	64.00	72.07	112.61
22.	सिक्किम	5.00	5.49	109.74	4.00	3.98	99.48	4.00	3.26	81.50
23.	तमिलनाडु	115.50	118.97	103.00	102.00	126.38	123.90	118.00	107.58	91.17
24.	त्रिपुरा	6.00	7.38	123.00	6.00	6.98	116.30	6.00	6.16	102.67
25.	उत्तर प्रदेश	206.00	272.42	132.24	214.50	218.51	101.87	197.00	150.17	76.23
26.	पश्चिम बंगाल	59.50	158.86	267.00	91.50	129.92	141.99	123.00	105.61	85.86
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.00	0.00	0.00	2.00	1.90	94.95	2.00	2.05	102.50
28.	चंडीगढ़	4.00	3.18	79.45	1.00	0.64	64.10	1.00	1.73	173.00
29.	दादर व नगर हवेली	1.00	0.73	72.60	3.00	3.88	129.33	2.00	0.22	11.00
30.	दमण व दीव	2.00	1.68	83.80	2.00	1.86	92.95	1.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	दिल्ली	15.00	22.59	150.58	17.05	12.63	74.10	9.00	9.46	105.11
32.	लक्षद्वीप	1.00	1.64	163.70	2.00	2.82	141.10	0.00	0.75	0.00
33.	पांडिचेरी	1.00	2.29	228.70	1.00	3.71	370.90	2.00	1.39	69.50
34.	छत्तीसगढ़	29.00	46.91	161.77	29.00	32.39	111.69	26.00	20.20	77.69
35.	उत्तरांचल	16.50	21.89	132.64	15.00	20.25	134.98	14.00	12.68	90.57
36.	झारखण्ड	27.50	49.67	180.62	41.00	50.33	122.76	42.00	28.58	68.05
	कुल	1310.00	1909.09	145.73	1433.90	1643.97	114.65	1451.50	1245.61	85.82

क्षयरोग की नई औषधि

676. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

श्री संतोष गंगवार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई ने क्षयरोग की नई औषधि विकसित की है और इससे दो-तीन महीनों में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टी.बी. (एम.डी.आर.-टी.बी.) के सभी रोगों का उपचार सम्भव हो पायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रायोजित क्षयरोग कार्यक्रमों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) क्षयरोग अनुसंधान केंद्र क्षयरोग प्रतिरोधक बहु-औषध को रोगियों के उपचार में इस्तेमाल किए जाने के लिए जानसन एंड जानसन दवा कंपनी द्वारा विकसित की जा रही क्षयरोग की नई औषध के चरणों को निर्धारित करने में फिलहाल जुटा है। क्षयरोग अनुसंधान केंद्र भारतीय दवा कंपनी लुपिन लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही क्षयरोग की नई औषध पर अनुसंधान परक अध्ययन करने का भी कार्यक्रम बना रहा है।

(ग) स्पूटम पाजिटिव वाले नए रोगियों की 85% रोगमुक्ति दर प्राप्त करने तथा कम से कम 70% ऐसे मामलों का पता लगाने के उद्देश्य से क्षयरोग को नियंत्रित करने के लिए डाट्स के रूप में व्यापक रूप से ज्ञात संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुशंसित कार्यनीति है, समस्त देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक्स-रे की बजाए स्पूटम सूक्ष्मदर्शिकी से निदान करने से प्राथमिकता के आधार पर संक्रामक रोगियों का पता लगाकर उन्हें रोगमुक्त करने में मदद मिलती है। स्पूटम सूक्ष्मदर्शिकी से निदान सुविधाएं विकेंद्रित करके सुदृढ की गई हैं। औषधियां देखरेख में दी जाती हैं तथा रोगियों का अनुवीक्षण किया जाता है ताकि वे अपना उपचार पूरा कर लें। औषधें रोगीवार डिब्बों में सुपुर्द डाल दी जाती हैं। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में 78.00 लाख से अधिक मरीज डाट्स उपचार ले चुके हैं जिससे 14.00 लाख से अधिक मौतों को रोका जा सका है। प्रत्येक महीने 1.0 लाख से अधिक मरीजों का डाट्स उपचार किया जाता है। भारत में लगभग 14.00 लाख मरीजों का डाट्स उपचार केवल 2006 में किया गया जो विश्व के किसी अन्य देश में एक वर्ष से अधिक था। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का समग्र निष्पादन रोगमुक्ति/उपचार पूर्णता दर के अनुकूल रूप में 85% से अधिक होने और मृत्यु दर के 5% तक घट जाने के कारण उत्कृष्ट रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदान की जा रही सुविधाओं तक जनता की पहुंच बढ़ाने के लिए संशोधित कार्यनीति में विशेष जोर सूचना, शिक्षा, संप्रेषण संबंधी क्रियाकलापों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और चिकित्सा कालेजों का सहयोग लेने पर दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

चिकित्सा अनुदान आयोग

677. श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्री मंजुनाथ कुन्नुर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिकित्सा अनुदान आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग की मुख्य विशेषताएं, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) चिकित्सा अनुदान आयोग स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। इस आयोग के अधिदेश और कार्यों को तैयार किया जा रहा है। तथापि, उक्त आयोग के गठन से संबंधित कार्रवाई 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि में शुरू की जा सकती है बशर्ते कि आवश्यक निधियां उपलब्ध हों। इस प्रयोजन हेतु निधियों के प्रावधान के मामलों पर योजना आयोग से चर्चा की जा रही है।

पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय पौधे

678. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर पश्चिमी घाट क्षेत्र और बेलगांव के आस-पास हजारों औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन औषधीय पौधों के समुचित उपयोग के लिए ठोस कदम उठाए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां।

(क) और (ग) सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले औषधीय पादपों के विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले औषधीय पादपों के विकासार्थ एक कार्यबल का गठन किया जाए।

विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा वीजा

679. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों के लिए एक नए प्रकार का "चिकित्सा वीजा" आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो वैधता की अवधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चिकित्सा वीजा आरम्भ करने के क्या उद्देश्य हैं;

(घ) क्या पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा में कोई अंतर है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) चिकित्सा वीजा जून, 2005 में आरंभ किया गया था। यह उन विदेशियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने मूल/आवास वाले देश से प्राथमिक चिकित्सा के लिए सलाह मांगी है और उन्हें विशेष चिकित्सा उपचार के लिए वहां जाने की सलाह दी गई है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र चिकित्सकीय दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करते हैं ताकि वे उस वास्तविक प्रयोजन से संतुष्ट हो सकें जिसके लिए चिकित्सकीय उपचार वीजा का अनुरोध किया गया है। चिकित्सा वीजा की प्रारंभिक वैधता एक वर्ष अथवा उपचार की अवधि, जो भी कम हो, है। इसे भारत के सुविख्यात/मान्यताप्राप्त/विशेषीकृत अस्पतालों के चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकारों/विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफ.आर.आर.ओ.)/विदेशी पंजीकरण कार्यालयों (एफ.आर.ओ.) द्वारा एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। समुचित चिकित्सा दस्तावेजों के साथ राज्य सरकार/एफ.आर.आर.ओ./एफ.आर.ओ. की संस्तुति पर गृह मंत्रालय द्वारा और अधिक विस्तार दिया जा सकता है। वर्ष के दौरान अधिकतम तीन प्रविष्टियों तक के लिए वीजा वैध है। चिकित्सा वीजा पर भारत आने वाले विदेशियों को भारत में उनके आगमन की तिथि से 14 दिनों के अंदर संबंधित एफ.आर.आर.ओ. के पास अपने-आपको पंजीकृत करना अपेक्षित होता है।

(ग) इस प्रकार के वीजा का उद्देश्य उन विदेशियों की सहायता करना है जो भारत में विशेषीकृत चिकित्सकीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधा का उपयोग करना और चिकित्सकीय पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते है।

(घ) और (ङ) जी, हां। पर्यटक वीजा का उद्देश्य पर्यटन है और इस प्रकार के वीजा को किसी अन्य प्रकार के वीजा में नहीं बदला जा सकता अथवा छह माह अर्थात प्रारंभिक अवधि जिसके लिए यह प्रदान किया गया है, से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। पर्यटक वीजा धारण कर रहे ऐसे विदेशियों के लिए अपने आपको संबंधित एफ.आर.आर.ओ. के पास पंजीकृत कराना अपेक्षित नहीं है बशर्ते देश में निरंतर उनका प्रवास 6 माह से अधिक न हो। प्रारंभ में चिकित्सा वीजा एक वर्ष के लिए दिया जाता है और चिकित्सा उपचार की आवश्यकताओं के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है। चिकित्सा वीजा धारकों को भारत में उनके आगमन के 14 दिनों के अंदर संबंधित एफ.आर.आर.ओ. के पास अपने आपको पंजीकृत कराना आवश्यक होता है।

गैसीय प्रदूषकों का उत्सर्जन

680. श्री निखिल कुमार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो दशकों में देश में गैसीय प्रदूषकों विशेषकर नाइट्रस आक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.), राष्ट्रीय वायु गुणता मानीटरी कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अंतर्गत देश भर में 339 केन्द्रों पर परिवेशी वायु गुणता की निगरानी कर रहा है। सल्फर डाईआक्साईड (SO_2) के स्तर घटता हुआ रुख दर्शा रहे हैं और जो अधिसूचित सीमाओं के भीतर है। नाइट्रस आक्साइड के स्तर, अधिसूचित सीमाओ के भीतर है और घटते-बढ़ते रुख को दर्शा रहे हैं। कुछ शहरों जैसे कोलकाता, पुणे बंगलौर दिल्ली आदि में 1990 की तुलना में नाईट्रस आक्साइड के वार्षिक औसत सान्द्रण में 2006 में वृद्धि हुई है जबकि कुछ शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, चण्डीगढ़, भोपाल आदि में इसने घटता रुझान दर्शाया है।

(ग) वायु प्रदूषण के उपशमन के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

- सामान्य और स्रोत विशिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों पर अधिसूचना
- प्रदूषण स्रोतों की पहचान करना
- विनिर्माण अवस्था पर वाहनों के लिए ऑटो एक्जास्ट मानदंडों का प्रवर्तन
- वाहनों के लिए भारत स्टेज-II और स्टेज-III उत्सर्जन मानक आरम्भ करना
- उपयोग में लाये जा रहे वाहनों के लिए उन्नत पॉल्यूशन अन्डर कन्ट्रोल (पी.यू.सी.) सर्टिफिकेशन प्रणाली की शुरुआत करना
- पावर जनरेशन के लिए स्वच्छतर ईंधन और उन्नत प्रौद्योगिकियां और
- पर्यावरणीय अनुपालन के लिए नियमित मानीटरी।

स्थानीय स्वशासन का प्रभावी कार्यकरण

681. डा. आर. सेनथिल: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान स्थानीय सरकारों के कार्यकरण की समीक्षा अथवा आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा का ब्यौरा क्या है और स्थानीय शासन की संस्थाओं के रूप में परिकल्पित स्थानीय सरकारों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं; और

(ग) पंचायतों को सुदृढ बनाने और पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए विद्यमान 'कलेक्टर राज' को समाप्त करने के लिए किन-किन प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना के उपरांत, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 29-30 जून, 2004 को नई दिल्ली में "पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उपशमन व ग्रामीण समृद्धि" विषय पर मुख्य मंत्रियों तथा ग्रामीण विकास व पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। पंचायती राज पर संविधान के भाग-IX व IX-क के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श के लिए कार्यसूची के रूप में पटल पर रखा गया। इस सम्मेलन में, संविधान की अभिकल्पना के अनुरूप आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के आयोजन व कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की संस्थानों के रूप में उभारने के लिए उन्हें समर्थ बनाने व सशक्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रारूप कार्य योजना को प्रतिपादित करने के लिए सात गोलमेज सम्मेलनों को आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई, 2004 तथा दिसम्बर, 2004 के मध्य पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों के साथ सात गोलमेज बैठकें आयोजित की। दिसम्बर, 2004 में जयपुर में अंतिम गोलमेज बैठक के समापन पर लगभग 150 कार्य बिंदुओं की एक सूची उभर कर सामने आई तथा

उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। गोलमेज सम्मेलनों के अनुवर्तन में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा एक परामर्शदात्री तंत्र की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज के मंत्रियों की परिषद् तथा केंद्रीय सचिव (पंचायती राज) की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्य सचिवों व पंचायती राज सचिवों की एक समिति सम्मिलित है।

पंचायती राज मंत्रियों की परिषद् की तीन बैठकें क्रमशः अगस्त, 2005 में कोच्चि (केरल) में, जून 2006 में भुवनेश्वर (उड़ीसा) में तथा अगस्त, 2007 में तिरूवनन्तपुरम (केरल) में आयोजित की गईं। राष्ट्रीय विकास परिषद् की शक्तिसंपन्न उपसमिति भी समय-समय पर आयोजित होने वाली अपनी बैठकों में संविधान के प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है। इनमें से अधिकांश कार्रवाई बिंदु गतिविधि मानचित्रण, निधियों एवं कार्यकर्ताओं के मेल खाते अंतरण, राज्य बजट में पंचायत सेक्टर विंडो का सृजन, तयशुदा समय-सीमा के भीतर जिला योजना समितियों के लिए संविधान व संचालनात्मक दिशा-निर्देशों जैसे अनुवर्ती उपायों से जुड़े हैं।

(ख) इनसे संबंधित पूर्ण ब्यौरे व उपायों को 2000 पृष्ठों वाले तीन खंड के "पंचायतों की स्थित - एक मध्यावधि समीक्षा और मूल्यांकन" नामक प्रतिवेदन में देखा जा सकता है जिसे 23 नवम्बर, 2006 को दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया गया था। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आई.आर.एम.ए.) को अब पंचायतों की वर्तमान स्थिति का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(ग) संविधान के भाग IX में उल्लिखित तथा भाग IX क के साथ पठित पंचायती राज प्रणाली तथा उसके बाद संसद द्वारा अधिनियमित विभिन्न विधियां तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रकार्यों, कार्यकर्ताओं एवं वित्तों के अंतरण के लिए प्रदत्त राज्य के प्राधिकार, जिला योजना समितियों के गठन के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने एवं अन्य संस्थानिक उपायों के लिए और अधिक प्रभावी बनाते हैं।

नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा का उन्नयन

682. प्रो. एम. रामदास:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नाभिकीय रिएक्टरों से ज्यादा विकिरण होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों की तुलना में तीन गुना अधिक विकिरण होने के बावजूद भी इन स्टेशनों को उत्कृष्ट माना जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत जैसे विकासशील देशों के लिए नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा को उन्नत बनाने वाली प्रौद्योगिकी बहुत महंगी है; और

(च) यदि हां, तो इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं। भारतोय परमाणु रिएक्टरों से होने वाले सभी उत्सर्जन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित नियामक सीमाओं के काफी भीतर हैं, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के तुलनीय हैं।

(ख) ऊपर (क) के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की आवश्यकताओं जोकि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों जितनी कठोर है, को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का अनुपालन, सभी रिएक्टरों के लिए अनिवार्य है। हमारे सभी परमाणु रिएक्टरों में, सुरक्षा के निष्पादन को लगातार मानीटर किया जाता है, और आवश्यकतानुसार, सुरक्षा व्यवस्थाओं को अपग्रेड किया जाता है। विभिन्न देशों में, ऐसे अपग्रेड कार्यों पर किया जाने वाला व्यय, तुलनीय है, और इसे परमाणु विद्युत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सुरक्षा के महत्व को देखते हुए किया जाना है। हमारे परमाणु विद्युत संयंत्रों ने 'पहले सुरक्षा' के सिद्धांत को मानते हुए, वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक कार्य-निष्पादन का प्रदर्शन किया है।

खाड़ी देशों से वापस भेजे गए कामगारों को सहायता

683. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

श्री ब्रजेश पाठक:

श्री मो. ताहिर:

श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी देशों में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय कामगारों को वापस भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कामगारों को कोई सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) समय समय पर खाड़ी देशों द्वारा श्रमिकों को वैध वीजा/निवास परमिट न होने, स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने, आदि के लिए स्वदेश भेजा जाता है।

गत दो वर्षों के दौरान खाड़ी देशों द्वारा भारतीय श्रमिकों को स्वदेश भेजने के प्रयोजन के लिए जारी किए गए आपात प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	कुवैत	बहरीन	स.अ.अ.	के.एस.ए.	ओमान	कतार
2006	1354	शून्य	8030	26932	10480	2116
2007 (अक्तूबर तक)	8234	1481	40088	28904	1086	2050

(ग) और (घ) भारतीय मिशन भारत वापस भेजे जाने वाले असहाय भारतीय श्रमिकों को नियमों के अनुसार आपात प्रमाण-पत्र जारी करने के अलावा भारतीय नागरिकों के विरुद्ध मामलों को निपटाने के लिए ऐसे श्रमिकों को, जहां कहीं, स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क/समन्वय की आवश्यकता होती है, सहायता करते हैं, सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरणों के साथ शिकायतें दायर करने के लिए सहायता करते हैं और साथ ही भोजन, हवाई भाड़ा, परिवहन प्रभार आदि के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय भारतीय मिशनों, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों के समन्वय से ऐसे स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों की सुलभ वापसी की व्यवस्था करता है।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों का सरलीकरण

684. श्री अबु अयीश मंडल:

श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सी.जी.एच.एस. लाभान्वितों द्वारा किसी भी निजी असंगठित अस्पताल से अपने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों को सरलीकृत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शेरों की मौत

685. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चालू वर्ष के दौरान गिर राष्ट्रीय वन तथा अन्य वन्य जीव अभयारण्यों में शेरों की मौत की घटनाएं बढ़ी हैं जैसा कि दिनांक 20 अक्तूबर, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले है;

(ङ) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) शेरों के गुम होने/मारे जाने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2007-08 (1 अप्रैल, 2007 से 31 अक्तूबर, 2007) के दौरान गिर वन और अन्य वन्यजीव अभयारण्यों से कुल 29 शेरों की मौत की सूचना मिली है। इन दर्ज 29 मौतों में 22, प्राकृतिक कारणों से, 1 खुले कुएं में गिर जाने से, 5 बिजली के करन्ट से और 1 की सड़क दुर्घटना के कारण मौत हुई है।

(ग) से (ङ) शेरों की मौतों के मामले में राज्य सरकार ने जांच पड़ताल की है और चार संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

(च) शेरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में शेरों को शामिल करके उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

2. वन्यजीव अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पांच क्षेत्रीय और तीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है।

3. शेरों सहित वन्यजीवों और उनके वास स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए गुजरात सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

4. भारत, कन्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइटस) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जो वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिनियमित करता है।

इसके अतिरिक्त, गुजरात सरकार ने शेरों के मारे जाने की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए हैं:

1. वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि करने के लिए वन्यजीवों के वास-स्थलों का विकास करना।

2. संवेदनशील क्षेत्रों में गहन रूप से गश्त लगाना।

3. अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों/सरकारी विभागों के साथ समन्वय।

4. क्षेत्रीय इकाइयों के लिए हथियार और गोला-बारूद और संचार सुविधाओं का प्रावधान करना।

5. फ्रंट लाईन स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करना।

6. जनता के लिए प्रकृति के प्रति जागरुकता अभियान चलाना।

7. शेरों के संरक्षण पर विशेषज्ञों की सलाहकार समिति गठित की गई है।

भारतीय पत्तनों की गहराई में बढ़ोतरी

686. श्री मोहन रावले: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पत्तनों की गहराई बड़ी नौकाओं के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान पत्तनों की गहराई को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पत्तन-वार क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या ड्रेजिंग सेक्टर में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारतीय नौवहन निगम, मुम्बई पत्तन न्यास, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास और कोचीन शिपयार्ड ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारतीय पत्तनों में पहुंच जलमार्गों में उपलब्ध गहराई और घाटों तथा उपस्करों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए विभिन्न आकारों के जलयान संभाले जाते हैं। समुद्रीय व्यापार की मांग को ध्यान में रखकर पत्तनों का समग्र विकास किए जाने के हिस्से के रूप में

बड़े आकार के जलयानों को आकर्षित करने तथा उन्हें संभालने के लिए पत्तनों में आवश्यक अवसंरचना विकसित किए जाने का सरकार का प्रयास है। इन पत्तनों में आने वाले तथा भविष्य में आने के लिए अपेक्षित जलयानों के आवश्यक डुबाव की व्यवस्था के लिए महापत्तनों द्वारा समय-समय पर पत्तनों को गहरा किए जाने के लिए ड्रेजिंग की जाती है। राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महापत्तनों में जलमार्गों को गहरा किए जाने, घाटों इत्यादि के लिए वर्ष, 2011-12 तक की अवधि के लिए कार्यान्वयन हेतु कुल 25 परियोजनाएं चुन ली गई हैं।

गैर महापत्तन, संबंधित राज्य-सरकारों के समग्र अधिकार-क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें विकसित किए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य-सरकार का ही होता है।

(ग) और (घ) देश में ही ड्रेजिंग क्षमता को बढ़ाए जाने के क्रम में, भारतीय नौवहन निगम, मुंबई पत्तन न्यास, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एक गठबंधन बनाए जाने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।

नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना

687. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन क्षमता को 30000 मेगावाट बढ़ाने के लिए नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु पांच समुद्रतटीय स्थलों की पहचान की है, जैसा कि 16 अगस्त, 2007 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त उद्यमों के माध्यम से अन्य देशों में स्थित यूरेनियम की खानों को खरीदने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या अन्य देशों के साथ इस संबंध में वार्ताएं हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) 2x1000 मेगावाट-ई क्षमता वाले परमाणु विद्युत रिएक्टरों की स्थापना के लिए, तमिलनाडु में कुडनकुलम और महाराष्ट्र में जैतापुर स्थित तटीय स्थलों के लिए भारत सरकार ने 'सिद्धांतत' अनुमोदन दे दिया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा गठित स्थल चयन समिति (एस.एस.सी.) ने, भावी परमाणु विद्युत रिएक्टरों की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में तटीय स्थलों की संभाव्यता का मूल्यांकन किया है। तथापि, कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार, सभी संभावित भागीदारों के साथ, असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकार की संभावनाओं का पता लगा रही है।

परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना

688. श्री अनन्त नायक:

श्री तथागत सत्पथी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसे सर्वेक्षण किए गए हैं;

(ग) क्या एक केन्द्रीय दल ने हाल ही में परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए स्थल का पता लगाने हेतु उड़ीसा का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, सरकार की स्थल चयन समिति (एस.एस.सी.) ने, भावी परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में तटीय स्थलों तथा बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखण्ड राज्यों में अंत:स्थलीय स्थलों की संभाव्यता का मूल्यांकन किया है।

(ग) जी, हां। स्थल चयन समिति ने, उड़ीसा में गंजम जिले के पटीसोनापुर में एक स्थल का मूल्यांकन किया था।

(घ) इस स्थल पर, भावी परमाणु विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने की संभाव्यता है।

(ङ) स्थल चयन समिति द्वारा एक नए स्थल का प्रथम चरण का मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित धनराशि लगभग 50 लाख रुपए है।

[हिन्दी]

पंचायतों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

689. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रभावी क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ पंचायती राज संस्थाओं को कितनी अनुदान राशि दिए जाने का प्रस्ताव है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) केन्द्रीय पंचायती राज तथा युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों (अथवा संघशासित क्षेत्र के मामलों में अन्य प्राधिकारियों) के बीच तथा 22 राज्यों/संघशासित क्षेत्र के उनके पंचायती राज दौरे की समाप्ति पर संयुक्त परिसमापन वक्तव्य (जो विभिन्न शीर्षकों, यथा कमी समझौता ज्ञापनों के नाम से जाना जाता है) अस्तित्व में आए।

ये परिसमापन वक्तव्य, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण व क्षमता-निर्माण उपलब्ध कराने के साथ-साथ पंचायतों को स्वशासी संस्थान के तौर पर कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें कर्तव्य व उत्तरदायित्व सौंपते हैं।

(ग) राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों की योग्यता के विकास के लिए प्रशिक्षण व क्षमता-निर्माण हेतु, प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण, पंचायत घरों के रख-रखाव/अपग्रेडेशन तथा पंचायतों के कंप्यूटरीकरण के लिए हार्डवेयर की प्राप्ति हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के प्रशिक्षण व क्षमता-निर्माण तथा आधारभूत ढांचा विकास घटकों के तहत 43.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

बी.आर.जी.एफ. जिलों में पंचायतों की योजना की क्षमता के निर्माण, कार्यान्वयन, मानीटरन, लेखा परीक्षण व उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता में सुधार के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) के तहत 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के एक क्षमता-निर्माण कोष को उद्दिष्ट किया गया है।

[अनुवाद]

नाभिकीय विद्युत इकाइयों में ईंधन की कमी

690. श्री बालासोवरी बल्लभनेनी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नाभिकीय विद्युत इकाइयां ईंधन की भारी कमी का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विद्युत इकाइयों को ईंधन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) परिचालनरत 17 रिएक्टरों में से, 15 रिएक्टर दाबित भारी पानी रिएक्टर (पी.एच.डब्ल्यु.आर्) हैं जिनमें प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में, प्राकृतिक यूरेनियम की मांग और आपूर्ति के बीच मेल नहीं है।

(ख) इस बेमेल स्थिति के परिणामस्वरूप दाबित भारी पानी रिएक्टरों को इस समय कम क्षमता पर चलाया जा रहा है।

(ग) सरकार ने, नई खानें खोलकर और संसाधन सुविधाओं का विस्तार करके, प्राकृतिक यूरेनियम की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। तुरुमडीह स्थित नई यूरेनियम संसाधन मिल का परिचालन शुरू होने के साथ, यूरेनियम की उपलब्धता में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की आशा है।

[हिन्दी]

परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

691. श्री सुभाष महरिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाओं के परीक्षण हेतु विद्यमान प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में आयुर्वेदिक दवाओं के नमूनों के परीक्षण हेतु और प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जा रहा है/प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) तीन प्रकार की प्रयोगशालाएं आयुर्वेदिक और एलोपैथिक औषधियों का परीक्षण कार्य कर रही हैं:

(1) केंद्र सरकार की प्रयोगशालाएं अर्थात् आयुर्वेदिक औषधियों के लिए फार्माकोपियल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन, गाजियाबाद और एलोपैथिक औषधियों के लिए केंद्रीय भारतीय चिकित्सा प्रयोगशाला, गाजियाबाद और ऐसी ही 4 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं।

(2) राज्य सरकार औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं: आयुर्वेदिक औषधियों के लिए 29 राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं और एलोपैथिक औषधियों के लिए 28 राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं।

(3) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 160 (क से ञ) के अंतर्गत अनुमोदित निजी प्रयोगशालाएं: आयुर्वेदिक औषधियों के परीक्षण के लिए 26 अनुमोदित प्रयोगशालाएं हैं जबकि एलोपैथिक औषधियों के परीक्षण हेतु 150 अनुमोदित प्रयोगशालाएं विद्यमान हैं।

संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों के परीक्षण हेतु
राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला

---

1. मुख्य अधीक्षक, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, राजकीय भारतीय औषधि फॉर्मेसी (आयुर्वेद) कटिदन, हैदराबाद, 500077
2. उप-निदेशक, राजकीय राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, सरकारी केन्द्रीय फॉर्मेसी, जयनगर, I ब्लाक समीप अशोक पिलर, बंगलौर, कर्नाटक
3. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फॉर्मेसी, वजीराबाद, नांदेड़, महाराष्ट्र-431602
4. सरकारी विश्लेषक, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, भेषज अभिज्ञान प्रभाग, खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, समीप पोलीटेक्निक, वडोदरा, गुजरात
5. प्रभारी, आयुर्वेद राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, राजकीय आयुर्वेदिक फॉर्मेसी, पुष्कर रोड, अजमेर, राजस्थान
6. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि, 32-सरोजिनी नायडू मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
7. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, भाषिप अनुसंधान संस्थान, जोगिन्दर नगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश-176120, दूरभाष: 01904-22048
8. प्रभारी, राजकीय राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार, उत्तरांचल, दूरभाष: 0133-27003

9. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान, औषधि मानकीकरण एकांश, पूजापुरा, तिरूवनंतपुरम

10. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पातल, नगरवरतंगी, पो.ऑ. बी.जे.बी. नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा-751014, दूरभाष: 0674-432347

11. प्रभारी, भाचिप राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, अरिगनर अन्ना राजकीय अस्पताल भारतीय चिकित्सा परिषद, अरूम्बकम, चैन्नई (तमिलनाडु)

12. निदेशक, राजकीय भेषज संहिता प्रयोगशाला एवं भारतीय चिकित्सा फॉर्मेसी, कल्याणी, नादिया, दूरभाष: 50626281

13. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली

14. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, राजकीय आयुर्वेदिक फॉर्मेसी परिसर, अम्खो लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474009

15. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, राजकीय आयुर्वेदिक फॉर्मेसी, जी.ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़

16. प्रभारी, भाचिप एवं हो, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटोली, मंगोत्रियन, जम्मू-180007

17. प्रभारी, भाचिप औषधि राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, गुवाहाटी, दूरभाष: 0361-2570455

18. उप-औषधि नियंत्रक, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (भाचिप), औषध नियंत्रण भवन, पंडित नेहरू ऑफिस काम्प्लेक्स, अगरतला-799006, त्रिपुरा

19. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (भाचिप एवं हो), केन्द्रीय चिकित्सा भंडार, जामबौक, आईजोल, मिजोरम

20. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (भाचिप), खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पाश्चर संस्थान, शिलांग, मेघालय-793001

21. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (भाचिप), नेहरालगरूम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

22. सहायक निदेशक, भाचिप एवं हो., डी.एच.एस. राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला-आयुष, कोहिमा, नागालैण्ड

23. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, राजकीय केन्द्रीय फॉर्मेसी भंडार, ओल्ड प्रेस रोड, पटियाला, पंजाब

24. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (भाचिप), श्रीकृष्ण राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, कुरुक्षेत्र, हरियाणा

25. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रांची, झारखंड

26. प्रमुख-प्राकृतिक उत्पाद विभाग, एन.आई.पी.ई.आर. राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (ए.एस.यू.), मोहाली, पंजाब

27. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, आयुर्वेद एवं यूनानी फॉर्मेसी परिसर, पटना, बिहार

28. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, ए.एस.यू. एंड एच. औषधि संबंधी राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चंदर, सिक्किम

29. प्रभारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, ए. एंड एस. औषधि, शास्त्र, तंजावुर, तमिलनाडु

विवरण-II

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम क से ञ के अंतर्गत अनुमोदित आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम
1.	मैसर्स वरूण हर्बल प्रा.लि., 5-8-293/ए, महेश नगर, चिराग अली लेन, हैदराबाद
2.	मैसर्स सिपरा लैब प्रा. लि., 407, नीलगिरि, आदित्य एन्क्लेव, अमीतपेट, हैदराबाद-500038
3.	कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (सी.सी.आर.ए.एस.), अरूम्बकम, चैन्नई-600106
4.	मैसर्स स्वपरनिका हर्बल एक्सट्रैक्ट्स एंड फॉर्मास्यूटिकल्स प्रा. लि., नं.-31-ए/2ए, नार्थ फेस, सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट, चैन्नई-600098
5.	रिजिनल रिसर्च लैब्रोटरी (सी.एस.आई.आर.), कैनाल रोड, जम्मूतवी, जम्मू-180001
6.	ए.आर.बी.आर.ओ. फॉर्मास्यूटिकल्स लि., 4/9, कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110015
7.	श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, 14 और 15 सत्यामंगला इंडस्ट्रियल एरिया, ह्वाइटफिल्ड रोड, बंगलौर-560148
8.	बंगलौर टेस्ट हाउस, 65/20 मेन मोरेनहल्ली विजया नगर, बंगलौर
9.	एफ.आर.एल.एच.टी., 74/2 जरकाबंदे कवल, पो. अत्तूर वाया येलाहंका, बंगलौर-560064
10.	एम.एस. रमैया ड्रग्स एंड लाइड प्रोडक्ट्स टेस्टिंग लेब्रोटरीज, एम.एस. रमैया नगर, एम.एस.आर.आई.टी. (पोस्ट), बंगौलर-560054
11.	ओजोन पॉर्मास्यूटिकल्स लि., (एनालिटिकल लैब) एम.आई.ई., बहादुर गढ, जिला-झझर, हरियाणा-124507
12.	मैसर्स स्टैंडर्ड एनालिटिकल एंड रिसर्च लैब्रोटरीज, 358/4, लक्ष्मीबाई नगर, इंडस्ट्रियल स्टेट, किला मैदान, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452004
13.	मैसर्स अनुसंधान एनालिटिकल एंड बायोकेमिकल रिसर्च लैब्रोटरी प्रा.लि., इंदौर, 435, एम.जी. रोड, शिवविलास प्लेस, राजावाड़ा, इंदौर, मध्य प्रदेश-452004
14.	मैसर्स चोकसी लैब्रोटरी लि., 6/3, मनोरम गंज, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001
15.	मैसर्स क्वालिटी कंट्रोल लैब्रोटरी, प्लाट नं.-17, मालवीय नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462003
16.	जे.आर.डी. टाटा फाउन्डेशन रिसर्च इन आयुर्वेद एंड योग साइंस, आरोग्यधाम, (दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट) चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश-485331
17.	श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, यूनीवर्सिटी रोड, दिल्ली
18.	मैसर्स सीताराम आयुर्वेद फॉर्मेसी लि. नेदुमपूझा, त्रिसूर, केरल
19.	वैद्य रत्नम, औषधशाला, उल्लूर, त्रिशूर

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम
20.	आर्य वैद्यशाला कोटक्कल, मालापुरम
21.	मैसर्स नेचुरल रेमेडीज प्रा. लि., बंगलौर
22.	ड्रग टेस्टिंग लैब्रोटरी, नायपर, मोहाली, चंडीगढ़
23.	मैसर्स स्टैंडर्ड एनालिटिकल लैब्रोटरी प्रा.लि. 69, फक्सनल इंडस्ट्रियल स्टेट, पटपड़गंज, दिल्ली-92
24.	शिल्पचम मैनुफैक्चर्स ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, 47-डी स्टेट फोर्ट, लक्ष्मीबाई नगर, इंदौर-452006
25.	लैब्रोटरीज सर्विस डिवीजन, सरगम मेटल प्रा.लि., चैन्नई
26.	मैसर्स अमोल फॉर्मास्युटिकल्स प्रा. लि., संगनेर, जयपुर, राजस्थान

जी.एम.पी. अनुपालक एन.ए.बी.एल. प्रत्यायित प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम
1.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी (आई.आई.बी.ए.टी.), कांचीपुरम, जिला-पडप्पई, तमिलनाडु-601301
2.	रॉलिस रिसर्च सेन्टर, प्लाट नं.-21 एवं 22, फेस-2, पिनैया इंडस्ट्रियल एरिया, बंगलौर-560058
3.	जय रिसर्च फॉउन्डेसन, पो. बाक्स नं.-30, जी.आई.डी.सी., वापी, गुजरात-396195
4.	एनी एन.ए.बी.एल. एक्रीडीटेड लैब्रोटरी

सेतु समुद्रम परियोजना

692. श्री राकेश सिंह:

श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 सितम्बर, 2007 को 'देश की धरती' कोटा मे 'रामसेतु भारत के नक्शे में नहीं है: बालू' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने मूलरूप से स्वीकृत परियोजना में कोई परिवर्तन/संशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) परियोजना के बारे में आज की तिथि तक किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) इस मुद्दे से जुड़े कुछ मामले वाद का विषय हैं। 31-8-2007 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए एक आदेश के अनुसार, एडमज ब्रिज क्षेत्र में ड्रेजिंग कार्य को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अप्रैल, 2005 के दौरान बैथीमीटरी सर्वेक्षण किया है। राष्ट्रीय जलसर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून ने इस परियोजना के लिए ड्रेजिंग से पहले और ड्रेजिंग के पश्चात् के सर्वेक्षण किए हैं। मैसर्स भारतीय निकर्षण निगम

द्वारा आवधिक रूप से कार्य-प्रगति सर्वेक्षण किए जाते हैं। ये सर्वेक्षण ड्रेजिंग की मात्रा का आकलन करने के लिए किए जाते हैं।

[अनुवाद]

एन.टी.पी.सी. की भूमि पर अवैध सड़क निर्माण

693. श्री चन्द्र शेखर दूबे: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल बीयरिंग एरियाज एक्ट के अंतर्गत एस.ई.सी.एल. के गेवरा क्षेत्र में रेल लाइन के लिए एन.टी.पी.सी. (कोरबा) द्वारा खरीदी गई भूमि पर एस.ई.सी.एल. तथा राज्य सरकार की मिलीभगत से निजी कोयला धोवनशालाओं को कोयले की आपूर्ति के लिए अवैध सड़क का निर्माम किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अनुरोध पर बाई पास तथा अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए राज्य सरकार को एस.ई.सी.एल. द्वारा "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया गया था। तथापि, भूमि के स्वामित्व के बारे में स्थानीय ग्रामीणों तथा एन.टी.पी.सी. की ओर से आपत्ति किए जाने पर एस.ई.सी.एल. ने तत्काल हस्तक्षेप करके उक्त कार्य को आगे बढ़ने से रोक दिया।

[हिन्दी]

राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना

694. श्री श्रीचन्द्र कृपलानी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को द्वितीय चरण की राजस्थान वानिकी और जैवविविधता परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य सरकार ने जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को-आपरेशन (जे.बी.आई.सी.) से बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षों की अवधि के लिए 569.53 करोड़ रु. की अनुमानित परियोजना लागत पर "द्वितीय चरण की राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना" का परियोजना प्रस्ताव भेजा है।

परियोजना प्रस्ताव में राजस्थान के सभी 32 जिलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना प्रस्ताव पर आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इसे आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

695. श्री रामपाल सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को इस संबंध में दिए गए आश्वासन के बावजूद भी नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इसमें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रिक्तियों को विभिन्न चरणों में भरने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) यद्यपि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत डाक्टरों की संख्या आवश्यकता से अधिक है (22669 की आवश्यकता के मुकाबले 27927), फिर भी, 1314 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार) दोषपूर्ण संवितरण, राज्य सरकारों की खराब स्थानांतरण नीति, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बुनियादी सुख-सुविधाओं और प्रोत्साहनों की कमी के कारण डाक्टरों के बिना चल रहे थे।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जिला स्तर पर संविदा के आधार पर डाक्टरों की नियुक्ति करने हेतु प्राधिकृत किया

गया है जिनमें आयुष डाक्टर भी शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन देश भर में दिनांक 1-11-2007 तक संविदा के आधार पर 4318 डाक्टर नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की सेवा सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न पहलें की हैं जैसे प्रथम नियुक्ति ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रों में करना, वाक-इन साक्षात्कार, संविदा के आधार पर नियुक्ति, ग्रामीण क्षेत्र भत्ता प्रदान करना, दुर्गम क्षेत्रों में सेवा करने हेतु वस्तुगत और नगद प्रोत्साहन, ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्र के कार्यकाल के बाद इच्छानुसार तैनाती का विकल्प देना आदि।

औषधीय पादप

696. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एरोमेटिक एण्ड मेडिकल प्लांट ग्रोवर्स एसोसिएशन' की रिपोर्ट के अनुसार देश में 8000 से अधिक किस्म के पादप पाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में बड़ी संख्या में उपलब्ध पादपों के संरक्षण तथा इनके उपयोग के संबंध में सरकार द्वारा क्या कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त पादपों के उत्पादन तथा विपणन हेतु सरकार द्वारा कोई राज सहायता दी जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या औषधीय पादपों के निर्यात की संभावनाओं के मद्देनजर सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है या उठाया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) अनुमान लगाया गया है कि देश की वनस्पति में अभिलिखित की गई आवृतबीजी की 17,500 प्रजातियों में से लगभग 8000 प्रजातियों में औषधीय गुण विद्यमान हैं। इन प्रजातियों को भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित विभिन्न वनस्पतियों में सूचीकृत किया गया है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण ने भारत के 3270 दुर्लभ और मृतप्राय: पादपों की भी एक सूची तैयार की है, इनमें भी अधिकांशत: औषधीय पादप शामिल हैं। औषधीय पादपों का संग्रहण भी किया जाता है और उनकी विभिन्न वनस्पति उद्यानों में कृषि की जाती है/बाह्य स्थाने संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड औषधीय पादपों के अंत:स्थाने/बाह्य स्थाने संरक्षण/सर्वेक्षण और सूचीकरण के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने संविदात्मक कृषि स्कीम कार्यान्वित की है जिसके अंतर्गत चिन्हित औषधीय पादपों की कृषि के लिए किसानों/काश्तकारों को परियोजना लागत के 30% की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है, बशर्ते की यह राशि 9.00 लाख रुपये से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बागबानी मिशन, कृषि और सहकारिता विभाग भी अपनी स्कीमों के अंतर्गत औषधीय पादपों की कृषि के लिए सहायता देते हैं। राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड "उत्पादन और फसल कटायोत्तर प्रबंधनों द्वारा वाणिज्यिक बागबानी का विकास" नामक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत प्रति परियोजना अधिकतम 25 लाख रुपये की सीमा तक कुल परियोजना लागत की अधिकतम 20% पूंजीगत निवेशन आर्थिक सहायता दी जाती है। उत्तर-पूर्वी/जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 30.00 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जड़ी-बूटीय फसलों की उच्च प्रौद्योगिकीगत कृषि के लिए भी स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है।

(च) और (छ) इस संबंध में किए गए कुछ प्रयास निम्नवत् हैं:

(i) भारत सरकार ने गुणवत्तायुक्त औषधियों को तैयार करने के लिए औषधीय पादपों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की है।

(ii) भारत सरकार आरोग्य प्रदर्शनियों और अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करती है।

(iii) भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में सम्मिलित होने के लिए उद्योग को सहायता देती है ताकि वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकें। विपणन सर्वेक्षण कार्यों को संपोषित करने के लिए भी स्कीमें चलाई जा रही हैं।

(iv) भारतीय औषधीय पादपों से संबंधित मोनोग्राफों और आयुष अनुसंधान परिषदों द्वारा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी से संबंधित अंत:स्थाने और बाह्यस्थाने अनुसंधान कार्यों का प्रकाशन।

(v) आयुर्वेद/सिद्ध/होम्योपैथी भेषज संहिताओं/फार्मुलरियों का प्रकाशन।

[अनुवाद]

दुर्घटना डाटा बेस की स्थापना

697. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने पूरे देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर डाटा संग्रहण हेतु कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशिया प्रशान्त क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यू.एन.ई.एस.सी.ए.पी.) ने दुर्घटना डाटाबेस तैयार करने हेतु एक परियोजना का वित्तपोषण करने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) वर्तमान डाटाबेस से इस डाटाबेस के किस प्रकार बेहतर होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) इस मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना आंकड़ों के वैज्ञानिक संग्रहण और संकलन के लिए एशिया प्रशान्त क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यू.एन.ई.एस.सी.ए.पी.) द्वारा प्रायोजित 'इंडिया रोड एक्सीडेंट डाटाबेस (आई.आर.ए.डी.)' नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य देश के 28 राज्यों, 7 संघ राज्य क्षेत्रों और 23 चुनिंदा शहरों में एक व्यापक सड़क दुर्घटना डाटाबेस तैयार करना है। इस परियोजना की कुल लागत 90,000 अमरीकी डालर है। इस परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ सड़क दुर्घटना के स्थान पहलु, सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों, वाहन की विशेषताओं, सड़क की स्थिति आदि को शामिल करते हुए 19 आयटम फार्मेट के माध्यम से इलैक्ट्रानिक विधि से सड़क दुर्घटना आंकड़े एकत्र करना है। इस मंत्रालय ने प्रारंभिक दुर्घटना आंकड़े एकत्र करने के लिए फार्मेट को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से तमिलनाडु में एक प्रायोगिक परियोजना पहले ही शुरू कर दी है।

(ङ) आई.आर.ए.डी. परियोजना के अंतर्गत संशोधित 19 आयटम फार्मेट में सड़क दुर्घटना के सभी पहलुओं को व्यापक तौर पर शामिल करने का प्रयास है और इससे बेहतर नीतिगत निर्णयों को तैयार करने में मदद मिलेगी।

शल्य क्रिया कक्ष में संक्रमण

698. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एम्स' में शल्य क्रिया कक्ष (ओटी) में संक्रमण दर अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 'एम्स' में ओटी अनुशासन का उचित पालन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीमेडिसिन संबंधी राष्ट्रीय नीति

699. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार टेलीमेडिसिन संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टेलीमेडिसिन के बारे में राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रणाली को स्थापित करने की कार्ययोजना के संबंध में अद्यतन प्रगति रिपोर्ट क्या है;

(च) क्या इस प्रणाली से पुरानी तथा जटिल बीमारियों का भी इलाज होने की संभावना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस प्रणाली के अंतर्गत इलाज हेतु दवाइयां उपलब्ध कराने के तौर-तरीके क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) मंत्रालय ने देश में टेलीमेडिसिन लागू करने की संभावनाओं और क्षेत्रों की जांच करने के लिए सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन कार्य-बल गठित किया था।

(ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलिमेडिसिन के लिए 183.00 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

(च) और (छ) राज्यों ने टेली परामर्श और टेली निदान के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं। उपचार संबंधित विशेषज्ञों द्वारा टेली परामर्श पर आधारित है।

(ज) औषधें उपलब्ध कराने की कोई प्रणाली नहीं है। नुस्खा निर्धारण टेली परामर्श करने के बाद विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित है और अनुवर्तन तथा पर्यवेक्षण स्थानीय डाक्टर द्वारा किया जाता है।

चिरंजीव योजना और जननी सुरक्षा योजना

700. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने गुजरात सरकार से चिरंजीव योजना का ब्यौरा मांगा है;

(ख) यदि हां, तो चिरंजीव योजना की तुलना में जननी सुरक्षा योजना द्वारा कितनी सफलता प्राप्त की गयी है; और

(ग) चिरंजीव योजना हेतु सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। जननी सुरक्षा योजना वर्ष 2005-06 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है जबकि चिरंजीवी योजना गुजरात के 5 जिलों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में दिसम्बर, 2005 में शुरू करके 2006-07 में गुजरात के सभी जिलों में लागू की गई। चूंकि चिरंजीवी योजना तथा जननी सुरक्षा योजना के पैरामीटर अलग-अलग हैं, अत: इन योजनाओं की तुलना नहीं की जा सकती।

(ग) गुजरात सरकार ने चिरंजीवी योजना को अपनी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) में शामिल किया है तथा इसके लिए 2007-08 में 29.56 करोड़ रुपए के अनुमोदन हेतु अनुरोध किया है। भारत सरकार ने गुजरात की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना का अनुमोदन इस शर्त पर किया है कि सभी प्रस्तावित स्कीमें आबंटित वित्तीय प्रावधान के अंदर समायोजित की जानी चाहिए।

वन विज्ञान केन्द्र

701. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में वन विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना के लिए राज्य-वार चिन्हित स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) नए केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या वृक्षों हेतु बीमा सुरक्षा प्रदान किए जाने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, हां। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून, (आई.सी.एफ.आर.ई.) ने देश के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में वन विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में दो वन विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, छोटे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में शुरुआत में एक वन विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। संबंधित राज्य वन विभागों/संघ शासित

प्रशासनो की सहायता से उपयुक्त स्थल अभिनिर्धारित किए जा रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त उत्तर (ख) में प्रस्तावित वन विज्ञान केन्द्र ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए जाएंगे।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

पूर्वोत्तर निवेश अवसर

702. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर में बैंकॉक में पूर्वोत्तर भारत निवेश अवसर (एन.ई.आई.आई.ओ.) सप्ताह मनाया गया था ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में थाईलैण्ड भारत आर्थिक सहयोग सृजित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस आयोजन के कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या थी; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) ने 01 से 04 अक्तूबर, 2007 तक बैंकॉक, थाईलैंड में उत्तर पूर्व भारत व्यापार और निवेश अवसर सप्ताह का आयोजन किया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य थाईलैंड से इस क्षेत्र के विभिन्न सैक्टरों में निवेश को आकर्षित करना था। इस प्रयोजन के लिए चुने गए प्रमुख सैक्टरों में अवस्थापना (सड़क, रेल, अंतरदेशीय जल व्यवस्था, हवाई संपर्क और ऊर्जा), खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और हॉस्पीटैलिटी, हॉर्टीकल्चर, हथकरघा और हस्तशिल्प, रबड़ और बांस शामिल हैं।

2. इस अवसर में वाणिज्य मंत्रालय, थाइलैंड का ट्रेड बोर्ड, थाइलैंड में निवेश बोर्ड भारत-थाई व्यापार फोरम (आई.टी.बी.एफ.), भारत थाई व्यापार संघ (आई.टी.सी.सी.) भारतीय व्यापार चैम्बर (आई.सी.सी.), उत्तर पूर्वी क्षेत्र का उद्योग और वाणिज्य संघ (एफ.आई.एन.ई.आर.), भारतीय शोलेक और वन उत्पाद निर्यात परिषद (सेफेक्सिल) बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास सैक्टर विशेष सभी संबद्ध मंत्रालय और संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा भारतीय और थाई व्यापारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। भारतीय पक्ष की ओर से 180 से ज्यादा व्यापारियों का शिष्टमण्डल का प्रतिनिधित्व था। थाइलैंड की ओर से मिस्टर क्रिक-कराई जीरापेट, थाई वाणिज्य मंत्री और पियाबूटर कोलविजार्न थाइलैंड के उद्योग उप मंत्री, उनके संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा थाइलैंड के 150 से अधिक व्यापारियों ने विभिन्न सत्रों में भाग लिया।

3. केंद्रीय मंत्री जिन्होंने इस अवसर में भाग लिया उसमें श्री मणिशंकर अय्यर, माननीय मंत्री (डोनर) और डा. अश्विनी कुमार, माननीय उद्योग राज्य मंत्री थे। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। असम, सिक्किम और त्रिपुरा से वरिष्ठ मंत्रियों ने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। सभी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी जो प्रमुख अवस्थापना सैक्टर का कार्य देख रहे हैं और उन परियोजनाओं के विकास का दायित्व संभाले हुए हैं जिनमें निवेश आकर्षित किया जा सकता है का भी खास प्रतिनिधित्व रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय शिष्टमंडल में केंद्रीय और राज्य के मंत्रियों तथा संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रतिनिधित्व भी शामिल था।

4. प्रमुख परिपूर्ण सत्र में भारत और थाइलैंड के 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार के निवेश और व्यापार के अवसर की क्षमता और संभावना के बारे में आम प्रस्तुतीकरण तैयार किया गया। इसमें सभी आठ उत्तर पूर्वी राज्यों को शामिल किया गया। मंत्री, डोनर ने उत्तर पूर्वी औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एन.ई.आई.आई.पी.पी.), 2007 के महत्वपूर्ण आकर्षणों का संक्षिप्त विवरण सहित इस क्षेत्र के विभिन्न सैक्टरों में निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। मुख्य मंत्रियों ने अपनी क्षमता और परस्पर सहयोग निवेश की संभावना और विभिन्न सैक्टरों में व्यापार तथा दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श शुरू करने के लिए एक झलक प्रस्तुत की।

5. इस अवसर पर सेक्टोरल सत्र आयोजित किए गए। इस सत्र में प्रमुख रूप से प्रस्तुत किए गए सेक्टरों में पर्यटन, अवस्थापना, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए गए। सभी सत्रों में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मण्डल शामिल हुए। अवस्थापना, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प के सत्रों को श्री मणिशंकर अय्यर, मंत्री, डोनर, डा. अश्विनी कुमार, उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार और श्री पियाबूटर कोलविजार्न उद्योग उप मंत्री, थाईलैंड सरकार ने संबोधित किया। राज्य

मंत्री (उद्योग) ने एन.ई.आई.आई.पी.पी., 2007 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख किया और इस क्षेत्र में भारी निवेश पर बल दिया। क्योंकि अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान बहुत आकर्षक है। उद्योग उप मंत्री, थाइलैंड ने बताया कि उनके मंत्रालय के थाइलैंड निवेश बोर्ड में इंडिया डेस्क खोला गया है।

6. इस सत्र का प्रमुख भाग भारत और थाइलैंड के व्यापारियों के बीच एक दूसरे के साथ विचार विमर्श था। राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के कार्मिकों और थाइ सरकार के कार्मिक इस विचार-विमर्श को सुकर बनाने के लिए उपस्थित थे। कुल मिलाकर दोनों पक्षों की ओर से 300 व्यापारियों ने आपस में विचार विमर्श किया। इन चर्चाओं से आम हित की जो बातें उभर कर आई वे निम्न प्रकार हैं:-

(i) अवस्थापना विकास, सड़क निर्माण, सिविल निर्माण, रियल एस्टेट, बिटुमेन इमुलसन, प्री फैब्रीकेट बैम्बू शैल्टर्स, सीमेंट, सेनेटरी फिटिंग, रंग-रोगन, हाई बिल्डंग कोटिंग, जिप्सम बोर्ड, स्ट्रक्चरल स्टील और टाइलें।

(ii) विद्युत

(iii) खाद्य प्रसंस्करण, शीतागार, सुगंधित दूध, खाद्य सामग्री, बीटल नट इंडस्ट्री, राइस मिलिंग मशीनरी, पैकेजिंग सामग्री

(iv) कोयला, खनन, फेरोलॉयस, बिक टाइल्स ऑयल और गैस, रिफाइनिंग, जैव ईंधन पैट्रोलियम कोक और अपशिष्ट सामग्रियों को पुनर्चक्रीकृत

(v) सूत के धागे, हाथ के बने ऊनी कपड़े, पोशाक, हस्तशिल्प, गृह सज्जा, आभूषण, चमड़ा आधारित उद्योग

(vi) पर्यटन, होटल रिसोर्ट, मनोरंजन पार्क, अस्पताल, स्वास्थ्य देखरेख, स्पा प्राइवेट एयरलाइन्स

(vii) फ्लोरीकल्चर, अदरक, एक्वाकल्चर, चाय आर्गनिक स्पाइसेज, कट फ्लावर

(viii) आयात निर्यात, विपणन, प्रयोगशाला उपस्कर

(ix) स्कूल

(x) कंसल्टेंसी

7. इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उस स्थान पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। सभी राज्यों, सफेक्सिन के प्रदर्शों, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम ने इस प्रदर्शनी में सक्रिय रूप से भाग लिया।

(ग) यह समारोह बहुत सफल रहा है। दोनों पक्षों के बीच 10 करार और समझौते हुए उसमें से 6 पर 3-10-2007 को मंत्री, डोनर और उप मंत्री उद्योग, थाइलैंड सरकार और उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। एक शुरुआत हुई और दोनों पक्षों के बीच विभिन्न निवेशों और व्यापार से संबंधित मामलों पर आगे विचार-विमर्श के लिए एक मंच तैयार हुआ। थाई पक्ष की ओर से हमें पुरजोर समर्थन मिला और हमें आशा है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारें उस पर कार्य करेंगी तथा खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और अवस्थापना सहित विभिन्न सेक्टरों में निवेश और कुशलता को आकर्षित कर पाएंगी।

परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं

703. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को परिवार कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति ने 10 जुलाई, 2007 को हुई अपनी बैठक में कर्नाटक के लिए 113136.58 लाख रुपए की राशि की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना अनुमोदित की है जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन कार्यकलापों के लिए 94406.58 लाख रुपए और आर.सी.एच.

एवं मिशन फ्लेक्सी पूल के अधीन क्रमशः 5611.00 लाख रुपए और 13120.00 लाख रुपए की खर्च न की गई बकाया राशि भी शामिल है। कर्नाटक राज्य सरकार से इस अनुमोदित राशि में से प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, मिशन फ्लेक्सीबल पूल, प्रतिरक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कार्यकलाप शुरू करने की अपेक्षा है।

ई-अपशिष्ट की डम्पींग

704. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकसित देशों द्वारा अप्रचलित कम्प्यूटरों, अलग किए गए इलेक्ट्रॉनिक संघटकों से जनित भारी धातुओं, पी.वी.सी. प्लास्टिक तथा ब्रॉमिनेटेड फ्लेम-रिड्रोडेन्ट्स आदि जैसे विषैले पदार्थों से युक्त हजारों टन इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट अवैध तरीके से जहाज द्वारा भारत भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ई-अपशिष्ट की डॉपिंग के खतरे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को वीजा जारी किया जाना

705. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मोहाली में 8 नवम्बर, 2007 को हुए भारत-पाक क्रिकेट मैच के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को मात्र 250 वीजा जारी करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) क्या क्रिकेट प्रेमियों के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विगत में भारत का दौरा करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी बड़ी संख्या में लापता हो गए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) जैसा कि वर्ष 2006 के चैम्पियन ट्राफी मैच के लिए किया गया था, क्रिकेट-मैच के वैध टिकट-धारक पाकिस्तानी आवेदकों को प्रति मैच 250 वीजा जारी किए गए थे। मोहाली में हुए मैच के लिए वीजा के लिए ऐसे 125 आवेदन प्राप्त हुए थे और 123 क्रिकेट-वीजा जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, पंजाब क्रिकेट एशोसिएशन तथा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा आमंत्रित ऐसे अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को 170 वीजा जारी किए गए थे जो मोहाली क्रिकेट मैच देखना और भारत में अन्य स्थानों की यात्रा करना चाहते थे। आवेदकों की यात्रा, अवधि तथा प्रवास की व्यवस्थाओं, पूर्ण पहचान-विवरणों इत्यादि के प्रावधान से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। वर्ष 2005 में हुए मैचों के लिए जारी क्रिकेट वीजा वाले 30 पाकिस्तानी राष्ट्रिक अभी तक पाकिस्तान नहीं लौटे हैं और उनका पता नहीं चल पा रहा है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें

706. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भारत में मेडिकल कॉलेजों के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर एक स्वतंत्र विनियामक ढांचे की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पैनल की सिफारिशें स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एन.के.सी.) ने प्रस्तावित उच्चतर शिक्षा स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण (आई.आर.ए.एच.ई.) के ढांचे के अंतर्गत एक स्थायी समिति का गठन करने तथा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की है जिससे कि राष्ट्रव्यापी परीक्षाएं आयोजित

करने के अधिकार से युक्त भारतीय चिकित्सा परिषद एक व्यावसायिक संगठन के रूप में कार्य कर सके तथा व्यवसाय में शामिल होने वाले इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान कर सके। संगत सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों/जांच हेतु भेज दी गयी हैं तथा अंतिम निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गई है।

विवरण

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट का सार-शिक्षा संबंधी सिफारिशों का संकलन, नवम्बर, 2007

चिकित्सा संस्था

विनियमन एवं प्रत्यायन

विनियमन

वर्तमान में, भारत में चिकित्सा शिक्षा का विनियमन भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाता है। विनियमन की यह प्रणाली व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न तो पर्याप्त है और न ही उपयुक्त। अतः उच्चतर शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिशों के अनुरूप, हम उच्चतर शिक्षा स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण (आई.आर.ए.एच.ई.) के ढांचे के अंतर्गत एक स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव करते हैं। स्थायी समिति का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि चिकित्सा कार्य एवं शिक्षण को नियमित रूप से अद्यतन एवं संशोधित किया जाए तथा न्यूनतम गुणवत्ता मानक बनाए रखा जाए। स्थायी समिति के सदस्यों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के संकाय, प्रैक्टिस कर रहे फिजिशियन, सिविल सोसाइटी के सदस्य, छात्र एवं शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वायत्त संस्थानों का एक निदेशक शामिल होंगे। स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य आई.आर.ए.एच.ई. के प्रति जवाबदेह होंगे। स्थायी समिति जनशक्ति आयोजना तथा विकास, रोग-प्रोफाइल, डाक्टर-आवादी अनुपात एवं योग्यता मिश्रित अनुपात के आधार पर देखेगी।

व्यावसायिक परिषदें

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए जिससे कि राष्ट्रव्यापी परीक्षाएं आयोजित करने के अधिकार से युक्त एम.सी.आई. मात्र एक व्यावसायिक संगठन के रूप में कार्य करे तथा व्यवसाय में शामिल होने वाले इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान करे। इसी प्रकार के परिवर्तन अन्य सभी परिषदों-नर्सिंग परिषद, फार्मेसी परिषद, दंत परिषद और पुनर्वास परिषद में किए जाने की आवश्यकता है।

प्रत्यायन

प्रत्यायन हेतु उपयुक्त एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आई.आर.ए.एच.ई. को सशक्त किया जाना चाहिए। प्रत्यायन एजेंसियां विभिन्न प्रत्यायन डिग्रियां दे सकती है जैसे कि 'फुल', "प्राविजिनल" अथवा "आन प्रोवेशन" तथा उन्हें मान्यता रद्द करने का अधिकार होगा। संस्थानों को प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता, योग्य एवं उत्तरदायी संकाय, एक बहुआयामी शैक्षिक माहौल, छात्रों के मूल्यांकन में पारदर्शिता तथा प्रत्यायित किए जाने हेतु क्षेत्रीय स्वास्थ्य देखभाल और लिडीवरी प्रणाली के साथ गहरा संबंध सुनिश्चित करना होगा।

वन भूमि पर खनन परियोजनाएं

707. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अभी तक वनभूमि पर खनन परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) परियोजनाओं में शामिल हेक्टेयर भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के कारण राज्य वार कितने व्यक्ति प्रभावित हुए है; और

(घ) विदेशी कंपनियों सहित इसमें शामिल कंपनियों के नाम क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार वन भूमि मंजूर किए गए खनन परियोजना प्रस्तावों की संख्या और शामिल वन भूमि हेक्टेयर का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) मंत्रालय द्वारा ऐसी सूचना का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(घ) 01-04-2004 से 16-11-2007 की अवधि के दौरान मंजूर किए गए खनन प्रस्तावों के नाम की सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वानिकी मंजूरी हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित खनन परियोजनाएं (राज्य-वार)

राज्य/संघ	01-04-2004 से 31-03-2005		01-04-2005 से 31-03-2006		01-04-2006 से 31-03-2007	
	मामलों की सं.	अपवर्तित क्षेत्र *	मामलों की सं.	अपवर्तित क्षेत्र *	मामलों की सं.	अपवर्तित क्षेत्र *
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	14	1,267.5	14	1,230.71	31	3,669.25
अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0	5	41.695
असम	5	34.585	16	23.919	22	25.008
बिहार	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	5	386.922	18	1,016.87	27	6,252.01
दादर व नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	12	313.824	2	39.56
गुजरात	1	32	0	0	2	202.63
हरियाणा	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	7	4.344	3	179.88	7	242.316
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0
झारखंड	25	2,817.09	9	424.829	6	1,260.78
कर्नाटक	15	670.814	2	70.6	37	3,898.56
केरल	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	5	24.557	9	609.236	19	1,093.99
महाराष्ट्र	6	19.882	11	184.68	12	1,121.15
मणिपुर	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	14	1,985.52	23	1,203.46	17	1,734.59
पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0	0
पंजाब	0	0	1	0.002	0	0
राजस्थान	17	359.882	5	116.664	6	129.988
सिक्किम	0	0	0	0	1	0.046
तमिलनाडु	0	0	2	5.162	1	3.36
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	2	257.6
उत्तरांचल	2	2.003	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	
कुल	116	7,605.12	126	5,379.84	197	19,972.53

*अपवर्तित किए गए क्षेत्र में खनन लीजों के नवीकरण से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हैं।

विवरण-II

' 01-04-2004 से 16-11-2007 के अवधि के दौरान मंजूर किए गए खनन प्रस्तावों के नाम

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
1.	मैसर्स एस.सी.सी.एल., बालमपल्ली के पक्ष में ओ. का पी. के लिए तांदुर आ.व. रीबनारेंज में वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
2.	मै. एस.सी.सी.एल., बालमपल्ली के पक्ष में रीबीना में अंडरग्राउंड ग्वान एन्ट्रीक के लिए तांदुर आ.व. में वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद
3.	एस.सी.सी.एल. की मै. सिंगरीनी कैलारी कं. के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद
4.	मै. एस.सी.सी.एल. के पक्ष में इंदराम एक्सरेशन खनन के लिए भूमिगत कोयला खनन	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद
5.	एस.सी.सी.एल. के लिए शांती खानी एक्सरेशन ब्लाक का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद
6.	असीफाबाद मंडेल के पास प्रस्तावित पीडा-वागु परियोजना के कनाल ढांचे और पहुंच सड़क के लिए वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद
7.	पीडावायु परियोजना के लिए प्रस्तावित स्टोन क्वेरी	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद
8.	मै. एस.सी.सी.एल. लि. के पक्ष में गोलिट नं. 1 की भूमिगत खनन और प्रस्तावित 1ए इनकलाइन अंडर ग्राउंड खनन	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद
9.	ओबुलापुरम खनन, अनंतपुर किला के पक्ष में आयरन ओर खनन के लिए कल्याणदुर्ग रेंज के बल्लैरी आ.व. में वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर
10.	मै. ओबुलापुरम खनन के पक्ष में कल्याणदुर्ग रेंज में बल्लेरी आ.व. में लोह अयस्क का खनन	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर
11.	मै. महबूब मिनरल के पक्ष में बैटरी के खनन के लिए खनन पट्टे के प्रस्ताव के लिए 4.00 है.व.भू. का वनेतर	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर
12.	एस.आर. मिनरल के पक्ष में अनंतपुर डिव. में लोह अयस्क सर्वे नं. 1(पी) के एक्स-ट्रेन्शन के लिए 18.00 है.व.भू. का वनेतर	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर
13.	मै. नागलिंगेश्वर माइंस एण्ड मिनरल का आवेदन	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर
14.	मै. विष्णु ग्रेनाइट के पक्ष में वसीटीपल्ली आ.व. में कम्प नं. 218 में 2.50 है में काल ग्रेनाइट खनन के लिए खनन पट्टे के लिए आवेदन वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
15.	मै. प्रशांत ग्रेनाइट के पक्ष में काले ग्रेनाइट खनन के लिए खनन पट्टा के लिए वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
16.	मै. शिवशक्ति ग्रेनाइट के पक्ष में ग्रेनाइट खनन पट्टे के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
17.	विष्णु ग्रेनाइट के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन के लिए खनन मंजूरी के लिए वन भूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
18.	कांथालाचिरुवु के रागीमीनूपुनीता आ.व. में ज्योतीश्वरन ग्रेनाइट के पक्ष में खनन के लिए वनभूमि का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	चित्तूर

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
19.	मै. जयश्री ग्रेनाइट के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन के लिए चित्तूर में वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
20.	मै. शिवा ग्रेनाइट के पक्ष में काले ग्रेनाइट 3, खनन के लिए खनन पट्टे की मंजूरी	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
21.	मै. पदमावती ग्रेनाइट चित्तूर के पक्ष में नं. 213 परदारमी आ.व. में 3.00 है, में ग्रेनाइट के लिए खनन पट्टा के लिए आवेदन	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
22.	श्री वेंकटेश्वर ग्रेनाइट, चित्तूर के पक्ष में चितापारा आ.व. में काले ग्रेनाइट के खनन के लिए 250 है. वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
23.	मै. नागमनी ग्रेनाइट के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन के लिए वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
24.	मै. श्री लक्ष्मी ग्रेनाइट एक्सपोर्ट के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन के लिए चित्तूर आ.व. के पक्ष में वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
25.	मै. श्री लक्ष्मी ग्रेनाइट एण्ड एक्सपोर्ट के पक्ष में काले ग्रेनाइट का खनन	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
26.	मै. मूर्ती ग्रेनाइट के पक्ष में काले ग्रेनाइट के खनन के लिए वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
27.	मै. विष्णु ग्रेनाइट के पक्ष में रागीनामुपीनना आ.व. में काले ग्रेनाइट खनन के लिए खनन पट्टे के लिए 4.50 है.व.भू. का वनेतर	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
28.	चितूर जिले में मै. सत्यम खनन कारपोरेशन के पक्ष में काले ग्रेनाइट के ख पट्टे के लिए 4.00 है. वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
29.	श्री वी. रामेश कुमार चित्तूर के पक्ष में कम्प. 222 में काले ग्रेनाइट की नवीकरण के लिए 2.00 है. वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
30.	मै. न्यू इण्डिया स्टोन, वीनूकोन्डा, श्री आर. श्रीनिवास राव के पक्ष में स्लेट स्टोन खनन के लिए वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
31.	श्री चि. तिरूपालू के पक्ष में कवेरी खनिज के उत्खनन के लिए वनभूमि का वनेतर	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
32.	मल्कापुर की श्रीमती इंदु यादव के पक्ष में वीणुकोन्डा रेंज का बोलापाली आर.एफ. में स्टेट स्टोन मटेरियल के उत्खनन के लिए वनभूमि का एम एंड एस स्थानांतरण	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
33.	गुंटूर जिले में मै. के.सी.पी. लि. के पक्ष में एरियल रोप वे का परियोजना हेतु कांडला गुंटूर एक्स.-1 आर.एफ. में स्टेकर एंड रिक्लेमर एंड 6.77 है. के प्रयोजन हेतु मंडाली ब्लाक-II आर.एफ. में 1.41 हे. वनभूमि के खनन पट्टे का नवीनी करण	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
34.	बोलापाली आर.एफ. मै. क्यूटीलिज प्रदान करने के लिए मै. जोरासिक स्टोन प्रा. लि. के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	गुंटूर

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
35.	स्वामी काशी खनन के पक्ष में मदीना पड्डू के बतरापालम में खनन पट्टे का नवीनी करण	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
36.	श्री शिवाराम प्रसाद, पेरेचेरला (वी), गुंटूर जिले के पक्ष में रोड मैटल के क्योरी-खनन के लिए अमीना बाग वीट, गुंटूर के मोन्डा बेडू आर.एफ. में 1.387 हे. वन भूमि का स्थानान्तरण	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
37.	डा. कडियाला राजेन्द्र, हैदराबाद के पक्ष में विन्कोडा रेंज में स्टोन के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
38.	मैसर्स जुरेसिक स्टोन के पक्ष में विनूकोन्डा में खनन पट्टे की मंजूरी	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
39.	श्री वि. टीनूपाल के पक्ष में लघु खनिज के खनन के लिए वनभूमि का वनेतर भूमि का मंगलागिरी में मंजूरी	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
40.	मै. एस.सी.सी.एल. के पक्ष में वकील पल्ली, रामागुण्डम में सतही प्रयोग के लिए भूमिगत खनन	आंध्र प्रदेश	करीमनगर
41.	एस.सी.सी.एल. का सानुपल्ली में ओपन कास्ट परियोजना का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	खम्माम
42.	एस.सी.सी.एल. के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण-कोन्डापुर में भुतुगुरु में	आंध्र प्रदेश	खम्माम
43.	मनुगुरु खनन पट्टे का नवीकरण-1213 है वनभूमि का अनुरोध - एस.सी.सी.एल. के पक्ष में टी.डब्ल्यू.पी. की मंजूरी	आंध्र प्रदेश	खम्माम
44.	मै. एस.सी.सी.एल. के पक्ष में रामावर्म आरक्षित वन में कम्पार्टमेंट नं. 11, 12, 13 में खनन गोथमानी ओपन कास्ट परि. चरण III के लिए वनेतर	आंध्र प्रदेश	खम्माम
45.	सिंगरीनी कलौर कं. के पक्ष में कोथागुड्डम वन डिविजन में वनभूमि का वनेत्तर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	खम्माम
46.	मै. एस.सी.सी.एल. के पक्ष में येलान्डु में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	खम्माम
47.	मै. एस.सी.सी.एल. के पक्ष में वेंकटेशखानी में नाल्लौर का एलाइनमेंट	आंध्र प्रदेश	खम्माम
48.	मैसर्स श्री वेग्म्मा इंजी. कं. विजयवाड़ा को वनभूमि के वनेतर प्रयोग का पट्टा	आंध्र प्रदेश	कृष्णा
49.	श्री पी. करूणाकर - वनभूमि का वेतर प्रयोग - पट्टा	आंध्र प्रदेश	कृष्णा
50.	श्री वी. राम मोहनराव वनभूमि का वेतर प्रयोग - पट्टा	आंध्र प्रदेश	कृष्णा
51.	मैसर्स वैग्म्मा इंजी कं. - खनन-क्वेरी पट्टा	आंध्र प्रदेश	कृष्णा
52.	ककारिया सीमेंट शुगर इंडस्ट्रीयल को खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	कृष्णा
53.	डा. बी. संजीव रेड्डी, नान्डेयल - को सैटेटाइट एण्ड डोलोमाइट पट्टे के लिए आवेदन	आंध्र प्रदेश	कुरनूल

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
54.	डा. बी. संजीव रेड्डी, नान्डेयल के लिए कुरनूल में वनभूमि के वनेतर प्रयोग का आवेदन - खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	कुरनूल
55.	निदे. एटामिक मिनरल निदेशालय के खोज अनुसंधान के लिए रयावरम और निदगुल आ.व. में सर्वे, जांच	आंध्र प्रदेश	नालगौंडा
56.	मै. चाणक्य सीमेंट के पक्ष में कम्पार्टमेंट 29 में नालगोन्डा वन डिव.	आंध्र प्रदेश	नालगौंडा
57.	यूरेनियम उत्पादन - यूरेनियम कारपोरेशन - आणविक ऊर्जा विभाग	आंध्र प्रदेश	नालगौंडा
58.	श्रीमती एस.के. बीबीजान के पक्ष में छंगम गांव में क्वार्ट माडका के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	निल्लौर
59.	श्री कुन्डला रामी रेड्डी, प्रकाशम जिला में काले ग्रेनाइट खनन के लिए खनन पट्टे की मंजूरी-50 है. व.भू. का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	प्रकासम
60.	श्री एस. शंकर रेड्डी का प्रकाशन जिले में कम्पार्टमेंट नं. 755 में बेरीटाइस के लिए खान-खनिज के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	प्रकासम
61.	मै. लक्ष्मी नरसिम्हा मैटल इंडस्ट्री के पक्ष में हैदराबाद के शमीरपेट के सर्वे सं. 1265 में खनन पट्टे के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी
62.	श्री वी. वेनुगोपाल नायडु, बोबीली के पक्ष में ग्रेनाइट और मैटल खनन के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	विजय नगर
63.	श्रीमती टी सत्यावती, मुगाडा के पक्ष में ग्रेनाइट मैटल के खनन के लिए वन-भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	विजय नगर
64.	ताडीचेरला आ.व. से मै. सिंगरीनो कौलेरी कं. लि. का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	वारंगल
65.	मै. एस.सी.सी.एल. का भूमिगत खनन -ककारिय खानी के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	वारंगल
66.	मै. एक्जाटिक ग्रेनाइट एण्ड एक्सपोर्ट, वारंगल डिव. में काले ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए खनन पट्टे के लिए वनेतर	आंध्र प्रदेश	वारंगल
67.	आयल इण्डिया, मानाबूम, नोण दिहिंग के पक्ष में पेट्रोलियम खोज के लिए सिसमिक सर्वे आपरेशन	आंध्र प्रदेश	अमोरटोला
68.	जिओ. पेट्रोल इन्ट. की जे.पी.-एक स्थल पर खोज ड्रिलिंग के लिए एप्रोच रोड और ड्रिलिंग प्लिंथ के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	अरुणाचल प्रदेश	चंगलांग
69.	आयल एण्ड गैस खोज के लिए चंगलंग जिले के नामपांग वन डिव. के सामान्य क्षेत्र में 2 डी और 3 डी सिसमिक सर्वे आपरेशन	अरुणाचल प्रदेश	चंगलांग
70.	निमपुक कोल फील्ड - नमचिक में कोयला खनन के लिए एममेडटीकल का खनन पट्टा	अरुणाचल प्रदेश	चंगलांग

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
71.	मै. आयल इण्डिया लि. का खरसांग-शॉकिंग क्षेत्र में पेट्रोलियम खोज के लिए 2डी सिसमिक सर्वे आपरेशन	अरुणाचल प्रदेश	चंगलांग
72.	आयल इण्डिया लि. द्वारा पैट्रोलियम खोज के लिए पासीघाट और पोवा आ.व. में 2डी सिसमिक सर्वे आपरेशन की अनुमति	अरुणाचल प्रदेश	ईस्ट सियांग
73.	आयल ड्रिलिंग स्थल एन.एस.ए. के लिए वनभूमि का वनेतर	अरुणाचल प्रदेश	लोहित
74.	एई वैली डिव. में नक्कारी हिल स्टोन क्वेरी 1 और क्वेरी 3 में नवीकरण अनुमोदन	असम	बोगईगांव
75.	एई वैली डिव. में नक्कारी हिल स्टोन क्वेरी न. 2 का नवीकरण अनुमोदन	असम	बोगईगांव
76.	धीमाजी डिव. के अन्तर्गत सुबांसरी सैण्ड/ग्रेवल महल के नवीकरण अनुमोदन के लिए प्रस्ताव	असम	धीमाजी
77.	धुबरीवन डिव. में दुधनाथ हिल स्टोन महल नं. 1 का नवीकरण अनुमोदन	असम	धुबरी
78.	धुबरी वन डिव. में दुधनाथ हिल स्टोन 4 और 5 के दो नए महल की ओपनिंग	असम	धुबरी
79.	डिब्रूगढ़ डिव में नदी तल से स्टोन सामग्री एकत्र करना	असम	डिब्रूगढ़
80.	गोलुपारा डिव. बोरविटा स्टोन क्वेरी 2 और चितलमारी स्टोन क्वेरी के नवीकरण अनुमोदन के लिए प्रस्ताव	असम	गोलपारा
81.	गोलघाट डिव. में ड्रिलिंग स्थल दयांग आ.व. के लिए वनभूमि के वनेतर के लिए प्रस्ताव	असम	गोलघाट
82.	गोलाघाट डिव. में साउथ नाम्बर आ.व. में डिलिंग स्थल के लिए वनभूमि का वनेतर	असम	गोलघाट
83.	गोलाघाट डिव. में डिलिंग स्थल के लिए 1.735 है. वनभूमि का वनेतर	असम	गोलघाट
84.	गोलाघाट डिव. में डिलिंग स्थल ई लेब के लिए 1.99 है. वनभूमि का वनेतर	असम	गोलघाट
85.	गोलपारा वन डिव. में 10 वर्षों के लिए स्टोन खनन का नवीकरण अनुमोदन	असम	गोपालपुरा
86.	नार्थ कामरूप डिव. में बरनाडी स्टोन और स्टोन महल नं. 1 नवीकरण अनुमोदन के लिए प्रस्ताव	असम	कामरूप
87.	कामरूप पश्चिम डिव. में सैण्ड महल खनन	असम	कामरूप
88.	माता पहाड आ.व. में हिलागोग स्टोन महल का नवीकरण अनुमोदन	असम	कामरूप
89.	कामरूप जिला में स्टोन महल के 8 अदद का अनुमोदन-फाटासिल 1, 2, 3 देओचूटल सी एण्ड बी, चमाता ए एण्ड बी	असम	कामरूप

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
90.	कामरूप जिला में कामरूप ईस्ट डिव. में फाटासिल स्टोन महल-2 नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	कामरूप
91.	कामरूप वेस्ट वन डिव. के कुलसी आ.व. में कुलसी बागापानी नदी सैण्ड *महल का नवीकरण अनुमोदन*	असम	कामरूप
92.	नार्थ कामरूप डिव. रंगिया में आग्याथुरी स्टोन क्वेरी के लिए आग्यारी आ.व. में वन मंजूरी के लिए प्रस्ताव	असम	कामरूप
93.	कामरूप ईस्ट डिव. में फाटासिल स्टोन महल 3 के नवीकरण अनुमोदन का प्रस्ताव	असम	कामरूप
94.	कामरूप ईस्ट डिव. में फाटासिल स्टोन महल नं. 1 का नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	कामरूप
95.	कामरूप ईस्ट डिव. में नातुन रानी आ.व. में नातुन रानी स्टोन महल का नवीकरण अनुमोदन	असम	कामरूप
96.	कामरूप ईस्ट डिव. में नुतन रानी स्टोन महल का आ.व. में नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	कामरूप
97.	कामरूप ईस्ट डिव. में नूतन रानी आ.व. में नूतन स्टोन महल का नवीकरण अनुमोदन प्रस्ताव	असम	कामरूप
98.	कामरूप वन डिव. में नूतन रानी आ.व. में देओचूटल स्टोन महल नं. सी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव	असम	कामरूप
99.	कामरूप ईस्ट डिव. में रानी आ.व. में देओचूटल स्टोन महल का अनुमोदन	असम	कामरूप
100.	कामरूप ईस्ट डिव. में रानी आ.व. में देओचूटल स्टोन महल के अनुमोदन का प्रस्ताव	असम	कामरूप
101.	रिवरबैड महल का नवीकरण	असम	कोकरझार
102.	कोकरझार जिला में सैण्ड और ग्रीवल महल, कुचागांव, गारूफीला, मालभोग, बोरगोपा में नं. 4 के अनुमोदन का नवीकरण	असम	कोकरझार
103.	कोकरझार जिला के हलतुगांव में सामुखा नदी सैण्ड और ग्रावील बुलडर महल अनुमोदन के नवीकरण का प्रस्ताव	असम	कोकरझार
104.	सैण्ड महल का अनुमोदन	असम	लखमीपुर
105.	लखीमपुर डिव. में कनानाडी, किमित और ग्रावील महल के अनुमोदन का नवीकरण	असम	लखमीपुर
106.	बुरी गंगा सैण्ड महल, मोडरटीली स्टोन महल एण्ड भोगीराम बस्ती स्टोन महल के अनुमोदन के नवीकरण का प्रस्ताव	असम	नौगांव

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
107.	नौगांव डिव. में फ्रेश महल की अपनिंग	असम	नौगांव
108.	सोना कुची आ.व. में जागी रोड स्टोन क्वेरी महल के न्यू स्टोन क्वेरी की ओपनिंग	असम	नौगांव
109.	सैण्ड महल की 10 और 9 नंबर स्टोन महल का नवीकरण	असम	नौगांव
110.	नौगांव डिव. में तितिलिया बागहारा आ.व. में बागाहार स्टोन क्वेरी की ओपनिंग	असम	नौगांव
111.	नौगांव डिव. में सोनियाकुची आ.व. में बोरजोन स्टोन क्वैरी नं. 4 के अनुमोदन का नवीकरण	असम	नौगांव
112.	नौगांव डिव. में सोनियाकुची आ.व. में बोरजोग स्टोन क्वेरी के अनुमोदन का नवीकरण	असम	नौगांव
113.	कथालगुरी स्टोन क्वेरी महल नं. 2 की ओपनिंग	असम	नौगांव
114.	नौगांव डिव. में कथालगुरी स्टोन क्वेरी महल नं. 1 (बी) की ओपनिंग के लिए प्रस्ताव	असम	नौगांव
115.	नौगांव डिव. में कथालगुरी स्टोन क्वेरी महल नं. 1 (बी) में ओपनिंग	असम	नौगांव
116.	सोनाकुची आ.व. में जागी रोड स्टोन क्वेरी महल नं. एफ (2) की ओपनिंग का प्रस्ताव	असम	नौगांव
117.	नौगांव वन डिव. में धौलपहाड स्टोन क्वेरी नं. 3 और बोरजोग स्टोन क्वेरी नं. 1 के अनुमोदन का नवीकरण	असम	नौगांव
118.	धोल पहार आर.एफ. के अंतर्गत धोल पहार स्टोन क्वेरी नं. 3 पर स्टोन महल का नवीकरण अनुमोदन	असम	नौगांव
119.	नौगांव फारेस्ट डिविजन के अंतर्गत स्टोन महल आई.ई. धोल पहार स्टोन क्वेरी नं. 2 का नवीकरण अनुमोदन	असम	नौगांव
120.	बालिपारा आर.एफ. के अंतर्गत सोनाइनाला सैण्ड एण्ड स्टोन महल प्रस्ताव कार्य नवीकरण अनुमोदन	असम	सोनितपुर
121.	6 सैण्ड एवं ग्रेवल महल का नवीकरण	असम	सोनितपुर
122.	सोनितपुर पश्चिमी डिवीजन अंतर्गत 18वीं माइल स्टोन महल के नवीकरण अनुमोदन का प्रस्ताव	असम	सोनितपुर
123.	सोनितपुर जिले में 16वीं माइल सैण्ड एंड बोल्डर महल, सोनितपुर प. डिवीजन में नवीकरण अनुमोदन के लिए प्रस्ताव	असम	सोनितपुर
124.	सोनितपुर डिवीजन में वालीपारा रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत अपर चत्तईवाला सैण्ड, ग्रेवल एवं बोल्डर महल के नवीकरण के लिए अनुमोदन प्रस्ताव	असम	सोनितपुर

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
125.	डिगबोई डिविजन के अंतर्गत आयल ई. लि. द्वारा ड्रिलिंग लोकेशन एच.क्यू.क्यू. के लिए वन भूमि का डायवर्जन	असम	तिनसुकिया
126.	डूम डूमा डिवीजन के अंतर्गत ऑयल इं. लि. द्वारा ड्रिलिंग लोकेशन डी.ई.पी. के लिए वनभूमि का डायवर्जन	असम	तिनसुकिया
127.	मै. पुष्प स्टील्स एंड माइनिंग प्रा.लि. द्वारा हालाल्डी से मिचा गांव-लोहात्तर आर.एफ. में आयरन ओर की प्रास्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	बस्तर
128.	मै. प्रकाश इं. लि. बिलासपुर के पक्ष में कंपार्टमेंट नं. 321 में आयरन ओर खनन की प्रास्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	बस्तर
129.	मै. बयरंग मेटलिक प्रा. लि. के पक्ष में कंपार्टमेंट नं. 364 और 365 में आयरन ओर खनन की प्रास्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	बस्तर
130.	एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, परियोजना कार्यान्वयन इकाई के पक्ष में गांव पिपरा में स्टोन क्वेरी	छत्तीसगढ़	बस्तर
131.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के पक्ष में गिट्टी खनन पट्टा का निर्माण कार्य	छत्तीसगढ़	बस्तर
132.	गांव रसूली, तहसील भानुप्रतापपुर में मे. वीजा इं. लि. के पक्ष में कंपार्टमेंट सं. 334, 337 में आयरन ओर खनन की प्रास्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	बस्तर
133.	मै. नवभारत फ्यूस कं. लि. के पक्ष में कम्पार्टमेंट सं. 338, 339 में आयरन और खनन की प्रास्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	बस्तर
134.	मै. मिनरल्स एंड लोपिस्टिक्स के पक्ष में कंपार्टमेंट सं. 334 (पी) में आयरन ओर खनन की प्रास्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	बस्तर
135.	सदस्य सचिव, परियोजना कार्यान्वयन इकाई ग्रा. दिहीपारा में स्टोन क्वेरी	छत्तीसगढ़	बस्तर
136.	ग्रा. चिपावोड में प्र.मं. ग्रा सड़क यो. के अंतर्गत मुरम खनन	छत्तीसगढ़	बस्तर
137.	प्र.मं. ग्रा. सड़क यो. (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत ग्राम-कराडी अलवाड में गिट्टी (स्टोन) खनन	छत्तीसगढ़	बस्तर
138.	प्र.मं. ग्रा. सड़क योजना के अंतर्गत ग्रा. डिलमिली में स्टोन खनन	छत्तीसगढ़	बस्तर
139.	प्र.मं. सड़क यो. के अंतर्गत ग्रा. उडियापल में स्टोन खनन	छत्तीसगढ़	बस्तर
140.	मिनरल डेवलपमेंट का. लि. के पक्ष में कोरोडम खनन पट्टे का एक्ट्राक्शन	छत्तीसगढ़	बस्तर
141.	एन.डी.एम.सी. के पक्ष में आयरन ओर की प्रास्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा
142.	जायसवालस नेको लि. (नागपुर एलाय कास्टिंग लि.) को खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	जगदलपुर

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
143.	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. की कैप्टिव कोलमाइन परियोजना	छत्तीसगढ़	जंजगिर
144.	ग्रा. बारबसपुर में आयरन ओर खनन के लिए श्री जीवनलाल जैन के पक्ष में खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	कांके
145.	मै. एस.के. साराबांगी एवं कं. लि. के पक्ष में कंम्पार्टमेंट सं. 384, 385, 386 एवं 389 में आयरन ओर खनन के लिए प्रास्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	कांके
146.	मै. अक्षय इंवेस्टमेंट के पक्ष में, हाहाल्डी वन विभाग के कंपार्टमेण्ट सं. 355 एवं 356 में आयरन ओर माइंस प्रास्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	कांके
147.	मै. इं. एग्रो सिनर्जी लि., रायपुर के पक्ष में ग्रा. हाहाल्डी कंपार्टमेंट सं. 357, 358, 359, 362, 364 एवं 384 में आयरन ओर की प्रास्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	कांके
148.	मै. एस.ई.सी.एल. के पक्ष में कटकोना कोलयरी की माइनिंग पट्टा का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोयरा
149.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) द्वारा हासदेव क्षेत्र में हल्दी बारी भूमिगत खनन परियोजना	छत्तीसगढ़	कोयरा
150.	एस.ई.सी.एल. के पक्ष में चिरमिरी कोलियरी के अंतर्गत कंपार्टमेंट सं. 531-पी से 538-पी, 540-पी से 541-पी में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोयरा
151.	एस.ई.सी.एल. के पक्ष में चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत नॉर्थ चिरमिरी कोलियरी के कंपार्टमेंट सं. 469, 517, 518, 519, 467, 501 में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोयरा
152.	एस.ई.सी.एल. (चिरमिरी क्षेत्र, बैकंठपुर) के पक्ष में कोरिया, फॉरेस्ट डिवीजन में कंपार्टमेंट सं. 501 पी से 503 पी, 513 पी से 516 पी में भूमिगत खनन के लिए	छत्तीसगढ़	कोयरा
153.	एस.ई.सी.एल. के पक्ष में चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत कोरिया कोलियरी के कंपार्टमेंट सं. 493 पी से 499 पी में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोयरा
154.	एस.ई.सी.एल. के पक्ष में चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत प. चिरमिरी कोलियरी के कंपार्टमेंट सं. 500 पी से 502 पी में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोयरा
155.	साउथ ई. कोलफील्डस लि. (एस.ई.सी.एल.) के कुरेसिस कोलियरी के लिए वनभूमि का डायवर्जन	छत्तीसगढ़	कोयरा
156.	एस.ई.सी.एल. के पक्ष में चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत डोमनहिल कोलियरी के कंपार्टमेंट सं. 517 पी, 522 पी, 523 पी में भूमिगत खनन के लिए खनन पट्टा का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोयरा

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
157.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लि. (ग्रा. राजनगर एवं गोडमा) के पक्ष में सरफेस राइट	छत्तीसगढ़	कोरबा
158.	मै. एस.ई.सी.एल. के पक्ष में राजनगर भूमिगत खनन परियोजना	छत्तीसगढ़	कोरबा
159.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) के पक्ष में मानिकपुर ओपन-कास्ट खनन का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोरबा
160.	जवेरा ओपनकास्ट परियोजना के लिए मै. साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. के पक्ष में खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	कोरबा
161.	मै. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) के पक्ष में दीपका एक्सपेशन ओपनकास्ट माइनिंग	छत्तीसगढ़	कोरबा
162.	एस.ई.सी.एल. के पक्ष में काठघोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन (जेवरा क्षेत्र) में दिपका एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइन परियोजना	छत्तीसगढ़	कोरबा
163.	मै. साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) के पक्ष में जेवरा ओपन कास्ट खनन परियोजना	छत्तीसगढ़	कोरबा
164.	मै. एस.ई.सी.एल. के पक्ष में कट घोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत जेवरा ओपन कास्ट कोल माइनिंग	छत्तीसगढ़	कोरबा
165.	मै. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) के पक्ष में जेवरा ओपन माइनिंग परियोजना	छत्तीसगढ़	कोरबा
166.	एस.ई.सी.एल. के पक्ष में एक्सप्लोसिव मैगजीन का नवीकरण	छत्तीसगढ़	कोरबा
167.	मै. मिनरल एक्सप्लोरेशन का. लि. के पक्ष में वनभूमि की प्रास्पेक्टिंग के लिए प्रस्ताव	छत्तीसगढ़	रायगढ़
168.	मै. जिंदल पावर लि. को खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	रायगढ़
169.	मै. साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) के पक्ष में घर घोडा रेंज की कोल माइनिंग का बारौड ओपनकास्ट एक्सपेंशन	छत्तीसगढ़	रायगढ़
170.	रायगढ़ फारेस्ट डिवीजन के अंतर्गत करीक्षायार भगोरा और सरसई पाली गांवों में सरसईपाली सुरक्षित वन के चारों ओर एटमिक मिनरल्स विशेषकर यूरेनियम के लिए एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग की प्रास्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	रायगढ़
171.	एस.ई.सी.एल. के पक्ष में कोरबा क्षेत्र के सरसईपाली ओ/सी में खनन उद्देश्य	छत्तीसगढ़	रायपुर
172.	श्री बजरंग मेटलिक प्रा. लि. के पक्ष में छोटे डांगर रिजर्व फारेस्ट के कंपार्टमेंट सं. 252, 267, 268 और 269 में प्रस्पेक्टिव माइनिंग	छत्तीसगढ़	रायपुर
173.	गेवरा क्षेत्र एस.ई.सी.एल. के दिपका एक्सटेंशन ओ.सी की वन भूमि के 33.84 हे. के लिए टेम्परेरी वर्किंग परमीशन (टी.डब्ल्यू.पी.)	छत्तीसगढ़	रायपुर

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
174.	जायसवाल नेको फार बोरिया, टिब्बू आयरन ओर डिपोजिट्स के पक्ष में खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव
175.	श्री राधा इं. लि. के पक्ष में खनन की प्रास्पेक्टिंग	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव
176.	मै. एस.ई.सी.एल. के पक्ष में ग्रा. अमेरा, कटकोना, पर सोडिकाला एवं पुहपुटारा में अमेरा ओपन कास्ट कोल माइनिंग परियोजना	छत्तीसगढ़	सरगुजा
177.	अरचुटा वरसिज वेलिंगकर के पक्ष में 29/55 में खनन पट्टा	गोवा	साउथ गोवा
178.	वी.एम. सालगांवकर प्रा. लि. के पक्ष में 13/55 में खनन पट्टा	गोवा	साउथ गोवा
179.	वी.एम. सालगांव प्रा. लि. के पक्ष में 5053 में खनन पट्टा	गोवा	साउथ गोवा
180.	श्री मिनगुअल मस्केरेनहान को सं. 60/51 में खनन पट्टा	गोवा	साउथ गोवा
181.	मै. एस.ओ.सी.आई.ई.डी.ए.डी.ई. रिम्बलो इरमाओस लि. के पक्ष में टी.सी. सं. 143/33 के अंतर्गत डीम्ड आयरन ओर माइनिंग का नवीनीकरण	गोवा	साउथ गोवा
182.	हैदर कासिम खान के पक्ष में 10/51 में खनन पट्टा	गोवा	साउथ गोवा
183.	मै. बदरूद्दीन हुसैनभाई भवानी को सं. 14/52 मे खनन पट्टा	गोवा	साउथ गोवा
184.	पांडुरोगा टिम्बलो इंडस्ट्रीज के पक्ष में टी.सी. सं. 87/53 के अंतर्गत शिगाओ माइन में डीम्ड माइनिंग का नवीकरण	गोवा	साउथ गोवा
185.	डा. प्रफुल्ल आर. हेडे के पक्ष में 30/50 में खनन पट्टा	गोवा	साउथ गोवा
186.	श्री अशोक कुडचाडकर के पक्ष में 53/52 में खनन पट्टा	गोवा	साउथ गोवा
187.	एस.ओ.पी.ए. के पक्ष में 45/54 में खनन पट्टा	गोवा	साउथ गोवा
188.	जी.एन. अग्रवाल के पक्ष में 8/41 में खनन पट्टा	गोवा	साउथ गोवा
189.	अशोक कुडचाडकर के पक्ष में 100/53 में खनन पट्टा	गोवा	साउथ गोवा
190.	श्री चंद्रकांत एफ. नायक के पक्ष में आयरन एंड मैगनीज ओर माइनिंग टी.सी. सं. 63/51 के लिए खनन पट्टा	गोवा	साउथ गोवा
191.	मै. गुजरात मिनरल विकास का. लि. (जी.एम.डी.सी.) के बेस मेटल के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	गुजरात	बनासकांठा
192.	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट का. को खनन पट्टा	गुजरात	बड़ोदरा
193.	मै. गुजरात मिनरल डे. का. के पक्ष में ग्रा. अम्बाडुनगर में फ्लुओराइ पर खनन पट्टे का नवीकरण	गुजरात	बड़ोदरा
194.	मै. स्यागल सीमेंट वर्क्स के पक्ष में बिलासपुर में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए के लिए क्वार्ट जाइर का एकट्राक्शन	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
195.	श्रीमती चंदल नगर आर/ओ चाम्बा के पक्ष में खनन पट्टा	हिमाचल प्रदेश	चंबा
196.	स्टोन क्रशर पालमपुर एफ.डी. की संस्थापना के लिए मै. आरविन्द मिनरल्स उद्योग एसोसिएशन के पक्ष में खनन	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा
197.	रिवर बेड मिनरल्स जैसे बालू, पत्थर, और बजरी आदि का एक्स्ट्राक्शन	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर
198.	हुरला स्थित क्रशर के लिए स्टोन क्वारीइंग के लिए 1.20 एच.सी. वन भूमि के डायवर्जन के लिए 10 जुलाई, 2006 से 5 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
199.	मै. आशापुरी स्टोन क्रशर से चागाल में कोट डंडी-III हुरला वनरेंज कुल्लू में 30 वर्ष के पट्टे की फीडिंग स्टोन क्रशर के लिए स्टोन क्वेरी	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
200.	क्रशर के लिए स्टोन्स की क्वेरिंग	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
201.	मै. आशापुरी स्टोन क्रशर, हुरला, पारबती वन डिवीजन के पक्ष में स्टोन क्रशर की क्वेरिंग	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
202.	चागोला, पारबती फॉरेस्ट जिवीजन कुल्लू से मैं. भुवनेश्वरी स्टोन क्रशर फीडिंग के लिए स्टोन क्वेरी	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
203.	स्टोन क्रशर का खनन और संस्थापना	हिमाचल प्रदेश	मंडी
204.	मंडी फॉरेस्ट डिवीजन में बातौर जोल में स्टोन क्वेरी की स्थापना	हिमाचल प्रदेश	मंडी
205.	राजहाट ठाकुर मैसर्स रंजन स्टोन इंडस्ट्रीज बक्कर खुड संघोल के पक्ष में स्टोन क्रशर की संस्थापना	हिमाचल प्रदेश	मंडी
206.	मैसर्स हरीश सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में माइनिंग फॉर लाइम स्टोन माइनिंग/ सीमेंट प्लांट	हिमाचल प्रदेश	मंडी
207.	मैसर्स जय दुर्गा स्टोन कवेरी बग्गी-कावियाल जिला - मंडी द्वारा स्टोन क्वेरी की स्थापना	हिमाचल प्रदेश	मंडी
208.	रामपुर में पाशदा फॉर माइनिंग एवं स्टोन क्रशर की संस्थापना	हिमाचल प्रदेश	शिमला
209.	महंती देवी, आर./ओ. गांव - पाशदा के पक्ष में स्टोन क्रशर एवं कवेरी संस्थापना	हिमाचल प्रदेश	शिमला
210.	श्री संतराम ग्राम - भरवाना के पक्ष में लाइम स्टोन का खनन	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर
211.	पांच वर्ष के लिए पहले से ही ब्रोकन अप क्षेत्र में खनन उद्देश्य	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर
212.	जे.पी. हिमाचल सीमेंट परियोजना कुनिहार वन प्रभाग के पक्ष में खनन	हिमाचल प्रदेश	सोलन
213.	सी.सी.एल. अम्लो ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखंड	बोकारो

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
214.	सैंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड को भूमिगत छोरी खास खनन पट्टा	झारखंड	बोकारो
215.	शाह ब्रदर्स को करमवाडा आयरन एंड मैंगनीज ओर के लिए खनन पट्टा	झारखंड	बोकारो
216.	सैंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के पक्ष में नव चयनित धोरी भूमिगत परियोजना	झारखंड	बोकारो
217.	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) की चयनित धौरी खानों के लिए अस्थायी कार्य अनुमति	झारखंड	बोकारो
218.	सी.सी.एल. को खास महल ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखंड	बोकारो
219.	राजमहल ओपन कास्ट खनन के लिए ई.सी.एल. को खनन पट्टा	झारखंड	दुमका
220.	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के पक्ष में बंधुहुरांग यूरेनियम परियोजना	झारखंड	पूर्वी सिंहभूमि
221.	सी.सी.एल. की धोरी ओपन कास्ट परियोजना	झारखंड	गिरिडीह
222.	सी.सी.एल. को न्यू गिड्डी सी. ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
223.	सी.सी.एल. की पारेज ईस्ट ओपन कास्ट परियोजना	झारखंड	हजारीबाग
224.	पिंडरा भूमिगत खनन परियोजना के लिए सी.सी.एल. को खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
225.	सी.सी.एल. रेलीगरा ओ.सी.पी. माइंस परियोजना को खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
226.	सी.सी.एल. की पुंडी ओपन कॉस्ट परियोजना	झारखंड	हजारीबाग
227.	सी.सी.एल. को गिड्डी सी ओपन कॉस्ट खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
228.	सी.सी.एल. को गिड्डी ए खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
229.	सी.सी.एल. को कुजू परियोजना के लिए खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
230.	मैसर्स सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सी.सी.एल. की उरिमरी ओपन कास्ट परियोजना	झारखंड	हजारीबाग
231.	मैसर्स सेंट्रल कोल फील्ड्स के लिए कर्मा ओपन कॉस्ट खनन परियोजना को खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
232.	मैसर्स सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के पक्ष में सायल डी परियोनजा	झारखंड	हजारीबाग
233.	सी.सी.एल. को राजरप्पा को ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
234.	सेंट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटेड को सरुवेरा ओपन कास्ट खनन के लिए खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
235.	सी.सी.एल. को अर्गडा भूमिगत खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
236.	सी.सी.एल. को लेपो भूमिगत खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
237.	सी.सी.एल. को सिरका ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
238.	सी.सी.एल. के पक्ष में तापिन नॉर्थ ओपन कॉस्ट परियोजना	झारखंड	हजारीबाग
239.	मैसर्स सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के लिए केडला ओ.सी.पी. खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
240.	केडला भूमिगत खनन परियोजना के बारे में 29.29 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन	झारखंड	हजारीबाग
241.	मैसर्स सी.सी.एल. की टोपा ओपनकास्ट परियोजना	झारखंड	हजारीबाग
242.	सी.सी.एल. को झारखंड ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
243.	सी.सी.एल. आरा ओ.सी.पी. माइंस को खनन पट्टा	झारखंड	हजारीबाग
244.	मैसर्स जय श्रीराम स्टोन इंडस्ट्रीज के पक्ष में स्टोन कवेरी	झारखंड	कोडरमा
245.	सिमलांग कौलीरी के लिए 3.48 हेक्टेयर वनभूमि का डायवर्जन	झारखंड	पाकुर
246.	पानेम कोल माइंस लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टा	झारखंड	पाकुर
247.	बेलीबागडा लाइम स्टोन परियोजना, बी.एस.एम.डी.सी. का नवीकरण	झारखंड	रांची
248.	के.डी. हेसालांग कोल माइन के लिए सेंट्रल को.फ़ी. लि. (सी.सी.एल.) को खनन पट्टा	झारखंड	रांची
249.	मैसर्स सेल को किरीवुरू मेघाहाटवुरू आयरन ओर माइन के लिए खनन पट्टा नं. 2	झारखंड	पश्चिम सिंहभूमि
250.	मैसर्स सेल के पक्ष में किटीवुरू मेघाहाटुबुरू आयरन ओर माइनिंग पट्टा का पट्टा 3 का नवीकरण	झारखंड	पश्चिम सिंहभूमि
251.	सारंदा फोरेस्ट डिवीजन के देविका वेल्जी इन अमितावुरू के आयरन एवं मैगनीज ओर खनन पट्टे का नवीकरण	झारखंड	पश्चिम सिंहभूमि
252.	सेल की 2 पट्टा II किरीवुरु के संदर्भ में खनन पट्टे के नवीकरण के लिए वनभूमि का डायवर्जन	झारखंड	पश्चिम सिंहभूमि
253.	घाटकुरी फॉरेस्ट्स में मैसर्स ऊषा मार्टिन इंडस्ट्रीज के पक्ष में आयरन ओर के लिए खनन पट्टा	झारखंड	पश्चिम सिंहभूमि
254.	मैसर्स मिश्रीलाल मैन एंड संस के पक्ष में करयवाडा आयरन माइंस	झारखंड	पश्चिम सिंहभूमि
255.	मैसर्स मैसूर मिनरल्स लि. के पक्ष में कवेरी पट्टा के लिए कुब्बेहाली (वी), कनकापुरा तालुक, बंगलौर के एस.वाई. सं. 67 के 4:86 हे. का डायवर्जन	कर्नाटक	बंगलौर

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
256.	श्री सत्यनारायण बेल्लारी का आयरन ओर खनन पट्टा आवेदन	कर्नाटक	बेल्लारी
257.	जीनथ ट्रांस्पोर्ट कं. को खनन पट्टा	कर्नाटक	बेल्लारी
258.	मैसर्स एस.वी. श्रीनिवासुली को खनन पट्टा सं. 1634	कर्नाटक	बेल्लारी
259.	मैसर्स श्री निधि आयरन माइन के पक्ष में कालाहाली गांव हास्पेट तालुक में खनन पट्टा 60 खण्ड का नवीकरण	कर्नाटक	बेल्लारी
260.	एफ/ओ मै. पी. बालासुब्बासेठी एण्ड सन्स खनन पट्टा सं. 1898	कर्नाटक	बेल्लारी
261.	एफ/ओ हिंद ट्रेडर्स, बेल्लारी में लौह अयस्क के लिए खनन पट्टा	कर्नाटक	बेल्लारी
262.	विटालापुरा, बेल्लारी आर.एफ./जिले में एफ./ओ. मै. हिंद ट्रेडर्स में लौह अयस्क खनन हेतु 19.63 हे. वन भूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
263.	मै. अस्वानारायण सिंह एण्ड कम्पनी के पक्ष में खनन पट्टे के लिए पूर्वोत्तर ब्लाक, संदूर रेंज, जिला बेल्लारी में लौह अयस्क के निष्कर्षण का पथानांतरण	कर्नाटक	बेल्लारी
264.	गावी सिद्धेश्वरा एन्टरप्राइजेज के पक्ष में बेलागल आर.एफ. में लौह अयस्क के निष्कर्षण के लिए	कर्नाटक	बेल्लारी
265.	मै.मैसूर मिनरल्स लिमिटेड को खनन पट्टा संख्या 2002	कर्नाटक	बेल्लारी
266.	पूर्वोत्तर ब्लाक, संदूर तालुक्का में मै. एस.बी. मिनरल्स के पक्ष में खनन पट्टा सं. 1301 का नवीकरण	कर्नाटक	बेल्लारी
267.	जम्बुना याहाली (वी), होसपेट (टी) में लौह अयस्क के निष्कर्षण हेतु 5.65 हे. वन भूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
268.	धर्मपुरा गांव, एस.एम. ब्लाक, संदूर तालुका, बेल्लारी जिले में श्री एच.जी. रंगनागोडा, होसपेट के पक्ष में 23.75 हे. क्षेत्र की खनन लीज प्रदान करना	कर्नाटक	बेल्लारी
269.	व्यस्नकेरे गांव, होसपेट ताल्लुका में लौह अयस्क खानों के लिए मै. मिनरल सेल्स (पी) लिमिटेड की एम.एल. सं. 1801 का नवीकरण	कर्नाटक	बेल्लारी
270.	एन.ई.बी. रेंज, काराडीकोला में खनन सं. 1626 की खनन लीज का नवीकरण (पहली बार एफ.सी. हेतु)-श्री के. ब्रह्मानंद, खनन पट्टाधारी, होसपेट के पक्ष में खनन प्रयोजन हेतु वन भूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
271.	बेलागोल आर.एफ. बेल्लारी तालुका, बेलारी जिला में मै. गावी सिद्देश्वरा एन्टर-प्राइजेज के पक्ष में लौह अयस्क खनन हेतु 5.67 हे. वन भूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
272.	सिद्धीपुरगांव में श्री एन. साइकसाब के पक्ष में खनन पट्टा	कर्नाटक	बेल्लारी
273.	मै. बालाजी माइन्स एण्ड मिनरल्स (प्रा.) लि. को खनन पट्टा सं. 432/631	कर्नाटक	बेल्लारी

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
274.	श्रीमती वी. नागम्मा को खनन पट्टा	कर्नाटक	बेल्लारी
275.	आर.एम. ब्लाक, संदूर तालुका, बेल्लारी जिला में मै. रामगढ़ मिनरल्स के पक्ष में लौह अयस्क खनन हेतु एम.एल. सं.1894 का नवीकरण-24-28 हे.	कर्नाटक	बेल्लारी
276.	मै. श्रीनिवासलु के पक्ष में डोनीमालइ रिजर्व फारेस्ट, संदूर तालुका के अन्तर्गत लौह अयस्क का निष्कर्षण	कर्नाटक	बेल्लारी
277.	मै. एच.एन. प्रेम कुमार, बंगलौर के पक्ष में लौह अयस्क के खनन हेतु कालाहेले (बी), होसपेट में वन भूमि का पथानान्तरण-21.97 हे.	कर्नाटक	बेल्लारी
278.	मै. लक्ष्मी मिनरल्स, होसपेट के पक्ष में लौह अयस्क के निष्कर्षण के लिए जयसिंह-पुर (बी), संदूर (टी) में वन भूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
279.	मै. सिमौर लि. के खनन पट्टा संख्या 1952 का नवीनीकरण	कर्नाटक	बेल्लारी
280.	श्री कन्हैयालाल दुधेरिया के पक्ष में लौह अयस्क खनन हेतु आर.एम. ब्लाक, संदूर (टी), बेल्लारी में (एम.एल. 1672 के लिए 33.76 हे. एफ.एल. का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
281.	मै. विन्भूतिगुड्डा माइन्स (प्रा.) लि. के पक्ष में लौह अयस्क के निष्कर्षण हेतु संदूर तालुक के वानाहाली गांव में वन भूमि (रोड सहित) का स्थानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
282.	श्री वी.एन.के. मेनन के पक्ष में आर.एफ. ब्लाक धर्मपुरा गांव, संदूर तालुका, बेल्लारी जिले में खनन पट्टे हेतु 10 हे. वन भूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
283.	मै. रामगढ़ मिनरल्स एण्ड माइनिंग प्रा. लि. के पक्ष में जयसिंहपुर गांव, संदूर तालुका में लौह अयस्क का खनन	कर्नाटक	बेल्लारी
284.	श्री एन. मंजूर अहमद, होसपेट, बेल्लारी जिला के पक्ष में एम.एल. सं. 1324 के संबंध में लौह अयस्क निष्कर्षण हेतु 15.97 हे. वन भूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
285.	चौडगुले एण्ड कं. लि. के पक्ष में खनन पट्टा संख्या 130/1190 का नवीनीकरण	कर्नाटक	बेल्लारी
286.	मै. सिमौर लि. को मैंगनीज एण्ड लौह अयस्क खनन के लिए खनन पट्टा संख्या-1179 का नवीनीकरण	कर्नाटक	बेल्लारी
287.	मै. तुंगभद्रा मिनरल्स प्रा. लि., होसपेट को डबलागुंडी एरिया, संदूर तालुका, बेल्लारी जिला, कर्नाटक में एम.एल. सं. 823/1646 में मौजूदा पुराने पहुंच मार्ग उपयोग हेतु 2.051 हे. वनभूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
288.	मै. बालाजी माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. होसपेट को एन.ई. ब्लाक, संदूर तालुका, बेल्लारी जिला कर्नाटक में मौजूदा पुराने पहुंच मार्ग, एम.एल. सं. 131 के उपयोग हेतु 2.52 हे. वन भूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
289.	मै. कुमारास्वामी मिनरल एक्सपोर्ट, बेल्लारी जिला को यसवन्तसागर गांव के आर.एम. ब्लाक में लौह अयस्क एम.एल. सं. 2141 के लिए 30 हे. अतिरिक्त वन भूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
290.	पी. वेनगंगासेठी एण्ड ब्रादर्स को खनन पट्टा सं. 1046	कर्नाटक	बेल्लारी
291.	रामगढ़ मिनरल्स प्रा. लि. के पक्ष में खनन पट्टा सं. 622	कर्नाटक	बेल्लारी
292.	लौह अयस्क खान, संदूर के लिए मै. मैसूर मिनरल्स लि. के पक्ष में एम.एल. सं. 995 की वनभूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
293.	श्री टी. नारायन रेड्डी, तुमती गांव, संदूर तालुका के पक्ष में लौह अयस्क खानों के लिए एम.एल. सं. 887 का नवीनीकरण	कर्नाटक	बेल्लारी
294.	मै. बी. कुमारगोडा के पक्ष में खनन पट्टा	कर्नाटक	बेल्लारी
295.	एन. रतनैया, विट्टलपुरा (वी) के पक्ष में एम.एल. सं. 670 के नवीकरण हेतु लौह अयस्क के निष्कर्षण के लिए 12.00 हे. व. भू. का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
296.	श्री एम. हनुमन्ता राव का खनन पट्टा आवेदन	कर्नाटक	बेल्लारी
297.	श्री के.के. कविराज, होसपेट के पक्ष में लौह अयस्क के निष्कर्षण हेतु कालाहाले (वी) होसपेट (टी) में 34.40 हे. वनभूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
298.	गोडेकोटे आर.एफ. कुडलिगी (टी) की क्र.सं. 887 में मै. एस.के.जे.एस. ग्रेनाइट्स के पक्ष में ग्रेनाइट खनन के लिए 2.20 हे. व.भू. का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
299.	गोडकोटे आर.एफ., कुडलिगी तालुक, बेल्लारी जिला की क्र.सं. 887 में मै. बेंकटेस्वरा ग्रेनाइट्स के पक्ष में ग्रेनाइट खनन के लिए 8094 हे. व. भू. का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
300.	बेल्लारी माइनिंग कार्पो. के पक्ष में लौह अयस्क का निष्कर्षण	कर्नाटक	बेल्लारी
301.	श्री एच.जी. रंगाना गौडा, होसपेट के पक्ष में लौह अयस्क उत्खनन हेतु एम.एल. सं. 2150, एन.ई. ब्लाक, संदूर (आर) का नवीनीकरण	कर्नाटक	बेल्लारी
302.	मै. लक्ष्मी मिनरल्स, होसपेट के पक्ष में लौह अयस्क उत्खनन हेतु बैंकटगिरी गांव, संदूर (टी) में एफ.एल. का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
303.	लौह अयस्क खानों के लिए मै. एन.एम.डी.सी. डोनीमालाई के पक्ष में व.भू. का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
304.	मै. गोगा गुरूसन्थाहाए एण्ड ब्रादर्स के पक्ष में एम.एल. सं. 1028, जोजा आर. एफ. के लिए 28.0 हे. व.भू. का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी
305.	डोनोमालई ब्लाक में लौह अयस्क खनन के लिए मै. नदीम मिनरल्स के पक्ष में वन भूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	बेल्लारी

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
306.	होसादुर्ग रेंज, लाकीहाली आर.एफ., चित्रदुर्ग जि. में मै. केनरा मिनरल्स (प्रा.) लि. बेल्लारी के पक्ष में लौह अयस्क और मैंगनीज के उत्खनन के लिए 24.50 हे. व.भू. का पथानान्तरण	कर्नाटक	चित्रदुर्ग
307.	एम. चानाकेशवा रेड्डी, चित्रदुर्ग जि., के पक्ष में लेखेहाले, एस.एफ. में लौह अयस्क उत्खनन हेतु एम.एल. सं. 329ए के नवीनीकरण के लिए 7.85 हे. व.भू. का पथानान्तरण	कर्नाटक	चित्रदुर्ग
308.	सी. चन्द्रशेखर, चित्रदुर्ग जि. के पक्ष में के.के. केवल आर.एफ. होसादुर्ग में लाइमस्टोन उत्खनन हेतु 4.25 हे. व.भू. का पथानान्तरण	कर्नाटक	चित्रदुर्ग
309.	मै. केनरा मिनरल्स (प्रा.) लि. बेल्लारी चित्रदुर्ग जि. के पक्ष में होसादुर्ग में लौह अयस्क और मैंगनीज उत्खनन हेतु 27.82 हे. वन भूमि का पथानान्तरण	कर्नाटक	चित्रदुर्ग
310.	कुद्रेखानवे एस.एफ. में जयालक्ष्मी मिनरल्स के पक्ष में खनन पट्टा (मैंगनीज अयस्क)	कर्नाटक	चित्रदुर्ग
311.	कुद्रेखानवे एस.एफ. में जयालक्ष्मी मिनरल्स के पक्ष में खनन पट्टा (मैंगनीज अयस्क)	कर्नाटक	चित्रदुर्ग
312.	मै. बालाजी प्रोड्यूस कं. के पक्ष में लौह अयस्क उत्खनन हेतु लेखेहाले (वी) होसादुर्ग तालुका में ख. पट्टे का नवीनीकरण	कर्नाटक	चित्रदुर्ग
313.	ए.के. माधव तिनरायना को खनन पट्टा	कर्नाटक	चित्रदुर्ग
314.	बेल्लारी जिले में 10.11 हे. से अधिक क्षेत्र में लौह अयस्क उत्खनन हेतु मै. सुग्गालामा गुडा माइनिंग एण्ड कं. के पक्ष में खनन पट्टे के नवीकरण हेतु व.भू. का पथानान्तरण	कर्नाटक	चित्रदुर्ग
315.	मै. अम्मा लाइन्स लि., करवार के पक्ष में लेटराइट पत्थर निकालने हेतु आर/औ क्योरी लीग में अमडाली (वी), करवार (टी) के एफ. क्र.सं. 375 की 0.50 हे. व.भू. की रिलीज	कर्नाटक	उत्तरी कन.
316.	मैसूर मिनरल्स लि. के पक्ष में कुमसी खनन पट्टे का नवीनीकरण	कर्नाटक	सिमोगा
317.	मैसूर सीमेन्ट्स लि. के पक्ष में खनन पट्टा (लाइम स्टोन)	कर्नाटक	तुमकुर
318.	हसदेव क्षेत्र में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा हसदेव क्षेत्र में हल्दीबाड़ी भूमिगत खनन परियोजना	मध्य प्रदेश	अनूपपुर
319.	तिलेडी माइन ऑफ मैंगनीज ओर इंडिया लि. का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	बालघाट
320.	मै. ए.पी. त्रिवेदी के पक्ष में मैंगनीज पट्टे का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	बालघाट
321.	मैंगनीज ओर इंडिया लि. लारवेल्ली माइन्स के पक्ष में माइनिंग लीज	मध्य प्रदेश	बालघाट

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
322.	उरधन ओपन कास्ट माइन ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	मध्य प्रदेश	बालघाट
323.	मै. मैगनीज ओर इंडिया लि. द्वारा मैंगनीज अयस्क खनन इंडिया प्रा. लि.	मध्य प्रदेश	बालघाट
324.	मैंगनीज ओर इंडिया लि. के पक्ष में मैंगनीज पट्टे का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	बालघाट
325.	मै. मैंगनीज ओर (इंडिया) लि., तहसील कटंगी के पक्ष में मैंगनीज खनन के लिए सीतापटोरे खनन लीज के संबंध में अस्थाई वर्किंग अनु.	मध्य प्रदेश	बालघाट
326.	श्री अनीस पी. त्रिवेदी S/o श्री प्रफुल्ल जे. त्रिवेदी के पक्ष में मैंगनीज अयस्क उत्खनन	मध्य प्रदेश	बालघाट
327.	मै. पैसेफिक मिनरल्स द्वारा खनन पट्टे का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	बालघाट
328.	डब्ल्यू.सी.एल., पाथेखेडा (तवा माइन्स) के पक्ष में खनन पट्टे का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	बेतूल
329.	पी.के.-2 खानों के पाथेखेडा क्षेत्र में डब्ल्यू.सी.एल. के पक्ष में सरफेस राइट्स का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	बेतूल
330.	ए.सी.सी. रियो टिंटो एक्सपलोरेशन लि. के पक्ष में बॉक्सवाहो रेंज में बन्डर माइनिंग पट्टे की परोस्पेक्टिंग	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर
331.	खजुराहो मिनरल, छतरपुर के पक्ष में डायरपोरा/पायरोफ्लाइट का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर
332.	मै. खजुराहो मिनरल के पक्ष में पायरोफ्लाइट माइनिंग का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर
333.	मै. फ्रैंटलाइन मिनरल्स रिसोर्सिज, भोपाल के पक्ष में खनन पट्टे का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर
334.	डब्ल्यू.सी.एल., दामुआ क्षेत्र में ओपन कास्ट माइनिंग	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
335.	बारखूइ ब्लाक में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि. को भूमिगत कोल खनन पट्टे का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
336.	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि. के खनन पट्टे का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
337.	नावेगांव क्षेत्र में वेस्टर्न कोलफील्ड लि. की भूमिगत कोल माइनिंग लीज का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा
338.	गांव सेवादा में श्री रविन्द्रकुमार दूबे द्वारा रेत खनन	मध्य प्रदेश	दतिया
339.	एम.पी. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के पक्ष में गांव कथलहारा में खनन	मध्य प्रदेश	झाबुआ
340.	बालाजी मारबल एण्ड टाइल्स के पक्ष में लघु मिनरल उत्खनन	मध्य प्रदेश	कटनी
341.	श्री राजेन्द्र कुमार जैन द्वारा सैंड माइनिंग	मध्य प्रदेश	खण्डवा
342.	धर्मस्थल कोल परियोजना के तहत मै. बला उद्योग को खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर
343.	श्री संजय शुक्ला के पक्ष में फारसी पत्थर माइनिंग का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	सागर

क्र.सं.	प्ररताव का नाम	राज्य	जिला
344.	श्री संजय कटारे के पक्ष में फारसी पत्थर माइनिंग का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	सागर
345.	श्री दिनेश कटारे के पक्ष में फारसी पत्थर माइनिंग का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	सागर
346.	श्री रमेश अजमानी द्वारा फारसी पत्थर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	सागर
347.	श्री के.वी.एस. गोपाल द्वारा फारसी पत्थर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	सागर
348.	एस.ई.सी.एल., हसदेव रीजन के पक्ष में कपिलधारा भूमिगत कोल माइन्स का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	शहडोल
349.	एस.ई.सी.एल. झगरखण्ड द्वारा सरफेस राइट्स का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	शहडोल
350.	फारसी स्टोन के लिए क्योरी पट्टे का नवीनीकरण	मध्य प्रदेश	शहडोल
351.	मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पो. लि. द्वारा कोयले के टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए परोस्पेक्टिंग	मध्य प्रदेश	सिद्धि
352.	सी.एम.पी.डी.आई. सिंगरोली के पक्ष में छत्रशाल ब्लाक में कम्पार्टमेंट सं. 385-390 में कोल माइनिंग की परोसपेक्टिंग	मध्य प्रदेश	सिद्धि
353.	मै. नार्दर्न कोलफिल्ड लि. के पक्ष में बीना परियोजना	मध्य प्रदेश	सिद्धि
354.	मै. नार्दर कोलफील्ड्स लि. के पक्ष में ब्लाक-बी, गोरबी परियोजना	मध्य प्रदेश	सिद्धि
355.	मै. एन.सी.एल. (दुधीछुआ परियोजना) को खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	सिद्धि
356.	मै. सासन पावर लि. द्वारा जीओलोजिकल एण्ड हाइड्रोलोजिकल सर्वे	मध्य प्रदेश	सिद्धि
357.	हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लि. के पक्ष में महान कोल ब्लाक में माइन प्लान तैयार करने के लिए कोक ब्लाक की सीमांकन और टोपोग्राफिक सर्वे	मध्य प्रदेश	सिद्धि
358.	मै. सिंह के पक्ष में माइनिंग लीज	मध्य प्रदेश	बिदिशा
359.	मै. मैंगनीज ओर इंडिया लि. द्वारा मैंगनीज माइनिंग का उत्खनन	मध्य प्रदेश	भण्डारा
360.	डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा दुर्गापुर ओपन कास्ट माइनिंग	महाराष्ट्र	चन्द्रापुर
361.	मैधरा मिनरल्स को खनन पट्टा	महाराष्ट्र	चन्द्रापुर
362.	दुर्गापुर रायवाडी कोलरी (अण्डरग्राउंड) कोल माइन्स, डब्ल्यू.सी.एल. लि. का उत्खनन	महाराष्ट्र	चन्द्रापुर
363.	मै. वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पक्ष में दुर्गापुर ओपन कास्ट माइनिंग पट्टे का नवीनीकरण	महाराष्ट्र	चन्द्रापुर
364.	डब्ल्यू.सी.एल. के पक्ष में महाकाली कोलरी के लिए अस्थाई कार्य अनुमति	महाराष्ट्र	चन्द्रापुर

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
365.	वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पक्ष में हिन्दुस्तान लालपेठ कोलरी के लिए एक वर्ष का अस्थाई वर्किंग अनुमति प्रदान करना	महाराष्ट्र	चन्द्रापुर
366.	बल्लारपुर कोलरी के लिए खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव - डी.डब्ल्यू.पी. के लिए आवेदन	महाराष्ट्र	चन्द्रापुर
367.	मै. गडचिरोली मेटल्स एण्ड मिनरल्स लि. को लौह अयस्क ट्रांसमिशन लाइन के खनन और एप्रोच रोड के लिए जुडपी वन भूमि का पथानान्तरण	महाराष्ट्र	गडचिरोली
368.	मै. बी.आर. एकरे द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	नागपुर
369.	मै. सब्बीर स्टोन द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	नागपुर
370.	मै. मैंगनीज ओर इंडिया लि. द्वारा मैंगनीज उत्खनन के लिए पट्टा	महाराष्ट्र	नागपुर
371.	मै. एच.आर. जोनसन (इंडिया) लि. के पक्ष में फेल्डपार और क्वार्टज मिनरल का खनन	महाराष्ट्र	सिंधुगढ़
372.	सी.आई.डी.सी.ओ. के पक्ष में लघु खनिन (पत्थर) का उत्खनन	महाराष्ट्र	थाणे
373.	एन.जी. अजवानी को स्टोन क्योरी के लिए खनन पट्टे का नवीनीकरण	महाराष्ट्र	थाणे
374.	मै. एच.एम. शाह द्वारा खनन पट्टे का नवीनीकरण	महाराष्ट्र	थाणे
375.	मै. डी.आर. महोत्रे द्वारा खनन पट्टे का नवीनीकरण	महाराष्ट्र	थाणे
376.	मै. एम.ए. पाटिल द्वारा खनन पट्टे का नवीनीकरण	महाराष्ट्र	थाणे
377.	मै. सिकन्दर इब्राहिम शेख द्वारा खनन पट्टे का नवीनीकरण	महाराष्ट्र	थाणे
378.	श्री सलेम गफ्फूर के पक्ष में खननपट्टे का नवीनीकरण	महाराष्ट्र	थाणे
379.	मै. राम स्टोन कंपनी द्वारा खनन पट्टे का नवीनीकरण	महाराष्ट्र	थाणे
380.	मै. मंगल सिंह एंड कंपनी द्वारा खनन पट्टे का नवीनीकरण	महाराष्ट्र	थाणे
381.	श्री ए.आर.आर. स्लूच के पक्ष में खनन पट्टे का नवीनीकरण	महाराष्ट्र	थाणे
382.	मै. बाम्बे क्यूरिज द्वारा खनन पट्टे का नवीनीकरण	महाराष्ट्र	थाणे
383.	मै. पटेल क्यूरिज द्वारा खनन पट्टे का नवीनीकरण	महाराष्ट्र	थाणे
384.	श्री वी.के. सवाला द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	थाणे
385.	श्री जी.एच. आजवानी द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	थाणे
386.	श्री एन.जी. आजवानी द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	थाणे
387.	श्री रामा दाजे कस्बे द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	थाणे

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
388.	मै. वी.एम. कूरदूकर द्वारा खनन पट्टे का नवीनीकरण	महाराष्ट्र	थाणे
389.	मै. श्याम सुन्दर द्वारा लघु खनिजों का उत्खनन	महाराष्ट्र	थाणे
390.	भुवनेश्वरी ओ.सी.पी. के लिए महानंदी कोल्ड फील्ड्स लि. को खनन पट्टा	उड़ीसा	अंगूल
391.	जगन्नाथ एक्सटेंशन ओ.सी.पी. के लिए एम.सी.एल. को खनन पट्टा	उड़ीसा	अंगूल
392.	महानंदी कोल फील्ड्स लि. का जगन्नाथ एक्सटेंशन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट	उड़ीसा	अंगूल
393.	महानंदी कोल फील्ड्स लि. के पक्ष में नटराज में भूमिगत कोल माइनिंग	उड़ीसा	अंगूल
394.	महानंदी कोल फील्ड्स लि. का तालचेर क्षेत्र में नंदिरा भूमिगत कोल माइन	उड़ीसा	अंगूल
395.	एम.सी.एल. के लिंगराज एरिया में कनिहा ओ.सी.पी.	उड़ीसा	अंगूल
396.	महानंदी कोल फील्डस लि. के पक्ष में अनंता एक्सटेंशन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट	उड़ीसा	अंगूल
397.	मै. उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन लि. द्वारा चांदीपुरा तहसील में रामझारण, नंदीचारे और शिमलीसाही में क्वेल माइनिंग	उड़ीसा	अंगूल
398.	मै. जे.एस. कन्ट्रक्शन लि. द्वारा ब्लैक स्टोन क्योटी	उड़ीसा	कटक
399.	टाटा रिफ्रेक्टर्स को खनन पट्टा	उड़ीसा	कटक
400.	श्री पी.एन. साहू द्वारा क्वार्टज एंड क्वार्टजाइट खनन	उड़ीसा	जाजपुर
401.	मै. फेरो एलोएज कार्पो. लि. को ओस्टापाल क्रोमाइट माइन्स खनन लीज का नवीनीकरण	उड़ीसा	जाजपुर
402.	कटक वन प्रभाग की सुकिन्दा तहसील में महागिरी डी.पी.एफ. में क्रोमाइट माइनिंग के लिए 35.285 हे. वनभूमि का पथान्तरण	उड़ीसा	जाजपुर
403.	क्रोमेटे खनन के लिए मै. ओईकार को खनन पट्टा	उड़ीसा	जाजपुर
404.	सुकिन्दा तहसील के अंतर्गत कालिमा पानी गांव में मै. इंडियन चार्ज क्रोम लि. को महागिरि क्रोमाइट माइन्स के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	जाजपुर
405.	उड़ीसा माइनिंग कार्पो. की सुकरांगी क्रोमाइट माइन्स में क्रोमाइट खनन के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	जाजपुर
406.	मै. महानदी कोल्ड फील्ड लि. द्वारा समामेश्वरी ओ.सी.पी. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	झारसुगुडा

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
407.	कलिंगा माइनिंग कार्पो. की जोरूरी लौह और मैगनीज	उड़ीसा	क्योंझर
408.	एस. प्रधान की बालिटा आयरन माइन्स	उड़ीसा	क्योंझर
409.	ऊंचावाली गांव में श्रीमती इंदिरानी-पट्टनायक द्वारा लौह आयस्क खनन	उड़ीसा	क्योंझर
410.	टोंटोगांव के समीप सिद्धमठ आरक्षित वन में मै. मिड ईस्ट इंटीग्रेटेड स्टील लि. के पक्ष में रोएडा लौह अयस्क खानें	उड़ीसा	क्योंझर
411.	मै. रिस्वणे लि. की खांड बंद आयरन एंड मैगनीज माइन्स के लिए खनन पट्टे का नवीनीकरण	उड़ीसा	क्योंझर
412.	मै. टिस्को लि. के पक्ष में गांव कामराजोडा, जोडा, वनस्पानी, बिच्छाकुंडी और बैतरणी आर.एफ. में खनन पट्टे का नवीनीकरण	उड़ीसा	क्योंझर
413.	आर.पी. खान के लिए गुली लौह अयस्क खानों के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	क्योंझर
414.	डी.सी. जैन को खनन पट्टा	उड़ीसा	क्योंझर
415.	कालाप्रभात लौह अयस्क खानों के लिए एस. वर्धा जी को खनन पट्टा	उड़ीसा	क्योंझर
416.	श्री वी.के. मोहन्ती के पक्ष में आयरन और मैंगनीज अयस्क के खनन के लिए पहले से ही तोड़े हुए क्षेत्र पर टी.डब्ल्यू.पी.	उड़ीसा	क्योंझर
417.	दल पहाड़ लौह और अयस्क खानें रास बिहार दास	उड़ीसा	क्योंझर
418.	उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन लि. द्वारा गांधामर्दन ब्लॉक में वन भूमि का अपवर्तन	उड़ीसा	कियोविहार
419.	माइनिंग लीज के द्वितीय नवीकरण के लिए 73.228 है. के माइनिंग लीज एरिया के भीतर मै. कलिंग माइनिंग, का. के पक्ष में गांव जोरूरी, जालाहुरी तथा खांडा बांधा में लौह अयस्क खनन	उड़ीसा	कियोविहार
420.	इनगानीझारन आयरन एंड एम.एन. माइन्स ऑफ एस. प्रधान	उड़ीसा	कियोविहार
421.	ठाकुरानी आयरन ओर माइन्स के लिए मै. के.पी. एंटरप्राइजिज के पक्ष में माइनिंग लीज	उड़ीसा	कियोविहार
422.	मैसर्स टिस्को लि. इन कियोनकार फारेस्ट डिविजन फॉर एण्ड रिन्यूअल के संदर्भ में जोडा ईस्ट आयरन एंड मनोरा मैगनीज में आयरन एंड मैगनीज ओर माइनिंग	उड़ीसा	कियोविहार
423.	के.जी.एस. अब्लूवालिया की माइनिंग लीज	उड़ीसा	कियोविहार
424.	श्री तरिनी प्रसाद मोहन्ती द्वारा कियोनझार जिले के कटुपल्ली गाम में आयरन और मैगनीज के लिए 26.89 हे. वन भूमि का अपवर्शन	उड़ीसा	कियोविहार

क्र.सं	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
425.	डाइटरी आयरन ओर प्रोजैक्ट इन एफ/ओ उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	उड़ीसा	कियोविहार
426.	बामेवरी आयरन एंड मैगनीज ओर माइनिंग बाई मैसर्स टिस्को लिमिटेड	उड़ीसा	कियोविहार
427.	डायवर्शन ऑफ फारेस्ट लैंड इन सिंह मठ, रिजर्व फारेस्ट इन फेवर ऑफ डा. सरोजिनी प्रधान फार आयरन एंड मैंगनीज और माइनिंग	उड़ीसा	कियोविहार
428.	रिन्यूअल ऑफ माइनिंग लीज इन तिरिंगपहाड मैंगनीज माइन्स ऑफ मैसर्स टिस्को लि.	उड़ीसा	कियोविहार
429.	माइनिंग लीज टू भांजा मिनरल्स लिमिटेड	उड़ीसा	कियोविहार
430.	माइनिंग लीज टू नालको	उड़ीसा	कियोविहार
431.	जोरुरी माइन्स ऑफ के.एम.सी. (आयरन)	उड़ीसा	कियोविहार
432.	माइनिंग लीज टू एएसल माइनिंग इंडस्ट्रीज (डोलोमाइट)	उड़ीसा	कियोविहार
433.	माइनिंग लीज टू एम/एस घनश्याम मिश्रा एंड संस (आयरन)	उड़ीसा	मयूरभंज
434.	माइनिंग लीज टू मैसर्स लाल ट्रेडर्स एंड एजेंसीज प्राइवेट लि. (आयरन)	उड़ीसा	मयूरभंज
435.	माइनिंग लीज फॉर लीलारी ओपनकास्ट माइनिंग प्रोजैक्ट इन फेवर ऑफ मै. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	उड़ीसा	संबलपुर
436.	डायवर्शन ऑफ 8.244 है. ऑफ फारेस्ट लैंड इन बिल्लेज-गोनुआ ऑफ बोनी तहसील इन सुंदरगढ डिस्ट्रिक्ट फार आयरन एंड मैगनीज	उड़ीसा	सुंदरगढ़
437.	आयरन ओर माइनिंग बाई रुंगटा एंड संस ओर घाट	उड़ीसा	सुंदरगढ़
438.	माइनिंग लीज टू जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड (आयरन)	उड़ीसा	सुंदरगढ़
439.	माइनिंग लीज टू महानंदी कोल लि.	उड़ीसा	सुंदरगढ़
440.	माइनिंग ऑफ आयरन ओर बाई मै. नेशनल इंटरप्राइज इन बोनई डिवीजन	उड़ीसा	सुंदरगढ़
441.	आयरन ओर माइनिंग बाई श्री जे.एन. पटनायक इन विल्लेज भांजा पल्ली एंड कोइरा	उड़ीसा	सुंदरगढ़
442.	माइनिंग लीज टू नेशनल एंटरप्राइजेज (आयरन)	उड़ीसा	सुंदरगढ़
443.	माइनिंग लीज टू आयरन माइनिंग ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (आयरन)	उड़ीसा	सुंदरगढ़
444.	राइकेला आयरन माइन्स ऑफ एस.एन. मोहन्ती	उड़ीसा	सुंदरगढ़
445.	सैकंड रिन्यूअल माइनिंग लीज टू उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन लि. इन कुरमितार आयरन ओर माइन्स	उड़ीसा	सुंदरगढ़

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
446.	रिन्यूअल, ऑफ लीज फॉर गाहुलसुखा मैगनीज ओर माइन्स इन फेवर ऑफ मैसर्स ए.एम.टी.सी. प्रा. लि.	उड़ीसा	सुंदरगढ़
447.	माइनिंग ऑफ आयरन ओर बाई मैसर्स फीग्रेड एंड कंपनी इन बोनई फारेस्ट डिवीजन	उड़ीसा	सुंदरगढ़
448.	माइनिंग लीज इन फेवर ऑफ मैसर्स रुंगटा माइन्स लिमिटेड (आयरन)	उड़ीसा	सुंदरगढ़
449.	माइनिंग लीज इन फेवर ऑफ मैसर्स रुंगटा संस (प्रा.) लि. (आयरन)	उड़ीसा	सुंदरगढ़
450.	माइनिंग लीज इन फेवर ऑफ श्री रुद्रसैन सिंघु मैसर्स रोहतक इंजीनियरिंग कं. (मैगनीज)	उड़ीसा	सुंदरगढ़
451.	प्रोस्पैक्टिंग फार यूरेनियम ओर इन टोडा आर.एफ. ऑफ बोनई फारेस्ट डिवीजन बाई एटॉमिक एनर्जी डिपा.	उड़ीसा	सुंदरगढ़
452.	आयरन ओर माइनिंग इन विल्लेज पारा बेडार ऑफ बोनई फारेस्ट डिवीजन बाई मैसर्स एम.जी. मोहन्ती	उड़ीसा	सुंदरगढ़
453.	माइनिंग लीज ऑफ मै. एम.जी. मोहन्ती ऑफ भुवनेश्वर	उड़ीसा	सुंदरगढ़
454.	अप्प. आर.डी. रिटेल आउटलैट ऑफ आई.ओ.सी. लि.	पंजाब	मानसा
455.	सतीश मोहन गुप्ता के पक्ष में फायर क्ले का एम/एल	राजस्थान	अलवर
456.	11 एल/एच.के. पक्ष में मेसनरी स्टोन का एम/एल	राजस्थान	अलवर
457..	लक्ष्मी नारायण गीना 3 एल/एच के लिए के पक्ष में मेसनरी स्टोन का एम/एल	राजस्थान	अलवर
458.	देवानंद के पक्ष में मेरानरी स्टोन का एम/एल	राजस्थान	अलवर
459.	आरिएंटल टाक प्रोडक्ट्स प्रा. लि. को खनन पट्टा	राजस्थान	बांसवाड़ा
460.	मैं. मेटल माइनिंग इंडिया प्रा. लि. के पक्ष में एन/वी थावरी तहसील घाटोल में गोल्ड एंड एसोसिएटिड मिरल्स की प्रास्पेक्टिंग	राजस्थान	बांसवाड़ा
461.	4 एल/एच के पक्ष में ग्रेनाइट का एम/एल	राजस्थान	बांडमेर
462.	मै. मदनलाल पुरोहित के पक्ष में सिलिका सैंड का एम/एल	राजस्थान	भरतपुर
463.	10 पर्सन के पक्ष में सैंड स्टोन का एम/एल	राजस्थान	बूंदी
464.	35 लीज होल्डर्स को खनन पट्टा	राजस्थान	बूंदी
465.	5 एल/एच-बी के पक्ष में सैंड स्टोन का एम/एल	राजस्थान	बूंदी
466.	16 एल.एच. के पक्ष में सैंड स्टोन का एम/एल	राजस्थान	बूंदी

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
467.	ए.सी.सी. लि. चामावली माइंस में लाइम स्टोन के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	बूंदी
468.	एम.डी. शेरखान के पक्ष में चीनी मिट्टी और रेड ओचर का एम/एल	राजस्थान	चित्तौड़गढ़
469.	श्री हनुमान सहाय गुप्ता के पक्ष में सिलिका सैंड का एम/एल	राजस्थान	दौसा
470.	मै. नलवारा मिनरल्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. की सोप स्टोन और डोलोमाइट खानों के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	दुर्गापुर
471.	7 लीज होल्डर्स को खनन पट्टा	राजस्थान	जयपुर
472.	राजस्थान राज्य मिनरल डेवलपमेंट का. लि. के खनन पट्टे का नवीकरण	राजस्थान	जालौर
473.	आर.एस.एम.डी.सी. के पक्ष में फ्लोर स्पार का एम/एल	राजस्थान	जालौर
474.	श्री खेमराम के पक्ष में मेसनरी स्टोन का एम/एल.	राजस्थान	जालौर
475.	श्री एन.के. पाटनी के पक्ष में सोप स्टोन का एम/एल	राजस्थान	करोली
476.	एम/एल फॉर सैंड स्टोन इन फेवर ऑफ श्रीमती अमनाबाई	राजस्थान	कोटा
477.	माइनिंग लीज इन फेवर ऑफ मंगलम सीमेंट लि.	राजस्थान	कोटा
478.	माइनिंग लीज इन फेवर ऑफ श्री शाह कस्तूरमल	राजस्थान	सवाई माधोपुर
479.	एम/एल ऑफ मासनोरी स्टोन इन फेवर ऑफ श्री राम किशोर मीना	राजस्थान	सवाई माधोपुर
480.	एम/एल. ऑफ मासनोरी स्टोन इन फेवर ऑफ श्रीमती थापु देवी	राजस्थान	टौंक
481.	माइनिंग ऑफ केसनरी स्टोन इन निवई तहसील	राजस्थान	टौंक
482.	एम/एल. 30/85 फॉर मिनरल, सौप स्टोन माइनिंग नियर बिल्लेज बंद	राजस्थान	उदयपुर
483.	एम./एल ऑफ सपैंटाइन इन फेवर ऑफ 10 एल.एच.	राजस्थान	उदयपुर
484.	एम/एल ऑफ स्टैप स्टोन इन फेवर ऑफ कान्तिलाल शाह	राजस्थान	उदयपुर
485.	रिन्यूअल ऑफ माइनिंग लीज का 6/84 इन फेवर ऑफ मै. महावीर ट्रेडिंग कम्पनी फोर सोप स्टोन	राजस्थान	उदयपुर
486.	रिन्यूअल ऑफ माइनिंग लीज न. 7/84 इन फेवर ऑफ महावीर ट्रेडिंग कम्पनी	राजस्थान	उदयपुर
487.	टेंपरेरी क्वेरिंग ऑफ सैंड/स्टोन/लाउल्डर्स एट लाचुंग कटाओ रोड (यू)	सिक्किम	सिक्किम (नॉर्थ)
488.	माइनिंग लीज इन फेवर ऑफ मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी लि. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रोच रोड	तमिलनाडु	कोयम्बतूर

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला
489.	रिन्यूअल प्रोप्रोजल फार डायवर्शन ऑफ 2.59 है. विद एन एडिशनल एरिया ऑफ 0.77 है. ऑफ फारेस्ट लैंड फार माइनिंग ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट इन काठिरियाप्पन कोयली मलई इन बीबानुर आर.एफ.बाई. तामिन	तमिलनाडु	कर्मपुरी
490.	प्रोप्रोजल फॉर क्वेरिंग एंड एक्सकेवेटिंग ग्रेनाइट डाइमेंशनल स्टोन्स इन विलावन कोड तालुक मानकोड विल्लेज	तमिलनाडु	कन्याकुमारी
491.	डायवर्शन ऑफ फारेस्ट लैंड फार एक्सप्लेनेटरी ड्रिलिंग एट आर.जी. ओशन सदर्न फारेस्ट डिविजन	त्रिपुरा	त्रिपुरा (साउथ)
492.	कृष्णाशिला ओपनकास्ट प्रोजैक्ट इन फेवर ऑफ नार्दन कोलफील्ड्स लि.	उत्तर प्रदेश	आगरा
493.	बीना ओपन कास्ट कोल्डफील्ड एक्सटेंशन	उत्तर प्रदेश	सोनभद्रा
494.	माइनिंग ऑफ बाउल्डर्स-बाजरी फ्रोम अलकनंदा रीवर बैड्स	उत्तरांचल	चगोली
495.	कलेक्शन ऑफ स्टोन एंड बाजरी फ्रोम श्रीनगर एस्टेट मसूरी	उत्तरांचल	देहरादून

[हिन्दी]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में योजना आयोग की सिफारिश

708. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने कतिपय औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे उद्योगो के नाम क्या हैं और ऐसी सिफारिशें करने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खानों द्वारा भूमि अर्जन के कारण विस्थापित परिवार

709. श्री टेक लाल महतो: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा किसानों की भूमि का अर्जन किए जाने के कारण बड़ी संख्या में किसान विस्थापित हुए हैं और उनके आश्रित परिवार इन कंपनियों में रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कंपनी-वार कितने परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक विभिन्न कोयला कंपनियों में कंपनी-वार कितने प्रभावित परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(घ) क्या सरकार शेष विस्थापित परिवारों को शीघ्र रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशेष अभियान आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोयले का खनन एक स्थल विशिष्ट कार्यकलाप है और इसलिए पर्याप्त प्रयासों और आयोजना के बावजूद, संबंधित भू-स्वामियों/किसानों को उनकी भूमि से विस्थापित करना आवश्यक हो जाता है। तथापि, प्रभावित किसानों को कोल इंडिया लि. की आर. एंड आर. नीति, 2000 के अनुसार भूमि के मुआवजे के अलावा पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर. एंड आर.) के लाभ प्रदान किए जाते हैं। विस्थापित परिवारों की संख्या सहित कंपनी-वार ब्यौरे निम्नानुसार है:-

30-9-2007 की स्थिति के अनुसार आंकड़े

कंपनी	परियोजना प्रभावित परिवारों (पी.ए.एफ.) की कुल सं.	विस्थापित किए जाने वाले परिवारों की सं.	विस्थापित परिवारों की सं. तथा वैकल्पिक आवास स्थल के लिए अनुमोदित अनुदान	पुनर्स्थापन की कार्य योजना
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	8017	4679	2079	2600 पी.ए.एफ. को आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से पुनर्स्थापित किया जाएगा ताकि उनको कम से कम दिक्कत हो।
भारत कोकिंग कोल लि.	4655	1852	1730	122 पी.ए.एफ. को अस्थायी व्यवस्था के रूप में कंपनी के क्वार्टर प्रदान किए गए हैं।
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	6282	8304	1573	2007-08 तथा 2008-09 के दौरान 959 पी.ए.एफ. को पुनर्स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। अन्य 5772 पी.ए.एफ. को आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से पुनर्स्थापित किया जाएगा।
वेस्टर्न कोलफील्डस लि.	16442	8672	6227	2445 पी.ए.एफ. को आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से पुनर्स्थापित किया जाएगा ताकि उनको कम से कम दिक्कत हो।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	24482	8188	7900	288 पी.ए.एफ. को आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से पुनर्स्थापित किया जाएगा ताकि उनको कम से कम दिक्कत हो।
महानदी कोलफील्ड्स लि.	10081	6080	3315	2765 पी.ए.एफ. को आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से पुनर्स्थापित किया जाएगा ताकि उनको कम से कम दिक्कत हो।
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	10149	3411	2451	960 पी.ए.एफ. को आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से पुनर्स्थापित किया जाएगा ताकि उनको कम से कम दिक्कत हो।
कुल	80108	41186	25275	

(ग) जिन प्रभावित परिवारों को गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न कंपनियों में रोजगार प्रदान किया गया है, उनकी कंपनी-वार संख्या:

30-9-2007 की स्थिति के अनुसार आंकड़े

कंपनी	दी गई नौकरियों की संख्या	मामलों की संख्या जिसमें रोजगार के एवज में मौद्रिक मुआवजा प्रदान किया गया	वर्ष 2006-07 के दौरान प्रदान की गई नौकरी	मामलों की संख्या जिनमें वर्ष 2006-07 के दौरान रोजगार के एवज में मौद्रिक मुआवजा प्रदान किया गया	रोजगार के लम्बित पात्र मामलों की संख्या
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	11760	11	173	शून्य	शून्य
भारत कोकिंग कोल लि.	4622	2	21	शून्य	शून्य
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	4688	12	5	शून्य	18 (सी.सी.एल. बोर्ड द्वारा 10 मामले अनुमोदित तथा 8 मामले जांचाधीन)।
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	5838	584	24	शून्य	84 मामले प्राप्त हुए तथा पात्र प्रतीत होने वाले मामले प्रक्रियाधीन हैं।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	13714	199	133	43	रोजगार के 123 मामले प्रक्रियाधीन हैं।
महानदी कोलफील्ड्स लि.	7289	180	545	43	पात्र प्रतीत होने वाले 246 मामले प्रक्रियाधीन हैं।
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	3826	शून्य	शून्य	शून्य	15 मामले (14 पात्र भूवंचितों के पास इस समय रोजगार के लिए पात्र नामिती नहीं है। एक मामला प्रक्रियाधीन है।
कुल	51737	988	901	86	

(घ) और (ङ) सी.आई.एल. की आर. एंड आर. नीति के अनुसार रोजगार दिया जा रहा है जो एक सतत प्रक्रिया है और यह खनन की प्रगति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है ताकि उन्हें कम से कम दिक्कत हो।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए निधियां

710. **श्री विजय कृष्ण:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए राज्यवार आवंटित निधियों तथा इसमें से उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अक्तूबर, 1997 में शुरू किया गया था। दूसरा चरण अप्रैल, 2005 में 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जिसमें प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का दूसरा चरण भी शामिल है।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना चरण-II के लिए 360 मिलियन डालर का विश्व बैंक ऋण प्रदान किया गया है। विकास ऋण करार पर 16 अक्तूबर, 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे। डी.एफ.आई.डी. और यू.एन.ई.पी.ए. ने प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II परियोजना, जिसके 31 मार्च, 2010 तक पूरा होने की आशा है, के लिए क्रमशः 252 मिलियन यू.के. पौंड और 20 मिलियन यू.एस. डालर का अनुदान देने के लिए वचनबद्धता प्रदान की है।

अन्य विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:-

राज्य	परियोजना का नाम	राशि	वित्त पोषक एजेंसी
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन	60 मिलियन पौंड	डी.एफ.आई.डी.
उड़ीसा	(I) "उड़ीसा स्वास्थ्य क्षेत्र योजना-2006-2010" (अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन)	400.00 करोड़ रुपए जिसमें पोषण की सहायता के लिए 100.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।	डी.एफ.आई.डी.
आन्ध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य कार्यक्रम (अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन)	40 मिलियन पौंड	डी.एफ.आई.डी.
पश्चिम बंगाल	(1) स्वास्थ्य क्षेत्र विकास पहल कार्यक्रम पस्चिम बंगाल	100 मिलियन जीबी पौंड	डी.एफ.आई.डी.
	(2) मूलभूत स्वास्थ्य परियोजना, पश्चिम बंगाल	203.25 करोड़ रुपए	के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन विकास बैंक)
	(3) जी.टी.जैड. सहायताप्राप्त इंडो-जर्मन स्वास्थ्य क्रायक्रम, पश्चिम बंगाल	10,839,000 यूरो	जी.टी.जैड. (जर्मन तकनीक सहयोग)
	(4) एन.आई.सी.ई.डी., कोलकाता-उभरते अतिसार रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए जीका सहायताप्राप्त परियोजना	11.2 करोड़ रुपए (फेज-I) 90 करोड़ रुपए (फेज-II)	जापान सहयोग
उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (सी.आर. नं. 3338-आई.एन.)	110.00 यू.एस. डालर	विश्व बैंक
राजस्थान	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (सी.आर. नं. 3867-आई.एन.)	89.00 यू.एस. डालर	विश्व बैंक

राज्य	परियोजना का नाम	राशि	वित्त पोषक एजेंसी
तमिलनाडु	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली योजना (सी.आर. नं. 4018-आई.एन.)	110.83 यू.एस. डालर	विश्व बैंक
कर्नाटक	कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली विकास और सुधार परियोजना (सी.आर. नं. 4229-आई.एन.)	141.83 यू.एस. डालर	विश्व बैंक
	कर्नाटक-के.एफ.डब्ल्यू. सहायता प्राप्त द्वितीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना	13.804 यूरो (फेज I) 14.3 यूरो (फेज II)	जर्मन सहायता
उड़ीसा	उड़ीसा-सरदार वल्लभभाई पटेल बाल रोग संस्थान, कटक का सुधार	83 मिलियन जापानी येन	जापान सहयोग

पिछले तीन वर्षों के दौरान आर.एन.टी.सी.पी. के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से प्राप्त निधियां नीचे दिए अनुसार हैं:-

(राशि लाख रुपए में)

	2004-05	2005-06	2006-07
विश्व बैंक	5662.17	8489.81	4318.29
डानिडा	248.41	197.27	194.31
डी.एफ.आई.डी.	608.45	1309.99	428.95
यू.एस.एड.	372.00	400.00	524.50
जी.एफ.ए.टी.एम.	2325.01	2445.73	5386.80

योजना सेवाएं (आई.एफ.पी.एस.परियोजनाएं)

लागत और व्यय	यू.एस. डालर मिलियन में
(1) भारत सरकार के माध्यम से कुल प्रतिबद्ध लागत	225
अभी तक खर्च की गई राशि	120
(2) यू.एस. एड के माध्यम से तकनीकी लागत	100
अभी तक खर्च की गई राशि	लगभग 100

(ख) ब्यौरे विवरण-I और II पर संलग्न हैं। (ग) लागू नहीं होता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में आर.एन.टी.सी.पी. के लिए प्राप्त निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	700.00	775.42	1100.00	1295.77	1314.88	1591.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.03	123.52	55.50	140.71	50.94	111.75
3.	असम	750.26	536.17	1318.13	872.40	1209.91	700.54
4.	बिहार	903.34	669.11	1223.56	615.39	1509.31	1227.17
5.	गोवा	14.17	24.00	22.71	28.87	23.07	36.35
6.	गुजरात	551.38	710.10	890.42	938.96	904.60	1155.58
7.	हरियाणा	200.00	200.05	200.00	201.62	200.00	201.02
8.	हिमाचल प्रदेश	66.47	173.84	105.42	267.24	107.10	271.38
9.	जम्मू-कश्मीर	110.06	195.20	181.65	305.02	184.54	258.70
10.	कर्नाटक	574.26	482.85	911.51	1020.93	926.02	1247.97
11.	केरल	346.52	327.12	535.23	664.57	543.75	442.03
12.	मध्य प्रदेश	658.17	752.73	1068.83	873.15	1085.85	1116.78
13.	महाराष्ट्र	1054.81	1038.69	1702.99	1640.93	1730.10	1626.13
14.	मणिपुर	67.69	95.07	124.88	177.85	114.62	183.59
15.	मेघालय	64.87	45.19	120.25	131.15	110.38	98.73
16.	मिजोरम	25.38	72.14	46.25	96.05	42.45	99.60
17.	नागालैण्ड	56.41	65.67	111.00	113.82	101.89	150.97
18.	उड़ीसा	600.00	100.20	300.00	368.02	640.96	591.14
19.	पंजाब	264.79	226.93	423.31	299.78	430.05	594.02
20.	राजस्थान	615.67	643.99	1012.06	784.53	1028.18	613.30
21.	सिक्किम	14.10	53.25	27.75	59.65	25.47	67.97

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	676.69	995.96	1050.99	1431.46	1067.72	1202.61
23.	त्रिपुरा	90.26	49.05	157.25	49.44	144.34	45.04
24.	उत्तर प्रदेश	1809.96	1476.20	2718.98	2966.51	2998.85	3914.04
25.	पश्चिम बंगाल	873.90	978.17	1389.97	1356.88	1412.09	1699.82
26.	दिल्ली	150.38	479.12	262.83	574.68	263.63	735.15
27.	पांडिचेरी	10.90	15.00	16.43	10.44	16.48	20.87
28.	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	3.27	18.00	6.57	12.10	6.59	16.04
29.	चण्डीगढ़	9.81	38.00	16.43	43.27	16.48	79.79
30.	दादर एवं नगर हवेली	2.18	5.00	4.92	10.00	4.94	26.35
31.	दमन और द्वीव	2.18	5.00	3.28	3.60	3.30	24.96
32.	लक्षद्वीप	1.09	0.00	1.64	0.01	1.65	7.33
33.	झारखंड	957.30	261.45	342.32	292.58	481.13	652.80
34.	उत्तरांचल	302.49	128.09	106.68	197.47	149.94	190.05
35.	छत्तीसगढ़	740.21	349.38	260.26	353.70	365.79	546.79
	कुल	13300.00	12109.66	17820.00	18198.55	19217.00	21547.44
	मुख्यालय	700.00	1253.37	780.00	571.50	1000.00	549.97
	महा योग	14000.00	13363.03	18600.00	18770.05	20217.00	22097.41

विवरण-II

आर.सी.एच. कार्यक्रम - निर्मुक्त निधियों और सूचित व्यय की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-05		2005-06		2006-07	
		निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,133.38	2,497.63	7138.31	3874.44	1078.50	306.63

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	319.46	350.37	777.85	174.44	48.82	384.78
3.	असम	2,810.76	1,869.06	7563.31	3772.95	971.81	4064.11
4.	बिहार	3,895.36	370.51	7333.64	4535.86	851.37	000
5.	झारखण्ड	1,341.65	2,285.24	5454.24	1871.44	951.57	474.13
6.	गोवा	16.37	1.12	115.25	13.00	9.78	191.89
7.	गुजरात	8,718.02	3,098.38	12730.71	8974.94	2596.03	227.58
8.	हरियाणा	1,976.01	2,438,34	1954.36	1047.12	498.64	802.68
9.	हिमाचल प्रदेश	497.32	330.18	903.43	448.02	302.93	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	264.31	371.17	733.22	261.00	86.84	710.67
11.	कर्नाटक	1,057.00	1,862.95	3385.87	1004.92	505.47	792.40
12.	केरल	638.32	678.81	2736.04	627.27	772.16	0.00
13.	मध्य प्रदेश	4,059.46	678.93	8874.99	594.27	744.81	000
14.	छत्तीसगढ	1,137.00	1,467.63	3465.23	1999.43	225.41	0.00
15.	महाराष्ट्र	3,486.68	2,065.52	8843.07	2646.62	1082.41	97.98
16.	मणिपुर	258.46	2.09	808.60	101.09	64.99	0.00
17.	मेघालय	111.33	204.55	520.87	91.63	49.02	0.00
18.	मिजोरम	502.19	324.21	1356.19	543.86	124.19	0.00
19.	नागालैण्ड	246.51	66.82	710.52	113.69	149.52	0.00
20.	उड़ीसा	1,854.70	904.66	6041.14	2983.82	325.14	5.84
21.	पंजाब	559.08	236.01	2108.15	351.00	254.55	0.00
22.	राजस्थान	2,797.98	3,366.15	7566.85	3661.89	745.16	69.71
23.	सिक्किम	328.35	190.40	251.08	157.56	14.12	164.33
24.	तमिलनाडु	1,447.41	371.19	6631.86	1178.00	501.98	0.00
25.	त्रिपुरा	119.38	6	672.82	278.90	76.03	8292.73
26.	उत्तर प्रदेश	14,577.83	11,304.98	38183.68	15574.77	7026.75	0.00
27.	उत्तरांचल	410.38	616.43	1512.07	334.66	414.58	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	पश्चिम बंगाल	3,356.74	2,419.49	9122.37	1444.93	1224.96	0.00
29.	अंडेमान व निकोबार द्वीपसमूह	25.76	47.66	59.48	37.70	14.98	0.00
30.	चण्डीगढ़	19.58	32.55	82.63	13.00	8.64	0.00
31.	दादरा व नगर हवेली	5.30	29.50	37.42	3.83	2.95	0.00
32.	दमन व दीव	13.48	42.35	26.06	10.90	2.20	0.00
33.	दिल्ली	1,044.45	182.37	1540.56	58.00	191.85	0.00
34.	लक्षद्वीप	7.31	43.28	14.11	8.13	17.49	0.00
35.	पांडिचेरी	82.13	35.70	91.17	66.57	8.57	0.00
	कुल	61,119.46	40,792.72	149,347,17	58,869.67	21944.23	16585.41

आंकड़े अनंतिम

[हिन्दी]

पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण

711. श्री हरिकेवल प्रसाद:

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रदान करने के लिए कम्प्यूटर चलाने हेतु कार बैटरी का उपयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) दिसम्बर, 2004 में जयपुर में हुए सातवें गोलमेज सम्मेलन में ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर चलाने के लिए कार बैटरियों के उपयोग के बारे में एक कॉरपोरेट भागीदार द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। मंत्रालय ग्राम पंचायत स्तर तक के सभी पंचायती राज संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण के लिए राष्ट्रीय ई-शासन कार्यक्रम के तहत ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करता है। परियोजना राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी जो जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों की अपनी आवश्यकता को प्रारूपित करेंगे।

[अनुवाद]

केंद्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब

712. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

श्री रघुनाथ झा:

श्री सनत कुमार मंडल:

श्री जीवाभाई ए. पटेल:

श्री काशीराम राणा::

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 20 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक लागत वाली केंद्र सरकार की कई परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप राजकोष को कुल कितनी हानि हुई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रबोधित 20 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली 890 परियोजनाओं में से 267 परियोजनाएं अद्यतन अनुमोदित समय के संदर्भ में समय से पीछे चल रही हैं।

(ख) अद्यतन समय-अनुसूची के संदर्भ में विलंबित परियोजनाओं की सेक्टर-वार संख्या अनुबंध-I के विवरण में देखी जा सकती है। इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के कारणों में (i) निधि संबंधी बाधाएं; (ii) भूमि अधिग्रहण तथा संबंधित लोगों के पुनर्वास में विलंब; (iii) ठेके देने में विलंब; (iv) उपस्कर की आपूर्ति में विलंब; (v) ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति; (vi) पर्यावरण संबंधी तथा अन्य अनुमतियां मिलने में विलंब; (vii) कानून और व्यवस्था तथा (viii) भौगोलिक आकस्मिकताएं शामिल हैं।

(ग) विलंब और अन्य कारणों के फलस्वरूप अनुमानित लागत वृद्धि 21,531.41 करोड़ रु. है। लागत में वृद्धि का सेक्टर-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

विवरण

अद्यतन समय-अनुसूची के संदर्भ में परियोजनाओं में समय वृद्धि की सीमा

क्र. सं.	सेक्टर	समय वृद्धि के साथ परियोजनाएं					
		परियोजनाओं की कुल संख्या	परियोजनाओं की संख्या	अद्यतन अनुमोदित लागत (करोड़ रु.)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु.)	लागत वृद्धि (करोड़ रु.)	विलंब की सीमा (महीने)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	परमाणु ऊर्जा	5	2	3415.26	3415.26	0.00	8-12
2.	नागर विमानन	25	12	627.01	644.42	17.41	3-25
3.	कोयला	115	18	1502.42	1500.26	-2.16	4-108
4.	सूचना और प्रसारण	1	0	0.00	0.00	0.00	-
5.	खान	1	0	0.00	0.00	0.00	-
6	इस्पात	36	14	2039.46	2108.04	68.58	1-17
7.	पेट्रोलियम	37	25	36182.93	46366.06	10183.13	1-48
8.	विद्युत	76	19	41477.68	42950.01	1472.33	1-62
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	1	422.60	443.15	20.55	32
10.	रेलवे	276	33	10490.54	19039.91	8549.37	3-159
11.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	205	86	21252.22	21785.18	532.96	1-72

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	जहाजरानी एवं बंदरगाह	36	15	3994.62	4205.52	210.90	1-60
13.	दूरसंचार	55	32	8555.49	7939.99	-615.50	1-54
14.	शहरी विकास	20	9	8357.43	8924.77	567.34	2-40
15.	जल संसाधन	1	1	542.90	1069.40	526.50	3
	कुल	890	267	138860.56	160391.97	21531.41	

[हिन्दी]

हज यात्रियों के लिए सुविधाएं

713. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हज यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) देश में हज यात्रियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता एवं सेवाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) भारत सरकार हज 2007 के लिए भारतीय हज समिति के जरिए सउदी अरब जाने वाले 110,000 हज यात्रियों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने की व्यवस्थाएं कर रही है तथा उनके लिए आवास की व्यवस्था तथा अन्य संभार-तंत्रीय सहयोग की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। हज व्यवस्थाओं के कुशल प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए अल्पकालिक स्थानीय कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों, डाटा एंट्री अपरेटरों, चालकों और संदेशवाहकों की नियुक्ति भारत के प्रधान कोंसलावास, जद्दा द्वारा की गयी है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सक, नर्स तथा अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ, समन्वयक, सहायक हज अधिकारी, हज सहायक और खादिम-उल-हुजाज भारत से अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति के आधार पर सऊदी अरब भेजे जाते हैं। हज यात्रियों के लिए मक्का में एक अस्पताल तथा मक्का और मदीना में इसके शाखा कार्यालय-सह-औषधालय स्थापित किए जाते हैं। इन औषधालयों और अस्पताल में उपलब्ध दवाइयां भारत से भेजी जाती हैं और साथ ही स्थानीय स्तर पर भी इन्हें प्राप्त किया जाता है। जद्दा स्थित हज मिशन के लिए आठ अतिरिक्त एंबुलेंस संस्वीकृत किए गए हैं, जिससे हज यात्रियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं में पर्याप्त सुधार होगा। सरकार हज यात्रियों के लिए पोलियो, मेनिनजाइटिस और इंफ्लूएंजा के टीके भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रही है। भारतीय हज समिति हज यात्रियों को उनके सीटों की पुष्टि, यात्रा दस्तावेजों, परिवहन, आवास, विदेशी मुद्रा जारी किए जाने, उड़ान केंद्रो और प्रस्थान तिथियों इत्यादि के संबंध में जानकारी मुहैया करा रही है। सरकार ने निजी टूर आपरेटरों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं ताकि वे 47000 हज यात्रियों के उपयुक्त सेवाओं और सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। इस वर्ष से वाराणसी को 16वां उड़ान केंद्र बनाया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारत के सभी 16 उड़ान केंद्रों से सउदी अरब में जद्दा और मदीना की यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को संतोषजनक सुविधाएं मिल सकें। इस प्रयास में एयर इंडिया और सउदी अरब एयरलाइंस दोनों ने ही हज यात्रियो को सुविधा मुहैया करायी हैं।

(ख) सरकार द्वारा हज 2006-II के लिए 23,35,42,728 रुपए का अनुमानित व्यय किए जाने का अनुमान है और प्रदान की गई राजसहायता (अनंतिम) 348.00 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

एम्स में चिकित्सकों द्वारा हड़ताल

714. श्री नवीन जिन्दल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ए.आई.आई.एम.एस. (एम्स) में डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा वर्ष-वार तथा श्रेणी-वार कितनी हड़तालें की गई;

(ख) इन हड़तालों के मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या इन हड़तालों को रोकने तथा रोगियों को परेशान होने से बचाने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी तंत्र विकसित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों जिनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों/डाक्टरों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 500 मीटर के आसपास हड़ताल पर जाने पर रोक लगाई गई थी, के बावजूद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टर वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान कई बार हड़ताल पर थे। विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(i) 14-5-06 से 31-5-2006 के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों ने केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सरकार की नीति का विरोध करते हुए हड़ताल की। उक्त अवधि के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के परिसर का इस्तेमाल इन गतिविधियों के केन्द्र के रूप में किया गया था।

(ii) 5-7-06 से 7-7-06 के दौरान एम्स के डाक्टरों ने एम्स के निदेशक के कार्यकाल को कम करने के संस्थान निकाय के निर्णय के विरुद्ध पुनः हड़ताल की। दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 7-7-2006 के आदेशों पर ही सेवाएं बहाल की गई।

(iii) 28-8-07 से 30-8-07 के दौरान एम्स के डाक्टर हड़ताल पर थे जो मुख्यतः डिग्रियों को देने के लिए दीक्षांत समारोह को आयोजित करने में हुए विलम्ब के कारण थी।

(iv) 8-11-2007 को किसी मरीज के रिश्तेदारों द्वारा डाक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के कारण आपाती सेवाएं रोक दी गई थी।

सरकार ने निदेशक, एम्स को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि एम्स के डाक्टर/अन्य कर्मचारी उच्च न्यायालय/भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के उल्लंघन में हड़ताल पर न जाएं, यदि आवश्यक हो तो पुलिस की सहायता ली जाएं।

संस्थान निकाय ने 18-10-2006 को हुई अपनी बैठक में निदेशक, एम्स से 2006 की हड़ताल अवधि के दौरान रोगी परिचर्या सेवाएं प्रभावित नहीं हुई थी, यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में उत्तर मांगा था। संस्थान निकाय द्वारा उनके उत्तर पर अभी विचार किया जाना है।

मधुमेह की रोकथाम

715. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मधुमेह के नियंत्रण के लिए वर्ष-वार कितनी राशि आबंटित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मधुमेह, कार्डियोवास्कुलर रोगों और आघात के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ करना अनुमोदित किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण छह राज्यों में लागू किया जाएगा। चूंकि इस कार्यक्रम को अभी शुरू किया जाना है इसलिए राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

कोयला स्टॉक की कमी

716. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) ने वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान अपनी अनुषंगी कंपनियों द्वारा रखे जाने वाले कोयला स्टॉक का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुषंगी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन कोलियरियों में कोयला स्टॉक की कमी अनुमति प्राप्त सीमा से अधिक थी; और

(घ) इन कोलियरियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक माप और जांच माप का कार्य पूर्ण हो गया है। 2007-08 के लिए सर्वेक्षण वित्त वर्ष समाप्त हो जाने के बाद किया जाएगा।

(ख) से (घ) वित्त वर्ष 2006-07 के लिए कोल इंडिया लि. की सभी कोलियरियों में कोयला स्टाक के माप के पश्चात कोलियरियों/वाशरियों में अनुमति प्राप्त सीमा से अधिक पाई गई कमी के ब्यौरे तथा इस प्रकार की कोलियरियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई निम्न तालिका में दी गई है:

कंपनी	कोलियरी	कमी	की गई कार्रवाई
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.)	घुसिक (आर)	कच्चा कोयला	तीन कर्मचारियों के विरुद्ध जांच चल रही है।
भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.)	लोहापट्टी	कच्चा कोयला	6 कर्मचारियों को ज्ञापन जारी किए गए हैं।
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.)	कारो-1	कच्चा कोयला	2 कर्मचारियों के विरुद्ध जांच चल रही है।
	रजरप्पा वाशरी	कच्चा कोयला और मिडलिंग	4 कर्मचारियों के विरुद्ध जांच चल रही है।
	कथारा वाशरी	स्वच्छ कोयला और कुल कोयला विद्युत	4 कर्मचारियों को ज्ञापन जारी किए गए हैं।

मोबाइल फोनों के दुष्प्रभाव

717. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सेलुलर फोनों तथा मोबाइल टावरों के दुष्प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 10 अक्तूबर, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन संस्थानों की पहचान की है जिन्हें ऐसे अध्ययन के लिए नामांकित किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए ऐसे संस्थानों के नाम क्या है; और

(ङ) उक्त अध्ययन कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.) के अनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन (पी.एफ.आर.) से सुरक्षा या इसके जोखिम से संबंधित निश्चित साक्ष्य उपलब्ध साहित्य में नहीं मिलता, परन्तु विकसित वैज्ञानिक साक्ष्यों से रेडियो फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन के जैव प्रभावों और दुष्प्रभावों का जो प्रसंभाव्य नहीं तो संभव हो सकते हैं, संकेत मिलता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने "पर्यावरण प्रदूषण और बदलती जीवन चर्या से मानव प्रजनन पर खतरे" पर एक राष्ट्रीय परिसंवाद का हाल में आयोजन किया। इस परिसंवाद में सैल फोन के कुप्रभाव को भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया। इस राष्ट्रीय परिसंवाद की सिफारिशों के आधार पर भारतीय

आयुर्विज्ञान अुसंधान परिषद् ने "पर्यावरण प्रदूषण और बदलती जीवनचर्या से मानव प्रजनन पर खतरे" विषय पर कार्यरत जाने माने विज्ञानियों को सम्मिलित करते हुए एक कार्य दल गठित किया। परन्तु निर्णायक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक डाटा के अभाव को देखते हुए परिषद् पुरुष प्रजनन पर रेडियो फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन के असर का पता लगाने के लिए जानवरों पर अध्ययन कर रही है। प्रारंभिक नतीजों से वृषण के आकार, वजन में तथा शुक्राणुओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी का पता चला है। परिषद् ने "सैल फोन और सैल मास्टों से निकले रेडियो फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन के पुरुष प्रजनन पर प्रभाव" विषय पर अध्ययन करने के लिए एक प्रारूप तैयार किया। यह अध्ययन दिल्ली में चार स्थानों पर दो वर्षों की अवधि तक प्रायोगिक अध्ययन के रूप में किए जाने हेतु प्रस्तावित है। इस अध्ययन के नतीजों के आधार पर इसे भविष्य में अन्य महानगरों में भी किया जा सकता है। परिषद "डवलपमेन्ट ऑफ ए मॉडल सिस्टम फार क्वान्टिटेटिव माइक्रोवेव एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेन्टल एनिमल्स फार स्टडिइंग बिहैविरल, बायोकेमिकल, इम्युनोलाजिकल एंड जीनोटाक्सिक इफेक्ट्स" नामक तदर्थ परियोजना भी शुरू करने की प्रक्रिया में है।

देश में घटता वन क्षेत्र

718. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अनन्त नायक:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री मो. ताहिर:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.एन. पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व पर्यावरण परिदृश्य-4 में यह रिपोर्ट किया गया है कि उपभोग स्तर के कारण विश्व संसाधनों का तेजी से क्षरण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन और भारत इस संकट को बढ़ा रहे हैं क्योंकि वे तेजी से वृद्धि कर रहे हैं;

(घ) घटते हुए वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) अवसंरचना विकास तथा मानव उपयोग के कारण प्रत्येक वर्ष भारत में कुल कितना वन क्षेत्र कम हो रहा है;

(च) क्या सरकार ने देश में वन क्षेत्र के क्षरण पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव विशेषकर संयुक्त वन प्रबंध तंत्र के माध्यम से जन भागीदारी के पश्चात् प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ज) क्या सरकार का विचार देश में घटते वन क्षेत्र को रोकने के लिए कोई नीति तैयार करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) युनाईटेड नेशन्स पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) के तत्वाधान में ग्लोबल पर्यावरण परिदृश्य रिपोर्ट (04) में उपभोग स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व के संसाधनों की स्थिति के बारे में उल्लेख है। जनसांख्यिकीय घटक, विशेषकर, आबादी का आकार को वन आवरण में बदलाव के लिए एक घटक के रूप में उल्लेख किया गया है तथापि, इस संकट को बढ़ाने में चीन और भारत का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

(घ) भारत सरकार की इस मुद्दे को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय रणनीति है, पहला, अवसंरचना विकास और उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करा के मौजूदा वनावरण के संरक्षण को सुदृढ़ बनाना। दूसरा, समर्थ पर्यावरण उत्पन्न करना और अभिलिखित वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर, दोनों में रोपण को समर्थन देना ताकि राष्ट्रीय वन नीति में परिकल्पित देश में वन और वृक्षावरण में वृद्धि की जा सके।

(ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण के माध्यम से द्विवार्षिक आधार पर वन आवरण के विस्तार की निगरानी करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की गई वन स्थिति रिपोर्ट 2001 और 2003 में चार वर्षों की अवधि के दौरान वनावरण में कोई कमी नहीं देखी गई है। इसके स्थान पर वनावरण में 2795 वर्ग कि.मी. वृद्धि थी। तथापि, अवसंचरना विकास और मानवीय उपयोग के कारण वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनार्थ अपवर्तित किया गया वन भूमि क्षेत्र, 2004 के दौरान 24,285 हेक्टेयर, 2005 के दौरान 12,365 हेक्टेयर और 2006 के दौरान 15,170 हेक्टेयर है। वन (संरक्षण)

अधिनयम के संदर्भ में, अपवर्तित किए गए वन क्षेत्र के लिए, प्रतिपूर्ति वनीकरण के माध्यम से गैर-वन क्षेत्र के बराबर अथवा अवक्रमित वन क्षेत्र का दुगुना क्षेत्र रोपण किया जा रहा है।

(घ) और (छ) भारत सरकार ने देश में घटते वन क्षेत्र पर औद्योगीकरण के प्रभाव का विशेष रूप से मूल्यांकन नहीं किया है। राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड ने भारतीय जैव-सामाजिक अनुसंधान और विकास संस्थान, कोलकाता द्वारा संचालित "संयुक्त वन प्रबंध समितियों की प्रभावोत्पादकता और कार्य पद्धति (जे.एफ.एम.सी.)" पर अध्ययन प्रारम्भ कराया था। अध्ययन में नोट किया गया कि अधिकांश सर्वेक्षित जे.एफ.एम.सी. अवैध रूप से कटाई और चराई से सुरक्षा करने के कार्य में कार्यरत है। अध्ययन में यह भी देखा गया कि सामान्यतया, संयुक्त वन प्रबंध देश भर में विकसित हो रहा है, तथापि, देश भर में जे.एफ.एम.सी. को संस्थागत बनाने का स्तर परिवर्तनशील है।

(ज) और (झ) 1988 की वन नीति में वन अथवा वृक्षावरण को देश के भौगोलिक क्षेत्र के 33% तक बढ़ाना परिकल्पित है। दसवीं योजनावधि के दौरान, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र, देश में वन और वृक्ष आवरण को 2007 में 25% तक और 2012 में 33% तक बढ़ाने का था।

राष्ट्रीय पार्कों/अभयारण्यों संबंधी वन अधिकार अधिनियम का प्रभाव

719. श्री सुग्रीव सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न संरक्षण दलों ने देश में राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों पर वन अधिकार (एफ.आर.) अधिनियम के प्रभाव की जांच के लिए एक पैनल का गठन किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में वन अधिकार अधिनियम के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी, हां। मुख्यत: पर्यावासों के नुकसान और विखंडन तथा वन्यजीव संरक्षण पर उनके प्रभावों के बारे में चिन्ताएं व्यक्त की गई हैं।

(ग) और (घ) मौजूदा अधिनियम में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बारे में पहले ही विस्तार से वर्णन किया गया है।

ब्रह्मपुत्र पर पुल का निर्माण

720. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने माननीय उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2007 को हुई समीक्षा बैठक के अनुसरण में धोला और सादिया के बीच ब्रह्मपुत्र पर पुल के निर्माण क्रियान्वयन को आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और संबंधित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से क्या उत्तर प्राप्त हुआ; और

(ग) अभी तक प्राप्त हुई प्रतिक्रिया के आधार पर ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) विद्युत मंत्रालय ने 14 सितंबर, 2007 को हुई समीक्षा बैठक में सूचित किया था कि ढोला और सदिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिबांग बहुद्देशीय-हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए डी.पी.आर. का एक भाग है। समीक्षा बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में विद्युत मंत्रालय से 31 अक्तूबर, 2007 को अनुरोध किया गया था कि परियोजना की स्वीकृति के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से अनुमोदन के लिए मामला उठाया जाए जिसमें ढोला और सदिया के बीच लोहित चैनल पर पुल के निर्माण का विकल्प हो। विद्युत मंत्रालय से पी.पी.पी. मॉडल में परियोजना को कार्यान्वित करने और विशेष प्रयोजन से वित्तपोषण के लिए अनुरोध किया गया था। व्यवहार्यता रिपोर्ट अरुणाचल प्रदेश सरकार को भेजी गई थी जिसे 31 अक्तूबर, 2007 को इस अनुरोध के साथ भी भेजा गया था कि इस परियोजना की निधियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करे।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्रालय ने डोनर मंत्रालय को सूचित किया है कि ढोला और सदिया के बीच लोहित चैनल पर पुल निर्माण सहित दिबांग बहुद्देशीय हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना हेतु डी.पी.आर.एन.एच.पी.सी. द्वारा सी.ई.ए. को

उसकी सहमति के लिए भेजी गई है। सी.ई.ए. की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस बीच पुल के निर्माण की लागत को शेयर करने के लिए विचार हेतु राज्य सरकार के तत्वावधान में स्टेकधारकों के साथ विचार-विमर्श जारी है जिससे न केवल बहुदेशीय प्रस्तावित परियोजना को लाभ मिलेगा बल्कि अनेक अन्य निजी, सरकारी और पी.पी.पी. सेक्टर परियोजनाएं जो दिबांग घाटी के आसपास विकसित हो रही हैं, को भी लाभ मिलेगा। योजना आयोग ने डोनर मंत्रालय को सूचित किया है कि परियोजना के वित्तपोषण के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

चार लेन वाली सड़कों का उपयोग करने वाले लोगों पर पथ कर लगाया जाना

721. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चार लेन वाली सड़कों की कुल लंबाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में चार लेन वाली सड़कों का उपयोग करने वाले लोगों पर पथ कर लगाए जाने का है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां चार लेन वाली सड़कों पर पहले से ही पथ कर लगाया जा चुका है;

(घ) क्या सरकार चार लेन वाली सड़कों का उपयोग करने वाले लोगों से पथ कर की वसूली करने के लिए निजी कंपनियों के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) देश में चार लेन के सड़कों की कुल लंबाई के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 केन्द्र सरकार को चार लेन के खंडों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों पर प्रयोक्ता शुल्क लगाने का अधिकार देता है। इस समय आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में चार लेन की सड़कों पर प्रयोक्ता शुल्क लगाया जाता है।

(घ) और (ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को चार लेन के खंडों को ओ.एम.टी. (प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तान्तरण) करारों के अंतर्गत लाने का निर्देश दिया गया है जिसके अंतर्गत रियायत ग्राहियों को प्रयोक्ता शुल्क वसूल करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	किमी. में चार लेन की कुल लंबाई (मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1247
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	19
4.	बिहार	219
5.	चण्डीगढ़	1
6.	छत्तीसगढ़	54
7.	दिल्ली	44
8.	गोवा	26
9.	गुजरात	1084
10.	हरियाणा	392
11.	हिमाचल प्रदेश	0
12.	जम्मू-कश्मीर	15
13.	झारखण्ड	184
14.	कर्नाटक	598

1	2	3
15.	केरल	54
16.	मध्य प्रदेश	151
17.	महाराष्ट्र	693
18.	मणिपुर	14
19.	मेघालय	0
20.	मिजोरम	0
21.	नागालैण्ड	0
22.	उड़ीसा	362
23.	पाण्डिचेरी	2
24.	पंजाब	268
25.	राजस्थान	779
26.	सिक्किम	0
27.	तमिलनाडु	540
28.	त्रिपुरा	0
29.	उत्तर प्रदेश	904
30.	उत्तरांचल	7
31.	पश्चिम बंगाल	438
32.	अंडमान और निकोबार	0
	जोड़	8095

एम.पी. लैड योजना का क्रियान्वयन

722. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.लैड) योजना के लागू किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं तथा यह योजना कब से लागू है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना की सफलता का आंकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) एम.पी.लैड योजना में स्थानीय तौर पर अनुभव की गई विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण की संकल्पना की गई है। यह योजना दिसम्बर, 1993 में शुरू की गई थी।

(ख) से (घ) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) ने एम.पी.लैड योजना का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया है। नवम्बर, 2001 की मूल्यांकन रिपोर्ट योजना आयोग की वेबसाइट www.planning-commission.nic.in./reports/peoreport/peoevalu/peo_mplad.pdf. पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. की अनियमितताएं

723. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सी.जी.एच.एस. के उन मामलों का ब्यौरा क्या है जो उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गए हैं या उसने अपने हाथ में लिए हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) जब कभी मंत्रालय के ध्यान में मामले आते हैं, ऐसी प्रत्येक शिकायत/आरोप/रिपोर्ट पर सी.जी.एच.एस. सतर्कता सेल में आवश्यक कार्रवाई की जाती है। चूक कर्ताओं, यदि पाएं जाते हैं, को जहां कहीं लागू हो आवश्यक शास्ति

देकर संबद्ध नियमों एवं सी.जी.एच.एस. क्रियाविधि के अनुसार उनसे निपटा जाता है और उन्हें दंडित किया जाता है।

संबद्ध प्राधिकारियों को उनका सख्तीपूर्वक पालन करने के लिए समय-समय पर आवश्यक अनुदेश दिए जा रहे हैं जिससे कि सी.जी.एच.एस. के अधीन कार्यरत सभी संस्थाओं, अस्पतालों, औषधालयों, भंडारों तथा अन्य एककों एवं कार्यालयों की संतोषजनक सेवाओं एवं कारगर कार्यकरण की व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके।

जिन मामलों को रेफर किया जा चुका है और जिनकी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) एक मामला दो सरकारी नौकरियों तथा नकली/झूठे एस.सी. प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजन के संबंध में एक कर्मचारी से संबंधित है।

(2) दो मामले औषधों की स्थानीय खरीद में अनियमितताओं से संबंधित हैं।

(3) इलाहाबाद में स्थानीय केमिस्टों के बढे हुए बिलों को पास करने के लिए 3 अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता।

(4) दो मामले प्राइवेट अस्पतालों को सूची में शामिल करने से संबंधित हैं।

(5) हैदराबाद में बढे हुए बिल पास करने में अनियमितता।

(6) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने षड्यंत्र में शामिल होने तथा कपटपूर्ण तरीके से औषधें प्राप्त करने के लिए सी.जी.एच.एस., इलाहाबाद के अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन शुरू किया है।

(7) स्थाीय केमिस्ट के साथ षडयंत्र में शामिल होने तथा सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए सी.जी.एच.एस., शिलांग में संयुक्त निदेशक तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई।

(8) तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सी.जी.एच.एस. औषधालय, पूसा रोड, नई दिल्ली के विरुद्ध एक मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को रेफर किया गया।

(9) औषधों जिनकी वैधता की अवधि समाप्त हो गई थीं, की आपूर्ति।

इसरो द्वारा छात्रों से अनिवार्य रूप से कार्य कराया जाना

724. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को देश में विज्ञान संकाय के बहुत कम छात्रों द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अध्ययन किए जाने के मद्देनजर गत कुछ वर्षों के दौरान आवश्यक संख्या में वैज्ञानिक/अभियंता नहीं मिल पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसरो ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेकनोलॉजी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपनी बी. टेक या एम.एससी. पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद पांच वर्ष के लिए इसरो में काम करें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वैज्ञानिकों/अभियंताओं की कमी की पूर्ति करने में इसरो का यह प्रस्ताव किस सीमा तक सहायक होगा;

(ङ) क्या सरकार के पास देश में, विशेषकर तमिलनाडु में, और अधिक अंतरिक्ष संस्थान गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) आर (ग) वैज्ञानिकों/अभियंताओं की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.) नामक एक विशिष्ट संस्थान की स्थापना की है। इस संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा को पूर्णत: आर्थिक सहायता प्राप्त है और इस संस्थान से 60% से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को न्यूनतम पांच वर्षों तक इसरो में काम करने की शर्त पर इसरो संस्था में अनिवार्य रूप से नौकरी प्रदान की जाएगी।

(घ) ऐसा अनुमान है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और

प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.) से प्रतिवर्ष लगभग 150 स्नातक इसरो/डी.ओ.एस. की सेवा में शामिल होंगे। इसके परिणामस्वरूप स्थिति में काफी सुधार होगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रक्त बैंक

725. श्री निखिल कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्तदान के दौरान प्राणघातक बीमारियों के वायरसों की पहचान के लिए उचित स्क्रीनिंग परीक्षण नहीं किए जाते हैं तथा इसके मद्देनजर रक्त बैंक प्राणघातक बीमारियां फैला रहे हैं, जैसाकि दिनांक 4 सितम्बर, 2007 के 'द स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्त बैंकों के स्तर पर लापरवाही के कारण प्राणघातक बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अनुसार रक्त की प्रत्येक यूनिट का पांच रक्ताधान संचरणीय संक्रमणों अर्थात् एच.आई.वी., हेपाटाइटिस बी (एच.बी.एस.ए.जी.), हेपाटाइटिस सी, सिफलिस और मलेरिया के लिए जांच करना अनिवार्य है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट एक अनिवार्य अपेक्षा नहीं है।

(ग) और (घ) निरापद रक्त प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार कार्मिकों के प्रशिक्षण; स्वैच्छिक रक्त दान के अनुपात को बढ़ाने के लिए; और रक्त बैंक कार्यों में गुणवता मानकों को बनाए रखने के लिए 1230 रक्त बैंकों को सहायता प्रदान कर रही है। 1 जनवरी 1998 से पेशेवर रक्तदान को प्रतिबंधित कर दिया गया है। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमावली में संशोधन के अनुसार निजी क्षेत्र में किसी भी 'स्टैंड-एलोन ब्लड बैंक' को कार्य करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। किसी भी शिकायत के प्राप्त होने पर राज्य रक्ताधान परिषदें राज्य औषध प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करती हैं।

विदेशों में कार्य करने वाले भारतीयों पर हमले

726. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिशनों/पोस्टों के कर्मचारियों सहित विदेशों में भारतीय नागरिकों तथा उनके परिवारों पर हमले किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन हमलों में कितने व्यक्ति हताहत हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री थायालार रवि): (क) और (ख) अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बहरीन, साइप्रस, जर्मनी, हंगरी, इरान, ईराक, लातविया, नामीबिया, नेपाल, फिलीपींस, पौलैण्ड, रसियन फेडरेशन, स्लोवाक गणराज्य और यूगाण्डा में भारतीय नागरिकों पर हमले की सूचनाएं मिली हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) हमारे मिशन भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा के बारे में स्थानीय सरकार और सुरक्षा प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं।

विवरण

1. **अफगानिस्तान:** नवम्बर, 2005 में एक बी.आर.ओ. कार्मिक, श्री एम.आर. कुट्टी का तालीबाई उग्रवादियों ने उपहरण कर लिया था और बाद में मार दिया था। इसके बाद भी बी.आर.ओ. कार्मिकों पर तीन बार हमले हुए लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ।

फरवरी, 2006 में अफगानिस्तान में अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर वित्त पोषित सड़क परियोजना के लिए वाशिंगटन के मैसर्स लुईस बर्गर ग्रुप के साथ कार्य कर रहे एक भारतीय इंजीनियर श्री केदूर भरत कुमार तीन अन्य विदेशी नागरिकों के साथ एक रिमोट कन्ट्रोल माइन ब्लास्ट में मारा गया था।

अप्रैल, 2006 में बहरीन की एक फर्म अल-मोयाइद के साथ कार्य कर रहा एक भारतीय इंजीनियर श्री के. सूर्यनारायण का उग्रवादियों ने अपहरण करके मार दिया था।

गत् तीन वर्षों के दौरान कंदाहार, जलालाबाद और हिरात में भारतीय वाणिज्यिक दूतों पर कई बार ग्रेनेडों से हमले किये गये हैं। अफगानिस्तान में भारतीय कंपनियों द्वारा ली गई विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत कार्मिकों पर भी हमले किये गये हैं। हालांकि उनमें कोई हताहत नहीं हुआ।

2. **आस्ट्रेलिया:** सिडनी और एडिलेड में भारतीय विद्यार्थियों जिनमें से कुछ काम भी कर रहे हैं, पर हमले की घटनाएं हुई हैं। मई और अक्तूबर, 2006 के बीच सिडनी (न्यू साउथ वेल्स) और एडिलेड (दक्षिण आस्ट्रेलिया) से भारतीय विद्यार्थियों पर हमले और लूटपाट की कई घटनाओं की सूचना मिली थी। इन घटनाओं में भारतीय विद्यार्थियों का सामान छीन लिया गया था और उन्हें पीटा गया था, और एक विद्यार्थी को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। सिडनी से बारह मामलों और एडिलेड से चौदह मामलों के घटित होने की सूचना मिली थी। इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ है।

3. **बहरीन:** समग्र कानून और व्यवस्था की स्थिति के एक भाग के रूप मे भारतीय नागरिकों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाहियों की कुछ घटनाएं हुई हैं।

4. **साइप्रस:** लिमासोल में गत् तीन वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकों पर हमलों की पांच घटनाओं की सूचना मिली थी।

5. **जर्मनी:** अप्रैल, 2007 और जुलाई, 2007 में ड्रिस्डेन में भारतीय नागरिकों पर निओ-नजीज द्वारा हमले की दो घटनाएं हुई थीं। 18 अगस्त, 2007 को मुइजिइन, सेक्सोनी में जर्मन के एक गिरोह द्वारा मेला देखने जाने वाले भारतीय समूह को पीटा गया था। इनमें कोई हताहत नहीं हुआ है।

6. **हंगरी:** एक स्थानीय हंगेरियन समूह, जो नशे की स्थिति में था, ने एक भारतीय पर्यटक को पीटा था।

7. **ईरान:** जून 2005 में सिराज में दो भारतीय नागरिकों, श्री अशोक कुमार और श्री रतन लाल पर हमला किया गया था। अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी और रतन लाल गंभीर रूप से घायल हुआ था।

8. **इराक:** बागी समूहों द्वारा अप्रत्यक्ष गोलीबारी में चैदह भारतीय मारे गये थे।

9. **लातविया:** 4 मार्च, 2005 को एक व्यक्ति जो रिगा में एक भारतीय रेस्टोरां में काम करता था, को कुछ लातवियाई युवाओं, द्वारा बाजार में शारीरिक रूप से घायल कर दिया।

10. **नामिबिया:** 26 जनवरी, 2005 को भारत के उच्चायुक्त की पूर्व अटैची, श्रीमती प्रिया गुप्ता, पत्नी श्री पीयूष गुप्ता को लूटपाट करने वालों ने चाकू की नोंक पर लूट लिया था जब वह पास की एक क्लिनिक से पैदल घर वापस आ रही थी। उन्हें मामूली चोट आई थी।

11. **नेपाल:** मार्च, 2006 में गंगा उद्योग के माह प्रबन्धक पर पहचाने न सके अपराधियों द्वारा हमला किया गया था। सितम्बर, 2006 में कुछ माओवादी व्यक्ति त्रिवेणी स्पिनिंग मिल, मिल, बारा में घुस आये थे और उन्होंने भारतीय श्रमिकों पर हमला किया था। अक्तूबर, 2006 में योनिलीवर नेपाल के वाणिज्यिक प्रबन्धक का संभावित माओवादियों द्वारा हेतादा से अपहरण कर लिया गया था और उसके साथ मारपीट की गई थी। जनवरी, 2007 में यूनिवर्सल कालेज आफ मेडिकल साईन्सिस, बहराहवा के सहायक प्रशासनिक अधिकारी पर कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों ने हमला किया और उनके साथ मारपीट की गई थी। जनवरी, 2007 में हाल के तैराई विरोध के दौरान जोगबनी ने नेपाली सुरक्षा बल द्वारा एक भारतीय नागरिक को गोली मार कर घायल कर दिया था। जनवरी, 2007 में स्थानीय अपराधियों द्वारा काठमांडू में एक भारतीय नागरिक को हताहत कर दिया था। मार्च, 2007 में नेपालगंज मेडिकल कॉलेज के 5 विद्यार्थियों पर नेपाली नागरिकों द्वारा हमला किया गया था जिसमें एक विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हुआ था। अप्रैल, 2007 में मेडिकल कॉलेज भरतपुर में कुछ स्थानीय लोग घुस आए थे और उन्होंने दो डाक्टरों पर हमला किया गया था। जून, 2007 में काठमांडू में एक पहचाने न गए गनमैन ने

गोली चलाकर एक भारतीय नागरिक को घायल कर दिया था। अक्तूबर, 2007 में काठमांडू में पहचाने न गए एक समूह द्वारा एक भारतीय युवक का अपहरण करके उसे मार दिया था।

12. **फिलिपीन्स:** फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के शिकार भारतीय नागरिकों की समय समय पर घटनाएं होती रहती हैं जिनमे 2004 में 8, 2005 में 11 और 2006 में 18 लोग मारे गए हैं।

13. **पौलैंड:** अप्रैल, 2004 में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा श्री हरीश हितांगे का अपहरण कर लिया गया था। उसका आज तक कोई पता नहीं चला है।

14. **रसियन फेडरेशन:** 23 दिसम्बर, 2006 को 5 अपरिचित व्यक्तियों, जो शराब के नशे में थे, ने मास्को में भारतीय दूतावास के अटैची श्री बी. मांगेराम को हमला कर घायल कर दिया था।

सितम्बर, 2007 में तवर, रशिया में तवर मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तीन भारतीय विद्यार्थियों पर शराब पीकर हुल्लड़ करने वाले एक रूसी समूह द्वारा हमला किया गया था। जबकि दो विद्यार्थी बच गए, एक विद्यार्थी दिवाकर वर्मा को गंभीर चोटें आई थी और वह एक महीने तक बेहोशी की स्थिति में रहा था उसके बाद उसमें मामूली सा सुधार हुआ तब उसे स्थिर स्थिति में भारत लाया गया था।

2006 में मैकनिकोवा मेडिकल अकादमी के एक विद्यार्थी श्री अनजागनी किशोर कुमार पर किसी अनजाने व्यक्ति ने चाकू से हमला किया था। मिस्टर कुमार उपचार के बाद ठीक हो गए थे।

मैकनिकोवा मेडिकल अकादमी के एक विद्यार्थी श्री नितीश कुमार सिंह पर किसी अनजाने व्यक्ति ने चाकू से हमला किया और उसे मार दिया था। मैकनिकोवा मेडिकल अकादमी के एक विद्यार्थी श्री मोहम्मद फकीर नथीर हुसैन पर किसी अनजाने व्यक्ति ने हमला किया था और उसके शरीर में चोटें आई थीं।

15. **स्लोवाक गणराज्य:** जुलाई, 2006 में युवाओं के एक समूह, जिन्होंने संभवत: जातीय आधार पर एक भारतीय विद्यार्थी को तथाकथित रूप से पीटा था।

16. **युगांडा:** 12 अप्रैल, 2007 को कम्पाला में दंगों के दौरान भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों तथा उनकी संपत्तियों पर हमलों की घटनाएं हुई थीं। एक भारतीय नागरिक श्री देवंग कुमार शैलेष कुमार रावल घटना में मारा गया था। 15 मई, 2007 को अरवा शहर में श्री महेश रेड्डी नामक एक भारतीय नागरिक पर एक भूमि विवाद के संबंध में हमला किया गया था।

अंग प्रत्यारोपण सुविधाएं

727. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री हंसराज गं. अहीर:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री सुरेश अंगड़ि:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में अंग प्रत्यारोपण सुविधायुक्त सरकारी/निजी अस्पतालों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ऐसे अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा करने वाले रोगियों के कष्टों को कम करने के लिए देश में और अधिक सरकारी अस्पतालों में ऐसी अंग प्रत्यारोपण सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अंगों की प्राप्ति के लिए कोई राष्ट्रीय नीति लागू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) संघ राज्य क्षेत्रों में जिगर और गुर्दा प्रतिरोपण शल्यक्रिया के लिए पंजीकृत अस्पतालों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। ये अस्पताल संबंधित राज्यों में समुचित प्राधिकरणों द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के तहत पंजीकृत किए जाते हैं। परन्तु भारत सरकार केन्द्रीय स्तर पर सूचना का रखरखाव नहीं करती।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य के राज्य का विषय होने के कारण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और पी.जी.आई., चंडीगढ़ पहले से अंग प्रतिरोपण कर रहे हैं।

(घ) से (च) यह भी महसूस किया गया है कि अंग दान को राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम के जरिए लोकप्रिय बनाने तथा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। प्रक्रियागत औपचारिकताओं अर्थात् योजना आयोग एवं वित्त मंत्रालय आदि जैसे संबंधित मंत्रालयों के अनुमोदन के बाद इस वित्त वर्ष में इसके प्रारंभ किए जाने की उम्मीद है। योजना आयोग ने राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम संबंधी स्कीम के अंतर्गत एक करोड़ रुपए का परिव्यय वार्षिक योजना 2007-08 में अनुमोदित किया है।

विवरण

गुरदा और जिगर प्रतिरोपण के लिए मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के तहत पंजीकृत अस्पतालों की सूची

1.	निदेशक पी.जी.आई. चण्डीगढ़	गुरदा
2.	समादेष्ठा, सेना (आर. एंड आर.) अस्पताल दिल्ली छावनी दिल्ली 110010	जिगर/गुरदा
3.	चिकित्सा अधीक्षक, बत्रा अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, तुगलकाबाद नई दिल्ली-110062	गुरदा
4.	चिकित्सा निदेशक, सर गंगाराम अस्पताल, सर गंगा राम मार्ग, नई दिल्ली-110060	जिगर/गुरदा
5.	निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली-110029	जिगर/गुरदा
6.	चिकित्सा अधीक्षक पुष्पवती सिंघानिया अनुसंधान संस्थान, प्रेस इम्क्लेव मार्ग, शेख सराय फेस-II नई दिल्ली-110017	गुरदा
7.	निदेशक, सेंट स्टेफन अस्पताल, तीस हजारी, दिल्ली-110054	जिगर/गुरदा
8.	उप प्रबंधक, जे.पी. अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, दिल्ली मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044	जिगर/गुरदा
9.	चिकित्सा अधीक्षक जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल 2 इंस्टीट्यूशनल एरिया, क्षेत्र-III रोहिणी, नई दिल्ली-110085	गुरदा
10.	चिकित्सा अधीक्षक गवर्नमेन्ट जनरल हॉस्पिटल से.-1, विक्टर साइमन स्ट्रीट, पांडिचेरी-605006	गुरदा
11.	निदेशक, गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली-110002	जिगर
12.	चिकित्सा निदेशक, फोर्टीज फ्लैट लेट राजन ढाल हॉस्पिटल, एन सेक्टर बी, पॉकेट-1, अरूणा आसफअली मार्ग, वसंतकुंज, नई दिल्ली-110070	गुरदा

[हिन्दी]

वाहनों की ओवरलोडिंग

728. श्री सुभाष महरिया: क्या पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में रामदेवरा मेला त्रासदी के मद्देनजर वाहनों की ओवरलोडिंग रोकने के लिए हाल ही में कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) त्रासदी से प्रभावित परिवारों को कितना मुआवजा प्रदान किया गया; और

(घ) ऐसी ओवरलोडिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सड़क परिवहन दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों को मुआवजे का भुगतान करना सामान्यतः संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। रामदेवरा मेला त्रासदी से प्रभावित परिवारों के लिए इस मंत्रालय द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(घ) वाहनों में निर्दिष्ट भार सीमा से अधिक भार ढोने के दोषी व्यक्ति को दंडित करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 मे पर्याप्त प्रावधान हैं। इन प्रावधानों का प्रवर्तन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री परमजीत भसीन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (रिट याचिका सं. 136/2003) के मामले में दिनांक 9-11-2005 के अपने आदेश में यह आदेश दिया कि यदि किसी वाहन में अधिक भार पाया जाता है तो उस वाहन को आगे जाने की अनुमति देने से पहले जुर्माने/कम्पाउंडिंग फी की वसूली के अलावा निर्धारित सीमा से अधिक लदान को अनिवार्य रूप से उतारा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन के लिए सभी राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन आयुक्त/सचिवों की दिनांक 8-9-2007 को हुई बैठक मे राज्यों से मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह किया गया ताकि अधिक भार लदान को रोका जा सके और माननीय सर्वोच्चर न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

स्वास्थ्य मेले

729. श्री रामपाल सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'स्वास्थ्य मेले' आयोजित किये जाने हेतु सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन जिलों/क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां पर गत दो वर्षों के दौरान स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए;

(घ) उन जिलों/क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां पर अब तक स्वास्थ्य मेलों का आयोजन नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य मेले आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। प्रति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय ने पिछले दो वर्षों अर्थात् 2005-06 और 2006-07 के दौरान क्रमशः 274 और 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को निधियां जारी की हैं (विवरण-II)। राज्यों ने उन निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सूचित नहीं की है जिनमें स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया था। तथापि, मंत्रालय द्वारा चूककर्त्ता राज्यों को अनुवर्ती कार्यवाही करने और उपयोग प्रमाण-पत्र भेजने के लिए अनेक अनुस्मारक भेजे गए हैं।

विवरण-I

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
परिवार कल्याण विभाग
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेला

दिशा-निर्देश

जब फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 स्वीकार की गई थी तो अनुसमर्थन और देश भर मे विशेष रूप से जनांकिकीय रूप से कमजोर क्षेत्रों में सेमिनार और मेले आयोजित करने पर एक स्कीम शुरू की गई थी।

"परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मेलों" के रूप मे जाने जाने वाले लोकप्रिय इन मेलों का उद्देश्य जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए सेवाओं की प्रदानगी की समामिरूपता और एकीकृत गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करना है। लोगों को विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों (एलोपैथी, होम्योपेथी, आयुर्वेद और यूनानी आदि) के संदर्भ में उनके समक्ष रखे गए अनेक विकल्पों की जानकारी हो जाती है। वे निवारक, उन्नयक रोग हर और पुनर्वास स्वास्थ्य परिचर्या के बीच तथा प्राथमिक,

द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य क्षेत्रों के बीच संबद्धताओं को समझना भी शुरू करते हैं। वे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, निर्वाचित स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों और व्यावसायिक संगठनों की भूमिका के प्रति सुग्राहिता प्राप्त करते हैं।

2000-01 में आयोजित स्वास्थ्य मेले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनसंख्या मुद्दों के संबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार करने में ही नहीं अपितु उन लोगों को जिनके पास अन्यथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सीमित पहुंच थी को वास्तविक सेवाएं प्रदान करने में भी सफल साबित हुए थे।

इन स्वास्थ्य मेलों ने निःशुल्क सूचना के साथ-साथ आवश्यक रोग विज्ञानी जांचों और औषधों वाली गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य परिचर्या का लाभ उठाने के इच्छुक लाखों लोगों को आकर्षित किया। स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, रोग प्रतिरक्षण और परिवार नियोजन से संबंधित सेवाओं के अलावा क्षय रोग, मलेरिया, दृष्टिहीनता, कुष्ठ, कैंसर और एच.आई.वी./एड्स के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों को शामिल किया गया।

अब तक आयोजित स्वास्थ्य मेलों की सफलता और लोकप्रियता के कारण काफी बड़ी संख्या में संसद सदस्यों, केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों से अधिक से अधिक मेलों का आयोजन करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों में इन मेलो को उनके अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित करने की आवश्यकता व्यक्त की गई है। काफी बड़ी संख्या में अनुरोधों को देखते हुए इस विभाग ने 15 जनवरी, 2004 से 15 फरवरी, 2004 तक 'स्वास्थ्य जागरूकता माह' मनाने और उस अवधि के दौरान सभी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक स्वास्थ्य मेला आयोजित करने का निर्णय किया।

स्वास्थ्य मेला आयोजित करने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना है:-

- इस अवधि के दौरान देश के सभी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने का प्रयास किया जाएगा।
- स्वास्थ्य मेला तीन दिन के लिए आयोजित किया जाएगा।
- स्वास्थ्य मेले के स्थान का चयन किया जाना चाहिए ताकि यह अल्ट्रासाउंड, रोग विज्ञान जांचों आदि की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी मेडिकल कॉलेज/सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप हो। जगह केन्द्र में स्थित होनी चाहिए और ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आम जनता आसानी से पहुंच सके।
- स्वास्थ्य मेला के स्थान और तारीखों का चयन संसद सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श करके किया जाएगा।
- स्थान स्टॉल में विभाजित होना चाहिए जिसमें मातृ परिचर्या, बाल परिचर्या, परिवार नियोजन, एन.एस.वी., आर.सी.एच., दृष्टिहीनता नियंत्रण आदि जैसी प्रत्येक सेवा की अवस्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो।
- एक मुद्रित नक्शा लगा होना चाहिए जिसमें मेले के स्थान पर स्टॉलों का ले आउट दर्शाया गया हो।
- स्वास्थ्य मेला निवारक, रोग हर और पुनर्वास स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए लोगों के घरों के नजदीक जागरूकता और सूचना देने के साथ-साथ स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करेंगे।
- कैंसर, एच.आई.वी./एड्स, क्षय रोग, दृष्टिहीनता, मलेरिया और कुष्ठ के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम; और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न मेलों में भाग लेगा।
- बालिका शिशु बचाओ और संबंधित राज्यों में लिंग अनुपात में हो रही कमी को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
- उपर्युक्त के अलावा स्वास्थ्य मेले के निम्नलिखित घटक भी हैं:
  - o उन लोगों की शरीरिक जांच विशेष रूप से नेत्र, कान नाक गला, दांत, आदि की जांच जो मेले/शिविर में आते हैं। स्वास्थ्य शिविर में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वास्थ्य कार्ड भी दिया जाना।
  - o यूरिन, शुगर, ब्लड शुगर, एच.बी., ई.सी.जी., स्पूटम जांच, पी.ए.पी. सिमेयर जैसी जांचें।

o और जांचों, विशेषज्ञ की राय, दाखिल होने तथा शल्य चिकित्सा के संदर्भ के जरूरतमंद लोगों को उच्चतर संस्थाओं में रेफर करने की जरूरत होती है।

o सभी रेफर किए जाने वाले मामलों को एक रजिस्टर में दर्ज किए जाना चाहिए जिसमें रोगी और हॉस्पिटल के नाम का उल्लेख हो जिसमें रोगी को रेफर किया गया है।

o यदि स्थानीय प्रशासन महसूस करता है कि कुछ कार्यक्रमों को तीन दिन के मेले के बाद भी चलाए जाने की आवश्यकता है तो उसके लिए स्थानीय रूप से समुचित व्यवस्था की जा सकती है।

o मेले में स्वास्थ्य प्रदर्शनी लगा कर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला और स्वास्थ्य शिक्षा अभियान आयोजित किया जाना।

o प्रत्येक मेले के लिए प्रर्याप्त संख्या में चिकित्सा विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ, स्त्री रोग विज्ञानी नाक कान गला शल्य चिकित्सा, नेत्र शल्य चिकित्सा, त्वचा विशेषज्ञ, दांत शल्य चिकित्सा, बाल विशेषज्ञ, स्थानीय सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राइवेट डाक्टरों और भारतीय चिकित्सा संघ से लिए जा सकते है।

– स्थानीय आई.एम.ए. शाखाओं को महासचिव, अखिल भारतीय आई.एम.ए.के. मार्गदर्शन के अधीन पूर्ण रूप से शामिल किया जाएगा।

* प्रत्येक मेले में प्रचार और परामर्श के लिए निम्नलिखित विषय को चुना जाना है:

* परिवार कल्याम (रोग प्रतिरक्षण और गर्भनिरोधक सेवाओं सहित)

* आर.टी.आई./एस.टी.आई. के परामर्श

* दृष्टिहीनता का निवारण

* अशक्त लोगों का पुनर्वास

* कुष्ठ रोग नियंत्रण

* पोषण

* धूम्रपान के दुष्प्रभाव

* कैंसर नियंत्रण

* निजी स्वच्छता, पर्यावरणिक स्वच्छता

* मधुमेह नियंत्रण

* अल्कोहल के बुरे प्रभाव

* भारतीय चिकित्सा पद्धति आदि

* आई.एम.ए. स्थानीय साखा, भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ और अन्य गैर सरकारी संगठन, सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण बैकअप के साथ परिवार कल्याम और आर.सी.एच. के लिए स्टॉल लगाते हैं।

* बिना चीर-फाड़ बंधीकरण स्टॉल लगाया जाए और स्थानीय अस्पतालों के साथ परामर्श करके एन.एस.वी. पूरी व्यवस्था की जाती है।

* सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मीडिया यूनिटों अर्थात् गीत एवं नाटक प्रभाव, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, डी.ए.वी.पी., दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार की व्यवस्था करेगा।

वित्त पोषण

केन्द्र सरकार द्वारा संभारतंत्रीय व्यवस्था, प्रचार-प्रसार और आवश्यक औषधों, दवाओं आदि की लागत को वहन करने के लिए 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। भागीदारी अपनाने की दृष्टि से स्थानीय संसद सदस्य और जिला प्रशासन से अनुरोध किया जाता है के वे केन्द्र सरकार वित्त पोषण को पूरा करने के लिए स्थानीय आधार पर और अधिक वित्तीय तथा अन्य सहायता जुटाएं। स्वास्थ्य मेले के आयोजन में कार्यकलापों के लिए एक निर्देशात्मक चैक लिस्ट तैयार की गई है जिसकी एक प्रति उपाबंध में है। स्थानीय पहल को और अधिक संगत कार्यकलापों के साथ पूरा किया जा सकता है।

राज्य सरकार स्कोवा सोसायटियों को केन्द्र सरकार की निधियां प्रदान की जाएगी जो आगे इन निधियों को मजिस्ट्रेट/मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा आई.एम.ए. की

स्थानीय शाखा जिसे भी स्थानीय संसद/जिला प्रसासन द्वारा स्वास्थ्य मेले का आयोजन करने के लिए चुना जाएगा, को जारी करेगी।

स्वास्थ्य मेले के लिए ध्यान दिए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य

1. मेला शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले पर्चों, होर्डिंग, पोस्टर, वाल पेंटिंग, बैनर, फिल्म स्लाइड, वीडियो वैन, समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के जरिए प्रचार।

2. हैल्थ कार्ड का स्थानीय रूप से मुद्रण किया जाना।

3. डाक्टरों तथा अन्य स्टाफ का ड्यूटी चार्ट।

4. डाक्टरों तथा अन्य स्टाफ के ड्यूटी चार्ट और विन्यास नक्शे के साथ पूछताछ कार्यालय को मेला शुरू होने से कम से कम 3 दिन पहले चालू किया जाना चाहिए।

5. पंजीकरण काउंटर कम से कम 25 जिससे कि भीड़ न हो।

6. नीचे सूचीबद्ध विभिन्न रोगों/विषयों/प्रदर्शनियों के लिए कम से कम 40 स्टॉल। यदि स्टाल खुली जगह पर हो तो प्रत्येक स्टाल का आकार 15'x15' होना चाहिए और इसे मेला शुरू होने से एक दिन पहले सभी फर्नीचर, उपस्करों, पोस्टरों, उपकरणों इत्यादि के साथ तैयार कर लिया जाना चाहिए।

   (i) सामान्य चिकित्सा (कम से कम 4 स्टाल)

   (ii) मातृ स्वास्थ्य

   (iii) बाल स्वास्थ्य

   (iv) रोग प्रतिरक्षण

   (v) परिवार नियोजन संबंधी परामर्श } बन्याकरण की व्यवस्था यदि ओ.टी. उपलब्ध हो

   (vi) नो-स्कालपल वैसेक्टामी } आपरेशन की व्यवस्था, यदि ओ.टी. उपलब्ध हो

   (vii) सूचना, शिक्षा और संप्रेषण - परिवार कल्याण

   (viii) नाक कान गला चेक-अप

   (ix) डेंटल चेक-अप

   (x) कार्डियक चेकअप

   (xi) त्वचा

   (xii) पोषण हेतु परामर्श

   (xiii) आर.टी.आई./एस.टी.आई./एड्स नियंत्रण के लिए परामर्श

   (xiv) कुष्ठ नियंत्रण

   (xv) क्षयरोग नियंत्रण

   (xvi) मलेरिया

   (xvii) दृष्टिहीनता निवारण (नेत्र जांच)

   (xviii) धूम्रपान के दुष्प्रभाव

   (xix) कैंसर नियंत्रण

   (xx) वैयक्तिक/पर्यावरणिक स्वास्थ्य विज्ञान

   (xxi) मधुमेह नियंत्रण

   (xxii) पुनर्वास

   (xxiii) भारतीय चिकित्सा पद्धति-आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी

   (xxiv) विकृति विज्ञानी जांच (मूत्र, शर्करा, रक्त शर्करा, एच.बी., बी.सी.जी., स्पूटम जांच) और नैदानिक जांचों (एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ई.सी.जी. इत्यादि) की व्यवस्था।

   (xxv) गीत एवं नाटक प्रभाग, क्षेत्र प्रचार निदेशालय का कार्यक्रम

   (xxvi) डी.ए.वी.पी. प्रदर्शनी

7. रोगियों का मार्गदर्शन करने के लिए स्वयंसेवकों एवं डाक्टरों में वितरण हेतु एक पृष्ठ वाला स्थल मानचित्र जिसमें विभिन्न विषयों के स्टालों की संख्या सहित अवस्थिति दर्शाई गई हो, का मुद्रण पर्याप्त संख्या में करवाया जाए।

8. संबंधित स्टाल में लोगों को ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवक।

9. इन स्टालों का संचालन करने के लिए रेजिडेंट डाक्टरों एवं मेडिकल छात्रों की पर्याप्त संख्या।

10. प्रत्येक स्टॉल में तैनात फार्मासिस्ट द्वारा 5 दिन या पूर्ण कोर्स की औषधें वितरित की जाएंगी। पर्याप्त स्टोर और वितरण सुविधा केन्द्र की व्यवस्था की जानी चाहिए।

11. स्वास्थ्य मेले में कार्यात्मक स्वास्थ्य संस्थाओं की निर्देशिका आसानी से उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे कि रोगियों को देखने वाले डाक्टर अनुवर्ती उपचार के लिए रोगियों को रेफर कर सके।

12. डाक्टरों/फार्मासिस्टों/सहायक नर्स धात्रियों तथा अन्य स्वास्थ्य स्टाफ को स्टाल तथा ड्यूटी का आबंटन पूर्णतया स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। उन्हें उनकी भूमिका/कर्त्तव्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है।

13. आयोजक मेले के स्थान पर स्वच्छता का पर्याप्त ध्यान रखेंगे। मेले के स्थान पर पेय जल, सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए।

14. गुणवत्ता वाले, स्वास्थ्यकर खाद्य-पदार्थ के स्टाल उचित कीमतों पर बिक्री हेतु लगाए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य निम्न जन स्वास्थ्य संकेतकों वाले 18 राज्यों पर विशेष बल देते हुए देश में संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है।

यह मिशन स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को अगले पांच वर्षों में जी.डी.पी. के 0.9% से बढ़ाकर जी.डी.पी. के 2-3% करने के संबंध में सरकार की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है।

इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक सुधार लाना है जिससे कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत दिए गए आश्वासन के अनुसार बढे हुए आबंटन का प्रभावी ढंग से संचालन हो सके।

इसे इसके मुख्य घटकों के रूप में प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की व्यवस्था, पंचायत प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक स्थानीय दल के जरिए तैयार एक ग्राम स्वास्थ्य योजना, प्रभावी रोगहर परिचर्या के लिए ग्रामीण अस्पताल का सुदृढ़ीकरण और भारतीय जन स्वास्थ्य मानदण्डों के जरिए परिमेय तथा समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना; और निधियां एवं अवसंरचना का अनुकूल उपयोग तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की प्रदानगी को सुदृढ़ करने के लिए शीर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का एकीकरण।

इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए जिला योजना के जरिए सफाई एवं स्वच्छता, पोषण एवं सुरक्षित पेय जल जैसे स्वास्थ्य के निर्धारकों के साथ स्वास्थ्य के विषयों का प्रभावी एकीकरण है।

इसका लक्ष्य जन स्वास्थ्य अवसंरचना की आपूरित आवश्यकताओं सहित विशेष तौर पर अधिक ध्यान दिए जाने वाले 18 राज्यों में अंतः राज्य तथा अंतर-जिला विषमताओं को दूर करना है।

इसका उद्देश्य देश में जन स्वास्थ्य प्रबंधन तथा सेवाओं को सुदृढ़ करने वाली नीतियों को बढ़ावा देना है।

यह समयबद्ध लक्ष्यों को परिभाषित करेगा तथा उनकी प्रगति के बारे में सार्वजनिक तौर पर सूचना देगा।

इन सबसे महत्वपूर्ण, इसका लक्ष्य ग्रामीण लोगों विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों की उचित, वहनीय, उत्तरदायी और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच को बढ़ाना है।

उद्देश्य

अगले 7 वर्षों में शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर के वर्तमान स्तरों में 50% तक की कमी लाना।

जन स्वास्थ्य सेवाओं : जैसे कि महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पेय जल, सफाई, रोग प्रतिरक्षण, पोषण तक सभी की पहुंच को बनाना...

स्थानीय तौर पर स्थानिकमारी रोगों सहित संचारी और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण।

समेकित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच।

जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिग एवं जनांकिकीय संतुलन को सुनिश्चित करना।

स्वस्थ जीवन शैलियों को बढ़ावा देना।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्यों का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जिनके लिए 8,00,00,000 की दर से निधियां जारी की गई थीं	
		2005-06	2006-07
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश		42
2.	बिहार	40	40
3.	छत्तीसगढ़	11	11
4.	गोवा		2
5.	गुजरात	2	26
6.	हरियाणा	2	10
7.	हिमाचल प्रदेश	4	4
8.	जम्मू-कश्मीर	6	6
9.	झारखण्ड	14	14
10.	कर्नाटक		28
11.	केरल		20
12.	मध्य प्रदेश	29	29
13.	महाराष्ट्र		48
14.	उड़ीसा	21	21
15.	पंजाब		13
16.	राजस्थान	25	25
17.	तमिलनाडु	8	39
18.	उत्तर प्रदेश	78	80
19.	उत्तरांचल	5	5
20.	पश्चिम बंगाल	2	42

1	2	3	4
21.	अण्डमान और निकोबार		1
22.	चण्डीगढ़		1
23.	दमन और दीव		1
24.	दादर और नगर हवेली		1
25.	दिल्ली		7
26.	लक्षद्वीप		1
27.	पाण्डिचेरी		1
28.	अरुणाचल प्रदेश	3	2
29.	मेघालय	2	2
30.	नागालैण्ड	1	1
31.	मिजोरम	2	1
32.	मणिपुर	2	2
33.	असम	14	14
34.	सिक्किम	1	1
35.	त्रिपुरा	2	2
	कुल	274	543

कुपोषण रोकने के लिए कार्यक्रम

730. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण तथा शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए डा. अभय बांग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभय बांग समिति ने कुपोषण तथा शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए एक रिपोर्ट सौंपी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर अध्ययन करवाकर कोई कार्य-योजना बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में इसे लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारत-चीन सीमा वार्ताएं

731. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2007 में भारत के विशेष प्रतिनिधि श्री एम.के. नारायणन के हाल ही के दौरे के दौरान सीमा वार्ता का ग्यारहवां दौर हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन विनिर्दिष्ट मुद्दों पर चर्चा की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के ग्यारहवें दौर का आयोजन 24-26 सितम्बर, 2007 के बीच बीजिंग में हुआ। दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों, श्री एम.के. नारायणन, राष्ट्रीय सुरक्षा कलाकार और श्री दाई बिंग्गुओ, उप विदेश मंत्री ने भारत-चीन सीमा प्रश्न के समाधान की रूपरेखा पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा की। दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत थे कि अगले दौर की वार्ता बीजिंग में आयोजित होगी। विशिष्ट तारीखों का निर्णय राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिया जाएगा।

फास्ट ट्रेक मेगा वन परियोजना

732. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में फास्ट ट्रेक मेगा वन परियोजना गठित करने की कोई योजना है जैसा कि 10 सितम्बर, 2007 को "द टाइम्स ऑफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृत तथा लागू कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) इस परियोजना के वित्तपोषण के प्रस्तावित स्रोत क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वनीकरण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड का इस परियोजना के साथ विलय करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) केन्द्र सरकार द्वारा "ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट" नामक वानिकी परियोजना की जांच की जा रही है। संबंधित मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से परियोजना की रुपात्मकता तैयार की जा रही है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड की स्थिति में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कोयला क्षेत्र को बुनियादी संरचना का दर्जा

733. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने कोयला क्षेत्र में सुधार शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कयोला क्षेत्र को बुनियादी संरचना का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या योजना आयोग ने कोयला खण्ड निजी पार्टियों को दिए जाने के लिए खान अधिनियम में संशोधन करने की भी सिफारिश की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (च) कोयला क्षेत्र में सुधार आरंभ करने, कोयला क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा देने अथवा निजी पार्टियों को कोयला ब्लाकों की अनुमति देने हेतु खान अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में योजना आयोग का अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, योजना आयोग द्वारा गठित "समेकित ऊर्जा नीति से संबंधित विशेषज्ञ समिति" ने देश में कोयला क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों की सिफारिश की है।

प्रधान मंत्री राहत कोष के लिए सी.आई.एल. कर्मचारियों से संगृहित धनराशि

734. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री अबु अयीश मंडल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री मनोरंजन भक्त:

श्री चन्द्र शेखर दुबे:

श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों में सुनामी तथा अन्य आपदाओं के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष हेतु कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) द्वारा संग्रहित की गई निधि में हाल ही में अनियमितता प्रकाश में आई है जैसा कि दिनांक 24 अक्तूबर, 2007 के "द हिंदू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वासरि नारायण राव): (क) से (घ) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) के अध्यक्ष ने गत कुछ वर्षों में सुनामी, उड़ीसा में चक्रवात, गुजरात में भूकम्प तथा कारगिल युद्ध के पीड़ितों के लिए प्रधान मंत्री राहत कोष हेतु कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा संग्रहित की गयी निधि में किसी अनियमितता से इंकार किया है जैसाकि 24 अक्तूबर, 2007 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है। समाचार में कामगारों से संग्रहीत निधि के परिवर्तन के आरोप के मुद्दे के संबंध में दो सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन - दि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। तथापि, अध्यक्ष, सी.आई.एल. ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में निधियों के एक भाग को जमा करने में हुए विलम्ब को स्वीकार किया है।

पिछले आठ वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) और इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारियों ने कारगिल युद्ध, सुनामी, गुजरात और जम्मू और कश्मीर में भूकम्प तथा उड़ीसा में बाढ़ के बाद अपने-अपने वेतन से 48.06 करोड रु. का योगदान राहत सहायता के लिए दिया है। सी.आई.एल. ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) तथा राष्ट्रीय रक्षा कोष (एन.डी.ए.) में 37.08 करोड़ रु. जमा किए हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और हिमाचल प्रदेश राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.35 करोड़ रु. की राशि जमा कराई गई और उड़ीसा के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री की खरीद पर 3.36 करोड़ रु. खर्च किए गए। तत्पश्चात, कोल इंडिया लि. द्वारा 7.34 करोड़ रु. की राशि प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पी.एम.एन.आर.एफ.) तथा राष्ट्रीय रक्षा कोष (एन.डी.एफ.) में जमा करायी गई है। तदनुसार, 1.07 करोड़ रु. का योगदान कोयला कंपनियों के आंतरिक संसाधनों से दिया गया, जिनको मिलाकर 49.13 करोड़ रु. की राशि बैठती है।

तथापि, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में कुछ निधियां जमा कराने और प्रत्यक्ष व्यय के अलावा संग्रह की गई कुछ निधियों को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कराने में विलंब हुआ है। इस संबंध में कोयला मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं।

हेपेटाइटिस-ई टीका

735. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.) ने हेपेटाइटिस-ई के लिए एक टीका विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.सी.एम.आर. द्वारा टीके का परीक्षण कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त टीके को सरकार द्वारा कब तक बाजार मे उतारे जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करने वाले राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान, पुणे ने रिकाम्बीनेंट डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए यकृत्शोध-ई का टीका तैयार किया है। प्रारंभिक परीक्षण चुहियों पर और बाद में लघु पुच्छ वाले बंदरों पर किए गए, क्योंकि इसके विषाणु से ये बंदर संक्रमित हो सकते

हैं। बंदरों में संपूर्ण सुरक्षा देखी गई। यह कार्य भारतीय सीरभ संस्थान, पूणे के सहयोग से किया जाता है। सभी प्रकार के आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त करने के बाद सीरम संस्थान मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षण करने का टीका तैयार कर सकता है। मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षण संपन्न करने के बाद ही यह टीका उपलब्ध कराया जा सकता है।

लिंगानुपात में गिरावट

736. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान लिंगानुपात में गिरावट आई है, जैसा कि दिनांक 12 अक्तूबर, 2007 के "द हिंदू" समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 6 साल से कम उम्र के समूहों का लिंगानुपात और ज्यादा गिर गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) लिंगानुपात को सुधारने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) 1991 में 927 से बढ़कर 2001 में 933 हो गया है। तथापि, इसी अवधि के दौरान बाल लिंग अनुपात 945 से घटकर 927 हो गया है। लिंग अनुपात तथा बाल लिंग अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सरकार ने गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. अधिनियम) को सुदृढ करने तथा विभिन्न सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण तंत्रों के जरिए इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने के संबंध में कार्रवाई की है। देश में लिंग अनुपात को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं - देश भर में समय-समय पर क्षेत्रीय दौरे करने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण एवं मानीटरिंग समिति का गठन, अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सहायता एवं मानीटरिंग सेल का गठन, न्यायपालिका का प्रशिक्षण, वार्षिक रिपोर्टों का प्रकाशन, बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न, मंत्रालय की वेबसाइट पर आनलाइन शिकायत सुविधा, सुग्राहिता कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन, 'कन्या शिशु बचाओ' अभियान शुरू करना, गैर-सरकारी संगठनों/धार्मिक नेताओं इत्यादि से सहयोग प्राप्त करना। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सहायक नर्स धात्री तथा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को इस विषय के संबंध में सुग्राही बनाया जा रहा है। साथ ही, अधिनियम और संबंधित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां दी गई हैं।

विवरण

तालिका 1 : (क) विगत वर्षों के दौरान बाल लिंग अनुपात

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1971	1981	1991	2001
1	2	3	4	5
भारत	964	962	945	927
जम्मू-कश्मीर	959	964	अनुपलब्ध	941
हिमाचल प्रदेश	981	971	951	896

1	2	3	4	5
पंजाब	899	908	875	798
चण्डीगढ़	892	907	899	845
उत्तरांचल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	949	908
हरियाणा	899	902	879	819
दिल्ली	909	926	915	868
राजस्थान	932	954	916	909
उत्तर प्रदेश	923	935	927	916
बिहार	964	981	953	942
सिक्किम	1087	978	965	963
अरुणाचल प्रदेश	968	997	982	964
नागालैण्ड	991	988	993	964
मणिपुर	986	986	974	957
मिजोरम	अनुपलब्ध	986	969	964
त्रिपुरा	977	972	967	966
मेघालय	992	991	986	973
असम	1002	अनुपलब्ध	975	965
पश्चिम बंगाल	1010	981	967	960
झारखण्ड	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	979	965
उड़ीसा	1020	995	967	953
छत्तीसगढ़	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	984	975
मध्य प्रदेश	976	977	941	932
गुजरात	946	950	928	883
दमण व दीव	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	958	926
दादरा व नगर हवेली	1021	995	1013	979
महाराष्ट्र	972	956	946	913

1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	990	992	975	961
कर्नाटक	976	974	960	946
गोवा	964	965	964	938
लक्षद्वीप	929	964	941	959
केरल	978	970	958	960
तमिलनाडु	974	967	948	942
पाण्डिचेरी	978	975	963	967
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	978	978	973	957

नोट: 1971 के लिए गोवा के आंकड़ों में दमन व दीव शामिल है।

1971 और 1981 के लिए बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल के आंकड़े शामिल हैं।

जम्मू और कश्मीर के लिए 1991 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत: 1991 एवं 2001 की जनगणना, महापंजीयक का कार्यालय, भारत

विवरण

तालिका 1 (ख) आवास द्वारा 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात: 1991 एवं 2001

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001			1991			अन्तर (2001-1991)		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारत	927	934	906	945	948	935	-18	-14	-29
जम्मू-कश्मीर	941	957	873		जनगणना नहीं हुई		–	–	–
हिमाचल प्रदेश	896	900	844	951	955	904	-55	-55	-60
पंजाब	798	799	796	875	878	866	-77	-79	-70
चण्डीगढ़	845	847	845	899	910	897	-54	-63	-52
उत्तरांचल	908	918	872	949	952	936	-41	-34	-64
हरियाणा	819	823	808	879	877	884	-60	-54	-76
दिल्ली	868	850	870	915	900	917	-47	-50	-47
राजस्थान	909	914	887	916	919	909	-7	-5	-22
उत्तर प्रदेश	916	921	890	927	926	928	-11	-5	-38
बिहार	942	944	924	953	953	950	-11	-9	-26
सिक्किम	963	966	922	965	967	936	-2	-1	-14
अरुणाचल प्रदेश	964	960	980	982	986	946	-18	-26	34
नागालैण्ड	964	969	939	993	1001	959	-29	-32	-20
मणिपुर	957	956	961	974	975	972	-17	-19	-11
मिजोरम	964	965	963	969	973	965	-5	-8	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
त्रिपुरा	966	968	948	967	968	959	-1	0	-11
मेघालय	973	973	969	986	989	968	-13	-16	1
असम	965	967	943	975	977	955	-10	-10	-12
पश्चिम बंगाल	960	963	948	967	969	955	-7	-6	-7
झारखण्ड	965	973	930	979	985	950	-14	-12	-20
उड़ीसा	953	955	933	967	969	949	-14	-14	-16
छत्तीसगढ़	975	982	938	984	988	960	-9	-6	-22
मध्य प्रदेश	932	939	907	941	944	931	-9	-5	-24
गुजरात	883	906	837	928	936	909	-45	-30	-72
दमन और दीव	926	916	943	958	933	996	-32	-17	-53
दादरा और नगर हवेली	979	1003	888	1013	1015	977	-34	-12	-89
महाराष्ट्र	913	916	908	946	953	934	-33	-37	-26
आंध्र प्रदेश	961	963	955	975	979	962	-14	-16	-7
कर्नाटक	946	949	940	960	963	951	-14	-14	-11
गोवा	938	952	924	964	972	953	-26	-20	-29
लक्षद्वीप	959	999	900	941	951	932	18	48	-32
केरल	960	961	958	958	958	958	2	3	0
तमिलनाडु	942	933	955	948	945	955	-6	-12	0
पांडिचेरी	967	967	967	963	963	962	4	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	957	966	936	973	973	970	-16	-7	-34

स्रोत: 1991 एवं 2001 की जनगणना, महापंजीयक का कार्यालय, भारत

नोट: इसमें मणिपुर के सेनापति जिले के माओ - मारम, पौमाटा तथा पुरूल अनुमण्डल शामिल नहीं हैं।

अमरीका के साथ संभार तंत्र-समझौता

737. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अमरीका के साथ एक संभार तंत्र समझौता करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौतों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस समझौते से भारत की विदेश नीति कितनी प्रभावित होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार आपदा राहत अभियानों मे रक्षा संसाधनों की तैनाती अथवा संयुक्त अभ्यास करते समय और सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में सहायता की प्रतिबद्धता के बिना पारस्परिक संभारतंत्रीय सहयोग हेतु स्वरूप तैयार करने की व्यवस्था के तौर पर अमरीका के साथ संभारतंत्र समझौता संपन्न करने पर विचार कर रही है।

(ग) इस समझौता से भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी। विदेश में आपदा राहत अभियानों में प्रदान किए जाने वाले संभारतंत्रीय सहयोग से प्रभावित देशों को दक्षता से सहायता प्रदान करने की भारत की क्षमता में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण/रख-रखाव

738. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

श्री रामदास आठवले:

क्या **पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से गत तीन वर्षों के दौरान अपने राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा रख-रखाव/सुधार के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केंद्र सरकार द्वारा इस पर राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कितने प्रस्ताव गुजरात सहित अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित हैं;

(घ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान इन प्रस्तावों/परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को आबंटित की गई धनराशि का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) लंबित प्रस्तावों को केंद्र सरकार द्वारा कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावो और स्वीकृत प्रस्तावो के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण देश की जनसंख्या पैटर्न के आधार नहीं किया जाता और इसलिए आदिवासी क्षेत्रों से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के प्रस्तावो के ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ङ) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटित धनराशि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

(च) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे

धनराशि करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य का नाम	विकास				अनुरक्षण			
		प्राप्त प्रस्ताव		स्वीकृत प्रस्ताव		प्राप्त प्रस्ताव		स्वीकृत प्रस्ताव	
		सं.	धनराशि	सं.	धनराशि	सं.	धनराशि	सं.	धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	115	367.28	115	345.53	53	79.9	53	68.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	20.63	5	20.63	3	0.54	2.2	0.34
3.	असम	55	263.42	55	263.42	45	52.42	45	52.42
4.	बिहार	93	352.95	78	306.93	92	88.88	79	77.44
5.	चण्डीगढ़	3	4.63	3	4.63	2	0.83	2	0.83
6.	छत्तीसगढ़	114	267.25	77	189.79	54	83.71	48	49.79
7.	दिल्ली	4	34.61	4	34.61	0	0	0	0
8.	गोवा	15	25.55	11	25.7	5	6.2	5	6.5
9.	गुजरात	150	486.08	92	275.34	52	96.56	53	90.01
10.	हरियाणा	95	281.41	69	241.57	28	40.37	28	40.37
11.	हिमाचल प्रदेश	121	245.16	113	242.48	69	42.29	69	42.29
12.	झारखण्ड	78	205	63	168.62	47	45.5	36	37.45
13.	कर्नाटक	184	417.63	184	411.02	88	102.52	88	95.81
14.	केरल	52	153.75	52	153.75	13	26.83	13	26.83

15.	मध्य प्रदेश	159	573.13	138	375.51	106	146.13	106	101.71
16.	महाराष्ट्र	169	764.49	138	556.39	46	93.15	46	92.77
17.	मणिपुर	22	21.57	22	21.57	21	12.39	21	12.39
18.	मेघालय	23	86.62	23	86.62	25	21.43	25	21.43
19.	मिजोरम	14	68.12	14	68.12	25	21.43	25	21.43
20.	नागालैण्ड	7	30.04	7	30.04	14	9.1	14	9.1
21.	उड़ीसा	86	331.32	86	331.32	113	320.31	113	320.31
22.	पांडिचेरी	7	29.62	5	16.35	4	1.96	3	1.41
23.	पंजाब	104	320	77	231.86	44	46.89	44	46.9
24.	राजस्थान	124	584.53	76	326.31	106	137.03	106	133.87
25.	तमिलनाडु	244	795.32	141	287.66	78	97.19	74	89.93
26.	उत्तर प्रदेश	172	387.75	172	387.75	103	112.2	103	112.2
27.	उत्तराखंड	68	234.3	68	234.3	29	36.67	29	36.67
28.	पश्चिम बंगाल	60	261.83	60	261.83	112	270.45	112	270.45

विवरण-II

(करोड़ रु. में)

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
		विकास	अनुरक्षण	विकास	अनुरक्षण	विकास	अनुरक्षण	विकास	अनुरक्षण
1.	आंध्र प्रदेश	96.74	34.67	76.23	39.07	65.75	61.19	86.44	68.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	0.41	6.00	0.21	8.30	0.30	4.00	0.87
3.	असम	79.81	22.42	59.50	30.84	79.11	25.98	49.96	31.01
4.	बिहार	79.51	36.96	79.00	47.66	108.00	34.34	103.82	34.21
5.	चण्डीगढ़	1.00	0.80	1.00	0.52	1.00	0.66	2.00	0.83
6.	छत्तीसगढ़	36.26	26.99	51.40	20.55	39.45	24.15	58.19	24.20
7.	दिल्ली	4.00	0.75	1.00	0.44	3.00	0.03	17.00	0.00
8.	गोवा	5.00	3.80	6.00	4.66	2.95	3.51	15.00	4.57
9.	गुजरात	70.35	37.39	103.27	38.62	69.00	33.99	70.70	32.81
10.	हरियाणा	46.00	7.09	57.42	15.43	64.00	24.27	60.00	14.17
11.	हिमाचल प्रदेश	45.00	16.10	39.00	23.27	39.50	18.90	50.00	16.35
12.	जम्मू-कश्मीर	0.22	0.44	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	झारखंड	35.00	12.50	40.00	21.37	34.86	22.27	53.00	20.11
14.	कर्नाटक	81.51	37.40	88.61	42.44	88.91	39.88	86.71	39.34
15.	केरल	64.69	30.70	70.96	34.59	58.02	19.30	68.48	27.53
16.	मध्य प्रदेश	94.90	59.49	90.10	56.48	93.73	51.70	95.88	58.68

17.	महाराष्ट्र	78.98	48.48	119.65	52.60	160.81	59.54	128.76	55.30
18.	मणिपुर	14.07	7.02	20.07	10.87	14.74	3.04	10.14	12.79
19.	मेघालय	28.43	12.24	24.21	10.69	25.40	9.84	18.88	17.20
20.	मिजोरम	25.00	4.56	15.75	5.52	15.53	5.19	13.00	5.43
21.	नागालैण्ड	16.00	2.31	11.25	4.01	11.82	3.91	7.00	4.64
22.	उड़ीसा	74.55	33.83	67.63	40.92	73.37	43.70	86.81	44.01
23.	पांडिचेरी	2.13	1.06	2.65	0.77	5.00	0.94	8.50	0.91
24.	पंजाब	54.79	19.03	64.51	21.76	75.34	17.44	73.05	18.42
25.	राजस्थान	64.72	53.11	88.36	54.99	81.87	67.58	89.18	61.13
26.	तमिलनाडु	86.55	36.18	86.91	54.30	84.69	25.67	92.78	27.75
27.	उत्तर प्रदेश	186.43	54.92	199.30	51.18	104.20	45.63	140.87	54.24
28.	उत्तराखण्ड	28.44	10.60	41.06	16.10	54.61	15.80	62.35	17.09
29.	पश्चिम बंगाल	70.00	26.22	56.00	29.87	47.00	18.50	65.00	19.51

अफगानिस्तान के साथ लघु विकास परियोजनाओं संबंधी समझौता ज्ञापन

739. श्री सुग्रीव सिंह: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अफगानिस्तान के अगस्त 2005 के दौरान लघु विकास परियोजनाओं संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां। भारत सरकार ने 28 अगस्त, 2005 को लघु विकास परियोजनाओं पर अफगानिस्तान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) लघु विकासात्मक परियोजनाएं लघु अवधि की होती हैं, जिनका सामुदायिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जानकारी और प्रौद्योगिकी के अंतरण के अलावा इस योजना से निचले तबके की भागीदारी और स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, धर्मार्थ न्यासों और शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व भी संभव होगा। ये परियोजनाएं मुख्यत: स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बागवानी, जल और स्वच्छता के क्षेत्र में हैं। इन परियोजनाओं का निर्धारण अफगानिस्तान सरकार द्वारा संबंधित स्थानीय निकायों के परामर्श से किया जाता है।

(ग) अब तक इस योजना के तहत 39 परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं।

उत्प्रवास अधिनियम में संशोधन

740. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 50 लाख प्रवासी भारतीय कामगारों के हितो की रक्षा करने हेतु उत्प्रवास अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उन संशोधनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अंतिम रूप दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में "प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद्" का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके गठन से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी हां, सरकार का उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी हां, सरकार सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत एक सोसायटी के रूप में "प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद्" का गठन करने पर विचार कर रही है। ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

ग्लोबल वार्मिंग

741. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न वैज्ञानिक रिपोर्टों से आगामी तीन दशकों में भारत पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के परिणामों के बारे में आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है और तिब्बत पठार से उत्पन्न ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन पर इसका क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा;

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए गए है अथवा निकट भविष्य में क्या उपाय किए जाने का विचार है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी विशेष प्राधिकरण अथवा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दृष्टिहीनता का फैलना

742. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री संतोष गंगवार:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत दृष्टिहीनता से विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में राज्य-वार कितने दृष्टिहीन व्यक्ति हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न राज्यों को दृष्टिहीनता की समस्या से निपटने हेतु राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या एन.पी.सी.बी. के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्यों द्वारा संतोषजनक रूप से उपयोग नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) देश में दृष्टिहीनता की समस्या की रोकथाम हेतु एन.पी.सी.बी. के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) विश्व में कुल 37 मिलियन दृष्टिहीन व्यक्तियों (VA<3/60) में से 7 मिलियन भारत में हैं। बड़े जनसंख्या आधार और बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण दृष्टिहीनों की संख्या विशेषकर जनाजीर्ण विकारों जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, मधुमेही, रेटिनोमेथी आदि के कारण और बढ़ने की उम्मीद है।

(ग) 2001-04 के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार दृष्टिहीनों की अनुमानित संख्या आदिवासी बहुल पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यवार ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(घ) 2004-05 से राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन जारी की गई निधियों को राज्यों द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सहायता के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार सन्तोषजनक उपयोग किया जा रहा है। तथापि, खर्च न की गई बकाया राशि यदि कोई है, का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

(छ) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों और जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों की स्थापना।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों, मेडिकल कालेजों और क्षेत्रीय नेत्र रोग विज्ञान संस्थानों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तरों पर नेत्र परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना।

3. सरकारी/स्वैच्छिक क्षेत्र में नेत्र बैंको का सुदृढ़ीकरण।

4. नेत्र परिचर्या के लिए मौजूदा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और मोतियाबिंद सर्जरी के लिए आवर्ती अनुदान प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता।

5. नेत्र दान को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक नेत्र दान पखवाड़ा आयोजित करना।

6. रिफ्रेक्टिव दोषों का पता लगाने के लिए स्कूली बच्चों की जांच करना और गरीब बच्चों को, नि:शुल्क चश्मे प्रदान करना।

7. बाल रोग नेत्र यूनिटों/न्यून दृष्टि यूनिटों/रेटिना

यूनिटों के विकास और प्रशिक्षण अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय नेत्र रोग संस्थानों/मेडिकल कालेजों के नेत्र विभागों का सुदृढ़ीकरण।

8. गुणात्मक नेत्र परिचर्या के लिए सरकारी अस्पतालों/ मेडिकल कालेजों से नेत्र रोग सर्जनों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

9. नेत्र परिचर्या कार्यकलापों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना शिक्षा संप्रेषण कार्यकलापों का तीव्रीकरण।

विवरण-I

भारत में अनुमानित दृष्टिहीन व्यक्ति 2001-04

क्र. सं.	राज्य	अनुमानित दृष्टिहीन व्यक्ति
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार	3919
2.	आंध्र प्रदेश	1075331
3.	अरुणाचल प्रदेश	24877
4.	असम	812471
5.	बिहार	646455
6.	चण्डीगढ़	9099
7.	छत्तीसगढ़	334815
8.	दादर व नागर हवेली	2359
9.	दमन व दीव	1691
10.	दिल्ली	155748
11.	गोवा	20429
12.	गुजरात	541388
13.	हरियाणा	398468
14.	हिमाचल प्रदेश	42541
15.	जम्मू-कश्मीर	162126
16.	झारखंड	379423
17.	कर्नाटक	938664
18.	केरल	178296
19.	लक्षद्वीप	667
20.	मध्य प्रदेश	700467
21.	महाराष्ट्र	919146
22.	मणिपुर	32963
23.	मेघालय	17065
24.	मिजोरम	6950
25.	नागालैण्ड	20881
26.	उड़ीसा	513897
27.	पांडिचेरी	7596
28.	पंजाब	245322
29.	राजस्थान	875333
30.	सिक्किम	3513
31.	तमिलनाडु	484465
32.	त्रिपुरा	24572
33.	उत्तर प्रदेश	1560897
34.	उत्तरांचल	47486
35.	पश्चिम बंगाल	954632
	कुल	12143952

विवरण-II

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान राज्य-वार निधि आवंटन

रुपए लाख में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (15-11-2007 तक)
1	2	3	4	5	6
बड़े राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	325.86	278.10	642.60	1033.50
2.	बिहार	72.00	101.28	422.42	60.00
3.	छत्तीसगढ़	277.52	317.84	152.14	55.63
4.	गोवा	21.29	29.69	43.60	0.00
5.	गुजरात	464.23	487.98	489.20	295.06
6.	हरियाणा	160.12	137.22	230.75	51.00
7.	हिमाचल प्रदेश	103.00	97.21	122.84	12.00
8.	जम्मू-कश्मीर	188.21	112.48	94.80	48.50
9.	झारखण्ड	169.78	111.20	269.80	195.09
10.	कर्नाटक	499.47	598.38	740.50	306.50
11.	केरल	194.09	260.47	114.80	222.92
12.	मध्य प्रदेश	879.49	524.91	762.57	695.00
13.	महाराष्ट्र	351.53	646.92	637.00	1108.01
14.	उड़ीसा	344.05	280.01	250.00	92.50
15.	पंजाब	23.06	97.29	140.60	72.00
16.	राजस्थान	602.58	755.20	688.10	612.47
17.	तमिलनाडु	1310.18	1310.90	1393.60	695.50
18.	उत्तर प्रदेश	1003.74	949.17	1134.40	950.75
19.	उत्तरांचल	110.24	194.66	108.00	199.42

1	2	3	4	5	6
20.	पश्चिम बंगाल	122.60	475.31	423.80	410.75
	कुल	**7223.04**	**7766.22**	**8861.52**	**7216.60**
पूर्वोत्तर राज्य					
1.	अरुणाचल प्रदेश	45.87	90.22	141.00	56.75
2.	असम	48.02	298.15	330.00	145.00
3.	मणिपुर	12.54	31.00	124.41	124.50
4.	मेघालय	39.49	76.00	159.73	133.12
5.	मिजोरम	11.16	45.37	107.00	51.25
6.	नागालैण्ड	13.25	35.95	62.67	0.00
7.	सिक्किम	6.19	22.75	17.00	53.00
8.	त्रिपुरा	24.34	101.34	219.00	184.63
	कुल	**200.86**	**700.78**	**1160.81**	**748.25**
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	6.22	11.16	15.00	3.00
2.	चण्डीगढ़	11.96	28.57	4.00	51.85
3.	दादरा व नागर हवेली	1.05	3.00	0.00	3.00
4.	दमन व दीव	6.24	10.61	11.00	0.00
5.	दिल्ली	48.07	147.42	166.60	80.50
6.	लक्षद्वीप	4.47	4.47	0.00	
7.	पांडिचेरी	8.03	9.98	62.00	
	कुल	**86.04**	**215.21**	**258.60**	**138.35**
	महायोग	7509.94	8682.21	10280.93	8103.20

प्लेग फैलने का अध्ययन करने हेतु समिति का गठन

743. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री काशीराम राणा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्लेग महामारी फैलने का अध्ययन करने हेतु समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) भारत सरकार ने 1994 में प्लेग पर एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित की थी। इस समिति की विचारार्थ विषय इस प्रकार थे:-

(i) प्लेग के प्रकोप (1994) और इसके फैलने के उत्तरदायी कारणों का पता लगाना।

(ii) प्लेग के नियंत्रण के लिए कार्यनीतियों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सलाह देना।

(iii) भविष्य में ऐसे प्रकोपों के रोकथाम के लिए उठाये जाने वाले कदमों का सुझाव देना।

(ख) समिति ने 1994 में वीड और सूरत में प्लेग के प्रकोप के एटीओलोजिकल, क्लीनिकल और महामारिक पहलूओं पर एक विस्तृत अध्ययन किया। समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी:-

- संक्रमण के निदान के लिए सहायता प्रदान करने हेतु देश भर में प्रयोगशालाओं का नेटवर्क।
- एन.आई.सी.डी. और नेटवर्क को प्लेग प्रकोप की जांच करने और एटीओलोजी की पहचान करने में व्यवसायिकों और तकनीशियनों के परीक्षण और पुनः प्रशिक्षण की सतर्क प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
- समग्र संक्रामक रोग निगरानी तंत्र में जानवरों और मानवों की प्लेग पर सतत निगरानी की क्षमता विकसित करके बनाए रखनी है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान तथा राष्ट्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क की सहायता से इस तंत्र में मुख्य जोर राज्य और जिला स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया जाना चाहिए।
- जानपदिक रोग, पारिस्थितिकी और प्रयोगशाला में जांच क्षमता के विकास के जरिए मनुष्यों में प्लेग फैलने तथा पशुओं के प्लेग ग्रस्त होने पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- देश में जानपदिक रोग विज्ञानियों का सुप्रशिक्षित संवर्ग बनाने की जरूरत है और चिकित्सा महाविद्यालयों, जनस्वास्थ्य केंद्रों और आई.सी.एम.आर., एन.आई.सी.डी., डी.बी.टी. और डी.एस.टी. के अधीन संक्रामक रोगों के अध्ययन में समिति विशेष संस्थानों को इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधीनस्थ अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों तथा अन्य के साथ राष्ट्रीय नेटवर्कों के सतत संवादन की उपयोगिता बनाए रखी जानी चाहिए।

(ग) तदनुसार, प्लेग की घटना रोकने के लिए एक बहु स्तरीय कार्यक्रम अपनाया गया है जिसमें पर्यावरणिक स्वच्छता में सुधार, कीटनाशक के इस्तेमाल से कृंतक और रोगवाहक नियंत्रण, जनजागरूकता आदि में वृद्धि की गई है। प्लेग की सतत निगरानी से इसकी आवृत्ति रोकने में मदद मिली है। इस संबंध में, वाईल्ड और पेरी-डेमोसिक कृतकों में प्लेग प्रतिपिण्डों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गठित आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल जैसे स्थानिकमारी वाले राज्यों के राज्य प्लेग नियंत्रण एककों के प्लेग संबंधी निगरानी क्रियाकलापों में समन्वय बंगलौर के राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के क्षेत्र एकक द्वारा किया जाता है। इन राज्यों के प्रतिनिधि प्लेग निगरानी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए नियमित समन्वय बैठकें करते है। ऐसी पिछली बैठक जौधपुर, राजस्थान अक्तूबर, 2006 में आयोजित की गई।

राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम (एन.एस.पी.सी.डी.) IX योजना में शुरू किया गया जिसमें 101 जिले शामिल किये गए। रोगों के प्रकोप की शीघ्र पहचान को बढ़ावा देना और उनके निवारण तथा नियंत्रण की समुचित कार्रवाई शुरू करने के लिए निगरानी संबंधी क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के प्रयोजन से समेकित रोग निगरानी परियोजना (आई.डी.एस.पी.) को नवम्बर, 2004 में शुरू किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत प्लेग को नियमित निगरानी के लिए लक्षित रोग के रूप में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

पंचायती राज का कार्यकरण

744. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अपनी शुरुआत के बाद से मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पंचायतों के कार्यकरण पर मंत्रालय के भीतर हाल ही में आए मतभेद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पंचायतों के कार्यकरण में और सुधार करने हेतु नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना के उपरांत, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 29-30 जून, 2004 को नई दिल्ली में "पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उपशमन व ग्रामीण समृद्धि" विषय पर मुख्य मंत्रियों तथा ग्रामीण विकास व पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। पंचायती राज पर संविधान के भाग-IX व IX-क के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श के लिए कार्यसूची के रूप में पटल पर रखा गया। इस सम्मेलन में, संविधान की अभिकल्पना के अनुरूप आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के आयोजन व कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की संस्थानों के रूप में उभारने के लिए उन्हें समर्थ बनाने व सशक्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रारूप कार्य योजना को प्रतिपादित करने के लिए सात गोलमेज सम्मेलनों को आजोयित करने का निर्णय लिया गया।

पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई, 2004 तथा दिसम्बर, 2004 के मध्य पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों के साथ सात गोलमेज बैठकें आयोजित कीं। दिसम्बर, 2004 में जयपुर में अंतिम गोलमेज बैठक के समापन पर लगभग 150 कार्य बिंदुओं की एक सूची उभर कर सामने आई तथा उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। गोलमेज सम्मेलनों के अनुवर्तन में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा एक परामर्शदात्री तंत्र की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज के मंत्रियों की परिषद् तथा केंद्रीय सचिव (पंचायती राज) की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्य सचिवों व पंचायती राज सचिवों की एक समिति सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, मंत्री (पंचायती राज) ने 23 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का दौरा किया तथा पंचायतों के पूर्ण सशक्तिकरण की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने हेतु संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया।

पंचायती राज मंत्रालय ने "पंचायतों की स्थिति - एक मध्यावधि समीक्षा और मूल्यांकन, 2006" शीर्षक से एक प्रतिवेदन तैयार किया तथा जिसे 23 नवम्बर, 2006 को सदन के पटल पर रखा गया। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आई.आर.एम.ए.) को अब पंचायतों की वर्तमान स्थिति का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत किया गया है। उनके प्रतिवेदन को अगले वर्ष की प्रथम तिमाही में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त पंचायती राज मंत्रियों की परिषद् की तीन बैठकें क्रमश: अगस्त, 2005 में कोच्चि (केरल) में, जून 2006 में भुवनेश्वर (उड़ीसा) में तथा अगस्त, 2007 में तिरूवनन्तपुरम (केरल) में आयोजित की गईं। राष्ट्रीय विकास परिषद् की शक्तिसंपन्न उपसमिति भी समय-समय पर आयोजित होने वाली अपनी बैठकों में संविधान के प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है।

(ग) पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आर.जी.एस.वाई.), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत मिशन मोड कार्यक्रम, पंचायत सशक्तिकरण व जवाबदेही प्रोत्साहन योजना, पंचायत युवा शक्ति अभियान व पंचायत महिला शक्ति अभियान जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन आरंभ किया है।

नए-घोषित राजमार्ग पर कार्य में विलंब

745. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित 155 कि.मी. लंबे विजयवाड़ा-जगदलपुर राजमार्ग पर कार्य में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस खंड पर कार्य में कितनी प्रगति हुई और इसके लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत और खर्च हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) माननीय सदस्य संभवत: विजयवाड़ा-जगदलपुर राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग 221) के 155 कि.मी. खंड पर शुरू किए गए कार्यों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। जहां तक आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 221 के खंड का संबंध है, कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की समग्र उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में विकास कार्य किए जा रहे हैं। अब तक गत तीन वर्षों के दौरान 34 कि.मी. लंबाई में 7 करोड़ रु. के तीन सुधार कार्य पूरे हो चुके हैं। चालू वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान 6.26 करोड़ रु. की लागत और 18 कि.मी. लंबाई के एक कार्य पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति हेतु अनुरोध

748. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन कंपनी ने अपने ताप विद्युत संयंत्रों के विस्तार हेतु अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार के "महानिर्माती" द्वारा कोयले की आपूर्ति के संबंध में किए गए अनुरोध के अनुसार कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वकोली कोयला खानों से कोयले की आपूर्ति हेतु अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. (महागेन्को) ने अपने कोयला ब्लाकों में उत्पादन होने तक अपने भावी विस्तार परियोजनाओं हेतु टेपरिंग आधार पर कोयले की सप्लाई करने का अनुरोध किया था। इन विस्तार परियोजनाओं में भुसावल-3, पार्ली-3, पारस-3, कोराडी-I (बदले में) चंद्रपुर-I तथा कोराडी-2 शामिल हैं। महागेन्को के अनुरोध पर 2-8-2007 को हुई विद्युत से सम्बद्ध स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) ने अपनी बैठक में विचार किया था जिसने महागेन्को की केप्टिव खानों से वास्तविक मांग/कमी को देखते हुए 2 मिलियन टन प्रति वर्ष की अधिकतम मात्रा तक "टेपरिंग आधार" पर महागेन्को आश्वासन पत्र (एल.ओ.ए.) मंजूर करने का अनुमोदन किया। तथापि, इस संबंध में अल्पावधि टेपरिंग आधार पर कोयले की आपूर्ति हेतु उपभोक्ता तथा सी.आई.एल./विशिष्ट रूप से लिंकड कंपनी के बीच वाणिज्यिक प्रबंध तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा, महागेन्को को 2006 के दौरान अपनी विद्युत परियोजनाओं के लिए लगभग 10 मिलियन टन तक एल.ओ.ए. की भी मंजूरी दी गई है।

(ङ) और (च) महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति के संबंध में था। समिति ने महागेन्को की केप्टिव खानों से वास्तविक मांग/कमी को देखते हुए 2 मिलियन टन की अधिकतम मात्रा तक "टेपरिंग आधार" पर "लागत जमा आधार" पर महागेन्को को एल.ओ.ए. का अनुमोदन किया है।

[अनुवाद]

बालिका हेतु वित्तीय सहायता

747. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बालक-बालिका लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने के लक्ष्य से बालिका हेतु वित्तीय सहायता के लिए कतिपय राज्यों में असमानता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सहित सभी राज्यों में बालिका हेतु समान रूप से सहायता में वृद्धि करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) लिंग अनुपात के संबंध में बालिकाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास फिलहाल कोई स्कीम नहीं है। किंतु केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सूचित

किया है कि वह बालिकाओं के माता-पिता को वित्तीय प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से 'सशर्त नगद अंतरण स्कीम' नामक योजना बालिका की उत्तरजीविता तथा विकास के लिए निम्नलिखित चार शर्तों को पूरा करने के आधार पर शुरू कर रहा है:-

1. बालिका का जन्म होने पर उसके जन्म का पंजीयन करना,
2. संपूर्ण रोग प्रतिरक्षण कराना,
3. स्कूल में नाम लिखवाना,
4. 18 वर्षों के बाद विवाह करना।

उक्त स्कीम देश के दस ब्लाकों में वर्तमान वित्त वर्ष से प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए 15 करोड़ रु. 2007-2008 के वार्षिक योजना परिव्यय में दिया गया है।

मेडिकल कालेजों में प्रोफेसरों की कमी

748. श्री एस.के. खादरवेनथन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) द्वारा राज्यवार कितने कालेजों को अनुमति दी गई;

(ख) क्या कुछ मेडिकल कालेजों को एम.सी.आई. की आवश्यकता को पूरा करने वाले योग्य प्रोफेसर नहीं मिल पाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) किसी चिकित्सा संस्था/कालेज में उपलब्ध शिक्षण और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा उन पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा नए मेडिकल कालेज को स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। ऐसे मेडिकल कालेजों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008 के दौरान स्थापित करने की अनुमति दी गई है, की सूची विवरण में दी गयी है। मेडिकल कालेजों पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जीवरसायन सूक्ष्म जीवविज्ञान, भेषज गुणविज्ञान, न्यायिक चिकित्सा और सामुदायिक चिकित्सा के प्रि-क्लिनिकल और परा-क्लिनिकल विषयों में शिक्षकों की कमी है। राज्य सरकारों और मेडिकल कालेजों को इन विषयों में और अधिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने हेतु आवेदक संस्थाओं को भी अनुमति दी जाती है।

विवरण

ऐसे मेडिकल कालेजों की सूची जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान स्थापित करने की अनुमति दी गई है

क्र.सं.	राज्य	वर्ष		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	1	-
2.	कर्नाटक	1	4	3
3.	केरल	1	3	-

1	2	3	4	5
4.	महाराष्ट्र	1	–	1
5.	मध्य प्रदेश	1	–	1
6.	उड़ीसा	1	–	2
7.	तमिलनाडु	2	3	–
8.	त्रिपुरा	1	1	–
9.	उत्तर प्रदेश	1	3	–
10.	छत्तीसगढ़	–	1	–
11.	पांडिचेरी	–	2	1
12.	पंजाब	–	1	1
13.	उत्तराखण्ड	–	1	–
	कुल	13	20	9

कैंसर पीड़ित बच्चों को वित्तीय सहायता

749. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कैंसर जैसे घातक रोग के उपचार हेतु बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोष स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में प्रतिवर्ष कैंसर से मर रहे 50 हजार बच्चों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए यह सुनिश्चित करना विभिन्न राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि कैंसर का शीघ्र पता लगाने, उसके निदान, और उपचार की पर्याप्त सुविधाएं बच्चों सहित सभी को उपलब्ध कराई जाएं। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों/क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में विकिरण चिकित्सा एककों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उपचार प्रदान करने के राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा कर रही है।

इसके अलावा, प्रमुख शल्यचिकित्सीय क्रियाएं करने और कैंसर सहित प्रमुख रोगों का उपचार करने के लिए अस्पताल में भर्ती रहने पर हुए व्यय के एक भाग को वहन करने हेतु निर्धन और जरूरतमन्द रोगियों को स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान नामक योजना के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, "राष्ट्रीय आरोग्य निधि" नामक योजना के अधीन गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे निर्धन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उन लोगों को प्रदान की जाती है जो कैंसर सहित प्रमुख जीवन घातक बीमारियों से पीड़ित होते हैं और किसी अतिविशिष्टता वाले सरकारी अस्पताल में चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे होते हैं। सरकार निर्धन और जरूरतमन्द रोगियों को कैंसर के उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु "स्वास्थ्य मंत्री कैंसर निधि" की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है।

मानसिक विकारों के मामले

750. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री एल. राजगोपाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खंडित मनस्कता, बाइपोलर विकार, आर्गेनिक साइकोसिस तथा सघन अवसाद सहित गंभीर मानसिक विकारों से प्रभावित लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा की आवश्यकता है जैसा कि दिनांक 17 अक्तूबर, 2007 के "द हिन्दू" समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार मानसिक चिकित्सा कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी जिलों में करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार-किन-किन मेडिकल कालेजों को उनके मनोचिकित्सा स्कन्ध के उन्नयन के लिए निधियां प्रदान की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) जानपदिक रोग विज्ञानी अध्ययनों से पता चला है कि 1 से 2% की जनसंख्या में गंभीर मानसिक विकार हैं और 5 से 30% जनसंख्या छोटे मानसिक विकारों से ग्रस्त है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के भाग के रूप में मानसिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस संबंध में केन्द्र सरकार जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मेडिकल कालेजों/जनरल अस्पतालों के मनश्चिकित्सीय स्कंधों के सुदृढ़ीकरण तथा मानसिक अस्पतालों के आधुनिकीकरण/उन्नयन के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है जिससे कि वे चिकित्सीय एकक बन सके।

(घ) और (ङ) सरकार का प्रस्ताव 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के अधिकतम जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार चरणबद्ध ढंग से करने का है।

(च) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मेडिकल कालेज जिन्हें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मनश्चिकित्सीय स्कंधों के उन्नयन के लिए निधियां प्रदान की गई हैं

क्र.सं.	राज्य	मेडिकल कालेज
1.	आन्ध्र प्रदेश	कुर्नूल मेडिकल कालेज, कुर्नूल
2.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र मेडिकल कालेज, विशाखापट्टनम
3.	आन्ध्र प्रदेश	एस.वी.आर.आर.जी. जनरल अस्पताल, तिरूपति, चित्तूर
4.	आन्ध्र प्रदेश	उस्मानिय मेडिकल कालेज, हैदराबाद
5.	आन्ध्र प्रदेश	काकातिया मेडिकल कालेज, वारंगल
6.	अरुणाचल प्रदेश	जनरल अस्पताल, नहरलगून
7.	असम	असम मेडिकल कालेज अस्पताल, डिब्रूगढ़
8.	असम	गुवाहाटी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गुवाहाटी
9.	असम	सिल्चर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, सिल्चर
10.	छत्तीसगढ़	जे.एन.एम. गवर्नमेन्ट कालेज, रायपुर
11.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़, आयुर्विज्ञान संस्थान, सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल, बिलासपुर

क्र.सं.	राज्य	मेडिकल कालेज
12.	गुजरात	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, सूरत
13.	गुजरात	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, कालानाला/भावनगर
14.	गुजरात	एम.पी. शाह मेडिकल कालेज, जामनगर
15.	गुजरात	मेडिकल कालेज, बड़ौदा
16.	गुजरात	पंडित दीन दयाल मेडिकल कालेज, राजकोट
17.	गुजरात	बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद
18.	हरियाणा	रोहतक
19.	जम्मू-कश्मीर	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, जम्मू
20.	जम्मू-कश्मीर	एस.के.आई.एम.एस. मेडिकल कालेज, बेमिना श्रीनगर
21.	कर्नाटक	कर्नाटक इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेज, हुबली
22.	कर्नाटक	बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर
23.	कर्नाटक	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, बेल्लारी
24.	कर्नाटक	मैसूर मेडिकल कालेज मैसूर
25.	केरल	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, तिरुवनन्तपुरम
26.	केरल	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, त्रिसूर
27.	केरल	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, कोझिकोड
28.	केरल	टीडी मेडिकल कालेज, अलपुझा
29.	मध्य प्रदेश	एन.एस.सी.बी. मेडिकल कालेज, जबलपुर
30.	मध्य प्रदेश	एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, इन्दौर
31.	महाराष्ट्र	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, लातूर
32.	महाराष्ट्र	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, नांदेड
33.	महाराष्ट्र	वसन्तराव नायक मेडिकल कालेज, यवतमाल
34.	महाराष्ट्र	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, कोल्हापुर
35.	महाराष्ट्र	डा. वी.एम. मेडिकल कालेज, शोलापुर
36.	महाराष्ट्र	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, नागपुर
37.	महाराष्ट्र	इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज, नागपुर

क्र.सं.	राज्य	मेडिकल कालेज
38.	महाराष्ट्र	बी.जे. मेडिकल कालेज, पुणे
39.	महाराष्ट्र	ग्रान्ट मेडिकल कालेज, मुम्बई
40.	महाराष्ट्र	मिराज मेडिकल कालेज, सांगली
41.	महाराष्ट्र	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, अकोला
42.	महाराष्ट्र	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, औरंगाबाद
43.	मणिपुर	जे.एन. अस्पताल, पोर्मपट, इम्फाल
44.	नागालैण्ड	नागा अस्पताल, कोहिमा
45.	पंजाब	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, अमृतसर
46.	पंजाब	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, पटियाला
47.	पंजाब	जी.जी.एस. गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, फरीदकोट
48.	तमिलनाडु	मद्रास मेडिकल कालेज, चेन्नई
49.	तमिलनाडु	स्टेनली मेडिकल कालेज, चेन्नई
50.	तमिलनाडु	किलपॉक मेडिकल कालेज, चेन्नई
51.	तमिलनाडु	चेंगलपट्टु मेडिकल कालेज, चेंगलपट्टु
52.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली मेडिकल कालेज, तिरुनेलवेली
53.	तमिलनाडु	मदुरई मेडिकल कालेज, मदुरई
54.	तमिलनाडु	मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कालेज, सलेम
55.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, कोयम्बटूर
56.	तमिलनाडु	के.ए.पी. विश्वनाथन, गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, तिरुचिरापल्ली
57.	तमिलनाडु	तंजाबूर मेडिकल कालेज, तंजाबूर
58.	तमिलनाडु	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज, तुतुकुडी (तुतिकोरिन)
59.	त्रिपुरा	अगरतल्ला, गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज एवं जी.बी.पी. अस्पताल, अगरतल्ला
60.	उत्तर प्रदेश	एम.एल.एन. मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
61.	उत्तर प्रदेश	के.जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ
62.	उत्तर प्रदेश	जी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज, कानपुर
63.	उत्तर प्रदेश	एम.एल.बी. मेडिकल कालेज, झांसी

क्र.सं.	राज्य	मेडिकल कालेज
64.	उत्तर प्रदेश	एल.एल.आर.एम, मेडिकल कालेज, मेरठ
65.	उत्तर प्रदेश	एस.एन. मेडिकल कालेज, आगरा
66.	पश्चिम बंगाल	सम्मिलानी मेडिकल कालेज, बांकुरा
67.	पश्चिम बंगाल	मेडिकल कालेज, कोलकात्ता
68.	पश्चिम बंगाल	वर्दवान मेडिकल कालेज, वर्दवान
69.	पश्चिम बंगाल	चित्तरंजन मेडिकल कालेज, कोलकाता
70.	पश्चिम बंगाल	एन.आर.एस. मेडिकल कालेज, सिलिगुड़ी
71.	पश्चिम बंगाल	आरजीकर मेडिकल कालेज, कोलकाता

पत्तन क्षेत्र में पी.पी.पी.

751. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत प्रमुख पत्तनों को चलाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) सरकार ने, महापत्तनों में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं, जिनमें, *अन्य बातों के साथ साथ*, इन पत्तनों में गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा भागीदारी के लिए निर्धारित किए गए क्षेत्र, विनियामक रूपरेखा, भागीदारी की रूपात्मकताएं, बोली की प्रक्रिया, चयन मापदंड और इस प्रकार की भागीदारी के लिए अन्य सामान्य निबंधन व शर्तों को निर्धारित किया गया है। सरकार ने, इस प्रकार की भागीदारी के लिए परियोजना विशेष के लिए दस्तावेज तैयार करने में महापत्तनों का मार्ग दर्शन करने की दृष्टि से बोली देने, लाइसेंस करार इत्यादि के लिए आदर्श दस्तावेज भी निर्धारित किए हैं। इसका उद्देश्य, पत्तनों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाना, कार्यकुशलता, उत्पादकता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ पत्तन सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धा लाना है। अब तक, 4300 करोड़ रु. के अनुमानित गैर सरकारी निवेश वाली 16 परियोजनाओं ने विभिन्न महापत्तनों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान

752. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान के अंतर्गत तैयार योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) ऐसी योजनाओं से पर्यावरण के क्षेत्र में कितना सुधार लाए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) विभिन्न पर्यावरणीय मामलों के प्रति जनता के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए सरकार प्रति वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान का आयोजन कर रही है।

इस अभियान का आयोजन गैर-सरकारी संगठनों, व्यावसायिक ग्रुपों, अकादमी संस्थानों आदि की सक्रिय भागीदारी और परामर्श से किया जाता है जिसमें विभिन्न लक्ष्य ग्रुपों सहित सामान्य जनता, स्कूल के छात्रों आदि को शामिल करके पदयात्रा/रैलियां, सड़क नाटक, लोक नृत्य, निबंध/वाद-विवाद/पेंटिंग प्रतियोगिता, सेमीनार आदि जैसे विभिन्न कार्योन्मुखी और जागरुकता कार्यों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2007-08 के राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान का मुख्य विषय "जैव विविधता संरक्षण" है।

वर्ष 2007-08 के लिए राज्यवार अनंतिम आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार का प्रयास इन अभियानों के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए पर्यावरणीय संवेदनशीलता को बढ़ाना है।

विवरण

राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरुकता अभियान 2007-08 के अंतर्गत राज्यवार अनन्तिम आबंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ	अनंतिम आबंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.65
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.81
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.52
4.	असम	22.50
5.	बिहार	33.03
6.	छत्तीसगढ़	7.34
7.	दादर एवं नागर हवेली	0.10
8.	दमन एवं दीव	0.42
9.	दिल्ली	5.95
10.	गोवा	0.26
11.	गुजरात	21.75
12.	हरियाणा	12.55
13.	हिमाचल प्रदेश	12.56
14.	जम्मू-कश्मीर	26.38
15.	झारखण्ड	17.68
16.	कर्नाटक	10.79
17.	केरल	13.62
18.	महाराष्ट्र	40.21
19.	मणिपुर	21.30
20.	मिजोरम	4.30
21.	नागालैण्ड	51.44
22.	उड़ीसा	34.62
23.	पाण्डिचेरी	3.47
24.	पंजाब एवं छत्तीसगढ़	9.29
25.	राजस्थान	19.56
26.	सिक्किम	7.71
27.	तमिलनाडु	31.29
28.	त्रिपुरा	11.19
29.	उत्तर प्रदेश	50.13
30.	उत्तरांचल	5.96
31.	पश्चिम बंगाल	19.72

जलवायु परिवर्तन

753. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा तय करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि 1997 क्योटो प्रोटोकोल को सफल बनाने हेतु समझौते पर बातचीत आरंभ करने के लिए आधार बनाने हेतु भाग लेने वाले 150 से अधिक

राष्ट्रों की जलवायु परिवर्तन पर अक्तूबर, 2007 के महीने में एक दिवसीय वाद-विवाद हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस बैठक में क्या मुख्य निर्णय लिए गए थे;

(ग) क्या सरकार ने भारत पर जलवायु पारेवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु कोई कदम उठाए है; और

(घ) यदि हां, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने में संयुक्त राष्ट्र से कितनी सहायता मांगी जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा 24 सितंबर, 2007 को "द फ्यूचर इन अवर हैंड्स : एड्रैसिंग द लीडरशिप चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज" विषय पर एक एकदिवसीय उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री पी. चिदम्बरम, माननीय वित्त मंत्री ने किया था। माननीय वित्त मंत्री ने विश्व के नेताओं को सूचित किया कि भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत तथा कार्बन डाइ आक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा विश्व में सबसे कम है। उन्होंने सतत और स्वच्छ विकास के क्षेत्र में सहायता हेतु भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी विशेष उल्लेख किया। विचार विमर्शों के दौरान विश्व के नेताओं ने यह स्वीकार किया कि मानव गतिविधियों के कारण व्यापक स्तर पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है और विकासशील देशों को अनुकूलन, न्यूनीकरण और सतत विकास के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण सहित अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराए जाने चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से सामूहिक लेकिन अलग-अलग उत्तरदायित्वों के सिद्धांत के आधार पर निपटना चाहिए और इसके लिए किसी तरह की कार्रवाई संबंधी आवश्यकता संबंधित क्षमताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि वह एकमात्र मंच, जहां जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर निर्णय लिया जा सकता है, वह है यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.)। क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता भी महसूस की गई। विश्व के नेताओं ने यह आशा भी व्यक्त की कि दिसम्बर, 2007 को बाली, इंडोनेशिया में 2012 के बाद के करार के लिए आयोजित होने वाले यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के पक्षकारों के सम्मेलन में इस संबंध में गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।

(ग) और (घ) भारत यूनाइटेड नेशन्स फ्रेवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) तथा इसके क्योटो प्रोटोकॉल सहित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रेजीम के साथ-साथ यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के अंतर्गत अन्य देशों के साथ कई तरह की भागीदारी कर रहा है। भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल की अपेक्षाओं के अनुसार अनुबंध-I में निर्दिष्ट विकसित देशों को क्योटो प्रोटोकॉल के द्वितीय चरण के संबंध में गहन और दीर्घावधिक वचनबद्धताएं करनी चाहिए। इसके अलावा भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी संवाद तथा यू.एन.एफ.सी.सी.सी. सचिवालय द्वारा समन्वित तदर्थ कार्य दल के विचार विमर्शों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। इन विचार-विमर्शों में भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत निर्धारित "अनुकूलन कोष" को शीघ्रातिशीघ्र प्रचालित किया जाना चाहिए।

हालांकि भारत की क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ग्रीन हाऊस गैस न्यूनीकरण संबंधी कोई वचनबद्धताएं नहीं हैं तथापि नीतियों और कार्यक्रमों की रेंच जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने में मदद करती है। इनमें शामिल हैं:

1. ऊर्जा क्षमता में सुधार और संरक्षण तथा ऊर्जा क्षमता ब्यूरों स्थापित करना
2. बिजली क्षेत्र का सुधार
3. हाइड्रो और रिन्यूएबल ऊर्जा को बढ़ावा देना
4. स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना
5. कोयला धुलाई तथा कोयले का बेहतर ढंग से उपयोग करना
6. वनीकरण और वनों का संरक्षण
7. गैस फ्लेयरिंग में कमी
8. परिवहन के लिए स्वच्छतर और कम कार्बन मात्रा वाले ईंधन का प्रयोग करना
9. मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देना
10. पर्यावरण गुणवत्ता प्रबंधन

इसके अतिरिक्त, भारत प्रत्येक वर्ष तीव्र अनुकूलन मात्रा सहित विकास उपायों में जी.डी.पी. का 2 प्रतिशत से अधिक खर्च करता है।

सरकार ने 'जलवायु परिव्रतन के प्रभावों पर विशेष समिति' गठित की है। प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

(क) भारत पर मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना।

(ख) उन उपायों की पहचान करना जो हमें मानवजनित जलवायु परिवर्तन प्रभावों की संवेदनशीलता से निपटने के क्रम में करने पड़ सकते हैं।

(ग) ऊपर (क) और (ख) से संबंधित कोई अन्य मामला।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन संबंधी परिषद गठित की जा चुकी है। यह परिषद जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वय करेगी। समिति का मुख्य ध्यान निम्नलिखित पर होगा:-

(1) राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों के बारे में एक समन्वित कार्य योजना तैयार करना।

(2) जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और न्यूनीकरण के क्षेत्र में कार्य योजनाएं तैयार करने के क्रम में ओवर साइट की व्यवस्था करना।

(3) प्रमुख नीतिगत निर्णयों को आवधिक रूप से मानीटर करना।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पैकेज

754. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996 के बाद से विभिन्न अवसरों पर प्रधान मंत्री द्वारा पूर्वोत्तर के लिए घोषित विभिन्न. पैकेजों और विशेष प्रोत्साहनों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं की सूची क्या है जिन्हें पहले ही निष्पादित किया जा चुका था;

(ग) उन परियोजनाओं की सूची क्या है जिन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है और इन परियोजनाओं का कुल परिव्यय क्या है, तथा इस निधि का स्रोत क्या है और अब तक कितना आबंटन किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र का समाजार्थिक विकास केन्द्र सरकार के प्राथमिक सरोकारों में से एक है। इस उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विशेष विकास पहलें शुरू की गई हैं और विभिन्न प्रधानमंत्रियों द्वारा समय-समय पर विशेष पैकेजों की घोषणा की गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विभिन्न प्रधानमंत्रियों द्वारा 1996 से किए गए विशेष पैकेजों की घोषत तारीख निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है-

क्र.सं.	प्रधान मंत्री का नाम	घोषणा की तारीख	राज्य का नाम
1.	श्री एच.डी. देवगौड़ा	27-10-1996	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा
2.	श्री आई.के. गुजराल	19-23 मई, 1997	असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा
3.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	22-1-2000	पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित)
		13-4-2003	सिक्किम,
		29-10-2003	नागालैण्ड

क्र.सं.	प्रधान मंत्री का नाम	घोषणा की तारीख	राज्य का नाम
4.	श्री मनमोहन सिंह	20-21 नवम्बर, 2004	मणिपुर,
		21-22 नवम्बर, 2004	असम
		29-10-2005	त्रिपुरा
		16-17 जनवरी, 2006	असम
		2-12-2006	मणिपुर

उपर्युक्त विशेष पैकेजों के अंतर्गत बहुत सी परियोजनाएं/कार्यक्रम हैं जिनमें केन्द्र सरकार के सभी प्रमुख मंत्रालय शामिल हैं और उनके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित मंत्रालयों/विभागों का है। कुछेक कार्यक्रमों/परियोजनाओं में धीमी प्रगति संबंधित एजेंसियों के साथ विस्तृत परामर्श और आवश्यक वित्त पोषण टाइ-अप की वजह से है। प्रमुख अवसंरचना मंत्रालयों/विभागों जैसे सड़क परिवहन और राजमार्ग, विद्युत, जल संसाधन, रेलवे नागर विमानन, पर्यटन, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमान और समय अनुसूची तैयार की है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के आबंटन सहित संबंधित मंत्रालयों के बजट से निधियों का आबंटन सुनिश्चित किया जाता है।

[हिन्दी]

औद्योगिक और पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु योजनाएं

755. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा औद्योगिक और पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई गई है/बनाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा इसमें से उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य और संघ शासित प्रदेशों को प्रदूषण उपशमन हेतु सहायता की स्कीमों के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस.पी.सी.बी.) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी.सी.सी.) को सुदृढ़ बनाने के लिए, साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों (सी.ई.टी.पी.) को स्थापित करने के लिए, साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों, साझा खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भंडारण और निपटान सुविधाओं, नगरीय ठोस अपशिष्ट आदि के लिए प्रदर्शी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए, खतरनाक अपशिष्ट के लिए प्रबंधकीय ढांचे का सृजन करने हेतु सहायता प्रदान करता है। इन स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणता मानीटरी कार्यक्रम और जल गुणता निगरानी कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई निधियों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

नदियों के जल प्रदुषण के उपशमन के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई निधियों और उपयोग में लाई गई राशि का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विभिन्न अभिकरणों को पूर्व में जारी की गई निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही निधियों को जारी किया जाता है।

विवरण-I

क. विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान 'प्रदूषण उपशमन हेतु सहायता' स्कीम के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	रा.प्र.नि. बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	4.44	00.00	01.72
2.	आन्ध्र प्रदेश	4.60	00.00	00.00
3.	असम	00.00	112.00	109.00
4.	बिहार	00.00	00.0	00.00
5.	छत्तीसगढ़	00.00	100.00	15.00
6.	चण्डीगढ़	00.00	11.91	13.04
7.	दिल्ली	41.35	36.22	28.30
8.	गुजरात	20.00	00.00	00.00
9.	गोवा	18.92	30.00	103.26
10.	हिमाचल प्रदेश	20.00	00.00	00.00
11.	झारखण्ड	94.26	00.00	00.00
12.	केरल	1.125	00.00	55.25
13.	लक्षद्वीप	2.26	3.95	03.68
14.	मणिपुर	24.56	3.21	00.00
15.	मध्य प्रदेश	00.00	00.00	75.00
16.	मेघालय	2.50	12.00	26.72
17.	मिजोरम	7.31	37.13	11.94
18.	नागालैण्ड	15.96	1.96	09.46
19.	उड़ीसा	30.00	00.00	00.00
20.	पंजाब	00.00	00.00	16.00

1	2	3	4	5
21.	राजस्थान	00.00	00.00	00.00
22.	सिक्किम	6.925	1.50	04.91
23.	त्रिपुरा	32.02	33.70	65.18
24.	उत्तर प्रदेश	12.32	00.00	00.00
25.	उत्तरांचल	30.50	6.50	00.00
26.	पश्चिम बंगाल	18.00	00.00	00.00
	कुल	387.01	390.08	538.46

ख. साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए परियोजना लागत का 25% केन्द्रीय सहायता के रूप में कवर किए जाने के लिए जारी की निधियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	रा.प्र.नि. बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति	2004-05	2005-06	2006-2007
1.	गुजरात	0.00	23.00	211.97
2.	महाराष्ट्र	392.00	410.00	223.03
3.	पंजाब	3.00	0.00	00.00
	कुल	395.00	433.00	435.00

ग. विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन हेतु अवसंरचना सृजित करना स्कीम के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	रा.प्र.नि. बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति	2004-05	2005-06	2006-2007
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	00.00	4.50	2.00

1	2	3	4	5
3.	आन्ध्र प्रदेश	00.00	00.00	40.00
4.	असम	2.00	00.00	0.00
5.	बिहार	13.00	12.00	4.92
6.	चंडीगढ़	00.00	2.00	0.00
7.	छत्तीसगढ़	00.00	00.00	0.00
8.	दिल्ली	12.80	00.00	0.00
9.	गोवा	5.13	00.00	0.00
10.	गुजरात	161.07	00.00	112.50
11.	हरियाणा	00.00	00.00	0.00
12.	हिमाचल प्रदेश	9.00	00.00	0.00
13.	जम्मू-कश्मीर	00.00	00.00	0.00
14.	झारखण्ड	8.50	8.50	0.00
15.	कर्नाटक	00.00	00.00	66.85
16.	केरल	00.00	00.00	83.00
17.	लक्षद्वीप	00.00	00.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	7.50	00.00	0.00
19.	महाराष्ट्र	00.00	30.87	25.29
20.	मणिपुर	00.00	00.00	5.135
21.	मेघालय	00.00	00.00	0.00
22.	मिजोरम	00.00	13.05	0.00
23.	नागालैण्ड	00.00	00.00	0.00
24.	उड़ीसा	00.00	00.00	0.00
25.	पांडिचेरी	00.00	3.90	3.90
26.	सिक्किम	00.00	00.00	0.00
27.	त्रिपुरा	00.00	00.00	0.00

1	2	3	4	5
28.	उत्तरांचल	7.47	6.42	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	7.35	00.00	23.00

विवरण-II

क.गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जल गुणता निगरानी कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.एम.पी.) के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(रुपये में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	523472	496359	663793
असम	275310	162240	661360
बिहार	109471	251282	281859
छत्तीसगढ़	–	–	539275
गोवा	154230	–	447080
गुजरात	435947	–	918260
हरियाणा	27412	–	186225
हिमाचल प्रदेश	302870	484630	585495
झारखण्ड	–	–	34500
कर्नाटक	457654	403797	628010
केरल	467618	507959	601997
मध्य प्रदेश	380030	380030	1112750
महाराष्ट्र	536050	625937	822753
मणिपुर	78720	–	241730
मेघालय	125420	129345	96615
मिजोरम	–	–	63500
नागालैण्ड	21450	–	113200

1	2	3	4
उड़ीसा	517267	385040	329648
पंजाब	208905	–	470894
राजस्थान	32396	165669	282181
सिक्किम	212760	212760	215640
तमिलनाडु	444386	–	642698
त्रिपुरा	79445	–	151260
उत्तर प्रदेश	704494	210631	1152281
उत्तरांचल	24240	145245	37240
पश्चिम बंगाल	687312	25012	489083
चंडीगढ़	–	–	57220
लक्षद्वीप	4200	–	10940
पाण्डिचेरी	–	–	150945
कुल	6811059	4585936	11988432

ख. राष्ट्रीय वायु गुणता निगरानी कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अंतर्गत विभिन्न मानीटरी एजेंसियों को जारी किए गए भुगतान का ब्यौरा

क्र. सं.	मानीटरी एजेंसियों का नाम	2004-05 (राशि रुपये में)	2005-06 (राशि रुपये में)	2006-07 (राशि रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश रा.प्र.नि. बोर्ड	779167	927917	573750
2.	असम रा.प्र.नि. बोर्ड	304583		368334
3.	बिहार रा.प्र.नि. बोर्ड		2598000	394305
4.	चण्डीगढ़ पी.सी.सी.	417917		1615000
5.	छत्तीसगढ़ ई.सी.बी.	1056111	658750	871250
6.	गुजरात रा.प्र.नि. बोर्ड	1062500	1381250	4324583

1	2	3	4	5
7.	गोवा रा.प्र.नि. बोर्ड	226667		1190000
8.	झारखण्ड रा.प्र.नि. बोर्ड	736667		1728333
9.	जम्मू-कश्मीर रा.प्र.नि. बोर्ड			1376000
10.	हरियाणा रा.प्र.नि. बोर्ड	262083		
11.	हिमाचल प्रदेश एस.ई.पी. और पी.सी.बी.	1642167	2147666	2295000
12.	कर्नाटक रा.प्र.नि. बोर्ड	432083	935000	3105000
13.	केरल रा.प्र.नि. बोर्ड	750833	1281667	1097917
14.	महाराष्ट्र रा.प्र.नि. बोर्ड	141667		1133333
	के.टी.एच.एम. नासिक		255000	
	टी.एम.सी. थाने		127500	
	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे		255000	
	बी.एन.आई.टी., नागपुर (पहले वी.आर.सी.ई.)		215985	
	डब्ल्यू.आई.टी., शोलापुर		170000	
15.	मेघालय रा.प्र.नि. बोर्ड	297500		524167
16.	मणिपुर रा.प्र.नि. बोर्ड			225000
17.	मध्य प्रदेश रा.प्र.नि. बोर्ड	2125556	3319861	510000
18.	मिजोरम रा.प्र.नि. बोर्ड			
19.	नागालैंड रा.प्र.नि. बोर्ड			1586590
20.	उड़ीसा रा.प्र.नि. बोर्ड	602084	545416	1211250
21.	पंजाब रा.प्र.नि. बोर्ड		1416667	250000
22.	पांडिचेरी पी.सी.सी.	552500		255000
23.	राजस्थान रा.प्र.नि. बोर्ड	991667	2699167	2871250
24.	तमिलनाडु रा.प्र.नि. बोर्ड	828750	1175833	1112084
25.	त्रिपुरा रा.प्र.नि. बोर्ड			345000
26.	उत्तर प्रदेश रा.प्र.नि. बोर्ड	1237222		4016250

1	2	3	4	5
27.	उत्तरांचल ई.पी. और पी.सी.बी.		115694	288055
28.	पश्चिम बंगाल रा.प्र.नि. बोर्ड	276250	1112083	
29.	एन.ई.ई.आर.आई.	2960860		5986171
	कुल	17684834	21338456	39253622

विवरण-III

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) के अंतर्गत राज्यवार व्यय (जारी की गई निधियां) और उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/राज्य	<...2004-05...>		<...2005-06...>		<...2006-07...>	
		जारी निधियां	राज्य द्वारा व्यय #	जारी निधियां	राज्य द्वारा व्यय #	जारी निधियां	राज्य द्वारा व्यय #
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1600.00	93.06	5200.00	7659.75	4785.00	4152.03
2.	बिहार	0.00	9.01	33.72	0.00	7.19	0.00
3.	झारखण्ड	0.00	3.13	0.00	3.18	0.00	0.00
4.	गुजरात	1200.00	1092.62	0.00	521.97	0.00	0.00
5.	गोवा	510.00	905.24	100.00	0.00	0.00	0.00
6.	कर्नाटक	1368.00	1062.94	580.00	1191.30	0.00	295.80
7.	महाराष्ट्र	880.00	1324.18	1069.77	840.93	1009.00	1298.42
8.	मध्य प्रदेश	1200.00	664.18	200.00	561.28	415.00	240.17
9.	उड़ीसा	675.00	780.90	825.00	1038.54	1104.00	1447.96
10.	पंजाब	1141.00	3853.32	1274.00	2662.94	1535.00	3272.13
11.	राजस्थान	26.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
12.	तमिलनाडु	16861.00	16419.57	10307.40	23807.11	8271.77	2874.33

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	दिल्ली	190.00	0.00	100.00	0.00	2650.00	0.00
14.	हरियाणा	240.00	240.84	424.00	0.00	777.20	0.00
15.	उत्तर प्रदेश	100.00	1414.87	1678.00	2791.25	3865.00	5369.23
16.	उत्तरांचल	200.00	297.07	450.00	157.68	825.00	171.91
17.	पश्चिम बंगाल	2746.00	1643.05	4848.00	3351.81	1800.00	1728.60
18.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	सिक्किम	179.00	3.50	166.00	3.76	504.50	805.28
20.	नागालैण्ड	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग (नदी)	29116.00	29807.48	27723.89	44591.50	27548.66	21655.81

#...>ऊपर दिए गए राज्यों द्वारा व्यय में राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों में बिना खर्च की गई राशि को आगे लाकर भारत सरकार के हिस्से का बैलेंस शामिल है। इस आंकड़े में राज्य सरकारों के शेयर से व्यय भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध

756. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग को प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने अनुरोधों का निपटान कर दिया गया है;

(ग) कितने मामलों में दण्ड लगाए गए हैं; और

(घ) कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) दिनांक 30 सितम्बर, 2007 तक केन्द्रीय सूचना आयोग को 11,714 शिकायतें और अपीलें प्राप्त हुई थीं।

(ख) दिनांक 30 सितम्बर, 2007 तक 7,816 शिकायतों और अपीलों का निपटान कर लिया गया था।

(ग) आयोग ने 82 मामलों में दण्ड लगाया है।

(घ) 89 अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करने के कारण दण्डित किया गया है।

[हिन्दी]

उच्च चिकित्सा शिक्षा की समीक्षा

757. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/देश में उच्च चिकित्सा शिक्षा के मानदण्डों की जांच के लिए शिक्षाविदों तथा वैज्ञानिकों की एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति की अनुशंसाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने यह सुझाव दिया है कि उच्च चिकित्सा शिक्षा के मानदण्डों को बढ़ाये जाने तथा इनकी मॉनिटरिंग किए जाने की आवश्यकता है तथा इसके साथ ही उच्च चिकित्सा शिक्षा के लिए "पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल

एजुकेशन बोर्ड" का गठन करने की भी सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को व्यवस्थित और नियमित करने, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिप्लोमेट डिग्रियों सहित देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त स्नाकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा और डिग्रियों का स्तर बनाए रखने तथा ऐसे निकाय की स्थापना की सम्भाव्यता का निर्धारण करने तथा इसकी प्रक्रियाविधियों की भी अनुशंसा करने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण के गठन की जरूरत की जांच करने और अनुशंसा करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रोफेसर रणजीत राय चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

महिलाओं में बांझपन

758. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महिलाओं में बांझपन के अनर्थकारी सामाजिक परिणामों के बारे में चिंतित है जैसा कि दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 के "द हिन्दू" समाचार में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अन्तर्गत बांझपन को शामिल करने तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रबन्धन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, हां। यद्यपि बांझपन एक जीवनघातक स्थिति नहीं है, फिर भी इससे बांझ दम्पतियों को गहन व्यथा और अभिघात हो सकता है। सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी की बढ़ती हुई मांग से भारत में इनफर्टिलिटी क्लिनिकों की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि हुई है। ए.आर.टी. क्लिनिकों को विनियमित करने और उनका पर्यवेक्षण करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी ने भारत में ए.आर.टी. क्लिनिकों के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। केन्द्र सरकार ने इन राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को अनुमोदन कर दिया है और ए.आर.टी. क्लिनिकों के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए राज्यों को परिचालित कर दिया है।

(ग) सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी एक उच्च स्तर का तकनीकी क्षेत्र है जहां सभी तरह के बांझपन का 100 प्रतिशत सफलता के साथ उपचार नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों और परा चिकित्सीय स्टाफ द्वारा जागरूकता पैदा करने, परामर्श देने, मार्ग दर्शन देने और आश्वस्त करने का कार्य किया जा सकता है। जहां तक महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने का संबंध है, संसद ने महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 (2005 का 43) अधिनियमित किया है। केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम को 14 सितम्बर, 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए अधिनियम के अधीन कार्रवाई करें। कुछ अन्य उपाय इस प्रकार है:-

- व्यथित महिलाओं के लिए हैल्थलाइनें स्थापित करना।
- थोड़ी देर ठहरने के लिए घरों और सुधार गृह जिनके अधीन आश्रय अंनुरक्षण, परामर्श देना, क्षमता निर्माण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सीय सहायता और अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसी स्कीमों के जरिए पीड़ित व्यक्तियों को सहायता सेवाएं प्रदान करना।
- राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों के कार्यकलापों के जरिए शिकायतों का निवारण।

प्लास्टिकों से पर्यावरण की क्षति

759. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाली क्षति की सीमा का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) इंडियन सेंटर फॉर प्लास्टिक्स इन द एनवायरनमेंट, मुंबई तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलोजी, चेन्नई जोकि सामग्रियों के तौर पर प्लास्टिक वस्तुओं की सतता तथा पर्यावरण पर उनके प्रभाव संबंधी मामलों का व्यापक रूप से मूल्यांकन करती है, द्वारा वर्ष 2003 में प्लास्टिक्स फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमैंट शीर्षक से एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया गया था। तथापि, प्लास्टिक वस्तुओं को अविवेकपूर्ण इधर उधर फेंकने तथा पर्यावरणीय दृष्टि से गलत पुनःचक्रण प्रणालियों के कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ सकता है।

भारत सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्लास्टिक निर्माण, बिक्री और उपयोग नियम, 1999 अधिसूचित किया है, जिन्हें 2003 में संशोधित किया गया है। इन नियमों के अनुसार वर्जिन अथवा पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने 20x30 सें.मी. से कम के आकार के और 20 माइक्रोन की मोटाई वाले कैरी बैगों के निर्माण स्टॉकिंग, वितरण अथवा बिक्री करने पर प्रतिबंध है। इन नियमों में खाद्य सामग्रियों को रखने, ले जाने, वितरण अथवा पैक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पुनः चक्रित प्लास्टिक बैगों और कंटेनर्स के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, वर्जिन और पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैगों अथवा कंटेनरों का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए अपना उत्पादन शुरू करने से पहले संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति में पंजीकरण कराना आवश्यक है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र पंजाब, चंडीगढ़, केरल, मेघालय तथा गोवा जैसे राज्यों ने क्रमशः 50, 30, 30, 30, 40 और 40 माइक्रोन वाले प्लास्टिक बैगों की मोटाई के संबंध में निर्धारित मानकों की तुलना में अधिक सख्त मानक निर्धारित किए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य ने नॉन बायोडीग्रेडेबल सामग्री के तथा 70 माइक्रोन से कम की मोटाई तथा 18x12 इंच से कम आकार वाले कैरी बैगों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 40 माइक्रोन से कम मोटाई वाले तथा 16x12 इंच आकार के कैरी बैगों के निर्माण, उपयोग, भंडारण तथा उनकी बिक्री करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, गुजरात, उड़ीसा और गोवा राज्यों ने कतिपय धार्मिक स्थानों और पर्यटक स्थलों; जैसे गुजरात के अंबाजी, दोकोर और सोमनाथ तथा उड़ीसा के पुरी और कोनार्क के नगरपालिका क्षेत्र में प्लास्टिक बैगों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। संबंधित राज्य सरकार तथा संघ शासित प्रदेश के प्रशासन कार्यान्वयन की मानीटरिंग कर रहे है।

केंद्रीय सड़क निधि की मात्रा में वृद्धि

760. **डा. के.एस. मनोज:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केंद्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) से राज्य-वार आबंटन की मात्रा में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सी.आर.एफ. की मदद से केरल राज्य में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्रीय सड़क निधि से सड़कों के सुधार के लिए विभिन्न राज्यों के राज्य-वार कितने प्रस्ताव स्वीकृत हेतु लंबित हैं;

(ङ) इनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(च) उक्त प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केरल राज्य में अब तक 225.76 करोड़ रु. के कुल 36 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(घ) केन्द्रीय सड़क निधि से सड़कों के सुधार के लिए अनुमोदन हेतु लंबित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) स्वीकृति की उपलब्धत मात्रा, राज्य सरकारों द्वारा जारी धनराशि के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना, प्रस्तावों का निर्धारित मानदंडों के अनुरुप न होना, अभी हाल ही में प्राप्त प्रस्ताव और राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शित निम्न प्राथमिकता केन्द्रीय सड़क निधि से सुधार हेतु प्रस्तावों के बिलंबन के मुख्य कारण हैं।

(च) केन्द्रीय सड़क निधि प्रस्तावों का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है। यह अनुरोध निर्धारित मानदंडों को पूरा किए जाने, धनराशि के उपयोग और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लंबित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	2
4.	बिहार	7
5.	छत्तीसगढ़	5
6.	चंडीगढ़	0
7.	दिल्ली	3
8.	गोवा	0
9.	गुजरात	0
10.	हरियाणा	0
11.	हिमाचल प्रदेश	0
12.	जम्मू-कश्मीर	0
13.	झारखण्ड	0
14.	कर्नाटक	87
15.	केरल	0
16.	मध्य प्रदेश	17
17.	महाराष्ट्र	219
18.	मणिपुर	1
19.	मेघालय	5
20.	मिजोरम	9
21.	नागालैण्ड	0
22.	उड़ीसा	0
23.	पंजाब	9
24.	पांडिचेरी	0
25.	राजस्थान	16
26.	सिक्किम	3
27.	तमिलनाडु	0
28.	त्रिपुरा	0
29.	उत्तराखण्ड	0
30.	उत्तर प्रदेश	11
31.	पश्चिम बंगाल	0
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
33.	दादर और नागर हवेली	0
34.	दमन और दीव	0
35.	लक्षद्वीप	0

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

761. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कोई संदर्शी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास का स्तर ठीक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्षेत्र के इष्टतम विकास के लिए उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं तथा इसके प्रमुख 'थ्रस्ट' क्षेत्र क्या हैं; और

(ङ) इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास को एकीकृत, संपूर्ण तथा क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करने की दृष्टि से पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग ने दृष्टिकोण 2020 दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का कार्य सार्वजनिक वित्त एवं नीति राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली को सौंपा है जो कि एन.ई.आर. के लगभग 40,000 प्रत्यर्थियों द्वारा पहले किए गए अध्ययन पर आधारित है। दृष्टिकोण दस्तावेज मसौदा तैयारी के अंतिम सोपान पर है तथा 10-11 दिसंबर, 2007 को निर्धारित एन.ई.सी. की आगामी पूर्ण बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) उत्तर पूर्व क्षेत्र का संपूर्ण विकास राष्ट्रीय औसत से नीचे रहा है। यह नोट किया जाए कि किसी अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की वृद्धि के रूप में व्यक्त किया जाता है जो कि राज्य-दर-राज्य तथा वर्ष-दर-वर्ष भिन्न रहती है। 2004-05 के दौरान सिक्किम, नागालैण्ड तथा मिजोरम तीनों राज्यों के संबंध में प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. राष्ट्रीय औसत से अधिक था। प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष, 2004-05 के लिए प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. तथा अन्य विभिन्न विकास सूचकांक को दर्शाता हुआ एक विवरण संलग्न है।

(घ) एन.ई.आर. दृष्टिकोण 2020 दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रमुख थ्रस्ट सेक्टर संपर्क (सड़क, रेल, हवाई, अंतरदेशीय जलमार्ग तथा दूरसंचार), कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पर्यटन हैं। भागीदारी विकास को इन्क्लूजिव वृद्धि की कुंजी के रूप में देखा जा रहा है।

(ङ) विकास एक सतत् प्रक्रिया है। विकासात्मक कार्य सभी महत्वपूर्ण सेक्टरों में चल रहे हैं। दृष्टिकोण-2020 जैसाकि नाम से इंगित है कि इसमें ग्यारहवीं तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना तथा तेरहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्ष की समयावधि शामिल होगी।

विवरण

सूचकांक	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैण्ड	सिक्किम	त्रिपुरा	एन.ई.आर.	भारत
साक्षरता दर (%) 2001	54.3	64.3	70.5	62.6	88.8	66.6	68.8	73.2	68.5	64.8
शिशु मृत्युदर (प्रति 1000) 2005-06	61	66	30	45	34	38	34	52	45#	57
2004-05 मिश्रित री-कॉल अवधि-खपत पर आधारित गरीबी अनुपात	13.4	15.0	13.2	14.1	9.5	16.5	15.2	14.4	13.9#	23.6
प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. (रु.) 2004-05	21,919	15,661	16,299	20,775	30,375+	26.129+	26,215	24,984+	18,032	25,944*
औसत वार्षिक वृद्धि दर (%) 1995-96 से 2004-05	1.39	1.68	4.97	3.73	5.50	3.21	6.52	8.22	3.01	3.89
वन्य क्षेत्र (%) 2003	61.55	34.45	78.01	42.34	75.71	52.05	82.29	60.01	54.52	23.57
प्रति व्यक्ति विद्युत खपत (कि.वा.प्र.घं.) 2004-05	144.8	85.3	70.05	352.2	133.7	87.2	397.7	113.1	110.4	411.1
सड़क लंबाई (कि.मी./1000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र) 2002	219.3	1140.9	512.1	426.5	229.8	1267.9	284.4	1554.1	660.9	755.4

स्रोत: भारतीय सांख्यिकी सार (2006), नेडफी तिमाही आंकड़े (2005), जिल्द, 4, सं. II अप्रैल, मानव विकास रिपोर्ट, www.mospi.nic.in.http://wwwplanningcommission.nic.in

टेप्पणी: #एन.ई.आर. के लिए उपयोग किए जाने वाले साधारण औसत; +2003-04 और 2004-05 के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में; ++ 2005-06 के लिए इसके अनुमानित मूल्य के संदर्भ में; *भारतीय रिजर्व बैंक से कारक लागत (आर.ई.) पर प्रति व्यक्ति जी.डी.पी., भारतीय अर्थव्यवस्था, 2005-06 के संबंध में सांख्यिकी हस्तपुस्तिका।

पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

762. श्रीमती निवेदिता माने:

प्रो. एम. रामदास:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

श्री मंजुनाथ कुन्नुर:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सिंचाई और विकास की अन्य परियोजनाओं सहित बड़ी संख्या में प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार क्या कारण हैं; और

(ङ) पर्यावरणीय मंजूरी देने की प्रक्रिया के सरलीकरण के पश्चात् लम्बित परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में कितनी मदद मिलेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, कुशल विकेन्द्रीकृत तथा समयबद्ध बनाने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को एस.ओ. सं. 1533(ई) के तहत जारी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है।

(ग) और (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वन भूमि वाली परियोजनाओं को वन मंजूरी प्रदान करने से संबंधित है और पर्यावरणीय मंजूरियां पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत प्रदान की जाती है। किसी भी अधिनियम के उपबंधों पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक अधिनियम के तहत प्रस्तावों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाता है। अतः वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी के लिए किसी विकासात्मक परियोजनाओं के लम्बित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 गुणवत्ता ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्कोपिंग, निर्धारित समय-सीमा सहित स्ट्रक्चर्ड जन परामर्श, राज्य स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणों (एस.ई.आई.ए.ए.) और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एस.ई.ए.सी.) का गठन करके पर्यावरणीय मंजूरी को विकेन्द्रीकृत करने और प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्धारित करने से संबंधित है और इस प्रकार परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) इन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) इन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7215/07]

(ख) (एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7216/07]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1538(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित निगमों, जो किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किए गए, सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित या नियंत्रित अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के प्रयोजनार्थ अधिकारियों का स्तर विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 7217/07]

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007, जो 18 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 669(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007, जो 18 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 670(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007, जो 18 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 671(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007, जो 18 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 672(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007, जो 18 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 673(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते व सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2007, जो 18 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 674(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7218/07]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 2007, जो 22 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 367(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 513(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2007, जो 2 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 458(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7219/07]

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 518(अ) जो 31 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 21 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 491(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 7220/07]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): मैं नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 7221/07]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 644(अ) जो 25 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 97(अ) जो 1 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1451(अ) जो 23 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 526(अ) जो 9 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर कलेक्टर-I, जयपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 527(अ) जो 9 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के हेतु सब-जिवीजनल अधिकारी, श्री माधोपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 528(अ) जो 9 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर कलेक्टर-I, जयपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सात) का.आ. 1425(अ) जो 17 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ, था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखनाडोन खण्ड)

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1314(अ) जो 1 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और 85 (छपरा-हाजीपुर और छपरा-सिवान-गोपालगंज खण्डों) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 732(अ) जो 10 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 142(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ. 733(अ) जो 19 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 143(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का.आ. 1362(अ) और का.आ. 1363(अ) जो 6 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बड़ोदरा-सूरत खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (छह लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 632(अ) जो 23 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (भरतपुर-माहवा खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1225(अ) जो 26 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 47(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 1378(अ) जो 8 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 534(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पन्द्रह) का.आ. 1220(अ) जो 26 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-नेलामंगला खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1412(अ) जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के, उसमें उल्लिखित खण्ड के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय आधार शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1041(अ) जो 27 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु जिला राजस्व अधिकारी, फरीदाबाद को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1312(अ) जो 1 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1289(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 1313(अ) जो 1 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1290(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का.आ. 1415(अ) जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1741(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ. 1416(अ) से का.आ. 1420(अ) जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-कीरतपुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण चौड़ा करने (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 1421(अ) और का.आ. 1422(अ) जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर-परवानू खण्ड, पिंजौर-कालका-परवानू बाईपास सहित) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 1423(अ) जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 85(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ. 1445(अ) जो 22 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (ओरई-भोगनीपुर खण्ड) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (भोगनीपुर-बारा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1566(अ) जो 18 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1675(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का.आ. 1466(अ) जो 29 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व), मुजफ्फरनगर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किये जाने के बारे में है।

(सताईस) का.आ. 1540(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर टॉल प्लाजा के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किये जाने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 1726(अ) जो 10 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर-धुले खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन किये जाने के बारे में है।

(उनत्तीस) का.आ. 1529(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर-धुले खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना), अनुरक्षण, प्रबंधन

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1756(अ) जो 15 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन किये जाने के बारे में है।

(इक्तीस) का.आ. 1727(अ) और 1728(अ) जो 10 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानी-कोईली-रिमुली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन किये जाने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1554(अ) जो 17 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किये जाने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक से छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7222/07]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेन्ट्रल जू ऑथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल जू ऑथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7223/07]

(3) (एक) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7224/07]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) का.आ. 1539(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1174(आ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 1811(अ) जो 24 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7225/07]

अपराह्न 12.02 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इकतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02¼ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (विशाखापट्टनम): महोदय, मैं राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007 के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02¾ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं कार्य मंत्रणा समिति का 42वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के चौदहवें और सोलहवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

श्री प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मैं, विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की 14वीं और 16वीं रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में अध्यक्ष महोदय के निर्देश 73क के अन्तर्गत वक्तव्य दे रहा हूं।

प्रवासी भारतीयों से सम्बन्धित मामलों के बारे में विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की 14वीं रिपोर्ट (2006-07) लोक सभा में 19 मार्च, 2007 को और राज्य सभा में 20 मार्च, 2007 को प्रस्तुत की गयी थी। समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों को समिति को 27 जून, 2007 को भेज दिया गया था। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों के बारे में विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की 16वीं रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में 26 अप्रैल, 2007 को रखी गई थी। समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाहियों को समिति को 8 अगस्त, 2007 को भेज दिया गया था।

तथापि, यथाअपेक्षित, स्थायी समिति की 14वीं और 16वीं रिपोर्टों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को क्रमशः अनुबन्ध 1 और 2 में वर्णित किया गया है जिन्हें सदन के सभापटल पर रखा जाता है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि सिवाय एक सिफारिश (14वीं रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 18) को छोड़कर मंत्रालय ने 14वीं और 16वीं रिपोर्टों के निहित सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन पर कार्रवाई की है। मुझे आशा है कि वे मेरे मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट होंगे।

अपराह्न 12.03¼ बजे

(दो) गरीब और जरूरतमंद मरीजों को वित्तीय सहायता के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या

*सभा पटल और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* सं. एल.टी. 7229/07

2186 के 29 अगस्त, 2007 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, मैं श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

मैं निर्धन और जरूरतमंद रोगियों को वित्तीय सहायता के बारे में 29 अगस्त, 2007 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2186 के संबंध में दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित करती हूं। प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में दिए गए आंकड़े केवल व्यक्तिगत रूप से रोगियों को दी गई धनराशि है। तथापि, विभिन्न सरकारी अस्पतालों और राज्य सरकारों को आवर्ती निधि के अन्तर्गत जारी धन राशि इसमें शामिल नहीं है। अब इसे शामिल किया जा रहा है। सही उत्तर इस प्रकार है:-

वर्ष	राष्ट्रीय आरोग्य निधि (लाख रुपए)
2005-06	734.02
2006-07	770.35
2007-08 (15-08-2007 तक)	341.61

अपराह्न 12.03½ बजे

(तीन) आदिवासियों और दलित व्यक्तियों की छंटनी के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4745 के 9 मई, 2007 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव):

(1) "आदिवासी और दलित व्यक्तियों की छंटनी" के संबंध में अतारांकित प्रश्न सं. 4745 के भाग (छ) और (ज) के उत्तर को "इस संबंध में सरकार को प्राप्त ज्ञापन में सी.आई.एल. और उसकी सहायक कंपनियों की आर. एंड आर. नीति के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया। तथापि, राज्य सरकारों की भिन्न-भिन्न आर. एंड आर. नीतियों के कारण विकृतियों का उल्लेख किया गया था। यह भी सुझाव दिया गया कि सी.आई.एल. और उसकी सहायक कंपनियों को एक समान आर. एंड आर. नीति का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय आर. एंड आर. नीति अर्थात एन.पी.आर.आर. 2003 में इस समय संशोधन किया जा रहा है। संशोधित एन.पी.आर.आर. लागू हो जाने के बाद, कोल इंडिया लि. भी इसी का पालन करेगी के रूप में पढ़ा जाए।"

भूलवश त्रुटि हो गई।

त्रुटि के लिए खेद है।

[ग्रंथालय में रख गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 7231/07]

अपराह्न 12.03¼ बजे

प्राक्कलन समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उप नियम (3) के अंतर्गत, श्री विजय कुमार खडेलवाल, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उप नियम (3) के अंतर्गत, श्री विजय कुमार खण्डेलवाल, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* सं. एल.टी. 7230/07

अपराह्न 12.04 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

पश्चिम बंगाल के नन्दीग्राम में विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के प्रस्ताव तथा उसके परिणाम-स्वरूप बड़े पैमाने पर हुई हिंसा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं मद संख्या 18 पर आता हूं। माननीय सदस्यो अब हम पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में घटित कुछ घटनाओं से उत्पन्न हुए मुद्दों को नियम 193 के अधीन चर्चा के लिये उठायेंगे। मैं सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि मेरे आग्रह पर उन्होंने इस विषय पर चर्चा की प्रक्रिया के बारे में सहमति बनाई। मैं इस सहयोग के लिये उनकी प्रशंसा करता हूं।

इस विषय के संबंध में एक ही समय में बहुत सी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं तथा नियमों के अनुसार बैलेट के माध्यम से ही यह तय किया जा सकता था कि चर्चा का आरम्भ कौन सदस्य करे, तथापि प्रमुख विरोधी दल के माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुसार, मैंने विरोधी दल के नेता को चर्चा आरम्भ करने के लिये आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। मैं जानता हूं कि हमारे माननीय सदस्य आज चर्चा हेतु उठाए गये विषय के संबंध में संवैधानिक सीमाओं के प्रति भली-भांति जागरूक हैं। मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि इस विषय पर चर्चा इस प्रकार की जाए जिससे इस संबंध में कोई हल निकालने में सहायता मिल सके। और मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि इस विषय पर चर्चा पूरी जिम्मेदारी से की जायेगी।

मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से अपील करता हूं कि वे अपने विचार व्यक्त करें और दूसरों को सुनें तथा अपनी बारी में ही जो कहना चाहें कहें। एक बार फिर मैं इस सदन में जो कि सबसे बड़ा सार्वजनिक मंच है, सभी पक्षों से, विशेष रूप से इस चर्चा के दौरान सहयोग की उम्मीद करता हूं। हमेशा की तरह, इस चर्चा के लिये दो घंटे का समय नियत किया गया है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए 'लॉट्स' डालने की सामान्य पद्धति को छोड़कर, विपक्ष की ओर से मुझे इस चर्चा को आरम्भ करने का अवसर दिया। इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार रखने से पहले मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आज प्रातःकाल जब मैंने अखबार देखे, प्रधान मंत्री ने नन्दीग्राम के बारे में कुछ कहा है। मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि विदेश जाते हुए उन्होंने विमान में इस प्रश्न के महत्व की ओर पूरे देश का और संसद का ध्यान आकृष्ट किया है। एक प्रकार से उनका यह वक्तव्य इस बात पर भी बल देता है कि इस प्रकार के प्रश्न पर संसद चर्चा करे, यह स्वाभाविक है और जरूरी है।

उन्होंने कहा है कि- *[अनुवाद]* मुझे आशा है कि राज्य सरकार सुरक्षा बलों की प्रभावी तैनाती के माध्यम से लोगों में पुनः विश्वास पैदा करने के लिए यह आवश्यक कदम उठाएगी। कोलकता के कलाकारों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा इस घटना पर स्वाभाविक तौर पर व्यक्त किए दुःख एवं उनकी चिन्ता को समझ सकता हूं। मुझे आशा है कि राज्य सरकार इस पर ध्यान देगी। *[हिन्दी]* मुख्यमंत्री ने एक रिस्पांस भी दिया है, चाहे पार्टी ने कोई और रिस्पांस दिया हो। यहां पर उसकी अभिव्यक्ति हो जायेगी कि जो पार्टी वहां पर शासन कर रही है, वह मुख्यमंत्री के रिस्पांस से संतुष्ट है या पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही है, उससे संतुष्ट है। लेकिन आपने इस चर्चा के लिए जो गाइडलाइंस अपनी ओर से बताई, मैं उनका पूरा पालन करने की कोशिश करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धन्यवदा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं चाहूंगा कि इस चर्चा का उपयोग केवल एक-दूसरे पर मात्र प्रहार करने के लिए न हो, बल्कि इस प्रकार की स्थिति कहीं पर भी, कभी भी पैदा न हो, इसका क्या प्रबंध किया जा सकता है, यह चिंता करने की बात है। मैं समझता हूं कि नन्दीग्राम में जाने पर सहज रूप से यह सबको लगता है।

यह एक साधारण बात नहीं है। वहां की घटनाएं कोई अभी की नहीं हैं, जो अक्तूबर-नवम्बर में हुई। यह सिलसिला वहां कई महीनों से चल रहा है। वहां पर जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है, उसकी शुरुआत वर्ष के आरम्भ में हुई थी। मैं स्वयं मार्च के महीने में वहां गया था और अब फिर

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

पिछले सप्ताह गया। दोनों बार की मेरी यात्रा में पूरे एन.डी.ए. की पार्टियों के साथी मेरे साथ गये थे। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा अंतर था कि जब मैं मार्च के महीने में वहां पर गया तो बहुत सारे लोग हमसे आकर मिलते थे। बातें करते थे और खुलकर बताते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। इस बार आतंक का एक ऐसा वातावरण था कि अगर कोई आकर मिलता था तो उसे रोकने वाले उसके परिवार के ही लोग होते थे। मेरे साथ दूसरे सदन से सुषमा जी भी गई थीं, जो उनसे जब महिलाएं मिलती थीं और बलात्कार की चर्चा करती थीं तो एक महिला को उसके घर का लड़का उठाकर ले गया कि ऐसा क्यों करती हो? अपना नाम मत बताना, किसी टी.वी. वाले को या किसी प्रैस वाले को अपना फोटो मत लेने देना। यह जो आतंक का वातावरण इस बार मैंने देखा, उसके कारण मुझे लगा कि इस बार का मामला बहुत गंभीर हो गया है। कैसे हुआ है, उसका थोड़ा सा उल्लेख मैं करूंगा। मैंने जैसा कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि यह केवल एक-दूसरे को दोष देने का एक प्रकरण बन जाए। यह मैं अपने साथियों को भी कहूंगा। मुझे आकर वामपंथी पार्टी के कई लोग कहते हैं कि आप लेफ्ट मत कहिए। आप सी.पी.एम. का नाम लीजिए। आप लेफ्ट मत कहिए। मुझे ऐसा कहने वाले इस लेफ्ट एलायंस के अलग-अलग पार्टियों के लोग हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): क्या मैं नाम जान सकता हूं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं किसी का नाम नहीं लूंगा।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): यह सब टेलिविजन पर आ चुका है...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: गुमनामी रखना कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह कोई गुमनामी नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं यह बात ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कोई किसी की बात न काटे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, उन्होंने सही प्रश्न पूछा है और उन्होंने उस प्रश्न को पूछने का समुचित आधार भी दिया है परन्तु उनका नाम बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। यह मेरी मजबूरी है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: परन्तु क्या यह वक्तव्य देना आपके लिए सही है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जी हां, यह महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

इसीलिए मैं लेफ्ट का नाम नहीं लूंगा। चाहें तो आपकी पार्टी का नाम ले सकता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: ले लीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं ले लूंगा। मैं इस बात पर आता हूं कि मैं जहां प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का स्वागत करता हूं वहीं मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा कि परसों, सोमवार के दिन यहां सेन्ट्रल हॉल में श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर पुष्प अर्पित करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए थे, और सदन के नेता से तब मेरी पहली बात हुई। मैंने कहा कि नंदीग्राम के संदर्भ में एन.डी.ए. ने तय किया है कि हम एक स्थगन प्रस्ताव देंगे जोकि हमने दिया। और अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा था कि स्थगन प्रस्ताव तो हो सकता है।

[अनुवाद]

जहां तक केन्द्र सरकार की असफलता का संबंध है इसका राज्य सरकार की असफलता से कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

मैंने कहा कि सही बात है और इसकी ड्राफ्टिंग मैंने उसी हिसाब से करके अध्यक्ष जी को दिया था। मैं नहीं जानता हूं कि वह एडमिट होगा या नहीं होगा। उस पर सदन में कितने लोग समर्थन में खड़े होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मैंने अपने सहयोगी मल्होत्रा जी को यह भी कहा कि आप अध्यक्ष जी को यह भी बता दें कि हमारा कोई विधा पर आग्रह नहीं है। डिवाइस एडवर्जनमेंट मोशन हो, इस पर आग्रह नहीं है। हमारा इस बात पर आग्रह है कि

नंदीग्राम की चर्चा सदन में जरूर होनी चाहिए। वह चाहे किसी रूप में हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आडवाणी जी क्या मैं कुछ देर के लिए आपको बीच में रोक सकता हूं? 15 तारीख से सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले से ही, जैसे ही यह मामला उठाया गया था उस समय मैंने कहा था कि 'मैं केवल समुचित तरीके से ही चर्चा की अनुमति दूंगा और कृपया इस पर स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए जोर मत दीजिए'।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यही तो मैं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए मैंने यह कहा था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आरंभ में ही मैंने यह कहा था अन्यथा मैं आपके पास आकर यह बता सकता था कि स्थगन प्रस्ताव लाना क्यों संभव है, परन्तु मैंने ऐसा नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय: मैं बहुत प्रसन्न हूं कि अब यह चर्चा इस वातावरण में हो रही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने आरंभ से यही कहा है और मैंने यह बात मल्होत्राजी से भी कही थी। और जब सभा के नेता प्रणव दा ने उसी वक्त मुझसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी भी यही राय है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि उन्होंने इस संबंध में पहल की थी। उन्होंने कुछ अन्य दलों से भी बात की थी। उन्हें उस रात जाना पड़ा और यह मामला कल भी जारी रहा था।

[हिन्दी]

मुझे इस बात का संतोष है कि कल और परसों जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, वह गतिरोध अब समाप्त हो गया है और इस विषय पर मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब कोई गतिरोध नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, मैं ऑब्वियसली यह कहूंगा कि जो बात कही गई कि किसी सूरत में इस चर्चा के लिये नन्दीग्राम नाम नहीं आयेगा, तब मैंने कहा कि अगर किसी सूरत में नन्दीग्राम नाम नहीं आयेगा तो गतिरोध किसी सूरत में समाप्त नहीं होगा। मुझे खुशी है कि नन्दीग्राम का नाम इसमें आया है चाहे जिस ढंग से आया हो। *[अनुवाद]* यदि इसमें कुछ अलग होता तो मुझे अलग लगता। हम केवल एस.ई.जेड. पर ही चर्चा नहीं कर रहे हैं। नंदीग्राम में जो कुछ हुआ वह इस मामले से कुछ बढ़कर है अथवा एस.ई.जेड. के प्रश्न पर भिन्न मत हैं। *[हिन्दी]* हम लोग एस.ई.जेड. पर डिसक्शन कर चुके हैं। लेकिन पार्लियामेंट में डिसकशन के लिए केन्द्र से जुड़ा कोई न कोई पहलू होना चाहिए - चाहे सी.आर.पी.एफ. का उल्लेख हो, चाहे एस.ई.जेड. लाया जाये, या कोशिश यह हुई कि नन्दीग्राम का उल्लेख किये बिना, चाहे देशभर में नक्सलवाद की समस्या या देश में फार्मर्स की समस्या पर चर्चा हो - तब मैंने कहा कि अगर ऐसा करना है तो गतिरोध समाप्त करने का यह कोई तरीका नहीं है। मुझे इसलिये खुशी है कि जिस-जिस ने इस ड्राफ्ट को बनाने में योगदान दिया, मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: हमें भी थोड़ा क्रैडिट दीजिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, मुझे क्षमा कीजिये। उसके बारे में मैं अलग से कहूंगा और मुझे जो कहना होगा, मैं कह दूंगा लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि आपने कल जो बयान दिया था, उससे दुनिया को क्या लगता है। मैं सोचता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बात सभी वर्गों पर लागू होती है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: चूंकि आपने बात की है, इसलिये मैं कह देता हूं कि अगर इस सदन में नन्दीग्राम पर चर्चा नहीं होती तो न केवल नन्दीग्राम में, न केवल पश्चिमी बंगाल में लेकिन देश के बहुत सारे भागों में बहुत लोगों में यह भावना होती कि नन्दीग्राम जैसा बड़ा कांड हो जाए और संसद में उस पर चर्चा न हो।

[अनुवाद]

उन्हें नियमों की समझ नहीं है। परन्तु सच तो यह है कि यदि इस विषय पर चर्चा नहीं हुई होती तो इस देश की जनता की नजरों में संसद की गरिमा कम हो जाती।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

[हिन्दी]

इसलिये संसद के सम्मान के लिये आवश्यक है कि यदि इस प्रकार की घटनायें कहीं भी हों, उन पर चर्चा जरूर होनी चाहिये और उस पर खुल कर चर्चा होनी चाहिये। यह कोई न कहे कि "नंदीग्राम" शब्द उस में नहीं होगा और यहां कहा गया कि अगर यह शब्द होगा तो हम मोशन स्वीकार नहीं करेंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे इस बात से सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं इतना कहूंगा कि यह सदन सत्य तक पहुंचना चाहेगा और हमारे यहां सत्य को 'शिव' कहते हैं। और शिव तक पहुंचने के लिये नन्दी को पार करना ही पड़ता है। सोमनाथ जी यहां बैठे हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय: पर आप लोग ऐसा मत कीजिये कि हमें तांडव नृत्य करना पड़ जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय मेरे जीवन में सोमनाथ नाम के व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि सोमनाथ नामक स्थान का और मन्दिर का भी बहुत महत्व है।

अध्यक्ष महोदय: आपने हमें स्वीकार किया, उसी वास्ते यहां आये।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता - उत्तरपूर्व): पहले सोमनाथ से अयोध्या तक, फिर सोमनाथ तक...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, इन्होंने अयोध्या का जिक्र कर दिया। इसलिये जो बात मैं आखिर में अपने ऑप्रेटिव पार्ट में कहने वाला था, अभी कह देता हूं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उसके बाद नन्दीग्राम।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: क्योंकि हमारे मित्र श्री बसुदेव जी ने जिक्र किया है। इसलिये अभी कह देता हूं कि चाहे अयोध्या की समस्या हो, चाहे गोधरा की समस्या हो, चाहे गुजरात के दंगे हों, यहां सदन से ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे गये हैं...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: 1984 के दंगों के लिये...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: 1984 के दंगों में वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन इन तीन स्थानों के लिये ऑल पार्टी डेलीगेशन गये थे। इसलिये मेरा सुझाव होगा जिसे आखिर में रिपीट करूंगा कि इस बार नन्दीग्राम के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिये एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा के सभी पक्षों से अपील कर रहा हूं। उन्होंने एक सुझाव दिया है। आपके भाषण के दौरान आप यदि प्रत्युत्तर देना चाहे तो दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह सच नहीं है। वहां कोई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल नहीं था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसका उत्तर तब दीजिए जब आप बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं अन्य किसी व्यवधान की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): मैं उस प्रतिनिधिमंडल का सदस्य था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: आप सच नहीं बोल रहे हैं। अयोध्या में नहीं गया था आल पार्टी डैलिगेशन।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो जब आप बोलेंगे तब कह दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: अयोध्या नहीं गया था डैलिगेशन। *[अनुवाद]* सभा को गुमराह मत कीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ की बात सुनिए; उन्होंने अपने भाषण की अच्छी शुरुआत की है; हमें उन्हें सुनना चाहिए। उनके अपने विचार हैं और उन्हें अपने विचार रखने का अधिकार है। यदि आपके विचार भिन्न है तो आप उनका खंडन कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम बात को सुधारने की कोशिश कर रहे है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बीच में बोल कर किसी कथन को मत सुधारिए जब आपकी बोलने की बारी आए तब आप इसका खंडन कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने केवल आल पार्टी डेलिगेशन की बात की।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर सभी दलों को एकत्रित कार्य करना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं *[हिन्दी]* हम सब मिलकर कर रहे हैं। मैं तो आपको भी कहने वाला हूं और बहुत कुछ, लेकिन आलोचना करने के लिए नहीं, मुझे लगता है कि यह अवसर है आपके लिए..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सभी यह कह रहे हैं कि यह एक गंभीर मामला है तो इसकी गंभीरता कम मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जब वहां पर गए तो वहां पर एक हायर सैकेन्ड्री स्कूल है जिसको रिफ्यूजी कैम्प में कनवर्ट कर दिया गया था। गांवों में गए, तो गांव बिल्कुल सुनसान थे। गांव खाली पड़े हैं केवल कुछ वृद्ध व्यक्ति ही वहां रह रहे थे। उनसे मिलकर जितना उनसे पता लगता था, वे बताते थे। वे कहते थे कि लोग डर के मारे भाग गए हैं और बहुत सारे हमारे लोग नन्दीग्राम टाउन में रिफ्यूजी कैम्प में हैं। वहां रिफ्यूजी कैम्प में हम गए। वहां सबसे पहले लोगों ने देखा कि संसद के सदस्य आए हैं तो भागकर कई महिलाएं एक साथ आईं, आठ-दस होंगी, पैर पकड़कर रोने लगीं कि हमें तो खाली इतना पता लगे कि हमारे पति जीवित हैं या नहीं। हम खाली यह जानना चाहते हैं कि हमारे पति जीवित हैं या नहीं। *[हिन्दी]* वहां का दृश्य ऐसा था कि मुझे बहुत दु:खदायक लगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा मत कीजिए, व्यवधान मत डालिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने कहा कि मैं आया हूं। फिर उन्होंने उसी समय एक इंप्रॉम्प्टू सा मंच लगाकर कहा कि आप बोलिए। कोई माइक्रोफोन ले आए। मैं उस पर बोला।

[अनुवद]

वह जनसभा बन गई। उसी जनसभा में मैंने उनसे यह वादा किया था कि इन घटनाओं के चलते ही मैं संसद सदस्य के रूप में अपने अन्य सहयोगियों के साथ यहां आया हूं। हम निश्चित रूप से यह मामला संसद में उठायेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। और संसद के माध्यम से मैं राज्य सरकार को कहूंगा कि यह उनका दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपने पति के संबंध में पूछे गए प्रश्न, कि वे जीवित हैं अथवा नहीं का उन्हें समुचित उत्तर मिलना चाहिए। इस बीच ऐसा कुछ हुआ कि कई अन्य घटनाएं घट गई।

[हिन्दी]

मैं आज इस बात को स्वीकार करूंगा कि साधारणत: इस संसद में कोई राज्य के मामले डिसकस नहीं होते। अगर कोई साधारण लॉ एंड ऑर्डर का राज्य का मामला माना जाए तो फिर डिसकशन जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन यह क्यों जस्टिफाइड हुआ, मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा जिसके कारण प्रधान मंत्री को भी कहना पड़ा कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। उसमें जिक्र है, मैंने क्वोट नहीं किया।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

लेकिन पहले जब मैंने गवर्नर का स्टेटमैंट देखा तो मैं तो चकित हो गया। मुझे याद नहीं कि पिछले साठ सालों में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आडवाणीजी आप अच्छी तरह जानते हैं कि वाद-विवाद चर्चा के दौरान हम राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हम भी नाम नहीं लेते हैं परन्तु उनका नाम लेना इस चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं किया जा सकता लेकिन मामले की मुख्य बात कही जा सकती है।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह सार्वजनिक वक्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय: यदि यह सार्वजनिक वक्तव्य हो सकता है तब राष्ट्रपति का वक्तव्य भी सार्वजनिक वक्तव्य है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने यह बात राज्यपाल से भी कही थी। मैंने कहा कि आमतौर पर राज्यपाल राज्य के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है कि राज्य में क्या घट रहा है।

[हिन्दी]

यह मंथली और पीरियोडिकली भी आती है।*...

[अनुवाद]

यही वे शब्द हैं जिनका उन्होंने उपयोग किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले की जांच करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: महोदय, वह राज्यपाल के आचरण पर कैसे चर्चा कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे इसकी चर्चा नहीं कर सकते इसका निर्णय मैं करूंगा मैं इस मामले की जांच करूंगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसलिए वे इसमें भाग नहीं ले सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आप सोचिए कि इस मामले में *... *[अनुवाद]* इस बात का उल्लेख और किसी ने नहीं बल्कि श्री अशोक मित्रा ने किया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

कृपया ऐसा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको श्री अशोक मित्रा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात पर कायम रहूंगा। मैं भी चाहता हूं कि वह यहां आए।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह बात अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा है...

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि किसी के वक्तव्य के अंश को पढ़ने की अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: क्यों? हमने अनेक बातें सुनी है। हमने इतनी वक्तव्यों को उद्धृत किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने इसका हवाला दिया आपने इसका उल्लेख किया। किसी के वक्तव्य में से कुछ अंश पढ़ना अनुमेय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उन्होंने कहा है: * *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है। आप इसका सारांश दे सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इसका सार यह है कि जब उन्हें आमंत्रित किया गया।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, टोका-टाकी हो रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम रिकवेस्ट करते हैं कि टोका-टाकी नहीं होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आपने इंटरप्ट न किया होता तो कोई टोका-टाकी नहीं होती।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह देखना मेरा दायित्व है कि नियम और प्रक्रियाओं का पालन हो। मैंने कहा है कि आप इसका सारांश दे सकते हैं। इस पर चर्चा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इसका सारांश यह है कि श्री अशोक मित्रा के अनुसार जब उन्होंने राज्यपाल बनने पर अपनी सहमति जताई तब वे यह चाहते थे कि भा.क.पा. (मा) का नेतृत्व उन्हें राज्यपाल स्वीकार करने के लिए तैयार (रहे) अब वह दुश्मन बन गए है। इन्हीं शब्दों का उपयोग किया गया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया दुश्मन शब्द का उल्लेख मत कीजिए। वह राज्य के सम्माननीय राज्यपाल है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप इसे छोड़िए कि कौन क्या बोल रहा है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सी.पी.एम. वालों ने बोला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे इसे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। मैं भी उन्हें बुलाना चाहता था।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि टिप्पण उतार लें। अब उनके भाषण में व्यवधान मत कीजिए। यदि मुझे लगता है कि वे जो कर रहे हैं कार्यवाही की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है तो मैं हस्तक्षेप करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, अलग-अलग गण्यमान्य लोगों से तीन वक्तव्य प्राप्त हुए हैं जिसमें से निःसंदेह एक राज्यपाल का वक्तव्य है। मैं उसको यहां उद्धृत नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि नंदीग्राम की घटना पूर्णतः गैरकानूनी तथा अस्वीकार्य है। दूसरा है कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय यह निर्णय पिछले हफ्ते ही आया है। जिसमें कहा गया है कि गोलीबारी 14 मार्च को हुई - यह घटना असंवैधानिक तथा अनुचित है। जो कुछ भी निर्णय में कहा गया है मैं उसे उद्धृत नहीं करना चाहता। तीसरा वक्तव्य यह है कि सी.आर.पी.एफ. को नंदीग्राम में जब सहायता के लिए बुलाया गया है तब यह कहा गया था कि हमारी *[हिन्दी]* जवाबदारी पूरी हो जाएगी, वे नंदीग्राम संभाल लेंगे। *[अनुवाद]* वहां के भाकपा (मा) के अनुसार हिंसा में जो लिप्त थे वे माओवादी थे। फिर पश्चिम बंगाल के गृह सचिव ने एक वक्तव्य दिया कि वहां वस्तुतः कोई माओवादी नहीं है।...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: क्या आप माओवादी के प्रवक्ता हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आप सी.पी.एम. को बचाने के लिए माओइस्ट की भी तारीफ करने लगेंगे।...*(व्यवधान)* उसमें कोई दिक्कत नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मो. सलीम आपकी बोलने की बारी आने वाली है। आप उस वक्त उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा साहेब मैं जितना बेहतर हो सकता है कर रहा हूं। आपके नेता सम्बोधित कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री लालकृष्ण आडवाणी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया इस प्रकार व्यवधान मत डालिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, श्री अलोक राज सी.आर.पी.एफ. के डी.आई.जी. ने कहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, यह आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, सी.आर.पी.एफ. के डी.आई.जी. ने कहा है कि उन्हें अब एक हफ्ते का समय दिया गया है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, क्या हम सी.आर.पी.एफ. के डी.आई.जी. के वक्तव्य को पूर्णत: सही माने?

श्री विजय कुमार मल्होत्रा: क्यों नहीं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, जब प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे है, और वे सभी मुद्दे उठाने में काफी सक्षम है इसलिए आपको उनकी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मुख्य बातों को लिख लें और जब आपकी बोलने की बारी आएंगी तब आप उसका उत्तर दे सकते है। यह ज्यादा बेहतर होगा तथा प्रसंगानुकूल होगा बजाय यह कि पीछे से लगातार बोलते रहें।

स्वाभाविक रूप से, मैं यह कह रहा हूं कि कोई गलत बोल रहा है या सही है, यह निर्णय लेना मेरा काम है और यदि कोई लक्ष्मण रेखा लांघता है तो मैं हस्तक्षेप करूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है: "मुझे यहां बुलाया गया है; मुझे यहां आमंत्रित किया गया है; मुझे नंदीग्राम के मामले से निपटने के लिये कहा गया है जबकि राज्य सरकार एवं राज्य पुलिस प्राधिकारियों से मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्भलपुर): कृपया उसी डी.आई.जी. के वक्तव्य का संदर्भ दें जिनका कल उल्लेख किया गया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। श्री आचार्य और श्री पॉल , नहीं, यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। मैं जानता हूं डी.आई.जी. के वक्तव्य का संदर्भ देकर उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, यदि मुझे कहने की अनुमति हो तो, उन्होंने कहा, "मैंने पुलिस निरीक्षक से दो दिन पहले वांछित अपराधियों की सूची मांगी थी, किंतु वह सूची मुझे नहीं मिली। मुझे नहीं पता वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने पुलिस निरीक्षक के रूप में कार्य किया है किंतु कभी इस प्रकार का व्यवहार नहीं देखा"। ये शब्द सी.आर.पी.एफ. अफसर के हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप उनके कल के वक्तव्य का संदर्भ दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके कह देने से वे पढ़ देंगे? इससे इस विषय में कोई सहायता नहीं मिलने वाली।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हाईकोर्ट इसे अनकांस्टीट्यूशनल कहता है, गवर्नर जिसे टोटली अनलॉफुल कहता है और सी.आर.पी.एफ., जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वैस्ट कर के केन्द्रीय होम मिनिस्ट्री से मंगवाया, उस सी.आर.पी.एफ. का हैड कहता है कि यहां पर मुझे कोई कोआपरेशन नहीं मिलता। क्या यह गम्भीर स्थिति नहीं है, जिस पर संसद को विचार करना चाहिए?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति दी है। मैंने इसे नोट किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आडवाणी, मैंने कहा कि आप यह संदर्भ दे सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह पहले ही कह चुका हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, आप भी वक्तव्यों का संदर्भ दे सकते हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उनके बीच हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं नंदीग्राम गया तो मेरे साथ जाने वाले प्रेस और मीडिया के लोगों ने कहा कि, "पहली बार हमें नंदीग्राम जाने की अनुमति दी गई है। अन्यथा हमारे वहां जाने पर पाबंदी थी।" मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि "ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि आडवाणी की मुख्यमंत्री से मित्रता है।" सत्ताधारी दल की तरफ से आने वाली इन टिप्पणियों से मैं चकित था। मुझे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी क्योंकि गृहमंत्री होने के नाते देश में सभी मुख्यमंत्रियों जिसमें कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भी सम्मिलित है, से मेरी मित्रता रही है और मैंने अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास किया है। उनकी टिप्पणी का कोई महत्व नहीं है। मेरे उनके साथ अच्छे संबंध हैं। यहां तक कि उनके साथ भी मेरे अच्छे संबंध हैं और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रधानमंत्री द्वारा नंदीग्राम के संबंध में दी गई टिप्पणी पर उनका उत्तर पार्टी के उत्तर से बिल्कुल भिन्न था। उन्होंने कहा: "प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं।"

अत: ये सब वे मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं सी.पी.आई. (एम) से केवल यह कहना चाहता हूं कि वे नंदीग्राम मामले पर पुन: विचार करें। यह सब कैसे हुआ? जब आप पार्टी को सरकार के अनुकल्प के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं तो मामला हाथ से निकल जाता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार नंदीग्राम गया तो एक ही बात बार-बार दोहराई जा रही थी कि पुलिस की वर्दी में उनके ही लोग हैं। मैं नहीं जानता।

एक संसद सदस्य का नाम भी लिया गया। यह कहा गया:- जब हम पूजा कर रहे थे तो उन्होंने हम पर गोलियां चलाईं। उस समय मुस्लिम औरतें कुरान पढ़ रही थीं, उन पर गोलियां चलाई गईं और उन्होंने बताया कि ये असली पुलिस वाले नहीं थे, ये पार्टी के लोग थे वे पुलिस की वर्दी में पार्टी के कार्यकर्ता थे।...*(व्यवधान)*

मो. सलीम: यह सारी मनगढ़ंत कहानी है...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हां, कॉक एण्ड बुच स्टोरी ही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने भी उन्हें नोटिस नहीं किया।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: क्यों...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा कर सकते हैं। किंतु वह चलता रहेगा।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं चाहूंगा कि आप टिप्पणी न करें। मैं उनकी टिप्पणी समझ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके ऊपर टिप्पणी नहीं की बल्कि मैं तो उन पर टिप्पणी कर रहा था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: नहीं, बिल्कुल नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आपका मेरे लिये यह कहना उचित नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने कल से बल्कि परसों से सब कुछ सुना है।

अध्यक्ष महोदय: वह सही है। मैं सोचता हूं कि यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं पूरे देश का ध्यान इस ओर दिलाऊं कि यह संसद किस प्रकार कार्य करती है। मैं इस कर्त्तव्य से दूर नहीं भाग सकता, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हां, मैं वैसा ही करूंगा। यदि आप पसंद नहीं करते तो आप मुझे यहां से हटा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, जब मैं चर्चा करता हूं और गतिरोध होता है तो मुझे तकलीफ होती है। इसलिए मैं बहुत बार इसको एवाइड करता हूं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि यदि गतिरोध न हुआ होता तो शायद आज यह चर्चा ही न शुरू होती...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता। यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: चलिये, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इससे सहमत नहीं हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यदि जरूरत होगी, तो जरूर करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे मत सिखाइये। आप वैसा नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं यहां तब से हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, उच्च न्यायालय ने अपने उस अंश में जो कि लागू होगा, कहा है "पुलिस विभाग द्वारा 14 मार्च, 2007 को नंदीग्राम में गोलीबारी करने की कार्रवाई पूरी तरह से असंवैधानिक थी और इसे कानून के किसी प्रावधान के तहत न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।"

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा दिया गया वक्तव्य और फिर डी.आई.जी., सी.आर.पी.एफ. द्वारा दिये गये वक्तव्य हमारे सामने हैं। जब मैं अपने कुछ साथियों के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिला तो मैंने उनसे कहा कि "नंदीग्राम में जो कुछ हुआ, उसके संबंध में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिये क्या यह कारण काफी नहीं है। आपके पास अपने स्रोत हैं जिनके आधार पर आपने स्वयं कहा, वास्तव में यह उन्होंने पहली बार नहीं कहा है। पहली बार उन्होंने मार्च में कहा था कि "यह रोंगटे खड़े कर देने वाला हत्याकांड है।" नंदीग्राम का दौरा करने पर उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था, "रोंगटे खड़े कर देना वाला हत्याकांड"।

उन्होंने कहा: "नंदीग्राम की घटना के कारण पूरे राज्य में इस बार दिवाली का कोई उत्साह नहीं है।" मैंने कहा आप इसे केन्द्रीय सरकार और पूरे देश के प्रति उत्तरदायित्व के रूप में लेते हुए केन्द्रीय सरकार को यह बताते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए कि ये वे स्रोत हैं जिनके कारण आपको यह सार्वजनिक प्रतिवेदन देना पड़ा और इस आधार पर आप यह सिफारिश कर सकते हैं एक ऐसी स्थिति में संविधान ने केन्द्र सरकार को शक्ति संपन्न बनाया है कि अनुच्छेद 355 के अंतर्गत वह राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है और यदि नंदीग्राम की स्थिति में सुधार के लिये उसके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो केन्द्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना तर्कसंगत है"...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जैसा आपने तब किया जब आप गृहमंत्री थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कृपया इसे समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, ऐसा ही कुछ मैंने राज्यपाल महोदय से कहा था और इसे पुनः संसद में दुहरा रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी यहां हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस पर विचार करें ताकि स्थिति को सुधारा जा सके। वहां क्या हो रहा है? राज्यपाल महोदय ने कहा कि वे केन्द्र सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं...*(व्यवधान)*

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): स्थिति में काफी सुधार हुआ है...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: क्या इसमें काफी सुधार हुआ है?

[हिन्दी]

बहुत अच्छी और खुशी की बात है यदि रेडीकली इम्प्रूव हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि

[अनुवाद]

"हमने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है।"

[हिन्दी]

आप इतिहास देखिए, जब मैं पार्लियामेन्ट में पहली बार आया था, तब मार्कसिस्ट मुझे कहते थे कि आज यूरोप पर हमारा साम्राज्य है और एक समय आएगा जब जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं होता था कम्युनिस्ट साम्राज्य भी ऐसा होगा, जिस में कभी सूर्यास्त नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वही होगा।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: और देखिये, क्या-क्या हो गया। आज वह दुनिया भर से समाप्त हो गया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: दुनिया भर से समाप्त हो गया।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: आपकी जानकारी ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हां, मुझे पूरी जानकारी है। क्यूबा बच गया है, दूसरे रूप में चाइना बच गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आडवाणी जी, आप इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जी, नहीं। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी टिप्पणी नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं केवल चर्चा जारी रखने के लिए कह रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं स्मरण कराना चाहूंगा,

[हिन्दी]

सी.पी.एस.यू. की जो 20वीं कांग्रेस थी, वह थी, जिसमें खुश्चेव ने वह भाषण किया था, यादूव बर्स्टिंग हार्ड...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: बहुत पुराना।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: बहुत पुराना। याद करो कि कैसे सोवियत संघ में आपका साम्राज्य खत्म हुआ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें इसे समाप्त करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार करते रहेंगे तो हम इसे कैसे समाप्त करेंगे? यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: आप तो सोवियत संघ पर चले गये।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, मैं इसी संसद में था और संसदीय शिष्टमंडल में ढिल्लों साहब हमारे स्पीकर थे, उनके नेतृत्व में मैं 1972 में चैकोस्लवाकिया गया था और चैकोस्लवाकिया में जिस प्रकार का एग्रेशन मास्को द्वारा था और डुबचैक का काण्ड हुआ था, उसके कारण वहां

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

समाप्ति हो गई। हमारी हिस्ट्री में ये टर्निंग पाइंट्स हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के टर्निंग पाइंट्स इन सब बातों से आये हैं, चाहे डुबचैक का प्रकरण हो, चाहे खुश्चेव का भाषण हो, चाहे चाइना में थियानानमन स्क्वायर हो,

[अनुवाद]

नंदीग्राम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में संक्रांतिकाल बनने जा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: ये विश्व मानचित्र से ही समाप्त हो जाएंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के इतिहास में यह एक टर्निंग पाइंट बनेगा।...*(व्यवधान)* अब 3-4 टापू बच गये हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसु, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यदि आपको कुछ कहना है, आप अपने भाषण में कहें। हम इसे जारी रखें। हमने पहले ही इस विषय पर 40 मिनट खर्च कर दिए हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसु, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही सारांश में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यदि आपको कुछ बताना है तो आप अपने भाषण में बताएं। इसे जारी रखें। हमने पहले ही इस पर 40 मिनट खर्च कर दिए हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, मैं कन्क्लूड करता हूं। मैं फिर से कहूंगा कि नंदीग्राम के बारे में संसद को अधिकृत जानकारी मिले, सरकार को भी अधिकृत जानकारी मिले, इस दृष्टि से पहले-पहल तो एक ऑल पार्टी डैलीगेशन यहां से नंदीग्राम भेजा जाना चाहिए। फिर इनको मैं यह कहूंगा कि इस बीच में सरकार इस पर विचार करे कि वह इस मामले में क्या कर सकती है। खासकर हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिये हैं, उन निर्देशों में, जो मर गये हैं, उनको मुआवजा देना, जिनका बलात्कार हुआ है, उन महिलाओं को न्याय देना, ये सब जितने निर्देश दिये हैं, उन सब का भी पालन हो। साथ-साथ राज्यपाल को यहां बुलाकर उनसे प्रत्यक्ष पूरी जानकारी प्राप्त कर केन्द्रीय सरकार भी आवश्यक कार्रवाई करे।

मैं समझता हूं कि इसके आधार पर आप आर्टीकल 355 का पहले उपयोग करें। फिर यदि उसका भी वे लोग पालन नहीं करते हैं तो आर्टीकल 356 का उपयोग करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। कृपया आप ऐसा न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इनके बाद आपको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से एवं संपूर्ण सदन की ओर से आपको बधाई देता हूं। यदि मैं विगत के कार्य-निष्पादनों से तुलना करूं तो जिस प्रकार का नेतृत्व आप इस सदन को प्रदान कर रहे हैं वह अद्वितीय व अप्रतिम है। मैं किसी व्यक्ति की विद्वता पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं।

महोदय, जिस दिन से आपने इस महान सदन का अध्यक्ष पद संभाला, उस दिन से आप यह देखने में निष्पक्ष रहे कि पारदर्शी रूप से सभी की बातें सुनी जाए। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपने सबसे अधिक स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार किया है, कई बार तो सरकार की नाराजगी के बावजूद भी स्वीकार किया है। आपने मेरी उपस्थिति में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सदन के नेता से कहा कि विपक्ष के नेता सदन के मुख्य घटक में से हैं और यदि वे स्थगन के लिए किसी गंभीर मुद्दे को उठाते हैं जोकि भारत सरकार से संबंधित हो, तो आप उन्हें 'ना' नहीं कह सकते।

आपने ऐसा ही उदाहरण यहां स्थापित किया है।

मैं नहीं जानता हूं कि लोग इस बारे में क्यों बात करते हैं। आपने पहले दिन - जब यह सभा समवेत हुई थी - से ही इसे स्पष्टत: कह दिया था कि आप किसी भी चर्चा का विरोध नहीं करेंगे। आपने कहा था कि हम सामूहिक रूप से इसका निर्णय कर सकते हैं और हमसे कहा था कि हम आपको इस सदन एवं प्रश्न काल को चलाने की अनुमति दें। आपने इसे नेताओं की बैठक में भी कहा था। दुर्भाग्यवश, आपकी भावना का उस दृष्टि से सम्मान नहीं किया जाता है जिसकी यह देश अपेक्षा करता है। इसलिए, आपने फिर इस मुद्दे को दलों पर छोड़ दिया। आपने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा और एन.डी.ए., वाम दलों एवं सरकार के सामूहिक विवेक पर मुद्दे को सुलझाने को छोड़ दिया। एक बार पुन: मैं, आप जिस तरह से सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं, और प्रत्येक संसद सदस्य को अवसर दे रहे हैं, उसके लिए आपकी सराहना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका धन्यवाद।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: अल्पावधि चर्चा विशेष आर्थिक क्षेत्र से शुरू हुई और वहां हुई तदुपरांत हिंसा पर समाप्त हो गई। सर्वप्रथम मैं, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्होंने इस स्थगन प्रस्ताव को रखा है, को कुछ बातें स्पष्ट करना चहूंगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री आडवाणी जी से कहना चाहूंगा कि एस.ई.जेड. पर बात करने से पहले बताना चाहूंगा कि पूर्वी मिदनापुर एक ऐसा जिला है जो न केवल बंगाल बल्कि मुझे कहना चाहिए, कि भारत भर के स्वतंत्रता सेनानियों का तीर्थस्थल रहा है। इसका नया जिला मुख्यालय तामलुक में है जहां से नंदीग्राम की शासन व्यवस्था चलती है। तामलुक के स्वतंत्रता सैनानियों ने भारत पर तिरंगा फहराए जाने से पहले और स्वतंत्रता की उद्घोषणा होने से पहले ही भारत को - कम से कम सात दिन के लिए आजाद करा लिया था। उस समूह के एक स्वतंत्रता सेनानी अभी जीवित है - श्री सुशील धारा - शेष सभी सेनानी अब नहीं रहे। महोदय, मैं महान सतीश सामंत की बात करूंगा जिनसे मिलने का सुअवसर आपको भी प्राप्त हुआ था। वे यहां लोकसभा में एक अनुशासन प्रिय संसद सदस्य की भांति 11 बजे आया करते थे; यहां बैठते थे; अपना प्रश्न रखते थे; और सभा में शिरकत करने के पश्चात् चुपचाप चले जाते थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हल्दिया पत्तन के लिए संघर्ष किया था।

श्री सतीश चन्द्र सामंत कई बार सांसद रहे और उन्होंने विकास के अतिरिक्त कभी किसी बात के लिए किसी दल की न तो आलोचना की और न ही अपशब्द कहे। उन्होंने हल्दिया पत्तन के लिए संघर्ष किया और उनका संघर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिनों से श्रीमती इंदिरा गांधी के दिनों तक पत्र एवं तार द्वारा चला था। हमें आज हल्दिया पर गर्व है। एक बंगाली होने के नाते मुझे इस पर गर्व है।

सरकारें आती हैं और जाती हैं। जब केन्द्र में कांग्रेस की सत्ता हो और जब हम कोई गलत काम करें अथवा जब बंगाल में हमारी सत्ता हो और हम कोई गलत काम करें और हम लगातार इस बात को दुहराते रहें कि जो भी हमने किया वह सही है, तो मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सकता हूं किंतु अवसर आने पर जनता हमारे कर्मों का निर्णय करेगी।

[हिन्दी]

मैं आडवाणी जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप वहां दो बार पहुंचे। आपने लीडर ऑफ अपोजीशन के नाते जिम्मेदारी निभायी, लेकिन आप मोशन के फर्स्ट वर्ल्ड को चेक कीजिए - एस.ई.जेड.। एस.ई.जेड. को लेकर पूरे देश भर में तनाव हो रहा है। उस तनाव को देखते हुए मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यू.पी.ए. की चेयरमैन सोनिया गांधी जी ने देहरादून में सभी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाकर कहा कि जिस प्रकार से यह सब चल रहा है, उससे मुझे शंका है कि किसान, खेत मजदूरों और गरीब तबके के लोगों को शायद हम लोग बचा नहीं पायेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

[श्री प्रियरंजन दास मुंशी]

[हिन्दी]

पेशंस से काम लीजिए।...*(व्यवधान)* आप बताने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: टोकाटाकी की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपको मालूम नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसलिए, यू.पी.ए. सरकार ने कहा कि हम एन.डी.ए. द्वारा प्रस्थापित एस.ई.जेड. नीति का सीधे-सीधे अनुसरण नहीं कर सकते और यह कि हमें इसे पूर्मरूपेण बदलना होगा यह नीति कब कार्यान्वित की गई? यह फरवरी 2004 में कार्यान्वित की गई। इसे कब अंतिम रूप दिया गया? इसे जनवरी, 2004 में अंतिम रूप दिया गया। इस पर मंत्रिमंडल द्वारा कब सहमति दी गई थी? इस पर वर्ष 2003 में सहमति दी गई थी। आडवाणी जी, आप इससे इंकार नहीं कर सकते हैं।

एस.ई.जेड. की पुनर्वास नीति जो एक कानून नहीं है, में बी.पी.एल. श्रेणी के लोगों, बंटाईदारों की बात नहीं की गई है अथवा यह भी व्यवस्था नहीं है कि पुनर्वास के अतिरिक्त कितनी क्षतिपूर्ति की जाएगी। मैं आडवाणी जी का अपमान नहीं करना चाहता हूं। वे यहां स्थगन के भाग एक, जिसमें एस.ई.जेड. के बारे में कहा गया है, को छोड़कर बाकि सभी तथ्यों के साथ तैयार होकर आए हैं।

[हिन्दी]

कहां से शुरुआत हुई? ठीक ही कहा इलियास साहब ने। कब से शुरुआत हुई। 1998 में कान्सैप्ट बना। एन.डी.ए. सरकार ने उस पर विस्तार से चर्चा करके पहले सोचा कि बिल लाएंगे। अच्छा होता, उसकी स्टैट्यूटरी पावर होती। फिर सोचा कि कानून नहीं, पॉलिसी बने। पॉलिसी पर मोहर किसने लगाई? आपने लगाई? जो जमीन के मालिक नहीं हैं, उनके लिए कम्पैनसेशन की बात कही थी, नहीं कही। इतने सालों से जो गरीब काम कर रहे हैं, उनके रीसैटलमैंट की बात कही थी, नहीं कही थी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जिस दिन बहस होगी, एस.ई.जेड. पर डिटेल में बहस करूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: नन्दीग्राम के बारे में बताइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं उस बात पर वापस आ रहा हूं। आप पहले ही मुसीबत में हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं केवल आपकी लंबी आयु की कामना करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

स्पीकर साहब, मैं आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता को समझाना चाहता हूं कि उस पॉलिसी के अंदर जो जहर था, देश की तरक्की और उद्योग को देखते हुए कुछ लोग उस जहर से बीमार हो गए। यू.पी.ए. द्वारा सारी छानबीन करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि हम पॉलिसी नहीं, कानून लाएंगे।

[अनुवाद]

हम इसे सांविधिक रूप से प्रभावी बनायेंगे और इसे एक कानूनी रूप देंगे। इसे इस सत्र में पुर:स्थापित किया जाएगा।

[हिन्दी]

हमने उस कानून के पीछे जो दस्तावेज तैयार किया है, यदि आप उसे गौर से पढ़ें तो देखेंगे...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): आपने बहुत देर कर दी।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्योंकि आप इतना तेज जहर लाए थे कि उसे निकालने के लिए ओझाओं को बुलाना पड़ा और उसमें हमें ज्यादा समय लग गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: व्यवधान को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि मैं आपकी सन् 2003 की रीहैबिलिटेशन पॉलिसी पढ़ूं, मेरे पास है,...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? श्री मल्होत्रा, प्लीज।

....(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मुझे मल्होत्रा जी से यह अपेक्षा नहीं थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कुछ भी असंसदीय शब्द नहीं कहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मल्होत्रा जी, आपकी गलती नहीं है। आप उस समय कैबिनेट में नहीं थे जबकि आपको उस समय कैबिनेट में होना बहुत जरूरी था।...*(व्यवधान)* आपकी सीनियॉरिटी की भी उपेक्षा की गई, मैं यह मानता हूं। लेकिन शायद यदि मल्होत्रा जी होते तो ऐसी पॉलिसी नहीं बनती।...*(व्यवधान)* उस पॉलिसी को बहुत प्रयास के साथ चेंज करके हम जो नई पॉलिसी लाए हैं, उसे आप देखेंगे, चर्चा करेंगे, तो पता लगेगा कि उसमें सिर्फ किसान नहीं, बी.पी.एल. कैटेगरी के जो लोग उस जमीन पर तीन साल तक रहे, उनका पुनर्वास निश्चित किए बिना प्रोग्राम नहीं होगा, हम यह कानून ला रहे हैं। इस पर पहल हो चुकी है। जहां तक नन्दीग्राम की बात है, वह जरूर कहेंगे। आडवाणी जी, आप वहां चाहे चार बार या दस बार दौरा करें, बंगाल की जमीन पर, गुरुदेव टैगोर की जमीन पर, विवेकान्द की भूमि पर आपकी पार्टी को अगले सौ साल तक भी फायदा नहीं होगा, यह मैं पहले बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उस वक्त आप आपत्ति उठा रहे थे और अब आप वही काम कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप चाहते हैं कि मैं नन्दीग्राम के सिवाए और कुछ नहीं बोलूं तो मैं वही बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)* आडवाणी जी का मेरे प्रति व्यक्तिगत स्नेह काफी है, मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन आडवाणी को याद होगा कि मैं खुद उनके पास नार्थ ब्लॉक में होम मिनिस्टर के नाते पहुंचा था, क्योंकि ममता जी को आने में देर थी तो उन्होंने कहा कि दादा, आप पहले जाएं, मैं बाद में आऊंगी। मिदनापुर में छोटा अंगड़ि नाम की एक जगह है। वहां एक दिन में काफी लोगों को जिंदा जलाया गया। हमें उनकी लाश नहीं मिली लेकिन लाश जलने के बाद जो दांत मिले, 303 गोली के जो कार्टरिज मिले, मैंने उन सबको आडवाणी जी के चैम्बर में जाकर उन्हें समर्पित किया और कहा कि कुछ कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं स्टेट-सैंटर रिलेशन्स में कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि कम से कम विजिट कीजिए। विजिट भी नहीं कर पाए। क्योंकि स्टेट-सैंटर रिलेशन की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर पर थी, उन्होंने सही आचरण किया। मैं उन्हें कोई दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन इमोशंस में, जजबात में खोकर जब मैं गांव से लौटा, तो मैंने लोगों से कहा कि मैं आडवाणी जी से उनके चैम्बर में मिलूंगा, क्योंकि ममता जी को आने में देर हो गयी थी।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: वहां भाभी जी पर हमला हुआ था।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप मेरे को बोलने दीजिए। शाहनवाज जी, मैं आपका दुश्मन तो नहीं हूं।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: हमारी भाभी जी यानी आपकी पत्नी को मारा। ऐसे कैसे चलेगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: केसपुर नामक जगह पर गंभीर हिंसा की कुछ घटनाएं हुई थीं। ममताजी जो तत्कालीन राजग में आडवाणी जी की सहयोगी थी और सरकार में थी उन्होंने मुझे बताया कि "आप वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं"।

[हिन्दी]

एक दिन के लिए, आप ऑल पार्टी छोड़िये, आप तो अपनी पार्टी के डेलीगेशन में भी नहीं गये। आप इसे छोड़िये क्योंकि मैं पुरानी बात में नहीं जाना चाहता। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप क्यों गये? आपको हिन्दुस्तान की सभी जगहों पर जाने का हक है। आडवाणी जी, आप सिर्फ एक ही जगह जाने को भूल गये थे। जब सारे देश में यह सवाल उठ रहा था कि क्या कश्मीर में चुनाव होगा या नहीं होगा, आतंक्वाद का इतना बड़ा हमला हुआ, उस समय

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

आप सरकार में थे, सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए आप श्रीनगर वेली में नहीं गये। क्योंकि आपको डर था कि होम मिनिस्टर होते हुए मैं वोट कैसे मांगू, मैं पार्लियामैंट को क्या जवाब दूंगा? यह सब मैं जानता हूं इसलिए *[अनुवाद]* राजनीति क्या है और विपक्ष के नेता की क्या जिम्मेदारी है यह सारा जनता का अधिकार क्षेत्र है। मैं इस पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं।

[हिन्दी]

लेकिन मैं अभी यह कह रहा हूं कि नंदीग्राम में जो हुआ है, उसकी कहानी पब्लिक डोमेन में है। मैं किसी भी तार्किक विषय पर बात नहीं करूंगा। हम वामपंथियों के समर्थन से यू.पी.ए. सरकार चला रहे हैं। हम एक ही बिन्दू पर सरकार चला रहे हैं कि किसी भी हालत में देश में साम्प्रदायिक ताकतों का विस्तार न होने दिया जाये।...*(व्यवधान)* आप मुझे कहने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष, महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आप लोग अपोज करते थे, जब वे टोका-टाकी करते थे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि मैं नन्दीग्राम पर बोलना आरंभ करूंगा तो आप तो चुप बैठोगे परन्तु वे मुझे बोलने से रोकेंगे। मुझे आज अपनी स्थिति पता है। मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसे समझाने की कोशिश कीजिए।

जो कुछ भी नंदीग्राम में हुआ वह हिंसा की अचानक या छुटपुट घटना नहीं थी। नंदीग्राम हिंसा का मूल एस.ई.जेड. को बनाने की अवधारणा में है जिसका आरंभ चार हजार एकड़ भूमि से हुआ था और जिसे बाद में दस हजार एकड़ तक बढ़ाया गया। सरकार द्वारा उस स्थान पर एस.ई.जेड. की स्थापना करने की इच्छा बहस का मुद्दा नहीं अथवा पत्रकारों द्वारा टिप्पणी किए जाने का मुददा नहीं है। यह भारत सरकार से अनुमति मांगने हेतु राज्य सरकार द्वारा लिखे गये आवेदन से स्पष्ट रूप प्रमाणित होता है।

नंदीग्राम में हिंसा 3 जनवरी को हुई। नंदीग्राम की बौगोलिक संरचना जानने का प्रयत्न कीजिए। नंदीग्राम में दो ब्लाक हैं - ब्लाक 1 तथा ब्लाक 2 नंदीग्राम की सीमा पर खेजूरी नामक ब्लाक है। आडवाणीजी वहां गये थे उन्हें इसका अवश्य पता होगा। यदि कोई भी नंदीग्राम के ब्लाक 7 में प्रवेश करना चाहता है उसे नंदीग्राम ब्लाक 2 से पहले गुजरना होगा उसके बाद या तो वह सीधे नंदीग्राम जा सकता है अथवा खेजूरी से नंदीग्राम पहुंच सकता है। अत: शहर में प्रवेश का पहला रास्ता नंदीग्राम 2 से है और दूसरा प्रवेश मार्ग खेजूरी से होकर पुल पार करके है।

नंदीग्राम का नाम मेरे दिल के काफी करीब है और मेरा उससे भावनात्मक संबंध है क्योंकि मैं जब मैं छात्र संगठन छात्र परिषद् का अध्यक्ष था मैं प्रत्येक बार उस कालेज से चुनाव जीतता था। उन दिनों सीधे नंदीग्राम पहुंचने के लिए कोई बस सुविधा नहीं थी क्योंकि वहां कोई पुल ही नहीं था। हमें वहां दो बार नाव बदलकर पहुंचना होता था।

स्वतंत्रता के बाद, एक समय तामलुक जोन पर या तो कांग्रेस का और उसके बाद अजोप मुखर्जी की नेतृत्व वाली बांगला कांग्रेस का आधिपत्य था भाकपा, भाकपा (मा) बहुत बाद में आई। भाकपा, कांग्रेस तथा बांगला कांग्रेस के सभी नेता उस समय वहां उपस्थित थे परन्तु वहां किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। हमारे बीच में राजनैतिक तथा चुनावी मतभेद हैं परन्तु इस प्रकार की हिंसा नंदीग्राम में कभी नहीं हुई। वह काफी शांतिपूर्ण क्षेत्र था। वहां की 45 प्रतिशत जनसंख्या मुसलमानों की है। दो तीन प्रतिशत लोगों को छोड़कर बाकी की जनसंख्या अनुसूचित जाति, निर्धनतम अनुसूचित जाति के लोगों की हैं।

राजनैतिक रूप से नंदीग्राम ब्लाक के ब्लाक और ग्राम पंचायतों पर वाम दलों का अधिपत्य है। मैं 'अधिपत्य' शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

वाम दलों में निर्णायक बहुमत भाकपा (मा) दल का है जिसने चुनाव जीता था। पंचायत अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस अल्पमत में है। टी.एम.सी. हमसे कुछ बेहतर स्थिति में है परन्तु यह कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है। 1996 तक हमारी पार्टी वहां थी यही फर्क है अब भाकपा का वहां बहुमत है।

मैंने जो कुछ वहां देखा अथवा 3 जनवरी की जो

घटना घटी है वह माओवादी, नक्सलवादी आदि के मध्य लड़ाई नहीं है। मुझे पता नहीं है कि आप माओवादी शब्द अक्सर क्यों इस्तेमाल करते है। मैं उनके दर्शनशास्त्र से भले ही इत्तेफाक नहीं रखूं क्यों मैं गांधीजी के दल का सदस्य हूं। परन्तु माओ जेडांग का नाम पूरी दुनिया में उनके क्रांति के लिए जाना जाता है परन्तु हमारे मतभेद हो सकते है। मुझे बहुत परेशानी होती है जब लोग 'माओवादी', 'माओवादी', माओवादी कह कर आरोप लगाते हैं। माओ जेडांग का दर्शन तथा माओ जेडांग स्वयं निंदा के पात्र नहीं हैं। किसी का मतभेद हो सकता है। उनकी कविताएं बहुत अच्छी है यदि आप 18 वर्ष की आयु तक के लड़के हो, यदि आप भाजपा से संबंधित हो यदि आप उनकी कीताबें, कविताएं पड़ेंगे तो आपको खेतों में काम करने की स्फूर्ति आएंगी, यहीं इसकी प्रेरणा है।

इस संबंध में मैंने पत्रकारों से भी पूछा था कि आप उन्हें 'उग्रवादी' कह सकते है आप उन्हें 'नक्सलवादी' कह सकते हैं परन्तु आप उन्हें 'माओवादी' क्यों कहते हो? लेनिन भी हुए थे। आप किसी भी सिद्धांत का प्रचार कर सकते हैं। अबे इसे नए तरीके से कहा जा रहा है वे इसे कोष्ठक में रख कर माओवादी कह रहे हैं। मैं कहता हूं दोनों ही गलत है। कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है चाहे वह लेनिन हो माओ जेडांग हो अथवा कार्लमाक्स हो लेकिन यह परिभाषा उचित नहीं है तथा मैं इससे सहमत नहीं हूं और मैं इन बातों से स्वयं को दूर रखता हूं।

2 और 3 जनवरी को दुर्भाग्य से बी.डी.ओ. कार्यालय से हल्दिया अधिसूचना प्राधिकरण के द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में एक व्यापक अधिसूचना जारी हुई थी। इस नोटिस से लोग भड़के क्योंकि उनकी भूमि का अधिग्रहण होने वाला था। यह बात पूरे नंदीग्राम में आग की तरह फैली वहां 3-4 मौजस है जहां यह आग भड़की। कृपया उस एक दिन की घटना के संबंध में यह आरोप मत लगाइए कि यह कांग्रेस, टी.एम.सी., भाजपा अथवा नक्सलवादियों का काम था। यह सब आम जनता ने किया था। जिसका संपूर्ण समर्थन भाकपा (मा) ने किया था जो पंचायत से लंकर सभा तथा संसद ऊपर तक सत्ता में थी। उन्होंने वंदे मातरम् अथवा इस तरह के कोई नारे नहीं लगाए थे।

उन्होंने यहां तक कहा कि पहले तो शायद यह बात हमारे मुख्यमंत्री की जानकारी में न हो। किसी ने मुझे यह भी बताया कि जब तक उनको जानकारी नहीं दी जाती कुछ नहीं होने वाला। और मैं संसद के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में सब कुछ कह रहा हूं क्योंकि मैं जनता हूं कि सब कुछ कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

उन्हीं खेतों से मैंने मुख्यमंत्री को फोन किया तथा स्वयं मुख्यमंत्री ने मुझे सारी जानकारी दी और मुझे वहां शांति वार्ता करने को कहा। मुझे पता है कि यह कैसे किया गया यह सब गलत है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मैं यह आदेश आज रात या कल वापस ले लूंगा पर मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने वहां जो कुछ भी देखा उसका वर्णन करने वाले एक तीन-पृष्ठों का एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया कि अगले दिन सुबह उन्होंने यह आदेश वापस ले लिया। राज्य सरकार ने तत्काल इसे वापस लिया जिसका प्रसारण रेडियो और टी.वी. पर भी हुआ था। परन्तु जिस समय यह घटना हुई नजारा ऐसा था कि कोई भी नेता कुछ घोषणा करता है तो, मैं यहां किसी का नाम नहीं लूंगा उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

मैंने उस दिन पार्टी एवं सभी लोगों से अपील की थी; कृपया वहां की जटिलताओं को समझें। हम वहां क्यों है? नंदीग्राम में तिरंगा पार्टी क्यों है? हमने वहां पंचायत अथवा ग्राम पंचायत की एक भी सीट नहीं जीती होगी। उन दिनों में सुश्री ममता ने पंचायत समिति की दो सीटें भी नहीं जीती होंगी, किंतु वे लोग सत्ताधारी दल से जुड़े लोग हैं। उन्होंने इस तरह इसे महसूस किया है; उन्होंने ऐसा क्यों महसूस किया? कृपया इस मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने उन्हें मारने की कोशिश की हो; सुस्थापित कानून के अनुसार उन्होंने महसूस किया कि यदि आप जमीन ले भी लेते हैं तो जमीन के स्वामी को मुआवजा दिया जाता है। किंतु स्वामी एक ही है। किंतु सरकार के अध्यतन कार्यक्रमों एवं नीतियों, जिसका मैं समर्थन भी करता हूं, हमने पहले भी समर्थन किया और हमारी भी यही नीति रही थी, के अनुसार बंटाईदार जो भी खेत में खेती करते हैं उसमें उनका अधिकार होना ही चाहिए, उन्हें उचित हिस्सा मिलना चाहिए।

इन वर्षों में, कुछ जमीनदारों ने महसूस किया है कि जमीन से चिपके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें कोलकता, वर्धमान अथवा किसी शहर में जाकर अपने बच्चों की देखरेख करनी चाहिए क्योंकि अब वो दिन नहीं रहे। अच्छा या बुरा, वास्तव में गरीब लोगों एवं बंटाईदारों

[श्री प्रियरंजन दास मुंशी]

को लाभ मिला है। बंटाईदारों ने यह दलील दी कि क्षतिपूर्ति के नाम पर धन जमीन के स्वामियों को मिलना चाहिए। वे पांच लोग कोलकाता अथवा बड़े शहर में रहते हों किंतु बंटाईदारों का क्या होगा। बंटाईदारों को क्षतिपूर्ति संबंधी नियमों के खंड में नहीं है अथवा उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए पीड़ित नहीं माना गया है। वे अपने बच्चों का पेट कैसे भरते हैं? वे सभी एकत्रित हुए और कहा कि बस बहुत हो गया और वे अपनी जमीन नहीं दे सकते। यही एक कारण है।

पहली गोलीबारी के बाद छः पीड़ितों में से दो पीड़ितों के घर को पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि उनके शवों का पता नहीं लगाया जा सका। मैं स्वयं इन तीन पीड़ितों के यहां गया। एक मुसलिम लड़का था जिसका नाम शेख सलीम है। शेख सलीम ने आगे मुझे बताया कि उन्होंने कांग्रेस को कभी मत (वोट) नहीं दिया था। आगे उसने मुझे कहा कि आप किसी भी व्यक्ति से बात यह सुनिश्चित कर लें कि सभी नेताओं से मिला जो वहां आए क्योंकि शुरू से ही वह बंटाईदार के रूप में इस जमीन पर खेती कर रहा है और वह अपनी पार्टी सी.पी.आई. (एम) को सलाम करता है। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके छः वर्ष के बेटे का पता लगाऊं।

उसके पश्चात् मैं भरत मंडल के घर गया। वह ठेले वाले का बेटा है। वह फूस के घर में रहता है और अपना भोजन नहीं पका सकता है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह किसी पार्टी से जुड़ा है।

[हिन्दी]

नहीं साहब, जब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आते हैं, उनके जुलूस में हम जाते हैं। हम उनके सिम्बल पर वोट डालते हैं।

[अनुवाद]

वह लड़का अनुसूचित जाति का है। वहां से एक गोपनीय नोट में मैंने सभी बातों को, जिनको मैंने उस रात महसूस किया था लिखकर माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजा, मैंने उनसे कहा कि वे मुख्य मंत्री को गलत न समझें। ऐसा करने वाले वे नहीं है। हो सकता है कि उनके संज्ञान के बिना ही कुछ अधिकारियों ने ऐसा किया हो। कृपया शांति के बारे में बात करें। पश्चिम बंगाल पुलिस, गुप्तचर शाखा मेरे भाषण को नंदीग्राम से ले सकती है। यह टेप में रिकार्ड किया गया था। माइक और अन्य सभी चीजें थी और मैंने केवल शांति, भाईचारे की बात की थी क्योंकि मैं जानता था कि किसी भी क्षण स्थिति बदतर हो सकती थी। मैंने सन् 1968, 1969, 1970 एवं 1971 की हिंसाओं के अच्छे और बुरे दोनों दिन देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि बंगाल के प्रत्येक जिले में युवा अपने आप को बंदूक से जोड़ ले। कभी नहीं! मुख्य मंत्री ने मुझसे अपनी चिंताएं जतायी। मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

मैंने अपने मित्र, श्री गुरुदास दासगुप्त, जिनसे मैंने बात की थी, को अवश्य सूचित किया था। मैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने इस दल के विवेकशील नेता श्री रूपचंद पाल एवं दूसरे सदन के सदस्य श्री अवनि राय को सूचित किया कि मुझे इस प्रकार की सूचना मिल रही है और क्या वे लोगों से बात कर सकते हैं ताकि मामलों पर ध्यान रखा जा सके। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। यदि वह कांग्रेस शासित राज्य में कुछ गलत होता हुआ पाते है और कामरेड के रूप में मुझे बताने के लिए कहते है तो यह मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं इसको संप्रेषित करूं। यह परस्पर मित्रता एवं भाईचारे की बात है जो राजनीतिक बिरादरी में चलता है।

मामला नियंत्रण के बाहर चला गया। जब यह नियंत्रण के बाहर चला गया तो लड़ाई शुरू हो गई कि क्या वे सही मायने में इसी प्रकार भूमि को रखे रहना चाहते हैं। जिन लोगों ने ऐसा अभियान चलाने का प्रयास किया कि ऐसा किया जाए, वे स्थानीय क्षेत्र के दबंग क्षेत्र थे। आप मुझ पर प्रहार कर सकते है। मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप मेरी आलोचना कर सकते हैं। कृपया अन्तर्निहित तथ्यों को समझने का प्रयास करें। इसे पहले दिन ही नियंत्रित किया जा सकता था। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पहले दिन से ही और आज भी स्थिति पर ध्यान रखता रहा हूं, यदि जनवरी की घटनाओं में संलिप्त लोगों की पहचान पुलिस द्वारा की जाती तो उन पर मुकदमा चलाकर सजा दी जा सकती थी, इससे स्थितियां एकदम भिन्न होतीं।

आडवाणी जी, 9 जनवरी को मैं दिन भर वहीं था। मैंने मोटर बाइक पर यात्रा की क्योंकि उन्होंने सड़क को खोद दी थी और कोई भी कार उस पर नहीं चल सकती थी। मेरा निजी सुरक्षा गार्ड भी मेरे साथ नहीं था। मैंने एक मार्क्सवादी मित्र जो कि पार्टी के लिए काम करता था के घर थोड़ा खाना खाया, इस मित्र ने तदनन्तर पार्टी के

संबंध में अपने विचार बदल लिए थे क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी जमीन चली जाती है तो वह क्या करेंगे। मैंने उसे समझाया। जिन लोगों ने मुझे रास्ता बताया और उस क्षेत्र में मुझे ले गए जहां वह महिला गोकुल नगर के जंगल में छिपी थी, वे लोग कांग्रेसी नहीं थे बल्कि सी.पी.आई. मित्र थे, जो अस्पताल में थे, वे मुझे शांतिपूर्वक वहां ले गए।

मैं यह दोष नहीं लगा रहा हूं कि किसी पार्टी के नेता ने ऐसा किया। किंतु कभी-कभी व्यक्ति पार्टी नेताओं को दोष तो देते ही हैं। किंतु यह एक भिन्न मामला है। कोई भी पार्टी नेता नहीं चाहेगा कि उनके कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया जाए कि वे किसी पर हमला करे...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): श्री दासमुंशी, उन्होंने आपको अनुमति नहीं दी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं आपको कह सकता हूं कि आपके प्रश्न का सबसे अच्छा जवाब सुश्री ममता बैनर्जी दे सकती थीं किंतु दुर्भाग्यवश वे आज यहां उपस्थित नहीं है। श्रीमती मेधा पाटकर को रोक दिया गया; सुश्री ममता बैनर्जी को रोक दिया गया; सी.एल.पी. नेता को रोक दिया गया; कांग्रेसी के शिष्टमंडल को रोक दया गया किंतु केवल आडवाणी जी को नहीं रोका गया। इसलिए, आपको इसका जबाव देना चाहिए न कि मुझे...*(व्यवधान)* लोगों से वहां आपको जो समर्थन प्राप्त हुआ उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी इच्छा है कि आप आने वाले दिनों में वहां भगवा झंडा फहराएं। कृपया पूरे मामले को गलत न समझें। इसे समझने का प्रयास करें। कृपया इस मुद्दे को छोटा न समझें। मैं आपसे प्रश्न क्यों पूछूं अथवा आप मुझसे प्रश्न क्यों पूछें? समस्त राष्ट्रीय मीडिया, सभी टेलिविजन चैनल गवाह है कि 3 जनवरी से 9 जनवरी तक वहां क्या हुआ एवं 13 मार्च से 14 मार्च तक 6 बजे सुबह क्या घटना घटी।

मैं कौन होता हूं? यदि आपमें मीडिया की स्वतंत्रता के लिए सम्मान है तो आप कैसेट लेकर उन्हें देख सकते हैं। एक दिन एक बड़े नेता जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, ने कहा कि कृपया न तो कु. ममता बैनर्जी न प्रियरंजन दासमुंशी न ही भाजपा और न ही वाम दलों से कोई बात की जाए बल्कि अपने नियंत्रण कक्ष में डी.जी., एस.पी. को बुलाकर कैसेटों की जांच की जाए एवं आत्मनिरीक्षण कर उन पर अपना निर्णय लीजिए। कुछ नहीं होगा परन्तु इस बात पर किसी ने प्रयास नहीं किये।

महोदय, मैं पश्चिम बंगाल से हूं यदि कहीं कोई गलत होता है तो मैं उस मामले को राज्य सरकार और उसके बाद गृह मंत्रालय के समक्ष उठाता हूं और यदि मैं कोई सार्थक परिदृश्य प्रस्तुत करने के बजाय हर बार एक पक्षपाती दृष्टिकोण यह सोच कर उठाऊं कि क्या इससे कांग्रेस को अथवा टी.एम.सी. अथवा भाजपा को फायदा पहुंचेगा तो मैं इस सभा के साथ न्याय नहीं कर रहा हूं। यहीं से सारे मामले की शुरुआत हुई है। मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि जो इस सभा में उपस्थित नहीं है संसदीय कार्यवाही के अनुसार उनका नाम लेना गलत है परन्तु वाम दलों के इन प्रतिष्ठित दिग्गज नेताओं ने जो मेरे पिता के समान है ने कहा था कि मामला निपटाने का यही सही तरीका है। जिन लोगों के कारण यह सब घटित हुआ उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए तत्पश्चात् जिम्मेवार पार्टियों के साथ इस संबंध में बातचीत की जानी चाहिए और यदि इन सभी प्रयासों के बाद भी वे नहीं सुनते हैं तो सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर कोई भी आपत्ति नहीं करेगा। यह भी कहना चाहता हूं कि वाम दल के एक वरिष्ठ नेता ने पूरी ईमानदारी से यह प्रक्रिया आरंभ करने का प्रयत्न किया था परन्तु उस समय की परिस्थितियां बदल जाने से वे इसे किसी तार्किक निष्कर्ष तक नहीं ले जा सके। उस वक्त यही परिस्थिति थी। मैं थोड़ा बहुत विचलित था भाकपा (मा) के अनेक नेताओं ने मुझे गलत समझा। मुझसे मतभेद रखने का उन्हें पूरा हक है मैं उनका सम्मान करता हूं।

महोदय, 11 नवम्बर को भाई दूज के दिन मैं कोलकाता पहुंचा मैंने यह मामला गृह मंत्री के समक्ष रखा एक दिन युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ने मुझे फोन करके कहा कि 10 मिनट में उसके घर को जला दिया जाएगा। उसके 70 वर्षीय पिता घर पर है और उसकी बहन तिलक करने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है वह अपनी बहन से तिलक करवाने नहीं गया। जब मैंने डी.जी. को फोन लगाया तो मेरा मोबाइल समय रिकार्ड कर रहा था। उसने मुझ से मदद मांगी मैंने अपर पुलिस अधीक्षक से परिस्थिति संभालने के लिए कहा और मैंने उसे आश्वासन दिया कि कुछ अप्रिय

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रियरंजन दास मुंशी]

नहीं होगा। फिर 15 मिनट के बाद मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई और उस युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ने मुझ से कहा कि वह जंगल राज में रह रहा है वे मेरी बात कभी नहीं सुनेंगे और उससे यह कहा गया कि वह कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखेंगा। वह काफी भावुक था उसने बताया कि उसके 70 साल के पिता को रस्सियों से बांध कर सड़क पर खींचा गया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पहले सुनिए।...*(व्यवधान)* उसने कहा कि मेरा घर चला गया।

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम: उस व्यक्ति का नाम क्या है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उसका नाम श्री साबुन प्रधान है। क्या मैं दूसरे नाम भी बताऊं?...*(व्यवधान)* क्या मैं अन्य लोगों के नाम कार्यवाही वृत्तांत में बताऊं?...*(व्यवधान)* श्री सलीम क्या मैं अन्य लोगों के नाम कार्यवाही वृत्तांत में बताऊं?...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: सभा माओवादी गतिविधियों का केन्द्र था ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि वह माओवादी हैं तो मैं भी माओवादी हूं।

अध्यक्ष महोदय: वे आपकी बातों का जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां यह सब क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कृपया इस प्रकार की बातें मत कीजिए। मैं और किसी का नाम नहीं लूंगा। आपके पार्टी के कार्यकर्ता श्री खारा की पत्नी श्रीमती अनुभा का 14 मार्च को तामलुक में बलात्कार किया गया। वे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे...*(व्यवधान)* और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या मैं पूरी सूची पढ़ूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सब क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): इस प्रकार की आलोचनाएं हो सकती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आप सही है मैं आपसे सहमत हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं केवल परिस्थितिजन्य आकलन करने का प्रयास कर रहा हूं...*(व्यवधान)* तब मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उसके बाद कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिस पर मैं बोलूं तो मैं अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल एक बात कहूंगा। शायद श्री गुरुदास दासगुप्त मुझ पर आरोप लगा सकते हैं। समूचे वाम दलों तथा उनके घटकों ने शांतिपूर्ण वार्ता के लिए वातावरण बनाने का प्रयास किया इसमें कोई दमनकारी व बदले की भावना नहीं दिखाई दी। जब मैं 'जवाबी हमले' की बात कर रहा हूं इसका अर्थ है कि उनकी ओर से भी किसी ने हमला किया होगा। यदि किसी भाकपा (मा) कार्यकर्ता की माता कहती है कि उसका बेटा मारा गया है या किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता की मां यह कहती है कि उसका बेटा मारा गया है तो इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। मां तो मां होती है। यदि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी के निर्देश के विरुद्ध किसी भाकपा (मा) की महिला पर हमला करता है तो मुझे लगेगा कि मेरी मां पर ही हमला हुआ है क्योंकि पार्टी चाहे जो भी हो मां तो मां होती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस प्रकार के व्यवधान की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अतः मेरे विचार से संपूर्ण मामले में निष्पक्ष आत्ममंथन की आवश्यकता है। जो लोग शरणार्थी शिविरों में है और जो लोग अपने गांवों से बाहर है उन्हें सुरक्षा देकर अपने घरों में वापस लाया जाना चाहिए। केवल शांति ही नहीं भाईचारे की भी आवश्यकता है। क्योंकि कुछ लोग भाईचारे को खत्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं जो भाईचारे को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है पश्चिम बंगाल के इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं जोकि पिछले नौ महीनों से विशेषकर नंदीग्राम जैसे क्षेत्र में घट रही है, कभी भी नहीं सुनी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शायद मेरे विचारों से आज कई लोग मेरे मत से सहमत नहीं होंगे परन्तु कुछ लोग जरूर इससे सहमत होंगे।

मैं आज इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। यदि कविता लिखी जाएगी तो वह भाजपा कांग्रेस और तृणमूल द्वारा नही लिखी जानी चाहिए। वह तो वामपंथी कवि श्री जय गोस्वामी द्वारा लिखी जानी चाहिए। यदि कोई चित्रकारी करनी हो तो वह वामपंथी मूर्तिकार तथा चित्रकार जोगन चौधरी द्वारा की जानी चाहिए। यदि कोई पुस्तक लिखी जानी हो तो वह किसी राजनैतिक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एक विख्यात वामपंथी झुकाव वाली लेखक श्रीमती महाश्वेता देवी द्वारा लिखी जानी चाहिए। यदि कोई फिल्म बनानी हो तो उसे अपर्णा सेन और मृणाल सेन द्वारा बनाया जाना चाहिए। यदि कोई नाटक का मंचन किया जाना हो तो उसे सोमन्ली मित्रा द्वारा मंचित किया जाना चाहिए। यदि कोई पुस्तक प्रकाशित होनी है तो उन लोगों द्वारा की जानी चाहिए जिन्होंने रविन्द्र तथा अन्य पुरस्कार वापिस किए हैं तथा जो प्रतिबद्ध वामपंथी है, जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, जिन्होंने कांग्रेस की आलोचना की और जिन्होंने कलकत्ता की सड़कों पर प्रदर्शन किया। यहीं लोग है जिन्हें लिखना चाहिए न कि मेरे जैसे व्यक्ति को जो राजनैतिक रूप से पूर्वाग्रस्त हैं। मैं इसे उन लोगों के विवेक पर छोड़ देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.17 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.17 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

सभा पटल पर रखे गये पत्र - *जारी*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बी. राधिका सेल्वी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(एक) कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 20 नवम्बर, 2007 की उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 20 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 723(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7226/07]

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति का 20 नवम्बर, 2007 का आदेश, जो 20 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 724(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7227/07]

(तीन) कर्नाटक के राज्यपाल की राष्ट्रपति को भेजी गई 19 नवम्बर, 2007 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 7228/07]

अपराह्न 2.18 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा - *जारी*

नन्दीग्राम, पश्चिम बंगाल में विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के प्रस्ताव तथा उसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हुई हिंसा

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अब कोलकाता में गोली चल रही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: राज्य से जुड़े प्रत्येक विषय को इस प्रकार नहीं रखा जा सकता है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है अभी होगा, यह सैंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: लोग मारे जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा मत बोलिए, यह ठीक नहीं है। एक भी नहीं मरा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न करें।

[हिन्दी]

इसे और फैलाइए मत।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता - उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, काफी गतिरोध और हंगामे के बाद इस विषय पर चर्चा हो रही है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके इनीशिएटिव और वरिष्ठ मंत्री श्री शरद पवार जी के मशवरे से इस विषय पर चर्चा हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय नेताओं के प्रति कृतज्ञ हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: एस.ई.जेड. और उसके साथ जुड़ी हुई बातों के बारे में चर्चा हो, यह हम शुरू से चाहते थे लेकिन जिस भी कारणवश हो, न इधर न उधर, इस पर चर्चा करने के लिए संसद तैयार नहीं थी। आज भी एस.ई.जेड. टेक्नीकली रखा गया लेकिन विषय नंदीग्राम का ही छाया रहा। हमारी पार्टी का रुख एस.ई.जेड. के बारे में स्पष्ट है। हमने यू.पी.ए. सरकार को शुरू से कहा कि केंद्रीय सरकार की जो नीति है उसे लागू मत करो। इस बारे में संसदीय समिति में भी बहस की कि इसमें बहुत से सुधार आने चाहिए इसके साथ यह भी कहा गया कि इसमें सुधार लाइए, लैंड एक्वीजिशन एक्ट में सुधार कीजिए, एस.ई.जेड. पॉलिसी में सुधार कीजिए। सरकार ने यह बयान दिया था कि जब तक कॉम्प्रिहेन्सिव रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं होगा, पॉलिसी नहीं होगी तब तक एस.ई.जेड. के एप्रूवल नहीं होंगे। लेकिन हमने देखा कि एप्रूवल चलते जा रहे हैं बल्कि फरवरी महीने में सी.पी.आई.(एम) पॉलित ब्यूरो की स्टेटमेंट है और पश्चिम बंगाल सरकार की भी घोषणा है कि जब तक एस.ई.जेड. कानून में तब्दीली नहीं होगी, लैंड एक्वीजिशन एक्ट में सुधार नहीं आएगा, रिहेबिलेटेशन पॉलिसी नहीं बनाएंगे तब तक एस.ई.जेड. के बारे में हम...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): आपने नंदीग्राम क्यों लिया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न करें। यह बहुत अनुचित है।

[हिन्दी]

ऐसे नहीं चलता। कभी-कभी टोकाटोकी अच्छी है।

मोहम्मद सलीम: आप थोड़ा पढ़ लीजिए कि हम इस बारे में एस.ई.जेड. की प्रस्तावना नहीं करेंगे और मुख्य मंत्री ने नौ फरवरी को पब्लिक मीटिंग में ईस्ट मिदनापुर में यह गोषणा की कि एस.ई.जेड. को छोड़ो, नन्दीग्राम में उद्यमीकरण का जो प्रस्ताव था, चूंकि किसानों में और गांवों के लोगों में उसका काफी विरोध था और वहां हंगामाखेज माहौल था, मैं उसी पर आ रहा हूं। इसलिए जो पी.सी.पी.आई.आर. की जो भारत सरकार की प्रस्तावना है, आपको मालूम होना चाहिए, मैं मंत्री महोदय से पहला सवाल यह पूछूंगा कि इस देश में चार सौ से अधिक एस.ई.जेड. के प्रस्ताव आपके पास आये, जिनमें से दो सौ, तीन सौ एस.ई.जेड. चालू हुए, क्या नन्दीग्राम के नाम पर सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट की तरफ से कोई एस.ई.जेड. का प्रपोजल स्पांसर हुआ? मान्यता की बात छोड़ दीजिए, क्या नन्दीग्राम में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई स्पांसर प्रोग्राम है? जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका नाम रख लिया गया। इसमें उत्साह हो सकता है। पी.सी.पी.आई.आर. गवर्नमैन्ट ऑफ इंडिया की पैट्रो कैमिकल्स एंड पैट्रोलियम इन्वैस्टमैन्ट रीजन की पालिसी है। यह गुजरात सरकार ने मांगी और हमने कहा कि बंगाल की खाड़ी में, पूर्वी क्षेत्र में भी होना चाहिए, क्योंकि जो पैट्रो कैमिकल्स के नये सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, वे पश्चिम तट में ज्यादा है और पूर्वी तट में नहीं हैं। हमने शुरू से यह कहा कि हमें पश्चिमी तट में भी चाहिए। क्योंकि बंगाल की खाड़ी के किनारे समुद्री तट पर हल्दी नदी के किनारे, हल्दी नदी के उस पार, हल्दिया बंदरगाह पर यह हो सकता है, ऐसी भावना, ऐसी सोच आई। यह सोच पी.सी.पी.आई.आर. के बारे में आई, एस.ई.जेड. के

बारे में नहीं आई। इसलिए इंडियन ऑयल के साथ पश्चिम बंगाल सरकार का एम.ओ.यू. साइन हुआ कि एंकर इनवैस्टर इंडियन ऑयल कारपोरेशन होगा, क्योंकि पैट्रोलियम और पैट्रो कैमिकल्स का मामला है। इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशी संस्था या देसी संस्था डवलप कर सकती हैं, जो पी.सी.पी.आई.आर. के रूल्स में है। लेकिन वामपंथी सरकार की यह मान्यता है कि केन्द्र सरकार एक योजना बना ले, हम तैयार हो जाएं, लेकिन हम उसे लागू नहीं कर सकते, जब तक पंचायत और लोग, क्योंकि विकास लोगों से संबंधित है और उन लोगों को जोड़कर यदि हम फैसला नहीं करते हैं तो हम विकास के नाम पर आगे नहीं बढ़ सकते। यही कारण है कि बच्चा पैदा होने से पहले नाम रखा गया। बेशक नन्दीग्राम में जो कुछ हुआ, वह बहुत दुखद घटना है, अफसोसनाक है। मैं यहां खड़ा हुआ हूं, यह हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक घटना है, यह कोई खुशी की बात नहीं है। चूंकि पूरे हंगामें में जितने लोग मारे गये, गरीब, किसान, गांव वाले, चाहे यहां के हों या बाहर के हों, चाहे इस पार्टी के हों या उस पार्टी के हों, उनकी जानें तो गईं। जो बेबसी और लाचारी 11 महीने से है, आडवाणी जी ने भी यही कहा और श्री दासमुंशी ने भी यही कहा कि यह मामला सिर्फ आज का नहीं है, यह जनवरी महीने की तीन-चार तारीख से शुरू हुआ और अभी यह मामला यहां आया है। मौतें होना दुखद है, न तो उसका धर्म देखना चाहिए, न उसका राजनीतिक मत देखना चाहिए। मैं स्वयं बंगाल का एक प्रतिनिधि हूं, इसलिए हमारी पीड़ा ज्यादा ही है। लेकिन नन्दीग्राम और एस.ई.जेड. के सवाल पर जो घटनाएं हुईं. मैं आडवाणी जी को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये वहां तक सीमित नहीं हैं। इसमें बहुत से लार्जर क्वैश्चंस इनवोल्व्ड हैं। बहुत से प्रश्न उठे हैं। हम अगर डिसपैशनेटली डिस्कशन नहीं करते हैं, हम अगर बहुत भावनात्मक रूप से, भावुक होकर, संकीर्ण राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, तो हो सकता है कि नन्दीग्राम के मामले में किसी को दो फायदे हों और किसी को दो नुकसान हों, लेकिन एस.ई.जेड. का मामला जमीन से जुड़ा हुआ मामला, किसान का मामला, विकास का मामला, विकास के जिन नये रास्तों पर वैश्वीकरण के साथ 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, उससे संबंधित बहस से सवाल उठे हैं, हम कहीं न कहीं उन सवालों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। सबसे अच्छा है कि संसद में उस पर चर्चा हो। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, डॉयलॉग, डिसकशन, डिबेट के अलावा हम फैसला नहीं कर सकते और एक पहला गतिरोध नंदीग्राम में यह हुआ कि चुनी हुई सरकार, चुने हुए विरोधी पक्ष पिछले 11 महीने से यह कह रहे हैं कि हम किसी सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएंगे। हम कोई डिसकशन नहीं करेंगे। कौन से विषय पर? जो पी.सी.पी.आई.आर. के निर्णय है, वह सी.पी.आई. नहीं चुनेगा, वह मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं है। मैं पार्लियामेंट में हूं। असैम्बली के जो सबजेक्ट और कमेटीज होती है, हमारे यहां जैसे संसदीय और स्थायी समिति है, वैसे पश्चिम बंगाल असैम्बली की स्थायी समिति है जिसके अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे पुराने सांसद हैं और अभी विधायक हैं, सुदीप बंधोपाध्याय जी अध्यक्ष हैं जिसमें तृणमूल कांग्रेस के भी मैम्बर्स हैं, उन्होंने 19 दिसम्बर, 2006 को फैसला किया कि नंदीग्राम अच्छी जगह हो सकती है और नंदीग्राम को आइडेंटिफाइ किया गया।

[अनुवाद]

मैं पुनः इसे दुहरा रहा हूं कि यह केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा पी.सी.पी.आई.आर. के निवेश के लिए एस.ई.जेड. के रूप में नहीं है।

[हिन्दी]

यह जगह सुविधाजनक हो सकती है लेकिन फैसला नहीं हुआ। कहां से शुरू हुआ? तीन तारीख को पंचायत ने, ग्राम सभा के प्रधान और बहुत से नाम आए कि चुने हुए मुखिया मीटिंग कर रहे हैं, उसमें बाद में हंगामा हुआ। एक दिन में नहीं हुआ। उससे पहले प्रचार चल रहा था। उससे भी पहले यह प्रचार चल रहा था कि यह मीटिंग लैंड एक्विजिशन के लिए है। हम सांसद हैं। बाकी लोग बोल सकते हैं और पत्रकार भी कुछ लिख सकते हैं। पंचायत मीटिंग करके लैंड एक्विजिशन नहीं करती। लैंड एक्विजिशन कानून के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर को नोटिफाइ करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है।

हमारे रघुवंश जी की निर्मल गांव योजना है और मिदनापुर जिले के लिए निर्मल गांव योजना में, जिसमें नंदीग्राम है, सबसे अच्छा काम किया है, ऐसा कह कर पुरस्कृत किया जाएगा लेकिन इसके पहले केन्द्रीय टीम भेजी जाएगी। केन्द्रीय टीम ने कई गांवों को देखा है। 14 और 15 तारीख को नंदीग्राम को भी देखना है। उसके लिए उसकी प्रस्तुति चाहिए। सेन्ट्रल टीम आएगी। यह मीटिंग हो रही है। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमें सत्य तक पहुंचना है। मैं यह नहीं कहता कि मैं ही सत्य बोल रहा हूं। चूंकि ऐसी हवा बनी, ऐसा प्रचार हुआ,

[मोहम्मद सलीम]

ऐसा दुष्प्रचार हुआ, ऐसी घटनाएं घटी, ऐसा माहौल पैदा किया गया जिसमें सच को ढूंढ निकालना बड़ा दिक्कत का काम रहा है। फैक्ट्स और फिक्शन में बहुत फर्क है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक साल से ये सब प्रचार चल रहा है। आज तक यह जारी है। मैं सब प्रचार को दुष्प्रचार नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं जिस बात के लिए कह रहा हूं कि अगर एक गांव में चुना हुआ ग्राम प्रधान मीटिंग करे और चुने हुए एम.एल.एज के नेतृत्व में बाजू वाले इलाके से अगर आकर यह कहा जाए कि यह मीटिंग नहीं चलेगी, इनके ऑफिस पर हमला करो, ताला लगाओ, बाजू वाले हैल्थ सेन्टर पर हमला करो, चुने हुए ग्राम प्रधान को मारो चूंकि वह सी.पी.एम. के चुने हुए प्रधान हैं। इसमें फर्क मत कीजिए। हम सांसद चुने हुए हैं। चुने हुए एक एम.एल.ए. सी.पी.आई. के हैं, सी.पी.आई.(एम) के नहीं हैं। लेकिन वह वहां चुने हुए इलाके में नहीं जा सकते। ठीक है, सांसद श्री लक्ष्मण सेठ नहीं जा सकते। फतवा लगाया गया। आज किसी को, सांसद अपने दिल पर हाथ रखकर यह कहिए चाहे एक गांव हो या 22 गांव हों, चाहे एक जिला हो या क्षेत्र हो, अगर कुछ लोग यह फैसला करें कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हो लेकिन आप इस क्षेत्र में नहीं आ सकते, यह हमारा फतवा है, हो सकता है, वह पोपुलर हो, लोकप्रिय हो। चूंकि किसान को डर है कि उसकी खेती, उसकी जमीन जाएगी, उसकी रोजी-रोटी जाएगी। एक दैत्य की तरह अगर यह हो जाए कि जो भी आएगा चाहे वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि आए, चाहे वह पंचायत के प्रतिनिधि आए और चाहे वह एम.एल.ए. आए, चाहे एम.पी. आए, चाहे पुलिस आए, चाहे सी.पी.आई.एम. आए, उनके आने से तुम्हारी जमीन चली जाएगी। मैं उन गांव वालों को बुरा नहीं कह रहा हूं। चूंकि उनकी रोजी-रोटी का आखिरी सहारा वह जमीन है, इसलिए जमीन के मुद्दे को आप छोड़कर नंदीग्राम पर चर्चा नहीं कर सकते। फिर मैं नंदीग्राम की बात कर रहा हूं। इसलिए जाहिर सी बात है कि उस डर, उस भय, उस खौफ, उस अफवाह और फतवा का सहारा लिया गया। कहा गया कि यह मीटिंग जो हो रही है, तुम्हारी जमीन चली जाएगी। जो बेबस, बेसहारा गरीब, पिछड़े हुए लोग, इन्होंने खुद कहा है कि पिछड़े हुए और गरीब लोगों का इलाका है। वह आइलैंड इलाका है। जहां से भी आप जाएंगे, आपको नदी पार होना पड़ेगा। दासमुंशी जी खुद वहां गये हैं। एक तरफ समन्दर, बाकी सब तरफ नदी। उसमें और कहा गया कि पूरे ब्लॉक में 22 गांव हैं, जब कि सरकार की भावना को देखना होगा कि उसमें 4-5 गांव हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन से गांव हैं, ऐसा कोई नहीं जानता, न आइडैंटिफाई किये गये और न नोटिफाई हुये। कोई विशेष डैवलेपमेंट प्रोजैक्ट नहीं बना जो सैंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा किया जाता। बेशक एक सोच चल रही थी और हमले हुये। मेरा पहला सवाल यह है कि इस देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में, सर्वोच्च पंचायत में विरोध हो सकता है। हम आपसे विरोध कर सकते हैं, हमारी नीति को आप नहीं मान सकते हैं, नकार सकते हैं। आपकी नीति को लेकर हमारा झगड़ा हो सकता है लेकिन चुनी हुई सरकार, चुनी हुई पंचायत, चुने हुये विधायक और सांसद उनकी बात को नहीं मानते हैं। हारी हुई पार्टी यह फैसला कर सकती है कि इस पंचायत पर ताला लगा दो, उनके विधायक के दफ्तर पर ताला लगा दो, सांसद का अंदर आना बंद कर दो, अगर विधायक अंदर आते हैं, तो उन्हें मार-मार कर काटकर फैंक दो। हो सकता है कि सी.पी.आई. के आदमी हों लेकिन इस पहलू को तंग नजर से मत देखो। यह मामला मीडिया से नहीं कह रहा हूं, बुद्धिजीवियों से नहीं कह रहा हूं, मैं सांसदो से कह रहा हूं, जिन्हें लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है जो इस लोकतंत्र में पल और पनप रहे हैं। अगर यह कहा जाये कि यह हुआ तो आप विरोध नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है। हो सकता है कि कुछ को इसका राजनैतिक लाभ हो, लाभ उठायें। चूंकि पापुलर मामला बना, इसके लिये हमें अपने अंदर झांकना है कि ऐसी गलतफहमी क्यों हुई? क्यों ऐसी अफवाह पर विश्वास करें, ऐसे असत्य को क्यों बहाना बनाया जाए? लेकिन घटना तो हुई। 6 तारीख को नन्दीग्राम में शंकर सामन्त की मौत हुई, उसका घर जलाया गया, उसे मारा गया, उसकी बोटी-बोटी कर दी गई - क्यों? चूंकि वह सी.पी.एम. की चुनी हुई पंचायत के सदस्य थे, क्योंकि वह चाहते थे कि कैमिकल हब हो। हो सकता है कि न हो। लेकिन अगर हम किसी चुनी हुई सरकार के घोषित कार्यक्रम को राजनैतिक या अन्य कारण से समर्थन नही करते हैं तो हमें भारत का संविधान उसकी बोटी-बोटी करने की इजाजत नहीं देता, या कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है, आप विरोध मत कीजिये। ऐसा बंगाल में 70 के दशक में राजनैतिक कारणों से हुआ, जब इमरजैंसी से 4-5 साल पहले सेमी-फासिस्ट टैरर हुआ। ठीक है, उन्हें माओवादी मत कहें, क्योंकि दासमुंशीजी उस पर आपत्ति कर रहे थे, लेकिन उस समय के पनपे हुये नेता हैं जब सड़क पर लोग एक-दूसरे को मारकर, काटकर बेदखल कर रहे थे और अपना राजनैतिक फैसला कर रहे थे।

उसके बाद दूर तक चलकर हम आगे बढ़े हैं।...*(व्यवधान)* मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, एक समय से वह साक्षी हैं। चूंकि वहां शेख सलीम का नाम आया है जिसकी हत्या की गई, उसकी डैड बॉडी मिली। अब शंकर सामन्त की बात की गई कि वह बुद्धिजीवी थे। दिल्ली से बुद्धिजीवियों की एक टीम गई। चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी हो, बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी होता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: विषय से न हटें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: फैक्ट्स फाइंडिग टीम ने गांव में जाकर लोगों से बातें की जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है कि शंकर सामन्त गांव के लोगों को मारता था, एक प्रोक्लेम्ड मर्डरर था, सी.पी.एम. का आदमी था, लोगों पर जुल्म करता था, उनके घर पर हमला करता था और इसी कारण उसे जलाकर मार डाला गया। पौलिटिकल स्कोर सैटल करने के लिये एक नई संस्कृति हो सकती है, लेकिन उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि शेख सलीम को क्यों मारा गया। कहते हैं कि शंकर सामन्त के घर पर शेख सलीम पर हमला हुआ, इसलिये शंकर सामन्त को जलाया गया। शेख सलीम का घर दक्षिण केन्द्रपाड़ा में है जिसे मैप में बताया गया है कि यह शंकर सामन्त के घर से 15 किलोमीटर दूर है।

कहानी की गाय पेड़ पर चढ़ सकती है तो 15 किलोमीटर दूर से शंकर सामंत हमला भी कर सकता है शेख सलीम के यहां। अगर किसी को मारना है तो फिर मारने के बाद कुछ भी कह सकते हैं लेकिन मैं फैक्ट कह रहा हूं, फिक्शन नहीं। ऐसी एक मिसाल मैं नहीं दे रहा हूं। आनन्द बाजार पत्रिका घोषित वामपंथी विरोधी बड़ी पत्रिकाओं में से एक है। 6 जनवरी को उनका एडिटोरियल आया। 4 जनवरी के बाद 6 जनवरी को, शंकर सामंत की बात उन्हें नहीं मालूम है, जो कह रहे हैं कि माओवादी कहां से आ गए, सी.पी.एम. कहां से ले आई माओवादियों को - माओ क्यों बोलते हैं इनको? 6 जनवरी 2007 के एडिटोरियल में आनंद बाजार पत्रिका कहती है कि 17वीं सदी में जैसे होता था कि बाहर से लोग आकर हमला करते थे, हम कहते हैं कि उस वक्त बड़ा सा डिच वगैरह किया गया था क्योंकि बाहर से हमले हो सकते थे - ईस्ट और वैस्ट से। इनका हवाला देकर कहते हैं कि ये जो हमले हुए, 3 तारीख को पुलिस की बंदूकें छीनी गईं, बाद में तृणमूल के एम.एल.ए. ने बंदूक लाकर जनवरी महीने में वापस कर दी। वह लाकर दीं श्री अधिकारी ने। वे कहते हैं कि यह जो हमला है, इससे पता चलता है कि नक्सलाइट्स इसमें हैं। पैटर्न ऑफ द वायलैन्स से पता चलता है कि गांव के लोगों को गरम करके, हमलावर बनाकर, चुने हुए ग्राम प्रधानों पर हमला किया गया, पुलिस की बंदूक छीन ली गईं, यह यहां पर ही खत्म नहीं हो जाएगा, बहुत सही कहा उन्होंने। यह बात बहुत आगे बढ़ सकती है क्योंकि इसमें नक्सल इनफ्लूयेन्स देखने को मिल रहा है, जो बाहर से आया हुआ है। वह एडिटोरियल मेरे पास है, मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं, वह बंग्ला में है। 6 जनवरी की वह आनन्द बाजार पत्रिका है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए, डाइवर्ट मत हों।

मोहम्मद सलीम: अच्छी बात है कि वे श्री अशोक मित्रा को पढ़ते हैं। अशोक मित्रा जी पिछले छः सालों से बोल रहे हैं कि मोदी इज ए फासिस्ट। हम उसको लेकर चर्चा नहीं करते हैं। आप उनकी बात मानिए।...*(व्यवधान)*

मैं घटना बयान नहीं करूंगा। जनवरी महीने के पहले हफ्ते से जो भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी, बी.यू.पी.सी., जिसका नाम आडवाणी जी ने भी कहा कि भूमि से विस्थापन विरोधी समिति, उसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस - मानता हूं इक्का दुक्का कांग्रेसी थे, ज्यादा नहीं थे, जमाते उलेमा हिन्द, बी.जे.पी., तीन किस्म की एस.एस.आई. और 22 किस्म के नक्सल, और कुछ इंडीपेन्डेन्ट लोकल सब जुड़े। क्योंकि पापुलर मूवमैंट था। पापुलर मूवमैंट नहीं होने से कुछ नहीं होता। फरवरी महीने में सरकार ने घोषणा कर दी - मुख्यमंत्री, सी.पी.आई.(एम) के पोलित ब्यूरो और स्टेट कमेटी ने कि जनता नहीं चाहती है और वहां कार्यकलाप नहीं होगा। चूंकि घोषणा कर दी गई, इसलिए पुलिस वहां नहीं जा सकती। उस ब्लाक के बाजू वाला जो ब्लाक था - खेजुरी, वहां पब्लिक मीटिंग करके ऐलान कर दिया गया, डी.एम. के द्वारा बाद में बोला गया, गांव-गांव में नोटिस लगा दिया गया, गांव सभा में, ब्लाक ऑफिस में कि यहां लैन्ड एक्वीजीशन नहीं होगा। बोलते हैं लैन्ड एक्वीजीशन जबकि सरकार की तरफ से लैन्ड एक्वीजीशन नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन चूंकि संदेह पैदा हुआ, चूंकि अफवाहें आईं, इसलिए काउंटर दिया गया कि यहां पर घोषणा है कि लैन्ड एक्वीजीशन नहीं होगा। लेकिन उससे मामला शांत नहीं हुआ। कहा गया कि पुलिस अंदर नहीं आएगी। केन्द्रीय मंत्री ने बेशक नहीं कहा, लेकिन चूंकि उन्होंने यहां भाषण

[मोहम्मद सलीम]

दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं, और मेरे पास उनकी भी क्लिपिंग्ज हैं। जनवरी महीने में हमले के बाद जमाते उलेमा हिन्द के सहारे कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई नन्दीग्राम में, क्योंकि बाहर से कोई जा नहीं सकता कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जमाते उलेमा हिन्द के सहारे के बिना। वहां मौजूद एक साबिका मंत्री वैस्ट बंगाल के, कांग्रेस के नेता, पहले वे तृणमूल कांग्रेस में थे, पहले वे कहते थे कि मैं जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं, बाजू में मेरा केन्द्रीय मंत्री बैठा है, अगर पुलिस को देखो, सी.पी.एम. को देखों तो मारो। साबिक मंत्री, कलकत्ते के साबिका मेयर, आधा तृणमूल और आधा कांग्रेस, लोग समझ जाएंगे। मैं वहां नहीं था। जो बंग्ला अखबार में रिकार्ड आया अगले दिन, मैं वह पढ़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप छोड़िये। प्लीज, बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकार्ड न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के बिना कोई हस्तक्षेप नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री सलीम, आप बोलिए। आप इसे दस मिनट में समाप्त करें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: मैं कह रहा हूं कि इतने अच्छे माहौल में बात हो रही है, आप सब लोग सहायता कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* 14 मार्च को घटना घातक, अफसोसनाक और बहुत ही दुखद हुई। मुख्यमंत्री जी और हम भी कह रहे हैं कि पुलिस का यह फैसला हुआ कि पुलिस वहां जाएगी। आप सोचें कि एक ब्लाक को यह कहा जाए कि जनता के बीच में असंतोष है, इसलिए पुलिस, स्कूल टीचर, सरकारी कर्मचारी, ब्लाक डेवलपमेंट आफिस का कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। जब दो-ढाई हजार सी.पी.एम. के समर्थक, नेता, पंचायत के चुने हुए कोई प्रतिनिधि अंदर नहीं जा सकते, ये सब बाहर बैठे हैं। इन सब को बाहर कर दिया गया। इसमें इंसानियत, मानवता एवं मानव अधिकार का सवाल है। आप जो कह रहे हैं कि अभी भी चार सौ-पांच सौ लोग बाहर हैं, जो भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के समर्थक हैं। मैं मानता हूं कि उनका भी उतना ही हक एवं अधिकार है कि वे गांव के अंदर जाकर अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक रहें। सी.पी.एस. पुलिस, बंगाल सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनके रहते हुए कोई बाहर जाकर रहे, लेकिन जो ढाई हजार लोग जनवरी महीने से बाहर निकले हुए हैं, जिनका बच्चा बाहर पैदा हुआ और वह बीमार होकर मार गया। कई हत्याएं हुईं और जिनके परिवार की महिलाएं अंदर रहीं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, अन्याय किया गया। उनका रेप करके उन्हें पेड़ के साथ लटका कर टांग दिया गया, ये सब बहुत गलत किया गया। पुलिस वहां जाकर केस भी रजिस्टर नहीं कर सकती, पुलिस इनवेस्टीगेट भी नहीं कर सकती। पुलिस ने 14 मार्च के पहले वहां जाने की कोशिश की, साधुसंत चटर्जी एस.आई. और आई.बी. के लोग होते हैं, वे खबर लेने के लिए प्लेन क्लोथ में गए, लेकिन उन्हें लिंच कर दिया गया। सी.पी.एम. के लोगों को मारने के लिए हथियार ठीक नहीं हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन यह सोचने की बात है कि 14 मार्च को कैसे फैसला हुआ, उससे पहले कई बार ऑल पार्टीज मीटिंग हुई। दस मार्च को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहां ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई कि रोड, कलवर्ट, ब्रिज आदि कई चीजों को तोड़ दिया गया है। पब्लिक को परेशानी हो रही है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती है। उसे रिवील करना पड़ेगा। सिर्फ वामपंथी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आएं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने बॉयकाट किया कि वे मीटिंग में नहीं जाएंगे। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लाक लेवल पर शांति लाने के लिए जितनी ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, कभी कोई वर्कर आकर फैसला भी करते हैं तो ये सुनते नहीं हैं, लेकिन

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दस मार्च को यह फैसला हुआ कि पुलिस जाएगी, मिस्त्री जाएंगे और फिर वहां जो कलवर्ट रोड एवं ब्रिज टूटे हैं उन्हें बनाया जाएगा। लोगों का पापुलर सपोर्ट था, रजिस्टेंस थी और उनमें अवेयरनैस थी।...*(व्यवधान)* आप सब जानते हैं कि इसे टी.वी., वी.डी.ओ., एस.एम.एस., क्लिपिंग में और कई तरीके से पूरे देश में दिखाया गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए, आपके लीडर बोले हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, ऐसा करने से पहले आपको उचित अनुमति लेनी होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बचाव करने का प्रश्न ही नहीं है। कोई आक्षेप न लगाएं। बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी चीज का बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह चर्चा उचित रूप से चलती रही। मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने इस प्रस्ताव की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: एस.डी.ओ. और डी.एम. के यहां जो मीटिंग होती है, वहां जो अटैंड करते हैं, वह सही होता है। इसलिए बोला कि जिन्होंने बॉयकाट किया था, उन्होंने बॉयकाट नहीं किया था, उन्होंने बोला था कि हम आएंगे, लेकिन वे नहीं आए। मैंने बी.जे.पी. का नाम इसलिए बोला, उन्हें नाम लेने में दिक्कत है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वहां उनके प्रतिनिधि आए थे।...*(व्यवधान)* वहां बी.जे.पी. के लोग आए थे और उन्होंने कहा कि मिनिट्स में सही फैसला किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को वहां जाना चाहिए, लेकिन जब पब्लिक रेजिस्टेंस हुआ, हंगामा हुआ और गोली चली तो वहां कई लोग मारे गए। वहां आठ लोग पुलिस की गोली से मारे गए।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सौ से ज्यादा लोग मारे गए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वहां 600 आदमियों का पता नहीं चला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे रोकेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अन्यथा मैं दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा सही कहते हैं, चूंकि वह जानते हैं कि जब हत्या होती है, तो सैकड़ों की तादाद में होती है, एक, दो या चार नहीं, क्योंकि यह गोधरा में हुआ वहां संख्या ज्यादा रही थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सलीम जी, आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

——— मैंने कल से बल्कि परसों से

अध्यक्ष महोदय: मैं यहां तब से हूं जब आप पैदा भी — — —।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: मैं होम मिनिस्टर साहब का ध्यान उनके द्वारा नक्सली प्रॉब्लम पर दिनांक 13 मार्च, 2006 को इस सदन में जो भाषण - स्थिति पत्र - दिया गया था, उसकी तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं। मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा।

[अनुवाद]

पैरा 1.1 कहता है:

"नक्सली आंदोलन, स्थानिक विस्तार, हिंसा में तीव्रता, सैन्यीकरण, एवं शक्ति संचयन, ध्वंसकारी और पृथकतावादी समूहों के साथ संबंध होने तथा जनसमर्थन हासिल करने के प्रयासों में तेजी लाने के कारण अभी लगातार जारी है नक्सलयादी उन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां चलाते हैं जहां प्रशासन तंत्र राजनीतिक संस्थाएं विद्यमान नहीं है वे स्थानीय मांगों को उठाते हैं तथा समाज के शोषित वर्गों में व्याप्त रोष का फायदा उठाते हैं।"

एक तो वहां प्रशासनिक तंत्र नहीं है; दूसरा वहां पर राजनीतिक संख्या कार्य नहीं कर रही है। गृह मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार यही उनकी नीति है इसमें बताया गया कि कैसे नक्सलियों ने अपनी नीति परिवर्तित की और कैसे वे इसे अंजाम दे रहे है। यह सी.पी.एम. का दस्तावेज नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान...की ओर आकर्षित करना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब तक वे मान नहीं लेते मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सर, अभी कोलकाता में फायरिंग हो रही है। राज्य सभा एडजर्न हो गयी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी जगह पर बैठिए। हो सकता कि राज्य सभा की कार्रवाई स्थगित हो गयी है। आप पत्रकार नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: सर, हम पहले ही कह रहे थे कि ये अपनी बात कह देंगे, उसके बाद हंगामा करेंगे और हमें अपनी बात नहीं कहने देंगे। इसलिए मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: गृह मंत्री जी यही हैं; उन्हें वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: बहुत खूब; कोलकाता उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सर, यह तो कन्क्लूड कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि कोलकाता में क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है? मुझे दु:ख है, आप इस चर्चा में जानबूझकर व्यवधान डाल रहे है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? आप जब चाहे खडे होकर वक्तव्य की मांग नहीं कर सकते है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। यह शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री सलीम, आप अपनी बात अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, यह तरीका नहीं है। आप सब कुछ जानते हुए यह मुद्दा उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: सर, ये यही चाह रहे थे कि अपनी बात कह कर हंगामा कर दें और हमारी बात न सुनें। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि हमारी बात भी सुननी पड़ेगी।...*(व्यवधान)* मैं केन्द्रीय मंत्री से उम्मीद करता हूं कि वे कम से कम अपनी सरकार की बात को मानकर चलें। केन्द्रीय मंत्री महोदय ने अभी यह कहा कि 'माओ' शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। माओत्से तुंग यंग नेता थे। हम भी उनकी रैस्पैक्ट करते हैं, लेकिन उनके फौलोअर कहां से कहां चले गए, यह बताना चाहता हूं। अभी श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन की 20वीं रिपोर्ट पढ़ रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब वे होम मिनिस्टर थे, उस समय की माओइस्ट रिपोर्ट पढ़ लें, मैं खुद भी पढ़ूंगा। जो नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने जो अपनी बात मीडिया में कही, उससे मैं कोट कर रहा हूं। प्रधान मंत्री जब मास्को जा रहे थे, तो उन्होंने ऑन बोर्ड एयर इंडिया के प्लेन में बोला कि-

[अनुवाद]

"माओवादियों ने अपने 9वें सम्मेलन में कहा था कि जहां भी अवसर मिलेगा, वे वहां जाएंगे। यह एक क्षेत्र है जहां उन्होंने घुसपैठ की..."

वह कौन सा क्षेत्र है?

[हिन्दी]

उससे पहले वे कह रहे हैं कि-

[अनुवाद]

"उन्हें पश्चिम बंगाल के नन्दीग्राम में प्रबल संघर्ष में माओवादियों की भूमिका के बारे में बड़ी चिंता थी।"

[हिन्दी]

उसके बाद कैसे माओइस्ट गए, वह कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, अभी के सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहे हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा: "कुछ हिंसा के लिए माओवादियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।"...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप लंबा भाषण न दें। मैं आपका बड़ा आदर करता हूं।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम: यह भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के लिए चिंता का विषय है...*(व्यवधान)*। *[हिन्दी]* वह यह भी कह रहे हैं कि *[अनुवाद]* दिल्ली को चिंता है। कोलकाता को भी बड़ी चिंता है। यह सुनिश्चित किए जाने का विचार है कि और जानें न जाएं और जिन्हें बाहर खदेड़ दिया गया है और जिनके लिए घर वापस लौटने का रास्ता बंद कर दिया गया है, उन्हें न्यूनतम हिंसा एवं नुकसान के साथ लौटाया जा सकता है।

[हिन्दी]

नेशनल सिक्योरिटी एडवाइटर का यह बयान नवम्बर-अक्तूबर में मास्को जाने से पहले का है। प्रधानमंत्री जी ने 13 अप्रैल, 2006 को अपने भाषण में कहा था-

[अनुवाद]

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद की समस्या हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की एकमात्र सबसे बड़ी चुनौती है। मैंने ध्यानपूर्वक आप सबको सुना और मैंने अलग से भी इस पर चर्चा की...

[हिन्दी]

लेकिन अब केन्द्रीय मंत्री यह कह रहे हैं कि यह माओइस्ट शब्द कहां से आया? झारखण्ड में एम.सी.सी. और पी.डब्ल्यू.जी., आन्ध्र प्रदेश ने मिलकर जब माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस देश में बनाई तब कुछ लोगों ने यह समझा की एक आल्टरनेटिव सी.पी.एम. बन गई है। आडवाणी जी ने पिछले साल 19 नवम्बर को इसी सदन में इंटरनल

[मोहम्मद सलीम]

सिक्योरिटी पर चर्चा के समय भाषण दिया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत महत्व देती है। उस समय दिए गए श्री आडवाणी जी के भाषण को मैं देख रहा था। उस भाषण में सिर्फ एक लाइन उन्होंने नक्सलवाद के लिए कही थी, लेकिन आज उन्होंने वह एक लाइन भी नहीं कही। कुमारी ममता बनर्जी ने भी बांकुरा और तेजपुर में अपने भाषण में कहा था कि सी.पी.एम. को यदि चुनाव में नहीं हराया जा सकता है, तो बल के द्वारा उन्हें हटाने के लिए हम माओइस्ट का सहारा लेंगे। इसीलिए एन.डी.ए. की यह मजबूरी है कि इंटरनल सिक्योरिटी पर वे भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन माओइस्ट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। क्या इससे हमारा नुकसान है? क्या इससे देश का नुकसान नहीं है? आप कह रहे हैं कि देश के 170-175 डिस्ट्रिक्ट नक्सलवाद से प्रभावित हैं, लेकिन आप ही के केन्द्रीय मंत्री कह रहे हैं कि माओइस्ट शब्द कहां से आया है? हम बंगाल को भयंदर और दांतेवाड़ा नहीं बनाना चाहते हैं। झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में किस वजह से आज माओवादी पनप रहे हैं? यदि लालकृष्ण आडवाणी जी, जो कि लौह पुरुष हैं, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतनी कमजोरी माओइस्ट के लिए दिखाते हैं तो देश को माओइस्ट के खतरे से बचाने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदारी लेनी होगी...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह आपके 30 साल के पश्चिम बंगाल में शासन का नतीजा है। आप नेपाल में प्रचण्ड के पास जाकर मिन्नत करते हैं...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: यह आप क्यों कह रहे हैं कि हम 30 साल से बंगाल में हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से आडवाणी जी के भाषण को कोट करना चाहूंगा जो उन्होंने 19 नवम्बर को इसी सदन में इंटरनल सिक्योरिटी पर दिया था। आज उन्होंने गवर्नर, आई.जी. और डी.आई.जी. की बात कही, लेकिन पिछले भाषण में जब वे कह रहे थे, तब बंगाल या सी.पी.एम. का मामला नहीं था, लेकिन होम मिनिस्टर का बीच-बीच में इंटरप्शन है। उसमें वे कह रहे हैं कि आप एक सीनियर मैम्बर हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं इसलिए आप आई.जी. और डी.आई.जी. की बात मत कहिए। लेकिन आज उन्होंने ये सब बातें बड़ी खामोशी से सुनीं। यह अच्छी बात है। आडवाणी जी के भाषण में नक्सलाइट्स के बारे में केवल एक ही लाइन है कि "नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में जो राजनीतिक अस्थिरता आती है, वह बहुत गम्भीर है। मैं सुनी-सुनाई बात के आधार पर कहता हूं, मेरी किसी से प्रत्यक्ष बात नहीं हुई है..." फिर उन्होंने कहा "लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पशुपति से लेकर तिरूपति तक रेड कॉरिडोर बनाने की जो इच्छा है, उसे किसी प्रकार से समर्थन नहीं मिलना चाहिए।" आडवाणी जी जो पशुपति से लेकर तिरूपति तक की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वह माओइस्ट के बारे में कह रहे हैं, वामपंथी फ्रंट के बारे में नहीं कह रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप वहां 30 सालों से हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: माओइस्ट थ्रेट के बारे में कह रहे होंगे, इसलिए पशुपति से तिरुपति कहा, एक साल पहले पशुपति से तिरुपति याद था, अब यह कहां से याद आ गया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अच्छा। कृपया अब बात समाप्त कीजिए।

मोहम्मद सलीम: मुझे कुछ समय दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: विषय से न हटें। यही मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: अब मैं अक्तूबर-नवम्बर की दुखद घटना के ऊपर आ रहा हूं। मार्च के बाद से 2500 लोग घर से बाहर थे, कोई फिक्र नहीं थी, अच्छी बात है, आडवाणी जी दो बार वहां गये। मार्च की घटना में भी गये और अभी नवम्बर की घटना में भी गये। बीच के इण्टरवीनिंग पीरियड में नंदीग्राम खो गया था, नंदीग्राम में कोई समस्या

नहीं थी, नंदीग्राम में हत्याएं नहीं हो रही थीं। सी.पी.आई. (एम) के 27 कार्यकर्ता कत्ल हुए। मैं यह नहीं कहता कि तृणमूल कांग्रेस या बी.ओ.पी.सी. ने यह किया, उनका तो मोराल भी नहीं है, लेकिन आजकल लोग सुपारी देते हैं। मार्च के बाद से आई.बी. की रिपोर्ट है कि अप्रैल-मई में माओइस्ट झारखंड से, बंगाल के दूसरे जिलों से, मेदिनीपुर से, उड़ीसा का जो बोर्डर इलाका है, वैस्ट बंगाल के इफैक्टिड इलाके पुरुलिया, बांकुरा से इंडक्टिड हुए। आज 48 घंटे का बन्द माओविस्टों ने ऐसे ही नहीं बुलाया। यह मैं बोल रहा हूं कि किससे लड़ाई हो रही है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: वे आपके ही मित्र हैं, किसको कत्ल करते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वही तो लॉ एंड ऑर्डर की बात बोलते हैं, यहां क्यों आलोचना करते हैं, ये क्यों बोल रहे हैं। अगर बोले हैं, बात करेंगे तो जवाब तो सुनना होगा।

मोहम्मद सलीम: यही होता है। आप यहां कहेंगे और जमीन में वे काम करते जाएंगे। यह लीफलेट माओइस्टों का है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, 30 मार्च को माओइस्टों ने बंगला में लीफलेट दिया कि बहुत से लोग, खासकर तृणमूल के लोग ऐसा समझ रहे हैं कि नंदीग्राम में सी.पी.एम. और तृणमूल के अन्दर जमीन की लड़ाई हो रही है, लेकिन उनके नेता भी गलतफहमी में हैं। आज यह तृणमूल का मामला है, उनका लीफलेट बंगला में है, इसलिए मैं उसका हिन्दी जिस्ट बोल रहा हूं - यह आजादी के लिए मातृभूमि की रक्षा के लिए स्टेट के खिलाफ हमारा मुक्तांचल है, जिसे लिब्रेटिड जोन बोलते हैं। जो वारंगल में किया था और इस लिब्रेटिड जोन में हम किसी को आने भी नहीं देंगे, यह तृणमूल कांग्रेस के लोग भी समझ लें और सी.पी.एम. के लोग भी...ब्ला-ब्ला-ब्ला। इसलिए 31 मार्च को बंगाल बन्द बुलाया गया। उसके समर्थन में टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट है, डी.एन.ए. में रिपोर्ट है, इकोनोमिक टाइम्स में रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रैस में रिपोर्ट है। 31 अक्तूबर से 6 नवम्बर तक आप पढ़ लीजिए, लैंड माइन्स बरामद हो रही हैं, ए.के.-47 मिली हैं। आई.बी. को खबर मिली, आडवाणी जी ने अभी कहा कि जर्नलिस्ट अन्दर जा नहीं सकते, बेशक। मार्च से सितम्बर महीने तक सी.पी.आई. के एक एम.एल.ए. ने अन्दर जाने की कोशिश की थी, उन्हें झंडा छीनकर, गाड़ी से निकालकर मारकर भगा दिया गया। वे गिरे हुए थे, हॉस्पिटल में थे। जर्नलिस्ट्स के जाने पर वहां सर्च होती थी। सर्च कौन करते थे, कोलकाता से

[अनुवाद]

डी.एन.ए. के अनुसार कोलकाता के शिक्षित और सुविज्ञ युवा सर्च करते थे, गांव के किसान नहीं।

[हिन्दी]

गांव के किसान नहीं। उनको प्रोपेगंडा में इसलिए बुलाया गया कि नक्सलाइट स्टूडेंट्स यूनियन, जाधवपुर यूनिवर्सिटी है, वे मीडिया को गाइड करते थे, सर्च करते थे। अखबार नहीं जाएंगे, मोबाइल नहीं चलेंगे, सिर्फ सी.पी.एम. नहीं, जो अखबार हमारा समर्थन नहीं करते, वे अन्दर नहीं जाएंगे, केबल टी.वी. नहीं चलेगा, ट्रांसमीटर जलाये गये, पूरा कट ऑफ किया गया। लिब्रेटिड जोन को अगर आप यह कहें कि ऐसा ही रहना ठीक था तो आपने यह जवांमर्दी क्यों की, हमने तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कितनी ही जगह छोड़ दीं, दांतेवाला में कितनी जगह छोड़ दीं, झारखंड में कितनी जगह छोड़ दीं, आन्ध्र प्रदेश में कितनी ही जगह छोड़ दीं तो यह भी थोड़ा छूटा हुआ रहता। बेशक इसमें दो किस्म की बातें हो सकती हैं, मैं बैनीफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, एक कि क्यों गये और दूसरे यह कह रहा हूं कि क्यों हम गये, जाना तो था...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कैडर क्यों गया, पुलिस जाती।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर मत दीजिए। कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: मैं तो बोल रहा था, लेकिन समय नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाक्यूमेंट से पढ़ सकता हूं नक्सलवादियों का मुकाबला कैसे करें? उसमें जो ऑपरेटिव पार्ट है, उसमें से एक लाइन मैं पढ़ देता हूं।

[अनुवाद]

(i) राजनीतिक दलों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपने संगठन के आधार को सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि वहां के समर्थ युवा वर्ग को नक्सलवादी विचारधारा को अपनाने से रोका जा सके।

[मोहम्मद सलीम]

[हिन्दी]

1967 से 1969 के बीच में बंगाल में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। आइडियोलोजिकली हम लोग उससे लड़े, फिजीकली हमारे लीडर्स एलीमिनेट हुए और जब यह नया नक्सलवाद आया, अभी जो माओइस्ट सुन रहे थे, यह आन्ध्र प्रदेश की पैदावार है, बंगाल की नहीं। अभी जो आर्म्स कैचिज हुए हैं, यह 6 महीने में, 8 महीने में, अप्रैल से सितम्बर तक, देसी बन्दूक बनाने की वर्कशॉप वहां मिली।

अपराह्न 3.00 बजे

बच्चे बोल रहे हैं कि हमने ब्रिगेड बनाये थे। मैं अलग-अलग डिटेल में नहीं जाऊंगा, चालीस लोगों को लेकर दर्जन-दर्जन ब्रिगेड बनाए गए, जो वाच करेंगे। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, बी.जे.पी. का और आम-जनता का, बेशक सी.पी.एम. और गवर्नमेंट के खिलाफ रोष था, सरकार की जमीन के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और इससे उन्होंने पापुलर मूवमेंट किए, लेकिन मओवादी, नक्सलाइट्स यह बोले कि हम इसे बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते, इसको अगर आजाद रखना है, तो हम तुम्हें यह दे सकते हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आई.बी. रिपोर्ट है, मैं कोट नहीं कर रहा हूं। मैं एक-एक करके अखबार से पढ सकता हूं।

डी.एन.ए. के एक पैरा की एक लाइन मैं पढ़ रहा हूं।

[अनुवाद]

आई.बी. के निष्कर्षों के अनुसार उन महीनों में उनकी अग्निशास्त्र क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह अप्रैल-सितंबर की अवधि में हुआ है।

[हिन्दी]

इसलिए अप्रैल से सितंबर ज्यादा तक हंगामा नहीं था। सितंबर में जब ट्रेनिंग हो गयी, फोर्स तैयार हो गयी, स्मगि्लंग होकर औजार आ गए, स्मगि्लंग ऐसे नहीं हुयी, पहले पेड़ काटे गए, पहले वहां से लकड़ी की स्मगि्लंग हुयी, जलीमनपेटी में बंद कारखाने थे, पूरे देश में जो ड्रग्स की स्मगि्लंग करते हैं और आर्म्स के रैकेट्स चलाते हैं, पहले ऐसे वेजिटेरियन स्मगि्लंग करके अपना रूट और पैसेज तैयार करते हैं। लैंड लॉक एरिया के नक्सलाइट्स एक सी ओपनिंग चाह रहे थे, ताकि वे आर्म्स एंड एम्युनिशंस इंपोर्ट कर सकें और उनको सी-लिंकेज की जरूरत थी। उनको जगह मिल गयी और मौका मिल गया। वे खुद कह रहे हैं कि यह जमीन की लड़ाई नहीं थी अगर जमीन की लड़ाई होती, तो जिस रोज वाम फ्रंट, सी.पी.आई. (एम) और सरकार ने यह कहा कि जमीन यहां नहीं ली जाएगी, उसी रोज विस्थापन वाली समिति भी खत्म हो जानी चाहिए थी और सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद यह मामला और आगे बढ़ गया।

बेशक यह सवाल उठ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होकर वैसा हो सकता था, आपने यह क्यों किया, यह कर सकते थे, मुर्गी नहीं होकर पहले अंडा होना चाहिए था, अंडा नहीं होकर पहले मुर्गी होनी चाहिए थी। हम लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक संकीर्ण फायदे के लिए अगर हम इस मामले को इस तरह से छोड़ दें कि चुनाव में हारे हुए लोग अपनी स्थिति के बारे में यह समझ लें कि हम चुनाव में जीत नहीं सकते, हम भाड़े से सुपारी लेकर लोग ले आएंगे और उसके बाद औजार के कारखाने बनाएंगे, हम बाकी लोगों को इलाके में घुसने नहीं देंगे, हमारे लोग दिल्ली में बैठे होंगे। सरकार ने 27 अक्तूबर को सी.आर.पी.एफ. मांगी और हंगामा 5, 6 और 7 नवंबर को हुआ। अगर सी.पी.आई. (एम), गवर्नमेंट, लेफ्ट फ्रंट, सी.पी.एम. पार्टी और सरकार की पूरी तरह से एक साथ हमला करने की योजना होती तो क्या हम 27 अक्तूबर को चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट आफ वेस्ट बंगाल होम मिनस्ट्री को नहीं लिखे कि हमें सी.आर.पी.एफ. चाहिए? मैं इस डाक्यूमेंट से पढ़कर बोल सकता हूं। हमारे गृहमंत्री सदन में वादा किए थे कि नक्सलाइट्स से जूझने के लिए जो सहायता की जरूरत होगी या पैरा-मिलिट्री फोर्स की जरूरत होगी, हम वहां भेजेंगे। 27 अक्तूबर को बंगाल सरकार ने खत लिखा कि हमारे यहाँ सी.आर.पी.एफ. भेजिए, आप लोग कह रहे हैं कि पुलिस को क्यों नहीं भेजा? जनवरी महीने के बाद से आल पार्टीज इंटेलेक्चुअल्स इंक्लूडिंग सम आफ अवर लेफ्ट अलाईज ने कहा कि पुलिस को वहां नहीं आना चाहिए। पुलिस के वहां जाने से हंगामा बढ़ जाएगा। हमने खुद बिजनेस स्टैंडर्ड में 22 जनवरी को लिखा कि सी.पी.आई.(एम) और लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के लिए अभी बजवर्ड है। *[अनुवाद]* और बजवर्ड है धैर्य और संयम। *[हिन्दी]* चूंकि हम जानते थे कि झूठ के सहारे, गलतफहमी और अफवाह के सहारे अगर लोगों को बहकाया गया है, एक-दो या चार-छः महीने बाद लोगों को मालूम होगा कि यह सत्य नहीं है, अगर यह सत्य नहीं है, तो उसकी बुनियाद हिल जाएगी। जब वह बुनियाद

हिल गयी, तो फिर आर्म्स और एम्युनिशंस के सहारे आतंकवाद के जरिए, माओइस्ट के जरिए उन्होंने अपनी पकड़ को बनाये रखने की कोशिश की। अगर ढाई हजार लोग जो ग्यारह महीने सर्दी के पहले दीवाली के वक्त अपने घर वापस जाते हैं, तो उसे आप री-कैप्चर बोलते हैं। मल्होत्रा जी, आप डिप्टी लीडर हैं, आपकी लोकसभा के प्रति चिंता है। अगर हम आपका राजनीतिक विरोध करते हैं, बोलते हैं कि इस दफ्तर से आप बाहर चले जाइए, फिर आप अगर सहारा लेकर वापस जाते हैं, तो उसे पुनर्दखल बोला जाता है, री-कैप्चर बोला जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम: यह मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस में श्री विद्युत रॉय कलकत्ता से 3 नवंबर को यह घटना होने से पहले लिखते हैं।

[अनुवाद]

"अब यह सर्वविदित है। माओवादियों ने नन्दीग्राम पूर्वी मिदनापुर ब्लाक जहां हिंसा हुई है पर कब्जा कर लिया है, आरंभ में ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने सहज आंदोलन के रूप में शुरू हुए आंदोलन का भार संभाला था..."

[हिन्दी]

ज्वाईंट कमांड हुई। इस देश को जवाब देना पड़ेगा।"...यह मैं नहीं कह रहा हूं। हम आपकी मजबूरी समझते हैं। तृणमूल कांग्रेस बी.जे.पी. के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए, इसे लेकर टग ऑफ वार हो रही है और उस टग ऑफ वार के फंदे में हम बंगाल के लोगों का गला थोड़ा फंस गया है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं अब आप एक वरिष्ठ सदस्य है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

मोहम्मद सलीम: कृपया ऐसा न करें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस तरह नहीं बोल सकते हैं।

श्री सलीम: कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। श्री दासमुंशी यहां रहते तो अच्छा होता। मैं आपकी परमीशन लेकर केन्द्रीय मंत्री की बात कर रहा हूं। 27 अक्तूबर को नक्सलाइट मिलिटैंट्स से जीतने के लिए, बहुत बड़ी वॉयलैंस के अंदेशे से बचने के लिए बंगाल की सरकार ने खत लिखा कि पैरा-मिलिट्री फोर्स, सी.आर.पी.एफ. चाहिए। केन्द्रीय मंत्री टेलीविजन चैनल, अखबार में घोषणा करते हैं कि अगर नन्दीग्राम में सी.आर.पी.एफ. जाएगी तो हम नन्दीग्राम में जाकर अनशन पर बैठ जाएंगे।...*(व्यवधान)* नहीं जाने देंगे। 6 या 7 नवम्बर की वॉयलैंस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या 5 नवम्बर को होम मिनिस्ट्री ने बंगाल मिनिस्ट्री को नहीं बताया कि हमारे पास सी.आर.पी.एफ. नहीं है, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, नक्सलाइट एरिया है, जम्मू कश्मीर है, छत्तीसगढ़ है, सब जगह सी.आर.पी.एफ. व्यस्त है। हम केन्द्रीय मंत्री से यह उम्मीद करते हैं कि वे देश के मंत्री बनें, कांग्रेस के नेता बनें,' कांग्रेस के एक मोहल्ले, एक गुट के नेता नहीं बनें। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): वह गृह मंत्री जी को इस प्रकार से संबोधित नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: गृह मंत्री जी इसका उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: मैं उम्मीद करता हूं कि वे देश के नेता बनें। मैं होम मिनिस्ट्री का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री आदरणीय श्री शिवराज पाटील और विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी का धन्यवाद करता हूं। 5 तारीख को इन्फार्मेशन के बाद मुख्यमंत्री ने कौन्टैक्ट किया, राजनीतिक स्तर पर बातचीत की, एडमिनिस्ट्रेटिव लैयल पर बातचीत की कि आप सी.आर.पी.एफ. भेजिए। एक तरफ यह लोग कह रहे हैं कि बंगाल की पुलिस को अंदर नहीं आने देंगे, दूसरी तरफ माओइस्ट हैं, एके-47 है, *[अनुवाद]* जो राज्य पुलिस के पास नहीं है। *[हिन्दी]* क्योंकि जो टैरेन है, यदि वहां आम लोगों से लड़ना है तो सी.आर.पी.एफ. के पास स्पैशल बटालियन है, जो छत्तीसगढ़ में लड़ी झारखण्ड में लड़ती है, जम्मू-कश्मीर में लड़ रही है, स्टेट पुलिस के वहां बंदूक लेकर जाने से नहीं होगा, लैंड माइन है, लैंड माइन में अक्तूबर के आखिर और नवम्बर के शुरू में सी.पी.आई. (एम) के तीन कार्यकर्ताओं की मौत हुई, उसके लिए एंटी-लैंड माइन गाड़ी चाहिए जो स्टेट पुलिस के पास नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं कि 10 तारीख को केन्द्रीय होम मिनिस्ट्री ने फैसला किया कि बंगाल में सी.आर.पी.एफ. मूव करे। 12 नवम्बर को सी.आर.पी.एफ. बंगाल में पहुंची। 12 तारीख को तृणमूल कांग्रेस, एस.यू.सी. नक्सलाइट, बी.जे.पी., कांग्रेस बंगाल में बंद कर रहे थे। बंगाल बंद चल रहा था, नन्दीग्राम में हमला हो रहा था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसका अर्थ है कि सरकार वहां पर शांति बहाल करना चाहती है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: अगर हम वहां पीस नहीं चाहते तो होम मिनिस्ट्री से सी.आर.पी.एफ. क्यों मांगते? होम मिनिस्टर, व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री से बातचीत क्यों करते? दास मुंशी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह थी कि सी.आर.पी.एफ. नहीं जाएगी, *[अनुवाद]* सी.आर.पी.एफ. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल है; यह कांग्रेस रिजर्व पुलिस बल नहीं है *[हिन्दी]* कि जब देश के किसी भी प्रान्त में फोर्स की जरूरत होगी तो वह तय करेगी कि कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा।"...इसलिए मैं समझता हूं कि जो मामला सामने आया है, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी। जिस तरह जनवरी से लेकर नवम्बर तक जो कुछ हुआ, वह धीरे-धीरे सामने आ रहा है। मैं यह मानता हूं कि हमारे बहुत से समर्थक, बहुत से बुद्धिजीवी, क्योंकि जो प्रचार हुआ, जो सीडी निकली, शंकर सावंत की डेथ हुई, उसके घर ताका-झांकी की गयी, जलाया गया और इंटरनैशनली जो सी.डी. निकाली गयी, उसमें दिखाया गया कि देखो, यह तृणमूल का कार्यकर्ता है और सी.पी.एम. वालों ने इसकी हत्या की है। वह हत्या की जो घटना है, जो फिल्म मेकर्स है, आजकल इसे वर्चुअल रियलिटी और अच्छे ढंग से बनाया जा सकता है, आज वह खुद दावा कर रहे हैं कि शंकर सावंत की हमने हत्या की है। उसी शंकर सावंत की हत्या की कहानी सी.पी.एम. के घर जले, मां बहनों की इज्जत लूटी गयी और पूरे देश और विदेश में सी.डी. निकाली गयी, क्लिपिंग दी गयी कि देखो कितना जुल्म ढाया जा रहा है। हम आज भी यह कह रहे हैं कि हमें...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्योंकि मैंने बहुत समय ले लिया है। मैं रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक बात से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि सच के आधार पर...*(व्यवधान)* बेशक यह खतरा है।

अध्यक्ष महोदय: आप मजाक मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: बंगाल में खतरा मंडरा रहा है और ऐसा हो रहा है कि *[अनुवाद]* सी.पी.आई. (एम) भारतीय राजनीति पर एक धब्बा है और इसकी छवि सबसे अधिक खराब है। *[हिन्दी]* इसलिए जमायते इस्लामी, जमायते उलेमाए हिन्द, आर.एस.एस. कांग्रेस, बी.जे.पी., नक्सलाइट्स आदि सब इकट्ठे हो सकते हैं। एस.यू.सी.आई. जो एक लैफ्ट पार्टी है, उसकी एक साइट है...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): जमायते इस्लामी ने आपको सपोर्ट नहीं किया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: जिस दिन से, जनवरी महीने से यह हर जगह प्रचार कर रहे हैं कि यह जन गण मन कुछ नहीं है, यह सी.पी.एम. वर्सिस मुसलमान है। इसको कम्युनलाइज न करें, तो अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आजमी, आप बाद में बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: सब इकट्ठे हुए। बेशक हमारी भी कुछ कमजोरी है, हमारे से भी कुछ गलती हुई है। अगर गलती न हो, तो फिर इतना हंगामा न हो। यह भी हमें देखना है। लेकिन मैं संसद से अपील करूंगा कि आज जो चुनौती हमारे सामने है, उसे न हिन्दू-मुसलमान बनाओ ...*(व्यवधान)* न इसे संकीर्ण राजनीति का सवाल बनाओ। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोगों को क्या हो रहा है? *[अनुवाद]* आपको क्या परेशानी है?

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: क्या दिक्कत है, बताना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी तरफ से जब कोई बोलता है, तो हम सबको बीच में बोलने के लिए मना करते हैं। आप भी मत बोलिये। एक तरफ से यह नहीं हो सकता।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: यह संसद विभाजित नहीं हो सकती। ...*(व्यवधान)* इसका विभाजन नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

मोहम्मद सलीम: मुझे लगता है कि यदि मैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर को उद्धृत करूं तो कोई भी आपत्ति नहीं करेगा। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है न कि सी.पी.आई. (एम) से जुड़ी कोई बात। बहुत समय पहले श्री टैगोर ने कहा था कि:-

> "मुझे अंधकार में व्यर्थ नहीं भटकना है बल्कि मन में यह विश्वास बनाए रखना है कि सुबह होगी और सच्चाई अपने स्वाभाविक रूप में सामने आएगी।"

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, हम आपसे फिर रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि कोलकाता में क्या हो रहा है, उस बारे में होम मिनिस्टर को बताना चाहिए। वहां पर आर्मी बुलाई गयी है, तो वह छोटी बात नहीं है। वहां आर्मी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

आ गयी है। यहां होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)* वे इस बारे में बतायें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कृपया उनसे इस मुद्दे पर सभा को जानकारी देने के लिए कहें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अगर वह बैठे हैं, तो क्या करेंगे? उन्हें यहां बैठे रहना चाहिए क्योंकि यहां डिबेट चल रही है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उनके पास इन्फोर्मेशन है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, उनके पास इस संबंध में जानकारी है। इसे सभा के समक्ष रखा जाए...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, यदि इस मामले से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो वह सभा के समक्ष बताई जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। राज्य से संबंधित हर किसी मामले के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

अगले वक्ता प्रो. राम गोपाल यादव हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: त्रिपाठी जी, हम आपसे रिक्वैस्ट करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राम गोपाल यादव जी, आपको बोलना है, तो आप बोलिये। आप सब बैठ जाइये।

[अनुवाद]

मैंने न तो उनसे बोलने के लिए कहा है और न ही उनसे बोलने का अनुरोध किया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपसे ज्यादा हमने सोचा है।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): अध्यक्ष महोदय, मिस्टर सलीम ने कहा कि सी.पी.एम. कैडर पुलिस से भी ज्यादा पावरफुल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं मुझे आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, ऐसा न करें। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। यदि आप एक बार और ऐसा करते हैं तो मैं आपको सभा से बाहर जाने के लिए कह दूंगा।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, यदि आप मुझे सभा से बाहर भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए, मैं सभा से बाहर जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। मैं आपसे बार-बार बैठने का अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि आप इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं बार-बार आपसे ऐसा न करने का

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुरोध कर रहा हूं और आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप कहते हैं कि यह एक गंभीर मामला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपको भी सभा से बाहर जाने के लिए कह दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप इतना तो कर दीजिए कि हाउस एडजर्न होने से पहले गृहमंत्री जी इस विषय पर स्टेटमेंट दे दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब तक मैं निर्णय नहीं करता मैं कुछ नहीं कहूंगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कृपया इस संबंध में निर्णय ले लें।

अध्यक्ष महोदय: आपको इसे इस तरीके से प्रस्तुत करना होगा जो स्वीकार्य हो न कि जिससे व्यवधान उत्पन्न हो। आपको अब तक यह समझ लेना चाहिए कि आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। अब तक आपको यह समझ लेना चाहिए कि मुझे आदेश नहीं दिया जा सकता।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): श्रीमन, जिस मुद्दे पर आज यहां चर्चा हो रही है...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने रिक्वेस्ट किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैंने इसके लिए अनुमति दी है और इस सत्र की यह पहली चर्चा है। हमें इस पर सही प्रकार से चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमन, जिस मुद्दे पर आज यहां चर्चा हो रही है, उस पर लम्बे अर्से से समाचार पत्रों के माध्यम से एवं अन्य तरीकों से देश के सामने कई बातें रखी जा रही है। एक चीज पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स के जरिए सामने आ रही थी और दूसरी ओर एक पत्र श्री सीताराम येचुरी और श्री बसुदेव आचार्य द्वारा संसद सदस्यों को नन्दीग्राम की स्थिति को स्पष्ट करने के बारे में लिखा गया। मैं प्रारम्भ में कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, वह दुखद है। जो लोग घर से निकाले गए, जो अभी भी मजबूरन घर से बाहर रह रहे हैं, वह स्थिति दुखद है और इसके निराकरण के लिए सभी लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रयास करना चाहिए। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं क्योंकि माननीय आडवाणी जी, दासमुंशी जी एवं सलीम जी ने डिटेल में सारी बातें कही हैं। जहां तक नन्दीग्राम में जमीन के अधिग्रहण का प्रश्न है, पी.सी.पी.आई.आर. के लिए, मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कई महीने पहले ही स्पष्ट रूप से यह घोषणा की कि जनता की इच्छा के बगैर जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, फिर इस समस्या ने इतना बड़ा रूप कैसे धारण कर लिया? जब सरकार यह कह रही है कि हम कोई लैण्ड एक्वीजिशन नहीं करेंगे, तो क्या वजह है, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें पुलिस या अन्य किसी भी व्यक्ति को नन्दीग्राम तक पहुंचने से रोका गया, सारी सड़कें तोड़ दी गयीं, सारी सड़कों को खोद दिया गया? इस तरह का काम बहुत ट्रेन्ड लोग ही किया करते हैं, आम आदमी आम तौर पर इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं जिसमें पुलिस बल या किसी व्यक्ति को किसी जगह पर न पहुंचने देने के लिए सड़कों को खोद दिया जाए, उस जगह का सम्पर्क दुनिया के शेष हिस्से से काट दिया जाए। यह बहुत गंभीर प्रश्न है कि आखिर ये परिस्थितियां कैसे पैदा हुईं और क्यों पैदा हुईं? अगर हम नक्सलवाद की बात करें तो आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के ही एक गांव नक्सलवादी गांव से यह जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे नक्सलवाद या नक्सलाइट आंदोलन कहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस आन्दोलन को पश्चिम बंगाल में पनपने नहीं दिया। हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में अलग-अलग नामों से यह आन्दोलन पला, बढ़ा और परेशानी पैदा करने वाला सिद्ध हुआ, फिर चाहे वह छत्तीसगढ़ हो या झारखण्ड हो। उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी घटना हो गयी थी। माननीय गृहमंत्री जी जानते हैं, लेकिन वहां पर इसको नियन्त्रित कर लिया गया था। यह पश्चिम बंगाल की ही सरकार थी, जिसने इस आन्दोलन को पश्चिम बंगाल में

[प्रो. राम गोपाल यादव]

पूरी तरह से नाकाम और खत्म कर दिया था। स्वाभाविक है कि जो नक्सली आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मन में कहीं न कहीं यह टीस जरूर है कि हमारे इस आंदोलन को सबसे ज्यादा क्रश करने का काम सी.पी.आई. (एम) लैड गवर्नमेंट ने ही किया है। इसलिए कहीं न कहीं इस तरह के तत्वों का एक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ऐसा लोगों का अनुमान है कि इतने बड़े पैमाने पर संगठित रूप से ऐसा प्रयास किया गया, जहां प्रशासन बिल्कुल वैक्यूम हो गया हो, कोई जा नहीं सकता हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और अपने सभी मित्रों से, संसद से और देशवासियों से कहना चाहता हूं। चरमपंथी चाहे देश का हो या विदेश का हो, जब-जब उसे सहारा मिला है, कहीं से प्रश्रय मिला है, तब-तब उसका भारी नुकसान हम लोगों को भुगतना पड़ा है। हमारे दो लोकप्रिय प्रधान मंत्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह किसी से छिपा नहीं है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए अगर कहीं राजनैतिक लाभ की दृष्टि से चरमपंथियों को मदद देने की कोशिश की जा रही है, तो इसके गम्भीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं।

डेढ साल पहले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे। वहां विधिवत् जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। सरकार की पूरी मशीनरी को रोक दिया जाए, सी.आर.पी.एफ. के बिना कोई वहां अंदर नहीं पहुंच पाए, लोग घरों से बाहर बने रहें, यह केवल पश्चिम बंगाल सरकार के लिए या वहां की जनता के लिए ही चिंता की बात नहीं हो सकती, देश के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि तमाम राज्यों में हम इस तरह की घटनाओं को देखते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को कोई इस तरह का रास्ता निकालने की कोशिश करनी होगी, जहां इस तरह के तत्व राजनैतिक विरोध का लाभ न उठा सकें। कोई कह रहा था कि इसका राजनैतिक लाभ कैसे होगा और किसे होगा, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई राजनैतिक लाभ की बात नहीं है। देश बड़ा है, अगर देश नहीं रहेगा तो हम राजनीति कहां से करेंगे। हमारे दूसरे सदन में एक सदस्य हैं, वह हमारे गुरु भी रहे हैं। उन्होंने एक बार लिखा था - 'अगर देश मर गया तो जीवित कौन रहेगा और रहा भी तो उसे जीवित कौन कहेगा!' अगर देश नहीं बचेगा, देश में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी तो हम राजनीति कहां कर पाएंगे, वोट मांगने नहीं जा सकते।

जो पार्टी वहां करीब 25 सालों से सत्ता में हो, वह बंगाल में एक हिस्से में या एक जिले में अपनी पुलिस न भेज सके, यह स्थिति पैदा होती है तो दूसरी जगहों पर स्थिति कितनी विषम हो सकती है, इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। लेकिन ये सारी चीजें दुखद हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं यहां पर गृह मंत्री जी बैठे हैं। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में राज्यपालों की अपनी एक भूमिका होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस तरह का एक चलन सा हो गया है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री से बात करने के बजाए प्रैस से बात करना शुरू कर देते हैं। यह एक गम्भीर बात है। इस मामले में मैं कहना चाहता हूं कि हम पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से नंदीग्राम को लेकर उन्होंने बयान दिया, वह संसदीय मान्यताओं और परम्पराओं के बिल्कुल विपरीत था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें वहां के मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य से कहना चाहिए था या यहां प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी से सारी स्थिति बयान करनी चाहिए थी। मेरा मानना है कि किसी मामले में पार्टी बनकर किसी पब्लिसिटी की दृष्टि से कोई बात कही जाए, चाहे वह सच भी क्यों न हो, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए।

जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार का प्रश्न है, कहीं-कहीं गलतियां हुई हैं। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कहां ढील रही, कहां गलती रही, चाहे पुलिस द्वारा गलती हुई हो, चाहे उनके कैडर के किसी सदस्य की हुई हो, सही जांच करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोशिश यह भी होनी चाहिए कि जो लोग, किसी भी वजह से वहां से हटाए गये हैं, उन सभी को वापस लिया जाए। मैं सभी मित्रों से यह कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी यह कह रहे हैं कि वहां इस तरह की कोई योजना नहीं है, तो हल्दिया के आस-पास, कहीं दूसरी जगह, अगर जनता एतराज न करें, जहां खेती योग्य जमीन नहीं है उस पर ही एस.ई.जेड. का काम करेंगे, तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। विवाद के सहारे, लोगों को उकसाकर इस तरह का कोई विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में न जाने कितने एस.ई.जेड. हैं। दस-दस, बीस-बीस हजार एकड़ जमीन एक-एक आदमी को दी गयी और कहीं चर्चा भी नहीं हुई। हमारे यहां बलिया से लेकर बुलंदशहर तक गंगा के सहारे एक सड़क बनाई जा रही

है जिसके लिए कई लाख एकड़ जमीन एक्वायर की जा रही है। वहां जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया है। वहां छोटी सी बात थी और माननीय मुख्यमंत्री कह चुके कि वहां जमीन एक्वायर नहीं की जाएगी और सार्वजनिक रूप से इसका प्रचार किया गया, फिर भी इतनी बड़ी घटना हुई। इससे लगता है कि कोई न कोई बड़ी साजिश है, उस साजिस को भी पश्चिम बंगाल की सरकार के बेनकाब करना होगा कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो जनता को गुमराह करके इस सीमा तक ले जाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति उन परिवार के लोगों के साथ हैं जिनके परिवार के लोगों की हत्याएं हुई। उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनके मकानों को बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सी.आर.पी.एफ. की मदद से लोगों को फिर से उनके घरों में वापस किया जाना चाहिए। उनको बसाने में जितनी भी मदद की जरूरत हो, वह मदद की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस सभा में कई लोगों ने अनुरोध किया है। मुझे लगता है इसे अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। यह कोलकाता में सेना की तैनाती के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में है। माननीय मंत्रीजी के पास कुछ जानकारी है जो वह सभा के साथ बांटना चाहते हैं। वह अब ऐसा कर सकते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, वह चर्चा के मध्य में ही ऐसा क्यों कर सकते हैं? वह अंत में ऐसा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। वह अंत में ऐसा कर सकते हैं। यह ठीक है। वह अंत में ऐसा कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अधीन जो प्रस्ताव है उसमें दो बिंदू हैं। एक, स्पेशल इकोनोमिक जोन को लेकर नंदीग्राम में जो हिंसात्मक स्थिति बनी, उसी पर हमें केन्द्रित रहना है। जो भी घटना वहां जमीन के अधिग्रहण को लेकर घटी है वह निश्चित रूप से दुखद है अफसोसनाक है और इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। नंदीग्राम में जो हिंसा की घटना घटी, उसकी बुनियाद क्या है? आप योजना का कोई भी नाम ले लीजिए। स्टेट और केन्द्र दोनों मिलकर पी.सी.पी.आई.आर. का जो रीजन है, पैट्रोलियम इंवैस्टमेंट रीजन है या पेट्रो-कैमिकल एंड पेट्रोलियम इंवैस्टमेंट रीजन, उसको लेकर हो या एस.ई.जैड. का मामला हो। मामला कोई भी हो। जिस तरह से घटना घटी है निश्चित रूप से वह चिंता का विषय है। इसमें दलगत भावना को रखकर बहस करें, तो इंसाफ नहीं हो सकता है।

महोदय, इंसाफ तभी हो सकता है, जब हम दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करें। स्पेशल इक्नोमिक जोन की जो पालिसी बनी है, उसकी बुनियाद है कि चाहे मल्टी नेशनल कम्पनी हो, टाटा कम्पनी हो या रिलायंस कम्पनी हो, चाहे किसी भी कम्पनी के लिए जमीन अधिग्रहण हो, पहले उस जमीन को राज्य सरकार अधिग्रहण करे।

महोदय, इस संबंध में जो लॉ बना है, वह पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है और जमीन अधिग्रहण करने के लिए जो आधार बनाया गया है, वह भी पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। मैं इसे त्रुटिपूर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कोई स्ट्रिक्ट गाइड लाइन केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दी गई है कि जो बंजर जमीन है, उसे पूरी तरह इससे छूट मिले। जिसका जमीन पर स्वामित्व है, अगर वह चाहे तो एग्रीकल्चर लैंड भी दे सकता है, इसमें कहीं भी अलग से गाइड लाइन नहीं दी गई है। 250 या 300 जो विशेष आर्थिक जोन निर्धारित किए गए हैं, उसके लिए प्रक्रिया है कि राज्य सरकार उसे अधिग्रहण करे। मैं इस पालिसी को त्रुटिपूर्ण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राज्य सरकार को प्राइवेट प्रापर्टी डीलर का काम नहीं करना चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनता नहीं चाहती है कि जमीन अधिग्रहण के लिए उन पर किसी प्रकार का जोर डाला जाए। उन्होंने कहा कि अगर जनता नहीं चाहती है तो हम जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं चलने देंगे। श्री राम गोपाल यादव ने ठीक कहा है कि यदि इस प्रकार की घोषणा कोई राज्य सरकार कर देती है, तो इस प्रकार की स्थिति राज्य में कैसे उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा है कि इसका मूल विषय ही फाल्टी है, जिसके कारण ये घटनाएं हो रही हैं। मल्टी नेशनल कम्पनीज द्वारा या पूंजीपतियों द्वारा कमर्शियलाइजेशन के नाम पर, इंडस्ट्रीयलाइजेशन के नाम पर, आधुनिकीकरण के नाम पर जमीन अधिग्रहण करके बड़े-बड़े मॉल्स खोले जा रहे हैं। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा करने से क्या राष्ट्रीय उत्पादन कम नहीं होगा? इससे देश की घरेलू खपत पर फर्क

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

पड़ता है। पी.डी.एस. हो, टी.पी.डी.एस. हो या अंत्योदय अन्न योजना हो, इन योजनाओं के लिए हमें विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता है। महोदय, जमीन का रकबा तो बढ़ नहीं सकता है। जब जमीन नहीं बढ़ेगी और ऊपर से आधुनिकीकरण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, तो जमीन का रकबा घटेगा। जब जमीन का एरिया घटेगा, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय उत्पादन कम ही होगा।

आज बहुत जोर दे कर कहा जाता है कि बंजर जमीन को हम एग्रीकल्चर लैंड में बदल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, सरकार बताए कि कितने प्रतिशत बंजर जमीन को अभी तक कृषि योग्य बनाया गया है? एक भी उदाहरण अगर सरकार इस संबंध में दे दे, तो मैं मान सकता हूं कि एग्रीकल्चर लैंड बन रही है। ऐसी सिर्फ योजना है और इससे जमीन घटेगी। अगर जमीन घटेगी, तो राष्ट्रीय उत्पादन कम होगा। अगर राष्ट्रीय उत्पादन घटेगा, तो हमें आयात करने पर मजबूर होना पड़ेगा। राज्यों में जहां पर भी जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, तो हिंसा होगा और लॉ एंड आर्डर का मामला डायरेक्ट रूप से इंवोल्व होगा।

यहां कुछ विशेष परिस्थिति है, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि चाहे पी.सी.पी.आर.आर. के लिए हो या एस.ई.जेड. के लिए हो लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस सिचुएशन का निर्माण कैसे हुआ? रामगोपाल जी ने ठीक कहा था और मैं उनसे सहमत हूं कि यह सिचुएशन कैसे क्रीयेट किया कि उसमें कोई पुलिस भी नहीं जा सकती, बाहर के पत्रकार नहीं जा सकते, वहां खास तरह का लिब्रेटिड एरिया बनाने का संकल्प रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इकनॉमिक एक अलग सवाल है, 14 राज्यों में नक्सली हिंसा फैल रही है और लोग कहते हैं कि कुछ राज्यों में सी.आर.पी.एफ. का डिपलाएमेंट हुआ है। क्या सी.आर.पी.एफ. का डिपलाएमेंट एक जगह हुआ है? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने मांग नहीं की? क्या छत्तीसगढ़ में डिपलाएमेंट नहीं है? क्या बीजापुर, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? जब सी.आर.पी.एफ. की मांग राज्य सरकार करेगी तब सैंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आम नागरिकों की रक्षा के लिए वहां फोर्स भेजे। सी.आर.पी.एफ. डिपलाएमेंट हुआ, यह कोई सवाल है? सी.आर.पी.एफ. तो कई जगह है, उड़ीसा में डिपलाएमेंट हुआ है, पश्चिम बंगाल में आज हुआ है और इससे पहले भी जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां मांग की जाती है और सी.आर.पी.एफ. दी जाती है। सी.आर.पी.एफ. की तैनाती बड़ा सवाल नहीं है, यह राज्य और केंद्र सरकार की ज्वाइंट रिस्पांसिबिल्टी है। मैं इसलिए इस बात को उठाना चाहता हूं कि अभी तो कई स्थितियां ऐसी पैदा हो रही हैं, विपक्ष के माननीय नेता बता रहे। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं आर्टिकल 355 याद तब आ रहा है जब नंदीग्राम में हिंसा हुई। धारा 355 तब याद नहीं होता जब कोई राज्य स्टेट स्पांसर दंगा करता हो, जो संविधान की पीठ पर बैठा हो और संविधान की पीठ पर बैठने के बाद भी राज्य सरकार ही दंगा भड़काती हो? क्या संविधान का यह सैकुलर स्ट्रक्चर उसे खंडित करने का है। किसी भी राज्य सरकार या मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं है। मैं नाम कोट नहीं करना चाहता हूं लेकिन क्या जो ढांचा प्रिएम्बल में है, उसे ढाहने या खंडित करने का अधिकार किसी चीफ मिनिस्टर को है? जो घटना आप्रेशन कलंक में और जो घटना गुजरात में हुई है उससे यह जाहिर हुआ है कि केंद्र सरकार को धारा 355 केंद्र सरकार को विशेष परिस्थिति में लागू करनी चाहिए। यदि उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़े तो मैं समझता हूं जहां ऐसे राज्यों में जहां खुलेआम भारतीय संविधान के सैकुलर ढांचे को खंडित करने का जहां काम होता हो और खास तौर से विशेष कम्युनिटी पर अटैक करके, माइनोरिटी पर अटैक करके...(*व्यवधान*) किसी भी जगह हो, धारा 355 तब याद नहीं आया जब गुजरात में धारा का पालन नहीं हुआ, आज तो सारे देश के इलैक्ट्रानिक मीडिया में आ रहा है, गुजरात का आप्रेशन कलंक दिखाया गया है।...(*व्यवधान*) क्योंकि यह पूरे मानव समाज को दहलाने वाली घटना है।...(*व्यवधान*) बच्चे को पेट से निकालकर चाकू से चीरने का बजरंगी ने बयान दिया है...(*व्यवधान*) वकील ने बयान दिया है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने का बयान पूरे देश में आया है।...(*व्यवधान*) धारा 355 गुजरात में लागू होनी चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री पर धारा 302 के तहत फौजदारी का मुकदमा चलना चाहिए।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: व्यवधान को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: संविधान की रक्षा होनी चाहिए। संविधान का जो सैकुलर ढांचा है उस पर किसी भी तरह से कोई आघात नहीं होना चाहिए, उसे अक्षुण्ण रहना चाहिए, यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार राहत का काम तो करे ही लेकिन जो लोग बाहर चले गए हैं, जो घायल हुए हैं, जिनके साथ एट्रोसिटी, अन्याय और अत्याचार हुआ है, जो परिवार मारे गए हैं, उनके लिए पूरा मुआवजा कायम होना चाहिए। लेकिन ऐसे राज्यों में जो राज्य कट्टरपंथी ताकत को बढ़ावा देकर हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, ऐसे राज्यों में धारा 355 में सुधार करना पड़े तो संशोधन लाकर डायरेक्ट केंद्रीय एजेंसी को हस्तक्षेप करना चाहिए। जब तक राज्य सरकार नहीं कहेगी तब तक केंद्रीय एजेंसी सी.बी.आई. नहीं जाएगी, जब तक राज्य सरकार नहीं कहेगी तब तक फोर्स नहीं भेजेगी। यह जो तरीका है, केन्द्र सरकार डायरेक्ट कुछ एरियाज में हस्तक्षेप करे। संविधान के तहत नागरिको के जान-माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। जो फंडामैन्टलिस्ट ताकतें अशांति और साम्प्रदायिकता फैलाती हों, जो शांति भंग करने वाले एरियाज हों, उन्हें केन्द्र सरकार अपने अधीन ले, वहां अपनी फोर्सेज भेजकर शांति बहाल करे और अपना नियंत्रण कायम करे। तभी अमन-चैन कायम रह सकता है। अन्यथा जो 14 राज्यों में फैला है, देश के हर राज्य में इस तरह की नक्सली और माओवादी हिंसा फैलेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न होगा। यदि पार्लियामैन्ट्री डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को महफूज रखना है तो धारा 355 में संशोधन करके केन्द्र सरकार उसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करे और ऐसे राज्यों को अपने नियंत्रण में ले...*(व्यवधान)* और मांग करने पर सी.आर.पी.एफ. भेजें। केन्द्र सरकार के पास इन्टेलिजैंस है। इन्टेलिजेन्स की सूचना के आधार पर कट्टरपंथी ताकतें, जो हिंसा फैलाने वाली ताकतें हैं, जो धर्म के नाम हिन्दुस्तान को तोड़ना चाहती हैं, ऐसी ताकतों को, ऐसे राज्यों को और ऐसे राज्यों में ऐसे एरियाज को केन्द्र को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। तभी आप इन पर काबू पा सकते हैं। अन्यथा हर राज्य में इस तरह की हिंसा को बढ़ावा मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देवेन्द्र जी, आप कंक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बोल रहे हैं। आपके लीडर बोल रहे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: केन्द्र सरकार को ऐसे राज्यों में अमन-चैन बहाल करना चाहिए और कानून व्यवस्था को लागू करना चाहिए। ऐसे हिंसाग्रस्त राज्यों और एरियाज को चिन्हित करके उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और अमन-चैन बहाल करके कानून व्यवस्था लागू करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसी जगहों पर शांति और सद्भाव कायम करने के लिए सदन को भी इस पर विचार करना चाहि। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अपकी बात रिकार्ड नहीं होगी।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): स्पीकर साहब, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपने दाहिने बैठने वालों और बायें बैठने वालों से दर्खास्त करूंगा कि मैं चंद मिनट लूंगा, कृपया मेरी बातें गौर से सुन लें। मैं सबसे पहले अपने सी.पी.एम. के दोस्तों की खिदमत में एक शेर अर्ज करके अपनी बात शुरू करूंगा।

"तारीख़ की आंखों ने वह दौर भी देखा है,
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।"

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है और मुझे इसका दिल से अफसोस है कि तीस साल के बाद सी.पी.एम. को पहली बार मैं बचाव की मुद्रा में देख रहा हूं। जो कुछ हुआ, वह स्टेट टैररिज्म की एक नई शक्ल है। अब तक हम सदन के अंदर कम सही लेकिन सदन के बाहर स्टेट टैररिज्म पर बहुत ज्यादा बातें करते रहे हैं। स्टेट टैररिज्म की बदतरीन शक्ल हमने 2002 में गुजरात में देखी। इससे पहले हम उसी गुजरात में 1969 और 1992 में उसका नंगा नाच देख चुके थे। गुजरात के अलावा देश के बड़े हिस्सों में सैकड़ों बार नहीं बल्कि हजारों बार हमने सरकारी दहशतगर्दी का नजारा किया है। बड़े पैमाने पर 1984 में दिल्ली में, 1964-1965 में रांची, जमशेदपुर और राउरकेला

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री इलियास आजमी]

वगैरह में, 1980 से 1987 तक मुरादाबाद से मेरठ, मलियाना और हाशिमपुरा में और 1992 में बम्बई से लेकर मुल्क के इस कोने से लेकर उस कोने तक हमने स्टेट टैररिज्म का नंगा नाच देखा है। स्टेट टैररिज्म की नई शक्ल हमने हाल ही में महाराष्ट्र और आंध्र में देखी। जहां आतंकवाद की घटनाओं का सहारा लेकर एक वर्ग विशेष के मासूम और बेगुनाह नौजवानों पर राज्य की पूरी सत्ता टूट पड़ी। हमने ताजा-ताजा एक नई शक्ल यह भी देखी है। हमारे जैसे लोग यह सोच भी नहीं सकते थे कि मुल्क की दोनों बड़ी पार्टियों के अलावा किसी तीसरी पार्टी के राज्य में भी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: थोड़ा छुपाकर पढ़िये।

श्री इलियास आजमी: वह सब हो सकता है, जो कांग्रेस और बी.जे.पी. की सत्ता वाले राज्यों में होता रहा है। अफसोस है कि बंगाल के मामले में वहां इल्जाम पुलिस पर नहीं, पार्टी कैडर पर है, इस बात को समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने वहां सी.आर.पी.एफ. भेजने में इतनी देर क्यों की। हो सकता है कि कांग्रेस दिल से सी.पी.एम. को नंगा करना चाहती रही हो। लेकिन क्या बंगाल की सरकार और पुलिस इतनी कमजोर है कि उसे चंद गांवों पर दोबारा कब्जा करने के लिए बंगाल सरकार को पार्टी के हथियारबंद कैडर से हमला करवाना पड़ा? यह शर्मनाक बात है। सी.पी.एम. के दोस्तों, जो गलती गुजरात के मामले में हमारे दाहिने बैठने वाले साथियों ने अपने एक आदमी को बचाने के लिए की थी। आप बंगाल के अपने एक नेता की हिमालय जैसी बड़ी गलती को छुपाने के लिये खुदा के लिये वही गलती न करें और इस बात का अहसास करें कि इनके नक्शे-कदम पर न चलें जो इन्होंने गुजरात में किया था। वह गलती अब न करें। समय बहुत बलवान होता है दुनिया के सब से बड़े कम्युनिस्ट साम्राज्यवादी ने अफगानिस्तान में गलती की, वह मिट्टी में मिल गया। मैं इस सदन के जरिये इस देश की अंतरात्मा को कुरेदना चाहता हूं कि वह देखे कि नजला हमेशा समाज के कमजोर अंग पर ही क्यों गिराया जाता है। गुजरात से बंगाल तक जहांआरा और शमीमा जैसी लड़कियों की अस्मत क्यों बिगाड़ी जाती है, क्यों *... रुशदी की किताब के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस की गोलियां चलती हैं। *...क्या पुलिस की गोलियों ने देख लिया है या वह पहचानती है कि इसे किस के सीने में लगना है?...*(व्यवधान)* मैं गुजरात से बंगाल तक की बात कह रहा हूं। इसलिये, दोस्तो, मैं इस सदन के जरिये, जो पूरे देश की नुमाइंदगी करता है, देश के एक अरब से ज्यादा लोगों की अंतरात्मा को कुरेदना चाहता हूं कि आखिर पुलिस की गोली सीना कैसे पहचानती है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरुदास दासगुप्त अब बोल सकते हैं क्योंकि वे किसी निजी समस्या के कारण जल्दी में हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: तो वह मेरा भाषण सुनने के लिए यहां पर उपस्थित नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं पूरी तल्लीनता से आपकी बात सुनूंगा। आप नहीं जानते कि मैं आपके भाषण का प्रशंसक हूं। बस आप केवल बीच में न बोलें।

अपराह्न 3.47 बजे

[**श्री मोहन सिंह** *पीठासीन हुए*]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): मैं दो कारणों से इस मुद्दे पर भारी मन से बोल रहा हूं। मैं एक बात सुनकर बेहद स्तब्ध हूं। श्री आडवाणी अभी उपस्थित नहीं हैं। मैं चाहता था कि वे हमारी बात सुनने के लिए यहां उपस्थित होते। मैं वास्तव में स्तब्ध हूं क्योंकि माननीय अध्यक्ष सभा के अभिरक्षक के गौरवान्वित पद पर आसीन को बार-बार विवादों में घसीटा जा रहा है। जितना मैं उन्हें समझता हूं या जितना मुझे याद है उन्होंने कहा है कि तीन दिन तक हमने वह सुना जो आपने कहा। इसका अर्थ है कि माननीय अध्यक्ष तीन दिन से इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहे थे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, यहां स्पीकर साहब, और उनके बारे में माननीय सदस्य कुछ न कहें तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

इसका उल्लेख करना वांछनीय नहीं है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर कुछ ऐसा होगा तो देख लिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं केवल वही कह रहा हूं जो मेरे आदरणीय वरिष्ठ सहयोगी श्री आडवाणी जी ने कहा है। मैं आज चर्चा में भाग लेकर स्तब्ध हूं क्योंकि जैसा कि मेरे अन्य मित्रों ने कहा है, संसद में नंदीग्राम पर चर्चा हो रही है और कोलकाता जल रहा है। अभी तक, कोलकाता में शांति थी। वहां विपक्ष के समर्थन से जुलूस निकाले गए। अलग-अलग राजनैतिक दलों द्वारा दो बार 'बंद' का आह्वान किया गया। वहां पर बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई थी लेकन आज पता नहीं क्यों - एक ओर सभा में नंदीग्राम पर चर्चा हो रही है - दूसरी ओर कोलकाता जल रहा है। अत:, मैं यह महसूस करता हूं कि नंदीग्राम के बहाने संवैधानिक ढंग से चुनी गई पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर बनाने का प्रयास किया गया है।

केवल भविष्य ही बता सकता है कि यह अति है, अतिश्योक्ति है अथवा वास्तविकता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम नन्दीग्राम पर चर्चा कर रहे हैं, कोलकाता में सेना बुलानी पड़ी। यहां हम नंदीग्राम पर चर्चा कर रहे हैं और वहां बसों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को जलाने की घटनाएं हुई हैं। इन साथ-साथ हो रही घटनाओं से मुझे विश्वास होने लगता है कि कुछ न कुछ तो जरूर है या इसके पीछे किसी का हाथ है। मैं यह नहीं कह रहा हूं इसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ है। मैं कांग्रेस पार्टी को संदर्भित नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि कुछ लोग संवैधानिक रूप से चुनी गई पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं?

महोदय, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि नंदीग्राम में जो हुआ वह एक बड़ी मानवीय त्रासदी है। नि:सन्देह यह एक मानवीय त्रासदी है। हम सभी को मिलजुल कर नंदीग्राम को इससे उबारने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी को मिलकर यह कोशिश करनी चाहिए कि हम नंदीग्राम के घावों पर मरहम लगाएं।

जहां तक मुझे जानकारी है - हो सकता है मेरे मित्रों के पास कुछ और जानकारी हो - नंदीग्राम में धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। मैं जानबूझ 'धीरे-धीरे' शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जब नंदीग्राम में स्थिति सामान्य हो रही है तो हमें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। हमें नंदीग्राम को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए यहां पर बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है न कि घीसे-पीटे तर्कों की। मेरी नंदीग्राम के लोगों और नंदीग्राम में हिंसा का शिकार हुए सभी लोगों से सहानुभूति है। यह कहते हुए मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस संबंध में भी भिन्न-भिन्न घटनाएं हैं। यह सभी जानते हैं। एक धारणा यह है कि स्थिति को संभालने में और अधिक सावधानी और सुरक्षा बरती जानी चाहिए थी। एक धारणा यह भी कि नंदीग्राम में जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस मुद्दे पर भारी मतभेद है। राय अलग-अलग हो सकती है। मेरा मानना है कि यह सही है कि लोगों को दु:ख पहुंचा है। लेफ्ट के हमारे कई मित्रों की अलग-अलग राय है। यह सब सच है परंतु वाम मोर्चे के हिस्से के रूप में, मैं विनम्रता से केवल यह कहता हूं कि यदि हमने कुछ खोया है, तो हमें विश्वास है कि हम इसे पुन: प्राप्त कर लेंगे; यदि हमने कुछ खोया भी है तो उसे फिर से पा लेंगे। यह केवल एक अस्थायी दौर है, जो गुजर जाएगा। परंतु यह दौर जो गुजर रहा है, वह निश्चित रूप से अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है।

यह सच है कि गोलियां चली हैं और लोग हताहत हुए हैं। कई लोग मरे हैं, उससे भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं, घरों को जलाया गया है। यह सब सच है।

तस्वीर का एक और पहलू भी है, जिसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। हजारों लोगों को नंदीग्राम से बाहर कर दिया गया है। उन्हें नंदीग्राम की सीमा से बाहर कैम्पों में शरण लेनी पड़ी थी। वे ग्यारह महीने से भी अधिक समय से अपने घर नहीं लौट पाए हैं। नंदीग्राम बिल्कुल अलग-थलग पड़ा हुआ था; वहां पर कोई निकाय कार्य नहीं हो पा रहा था; पंचायत अपना कार्य नहीं कर पा रही थी। यहां तक कि पुलिस स्टेशनों पर भी ताला पड़ा हुआ था। पुलिस को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। नंदीग्राम में यह स्थिति ग्यारह महीनों से बनी हुई थी। इसलिए मुझे बाध्य होकर यह कहना पड़ रहा है कि नंदीग्राम की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गयी थी।

अब मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं। मैं यह प्रश्न सत्ता पक्ष के तथा विपक्ष के अपने मित्रों से पूछता हूं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह सार्वजनिक वक्तव्य दिए जाने के बावजूद कि नंदीग्राम में रासायनिक कारखानों का केन्द्र

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

नहीं रहेगा, इस आधिकारिक वक्तव्य के बावजूद इस घेराबंदी को क्यों नहीं हटाया गया, आंदोलन वापिस क्यों नहीं लिया गया और शांति वार्ता शुरू क्यों नहीं की गयी? यह आश्वासन विशेषरूप से दिया गया था और यह मांग नंदीग्राम में भूमि बचाओ समिति के आंदोलन का आधार था। सरकार द्वारा अपने कदम वापस खींच लेने के बावजूद - मैं अपनी भाषा का प्रयोग सावधानीपूर्वक कर रहा हूं - जब पश्चिम बंगाल में, सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए - यह घेराबंदी वापस क्यों नहीं हटायी गयी? कोलकाता, नंदीग्राम में और तामलुक में भी कई शांति वार्ताएं की गयी। सर्वदलीय बैठकें भी हुई है। राज्य मशीनरी को सक्रिय किया गया। यह सब कुछ किया गया परंतु शांति कभी भी वापस नहीं आ सकी।

मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक यह कि सरकार ने एक विशेष आर्थिक क्षेत्र और 'केमिकल हब' होने संबंधी प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया था। दूसरे बात यह है कि सभी स्तरों पर शांति के लिए प्रयास शुरू किए गए। इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ कि तथाकथित आंदोलन जारी रहा, घेराबंदी जारी रही और पूरा नंदीग्राम जैसे एक स्वेच्छाचारी क्षेत्र बन गया? ऐसा क्यों हुआ? क्या यह राजनीति है? यह आंदोलन, भूमि से जुड़े प्रश्न से शुरू हुआ था। यह 'केमिकल हब' के मुद्दे से शुरू हुआ था। यह भूमि के अभ्यर्पण के प्रश्न से शुरू हुआ था। इसलिए, सरकार द्वारा शासकीय अधिसूचना में साफ-साफ घोषित किए जाने के बावजूद, यह आंदोलन समाप्त क्यों नहीं हुआ? भूमि बचाओ समिति विघटित क्यों नहीं कर दी गयी? यह प्रश्न मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप स्थिति का केवल एक पक्ष ही नहीं देखें। कृपया इस समस्या पर समग्र रूप में विचार करें।

महोदय, एक और तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये सभी शांति वार्ताएं चल रही थीं, जब इन ग्यारह महीनों के दौरान सर्वदलीय बैठकें चल रही थीं, जब सरकार ने स्थिति सामान्य करने के लिए कार्रवाई नहीं की थी, जब नंदीग्राम को नंदीग्राम के भरोसे छोड़ दिया गया था, जब 'भूमि बचाओ' समिति को नंदीग्राम को अपने कब्जे में लेने से नहीं रोका गया था, महोदय, उसी दौरान आधुनिक हथियार चोरी-छिपे वहां लाये गए।

महोदय मैं नंदीग्राम की स्थिति से अवगत हूं। काफी समय से यह हमारी पार्टी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। किसानों के पास ए.के.-47 रायफलें नहीं हैं, किसानों के पास लैंडमाइन्स नहीं है और किसानों के पास लोगों को मारने के लिए आधुनिक हथियार नहीं हैं। इसलिए उन्हें बाहरी कट्टरवादी राजनीतिक तत्वों की मदद से चोरी-छुपे लाया गया, वहां लाया गया। उस समय नंदीग्राम में क्या स्थिति थी? हमारे विधानसभा सदस्य को सार्वजनिक रूप से पीटा गया और प्रतिपक्ष के नेता ने इस प्रश्न को एक बार भी नहीं उठाया कि क्यों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को निर्ममता से पीटा गया...*(व्यवधान)*, इस मामले को एक बार भी नहीं उठाया गया...*(व्यवधान)* प्रो. मल्होत्रा, मैं मानता हूं। आपको भी अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वहां इतने लोग मारे गए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: कृपया व्यवधान नहीं डालें। मैं बोल रहा हूं। प्रश्न यह है कि एक पुलिसवाला मारा गया और एक विधानसभा सदस्य को पीटा गया।

अपराह्न 4.00 बजे

लैंडलाइन्स बिछाए गए थे। खाईयां खोदी गयी थी। नंदीग्राम में शांति के दौरान ही युद्ध जैसी तैयारियां की गयी। शांति तो बस एक आवरण था। सर्वदलीय बैठक का दुरुपयोग किया गया और नंदीग्राम में भारत की सीमा से बहुत अंदर एक निर्जन क्षेत्र में एक युद्ध जैसी तैयारी के लिए शांति की अवधि का उपयोग किया गया। इसके लिए किसी विदेशी ताकत को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा किसने किया? किसकी शह पर यह सब हुआ? क्या हमें इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? क्या आप गुजरात में कोई स्वेच्छाचारी क्षेत्र बनाने की अनुमति देंगे? क्या आप मध्य प्रदेश में एक स्वेच्छाचारी क्षेत्र बनाने की अनुमति देंगे? क्या आप भारत के किसी भी हिस्से में स्वेच्छाचारी क्षेत्र बनाने की अनुमति देंगे। मैं माननीय गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता। मैं उन्हें ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहता। यह उनके साथ ज्यादती होगी। परंतु प्रश्न अपनी जगह पर मौजूद है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को देर से क्यों भेजा गया? भारत सरकार से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजने के लिए कहा गया था। 14 लोग उससे पहले ही मारे जा चुके थे। पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपना दु:ख प्रकट करते हुए एक सार्वजनिक

वक्तव्य दिया। कई बौद्धिक व्यक्तियों ने वक्तव्य जारी किए। इसलिए, माननीय गृह मंत्री को वहां की उत्तेजक स्थिति की पूरी जानकारी अवश्य ही रही होगी।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): क्या आप सभा की बात मानेंगे? आप मेरा उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: नहीं मैं नहीं...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: पश्चिम बंगाल सरकार के पास पहले से ही सी.आर.पी.एफ. की दो बटालियन हैं ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं नहीं मानूंगा। आप बाद में अपनी बात कहेंगे...*(व्यवधान)* यह संसदीय शालीनता और शिष्टाचार नहीं है।

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): यदि माननीय मंत्री बोलना चाहते हैं, तो उन्हें बोलना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: आप उन्हें निदेश न दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप उन्हें अपनी बात बोलने दीजिए। जो वे बोल रहे हैं, उन्हें कहने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री ने इच्छा प्रकट की कि एक सी.आर.पी.एफ. बटालियन पश्चिम बंगाल भेजा जाए। मैंने कहा कि "हम इसे भेज देंगे।" चुनाव हो रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सभी अर्द्धसैनिक बल अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात हैं। हमारे पास मुश्किल से 30,000 से 40,000 लोग हैं। साथ ही, पश्चिम बंगाल सरकार के पास दो बटालियन हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। परंतु दूसरों को आपत्ति है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: माननीय मंत्री कृपया स्मरण करें कि मुख्यमंत्री द्वारा 27 या 28 तारीख को एक पत्र भेजा गया था। इस महीने की 7 या 8 तारीख को गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया कि ये सी.आर.पी.एफ. भेजने की स्थिति में नहीं हैं। यह नकारात्मक उत्तर था। इसके कुछ दिनों के बाद जब स्थिति विस्फोटक होने वाली थी, सी.आर.पी.एफ. भेजी गयी। क्या केन्द्र का राज्यों को साथ लेकर चलने का यही तरीका है? क्या देश के संघीय स्वरूप को संरक्षित रखने का यही तरीका है? क्या हिंसा को रोकने का यही तरीका है? क्या सरकार को इस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए? इस सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं। यह सरकार हमारे समर्थन से सत्तारूढ़ है। क्या इसका बदला चुकाने का यही तरीका है? ...*(व्यवधान)*

हम सभा की चिंता से सहमत हैं। हम आलोचना को सही संदर्भ में लेते हैं। मैं महसूस करता हूं कि सभी पक्षों द्वारा गंभीर आत्मनिरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल के साथ निष्पक्ष व्यवहार किए जाने की आवश्यकता है। हम निष्पक्ष व्यवहार चाहते हैं। कोई एकपक्षीय मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। कृपया पश्चिम बंगाल के लोगों को, वहां की सरकार को और पश्चिम बंगाल राज्य को बदनाम न करें...*(व्यवधान)*। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि नंदीग्राम की घटना से जो जख्म लगा है, उस पर मरहम लगाया जाना चाहिए। यह शांति की प्रक्रिया में मदद करने का वक्त है। शांति के बाद ही विकास हो सकता है। विकास होने के बाद ही गरीबी का उपशमन किया जा सकता है। गरीबों के उपशमन से ही नक्सलवाद के तेजी से बढ़ते आधार को समाप्त किया जा सकता है और भारत में नक्सलवाद को बढ़ने से रोका जा सकता है। मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। वाम मोर्चे के भीतर मतभेद के बारे में कई बातें कही गयी हैं। किसी दल के अंदर मतभेद हो सकते हैं। दल के भीतर मतभेद हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के मोर्चे के भीतर मतभेद होना स्वाभाविक हैं। परंतु मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि वाम मोर्चा आज की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए उतना ही संयुक्त और संगठित है जैसा कि पहले था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): सभापति महोदय, देश के एक राज्य में लोग मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अनंत गुढ़े]

लेकिन इस विषय को भी हम लोग राजनीतिक नजर से देख रहे हैं। सरकार की तरफ से जब दासमुंशी जी बोल रहे थे तो कह रहे थे कि आडवाणी जी पश्चिम बंगाल में चाहे कितनी बार भी चक्कर लगा आएं तब भी वहां पर भाजपा की सरकार आने वाली नहीं है। यह किसी पार्टी या सरकार की बात नहीं है, यह देश की बात है। लोग मुसीबत में हैं। लोग चाहते हैं कि कोई हमारी सुने, कोई उन्हें आकर देखे। यह इस सदन के विरोध पक्ष के नेता की जिम्मेदारी है वहां जाकर देखना कि लोग किस हालत में हैं। उनकी स्थिति को समझना और संसद में इस बात को रखना ताकि देश और दुनिया को जानकारी मिल सके कि वहां क्या चल रहा है।

महोदय, एन.डी.ए. का जो शिष्टमण्डल गया था, उसमें मैं भी गया था। मुम्बई-कलकत्ता नेशनल हाइवे बहुत ही अच्छा और सुन्दर है। इसका निर्माण वाजपेयीजी के काल में हुआ था। इसी हाइवे से 60-70 किलोमीटर अंदर जाकर नंदीग्राम आता है। मैंने नंदीग्राम को अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था और सोचा था कि वह बहुत अच्छा और सुंदर होगा क्योंकि वहां पर 25 साल से एक ही पार्टी की सरकार काम कर रही है। लेकिन जब मैंने वहां जाकर देखा तो हैरान रह गया कि वहां किस तरह से लोग रह रहे हैं। वह क्षेत्र तो विकास से कोसों दूर है। वहां जाने के लिए न तो सीमेंट के, न डामर के और न ही रोड़ी की सड़क है, बल्कि खेतों के रास्ते से जाना पड़ता है। यदि आप एक बार चले जाते हैं तो पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। लोग वहां पर कच्ची झौंपड़ियों में रह रहे हैं। वहां बिजली नहीं है। घर में लोगों को पीने का पानी नहीं है। कहीं दूर हैण्डपम्प लगा हुआ है, वहीं से पानी लाकर पी रहे हैं। केवल पीने के लिए पानी मिलता है, कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए पानी नहीं है, इसलिए लोग 8-8 दिन नहाते भी नहीं हैं। सारे गड्ढे का पानी, सारा बरसात का रुका हुआ पानी वे उपयोग करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इस राज्य में सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं। ऐसे हालात में लोग वहां पर रह रहे हैं। ऐसी अच्छी उपजाऊ जमीन वहां पर है, जिससे सारा धान वहां पर आता है।

तीन जनवरी को सबसे पहले जब बी.डी.ओ. का वहां नोटिफिकेशन निकला तो उससे पहले ही ये सारी बातें हुईं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपस में बात मत करिये, कुछ भी लिखा नहीं जायेगा। आपस की कुछ भी बातचीत लिखी नहीं जायेगी। आप उनको कहने दीजिए।

श्री अनंत गुढ़े: तीन जनवरी को पहली बार जब यह नोटिफिकेशन निकला तो नोटिफिकेशन निकलने के पहले ही लोगों की जमीन के कागजात हमारे आफिस में जमा करो, ऐसा फरमान पार्टी के आफिस से छूट गया था। जबरदस्ती सी.पी.एम. के लोग लोगों को पास गये, मैं राजनीति नहीं लाना चाहता, लेकिन जहां दबाव है, क्योंकि वहां जो भी चुनाव होता है, चुनाव में हर पोलिंग बूथ पर 90 परसेंट वोटिंग सी.पी.एम. के उम्मीदवार को होती है। हम समझते हैं कि वह भी जबरदस्ती होती है, क्योंकि वहां सरकार ने सारी जगह एन.जी.ओ. को बनाकर रखा है और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें चलती हैं, वे एन.जी.ओ. के मार्फत चलती हैं और एन.जी.ओ. को वहां मिनी सरकार बनाकर रखा है, ताकि वहां उन लोगों को दबाव में ला सकें और वहां उन लोगों को दबाव में लाकर उनके सारे कागजात - जमीन करने की वहां पर कोशिश हुई, लेकिन जब लोगों ने कागजात देने से मना कर दिया, जब मार्च महीना आ गया और लोगों ने कागजात देने से मना कर दिया, तब लोगों को मारना-पीटना शुरू किया। इसके बाद भी जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया, सारे किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता थे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि लोगों को लगा कि हमारी जमीन जा रही है, जिस पार्टी को हम लोगों ने इतने सालों से वोट दिया है, जिस पार्टी के साथ हम लोग सालों से रह रहे हैं, वह पार्टी जब हमारी जमीन छीन रही है, जब उन्हें ऐसा लगा कि हम कैसे जियेंगे, हमारा जीना अब मुश्किल हो रहा है, जब उन्हें ऐसा लगा, तब उन्होंने विरोध करना शुरू किया।

यहां कोई पार्टी का सवाल नहीं है, यहां इन्सानियत का सवाल है। उनकी ही पार्टी के लोग हैं, जिनकी जमीन वहां पर छिन रही है, लोगों के सामने जीने का सवाल खड़ा हो गया है, तब लोगों ने विरोध किया। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, अधिकारीपाड़ा में जो लोगों ने बताया है, हम वहां खड़े थे, मेरे पास राज्यसभा के सदस्य श्री शरद जोशी जी खड़े थे, वहां के एडीशनल एस.पी. खड़े थे। उनके सामने लोग कह रहे थे कि गांव में कोई नहीं था, गांव से जबरदस्ती निकाल डाले, पुलिस सामने खड़ी थी और पीछे से बन्दूक की गोलियां आ रही थीं, लोग मर रहे थे, कई लोगों को तो कहीं डाल दिया है, पता नहीं है। वहां पर ईंटों की भट्टियां हैं, ईंटों की भट्टियों

में लोगों को डाल दिया है, यह लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, यह लोगों ने अपने मुंह से कहा है। कई लोग लापता हैं, किसी को पता नहीं है। किसी का बाप चला गया है, किसी का बेटा चला गया है, जब हम लोग और आडवाणी जी रिफ्यूजी कैम्प में खड़े थे तो एक छोटा सा बच्चा, जिसने अपने पिताजी की अर्थी देखी, अर्थी भी उसे मालूम नहीं थी, केवल उसने पूजा की थी, पिताजी मर गये हैं, उसने पिताजी को मरते वक्त देखा नहीं। इस प्रकार की बातें हमें वहां रिफ्यूजी कैम्प में देखने को मिली हैं।

यह सब दौरा करते-करते जब हम ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण दवाखाने में आये, हॉस्पीटल में आये तो कई पेशेंट्स वहां पर एडमिट थे, लेकिन किसी पेशेंट की बोलने की हिम्मत नहीं थी। सब शान्ति से सुन रहे थे, क्या करना है, यह उनके समझ में नहीं आ रहा था। एक असलम नाम का पेशेंट था, उसको 4-5 दिन से किडनैप किया गया था और किडनैपिंग के बाद भी जब उसके घर से कुछ नहीं मिला, उसके घर से कागजात नहीं मिले, तब रात को 12.30 बजे उसे दवाखाने में लाकर भर्ती कर दिया। किसने भर्ती किया, डाक्टर यह बताने के लिए तैयार नहीं हैं। जब हम वहां पर गए, तो वह आदमी जोर-जोर से रोने लगा, सुषमाजी भी वहां पर थीं, लेकिन वह बता नहीं पा रहा था। जब वह कुछ बताने लगा, तो उसकी पत्नी और फेमिली वाले उससे यह कह रहे थे कि कुछ मत बोलो, अगर कुछ बोलोगे, तो लोग हमें मार देंगे। आपकी जो हालत बनायी है, वही हालत हमारी भी बनायेंगे। इस प्रकार की दहशत वहां पर बनी हुयी थी। इस प्रकार की वहां स्थिति है। आज यह बात सही तरीके से देश के सामने आ रही है। साल भर हो रहा है और नंदीग्राम में यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन इतनी अराजकता वहां होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज्य में यह सब इतने दिनों से चल रहा है, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? आज कलकत्ता में वही बात हो रही है। मैं टी.वी. में देख रहा था कि सारे लोग रास्ते पर उतर आए हैं। लोगों ने वहां गाड़ियां जलायीं, बसें तोड़ी गयीं, स्कूल बंद हो गए, बच्चे रास्ते पर आ गए, वे कहां जाएंगे, पता नहीं। एक बच्ची अपने पिता जी को फोन करके कह रही थी कि मैं यहां पर पड़ी हूं, मुझे पता नहीं है कि मैं कहां पर हूं? मैं कहीं जा नहीं सकती। वहां दिन में 12 बजे से यह सब शुरू हुआ। 12 बजे से प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन अभी तक वहां सरकार ने कुछ करने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार की बातें नंदीग्राम में हो रही हैं। बात केवल पार्टी की नहीं है, किसकी सरकार आएगी, यह बात भी नहीं है। यहां बात यह है कि हम सब लोगों को राहत देंगे या नहीं। हमारी मानवता कहां है? हम कहां जा रहे हैं और हमारी मानवता कहां जा रही है? यह देश हमारा है और अगर देश में कुछ होता है तो सारी पार्टियों की जिम्मेदारी होती है। जब हम वहां गए, उसके बाद सी.आर.पी.एफ. वहां आया था। उसने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया था। वहां देखा कि तृणमूल कांग्रेस के सभी बोर्ड्स गिराए गए, सारे आफिस गिराए गए, लेकिन सी.पी.एम. का आफिस चल रहा है। दासमुंशी जी ने कहा कि बी.जे.पी. कभी नहीं आएगी। हम जब हाइवे से जा रहे थे, तो बड़ी मात्रा में बी.जे.पी. के कार्यकर्ता झंडे फैलाकर स्वागत कर रहे थे। जगह-जगह पर गेट खड़े करने की उन्होंने कोशिश की, रास्ते पर आकर वे स्वागत नारे लगा रहे थे। किसकी सरकार आएगी, कितने साल में आएगी, यह बात नहीं है। यह हमारा देश है। हम इस देश में शांति बनाकर रहेंगे या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 साल से जो सरकार वहां राज कर रही है, वहां उन लोगों के पास न कोई न्यूजपेपर जाता है, न उन लोगों को कभी टी.वी. देखने को मिलती है, न उन्हें अच्छा खाना और कपड़ा मिलता है, ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी यह नंदीग्राम पीछे है। विकास से इसे दूर रखा गया है, ताकि हम इन लोगों के साथ कभी भी जबरदस्ती से कुछ भी कर सकें और एक तरह से जिंदा लाशों के ऊपर, जिंदा आदमियों के ऊपर बलात्कार करने का काम यहां पर हो रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, मुझे एन.डी.ए. के शिष्टमंडल के साथ नंदीग्राम जाने का अवसर मिला था। मैंने वहां लोगों की दुर्दशा को देखा है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे माननीय मित्र अभी कुछ बता रहे थे किंतु वास्तविक स्थिति और भी अधिक खराब है। यह लोकतंत्र और सभ्य समाज का अपमान है।

महोदय, नंदीग्राम में पिछले दस महीनों में जो कुछ घटित हुआ, वह विश्व में मीडिया की सुर्खियों में घटना शुरू कर चुका है। सभी देख रहे हैं कि यह एक नासूर बन चुका है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि नंदीग्राम की अंतहीन त्रासदी को कानून न लागू करवाने वाले केन्द्र एवं राज्य

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

सरकार दोनों के प्राधिकारियों द्वारा अनदेखा किया गया है, यद्यपि भारतीय संविधान के अंतर्गत इन दोनों पर लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

नंदीग्राम में हुई हिंसा का सबसे उलझाऊ पक्ष केन्द्र और राज्य सरकार का निष्क्रिय रह कर अपने दायित्वों का पालन न करना है। महोदय, नंदीग्राम को रासायनिक हब बनाने के लिये विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव से उत्पन्न हुई 14 मार्च की सिहरा देने वाली हिंसा और खूनी आक्रोश का 6 नवम्बर, 2007 को पुनः विस्फोट हुआ और पूरा नंदीग्राम युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। पश्चिम बंगाल के गृह सचिव का यह कहना कि "नंदीग्राम युद्ध क्षेत्र की भांति लग रहा था" इस बात को संपुष्ट करता है कि राज्य सरकार नंदीग्राम में हुए खूनी हत्याकांड को रोक पाने में असफल रही है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि नंदीग्राम में हाल ही में हुई घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में कोई संवैधानिक सरकार है ही नहीं। न्यायालय ने इन आरोपों को गंभीरतापूर्वक लिया है कि पिछले दस महीनों में होने वाली हिंसा के लिये जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह काफी हैरान कर देने वाला तथ्य है। यहां सदन में बहुत कुछ कहा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री भी मीडिया से हुए संवाददाता सम्मेलन के दौरान बहुत कुछ कह रहे हैं किंतु इन दस महीनों के दौरान एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। माओवादी वहां पहुंच चुके हैं, बहुत से लोग वहां कैम्प लगा रहे हैं किंतु इन दस महीनों से एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणी है। साथ ही उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से यह उत्तर भी मांगा कि इस मामले की जांच का निर्देश सी.बी.आई. को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहूंगा। यह पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय का कहना है कि उन्हें मामले की विस्तृत जांच के संबंध में राज्य तंत्र के सामर्थ्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।

किंतु दुर्भाग्यवश राज्य के मुख्यमंत्री ने नंदीग्राम में पार्टी की भूमिका को न्यायोचित ठहराते हुए एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि प्रतिपक्ष और भूमि उच्छेदन प्रतिरोध समिति को उन्हीं की भाषा में उत्तर दे दिया गया है और नंदीग्राम पर "पुनः अधिकार" प्राप्त लिया गया है, जैसे कि पहले यह किसी विदेशी आक्रमणकारियों के अधिकार में था और भारतीय सेना द्वारा उस पर "पुनः अधिकार" प्राप्त कर लिया गया हो। यह बहुत ही अपमानजनक शब्द है। एक माननीय मुख्यमंत्री यह किस प्रकार कह रहे हैं कि उस पर "पुनः अधिकार" प्राप्त कर लिया गया है। इस पर किसने कब्जा कर रखा था?

उसी संवाददाता सम्मेलन के दौरान, इस खून खराबे के लिये केन्द्र को जिम्मेदार ठहराते हुए, मुख्यमंत्री ने तर्क दिया था कि यदि सी.आर.पी.एफ. समय पर आ गई होती तो स्थिति कुछ भिन्न होती। उन्होंने आरोप लगाया कि यद्यपि उनकी सरकार ने 27 अक्तूबर को सी.आर.पी.एफ. की छह बटालियनों की मांग की थी किंतु केन्द्र सरकार ढुलमुल रवैया अपनाया, जिसके कारण बटालियनें 12 नवम्बर से पहले नहीं पहुंच सकीं। इस प्रकार केन्द्र भी इस त्रासदी के लिये जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने केन्द्र से सी.आर.पी.एफ. की छह बटालियनों की मांग की थी। अतः माननीय गृह मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास सी.आर.पी.एफ. की दो बटालियनें उपलब्ध थीं। किंतु मुख्यमंत्री केन्द्र पर दोषारोपण कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि सी.आर.पी.एफ. सही समय पर पहुंच जाती तो स्थिति भिन्न होती।

उनका यह भी कहना है कि नंदीग्राम में झारखंड के माओवादियों द्वारा एक प्रशिक्षिण शिविर भी स्थापित किया गया है जिससे वहां एक नई स्थिति पैदा हो गई है। किंतु दिलचस्प बात यह है कि गृह सचिव ने कहा, "मैं माओवादियों के बारे में कुछ नहीं जानता। किसी को भी पकड़ा नहीं गया है।" मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि माओवादी वहां शिविर लगा रहे हैं और गृह सचिव कह रहे हैं कि माओवादियों की उपस्थिति की उन्हें जानकारी नहीं है और न ही किसी को पकड़ा गया है। इस प्रकार स्वयं को बचाने के लिये वे यह कहानी बना रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार की स्थिति बना दी है, अपने गलत कामों की सफाई में वे यह सारा नाटक कर रहे हैं।

महोदय, एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी यही बात कही और इसकी चर्चा यहां हो चुकी है। उन्होंने कहा...

"नंदीग्राम की स्थिति की सबसे सही जानकारी राज्य के गृह सचिव द्वारा दी गई है, कि यह एक युद्ध का क्षेत्र बन चुका है। यह गृह सचिव कह रहे हैं। ऐसा राज्यपाल ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान व्यक्त किया। राज्यपाल

कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, गृह सचिव का कहना कुछ और है तो केन्द्र सरकार कुछ और कह रही है। मैं नहीं जानता वहां क्या हो रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से सही स्थिति की जानकारी लेना चाहता हूं।"

राज्यपाल महोदय ने आगे कहा: "कोई भी सरकार अथवा समाज यह अनुमति नहीं देगा कि युद्ध क्षेत्र बने और उस पर तुरंत ही कोई प्रभावी कार्रवाई न हो।" वे अपनी सरकार से कह रहे हैं। गृह सचिव कह रहे हैं कि यह युद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र देश में किस प्रकार बना रह सकता है?

माननीय राज्यपाल ने यह भी कहा: "नंदीग्राम का "पुनः अधिग्रहण" जिस रीति से किया जा रहा है, वह पूर्णतया गैर कानूनी और असंवैधानिक है।..." उन्होंने आगे कहा: "मुझे यह भी अस्वीकार्य लगा कि एक तरफ तो सशस्त्र लोग बड़ी आसानी से नंदीग्राम में जा रहे थे तो दूसरी तरफ राजनैतिक और गैर-राजनैतिक व्यक्तियों के प्रवेश को बड़े ही हिंसक तरीके से रोका गया...।"

सशस्त्र लोग वहां थे। जब राजनैतिक लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रैस और मीडिया के लोग सही स्थिति की जानकारी हेतु वहां जाने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें जाने से मना किया गया और रोका गया। उनमें से कुछ लोगों के पास राहत सामग्री थी। यहां तक कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जो राहत सामग्री लेकर आई थीं, उन्हें भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें रोका गया।

महोदय, देश की विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता श्रीमती मेधा पाटकर के साथ जो व्यवहार किया गया और जिस प्रकार उनका और उनके सहकर्मियों का अपमान किया गया, वह पूरे देश का, लोकतंत्र का और सभ्य समाज का अपमान है।

महोदय, यह भी कहा गया है कि बुद्धिवादी, मीडिया, प्रैस और सभ्य समाज के लोगों को नंदीग्राम में प्रवेश करने नहीं दिया गया। वे जानना चाहते थे कि वहां शांतिपूर्ण माहौल बन गया है या नहीं। वस्तुतः एन.डी.ए. के शिष्टमंडल के वहां पहुंचने से पहले किसी को भी वहां पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई। 6 नवम्बर, की घटना के बाद हमारा शिष्टमंडल ही सबसे पहले वहां पहुंचा था।

महोदय, पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा सरकार के एक घटक दल आर.एस.पी. ने नंदीग्राम के घटनाक्रम को शर्मनाक बताया है और इसके मंत्री ने अपनी पार्टी से कहा है कि वे उसे कैबिनेट से त्यागपत्र देने की अनुमति दे। उनकी सरकार का अपना घटक ऐसा कह रहा है। फारवर्ड ब्लाक, सी.पी.आई., स्थानीय समितियां तथा वाम मोर्चा सरकार के अन्य दो घटकों ने भी यही कहा कि वे नंदीग्राम में सी.पी.आई. (एम्) की कार्रवाई का समर्थन नहीं करते हैं और वहां जो कुछ भी हुआ वे उसकी निंदा करते हैं।

सी.पी.आई. (एम) द्वारा नंदीग्राम को युद्ध क्षेत्र घोषित करना और उसे प्रायोजित ठहराना मुझे अमरीका द्वारा वियतनाम और इराक में अपने हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराए जाने का स्मरण कराता है। वे भी इसी प्रकार सफाई दे रहे थे कि वे लोकतंत्र के रक्षक हैं। वे भी उसे युद्ध क्षेत्र बना रहे थे और वहां हस्तक्षेप कर रहे थे और अपने युद्ध बल के साथ वहां लोकतंत्र की रक्षा के लिये पहुंच रहे थे।

यदि सी.पी.आई. (एम) को नंदीग्राम में अपने कैडर के आपराधिक दुष्कर्मों के लिये दोषी ठहराया जाता है तो कांग्रेस, जिसके नियंत्रण में केन्द्रीय गृह मंत्रालय है, वह 27 अक्तूबर, 2007 के पश्चात् होने वाले सामुहिक हत्याकांड, बलात्कार, आगजनी की घटनाओं के लिये दोषी है।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह नंदीग्राम में शांति और भाईचारे की पुनः स्थापना का आश्वासन दे।

मैं सरकार से यह आग्रह भी करूंगा कि सी.आर.पी.एफ. का प्रयोग करके निर्दोष गांव वालों, जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित केमिकल हब योजना का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें अतिवादी कहा जा रहा है, को न मारा जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***डा. रतन सिंह अजनाला:** माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और नंदीग्राम में हिंसा जैसे गंभीर विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। बहुत से माननीय सदस्यों ने नंदीग्राम में हुए घटनाक्रम के प्रति अपना आक्रोश जताया है। मार्च, 2007 में नंदीग्राम जाने वाले शिष्टमंडल में मैं भी सम्मिलित था। नंदीग्राम के लोगों की दयनीय दशा देखकर मुझे गहरा धक्का लगा। इस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी

---

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[डा. रत्न सिंह अजनाला]

है। पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार गरीबों की मसीहा नहीं है। किंतु वस्तुतः पश्चिम बंगाल में गरीबी के लिये वे स्वयं ही उत्तरदायी हैं। पिछले 25 वर्षों में वाममोर्चा सरकार ने पश्चिम बंगाल को नष्ट कर दिया है।

आरम्भ में वाममोर्चा सरकार बड़े भूपतियों के विरुद्ध थी तथापि अब वही सरकार छोटे किसानों के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है। यदि ये लोग ऐसे लोकहित-विरोधी कार्य करते रहे तो चुनाव में इनका सफाया हो जायेगा।

महोदय, सरकार का आशय विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिये गरीब किसानों की भूमि अधिग्रहीत करना था। यही इस समस्या का मूल कारण है। अब वामपंथी दलों के नेता यह दावा कर रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री नंदीग्राम के गरीब किसानों की भूमि कभी अधिग्रहीत नहीं करना चाहते हैं। अगर वास्तव में ऐसा ही था, तो कोई समस्या पैदा होनी ही नहीं चाहिये थी। महोदय, धुंआ वहीं उठता है जहां आग लगती है। यदि वामपंथी सरकार नंदीग्राम में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना नहीं करना चाहती थी तो उसने असहाय लोगों पर अपने सशस्त्र कार्यकर्ताओं को आक्रमण करने के लिये क्यों भेजा? वामदलों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की वर्दी पहनी और अचानक नंदीग्राम पर हमला बोल दिया। वामदलों के कार्यकर्ता निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। सशस्त्र पार्टी कार्यकर्ता वहां सर्वाधिक शक्तिशाली हो गये हैं। पुलिस सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में है। तब भी राज्य सरकार किसी षड्यंत्र की शिकायत कर रही है। मैं अत्यधिक हैरान हूं।

महोदय, नंदीग्राम क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा शासित नहीं है। यहां पर सशस्त्र वाम मोर्चे के कैडर का शासन चल रहा है जिन्होंने वहां पर आतंक का राज स्थापित कर रखा है। मैंने हाल ही में उस क्षेत्र का दौरा किया है। समस्या की जड़ नंदीग्राम में वामदलों के कार्यकर्ताओं द्वारा फैलाया गया आतंक है। जब तक सशस्त्र वाम मोर्चा कैडरों द्वारा नंदीग्राम को कब्जे में रखा जाएगा वहां पर शांति स्थापित नहीं की जा सकती और इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता है।

वाम नेता शिकायत कर रहे हैं कि भारत के माननीय गृह मंत्री ने अपेक्षित संख्या में सी.आर.पी.एफ. बल वहां नहीं भेजे। जब आपके कार्यकर्ता वहां खुले घूम रहे हैं और इलाके में आतंक फैला रहे हैं तो सी.आर.पी.एफ. की क्या आवश्यकता है? आपने अपने सशस्त्र कैडरों को पहले ही नंदीग्राम में तैनात कर रखा है।

महोदय, नंदीग्राम के गरीब और असहाय लोगों को निर्ममता से मारा जा रहा है। परंतु संसद सदस्य के रूप में हम यहां पर देश के लोगों की सेवा करने आए हैं। हम इस सम्माननीय सभा में उन मुद्दों को उठाना जारी रखेंगे जो सीधे-सीधे भारत की जनता को प्रभावित करते हैं। हमें नंदीग्राम के गरीब लोगों को सशस्त्र कैडरों के अत्याचार से निश्चित रूप से बचाना चाहिए।

मैं भारत के माननीय गृह मंत्री से अपील करता हूं कि वे इस मामले में विशेष रूचि लें। उन्हें नंदीग्राम के प्रभावित लोगों को राहत और मदद पहुंचानी चाहिए।

महोदय, राज्य के उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि 14 मार्च, 2007 को हुई पुलिस फायरिंग जिसमें 14 निर्दोष लोग मारे गए थे, के संबंध में सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए। नौ महीने बीत गए हैं परंतु इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया है। इसकी बजाए वाम मोर्चा के नेताओं ने उच्च न्यायालय के आदेश की निंदा की और कहा कि वे इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाएंगे। वाम मोर्चा सरकार इस मामले की सी.बी.आई. जांच से क्यों बच रही है? यदि उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर उन्हें सी.बी.आई. जांच से क्या डर है? यदि उनकी बातें सच हैं तो वे इस मामले को उच्चतम न्यायालय में लेकर क्यों जाना चाहते हैं? सी.बी.आई. जांच होने दीजिए।

महोदय, मैं "सी.पी.आई. (एम) सी रेड" आलेख से उद्धृत कर रहा हूं कि "बोस और कोनार ने न्यायाधीशों को सही तरीके से अपना काम करने अन्यथा परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से शत्रुओं के खिलाफ सक्रिय होने के लिए कहा जिनमें राज्यपाल, उच्च न्यायालय, प्रेस, शहर के बौद्धिक लोगों का एक वर्ग और ममता शामिल हैं।"

महोदय, बात इस हद तक पहुंच गयी है कि सरकारी पद पर बैठे लोग अपने कार्यकर्ताओं से यह कह रहे हैं कि वे उन बौद्धिक और विद्वान लोगों के खिलाफ उठ खड़े हों जो नंदीग्राम के गरीब और असहाय लोगों के कष्टों को कम करना चाहते हैं। महोदय, आज जब हम इस सदन में नंदीग्राम की चर्चा कर रहे हैं, कोलकाता जल रहा है। ये

लोग यह नहीं चाहते हैं कि कोई समझदार व्यक्ति उनके दुष्कृत्यों की आलोचना करे और पश्चिम बंगाल के लोगों के कल्याण के बारे में चर्चा करे। लोग वहां पर पुलिस फायरिंग में मारे जा रहे हैं।

महोदय, वाम मोर्चा की सरकार नंदीग्राम में समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। इस मुद्दे को जीवित रखना उनके निहित स्वार्थ में है। यदि वे वहां पर विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना नहीं करना चाहते तो नंदीग्राम में हिंसा क्यों हो रही है? वे यह आरोप लगाते हैं कि बाहरी तत्व नंदीग्राम में हथियार और गोला-बारूद ला रहे हैं। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, नंदीग्राम एक पिछड़ा इलाका है जहां अत्यधिक गरीबी है। इस इलाके के लोग भोजन और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है।

सभापति महोदय, नंदीग्राम का मुद्दा राज्य का विषय नहीं रहा है। यह अब राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बन चुका है। स्थिति अत्यन्त भयंकर है। हम सभी को नंदीग्राम के प्रभावित लोगों को राहत और मदद देनी चाहिए। हमें निश्चिय ही नंदीग्राम के गरीब लोगों को सशस्त्र कैडरों के अत्याचार से बचाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, दो दिन से लोक सभा में नंदीग्राम पर चर्चा हो या न हो, इस पर विवाद था। लेकिन उसमें ज्यादा विवाद शब्दों को लेकर था। हमारे मित्र गुरुदास दासगुप्त जी ने चर्चा के लिए जो शब्द या हैडिंग दिया, उसे हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। इन्हीं के शब्दों, 'नन्दीग्राम, पश्चिम बंगाल में विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के प्रस्ताव तथा उसके पश्चात् बड़े पैमाने पर हिंसा' पर आज चर्चा शुरू हुई है। नंदीग्राम में विशेष आर्थिक जोन के बारे में जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां के किसानों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसका प्रतिरोध किया। उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत आदरणीय आडवाणी जी ने की। वह वहां गए थे, उन्होंने वहां के लोगों से चर्चा की और वस्तुस्थिति की जानकारी ली तथा यहां विस्तार से उस पर चर्चा की। केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी, जो उसी प्रदेश से आते हैं, उन्होंने भी अपनी भावना को, हालांकि थोड़ा दबाकर रखा। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने दर्द को सदन के सामने रखने का काम किया। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं, भले ही उन्होंने यह कहा कि वे साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए उनसे गठबंधन किए हैं, बावजूद उन्होंने अपने दर्द को दबाया नहीं और उसे सदन तथा देश के सामने रखा। हालांकि उनकी साम्प्रदायिकता की परिभाषा हम समझ नहीं पाते हैं कि वह किसे साम्प्रदायिक कहते हैं। जब शंकर सिंह वाघेला जी भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो वह साम्प्रदायिक हो जाते हैं और जब उनके साथ आ जाते हैं तो धर्म-निरपेक्ष हो जाते हैं। जब करुणानिधि जी हमारे साथ थे तो वह साम्प्रदायिक थे, लेकिन जब टी.आर. बालू उनके साथ हो जाते हैं तो वे सब धर्म-निरपेक्ष हो जाते हैं। इसलिए हम उनकी साम्प्रदायिकता की परिभाषा नहीं समझ पाते।

श्री दासमुंशी ने यह कहा कि वहां अगले 100 वर्ष तक भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है। मैं उनसे सहमत हूं। बंगाल हमारा सीमावर्ती राज्य है। वहां अगर राजनीति की भाषा बोलनी होगी तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सी.पी.आई. (एम) बोल सकती है और सी.पी.आई. (एम) के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बोल सकती है। वास्तव में वहां भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वहां सत्ता पर काबिज हो सके। जब एक बड़ी पार्टी की यह स्थिति है तो हमें लगता है कि हम कहीं खड़े नहीं हैं, जबकि हमारा इनसे गठबंधन है। हम कहीं खड़े नहीं हैं इसलिए हम निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखेंगे। जहां तक ममताजी का सवाल है, तो मुझे क्या शायद विजय कुमार मल्होत्राजी को भी मालूम नहीं होगा कि वह ए.डी.ए. में हैं या नहीं हैं।

मैं यहां सिर्फ अपनी बात कहना चाहूंगा, जो मुझे मीडिया, अखबारों और टी.वी. के माध्यम से मिली है। इसके अलावा हमारे सी.पी.आई. (एम) के एलाइज भी इस घटना से दुखी हैं और जो उन्होंने सैंट्रल हाल में बैठकर हमसे चर्चा की है, उन से जो जानकारी मिली, उन सब पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे एक बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सी.पी.आई. (एम) वहां बराबर लाल झंडा लेकर किसानों का, मजदूरों का सवाल उठाकर लड़ाई लड़ती रही और उसी में अपना क्रेडिट मानती रही कि हम गरीबों के साथ चलने वाले हैं, गरीबों के मसीहा हैं।

सभापति महोदय, आपको याद होगा, हरियाणा में पुलिस ने मजदूरों पर डंडा चलाया था तो माननीय गुरूदास दासगुप्त ने सदन में बहुत जोरदार ढंग से उस सवाल को उठाया

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

था। हम उस समय तक समझते थे कि वे सचमुच में ही गरीबों के मसीहा हैं क्योंकि वे धनी लोगों के खिलाफ बगावत का झंडा उठाते थे। लेकिन आज कौन सी परिस्थिति आ गयी कि कल तक जो लोग गरीबों के हित की बात करते थे आज वही गरीबों का कत्लेआम कर रहे हैं।

सभापति जी, माननीय मोहम्मद सलीम साहब यहां नहीं बैठे हैं, वे बहुत दावा कर रहे थे कि वहां सेज का सवाल नहीं है। जब बच्चा ही पैदा नहीं हुआ तो यह सवाल कहां से पैदा होता है कि उस सवाल पर वहां विवाद हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन्होंने लोक सभा में अपना विचार असत्य रूप से रखा है। आपकी इजाजत होगी तो मैं यह कागज टेबल पर रख दूंगा। यह पत्र बंगाल सरकार के श्री विक्रम सेन, आई.ए.एस., स्पेशल सैक्रेट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उन्होंने यह पत्र स्पेशल सैक्रेट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ई.पी.जेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उद्योग भवन को लिखा है। यह 25-9-2006 का पत्र है। अगर आप कहेंगे तो मैं सब्जैक्ट पढ़कर इसे टेबल पर रख दूंगा।

[अनुवाद]

"नंदीग्राम (हल्दिया के निकट), जिला पूर्व मोदिनीपुर में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किए जाने के लिए न्यू कोलकाता इंटरनेशनल डेवलपमेंट (एन.के.आई.डी.) के आवेदन के संबंध में राज्य सरकार की सिफारिश।"

[हिन्दी]

यह पत्र उन्होंने पूरे दस्तावेज के साथ भेजा है इसकी अनुशंसा की एक कॉपी मेरे पास है। अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं इसे टेबल पर रख दूंगा। माननीय सलीम साहब ने बिल्कुल ही असत्य बोला है कि वहां पर सेज के संबंध में कोई चर्चा नहीं चल रही थी या कोई जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया नहीं हो रही थी। सभापति महोदय, राज्य सरकार को जमीन एक्वायर करने का अधिकार है लेकिन जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया किसानों को विश्वास में लेकर होनी चाहिए। वहां जमीन एक्वायर कैमिकल हब के लिए हो रही थी। इंडोनेशिया का एक बदनाम औद्योगिक समूह है सलीम ग्रूप, जिसके लिए वहां पर जमीन एक्वायर की जा रही थी। सभापति जी, आपका संबंध भी बंगाल से ज्यादा दूर का नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत ज्यादा लोग बंगाल में रहते हैं। वहां पर लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं चलती है। कैडर के नाम पर वहां पार्टी की सरकार चलती है और पार्टी का ही हुक्म पदाधिकारी मानते हैं। अगर वे पार्टी की बात नहीं मानते हैं तो उन पदाधिकारियों को पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया जाता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बातचीत मत कीजिए, बातचीत नहीं लिखी जाएगी।

...(व्यवधान)...*

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति महोदय, जैसे माननीय सलीम साहब बोल रहे थे कि सी.पी.एम. के कार्यकर्ता की पहले हत्या हुई, टुकड़े-टुकड़े करके उसे जला दिया गया, उसका पूरा घर जला दिया गया। हम उनकी बात से सहमत हैं। उनकी बात से हम इसलिए सहमत हैं क्योंकि मारने वाले और मरने वाले दोनों लोगों में ज्यादातर संख्या सी.पी.एम. के लोगों की हैं। इसका कारण यह है कि जब वहां जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू हुई और जब संगठन के लोग जमीन के कागज मांगने लगे तो सी.पी.एम. का ही एक समूह जो वर्षों से कैडर के रूप में जाना जाता था, लाल झंडा लेकर घूमता था, सी.पी.एम. के नारे लगाता था, सी.पी.एम. के लिए बूथ कैपचर करता था, उसने विरोध किया और कहा कि हम पार्टी छोड़ देंगे लेकिन हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी और एक जमीन अधिग्रहण के विरोध में दल बनाया, संगठन बनाया। उस संगठन में सी.पी.एम. छोड़कर जो लोग गये थे उनके साथ कुछ कांग्रेस के लोग भी शामिल हो गये, उन लोगों के साथ कुछ तृणमूल के लोग भी शामिल हो गये तथा कुछ इंडिपेंडेंट लोग, आम लोग, किसान लोग भी शामिल हो गये। उन लोगों ने प्रतिरोध करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद संयोग से वहां माननीया ममता बनर्जी का पदार्पण हुआ। उन्होंने कहा कि लड़ाई इसके लिए लड़ी जाएगी और जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा और किसान अपनी जमीन का मालिक बना रहेगा।

सभापति महोदय, सी.पी.एम. के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि तीस साल से हम शासन में हैं और प्रतिरोध में जुलूस निकल रहा है। दो तरफ से जुलूस निकल रहा था, दस-दस हजार लोगों की भीड़ थी। वहां पुलिस और पुलिस के भेष में सी.पी.एम. कैडर के लोगों ने गोली

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चलाई। अखबारों में तो यहां तक लिखा है कि बहुत सी लाशें सी.पी.एम. के दफ्तर के सामने देखी गईं।

महोदय, नंदीग्राम में पिछले 11 महीनों से ऐसा हो रहा है। कई बार रुक जाता है और कई बार शुरू हो जाता है। घटना होते-होते आज यह स्थिति हो गई है कि जब अंग्रेज थे, ऐसी ज्यादती तब भी देश के लोगों के साथ नहीं हुई थी। घर जलाए गए, लोगों को मार दिया गया, मां के सामने बेटी का बलात्कार, बेटी के सामने मां का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है। बेटा अपने बाप को खोज रहा है और बाप अपने बेटों को खोज रहा है। जिस इलाके में जिस वर्ग के लोगों की बहुलता होती है, वे ज्यादा संख्या में प्रभावित होते हैं। हमें अखबारों से जो जनकारी मिली है, उसके हिसाब से आपको बताना चाहते हैं कि नंदीग्राम के अगल-बगल 55 से 60 प्रतिशत मुसलमान वर्ग के लोग रहते हैं। यदि लोग मरे हैं, तो मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, बलात्कार हुआ है, तो उनकी संख्या ज्यादा है, यदि लोग जलाए गए हैं, तो उनकी संख्या ज्यादा है। महोदय, मैं अखबार की दो पंक्ति आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि वहां किस तरह की घटना घटी है। अखबार में लिखा है कि उन्होंने जो किया है, विदेशी सेना भी ऐसा नहीं कर सकती थी। बिना चेतावनी के गोली चलाई, लाठी चलाई। औरतों से बलात्कार किया। बलात्कार ही नहीं किया, बल्कि ऐसा बदला लिया, जिसे लिखने में भी शर्म आती है। 14 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। दो महीने बाद हमें सोनाचूरा में एक औरत मिली, जिसने पलक झपकाए बिना बताया कि उनके लिए बलात्कार ही काफी नहीं था, उन्होंने एक गोली मेरी योनि में घुसेड़ दी। इसके नीचे लिखा है कि उन्होंने एक सरिया मेरी योनि में घुसेड़ा और देर तक घुमाते रहे, इस कारण मैं अब भी ठीक से पेशाब नहीं कर सकती हूं।

सभापति महोदय, इस तरह की घटना की जब चर्चा की जाती है, मैं गुजरात की चर्चा करना चाहता हूं। गोधरा, गुजरात में जब ट्रेन जली थी, तब नरेन्द्र मोदी ने सिर्फ कहा था कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। देश के लोगों ने निंदा की। श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन दिनों भी हम सदन के सदस्य थे। हमने यहां नरेन्द्र मोदी को गिरफ्तार करने की मांग प्रधानमंत्री जी से की थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी इस घटना के बारे में क्या कहते हैं, आज के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ लीजिए। नंदीग्राम के तीस गांवों पर जब मा.क.पा. के हथियारों से लैस कैडर ने कब्जा किया, तब कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में इतने गर्व से कहा कि विपक्ष और भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया गया है। ग्यारह महीने से अपने घर के आनंद से दूर रह रहे हमारे समर्थक लौटने को बेताब थे, वे अपनी जान पर खेल कर वापिस आ गए। हताशा में उन्हें जवाब देना पड़ा कि उनका ऐसा करना नैतिक और कानूनी, दोनों ही तरीकों से उचित है।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री का बयान कि नैतिक भी उचित है और कानूनी भी उचित है और उसके बाद सी.पी.एम. के लोग तर्क दे रहे हैं। हमें लगता है कि शर्म भी शर्माएगी। ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, इस पवित्र मंदिर में इस ढंग का राजनीतिक बयान किसी तरह से उचित नहीं होगा।*...

सभापति महोदय: यह ठीक नहीं है। आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है। अब आप एक खूबसूरत भाषण को न बिगाड़ें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: इस तरह की घटनाओं के बाद महामहिम राज्यपाल का बयान आया है। हमारे एक साथी गोपाल जी बोल रहे थे और बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, मैं मानता हूं कि व्यावहारिक रूप से बयान उचित हो या न हो लेकिन नैतिक रूप से एक राज्यपाल की जो भावना थी, जो अपनी आंखों से देख रहे थे, उसे व्यक्त करके उन्होंने देश और दुनिया को दिखा दिया कि जिम्मेदार पद पर बैठने वाला व्यक्ति चुप नहीं रह सकता बल्कि अपने कर्तव्य का पालन भी कर सकता है। महामहिम राज्यपाल ने ही बयान नहीं दिया बल्कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यह घटना गोधरा से भी बड़ी है। उच्च न्यायालय कोलकाता ने भी टिप्पणी की है और मुआवजा देने की बात कही है लेकिन मुआवजे के एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। देवेन्द्र जी यहां नहीं हैं, हम उन्हें बताते क्योंकि गुजरात की चर्चा करके बहुत गर्व से सीना फुलाकर बोलते हैं कि गुजरात में बहुत अन्याय हो गया लेकिन देवेन्द्र जी भूल गए हैं कि देश में अगर कोई भी दंगा हुआ है तो बिहार के भागलपुर से बढ़कर कोई दंगा नहीं हुआ है। पांच हजार हिंदू और मुसलमान मारे गए थे, उस समय शासन किसका था? नीतीश कुमार का शासन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं था बल्कि कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस की हुकूमत के बाद आर.जे.डी. का शासन आया और जो मुख्य अपराधी था वह हैलीकॉप्टर में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

घूमता था, उसे साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने वाला मसीहा कहा जाता था। जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, जिस नीतीश कुमार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, तब एक कमीशन बना, जांच हुई और जो परिवार पीड़ित थे उन्हें 2500 रुपए प्रतिमाह बिहार सरकार अपने खजाने से दे रही हैं ताकि वे परिवार जिंदा रह सकें। यहां गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं, एक समीक्षा करके बिहार सरकार ने पीड़ित परिवार के लोगों का नाम भेजा गया है। यह गृह मंत्रालय में लंबित है कि जिस तरह 1984 के दंगों से पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया गया उसी तरह भागलपुर के दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। यहां गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि बिहार सरकार ने जो प्रतिवेदन भेजा है उस पर गृह मंत्री जी 1984 के दंगा पीड़ितों की तरह भागलपुर के दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गंभीरता से विचार करें। सी.पी.एम. के जो लोग नीतीश कुमार, नीतीश कुमार कह रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार से सीखने का काम करें कि साम्प्रदायिक सौहार्द किस तरह बनाकर राज्य का प्रशासन चलाया जाता है, किस तरह देश चलाया जाता है, टुकड़े-टुकड़े समाज के करके चाहे जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, प्रशासन को नहीं चलाया जा सकता। अभी जो घटनाएं घटी हैं, उसमें नंदीग्राम का नाम निंदाग्राम के रूप में बदल रहा है। हम आपके माध्यम से सी.पी.एम. के लोगों से कहेंगे वहां सौहार्द का वातावरण बनाए, जो उच्च न्यायालय ने मुआवजे की बात कही है वहां मुआवजा दें, एक सर्वदलीय कमेटी लोकसभा के माध्यम से जाकर वहां जांच करे क्योंकि मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है और इससे यह प्रमाणित हो चुका है कि मुख्यमंत्री की निगरानी और देखरेख में घटना घटी है इसलिए सी.बी.आई. से जांच कराकर अगर मुख्यमंत्री दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, नंदीग्राम में जिन गरीब लोगों पर हमला किया गया, वे संपत्ति की रक्षा के अपने मूल अधिकार और अपने खेतों को जब्त होने से बचाने का प्रयास कर रहे थे। एक माननीय सदस्य प्रो. राम गोपाल यादव तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये। जब मुख्य मंत्री ने कहा कि नंदीग्राम में विशेष आर्थिक क्षेत्र गठित करने का प्रश्न ही नहीं उठता, तो *[हिन्दी]* भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी *[अनुवाद]* बनाने का शोर क्यों मचाया जा रहा था? उन्हें तितर-बितर क्यों नहीं कर दिया गया? प्रश्न यह था।

मैं केवल दो सरल से प्रश्न आपके सामने रखूंगा। क्या यह सत्य नहीं है कि पिछली जनवरी में हल्दिया पोर्ट अथॉरिटीज ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचना जारी की थी? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि बाद में इसे रद्द कर दिया गया? क्या यह सच नहीं है कि जब मीडिया और प्रेस ने भी मुख्यमंत्री से यही प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा, "फेड़े दाव, फेड़े दाव" - इसे फाड़ दो, फैंक दो।

अब श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने भी यही बात कही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के एक प्रधान सचिव द्वारा भारत सरकार को लिखे गये एक पत्र का उल्लेख भी किया। क्या यह सच नहीं है? तब आप यह क्यों कहते हैं कि नंदीग्राम में विशेष आर्थिक जोन गठित करने की कोई मंशा नही थी? अब ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा चूंकि वह आपके अनुकूल है, यह भा.क.पा. (मा.) के अनुकूल है। महोदय, श्री गुरूदास दासगुप्त बोलकर जा चुके हैं। उन्होंने यह कहते हुए आडवाणी जी का उल्लेख किया कि वाममोर्चा नहीं बल्कि केवल भा.क.पा. (मा.) ही दोषी है। उन्होंने उसे चुनौती दी कि ऐसा कहने वाले का नाम बताया जाए। किंतु उन्होंने नहीं बताया। वे बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं और आखिरकार वे प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं उनका नाम ले रहा हूं। श्री अबनी राय जो क्रां.स.पा. के महासचिव हैं और लोक सभा टेलीविजन में साक्षात्कार के दौरान मेरे साथ थे। जब मैंने आरोप लगाया कि वामदल गरीब लोगों पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा: "ऐसा मत कहिये, केवल भा.क.पा. (मा.) कहिये। हम इसका विरोध करते हैं।" आप इसका वीडियो कैसेट देख कर पता लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा और क्या यह गलत है या सही है। यह मत कहिये कि वामपंथी ऐसा कर रहे हैं। क्या फारवर्ड ब्लाक ऐसा कर रहा है? क्या क्रां.स.पा. ऐसा कर रही है? क्या यह सच नहीं है कि श्री कीर्ति गोस्वामी जो कि पश्चिम बंगाल सरकार में क्रां.स.पा. के मंत्री हैं, ने भी घोषणा की कि वे मंत्रालय से त्याग पत्र दे देंगे? क्या यह सच नहीं

है? हो सकता है श्री गुरुदास दासगुप्त की भांति कुछ अन्य व्यक्ति भी भा.क.पा. (मा.) के साथ हों। किंतु उनके और उनके जैसे एक दो और व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी भा.क.पा. (मा.) के साथ नहीं है। केवल भा.क.पा. (मा.) ने ही लोगों पर हमला किया, न कि वाम मोर्चा ने।

मैं अगले मुद्दे पर आता हूं जो कि श्री प्रभुनाथ सिंह जी द्वारा बताया गया है। ऐसा क्यों हुआ? पहले इसे "लाल दुर्ग" कहा गया था। उन्होंने किसी को भी नंदीग्राम में प्रवेश नहीं करने दिया। उस समय, केवल भा.क.पा. (मा.) और वाम मोर्चा ही था, अन्य कोई नहीं। वहां वास्तव में कोई भी नहीं था। उन्होंने किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया - न तृणमूल कांग्रेस को और न ही किसी अन्य को। उन्होंने किसी को अंदर नहीं आने दिया। किंतु जब उसी वाममोर्चे के कुछ लोगों ने देखा कि सरकार द्वारा उनकी भूमि बलपूर्वक अधिग्रहीत की जा रही है, तो उन्होंने इस पर आपत्ति की। वे भा.का.पा. (मा.) के बागी कार्यकर्ता बन गये। मैं भी पहली बार शिष्टमंडल के साथ वहां गया था; उस समय आडवाणी जी नहीं गये थे। उस समय सुषमाजी वहां गई थीं, उन्होंने जनवरी के प्रथम सप्ताह में शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। मैं उस शिष्टमंडल का सदस्य था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां रत्तीभर भी भूमि ऐसी नहीं है, जो खेती योग्य न हो। महोदय, समस्त 10,000 एकड़ भूमि केवल खेती योग्य और उपजाऊ है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसी कृषि योग्य भूमि को पश्चिम बंगाल सरकार बलपर्वक अधिग्रहित करना चाहती है। जबकि वे कहते हैं कि वे गरीबों के, सर्वहारा वर्ग के मसीहा हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

वे बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। उन्हें किसका समर्थन प्राप्त है? उन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ का समर्थन प्राप्त है। भारतीय उद्योग परिसंघ पश्चिम बंगाल की कम्यूनिस्ट पार्टी सरकार को समर्थन दे रहा है और कह रहा है कि भूमि पर बलपूर्वक कब्जा किया जाए; अन्यथा पूरे देश में कहीं पर भी उद्योगों की स्थापना नहीं हो पायेगी।

भा.क.पा. (मा.) पार्टी के नेता श्री आचार्य ने उड़ीसा के कालिंग नगर में हुई गोलीबारी के विरोध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उस समय उन्होंने पूछा था कि उड़ीसा सरकार ने गोलीबारी कर निर्दोष लोगों को क्यों मारा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिये। किंतु अब वे कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वे स्वयं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए थे या नहीं। जब कोई घटना उड़ीसा में घटती है तो वह गलत है परन्तु वही जब पश्चिम बंगाल में घटती है तो वह सही है। भाकपा (मा.) के लोग सदैव ऐसी दोहरी नीति अपनाते हैं वे अभी भी वही कर रहे हैं।

ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग बहुमत में है तथा जो भाकपा (मा) से संबंधित थे, बागी हो गए और उनके पास जमीनें भी थीं। यह विपक्ष को खत्म करने के हथकंडे थे उन्होंने घर जलाए, महिलाओं का बलात्कार किया, उन्हें वहां से निकाल फेंक दिया वे ऐसे हथकंडे पिछले 30 सालों से अपनाते आ रहे हैं। जब वे बागी हो गए उन्होंने यही हथकंडे अपनी ही पार्टी के लोगों के विरुद्ध अपनाए तथा उन्होंने उन्हें खदेड़ दिया। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें तो पहले ही खदेडा जा चुका है। यह सच है कि उन्हें 11 महीने पहले ही खदेड़ा जा चुका था।

मेरा मूल मुद्दा यह है कि आप वापस लाना चाहते है परन्तु कैसे? क्या यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें वापस लाए? क्या यह करना 'कैडर' की जिम्मेदारी है? उन्होंने कहा कि पुलिस नंदीग्राम में प्रवेश नहीं कर पाई। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि भाकपा (मा) सरकार असफल रही है वह अपने राज्य पश्चिम बंगाल के लोगों को संरक्षण देने में असफल रही है। यही बात उन्होंने स्वयं कही है।

भाकपा (मा) पार्टी बहुत विशाल है। मैं इसे 'इंडिया टुडे' पत्रिका से दिखा सकता हूं कि उन्होंने किस प्रकार प्रवेश किया फोटो में आप देख सकते हैं लाल ब्रिगेड लाल रूमाल से मुंह बांधे हुए है और वे प्रवेश कर गये...*(व्यवधान)*

मुख्य मंत्री एक संवाददाता सम्मेलन में कहते है कि वे साम्यवादी है। वे अपने पार्टी के दायरे से बाहर नहीं जा सकते; "उन्हें जैसे को तैसा मिला" और वह 'हम' अपने पार्टी के लोगों के लिए कह रहे थे और 'वे' उनके लिए वे लोग थे जो अन्य पार्टियों से संबंधित है। वे 'हम' और 'वो' की भाषा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे है। इसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने सेना की तरह हमला किया तीन ओर से कई बार हमला किया गया हर एक तरफ से 200 लोग अथवा लूटपाट करने वाले आए और सब तहस-नहस कर दिया वे ऐसा

[श्री खारबेल स्वाईं]

क्यों कर पाएं? एक रात्रि पहले कुछ लोग पुलिस स्टेशन गये थे और पुलिस को बताया था कि वे कल हमला करने वाले हैं इसलिए पुलिस उस जगह न आए और कोई हस्तक्षेप न करे अतः पुलिस चुपचाप बैठी रही और वह वहां पहुंची ही नहीं। चार जिलों से उन्होंने लोगों को भर्ती किया। लोग बंदूक तथा अन्य हथियार लेकर आए। वे भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के लोगों से दस गुना अधिक थे। उनकी संख्या स्थानीय लोगों से बहुत अधिक थी। यही कारण था कि वहां कोई मुठभेड़ नहीं हुई। उन्होंने उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। यह लोगों से बनी हुई सेना थी। अतः मैं एक अपील करना चाहता हूं कि जब भी भारत का किसी अन्य देश से युद्ध हो तो भाकपा (मा) कैडर को वहां भेजना चाहिए। वे इतने सक्षम है...*(व्यवधान)*

जब भी चीन की ओर से आक्रमण की आशंका होती है...*(व्यवधान)* हम हमेशा कहते हैं कि वे भारत में प्रवेश कर रहे है उस समय भाकपा (मा) कैडर को भारत-चीन सीमा पर चीनी सेना से लड़ने के लिए भेजा जाना चाहिए। इस लाल कैडर को अरुणाचल भेजा जाना चाहिए। इस लाल कैडर को चीन की लाल सेना से लड़ना चाहिए। वे इसमें इतने माहिर हैं...*(व्यवधान)* नक्सलवादियों से निपटने के लिए भी इन्हें भेजा जाना चाहिए। हम इस विषय पर सिर्फ चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? मूल बात यह है कि देश के अधिकांश लोगों को भाकपा के चरित्र का पता नहीं है। उनका चरित्र क्या है?

मा.क.पा. वह पार्टी है जो भाकपा से उत्पन्न हुई है तथा भाकपा ने उस जोसफ स्टालिन का समर्थन किया था जिसने रूस में 20 मिलियन लोगों की हत्या की थी। इसी पार्टी का वह समर्थन करते हैं। 1963 में जब भाकपा भाकपा और माकपा में विभाजित हुई थी तब मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी बनी क्योंकि उन्होंने उस चीन का समर्थन किया था जिसने भारत पर हमला किया था। अतः भारत पर हमला करने के लिए चीन का समर्थन करने हेतु उन्होंने अपनी ही पार्टी का विभाजन किया और सत्ता में आए। जो लोग पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मुंबई में रहते हैं सोचते हैं कि सी.पी.एम. के नेता जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर है संभवतः बहुत उदारवादी तथा लोकतंत्र समर्थक होंगे। वे प्रासंगिक ही सोचते हैं लोग शायद यही सोचते होंगे।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं सबसे बड़ी पार्टी से दूसरा ही वक्ता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब समय नहीं है। गृह मंत्री जी को जवाब भी देना है।

श्री खारबेल स्वाईं: समय तो थोड़ा आपको और देना होगा।

सभापति महोदय: समय तो आपको बहुत दिया गया।

श्री खारबेल स्वाईं: बहुत कैसे दिया गया? सी.पी.एम. पार्टी के मैम्बर एक घंटा बोले। आप देख लीजिए, हमारे लीडर भी इतना नहीं बोले। अगर समय नहीं देना है तो मना कर दीजिए। हम नहीं बोलेंगे।

सभापति महोदय: ऐसा नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं: सी.पी.एम. के मैम्बर एक घंटा बोलेंगे और हमारी पार्टी के मैम्बर उनसे दो गुना ज्यादा हैं। हम नहीं बोलेंगे?...*(व्यवधान)* ठीक है सर, आप पांच-सात मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात खत्म करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अतः मामला ऐसा ही है। माननीय सदस्य जिन्होंने अभी अपना भाषण समाप्त किया है वे भारत में चुनाव में भारी मतों के अंतर से जीते हैं। सारे लोग यहां तक कि उनकी पार्टी के लोग भी जानते है कि वे पांच लाख वोटों के अंतर से कैसे जीते! सभी जानते हैं और वे भी सोचते हैं कि सी.पी.एम. को पश्चिम बंगाल से कोई बाहर नहीं कर सकता। मैं उन्हें बस एक मिनट के बाद उत्तर दूंगा..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बसु जी, आप बैठिए। आपस की कोई बातचीत रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं ताकि अब देश, सी.पी.एम. अथवा सभा को कैडर और

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पुलिस के मध्य अंतर का पता चले। क्या इसमें कोई अंतर है भी? क्या पार्टी के दुश्मन और देश के दुश्मन में कोई फर्क है या ये दोनों एक ही है? क्या विधि के शासन और पोलितब्यूरो के शासन में कोई अंतर है? पोलितब्यूरो राज्य से भी अधिक शक्तिशाली है जब ज्योति बसु को प्रधानमंत्री के पद की पेशकश की गई थी तो यह पोलितब्यूरो ही था जिसने यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि वे देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह एक केन्द्रीय समिति थी।

श्री खारबेल स्वाईं: निवर्तमान माननीय अध्यक्ष को भी देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए मना कर दिया गया था। इसलिए, महोदय, पोलितब्यूरो ही अधिक शक्तिशाली है।

अपराह्न 5.09 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

कांग्रेस के लोग इस बात को मुझसे बेहतर जानते हैं कि लगभग दो महीने पूर्व पोलितब्यूरो के महासचिव यू.पी.ए. सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वाले थे। यू.पी.ए. सरकार इसलिए नहीं गिरने जा रही थी कि सी.पी.एम. मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे थे बल्कि इसलिए कि पोलित ब्यूरो के महासचिव, जो अधिक शक्तिशाली है, इसका विरोध कर रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया टोका-टाकी न करें।

श्री खारबेल स्वाईं: इसलिए मुद्दा यह है कि इस देश के लोग समझें कि सी.पी.एम. पार्टी कैसी पार्टी है। यह पार्टी एक सर्वाधिकारवादी पार्टी है। यह पार्टी एक स्टॉलीणीकृत एवं अधिकारवादी पार्टी है। उन्हें किसी लोकतांत्रिक सिद्धान्त अथवा संसार के किसी लोकतांत्रिक देश के प्रति सम्मान नहीं है। पूरी दुनिया से लगभग उनका सफाया हो गया है। जैसा कि माननीय श्री आडवाणी जी ने कहा, वे एक छोटे द्वीप, क्यूबा और पश्चिम बंगाल में बचे हैं। चीन के साम्यवादी स्वयं यह कहते हैं कि वे अब साम्यवादी नहीं है, वे पूंजीवादी है। वे भी कहते हैं कि वे अमेरिका के अनुचर है।

अंत में, मैं कांग्रेस पार्टी की भूमिका के बारे में चर्चा करूंगा। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? एकमात्र मंत्री, श्री प्रियरंजन दासमुंशी को छोड़कर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी सी.पी.एम. की 'बी' टीम के रूप में व्यवहार कर रही है और केवल इनकी वजह से सी.पी.एम. पार्टी अभी सत्ता में है। इस कांग्रेस पार्टी में लगभग 30 से 40 लोग मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। वे कुमारी ममता बैनर्जी के बहुत अच्छे मित्र भी है और उन्हीं की वजह से वे जीत रहे हैं। यदि पश्चिम बंगाल में कोई विपक्षी पार्टी है तो वह - भारतीय जनता पार्टी है। पश्चिम बंगाल में अन्य कोई विपक्षी पार्टी नहीं है। हम लोग ही विपक्षी पार्टी हैं और भविष्य में हम यह दिखाएंगे कि हम सत्ता में आते हैं अथवा नहीं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कोई टोका-टाकी नहीं। श्री स्वाईं के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: अंत में, मैं यह कहूंगा कि उनका किला ढहना शुरू हो गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्यन्यायाधीश, जस्टिस चित्रोदास मुखर्जी; उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री सुशान्तो चटर्जी; एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस भगवती प्रसाद बैनर्जी, सभी ने सी.पी.एम. पार्टी की कड़ी आलोचना की है। श्री अंजन दत्ता, जिनका नाम अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने के लिए चुना गया है, अभी दो दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वे बताएं कि श्री मृणाल सेन, श्रीमती महाश्वेता देवी, सुश्री अर्पणासेन, लेखक श्री श्रीशेन्दू मुखर्जी, अभिनेता श्री श्यामल मित्रा, कलाकार श्री शेखर घोष, श्री गौतम घोष, श्री सुव्रत भट्टाचार्य, श्री समीर अइच एवं श्री कबीर सुमन कौन हैं? ये सभी बुद्धिजीवी हैं और ये सभी उनके खिलाफ हैं। अब उनका किला ढह रहा है। मैं पश्चिम बंगाल के समझदार लोगों से अपील करूंगा कि वे सी.पी.एम. पार्टी को बंगाल की खाड़ी में फेंक दें ताकि देश को बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, आज 12 बजे से नंदीग्राम के मामले को लेकर सदन में बहस चल रही है। ये सारी चर्चा क्यों हुई, नंदीग्राम में इस तरह का माहौल क्यों बना, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में, अपनी-अपनी खाल बचाने में सारे विपक्ष के लोग लगे हुए हैं। मैं एक बात विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जय प्रकाश]

जब देश में एस.ई.जैड. का कंसेप्ट आया तो उस वक्त इस देश में एन.डी.ए. की सरकार थी। क्या एन.डी.ए. की सरकार ने उस वक्त इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और इस देश का विकास कृषि पर निर्भर करता है। उस वक्त ये शर्तें क्यों नहीं लागू की गईं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके सहयोगी दल सत्ता से दूर हो गए। देश में जब एस.ई.जैड. के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया तो इन्होंने एकदम आवाज उठाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके सहयोगी दल के साथियों से तथा वामदल के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मूल्यों पर आधारित राजनीति करोगे तो देश की जनता इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। यदि गुजरात में एस.ई.जैड. स्थापित करने की बात आए, चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन यदि हरियाणा में एस.ई.जैड. स्थापित करने की बात होती है, तो ये लोग विरोध करते हैं। अभी हरियाणा के गुड़गांव में एस.ई.जैड. बनाया, तो विपक्षी दल के साथियों ने गुड़गांव में जाकर बड़ा शोर मचाने की कोशिश की।

हमारी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर निर्देश दिए कि उनके राज्यों में एस.ई.जैड. स्थापित किए जाएं। क्या इस प्रकार के निर्देश भारतीय जनता पार्टी, अपनी सरकार के समय अपनी पार्टी की सरकारों के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नहीं दे सकती थी? जब आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और आप इस बात को भलीभांति जानते हैं कि गुड़गांव और अम्बाला में एस.ई.जैड. का काम शुरू हो रहा है, तभी हमारे विपक्ष के साथी वहां गए। इनके साथ, इनके सहयोगी दलों के भाई भी गए। वहां किसानों ने एक ही बात कही कि हमारे यहां जो एस.ई.जैड. बनाया जा रहा है, वह बहुत जरूरी है। यह बहाना लेकर कि कृषि योग्य भूमि पर एस.ई.जैड. नहीं बनाया जाएगा, इन्होंने विरोध किया। मैं व्यक्तिगत रूप से इनकी इस राय के खिलाफ हूं क्योंकि हरियाणा और पंजाब में बहुत कम बंजर जमीन है। सारी जमीन वहां कृषि के काबिल है। यदि इन प्रदेशों का औद्योगीकरण नहीं किया जाएगा, तो ये प्रदेश तरक्की कैसे करेंगे? इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से कहूंगा कि वे फिजूल की बयानबाजी छोड़कर देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसमें सहयोग दें।

महोदय, एस.ई.जैड. की वजह से नन्दीग्राम में दंगे हुए। वहां क्या करना चाहिए और कैसे दंगे रुकें, इसमें सबको सहयोग देना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दंगों में और इजाफा हो। आज एक ही बात पर चर्चा चल रही है। मैं सदन के साथियों से कहना चाहूंगा कि एस.ई.जैड. के कंसैप्ट को जिस प्रकार से कांग्रेस शामिल राज्यों में लागू करने की बात की जा रही है, उसके अनुसार काम होना चाहिए। मैं हरियाणा प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं। हरियाणा के गुड़गांव और अम्बाला में 2500 एकड़ में एक कैपनी एस.ई.जैड. बना रही है। हमसे पहले एन.डी.ए. की सरकार थी। उस समय किसानों की जमीन 2 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ली जा रही थी, यानी कौड़ियों के भाव किसानों की जमीन लूटी जा रही थी। आज कांग्रेस शासित राज्य हरियाणा में वहां के मुख्य मंत्री, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा ने, 23 लाख रुपए से 28 लाख रुपए प्रति एकड़ तक एन.सी.आर. में जमीन का मूल्य निर्धारित किया है। पहले जहां इनकी सरकार के समय 2 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन ली जा रही थी, वहां आज 28 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन ली जा रही है। जिन लोगों को वहां एस.ई.जैड. स्थापित करने हैं, वे वहां एस.ई.जैड. स्थापित करें।

महोदय, हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में जमीन अधिग्रहण की एक नई नीति बनाई है। ऐसी नीति अब तक पूरे देश के किसी प्रदेश में नहीं बनाई गई है। मैं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे हरियाणा में जैसी नीति भूमि अधिग्रहण की बनाई गई है, वैसी वे अपने-अपने प्रदेशों में भी बनाएं। हरियाणा प्रदेश में जो भी जमीन एन.सी.आर. एरिया में सरकार अधिग्रहण करेगी, वहां 23 लाख से 28 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन का दाम देगी और इसके अतिरिक्त 33 वर्ष तक 30 हजार रुपए सालाना के हिसाब से रायल्टी देगी और इस रायल्टी में प्रति वर्ष 1000 रुपए के हिसाब से इजाफा होता जाएगा। अगर इस तरह की नीति सारे देश में बनाई जाए या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बनाई जाए, तो उससे देश के किसानों की उन्नति होगी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्यों में ऐसा करके दिखाएं क्योंकि वे सदन में इस तरह की केवल चर्चाएं करते हैं।

महोदय, मैं वामपंथी दलों के साथियों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं गुड़गांव की बात करता हूं। हमारे श्री गुरुदास दासगुप्त यहां नहीं बैठे हैं। दो वर्ष पहले एक

मामला हौंडा कंपनी के नाम से आया था। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। मामला बहुत छोटा था, लेकिन उसके कारण यहां क्वैश्चन आवर नहीं चलने दिया गया और इस प्रकार से हमारे प्रगतिशील मुख्यमंत्री के प्रगतिशील कार्यों को हमारे सहयोगियों ने तोड़ने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के नेता, श्री लाल कृष्ण आडवाणी यहां अभी नहीं बैठे हैं। उस दिन प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने इस मामले को यहां जलियांवाला बाग के कांड से कम नहीं बताया था। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल से जब किसान लोग पानी देने की मांग कर रहे थे, तो वहां क्यों 6 किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। उस समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या वहां हजारों किसानों को लाठियों से नहीं पीटा गया, क्या वहां लाशें सड़कों पर नहीं पड़ी रही थीं? तब श्री लाल कृष्ण आडवाणी वहां किसानों को देखने क्यों नहीं गए और अब यहां इस तरह की चर्चा करते हैं?

महोदय, आज मैं विपक्षी साथियों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि गुड़गांव का हमारा बहुत छोटा मामला था, लेकिन कुछ विपक्षी लोग जो हरियाणा में प्रगतिशील कार्यों को होते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वामपंथी दलों के साथियों ने उसे तोडने का प्रयास किया। मैं वामपंथी दल नहीं कहूंगा बल्कि सी.पी.आई. के नेता श्री गुरुदास दासगुप्त वहां गए थे। हमने दासगुप्त जी से एक बात कही थी कि हरियाणा प्रदेश की सरकार किसान और मजदूर को कभी मरने नहीं देगी। हमारे मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी। हमें दोहरी राजनीति को इससे अलग रखना होगा। आप लोगों को भी यदि नंदीग्राम में गोली चली है तो उसकी निन्दा करनी चाहिए। गुड़गांव के अंदर या देश के किसी भी हिस्से में मजदूरों पर जुल्म हो तो उस लड़ाई को लड़ो, लेकिन मजदूरों को बरगलाना नहीं चाहिए। जिस प्रदेश का औद्योगिकीकरण इतने अच्छे तरीके से चल रहा है, उसकी शांति को तोड़ने की कोशिश किसी भी दल के लोगों को नहीं करनी चाहिए।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से यह चर्चा कर रहे हैं कि नन्दीग्राम में ऐसा क्यों हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बजाय हमें कहना चाहिए कि सरकारी तंत्र के माध्यम से किसान और मजदूर की कहीं मौत न हो। यदि इस प्रकार की कहीं घटना घट जाती है तो उसके लिए एक-दूसरे को सुझाव देना चाहिए। मेरा वाम दलों को सुझाव है, यदि कम्यूनिज्म के रास्ते पर चलना है तो पश्चिम बंगाल में किसानों की जमीन ज्यादा से ज्यादा मूल्य पर एक्वायर करनी चाहिए। हमारी सरकार ने मजदूरों के हित में काम किया है, जिसमें एस.ई.जेड. के तहत एक्वायर की जाने वाली भूमि पर 25 प्रतिशत लोकल मजदूरों को हम काम देंगे। इसलिए मैं वाम दल के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तानेबाने से कुछ सीखने का काम करें कि जहां पर भी फैक्ट्री लगेगी वहां पर लोकल मजदूरों को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। नंदीग्राम में जो कुछ हुआ, उसको पूरा देश बुरा मानता है, लेकिन वाम दल के साथी केवल यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि देश के गृह मंत्री ने सी.आर.पी.एफ. और आर.पी.एफ. नहीं भेजी। लेकिन हमारे गृह मंत्री ने यह कहा है कि सी.आर.पी.एफ. की दो बटालियन जिसमें करीब दो हजार कांस्टेबल होते हैं, वे कई महीने से वहां पर थे। फिर भी ऐसी नौबत क्यों आई? इसके लिए जो भी लोग दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी दल के लोग हों। इसलिए मैं वामदल के साथियों से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस शासित राज्यों में और खासतौर से हरियाणा प्रदेश में किसानों के साथ न्याय किया जा रहा है, उसी तरह से यदि आप भी किसानों को उनकी जमीन का ज्यादा मूल्य देंगे, मजदूरों को नौकरी देंगे तो नन्दीग्राम जैसी घटना देश में दोबारा नहीं घटेगी। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि भाषणबाजी को छोड़कर नंदीग्राम में एवं पश्चिम बंगाल में शांति के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास बोलने वालों के काफी नाम हैं चूंकि मंत्री जी ने 6 बजे जवाब देना है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सदस्य अपना भाषण चार से पांच मिनट में समाप्त करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी, पी.एम.के. इस चर्चा में बड़े भारी मन से हिस्सा ले रही है और हम नंदीग्राम में जो कुछ हुआ उस पर अपना गहरा दु:ख प्रकट करते हैं। जो भी घटनाएं घटीं इनसे हमें बड़ा दु:ख पहुंचा है और पूरे सदन को पश्चिम बंगाल के उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, जिन्होंने अपनी जान-माल एवं सब कुछ गंवा दिया है।

[प्रो. एम. रामदास]

अभी हम न तो इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं और न ही इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहता हूं। किंतु श्री स्वाई ने मुझे उकसा दिया कि मैं कुछ टिप्पणियां करूं। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया है अथवा कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर क्या कर रही है? मैं उनको यद्यपि वे स्वयं यहां उपस्थित नहीं हैं सूचित करना चाहूंगा कि जहां तक एस.ई.जेड. का संबंध है, डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार एक बेहतरीन भू-नीति लेकर आयी है।

वे उन लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए एक अधिनियम ला रहे हैं, जो भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित होने वाले हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने पहले ही स्पष्ट रूप में बता दिया है कि एस.ई.जेड. (सेज) के लिए कोई उपजाऊ भूमि अधिगृहीत नहीं की जाएगी। माननीय मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी की स्थिति स्पष्ट करने की भरसक कोशिश की है। इसलिए, प्रश्न ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही है।

श्री स्वाई विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भाजपा कुछ समय में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ जाएगी। मुझे आश्चर्य हो रहा है, यह इस वर्ष का बल्कि इस दशक का सबसे बड़ा मजाक है कि भा.ज.पा. पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। हमें प्रसन्नता होगी यदि पंद्रहवीं लोक सभा में भाजपा के पचास सदस्य भी इस संसद में चुनकर आएं। उनके व्यवहार, सदन की कार्रवाई में उनके द्वारा पहुंचाई गई बाधा और जिस प्रकार से वे ऐसा कर रहे हैं, ने सभी लोगों को दुखी किया है। इसलिए वे पुनः चुने नहीं जाएंगे। वे कम्युनिस्टों के बारे में बता रहे है। उन्होंने इतिहास को नहीं समझा है। उन्होंने 'दास कैपिटल' का अध्ययन नहीं किया है। वे पूंजीवाद सिद्धान्त, मजदूर वर्ग से अवगत नहीं हैं, वे इससे अवगत नहीं है कि इस पार्टी ने इस देश में धर्मनिरपेक्ष छवि सृजित करने में किस प्रकार अपनी भूमिका निभायी है।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: मैंने उसे पढ़ा है। आप इसकी चर्चा मेरे साथ कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाई, कृपया विघ्न पैदा न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: महोदय, उन्होंने मेरा नाम लिया और कहा कि मैंने इसे नहीं पढ़ा है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि मैंने पढ़ा है और वे मेरे साथ इसकी चर्चा कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: इसमें कोई समस्या नहीं है। हम मित्र हैं और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

उन्हें इस राजनैतिक पार्टी के अंशदान को कम नहीं आंकना चाहिये...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल प्रो. एम. रामदास का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

...*(व्यवधान)**...

प्रो. एम. रामदास: उपाध्यक्ष महोदय, जो नहीं होना चाहिये वही पश्चिम बंगाल में हुआ है। हमें अतीत को भूलने का प्रयास करना चाहिये। साथ ही जो पार्टी इस समय सत्ता में है, वह इस तथ्य को समझे कि राज्य में अव्यवस्था फैली है और सरकार सांवैधानिक उपबंधों के अनुसार अपनी सांवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहान नहीं कर सकी। अतः अब से सरकार को सचेत हो जाना चाहिये और राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करने का प्रयास करना चाहिये। सरकार को ऐसा नहीं कहना चाहिये कि पुलिस वहां प्रवेश नहीं कर पाई; बर्बतापूर्वक लोगों की हत्या की गई, किसानों को मारा गया। ये सब बहाने नहीं होते। मुझे लगता है राज्यपाल जी ने इस विषय पर वक्तव्य जारी कर मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। वास्तव में उन्हें करना यह चाहिये था कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति का विवरण देते हुए एक वक्तव्य केन्द्र सरकार को भेज देते। अब मुद्दे को केन्द्र सरकार को संभालना है। मैं केवल इतना कहूंगा कि केन्द्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को स्थिति में सुधार हेतु कार्य करना चाहिये, ताकि राज्य में शांति और व्यवस्था बहाल हो सके।

हमें पर्याप्त मुआवजा देना चाहिये। यह केवल मौद्रिक मुआवजा ही नहीं होनी चाहिये। मुझे लगता है, वहां प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी अवश्य दी जानी चाहिये, जिससे वह पूरे परिवार के लिये आजीविका कमा सकें। एक लाख रुपये या कुछ और मौद्रिक मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं। लोगों द्वारा किये गये त्याग के

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

समक्ष यह नाकाफी होगा। उन्हें नौकरी अवश्य दी जानी चाहिये।

जहां तक विशेष आर्थिक जोन का प्रश्न है, एक राष्ट्रीय नीति अवश्य होनी चाहिये। इस सारे मामले और अनुभव से हमें यह सीखना चाहिये कि जनता जब किसी सही बात के लिये विरोध करती है तथा यदि यह एक सही विरोध है, तो सरकार को झुकना चाहिये।

जहां तक विशेष आर्थिक जोन का प्रश्न है, भूखण्ड एक महत्वपूर्ण आदान है। आज भूखण्ड होना सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है। भूखण्ड आजीविका का स्रोत है। अत: यदि आप भूमि का अधिग्रहण करते हैं, तो लोगों में अलगाववादी भावना पैदा होती है। जब लोगों में अलगाववादी भावना पैदा होती है, तो वे पूरी शक्ति से इसका विरोध करते हैं। अत: भूमि अधिग्रहण करने से पहले हमें लोगों की भावनाओं को समझना होगा। सरकार को एक समान नीति लागू करनी चाहिये, जो सभी राज्यों में लागू की जा सके।

हमारे विचार से, सरकार विशेष आर्थिक जोन का गठन कर सकती है, क्योंकि इसके अपने कुछ लाभ हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% वृद्धि दर प्राप्ति की प्रक्रिया को तीव्र करेगा। अत: विशेष आर्थिक जोन बनाए जाने अनिवार्य हैं। साथ ही, हमें यह भी समझना चाहिये कि विशेष आर्थिक जोन की अवधारणा के कुछ विपरीत प्रभाव भी हैं जैसा कि हमारे पास उपलब्ध बहुत से उदाहरणों और अनुसंधान प्रतिवेदनों से पता चलता है।

विशेष आर्थिक जोन से संबंधित राष्ट्रीय नीति में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहियें। पहली यह कि सरकार को भूमि अधिग्रहण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

यह बाजार में मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर निर्धारित होने दें। भूमि के क्रेता और विक्रेता को निर्णय लेने दिया जाए कि भूमि का अधिग्रहण किस मूल्य पर किया जाये। यदि किसान बेचने के लिये तैयार है और खरीददार खरीदने के लिये तो उन्हें स्वयं एक मूल्य निर्धारित करने दें, जिस पर किसान भूमि देने के लिये तैयार हो जाए। यदि सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है, तो एक असंतुलित सी स्थिति बन जाती है जिसमें किसान को हानि उठानी पड़ती है। अत: ऐसा नहीं होना चाहिये कि किसान को अपनी संपत्ति गंवानी पड़े और इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। जब कभी आवश्यक हो केवल ऐसी भूमि का अधिग्रहण किया जाए जो बंजर हो, खेती योग्य न हो तथा अनुपजाऊ हो। यह ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिये। जब भी किसान अपनी भूमि देना चाहता हो, भूमि 50 साल या 60 साल के पट्टे पर दी जानी चाहिये और प्रत्येक किसान जो भूमि देता है, उसका कंपनी में हिस्सा होना चाहिये, जिससे जब भी कंपनी का लाभ होगा, किसान को भी उसका हिस्सा मिलेगा। भूमि संबंधी नीति के कारण विस्थापित हुए लोगों को नौकरियां दी जानी चाहिये। अत: सरकार को सजग दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और विशेष आर्थिक जोन का गठन इस प्रकार करना चाहिये, जिससे किसानों पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। नंदीग्राम के घटनाक्रम से हमने सबसे बड़ा यही सबक सीखा है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि नंदीग्राम जैसी घटना की भविष्य में फिर कभी पुनरावृत्ति न हो।

अपराह्न 5.31 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): महोदय, नियम 193 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा के दो भाग हैं। एक भाग एस.ई.जेड. के बारे में है और दूसरा उसके परिणामस्वरूप हुई व्यापक हिंसा के बारे में।

जहां तक एस.ई.जेड. का सम्बन्ध है, यह वह अवधारणा है जिसे चीन से ली गयी है। चीन में लोकतंत्र नहीं है। भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। परन्तु हमारे देश में जो कानून - भूमि अधिग्रहण अधिनियम - प्रचलित है वह स्पष्ट करता है कि भूमि का अधिग्रहण केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। अब, भारतीय पद्धति कब तक उद्योगपतियों को बढ़ावा दे सकती है? अर्थात कब तक हम इन लोगों को मिलियनर, बिलियनर अथवा ट्रिलिनियर बनाते रहेंगे? संयुक्त राज्य अमरीका जैसे राष्ट्र में भी जिसे पूंजीवाद का मुख्यालय कहा जाता है, अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने प्रसिद्ध डिट्रायट मामले और हाल ही में वर्ष 2005 में केलो बनाम सिरी ऑव न्यू लन्दन मामले में यह व्यवस्था की है कि अधिग्रहण हेतु भूमि नहीं दी जाए। यदि यू.पी.ए. सरकार कोई विधान बनाने जा रही है, तो यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि जो भी उद्योगपति अथवा कम्पनी भूमि चाहते हैं वे स्वयं जाकर भूमि खरीदें। आखिर आम आदमी को परेशानी क्यों उठानी पड़े?

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

अब, उस हिंसा के बारे में जो हुई, महोदय, भारतीय राजनीति का पहिया पूरी करवट ले चुका है। जहां तक हिंसा का प्रश्न है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और कमजोर तबको के विरुद्ध, तो हमारी आजादी के 60 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के ऊपर अनेक घिनौने धब्बे लगे हैं। भाजपा के ऊपर अनेक धब्बे और दाग हैं। और अब वही दाग वामदलों अर्थात सी.पी.आई. (एम) पर लगे हैं। इस बारे में पिछले वर्ष ही सच्चर कमेटी द्वारा विस्मयकारी बातें उजागर की गई तथा उन्होंने अपने आश्चर्यजनक निष्कर्ष बताए की पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था।

महोदय, मार्च के महीने में मैं नन्दीग्राम गया था और मैंने वहां जो कुछ हुआ उसे देखा है। मैं माननीय सदस्य, मो. सलीम जो अभी सदन में मौजूद नहीं हैं का भाषण सुनकर आश्चर्यचकित हूं। इतिहास बताता है कि सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया था। अतः, कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही है। जाफर से दंगा के कहने के स्थान पर वह यह कह सकते थे *...*(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: उसे भाषण से हटा दिया जाएगा।

...(*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवेसी: आप समझे कि मैंने क्या कहा? ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: डा. डोम, मैं पहले ही कह चुका हूं। कृपया बैठ जाइए कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवेसी: मैं हैदराबाद का मुसलमान हूं न कि नन्दीग्राम का। आप मुझे चुप नहीं कर सकते...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आपको चुप करने जैसी कोई बात नहीं है। आपको उनकी ओर देखने की जरूरत नहीं है। आप की ओर ध्यान दीजिए। डा. डोम, कृपया बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री ओवेसी आप भी सभा में अपने साथी सदस्य को बुरा-भला न कहें।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: महोदय, मैंने उन्हें बुरा-भला नहीं कहा है...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: मैंने उसे कार्यवाही वृत्तान्त से हटा दिया है। कृपया आप अपना भाषण जारी रखें।

...(*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवेसी: महोदय, मैं आपके निर्णय पर कभी भी सवाल नहीं करूंगा।

नन्दीग्राम में हुई हिंसा पर फिर आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 27 अक्तूबर को पत्र लिखा जबकि गोलीबारी मार्च के महीने में हुई थी। आप छह माह तक क्यों सोते रहे? आप जनता को सुरक्षा प्रदान करने के अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में विफल रहे हैं।

यह बात सत्य है कि पश्चिम बंगाल में कैडर और सरकार के बीच कोई अन्तर नहीं है। अब इनके बीच में कोई अन्तर नहीं बचा है। ऐसा क्यों है कि आप अपने कैडर का सहारा लेते हैं? महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय गृहमंत्री से आग्रह करता हूं कि गृह मंत्रालय को नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए सी.पी.आई. (एम) के कैडरों को सलाहकार के रूप में रखना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश की सरकार को अनुभवी (ग्रेहाउण्ड फोर्स) को हटाकर इन लोगों को उस फोर्स में लगाना चाहिए क्योंकि हम इनसे कुछ ज्यादा सीख सकते हैं। आपने कहां से हथियार प्राप्त किए? मैं समझता हूं कि माओवादियों के पास हथियार हैं। आपने राइफलें कहां से प्राप्त की? आपने उन लोगों को कैसे मारा? आपने पक्के हथियार कहां से प्राप्त किए? अतः, छह महीने से आप यहां सो रहे हैं। अब उचित समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल ने इसे महसूस किया है। मैंने जो कहा है उसका कारण यह है। आपने मुसलमानों के साथ जो सलूक किया है उससे भारतीय राजनीति का पहिया पूरी तरह करवट ले चुका हैं। किसने बलात्कार किया है...*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह ठीक नहीं हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): इसे कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा न करें। कृपया उलझन पैदा न करें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: मुझे यहां सचमुच बड़ी निराशा हुई है। पिछले पांच वर्षों से मैंने यहां बैठ कर आपके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के भाषणों को सुना है। राजनीतिक फायदे के लिए, आप नन्दीग्राम में जो कुछ हुआ उसकी आलोचना नहीं करना चाहते क्योंकि आप 2009 की ओर देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कानून का नियम, सिद्धांत आपको बताएंगे कि किसने गलती की है। हर बार, गुजरात और गोधरा का उल्लेख किया जाता है। जी हां। गुजरात और पश्चिम बंगाल में कोई अन्तर नहीं है। केवल दो अन्तर हैं। गुजरात के गोधरा में कुछ लोगों ने अन्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनके शवों को पड़ा छोड़ दिया। अपने पश्चिम बंगाल में शवों को भी नहीं बख्शा उन्हें भी उठा लिया।...*(व्यवधान)* आपको वहां शव भी नहीं मिले। आज यहां जो कुछ हुआ वह सचमुच आश्चर्यजनक है।

क्या केन्द्र सरकार इस बात का स्पष्टीकरण दे सकती है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह ठीक है कि यह पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ही थी जिसने यह सिफारिश की थी कि...* को बीजा बढ़ाने की अनुमति दी जाए। आप मुसलमानों की बात करते हैं। आप मुसलमानों के प्रेम की बात करते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उस नाम को हटा दिया जाएगा। वह यहां नहीं हैं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: वह भारतीय तक तो है नहीं।

अध्यक्ष महोदय: वह यहां नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि वह भारतीय हैं या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस देश में रह रहा है तो यह अधिकार का मामला नहीं हो सकता।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: यह स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी थे जिन्होंने इस पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. रामचन्द्र डोम, क्या आप बोलना बन्द करेंगे?

श्री असादूद्दीन ओवेसी: मैं नन्दीग्राम का रहने वाला नहीं हूं। आप मुझे बोलने से चुप नहीं करा सकते। मुझसे इस तरीके से मत कहिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है उसे हटा दिया जाएगा।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: स्पीकर साहब, आप जो कहते हैं, हमारे सर आंखों पर है। आप स्पीकर हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब आप सही बोलते हैं तब आपको इंटरप्ट नहीं करते, जब रूल के मुताबिक नहीं होता तभी बोलते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी: मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका निर्धारित समय पूरा हो गया है।

[हिन्दी]

श्री असादूद्दीन ओवेसी: लीडर ऑफ औपोजीशन वैस्ट बंगाल गए। लेकिन क्या यह वहां जाकर एहसान जाफरी की बेवा से मिलकर उसे पोहा दे सकते हैं? अहमदाबाद में जिन लोगों को कत्ल कर दिया गया, क्या आडवाणी साहब किसी एक से भी जाकर मिले? आप आज तक किसी भी एक आदमी से नहीं मिले और जिस शख्स की खियादत में कत्लेगारत गिरी हुई। आप उसकी दोबारा तारीफ कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बात कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन नामों का बताया जाना आवश्यक नहीं हैं। मैं आपका बहुत आदर करता हूं। मैं आपकी काफी प्रशंसा करता हूं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: यहां पर यह जो घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं उस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। यह बात दीगर है कि यहां जो धर्मनिरपेक्ष दल उपस्थित हैं वे मुस्लिमों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

राजनीतिक सुमीते के लिए, आप वामपंथी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बात कर रहे हैं? मैं इस पर विचार करूंगा। कृपया इसे मुझे दीजिए।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: वामपंथी सरकार ने जो किया है वह यह है कि ये लोग प्रस्ताव मान सकते हैं। चाहे माने मत फिर ना माने। पश्चिम बंगाल में मुसलमान भयाक्रान्त हैं। अब समय आ गया है कि केन्द्र सरकार वहां पर एक संसदीय शिष्टमण्डल भेजे। आखिर हम भी जाने की आखिर वहां हो क्या रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। इस देश में कोई भी किसी समुदाय का एक मात्र चैम्पियन नहीं है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: यह बिल्कुल सच है। सी.पी.आई. (एम) भी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक कह रहे हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: निष्कर्ष के तौर पर, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि गुजरात के मामलों में एक संसदीय शिष्टमण्डल भेजा गया था, उसी तरह नन्दीग्राम के लिए भी एक संसदीय शिष्टमण्डल भेजा जाए। सच्चाई सामने आना चाहिए। सी.पी.आई. (एम) आखिर सच्चाई को क्यों छिपा रही है? आखिर उनकी खता क्या है?

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुव्रत बोस (बारासाट): मुझे बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहनी है क्योंकि समय लगभग समाप्त होने वाला है और गृहमंत्री को उत्तर देना है। नन्दीग्राम के इस प्रश्न पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। माननीय सदस्य जैसा कि पहले ही कह चुके हैं कि नन्दीग्राम में एस.ई.जेड. स्थापित किया जाने का केवल प्रस्ताव ही किया गया था। लोग संभवतया भूमि से बेदखल होने की बात से भयभीत हो गए और उन्होंने प्रदर्शन प्रारम्भ करा दिया। जैसे ही रोष प्रदर्शन बढ़ा पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ने तुरन्त ही यह घोषणा कर दी कि वह जनेच्छा के विपरीत भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं करेंगे। इसी से रोष प्रदर्शन समाप्त हो जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। मैं इस बात को विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा कि इन कुछ महीनों में वहां क्या हुआ क्योंकि उस पर काबू पा लिया गया है। केवल एक बात है जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं। यह बात भी सत्य है कि जब भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है तब बहुत से लोगों को नन्दीग्राम छोड़कर जाने पर विवश किया गया। वे लौट आए। अब कुछ लोगों से पुनः नन्दीग्राम छोड़कर जाने को विवश किया गया है। यह कोई आदर्श समाधान नहीं है। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इस बात का पता लगाया जाए कि समस्या आखिर कहां है और इस समस्या को जारी रखना ठीक नहीं हैं। मेरा विचार है कि उस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के लिए बहुत ही दृढ़ प्रयत्न किये जाने चाहिए। मेरे विचार से इस संबंध में प्रथमतः पश्चिम बंगाल सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी है। महोदय, आपको याद होगा कि मेरी पार्टी के एक बहुत ही सम्मानित नेता, जोकि वामपंथ के वरिष्ठतम और सम्मानित नेता है, को कुछ माह पहले एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने के लिए कहा गया था, और उन्होंने ऐसा किया भी। परन्तु दुर्भाग्य से वह बैठक सफल नहीं हो सकी। इसे जल्दबाजी में सम्पन्न किया गया। मेरे विचार से नन्दीग्राम की समस्या और वहां व्याप्त मुसीबतों को जारी नहीं रहने दिया जा सकता। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जनता के कुछ तबकों का सरकार पर से विश्वास उठ गया है। मेरा विचार है कि उस विश्वास को दोबारा कायम किए जाने की आवश्यकता है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मुझे पूरी आशा है कि वह इस विश्वास को दोबारा कायम करना सुनिश्चित करेंगे। वह नन्दीग्राम में पुनः शान्ति बहाल करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मैं सभी दलों से पश्चिम बंगाल में और विशेष तौर पर नन्दीग्राम में पुनः शांति स्थापित करने की दिशा में सहयोग करने की अपील करता हूं।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में हुई हाल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और नृशंस है। व्यापक मीडिया कवरेज से यह स्पष्ट है कि वहां के लोगों

की हालत बहुत खराब है। मैं अपनी पार्टी - आर.एस.पी. की ओर से सभी राजनीतिक दलों एवं सरकार, सत्ताधारी सरकार एवं लोगों से अपील करता हूं कि वे नंदीग्राम के प्रभावित क्षेत्र में शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल करें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सुबह से बैठकर इस डिबेट को सुन रहा हूं।

सबसे पहले सुषमाजी के नेतृत्व में वहां जो डेलीगेशन गया था, उसके एक सदस्य के रूप में मैं नन्दीग्राम गया था। इसलिए मैं यहां जब बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मैं केवल हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं वहां की स्थिति देखकर आया हूं।

आज मैं देख रहा हूं कि नन्दीग्राम की घटना पर बड़ी राजनीति हो रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियरंजन दा ने जैसा वे बंगाल में तीखा बोलते हैं, वैसा तो नहीं बोला, लेकिन थोड़ी हिम्मत की है, वह भी तब, जब कम्युनिस्ट साथियों ने उन्हें थोड़ा भड़काया। इसलिए मैं अपने कम्युनिस्ट साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रियरंजन दा से कुछ अच्छी और सच्ची बातें बुलवाने की कोशिश की है। हम भी सरकार में रहे हैं और सरकार के दबाव से वाकिफ हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे उम्मीद है कि यह मजाक में कही गयी बात है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: हमें सरकार का दबाव मालूम है और यह जो सरकार की बात कही गयी है, चूंकि सारी बातें आ चुकी हैं, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे, नन्दीग्राम का माहौल पहले ही खराब है, इस सदन का भी माहौल खराब हो।

मैं अपनी सी.पी.आई.(एम) के साथियों से कहूंगा कि जब माइनारिटी का कोई व्यक्ति बोले तो उसे इतना जोर से डांटने का काम मत कीजिए। इस देश के संविधान में आर्टिकल 30 के अंतर्गत माइनारिटीज के कुछ राइट्स हैं, उनकी इज्जत आपको भी करनी चाहिए। बहुत सख्ती से आपने ओवैसी साहब को डांटा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे नन्दीग्राम के नहीं बल्कि हैदराबाद के हैं, इसलिए वे आपकी डांट से डरे नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): आप माइनारिटी के हितचिन्तक कब से हो गए हैं?

श्री अनिल बसु (आरामबाग): आप तो राम भक्त हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, छोड़िए इस बात को।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, मैं मार्क्स-भक्त नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको जिसकी भक्ति करनी है, उसके लिए आपको पूरा हक है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, मैं तो खुदा को मानता हूं, उसके लिए मुझे इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ ही डेलीगेशन में सउदी अरब गया था। वहां मैं उमरा करने भी गया था और वहां वही जा सकता है जो मुसलमान होता है। इसलिए मुसलमान होने के लिए मुझे सी.पी.आई.(एम) के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: वह तो उसके खिलाफ जाता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उस शिष्टमंडल के बड़े महत्वपूर्ण सदस्य थे।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मुझे यह लग रहा है कि इस पूरी घटना के बारे में कांग्रेस के साथियों ने बोला तो है, लेकिन वे अन्दर से बहुत खुश हैं। न्युक्लियर डील पर जब चर्चा हो रही थी, उसके बारे में जब भी सरकार की ओर से कोई छोटा सा बयान आता था तो सी.पी.आई.(एम) के साथी बड़ी-बड़ी प्रेस कांफ्रेंस करते थे, प्रेस के लोग दौड़कर कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में जाते थे। गुरूदास दासगुप्त जी, सीताराम येचुरी जी और करात जी की बातें छपती थीं। हम लोगों की कोई बात टी.वी. पर आती ही नहीं थी, सभी जगह यही लोग छाए हुए थे। आज कल

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

स्पेस बढ़ गया है। न्युक्लियर डील पर इन्होंने पहले बोल लिया, लेकिन जब से नन्दीग्राम की घटना हुई, तब से इनको यह डर हो गया है कि यदि हमने चुनाव करवा दिया तो केरल और पश्चिम बंगाल में जीरो पर आउट हो जाएंगे। इसलिए ये लोग डर से बोल नहीं रहे हैं। कांग्रेस इसका पूरा फायदा उठा रही है। हम लोगों को भी यह अच्छा लग रहा है। मैं तो नया चुनकर आया हूं, मुझे लग रहा था कि चुनाव हो जाएंगे, लेकिन नन्दीग्राम की घटना ने कांग्रेस के लिए आक्सीजन का काम किया है। मुझे दुख इस बात का होता है कि वहां अकलियत के लोगों का खून बह रहा है, वहां इतनी बड़ी तादाद में अकलियत के लोग मारे गए। मैं खुद नन्दीग्राम गया था।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: गुजरात की घटना के समय आप कहां थे?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, मेरे लिए यह बात कहना बहुत जरूरी है कि क्योंकि ये लोग बार-बार गुजरात की बात कहते हैं, लेकिन जब गुजरात में आग लगी थी, उस समय ये लोग पटना में बैठकर बयान दे रहे थे। आडवाणी जी के नेतृत्व में जब वहां डेलीगेशन गया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसी-ऐसी बातें बोल रहे हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आडवाणी जी के नेतृत्व में जब डेलीगेशन गुजरात गया, उस समय आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे और मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था। मैं आडवाणी जी के साथ वहां गया था। मुझे याद है कि उसी दिन बालयोगी जी का देहान्त हुआ था। गुजरात में जलती हुई आग में सबसे पहले जाने की हिम्मत हमने की थी। आप बैठकर सिर्फ बयान दे रहे थे।...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ विषय पर बात कहना चाहता हूं लेकिन मुझे बार-बार इंटरप्ट किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि आपका स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। उसकी लिबर्टी लेते हुए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में इस तरह की चर्चा हुई है। मैं सी.पी.आई.(एम) के बारे में जानता हूं कि आपने समरकन्द, बुखारा में क्या किया, चेचन्या में क्या किया, पूरे सी.आई.एस. कन्ट्रीज को आपने कैसे कब्जा किया, वहां मन्दिरों और मस्जिदों को बंद किया। हम यह भी जानते हैं कि आपकी मुसलमानों के बारे में क्या राय है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारे पास आज समय की कमी है। लोग जानते थे कि आप बड़े सेकुलर हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका लाल झण्डा हम थाम लेंगे, लेकिन इस घटना से आपको जितना नुकसान हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: आप भी तो लाल झण्डे में थे।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आप सच्चर कमेटी रिपोर्ट की चर्चा करते हैं और गुजरात से तुलना करते हैं। ओवैसी साहब ने गुजरात से तुलना की, तो उनको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह तुलना भी करनी चाहिए कि भारत में अगर कहीं मुसलमानों की परकैपिटा इनकम सबसे खराब है तो वह पश्चिम बंगाल है और सबसे अच्छी गुजरात में है। मुसलमानों का परकैपिटा इनकम अगर सबसे अच्छी है तो वह भाजपा शासित राज्य गुजरात में है। आपने मुसलमानों की हालत क्या की, यह पूरा देश और यहां के मुसलमान भी जानते हैं। आप सिर्फ उनके लिए नारा लगाते हैं, लेकिन मुसलमान इससे खुश होने वाले नहीं हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर गुजरात में इतना कुछ होता तो पता नहीं आप क्या करते। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि भले ही आप कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से सरकार चला रहे हैं, अगर आपने नंदीग्राम की घटना के लिए वहां की सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो आपको और कम्युनिस्टों को देश का मुसलमान अलग-अलग नजरिए से नहीं देखेगा, वह एक ही पैमाने पर आप सबको देखेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई भी व्यक्ति संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस प्रकार की बातें न करें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं उस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं जिसका मैं सदस्य हूं। अगर मैं उसके हित की बात नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने भी उन्हें कहा कि वे संपूर्ण समुदाय की ओर से नहीं बोल सकते।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: माइनोरिटी तो संविधान का

शब्द है। उस पर जितनी ज्यादतियां हुई हैं, उन्हें हम भूल नहीं सकते। इस पूरे मुद्दे पर मैं यह कहना चाहता हूं कि नंदीग्राम की जो घटना हुई, उससे पहले छोटा अंगनिया और गड़गोता में भी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 40 लोग मारे गए थे। दोषियों को पकड़ने के लिए जब सी.बी.आई. तलाश रही थी, जो अक्लियत को मारने में एक्सपर्ट हैं, वे लोग नंदीग्राम में पकड़े गए,*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन लोगों के नामों का उल्लेख न करें। नियमानुसार यह अनुमेय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: दो अपराधी पकड़े गए।

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक है कि दो अपराधी पकड़े गए, लेकिन किसी का नाम न लें। आप तो मंत्री भी रह चुके हैं इसलिए आपको सब मालूम है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: यहां पर ऐसे-ऐसे लोगों के नाम लिए जाते हैं,

अध्यक्ष महोदय: जब हम वहां बैठते थे, तब भी हम कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: इस संविधान ने हमें इजाजत दी है कि जो समाज के कमजोर तबके हैं, पिछड़े दलित और अक्लियत के लोग हैं, उनकी हिफाजत की जाए। इसीलिए बी.जे.पी. अक्लियत की हिफाजत की बात करती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको क्यों परेशानी होती है, क्या आपने ही अक्लियत का पेटेंट करा रखा है। इसलिए अगर उन पर जुल्म होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आपने हिन्दुस्तान के अक्लियत के लोगों को सिर्फ वोटर ही माना है, जबकि हम उन्हें इस देश का सम्मानित नागरिक मानते हैं। इसलिए विपक्ष के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी इस मुल्क में पैदा हुआ है, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, उस पर अगर जुल्म होगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई इस मामले में पेटेंट नहीं करा रखा है।

अध्यक्ष महोदय, हमें नंदीग्राम पर आपका संरक्षण चाहिए। आप भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। आपका हम पर स्नेह भी रहता है। आपकी बड़ी इज्जत है, मैंने यह सब देखा है। मैं भी आपके साथ गल्फ गया था। लोग आप पर भरोसा करते हैं। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए और नंदीग्राम के अक्लियतों, दलितों और पिछड़े लोगों को सहारा दीजिए। इतिहास इस बात को लिखेगा कि अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर चर्चा कराई। आप इस सरकार को डांट पिलाएं, क्योंकि हमारी बात तो ये सुनते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम तो सभी को कहते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आप वैस्ट बंगाल सरकार को भी डांटिए।

अध्यक्ष महोदय: डांटने के लिए ही तो मोशन एलाऊ किया है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: जब मैं पहली बार इस सदन का सदस्य चुनकर आया था, तो मैं आपको सुनता था और आपको टी.वी. पर देखता था। हमने यहां नीचे बैठकर आपसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आप सच्चाई की तरफ रहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप केन्द्र सरकार से कहें कि भले ही उसे नंदीग्राम से ऑक्सीजन मिल गई हो और वह न्यूक्लियर डील करे, लेकिन इस मुद्दे पर भी ध्यान दे। कांग्रेस पार्टी अगर सरकार चलाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को दबा रही है तो ठीक है, खूब दबाइए, लेकिन नंदीग्राम के लोगों को जरूर न्याय दीजिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके अंतिम वाक्य से मैं सहमत हूं।

श्री अबू हसीम खां चौधरी (मालदा): अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। 'नंदीग्राम' मुद्दा आज एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है और इसीलिए आपने हमें इस पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है।

महोदय, इन 30 वर्षों में पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम जैसी कई छोटी घटनाएं घटी हैं, किंतु पश्चिम बंगाल को छोड़कर किसी राज्य अथवा संसद ने हमें सुनने में दिलचस्पी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अबू हशीम खां चौधरी]

नहीं दिखायी है। अतः आप की कृपा है कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया है।

मैं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे राजनीतिक दलों, पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवी लोगों एवं अतः में पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवियों, जो वाम पार्टी की ओर अभिमुख थे किंतु वे सभी उनसे विमुख हो गए, को धन्यवाद देना चाहूंगा। लोगों के विचारों में बदलाव आने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, इन तीस वर्षों में वाम मोर्चे ने महसूस किया कि भूमि वितरण एवं गरीब लोगों को भूमि देना एक उत्कृष्ट कार्य रहा है और उन लोगों ने इसे बखूबी किया है। यह सच है; एक के बाद एक चुनाव परिणामों ने दिखा दिया कि गरीब लोगों की भूमि वितरित किए जाने का असर चुनाव परिणामों पर होता है। इसी विश्वास के साथ, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने लोगों से परामर्श किए बिना विशेष आर्थिक क्षेत्र का अपना काम शुरू कर दिया है। हमने कई बार देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु की सलाह की भी अनदेखी की गई है। जब बी.डी.ओ. ने नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण संबंधी घोषणा की तो संकट खड़ा हुआ। पर्याप्त सूचना नहीं दी गई और लोग डर गए कि उनकी आजीविका, उनकी जमीन, सब कुछ उनके हाथ से चला जाएगा। उन्होंने पंचायत कार्यालय का घेराव किया। वाम दलों के पुलिस वर्दी वाले एवं असामाजिक तत्वों ने उन निर्दोष लोगों पर हमला किया जो वहां जानकारी हासिल करने, यह जानने के लिए आये थे कि उनकी जमीन का क्या हुआ। उस संघर्ष में ग्यारह लोगों की जानें गईं। तत्पश्चात् 14 मार्च को नंदीग्राम में विरोधकर्ताओं को पुलिस की ओर से होने वाली प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान था। इसलिए, उन्होंने हिंसा को उकसाने से पुलिस को रोकने के लिए मार्च करने के लिए महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया था। किंतु, फिर भी, पुलिस एवं कथित आतंकी, असामाजिक तत्व एक तरफ थे और दूसरी ओर निर्दोष लोग थे। फिर संघर्ष हुआ। जो इस स्थिति के प्रत्यक्षदर्शी थे, ने हमें बताया कि जब विरोधकर्ता भाग रहे थे, आक्रमणकारियों ने उनका पीछा किया और उन पर गोलियां चलायीं। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाने के लिए पुलिस को किसने अनुमति दी? उन पर गोलियां बरसाने के स्थान पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गैर घातक उपाय करना उपयुक्त होता।

अध्यक्ष महोदय, 11 महीने के पहले भी हम देखते हैं कि जिन लोगों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के विरुद्ध विद्रोह किया, उन्हें मार दिया गया, उनका बलात्कार किया गया और अन्य सभी दुर्घटनाएं हुईं। प्रसिद्ध वाम इतिहासकार श्री सरकार ने नंदीग्राम दंगे को गुजरात के दंगों से तुलना की। वे कहते हैं कि गुजरात मामले में सरकार कुछ समय तक चुप थी।

सायं 6.00 बजे

यही घटना श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के तत्वावधान में पश्चिम बंगाल में घटी।

महोदय, पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री श्री अशोक मित्रा कहते हैं - उन्होंने 'आनंद बाजार पत्रिका' में 14 नवम्बर को लिखा - "यदि मैं नंदीग्राम में घटी घटनाओं पर चुप रहूं तो मुझे अपनी मृत्यु तक अपराध बोध रहेगा।..." ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चूंकि यह आपका पहला भाषण है इसलिए मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। यह नियम नहीं है। आपको किसी व्यक्ति के वक्तव्य का उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उसका निचोड़ दें।

श्री अबू हशीम खां चौधरी: उन्होंने कहा कि वे जिनके खिलाफ बोल रहे हैं, वे कभी न कभी उसके साथी रहे हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी अपनी राय व्यक्त की है कि यह बिल्कुल असंवैधानिक हुआ है। हमारे राज्यपाल महोदय श्रीगोपाल कृष्ण गांधी ने भी कहा कि यह एक युद्ध क्षेत्र बना रहा और स्थिति गैर कानून और अस्वीकार्य है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी कहा है कि नंदीग्राम की घटना घटनाएं गोधरा की घटना के बाद गुजरात में हुई घटनाओं के समान ही हैं।

महोदय, रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे लोगों की हत्या की गई, उन्हें काट डाला गया और उनके साथ बलात्कार किया गया। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने अपनी नैतिक दृढ़ता का प्रदर्शन कर दिया है। उन्होंने श्री ज्योति बसु की सलाह पर कभी ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने उनसे पुलिस भेजने के स्थान पर सभी पार्टियों की बैठक बुलाने को कहा था। इन सभी की वजह से समस्या खड़ी हुई है। नंदीग्राम का मुद्दा एक मुद्दा मात्र नहीं है। पश्चिम बंगाल में, सरकार को मनमाने तरीके से चलाना सदैव रहा है तथा वाम मोर्चे के शासन में पिछले 30 वर्षों से जनता कष्ट झेल रही है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके प्रथम भाषण के लिए आपको बधाई देता हूं। अब माननीय गृह मंत्री।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, भाषण के लिए मेरा नाम भी है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: आप भाषण के लिए कितना समय लेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य: मैं पांच मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आपके पांच मिनट 50 मिनट हो, जाएंगे।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, भाषण के लिए मेरा नाम भी है। कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दिया जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे सबके निशाने पर हैं। श्री बसुदेव आचार्य जी।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आज कोलकाता शहर में जो कुछ हुआ वह नंदीग्राम में होता रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप केवल पांच मिनट ही बोल सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय सरकार, जिसे 2006 के विधान सभा चुनाव में भारी जनमत मिला था, को अस्थिर करने के लिए राज्य में सांप्रदायिक कट्टरपंथी और उग्रवादी ताकतों का गुट बनाया गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस सदन की बैठक को 45 मिनट तक बढ़ाया जाता है। इस बढ़े हुए समय में गृह मंत्री के उत्तर में लगने वाला समय भी शामिल है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हम 12 दिसम्बर, 1994 की घटना को नहीं भूल सकते जिस दिन अत्याधुनिक हथियारों और बारूद के बड़े जखीरे को पश्चिम बंगाल लाया गया और मेरे जिले पुरूलिया में गिराया गया था।

महोदय, इस षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त श्री पीटर बलीच ने जेल में रहते अपना वक्तव्य दिया था कि वे इन हथियारों को पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के विरुद्ध इस्तेमाल करने तथा आगामी विधान सभा चुनाव, जो मार्च, 2006 में हुआ था, में इस्तेमाल करने के लिए लाए थे।

मुख्य अभियुक्त को श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा छोड़ दिया गया जब श्री आडवाणी उप प्रधानमंत्री-सह-गृहमंत्री के *...(व्यवधान)*। एक झूठी अफवाह फैलायी जा रही है...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: यह गलत है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जब वे गृह मंत्री थे, तो श्री पीटर को उन्होंने छोड़ दिया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, जब उसे रिहा किया गया था तब आडवाणी जी गृह मंत्री थे।

अध्यक्ष महोदय: क्या उन्होंने उसको रिहा किया।

श्री खारबेल स्वाईं: वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे याद नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे विनम्रता-पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप लोग सहयोग करें। वे भाषण दे रहे हैं; यदि वे जिम्मेदारी के साथ भाषण दे रहे हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। किंतु यदि यह गलत है, तो मैं इसकी जांच करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने यह मुद्दा उस समय उठाया था जब वे सत्ता में थे। इसी सदन में इस मुद्दे को उठाया गया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम उनका आदर करते हैं। यदि यह गलत है तो इसे वापस ले लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: कानून छोड़ता है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, कानून छोड़ता है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: होम मिनिस्टर को तो पावर ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप लोग जानते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: ये अपना बयान वापिस लें।

[अनुवाद]

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): महोदय, उन्हें क्षमा मांगना ही चाहिए...*(व्यवधान)* कि गृह मंत्री कैसे किसी व्यक्ति को रिहा कर सकता है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्षमा कीजिए, मैं इस प्रकार दोनों तरफ से प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि सहयोग दें। पहले ही छह बज चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सम्भवत: क्षमा कर दिया गया है। मुझे नहीं पता। शायद क्षमा कर दिया होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राष्ट्रपति के नाम पर ही क्षमा दान दिया जाता है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सभी को पता है कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में अधिसूचना जारी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह: किसी को पता नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में भी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी...*(व्यवधान)* इस प्रकार के प्रस्ताव की संभावना है। परन्तु यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि 'कैमिकल हब' हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए बहुत सारी भूमि अधिगृहित की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, दो मिनट में ही आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सिर्फ दो मिनट ही क्यों? मुझे कुछ और समय दीजिए। उन्होंने व्यवधान डाल कर मेरे तीन चार मिनट पहले ही ले लिए है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए अब कोई व्यवधान मत डालिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, क्या हम किसी राज्य में एक और राज्य की अनुमति दे सकते हैं? क्या हम राज्य में किसी मुक्त जोन की अनुमति दे सकते हैं। पिछले 11 महीनों में क्या हो रहा था? न तो प्रतिपक्ष के नेता न ही सदस्यों ने इस विषय पर बोला है न ही यह मुद्दा उठाया है कि हजारों लोगों के घर उजाड़े गये हैं तथा उन्हें अपने घरों से बेदखल कर दिया गया है। सड़कें खोदी गईं और समूचे क्षेत्र को अलग किया गया। पिछले 11 महीनों से वहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ। क्या कोई राज्य सरकार इस स्थिति की अनुमति दे सकती है? अब प्रतिपक्ष के नेता ने केन्द्र के हस्तक्षेप की मांग की है।

महोदय, जब हमने 2002 में गोधरा के बाद हुए नरसंहार के दौरान विपक्ष के रूप में यही मांग रही थी तो उन्होंने अनुच्छेद 355 को लागू करने से मना कर दिया था। उन्हें याद होगा कि जब हमने इस सभा से केन्द्र के हस्तक्षेप के लिए अनुच्छेद 355 को लागू करने की यही मांग की थी, जब हमने सी.बी.आई. को यह मामला सौंपने की मांग की थी तो उन्होंने इंकार कर दिया...*(व्यवधान)*

श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या आप सी.बी.आई. जांच के लिए तैयार हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप नहीं जानते। सी.बी.आई. की जांच कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: श्री ओवेसी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री ओवेसी यह आचरण सही नहीं है आपको पता नहीं है कि वहां सी.बी.आई. की जांच चल रही है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: सरकार द्वारा?

अध्यक्ष महोदय: जी हां सरकार द्वारा। आपको इस बात की जानकारी नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, पिछले 30 वर्षों से पश्चिम बंगाल में कभी भी कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए।

पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या 26 प्रतिशत है। वहां सांप्रदायिक सौहार्द है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए...

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, अब समय आ गया है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है आप दोनों बिना व्यवधान के बोले हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, 300 लोगों को छोड़कर सभी प्रभावित लोग जो पुनर्वास केन्द्रों में रह रहे थे अब वापस अपने घरों में चले गये हैं। हमें सबसे अपील करना चाहिए कि वे अपने घरों और गांवों को लौट जाएं। नंदीग्राम एक शांत जगह थी और पिछले 30 सालों से वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। अतः हमें सभी राजनैतिक दलों को शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए ताकि सभी लोग घर छोड़कर न जाएं और वहां विकास संबंधी कार्य आरंभ किए जा सके और पिछले 11 महीनों से जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं उन्हे फिर से शुरू किया जा सके और शांति और सौहार्द का वातावरण कायम हो सके।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। यह पूरा सवाल ही मानवता का है। जब मार्च महीने में यह पूरा हादसा हुआ तो हम खेजुरी होते हुए सोनाचूरा गांव के अंदर गये थे, जहां 14 लोगों की हत्या हुई थी। खेजुरी का वह पूरा रास्ता ऐसा था कि जहां पर वह रास्ता बनाया गया था, वहां पर पुलिस हाजिर थी। गांव के अंदर बहुत कम लोग मौजूद थे, काफी लोग वहां से चले गये थे। उस वक्त भी आडवाणी जी गयें थे और इस बार भी गये हैं। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि उन्होंने आज जो पूरा इश्यु मानवता और एस.ई.जेड. के नाम पर उठाया है, लेकिन जैसे आज यह कहा गया है कि इनकी खुद की कांस्टीटूएंसी में, गुजरात में इतने लोग मरे, लेकिन आज के दिन तक आडवाणी जी उनके पास नहीं गये।...*(व्यवधान)* मैं इनसे ही कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: यह पुरानी सरकार की बात है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? धैर्य रखिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं इनसे भी यही कहना चाहता हूं कि उस वक्त नन्दीग्राम में करीब 55 लोग घायल हुए थे, जो नन्दीग्राम हास्पिटल में थे और जो सीरियसली घायल लोग थे, वे तुमलुक हास्पिटल में थे। इस बात को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका था, जिसमें दो औरतों के साथ रेप भी हुआ था। मैंने रिपोर्ट भी लिखी, मेरे पास उनके नाम भी हैं, मैं यहां बताना नहीं चाहता हूं, परंतु स्टेट की ओर से वहां कोई मदद नहीं दी गई थी। हास्पिटल के अंदर जो सेवाएं मिलनी चाहिए थीं, वे नहीं दी गई थीं, कम्पैनसेशन भी नहीं दिया गया था। इतना ही नहीं उन्हें सांत्वना देने के लिए स्टेट की ओर से कोई नहीं गया था। यह सबसे बड़ी बात है, जो मैं आपसे बता रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: आप सच बोलिये, गलत मत बोलिये। वहां हैल्थ मिनिस्टर खुद हास्पिटल गये थे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मुझे दूसरी हैरानी इस बात की है, मुझे डाइकोटोमी है। मैं सच ही बोल रहा हूं। इसमें डाइकोटोमी यह है कि...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिये।

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): स्वास्थ्य मंत्री वहां गये थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. डोम कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मिस्त्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आज सुबह से हमने देखा कि मि. सलीम और मि. दासगुप्त अपनी रिस्पांसिबिलिटी शर्क कर रहे थे कि सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट ने फोर्सेज समय पर नहीं भेजी, जिसकी वजह से डिले हुआ है और उसी वजह से यह हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतने लोग इनके यहां से बोले, क्या अपने कैडर को आपमें से किसी ने भी क्रिटिसाइज किया? क्या कैडर स्टेट से ज्यादा बड़ा है? स्टेट के रूल्स के अंदर क्या स्टेट उसे अलाऊ करेगा? वह लिबरेटिड है, तो स्टेट को उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमाना है या उनके कैडर को जमाना है। इसी तरह से उनकी आर.एस.एस. ने गुजरात में उस वक्त जो कुछ किया, उसे उन्होंने भी क्रिटिसाइज नहीं किया। वे लोग भी इतने ही जिम्मेदार हैं। उन्हें बोलने का कोई मोरल राइट नहीं है और आज के दिन जब ये पूरी चीज सामने आई है तो फिर भी वे अपने कैडर को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहते हैं। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि क्या आपकी कैडर आपके राज्य से बड़ी है? आपने अभी तक जो कुछ भी तथ्य यहां रखे हैं, उससे साफ होता है कि क्या वैस्ट बंगाल की सरकार नन्दीग्राम में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रेस्टोर करने में फैल हुई है? आपकी इनवैस्टिगेशन एजेन्सीज क्या कर रही थीं?...*(व्यवधान)*

ये सब सवाल इनके सामने हैं। मेरी इनसे विनती है कि मेहरबानी करके दूसरे किसी को एक्यूज मत करिये। कांग्रेस को एक्यूज मत करिये। आपके जो फेल्योर्स हैं, उन्हें आप एडमिट करिये और वहां पीस रैस्टोर करने में जितनी जल्दी कदम करेंगे, उतना ठीक रहेगा।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): अध्यक्ष महोदय, आज यहां जो चर्चा हुई है, यह बहुत ही स्वागत योग्य है। जिन-जिन सांसदों ने यहां चर्चा करने के लिये पहल की है, उन सब का आभार मानना चाहिये और अभिनन्दन करना चाहिये। मैं आपका भी अपनी तरफ से इस के लिये शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, यहां एक बात सदन में जो नजर आई, वह यह रही कि सब तरफ से कहा गया कि जो कुछ वहां हुआ है, उसके लिये सब के मन में दुख की भावना है और सब ने अपनी तरफ से सहानुभूति प्रकट की है। चाहे बायें ओर से बोलने वाले हों, चाहे दायें ओर से बोलने वाले हों या सामने बैठे बोलने वाले हों...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: और चेयर के सामने वाले हों।

श्री शिवराज वि. पाटील: सब ने अपनी ओर से अपनी संवेदनायें और सहानुभूति व्यक्त की हैं। जब भी किसी मनुष्य का खून बहता है, किसी महिला पर अत्याचार होता है या किसी का घर जलता है या किसी को अपना घर छोड़ना पड़ता है या इस प्रकार का दुख झेलना पड़ता है, जो न्याय के बगल में खड़े होने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। सदन को भी इसका दुख हुआ है। आज की चर्चा से यह मैसेज जाना चाहिए, कि ऐसी घटनायें कहीं भी नहीं होनी चाहिये। भारत के किसी भी प्रान्त में नहीं होनी चाहिये, किसी शहर या देहात में नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष जी, सब से बड़ी बात जो हमारे सामने आयी, उसे देखना पड़ेगा कि वहां क्या हुआ? वहां पर वास्तव में क्या हुआ? शायद राज्य सरकार के मन में वहां कैमिकल हब बनाने की बात आयी। उन्होंने सोचा कि नन्दीग्राम के पास कैमिकल हब अच्छी तरह से हो सकता है। सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने मुझे बार-बार टेलीफोन पर बताया है कि उन्होंने जमीन लेने के लिये किसी प्रकार कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है और सरकार वह जमीन लेना भी नहीं चाहती है। उन्होंने यह बात बार-बार बाहर और हर जगह कही है। जब लैंड एक्विजीशन की बात आयी तो वहां के काश्तकार गुस्से में आये, उन्होंने एजीटेशन किया कि उन लोगों की जमीन बहुत जरखेज है, उसे नहीं लिया जाना चाहिये। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने खुलेआम कहा है कि सरकार वह जमीन नहीं लेने जा रही है। उन्होंने इसमें कोई एम्बीग्विटी नहीं रखी, उनके कहने में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था कि हम यह जमीन नहीं लेने जा रहे हैं। अगर काश्तकार नहीं बनाने देना चाहते हैं तो यह नहीं बनेगी। सरकार इसे हल्दिया या आईलैंड में बनायेंगी, ऐसा कहा गया। एजीटेशन समाप्त हो जाना चाहिये था, मगर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस पर हमें सदन में बैठकर सोचना जरूरी है। जब तक उसके बारे में सोचेंगे या तथ्य हमारे सामने नहीं पहुंचेंगे, कहीं ऐसा दूसरी जगह न हो जाये तो उस मामले का निपटारा करने में कोई मदद नहीं होगी। मगर यह बात सही है कि वहां पर एजीटेशन समाप्त नहीं हुआ है और शायद कम्युनिस्ट पार्टी के बाजू में खड़े होने वाले विपक्ष के लोग वहां से निकल गये। वे अपने घर से दूर हो गये और अपनी जमीन से दूर हो गये। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 10-11 महीनों तक वे दूर रहे। उनको वापस

भेजने का प्रयास किया गया। पुलिस की मदद से प्रयास किया गया मगर नहीं हो सका। पुलिस की मदद से जब प्रयास किया गया और खासकर वैस्ट बंगाल की पुलिस की मदद से प्रयास किया गया तो वहां की हालत ऐसी हो गई कि फिर कुछ और जानें चली गईं। पुलिस की जानें चली गईं, निरपराध लोगों की जानें चली गईं, और कुछ लोगों की जानें चली गईं। किसी की भी जान जाए, वह जान ही है। उसके लिए हमें दुख होना बहुत जरूरी है। उसके बाद की परिस्थिति वहां ऐसी हो गई कि वहां पर कोई प्रयत्न करने के बाद भी एक बार और फायरिंग हो गई और उसमें भी जानें चली गईं। ऐसे दो-तीन बार वहां फायरिंग होकर जानें चली गईं। उसके बाद ऐसा कदम उठाया गया कि जो लोग वहां से बाहर चले गए थे, उनको वापस लाया गया और यह बहुत अच्छी चीज है। ऐसा ही होना चाहिए। किसी को अपना घर छोड़कर बाहर जाने के लिए हमारे देश में कोई मजबूर नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। अपना खेत छोड़कर जाने के लिए किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए। खुद अपने घर में वह आ जाए तो किसी को उसके बारे में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, मगर वैसा हुआ। उसके बाद जो हुआ, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। माफ करना, मैं यहां पर किसी पक्ष का अभिविवेश लेकर नहीं बोल रहा हूं, माफ करना, मैं किसी को दोष लगाने के लिए या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, हमारा कोई दायित्व नहीं है, यह बताने के लिए नहीं कह रहा हूं। जो हमारी बात समझ में आए, जो तथ्य हमारे सामने आए, आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं और उन बातों को ध्यान में रखकर आप जैसा मार्गदर्शन करेंगे, वैसा सरकार काम करेगी, यह मैं कहना चाहता हूं। मगर इसके बाद की जो बात हुई, वह यह हुई कि कुछ लोग जो वहां से बाहर गए थे, वे तो आकर बस गए मगर कुछ लोग और बाहर चले गए। वे ऐसे लोग बाहर चले गए जिनको मन में डर लगा कि पहले हमने विरोध किया था इसलिए हम यहां नहीं रह सकेंगे। वहां से बाहर जाकर भी उनकी व्यवस्था आज भी वहां की सरकार ही कर रही है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उनके खाने-पीने और रहने का इंतजाम वहां की सरकार द्वारा ही हो रहा है। मगर इन सारी चीजों में और एक चीज ध्यान में लाना जरूरी है और हमारे देश में लाना जरूरी है कि हम देखते हैं कि ऐसा कोई अधिवेशन नहीं जाता हमारी संसद का जबकि हमने उसमें कानून और सुरक्षा की चर्चा नहीं की हो और कोई ऐसा वक्त नहीं, कोई ऐसा सत्र नहीं जाता है कि जिस समय प्रांत की सरकार को या केन्द्र की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। मगर वहां की हालत ऐसी हो गई कि वहां पुलिस नहीं जा सकती थी, वहां पर सरकारी नौकर भी नहीं जा सकते थे, वहां पर कुछ लोगों के कहने से ही काम चलेगा। ऐसी परिस्थिति लोकतंत्र में कैसे बनी रह सकती है? इसको तो रोकना पड़ेगा, किसी को तो रोकना पड़ेगा। केन्द्र सरकार द्वारा तो रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि जिस प्रकार की घटना है और जिस प्रकार का हमारा संविधान है, उसको देखते हुए यह तो संभव नहीं है। एक गांव हो या दो गांव हों, वह कोई बड़ी जगह नहीं है, लिब्रलाइज हो तो कोई डरने की बात नहीं है, मगर यह माहौल पैदा होना कि वहां कोई सरकारी नौकर ही नहीं आ सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर एक जगह पर ऐसा हो गया तो दूसरी जगह पर भी होगा, एक प्रांत में होगा तो दूसरे प्रांत में भी होगा। अनेक प्रांतों में अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद सरकार की कोई साख नहीं रहेगी और वहां पर सरकार नहीं चलेगी। इस प्रकार की परिस्थिति वहां पर पैदा हुई थी और उस परिस्थिति का निपटारा करने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। मैं तो यहां पर एक जज के नाते बैठकर इसको दोष दे रहा हूं या इसको संरक्षण दे रहा हूं, यह काम मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, जब तक हम पूरी तरह से नहीं देख सकते। मगर कुछ गलतियां हुई हैं उसमें। पहली दफा गलतियां हुई हैं, दूसरी दफा गलतियां हुई हैं, तीसरी दफा गलतियां हुई हैं या चौथी दफा गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को समझकर फिर नहीं होना है, इसके लिए कदम उठाना जरूरी है। इसके लिए आज क्या करना जरूरी है? यह परिस्थिति देखने के बाद सबसे अहम बात है कि आज क्या करना जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूं और मेरे ख्याल से पूरा सदन यह मानता है कि वहां पर किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग होंगे, किसी भी भाषा के लोग हों, कोई भी विचार रखने वाले लोग हों, अगर उनको घर छोड़कर मजबूरी में बाहर जाना पड़े तो यह हम सब लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे वापस आएं। खास कर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वह इस जिम्मेदारी को निभा रही है। मैं उसमें दोष लगाने के मूड में नहीं हूं, मैं दोष लगाना नहीं चाहता।...*(व्यवधान)* हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, उनकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* सारे लोगों को, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, वे कम्युनिस्ट पार्टी को लोग हों, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या बी.जे.पी. के लोग हों, किसी के लिए भी अपना घर

[श्री शिवराज वि. पाटील]

छोड़ कर बाहर जाने जैसी परिस्थिति वहां नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपने घर तक लाकर, उन्हें वहां बसा कर और उन्हें पूरी तरह से संरक्षण देने की जिम्मेदारी वहां की सरकार को प्रमुख रूप से करनी जरूरी है, ऐसा मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि वे यह नहीं कर रहे हैं, वे करते होंगे और अगर वे नहीं करते होंगे तो उन्हें ऐसा करना चाहिए, हमें यह बोलना चाहिए। अपना-अपना बोलने का तरीका है, आप गालियां देकर बोलते हैं और हम सभ्य भाषा से बोलते हैं। यह अपना-अपना बोलने का तरीका है, जिसे जो तरीका अपनाना है, वह अपनाए।

दूसरी बात यह है कि उनकी प्रोपर्टी की पूरी रक्षा होनी चाहिए। उनका अगर घर, खेत एवं नौकरी है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि उन्हें पूरा कम्पनसेशन मिलना चाहिए। सरकार ने कम्पनसेशन देने की घोषणा की और एक-एक लाख रुपए का कम्पनसेशन दिया। हम अपनी और अपनी सरकार की तरफ से भी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडीचर के तहत किसी की मृत्यु हो गई है तो उसे हम कम्पनसेशन एक लाख रुपए देने तक की इजाजत देते ही हैं। मगर शायद कोर्ट ने कहा है कि पांच-पांच लाख रुपए कम्पनसेशन देना चाहिए और वह देना चाहिए। अगर किसी बहन की कोई मजबूरी हो गई है तो उसे वे जिस प्रकार से कम्पनसेट कर सकते हैं, पूरी तरह से कम्पनसेट करना मुश्किल हो जाता है, परन्तु जिस प्रकार से भी कम्पनसेट कर सकते हैं, उस प्रकार से करना चाहिए। एक बहुत अहम् चीज यह है कि इस चीज को पार्टी लाईन पर नहीं ले जाते हुए, एक प्रकार से, धार्मिक या जाति के नाम पर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। अगर यह चीजें, हम सब मिल कर, यहां कर सकें, तो मैं समझता हूं कि हमने अपना दायित्व पूरा किया, ऐसा कहा जा सकता है। एक बात इस संबंध में यह पूछी गई कि यहां पर क्या माओइस्ट लोग भी आ रहे थे और काम कर रहे थे। यहां पर कुछ भाईयों ने कहा कि माओइस्ट लोगों का इसके अंदर कुछ हाथ था। हमसे पूछा जाता है कि आपका इसमें क्या कहना है। हमें बहुत सारे मालुमात होते हैं, लेकिन यहां पर बैठे हुए हमारे जो वरिष्ठ साथी और दूसरे साथी हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम पूरे मालुमात होने पर भी सारा कुछ सामने नहीं रखते हैं और वह इसलिए नहीं रख सकते हैं कि उसका जो फायदा होना चाहिए, वह फायदा होने की बजाए नुकसान न हो। मगर मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो इन्फोरमेशंस हैं, उनके मुताबिक कुछ लोगों ने वहां जाकर दंगे-फसाद करने के लिए लोगों को उकसाने का प्रयत्न जरूर किया है, कोशिश की है। वे सामने नहीं आए हैं। मगर उन्होंने कोशिश जरूर की है। उन्होंने वहां कुछ हथियार भी लाने की कोशिश की है। ये मालूमात हमारे पास हैं। अगर इस प्रकार का कोई प्रयास हमारे समुद्र के किनारे के हमारे देश के एक हिस्से में हो रहा है तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि पार्टी अभिविवेश छोड़ कर, किसी पार्टी एवं प्रांत का ध्यान न करते हुए देश की सुरक्षा के लिए जो करना चाहिए, वह जरूर करना चाहिए।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां जो हथियार मिले हैं और वहां की जो मालुमात हैं, उसे ध्यान में रखते हुए हमें एहतियात रखना जरूरी है। मुख्य मंत्री जी और गवर्नर साहब से भी मेरी बात होती है और जब भी बात होती है तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनका समाधान होता है और जब वे मुझ से बात करते हैं तो हमारी समस्याओं का भी समाधान होता है। जब हमें समाधान नहीं होता, तो हम कहते हैं कि उस काम को ऐसे नहीं, ऐसे कर लिया जाए, तो अच्छा रहेगा और वे भी हमें ऐसा ही बोलते हैं और इस प्रकार हम एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को बताकर काम कर लेते हैं। इसीलिए जब हम सरकार से बात करते हैं, तो कोई मुस्किल नहीं आती है, लेकिन जिन लोगों को पूरी तरह से मालूमात नहीं है, उनकी तरफ से बात आती है, तो हमें बहुत मुश्किल आ जाती है, क्योंकि उसमें सारी चीजों में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बात आ जाती है, जो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यह बात बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह बात हो।

महोदय, सी.आर.पी.एफ. की बात आई है। मैं उसे बहुत लम्बा नहीं करना चाहता और उसे रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है। वैस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सदन की मालूमात के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं। हमारे पास जो 8 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें से 6 लाख फोर्सेस इंटर नैशनल बॉर्डर पर तैनात हैं। जो 2 लाख फोर्सेस बची हैं, उनमें से करीब पौने दो लाख फोर्सेस अलग-अलग जगह पर तैनात हैं और बाकी जो हैं, वे ऐन वक्त पर काम आने के लिए हैं। रिजर्व फोर्स का मतलब आजकल अलग हो गया है कि जिन को फोर्स देते हैं, उन्हें वे अपने पास रख लेते हैं। वे वापस नहीं भेजते हैं और वह रिजर्व फोर्स नहीं रहता है। वह पूरा का पूरा परमानेन्ट फोर्स हो जाता है। हमारे साथी हमें लैटर लिख

देते हैं कि हमें इतनी फोर्सेस दे दो। हम उन्हें कहते हैं कि आप ऐसा मत करें। हम आपकी मुश्किल जानते हैं। मगर यह जरूरी नहीं है कि उस मुश्किल को हम कहीं एक्सपोज करे। हम एक्सपोज तो कभी भी नहीं करते, करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी मुश्किल हम से ज्यादा कौन जानता है। हम सब इस सुख-दुख से गुजर रहे हैं। इसलिए हम जानते हैं। इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, मगर यह होता है। सी.आर.पी.एफ. का मामला यह है कि कहीं भी घटना हो गई, तो दूसरे दिन हमारे पास लैटर आ जाता है। हम जितनी मदद कर सकते हैं, उतनी हम करते हैं। इस मामले में भी हमने की है। वैस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से भी मैंने बात की है और मैंने कहा है कि यदि बहुत जरूरी है, तो मैं इंतजाम करूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं से फोर्सेस विथड्रा की हैं, ट्रेनिंग में जो लोग हैं, उन्हें विथड्रा किया गया है और वहां फोर्सेस भेजी गई हैं। वैसे भी उनके पास दो बटालियन थीं। उनकी कोई शिकायत नहीं है और शिकायत भी होगी, तो हो सकता है कि पूरे एरिया में डिप्लाय करने के बाद, कहीं ज्यादा फोर्सेस की जरूरत पड़े। किसी ने मांगा और हमने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं है। यह नहीं है, जल्दी मिल जाए, तो ठीक है। मैं इतनी बात समझ सकता हूं। इसके लिए मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। यह बात सिर्फ इतनी ही है।

महोदय, जो दूसरी बात है, वह एस.ई.जैड. की बात है। एस.ई.जैड. की बात यहां कही गई है और मेरे ख्याल से इस बारे में हमारे साथ मंत्री, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने कहा है। इस चर्चा का महत्वपूर्ण अंग यह है कि किन मुद्दों पर हमारा मतैक्य हो रहा है। यह हमें समझ में आता है। बी.जे.पी. के साथियों और कांग्रेस के साथियों की तरफ से एक ही आवाज उठी है और वह आवाज यह है कि अगर आपको जमीन लेनी है, तो ऐसी जमीन लीजिए जो उपजाऊ नहीं है। जो जमीन खेती के लिए ज्यादा मौजूं नहीं है, वैसी जमीन लीजिए और ऐसी जमीन लेने के बाद, आप उन्हें काफी कंपैन्सेशन दीजिए। कंपैन्सेशन देने के बाद भी यदि उस जमीन से आगे चलकर उन्हें कोई प्रॉफिट मिलता है, तो उस प्रॉफिट में भी उन्हें शेयर दीजिए। चौथी बात यह है कि अगर दे सकते हैं, तो उसमें उन्हें एम्पलायमेंट दे दीजिए। यह करना बहुत जरूरी है। आज हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब यहां हैं। हम सब लोग यहां बैठे हुए हैं। वे जानते हैं कि हमें एग्रीकल्चर पर बोझा कम करना है और इंडस्ट्री में या सर्विसेस में उसे बढ़ाना है, तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा और वह रास्ता ऐसा ही हो सकता है कि जो जमीन उपजाऊ नहीं है, वहां इंडस्ट्री को खड़ा करें और एग्रीकल्चर का बोझा वहां शिफ्ट किया जाए। जिसकी जमीन हम इंडस्ट्री के लिए ले रहे हैं, उसे मुआवजा काफी ज्यादा देना चाहिए। इस बात का विचार हमारी नेता ने भी किया है, हमारी सरकार ने भी किया है और आप सब ने भी यही विचार प्रकट किए हैं। इसलिए इस बारे में लैंड एक्वीजीशन और रीहैबिलिटेशन की पॉलिसी बनाई जा रही है। लैंड एक्वीजीशन की पॉलिसी के अंदर, एक्वीजीशन के बाद जो सौलेशियम दिया जाता है, अगर मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए है, तो उसके ऊपर हम सौलेशियम 35 परसेंट देते हैं, यानी उसे 1 लाख 35 हजार रुपए दिए जाएंगे। हमने इस बारे में सोचा है कि हम इस सौलेशियम को और कैसे बढ़ाकर दे सकते हैं। अगर किसी एक काम के लिए जमीन ली है और उस जमीन को दूसरे काम के लिए लेते हैं या उससे मार्केट में पैसा कमाते हैं, तो उसमें से भी किसान को कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर विचार हो रहा है। यदि किसी की कंपनी है, तो उसके शेयर उसे मिलने चाहिए या नहीं, इस सब पर विचार हो रहा है।

यह पालिसी हमारी सरकार के सामने है और वह आपके सामने भी आएगी। आप उसके अंदर जो विचार देंगे, उनको हम देखकर आगे चलेंगे। सबसे अहम बात यहां जो हो रही है, वह यह है कि इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए। आज कलकत्ता में जो कुछ हुआ, उसके बारे में मुझ से पूछा गया, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है कलकत्ता में बदकिस्मती से एजिटेशन शुरू हो गया और रास्ते के ऊपर बाल्डर्स रखे गए, गाड़ियों को रोका गया और पथराव हुआ, जिसमें 50 लोग घायल हो गए। डिप्टी पुलिस कमिश्नर भी घायल हो गए। पुलिस ने कंट्रोल किया है। रेपिड एक्शन फोर्स भी लगाई गई और उसने भी कंट्रोल किया। उन्होंने और राज्य सरकार ने बताया कि सिचुएशन थोड़ी टेंस है, लेकिन पूरी कंट्रोल में है। आर्मी की तरफ से फ्लैग मार्च भी करवाया गया।

सबसे बड़ी बात फियर साइक्लोजी की है। अगर डर की भावना मन में पैदा हो और जो नीति नियम से जीता है, उसके मन में ज्यादा डर पैदा हो तो अच्छी बात नहीं है। वह डर कम करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाना जरूरी है। प्रांत की सरकार अगर कदम उठाती है, तो हम जरूर उसके बाजू में खड़े होंगे। लोगों की मदद से भी डर की भावना कम करना जरूरी है। डर बढ़ाने की बजाए डर

[श्री शिवराज वि. पाटील]

कम करने का काम हम सभी को मिल कर करना चाहिए। आडवाणी साहब ने दो-तीन सुझाव आर्टिकल 355 के संबंध में दिए थे। मैंने व्यक्तिगत तौर पर होम सैक्रेटरी, चीफ सैक्रेटरी से अनेक बार बात की है, हमने गवर्नर साहब से भी बात की है और डायरेक्टिव्स दिए हैं कि कोई भी अपना घर छोड़ कर बाहर नहीं रहेगा। जिसको भी लाया गया है, उसे पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कोई भी मोटर साइकिल या किसी भी वाहन पर वहां घूमना नहीं चाहिए और किसी को डराना नहीं चाहिए। इसके अलावा हमने कहा है कि इनका पूरा कम्पंसेशन इन्हें दे दिया जाना चाहिए और इसके साथ हमने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से आपको फोर्सिस की जरूरत है, पीसफुल एरिया से आप फोर्सिस विदड्रा करके, जहां जरूरी है, वहां डिप्लाय कीजिए। इसके बाद भी अगर हमारी मदद की जरूरत है, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। मेरे ख्याल से हमारे बीच में चर्चा हो गई है और इस चर्चा में ही समाधान है। एक ताल्लुका या दो ताल्लुका कुछ दिन के लिए अगर डिस्टर्ब रहा तो यह चर्चा का विषय जरूर है। जैसा कि सुझाव आडवाणी जी ने दिया कि डायरेक्टिव्स होने चाहिए आर्टिकल 355 के बाद भी, हमने ऐसा करने का प्रयास किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): मुझे दो-तीन छोटे सवाल पूछने हैं जो मैंने अपने भाषण में कहे थे। एक सवाल है वहां ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि पहले यही अप्रोच गुजरात में अपनाया, यही अप्रोच अयोध्या में अपनाया और मुझे लगता है कि नंदीग्राम में भी अगर सब दलों का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो उसका लाभ होगा।

दूसरा सवाल है कि सार्वजनिक रूप से वहां के राज्यपाल ने एक बयान दिया है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से उनसे रिपोर्ट मांगी जाए कि आज नंदीग्राम की स्थिति क्या है? यहां पर कुल मिलाकर जो अलग-अलग बातें कही गई, उस संदर्भ में उनके पास जो इनपुट्स हैं, उन्होंने वहां जाकर जो देखा है और ऐसा वक्तव्य दे दिया है जो साधारणतया कोई राज्यपाल नहीं देता, जब तक उनको ऐसी जानकारी न हो। इसलिए नंदीग्राम की पूरी रिपोर्ट आप उनसे मंगाइए।

तीसरी बात है कि आज जो कोलकाता शहर में घटनाएं हुई हैं, उसका क्या कारण है? उसमें अगर आपने कहा है कि आर्मी को फ्लैग मार्च करवाया गया है तो क्या आपसे पूछा गया, क्या आपसे कहा गया कि वहां स्थिति इतनी खराब है? क्या आपसे कहा गया कि हमको आर्मी की जरूरत है, स्थिति इतनी खराब है? मेरे ये तीन सवाल हैं।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने नंदीग्राम में नक्सलवादियों की उपस्थिति को स्वीकार किया है और शायद यह इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह: नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा है...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: उन्हें बोलने दीजिए। गृह मंत्री को किसी की सहायता नहीं चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको क्यों चिन्ता हो रही है? वे उत्तर दे सकते है।

...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह: क्षमा करें, महोदय।

श्री गुरूदास दासगुप्त: श्री आडवाणी, यह बहुत विचित्र बात है।

मुद्दा यह है कि जैसा कि मेरी समझ में उनकी बात आई है वहां नक्सलवादियों का ग्रुप था जो सामने नहीं आया बल्कि उसने पीछे रह कर वहां का माहौल बिगाड़ा होगा। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उस जगह से आधुनिक हथियार बरामद किए गये हैं। हथियार कहां से आए? क्या वे यह उन्हीं लोगों के है जिन्हें ये नक्सलवादी कह रहे हैं या यह किसानों से खरीदे गए हैं? शांतिप्रिय किसानों के पास यह सब हथियार कहां से आए? सबसे बड़ा प्रश्न यही है।

दूसरे गृह सचिव ने अनेक बार मुख्य सचिव से बात की है और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अपने घर छोड़े हैं उन्हें वापस लाया जाना चाहिए और उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए जैसा कि श्री आडवाणीजी ने कहा है क्या यह निदेश है अथवा केवल एक सलाह थी?

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: दो बातें हमें कहनी हैं। एक तो जानकारी लेनी है कि माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान

हुआ, वह इतना विद्वतापूर्वक हुआ कि हम समझ नहीं पाये। जैसे इन्होंने बताया कि एक बार भूल हुई, दो बार भूल हुई, तीन बार भूल हुई, चार बार भूल हुई तो किसकी भूल हुई, कैसे हुई, यह हम समझ नहीं पाये? लेकिन हम आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि अगर किसी की भूल हुई तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और राज्य सरकार अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है या नहीं? गृह मंत्री होने के नाते आपका दायित्व नंदीग्राम के मामले में क्या बन रहा है? दूसरे यह कि घटना के बाद जिस तरह का बयान वहां के मुख्यमंत्री का आया है, इससे स्पष्ट लगता है कि वहां जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें निष्पक्ष जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती है। उच्च न्यायालय ने भी उस पर टिप्पणी की है। ऐसी परिस्थिति में आप सी.बी.आई. से जांच कराना चाहते हैं या नहीं, स्पष्ट बताइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता ने पूछ लिया है हम यही बातें बार-बार नहीं दोहरा सकते।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न क्या है?

श्री अजय चक्रवर्ती: पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है?

अध्यक्ष महोदय: यह राज्य का मामला है वे इतने विस्तार से कैसे बता सकते हैं? यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

ये सब मुद्दे उठाने से काम नहीं चलता।

[अनुवाद]

आप जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: बहुत सारे प्रश्न पूछे गये हैं। अगर मैं कुछ भूल भी गया होऊं तो उनसे बाद में पूछूंगा।

आडवाणी जी के जो प्रश्न थे, उनमें पहले प्रश्न यह था कि "*[अनुवाद]* क्या सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना संभव है?" उन्होंने यह सुझाव दिया है सभा में यह बात आम है कि हम अन्य दलों से परामर्श लेते हैं। हम निर्णय ले सकते हैं परन्तु इस समय मैं 'हां' या 'ना' कहने की स्थिति में नहीं हूं। आपसी सलाह के बाद ही मैं कुछ कहने की स्थिति में होऊंगा।

मुझे यह अच्छा लगता यदि राज्यपाल से संबंधित मुद्दे को सभा में नहीं उठाया जाता।

अध्यक्ष महोदय: मैंने भी यही बात कही थी परन्तु आडवाणीजी ने मेरी बात नहीं मानी।

श्री शिवराज वि. पाटील: हम मानते है कि राज्यपाल को मीडिया अथवा अन्य स्रोतों से जानकारी मिलती होगी। वे इसे किसी भी रूप में ले सकते हैं। परन्तु यह हमारे लिए उचित नहीं है कि हम राज्यपाल के बारे में सभा में चर्चा करें।

अध्यक्ष महोदय: नियमों के अंतर्गत भी इसे नहीं किया जा सकता।

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे माफ करें मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।

जहां तक उस क्षेत्र में सेना द्वारा फ्लैग मार्च का संबंध है राज्य सरकार के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह सेना की सहायता लेने के लिए केन्द्र सरकार से परामर्श करें। यदि राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सेना की तैनाती आवश्यक है तो यहां तक कि कलेक्टर, विभागीय आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट भी सहायता की मांग कर सकते हैं और उन्होंने यही किया है।

मेरे विचार से न तो गृह मंत्री या रक्षा मंत्री से इस मामले में संपर्क किया गया।

जहां तक सी.बी.आई. द्वारा जांच से संबंधित मामला है हमें यह समझना होगा कि हम इस देश के कानून के अधीन है। यहां विधि का शासन चलता है। यदि मैं किसी भी राज्य में कोई जांच दल भेजना चाहता हूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि संविधान में इसकी अनुमति नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि सी.बी.आई. किसी विशेष मामले की जांच-पड़ताल करें तो या तो राज्य सरकार को प्रस्ताव करना होता है कि सी.बी.आई. मामले की जांच करें, या फिर न्यायालय को कहना होता है कि मामले की जांच सी.बी.आई. द्वारा करवायी जाए। मेरे विचार से, इस मामले

[श्री शिवराज वि. पाटील]

की जांच का दायित्व सी.बी.आई. को सौंपने गया है और सी.बी.आई. इसकी जांच कर रही है। यह प्रभुनाथ सिंह के प्रश्न के बारे में है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं भूल गया हूं कि श्री दासगुप्त ने क्या प्रश्न पूछा था।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैंने दो प्रश्न पूछे थे। एक प्रश्न इस प्रकार था कि जहां तक मुझे याद है और जिस पर आप सहमत हुए हैं कि देश से बाहर के लोगों का एक ऐसा समूह मौजूद है जिन्हें आप कट्टरपंथी अथवा उग्रपंथी कहते हैं और जो खुलकर सामने आने की बजाय पीछे छिपकर उपद्रव फैला रहे हैं। मैं यह जानना चाहता था कि क्या आप इसे स्वीकार करते कि वहां नक्सलवादी लोग हैं जिन्होंने समस्या को जन्म दिया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह था, कि पुलिस अथवा अर्ध सैनिक बलों को बड़ी मात्रा में हथियार का पता लगाने में सफलता मिली है। इन हथियारों का मूल स्रोत क्या है? ये हथियार कहां से आए थे?

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि आप उस भाषण को पढ़ें जिसे फिल्म के माध्यम से तथा लिखित में रिकार्ड किया गया है तो आप पायेंगे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो आप अब कह रहे हैं। मैंने तो यही कहा है कि कुछ जानकारी मिली है। मेरे भाषण से इससे अधिक और कुछ अर्थ निकालने का प्रयास न करें। मैं निश्चित तौर पर इस विषय पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा यदि आप चर्चा करने के लिए कहेंगे तो मैं जानकारी एकत्र करूंगा और तब आपके प्रश्नों का यथोचित उत्तर दूंगा।

दूसरी बात यह है कि यह सब विवरण मेरे पास नहीं हैं। यह विवरण राज्य सरकार के पास है। सच पूछिए तो यह राज्य सरकार के दायरे में आता है। मेरी परेशानी यह है कि मैं यह नहीं कह सकता कि आप मुझसे ये प्रश्न नहीं कर सकते। मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही विनम्रता के साथ दिया है। परन्तु केन्द्र सरकार से पूछने की बजाय ये सभी प्रश्न राज्य सरकार से पूछे जाने चाहिए थे।

अध्यक्ष महोदय: और, इसीलिए ऐसे प्रश्नों के बारे में यहां पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

सायं 6.45 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज की कार्यवाही के लिए नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ समझा जाए।

(एक) देश में धान के लिए विशेष प्रोत्साहन मूल्य शीघ्र घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिण्डीगुल): विशेष रूप से तमिलनाडु के डेल्टा जिलों में धान उत्पादक किसान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण परेशान हैं।

धान की सामान्य किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 645 रु. प्रति क्विन्टल और ग्रेड ए की किस्म के लिए 620 रुपये प्रति क्विन्टल है जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह क्रमश: 620 रुपए तथा 650 रुपए प्रति क्विन्टल था। दूसरी ओर, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 850 रुपए प्रति क्विन्टल निर्धारित किया गया है और साथ में 100 रुपए प्रति क्विन्टल का प्रोत्साहन बोनस है। पिछले मौसम 2006-07 की तुलना में यह वृद्धि 150 रुपए प्रति क्विन्टल अधिक की है जिसे पिछले मौसम में 700 रुपए प्रति क्विन्टल निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, जैसा गेहूं उत्पादक किसानों के लिए प्रोत्साहन बोनस की रियायत दी गई है वैसा धान उत्पादक किसानों के लिए नहीं किया गया है।

गत कुछ वर्षों में धान पैदावार लागत में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की उपलब्धता में काफी कमी आई है जिससे मजदूरी लागत में वृद्धि हुई है। इन सबके परिणामस्वरूप धान से पैदावार लागत 1000 से 10000 रुपए प्रति एकड़ हो गया है। इस प्रकार धान की उत्पादन लागत 950 से 1000 रुपए प्रति क्विन्टल बैठती है। इसलिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विन्टल निर्धारित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि इसे धान उत्पादक किसानों के लिए लाभकारी बनाया जा सके। उपर्युक्त के मद्देनजर, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह धान की खेती को अलाभकारी न बनाए जिससे देश की खाद्यान्न सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। इसके अतिरिक्त, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विन्टल नियत किया जाए और देश में धान उत्पादक किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए

*सभा पटल पर रखे माने गये।

विलम्ब किए बिना धान के लिए विशेष प्रोत्साहन मूल्य की घोषणा की जाए।

(दो) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजकोट और भावनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 33 को चौड़ा किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बी.के. दुम्मर (अमरेली): मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के अंतर्गत राज्यमार्ग 33 चावंड, लाठी, अमरेली के बीच राजमार्ग को चौड़ा करने एवं राजमार्ग 33 के तहत राजकोट भावनगर रोड पर सड़क को चौड़ा करने का कार्य प्रगतिपथ योजना के तहत प्रस्तावित है एवं 1973 से पूर्व इस क्षेत्र की भारी भूमि वन क्षेत्र से बाहर थी और 1973 में इन सड़कों को बन अंतर्गत करते समय यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि रोड साईड वाला इलाका गुजरात सरकार का रहेगा एवं जिस जगह पर सड़क बन रही है वह पहले से सड़क थी। यातायात बढ़ने से इन सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इन प्रस्तावों पर मुख्य संरक्षण अधिकारी केन्द्रीय भोपाल ने आपत्ति जताई है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वन संरक्षक अधिकारी भोपाल को निर्देशित किया जाये कि सौराष्ट्र क्षेत्र में जो प्रदूषण संबंधी कार्य हो रहा है उनके खिलाफ कार्यवाही करे और पूर्व में जो नोटिफिकेशन हुए हैं उनके तहत काम करे एवं विकास कार्य और सुविधा वाले कार्य में अनावश्यक आपत्ति न लगाये।

(तीन) महाराष्ट्र में चीनी मिलों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिभाऊ जावले (जलगांव): महाराष्ट्र राज्य में चीनी उद्योगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में गिरावट का रूझान, दिखायी दे रहा है। चीनी उद्योग प्रबंधन कामगारों एवं कर्मचारियों को नियमित वेतन देने में सक्षम नहीं हैं। इसी प्रकार, गन्ने की भुगतान की किस्तें भी समय पर नहीं चुकायी जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप अगली फसल प्रभावित हो रही है।

अतः, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वह इस उद्योग को चीनी पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से कम से कम तीन वर्ष की छूट देकर इसे रुग्णता से बचाएं। वे बची राशि के 65% हिस्से को गन्ने की किस्तों के भुगतान के लिए किसानों को तथा शेष 35% हिस्से को कामगारों एवं कर्मचारियों के पुराने बकायों को देने के लिए जारी कर सकते है ताकि कामगार एवं कर्मचारीगण कार्य हेतु प्रोत्साहित हों। साथ ही, माननीय मंत्री जी पेट्रोल एवं डीजल में समिश्रित किये जाने हेतु 10% एथनॉल उपयोग में लाए जाने की अनुमति देने एवं गन्ना मूल्य पर 200/- रुपए पी.एम.टी. सब्सिडी देने की संभाव्यता की जांच कर सकते हैं।

(चार) महाराष्ट्र के सोलापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-13 को चार लेन वाला बनाने और राजमार्ग पर दुर्घटना अभिघात केन्द्र (एक्सिडेंट ट्रॉमा सेन्टर) स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख (शोलापुर): मेरे संसदीय क्षेत्र सोलपुर के अंतर्गत नेशनल हाईवे-9 (पूना-सोलापुर-हैदराबाद) एवं नेशनल हाईवे 13 (पूना-सोलापूर-बिजानपुर) पर भारी यातायात दबाव के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आये दिन गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं।

इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते हुए भारी यातायात को देखते हुए चार लेन का किए जाने की आवश्यकता है और साथ ही दोनों राजमार्गों पर होने वाली गंभीर सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक प्रत्येक निश्चित दूरी के पश्चात समुचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने की भी आवश्यकता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेशनल हाईवे 9 (पूना-सोलापुर-हैदराबाद) एवं नेशनल हाईवे 13 (पूना-सोलापुर-बिजापुर) को चार लेन का बनाते हुए महामार्गों पर एक निश्चित दूरी के पश्चात चिकित्सा की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

(पांच) धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): देश में किसानों की

[श्री पुन्नूलाल मोहले]

माली हालत दिनों-दिन खराब होती जा रही, वर्गों से किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। उनको उत्पादित की गई रबी व खरीफ की फसल-गेहूं, धान, चना, दाल को लागत कीमत से भी कम कीमत पर बाजार में बेचना पड़ रहा है। क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य कम है। किसान की फसल का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार निर्धारित करती है। जबकि उद्योग-कारखानों में उत्पादित सामान की कीमत उद्योगपति स्वयं निर्धारित करते हैं। किसान एवं उद्योगपति में अंतर नहीं है। केन्द्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1000 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

धान की फसल छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा की जाती है। जो विदेश तक में निर्यात की जाती है।

छत्तीसगढ़ में धान का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण इसे धान का कठोरा कहा जाता है।

धान की फसल का समर्थन मूल्य कम होने से किसान उदास एवं हताश है। केन्द्र सरकार फसल का लागत के अनुसार समर्थन मूल्य निर्धारित करने की दिशा में गंभीरता से विचार करे। मोटे धान का समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल तथा पतले धान का समर्थन मूल्य 1500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए एवं किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाए।

(छह) गुजरात के किसानों को 7 प्रतिशत की दर से कृषि ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत): भारत सरकार ने एक ब्याज सहायता योजना की घोषणा की है जिसका लक्ष्य 7% की दर पर कृषि ऋण प्रदान करना है। 7% की दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का विचार सबसे स्वागतयोग्य है। किंतु गुजरात में इस योजना के कार्यान्वयन में कुछ व्यावहारिक कठिनाईयां आड़े आई हैं। तथापि, वर्तमान में, 18 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) में से केवल 5 से 6 बैंक ही 7% की दर पर किसानों को कृषि ऋण दे रहे हैं। यदि डी.सी.सी.बी. अपनी निधियों से रियायती दर पर उधार दें तो वे रियायती पुनर्वित्त के लिए समर्थ होंगे। गुजरात में, नाबार्ड से प्राप्त होने वाली पुनर्वित सहायता को कुल ऋण संवितरण के केवल 16.8% तक सीमित कर दिया गया है। शेष वित्त राज्य सहकारी बैंकों एवं डी.सी.सी.बी. की अपनी निधियों से प्राप्त होता है। उनकी अपनी निधियों की लागत 10 से 12% तक अधिक है जिसमें जमा राशि लागत संग्रहण प्रबंधन लागत एवं जोखिम लागत शामिल हैं। इस प्रकार, सहकारी संस्थाएं किसानों को 7% की दर पर उधार देने की स्थिति में नहीं होगी। यदि वे ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें 175 करोड़ रुपए की हानि होगी। इसे इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि दूसरे व तीसरे वर्ष में नाबार्ड द्वारा प्रदान किया जाने वाले रियायती पुनर्वित्त की दर में क्रमशः 3.5% तक की वृद्धि हो जाएगी जिससे बाद के वर्षों में और भी बड़ी हानि होगी। भारत सरकार अभी इस योजना के तहत 2% ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। डी.सी.सी.बी. को नाबार्ड से प्राप्त पुनर्वित्त औसतन 15 से 20% है। यदि डी.सी.सी.बी. को अपनी निधियों से 7% की दर पर वित्त उपलब्ध कराया जाता है तो राज्य के सभी डी.सी.सी.बी. को हानि हो सकती है। भारत सरकार से अनुरोध है कि वे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को उचित ब्याज सहायता तथा कुल उधार का 85% पुनर्वित्त दें।

(सात) क्योंझारगढ़ से होकर भुवनेश्वर और टाटानगर के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने और हावड़ा-बारबिल जन शताब्दी एक्सप्रेस को क्योंझारगढ़ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): क्योंझर पूर्वी भारत के उन चंद जिलों में से एक है जहां पर स्वतंत्रता के 60 साल बाद भी रेल सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। दूसरी ओर यह देश का सर्वाधिक खनिज भंडार वाला जिला है। अधिकांश लोग जो या तो यहां के मूल निवासी हैं या कामकाजी वर्ग हैं जिसमें विभिन्न कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, अपने आफिस के कार्य अथवा सामाजिक प्रतिबद्धता के संबंध में क्योंझर से मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में जाते हैं। लेकिन इस जिले की रेल परिवहन के मामले में अनदेखी की गई है। अब जिले से कार्गो लाने ले जाने के लिए पारादीप से टाटानगर तक एक लाइन बिछाई गई है। वास्तव में, पूर्वी तटीय रेलवे का अधिकतम माल-भाड़ा क्योंझर जिले से ही आता है। जब रेलवे को इस जिले से इतनी अधिक आय हो रही है तो खनिज प्रधान क्षेत्र में रेल परिवहन के मामले में उदासीनता होने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः, मेरी मांग है कि क्योंझारगढ़ से होकर भुवनेश्वर

और टाटानगर के बीच गीतांजली एक्सप्रेस और अन्य हावड़ा-मुंबई और मुंबई-हावड़ा की ओर जाने वाली रेलगाडियों को जोड़ते हुए अविलम्ब एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू की जाए। इसी प्रकार से, हावड़ा-बारबिल जन शताब्दी एक्सप्रेस को अविलंब क्योंझारगढ़ तक बढ़ाया जाना चाहिए।

(आठ) केरल के कुन्नुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर धर्मादम-मुजप्पीलंगड़ पर एक नया पुल बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): कन्नूर जिले के धर्मादम, मुजप्पीलंगड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर मोईडु पुल के समानांतर एक नया पुल बनाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि पुराना पुल पूरी तरह से टूट चुका है और इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के संपूर्ण यातायात के रूट को बदला गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर वर्ष 1940 में बना मोईडु पुल ही केवल एक ऐसा पुल है, जिससे थलासेरी और कन्नूर के दो महत्वपूर्ण नगरों का सड़क यातायात गुजरता है। चूंकि यह पुल जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, इसलिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग और वित्तीय सहायता से इस पर कुछ नवीकरण कार्य किया गया। लेकिन हो सकता है नवीकरण कार्य से समस्या पूरी तरह हल न हो। राज्य लोक निर्माण विभाग ने उसी स्थान पर नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव दिया है।

अतः, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए और प्रस्ताव को संस्वीकृत करने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर धर्मादम-मुजप्पीलंगड़ पर नया पुल बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

(नौ) नेपाल से आने वाली नदियों के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र हर साल नेपाल से अनियंत्रित पानी के बहाव से बाढ़ की चपेट में आ जाता है। नेपाल के पानी से जो बाढ़ उत्पन्न होती है उस पानी को नियंत्रित करके हम बिजली पैदा कर सकते हैं एवं इसी पानी को नियंत्रित करके किसानों को सिंचाई सुविधा दे सकते हैं। भारत सरकार इस दिशा में 1954 से विचार कर रही है और इस पर काम करने के लिए 34 करोड़ रुपये एवं बाद में जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता वाले आयोग द्वारा बाढ़ को नियंत्रण करने हेतु 1974 में 2000 हजार करोड़ रुपये की लागत से पंचेश्वर, भालू तथा करनाली में बांध योजना तैयार की गई परन्तु उस पर काम नहीं हुआ और लागत भी बढ़ गई। इस योजना के तहत 12 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का काम भी था।

सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारत सरकार इस बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु नेपाल सरकार से शीघ्र बातचीत करे और जो बाढ़ पूर्वांचल और उत्तरी बिहार में हर साल तबाही लाती है, उसको नियंत्रित करके सिंचाई हेतु पानी और बिजली पैदा करके पूर्वांचल और उत्तर बिहार में खुशहाली का माहौल बनायें।

(दस) बिहार के महाराजगंज और मशरख के बीच रेल लाईन बिछाए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): बिहार प्रान्त का महाराजगंज, जहां सिवान जिले का प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र है, वहीं मश्रक सारण जिले का प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र है। अंग्रेजी हुकुमत के समय छपरा से जो रेल लाईन निकली थी, उसका अंतिम छोर मशरक ही हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद उसका गोरखपुर तक विस्तार किया गया। दूसरी तरफ छपरा से गोरखपुर वाया एकमा दुरौंदा, रेल लाईन जाती है, जिसके मध्य में दुरौंदा से मात्र 6 कि.मी. की दूरी पर महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय अवस्थित है। दुरौंदा से महाराजगंज रेल लाईन चालू है, परन्तु बीच की दूरी जो महाराजगंज से मशरक की है, नहीं जुटने के कारण व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस रेल लाईन के चालू हो जाने से सारण जिला का मशरक एवं सिवाल जिला का महाराजगंज प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र आपस में जुड जायेगा। महाराजगंज-मशरक रेल लाईन चालू होने से जहां व्यवसाय की बढ़ोतरी होगी वहीं ग्रामीण इलाके के लोगों को भी आवागमन में काफी सुविधा होगी। ज्ञातव्य हो कि पूर्व में इस रेल लाईन का शिलान्यास किया जा चुका है, परन्तु अभी तक राशि आवंटित नहीं होने से इस रेल लाईन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा स्वीकृत महाराजगंज-मशरक रेल लाईन का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु राशि आवंटन की मांग करता हूं।

(ग्यारह) अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): भारतीय समाज विविधतापूर्ण है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य समुदाय शामिल हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत है। दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अजा. तथा अजजा. से भिन्न नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान में समुदाय के इस वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है, हमने मंडल कमीशन के बाद 1990 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन नहीं किया। किसी आरक्षण के बिना केन्द्र सरकार के 12.5 प्रतिशत नौकरियां अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास थीं, परन्तु भारत के सॉलिसिटर जनरल ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि 1-1-2005 की स्थिति के अनुसार कुल नौकरियों में से केवल 5.3 प्रतिशत ही नौकरियां अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास थी। दूसरी ओर, अन्य समुदाय (जातियां) जो कुल जनसंख्या का केवल 6.1 प्रतिशत हैं, उनके पास केन्द्र सरकार की नौकरियों का 71.6 प्रतिशत है। यह अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ अन्याय है। सरकार को इस घोर अन्याय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उपचारी उपाय करने चाहिए। यह इस पृष्ठभूमि में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार शिक्षा में आरक्षण को आज तक भी लागू नहीं किया है। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग को देश के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के कोई अवसर नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि सभी क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रगति की निगरानी करे। इस उद्देश्य से, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति के अनुरूप अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भी तत्काल एक समिति गठित करे!

(बारह) ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में सेवाओं की आऊटसोर्सिंग रोकने और झारखंड में राज महल लालमटिया परियोजना में कार्यरत कर्मकारों के कल्याण हेतु सामुदायिक विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): ईस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में स्थित अधिकांश कोयला खदानें घाटे में चल रहे हैं, परंतु झारखंड के राजमहल ललमटिया परियोजना से कंपनी को करीब 400 करोड़ का मुनाफा होता है, परंतु कंपनी एवं सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सामुदायिक विकास एवं अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत पर्याप्त धन खर्च नहीं हो रहा है। इसके विपरीत ई.सी.एल. के अंतर्गत आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हाल में ई.सी.एल. में तीन आउटसोर्सिंग एजेंसियां कार्य के लिए प्रक्रियाधीन है। प्रबंधन और आउटसोर्सिंग एजेंसी की वजह से कम्पनी और कर्मचारियों खासकर श्रमिकों का काफी नुकसान होता है।

अतः, सरकार से अनुरोध है कि ई.सी.एल. एवं कोल इंडिया लिमिटेड के प्रत्येक अनुषंगी कम्पनियों में आउटसोर्सिंग हेतु प्रभावी कदम उठाये जाये और राजमहल परियोजना क्षेत्र के गांवों में सामुदायिक विकास के अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यों को सम्पन्न कराया जाये ताकि यहां के निवासियों को मुफ्त बिजली, रोजगार और अन्य विकास योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।

(तेरह) धान उत्पादकों की दशा सुधारने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में घोर विसंगति के कारण आंध्र प्रदेश के कृषक समुदाय में व्यापक असंतोष है। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में किसान लगभग 90 मिलियन टन धान का उत्पादन करते हैं। यह गलत धारणा है कि जब धान से चावल निकाला जाता है तब केवल 65 प्रतिशत ही चावल निकल पाता है और शेष बेकार चला जाता है। तथापि अवशिष्ट पदार्थ जैसे - भूसी, टूटा चावल आदि कीमती और विपणन योग्य उत्पाद हैं। 100 किलोग्राम कुटे हुए धान से 65 किलो चावल, 10-12 किलो टूटे चावल, 8 कि.ग्रा. पशु आहार निकलते हैं और शेष भूषी होती है। सरकार की सभी चावल मिलों के आधुनिकीकरण की पहले से ही एक योजना है जिससे कि चावल का उत्पादन बढ़ाया जा सके और मिल में कुटाई के दौरान बर्बादी को कम से कम किया जा सके। इसलिए गेहूं और

चावल के मूल्य में अंतर काफी कम है और तद्नुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में अंतर भी कम होना चाहिए। भारत सरकार बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम पर बहुत अधिक धनराशि खर्च करती है। भारतीय खाद्य निगम पर किए गए खर्च की तुलना में किसानों को समुचित समर्थन मूल्य देकर अतिरिक्त सहायता की मात्रा नगण्य है। इन समस्याओं को देखते हुए, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर अनाज बैंकों के प्रबंधन द्वारा जन वितरण प्रणाली को उनके अनुकूल बनाया जाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से हस्तांतरण, परिवहन, हैंडलिंग और भंडारण लागतों में कमी आएगी और साथ ही ग्रामीण रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। जब भी कीमतों में कमी हो हमारे कृषकों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से सुदृढ़ सरकारी संरक्षण भी दिया जाना चाहिए।

इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह स्थिति की गंभीरता को समझे और धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तत्काल बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल कर आंध्र प्रदेश के धान उपजाने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान करे।

(चौदह) सामान्य श्रेणी के लोगों को उनकी जनसंख्या के आधार पर नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को क्रमशः 15, 7.5 और 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। इस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 55 प्रतिशत है। इस प्रकार से तीनों समुदायों की 80 प्रतिशत जनसंख्या है, लेकिन इन तीनों समुदायों को केवल 49.5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। जबकि बची हुयी 20 प्रतिशत जनसंख्या जो स्वर्ण जाति की है, को 50 प्रतिशत सामान्य सीटें मिलती हैं। इसके बावजूद भी आरक्षण का विरोध हो रहा है तथा आरक्षण समर्थकों एवं आरक्षण विरोधियों में संघर्ष होता रहता है एवं जिस जाति को आरक्षण नहीं मिलता है, उसको लगता है कि उन्हें भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए।

अतः, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश की 20 प्रतिशत स्वर्ण जाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में अर्थात् 20 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दिलवाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें ताकि स्वर्ण जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके और देश में आये दिन होने वाले आरक्षण समर्थकों एवं आरक्षण विरोधियों के संघर्ष को समाप्त किया जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 22 नवम्बर, 2007/1 अग्रहायण, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	81
2.	श्री टेकलाल महतो श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	82
3.	श्री विजय कृष्ण श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	83
4.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री गिरिधारी यादव	84
5.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	85
6.	डा. राजेश मिश्रा श्री जे.एम. आरून रशीद	86
7.	श्री पन्नियन रवीन्द्रन श्री सी.के. चन्द्रप्पन	87
8.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री रायापति सांबासिवा राव	88
9.	श्री तथागत सत्पथी श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	89
10.	श्री भाई लाल	90
11.	श्री नवीन जिन्दल	91
12.	श्री किन्जरपु येरननायडु	92
13.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	93
14.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	94
15.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री रनेन बर्मन	95
16.	श्री एस. अजय कुमार प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	96
17.	श्री अधीर चौधरी	97
18.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री सुरेश अंगड़ि	98
19.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी श्री एस.के. खारवेनथन	99
20.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	664
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	623, 687
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	663, 668, 717, 736
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	594, 662, 663, 711
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	591, 696, 727, 730, 746
6.	अंगड़ि, श्री सुरेश	603, 678, 727
7.	अप्पदुरई, श्री एम.	628, 659
8.	आठवले, श्री रामदास	600, 609, 738
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	603, 619, 685

1	2	3
10.	बर्मन, श्री रनेन	646
11.	बखला, श्री जोवाकिम	630
12.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	581
13.	भगोरा, श्री महावीर	602, 608
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	626, 734
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	582, 653, 683
16.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	665
17.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	722
18.	चिन्ता मोहन, डा.	598, 659
19.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	622
20.	चौधरी, श्री पंकज	660
21.	चौधरी, श्री अधीर	669
22.	देवरा, श्री मिलिन्द	590, 657, 705, 717
23.	देशमुख श्री सुभाष सुरेशचंद्र	600, 675, 721, 742, 755
24.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	579
25.	दुबे, श्री चन्द्र शेखर	633, 693, 734
26.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	614
27.	गढवी, श्री पी.एस.	631
28.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	674, 718, 751, 759, 760
29.	गंगवार, श्री संतोष	634, 664, 676, 742
30.	घुरन राम, श्री	607

1	2	3
31.	जाधव, श्री प्रकाश बी.	643, 644
32.	जगन्नाथ, डा. एम.	592, 697, 699, 727
33.	जटिया, डा. सत्यनारायण	660
34.	झा, श्री रघुनाथ	596, 712
35.	जिन्दल, श्री नवीन	650, 714
36.	जोगी, श्री अजीत	604
37.	करुणाकरन, श्री पी.	621
38.	खारवेनथन, श्री एस.के.	648, 701, 732, 748
39.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	575, 649, 692, 699
40.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	608, 636, 694
41.	कृष्ण, श्री विजय	661, 710
42.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	612
43.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	642, 677, 762, 632
44.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	659, 708
45.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	596
46.	महरिया, श्री सुभाष	593, 629, 691, 728
47.	महतो, श्री नरहरि	605
48.	महतो, श्री टेक लाल	660, 709
49.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	664, 676, 742
50.	मंडल, श्री सनत कुमार	587, 609, 706, 712

1	2	3
51.	माने, श्रीमती निवेदिता	674, 718, 751, 759, 762
52.	मनोज, डा. के.एस.	606, 760
53.	मिश्रा, डा. राजेश	664
54.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	611
55.	मो. ताहिर, श्री	577, 640, 683, 718
56.	मंडल, श्री अबु अयीश	616, 684, 726, 734
57.	मुर्मू, श्री हेमलाल	658, 713
58.	नायक, श्री अनन्त	625, 688, 718
59.	निखिल कुमार, श्री	593, 680, 725
60.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	670, 718, 737, 751
61.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	593
62.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	627, 664, 717
63.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	663, 712
64.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	597, 617, 671
65.	पाठक, श्री ब्रजेश	640, 664, 674, 683, 718
66.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	644, 660, 734, 761
67.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	660, 664
68.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	662, 711
69.	राजगोपाल, श्री एल.	583, 586, 724, 750
70.	रेजान्द्रन, श्री पी.	589, 656, 704
71.	रामदास, प्रो. एम.	585, 682, 762
72.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	583, 679, 724, 745
73.	राणा, श्री काशीराम	712, 743
74.	राव, श्री के.एस.	584, 602, 659
75.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	677, 723, 744, 756
76.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	624
77.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	665
78.	रावले, श्री मोहन	620, 686
79.	रावत, प्रो. रासा सिंह	593, 598, 659
80.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	655, 707, 738, 752
81.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	615, 683
82.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	591, 618
83.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	584
84.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	594, 643, 712
85.	रिजीजू, श्री कीरेन	660, 664
86.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	654, 706, 740, 753
87.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	599, 673, 720, 741, 754

1	2	3
88.	सत्पथी, श्री तथागत	651, 688
89.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	637, 664, 697, 731
90.	सेनथिल, डा. आर.	610, 681
91.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	641, 684
92.	शर्मा, श्री मदन लाल	736
93.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	663, 666, 668, 758
94.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	585, 682, 762
95.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	576, 652, 703, 733, 749
96.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	602, 644
97.	सिंह देव. श्रीमती संगीता कुमारी	578, 647, 722, 743
98.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	638, 698
99.	सिंह, श्री चन्द्रभान	635
100.	सिंह, श्री गणेश	613
101.	सिंह, श्री राकेश	632, 692
102.	सिंह, श्री रामपाल	588, 695, 729
103.	सिंह, श्री रेवती रमन	625, 648
104.	सिंह, श्री सुग्रीव	597, 671, 719, 739
105.	सिंह, श्री उदय	601
106.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	580, 702
107.	सुमन, श्री रामजीलाल	598, 708
108.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	645, 700
109.	थामस, श्री पी.सी.	621, 639
110.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	593
111.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	667, 672, 716, 735
112.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	598, 690, 727
113.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	663, 712, 734, 750
114.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	614
115.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	595, 674, 689, 757
116.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	715, 747

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा		81
कोयला	:	82, 84, 90
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन		85, 86, 92, 97
विदेश	:	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	83, 87, 88, 89, 91, 95, 96
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंजायती राज	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	94
योजना	:	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	93, 98, 100
अंतरिक्ष	:	99
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	598, 659, 682, 687, 688, 690
कोयला	:	607, 618, 633, 643, 645, 693, 709, 716, 733, 734, 746
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	580, 673, 701, 720, 761
पर्यावरण और वन	:	577, 590, 594, 599, 602, 603, 613, 619, 620, 626, 627, 635, 636, 637, 641, 653, 657, 666, 670, 680, 685, 694, 701, 704, 707, 718, 719, 732, 741, 752, 753, 755, 759, 762
विदेश	:	632, 634, 642, 649, 656, 660, 664, 669, 679, 705, 713, 731, 737, 739

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		579, 581, 584, 586, 588, 591, 595, 596, 597, 600, 601, 604, 605, 606, 611, 614, 623, 629, 630, 638, 639, 646, 650, 652, 654, 658, 661, 662, 663, 667, 671, 672, 674, 676, 677, 678, 684, 691, 695, 696, 698, 699, 700, 703, 710, 714, 715, 717, 723, 725, 727, 729, 730, 735, 736, 742, 743, 747, 748, 749, 750, 757, 758
प्रवासी भारतीय कार्य	:	593, 683, 726, 740
पंचायती राज	:	583, 587, 612, 615, 624, 681, 689, 711, 744
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	592, 610, 625, 756
योजना	:	576, 616, 706, 708, 754
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	575, 578, 582, 589, 608, 609, 617, 621, 622, 631, 640, 644, 647, 651, 655, 665, 668, 686, 692, 697, 721, 728, 738, 745, 751, 760
अंतरिक्ष	:	724
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	628, 675, 712, 722
युवक कार्यक्रम और खेल	:	585, 648

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/30/4/2007/1929 (एन.)
232

PLB

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।